ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

पवन कुमार मंडल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5259 of 2010. Decided on 20th March, 2015.

ग्राम रक्षादल नियमावली, 1949—नियम 19 (2)—जिला पंचायती राज अधिकारी 'दलपति' नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं और उसी प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है–'दलपति' के रूप में याची की सेवा डी॰ सी॰ द्वारा समाप्त की गयी जो सक्षम प्राधिकारी नहीं है–अपनी जन्मतिथि के संबंध में याची द्वारा किए गए छल साधन का अभिकथन–याची को जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं की गयी–याची को अपने मामला का बचाव करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया, कारण बताओ नोटिस के आरंभ से ही कार्यवाही के समापन तक घोर प्रक्रियात्मक अनियमितता की गयी है–डी॰ सी॰ दुमका ने उक्त नियमावली, 2001 के नियम 19(2) के उल्लंघन में आक्षेपित आदेश पारित किया–दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत अनुशासनिक कार्यवाही का अनिवार्य सिद्धांत है किंतु इसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है–आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अतिलंघन द्वारा भी हिट होता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mr. Manoj Kumar Choubey, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में, याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 25.2.2010 के मेमो सं॰ 442/GO में अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 2 उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आदेश के अभिखंडन/अपास्त किए जाने के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा 'दलपति' के रूप में याची की सेवा समाप्त कर दी गयी है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर संक्षेप में ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को आरंभ में दिनांक 30.11.1996 को दुमका जिला में गोपीकंदर प्रखंड के गोपीकंदर गाँव में 'दलपति' के रूप में नियुक्त किया गया था और रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के अधीन दिनांक 3.11.1997 के आदेश द्वारा ग्राम रक्षा दल नियमावली, 1949 के नियम 4 (ii) के निबंधनानुसार याची की उक्त नियुक्ति संपुष्ट/अनुमोदित की गयी थी। यह कथन किया गया है कि दिनांक 6.11.2009 के मेमो सं॰ 1982 (परिशिष्ट 2) द्वारा अपनी जन्मतिथि के संबंध में याची द्वारा किया गया छल-साधन अभिकथित करते हुए याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के तहत दिनांक 4.12.2009 को दिया। तत्पश्चात, रिट आवेदन के परिशिष्ट-4 के अधीन दिनांक 25.2.2010 के मेमो सं॰ 442/GO के तहत याची की सेवा समाप्त की गयी है।

3. सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन और प्रत्यर्थी राज्य के एस॰ सी॰ III कनीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार चौबे को सुना गया।

5. तर्क के क्रम में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001 (पूर्व में ग्राम रक्षा दल नियमावली, 1949) के रूप में ज्ञात के नियम 6 (घ) को निर्दिष्ट किया और निवेदन किया कि

उक्त नियम के मुताबिक, दलपति की नियुक्ति की तिथि पर चयनित दलपति की आयु आयु समूह 21 से 30 वर्ष तक के भीतर होनी चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि याची की जन्मतिथि दिनांक 7.8.1975 है जिसके मुताबिक दिनांक 30.11.1996 को उसकी नियुक्ति की दृष्टि में याची लगभग 21 वर्ष चार माह 22 दिन का था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि निष्कर्ष जिनके आधार पर याची की सेवा समाप्त की गयी है, पूर्णत: विकृत है और इसलिए, परिशिष्ट 4 के तहत सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001 के नियम 19 को निर्दिष्ट किया जो 'दलपति' की सेवा की समाप्ति की प्रक्रिया पर विचार करता है। यह निवेदन किया गया है कि उक्त नियमावली के नियम 6 (1) के मुताबिक जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन चयन कमिटी 'दलपति' नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और उक्त नियमावली का नियम 19 (2) परिकल्पित करता है कि उसी प्राधिकारी अर्थात् जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा 'दलपति' की सेवा समाप्त की जा सकती है। किंतु वर्तमान मामले में, परिशिष्ट 4 के परिशीलन पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा समाप्ति का आदेश उपायुक्त द्वारा जारी किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी नहीं है, अत:, परिशिष्ट 4 पर आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में अवैध और अविद्यमान बनाते हुए नियमावली के नियम 19 (2) को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि दिनांक 23.9.2009 को तथाकथित जाँच की गयी थी किंतु दिनांक 6.11.2009 को याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अत:, अनुशासनिक कार्यवाही के समापन में प्रक्रियात्मक अनियमितता की गयी है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि परिशिष्ट 4 के तहत सेवा समाप्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन से पीड़ित है क्योंकि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पहले द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश नियमावली के नियम 19 (2) के मुताबिक सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने में अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिशिष्ट 4 के अधीन सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उल्लंघन में पारित किया गया है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी दुमका के कार्यालय अभिलेख में जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता एवं प्रशिक्षण के साथ किए गए छेड़छाड़ के मामले में अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता के अधीन जाँच भी की गयी थी और उसके अनुसरण में कमिटी द्वारा दिनांक 23.9.2009 के पत्र के तहत जाँच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभिलेख में वर्ष 2009 के लिए प्रकाशित दलपति की वरीयता सूची के ड्राफ्ट में जन्मतिथि दिनांक 8.7.1970 के रूप में दर्शायी गयी है जबकि अंतिम प्रकाशित सूची में जन्मतिथि दिनांक 5.7.1970 के रूप में दर्शायी गयी थी किंतु फॉर्म III में लिप्त लेखन करके उसकी जन्मतिथि दिनांक 8.7.1975 बनायी गयी थी और फॉर्म I में जन्मतिथि दिनांक 5.7.1975 थी जबकि मूल नियुक्ति अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दिनांक 5.7.1970 है। किंतु, अपना मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके याची ने अपनी जन्मतिथि दिनांक 8.7.1975 होने का दावा किया है और कार्यालय अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करने का उक्त मामला किसी कार्यालय स्टॉफ अर्थात श्री चौबे की मौनानुकूलता से किया गया था। प्रतिशपथ पत्र में आगे यह कथन किया गया है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर याची को उपायुक्त, दुमका द्वारा दिनांक 6.11.2009 के मेमो के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 11.12.2009 को याची को व्यक्तिगत रूप से सुना गया था। आगे, यह निवेदन

किया गया है कि यदि यह उपधारित किया जाता है कि याची की जन्मतिथि दिनांक 8.7.1975 है, तब दलपति के पद पर उसकी नियुक्ति अवैध बन जाती है, अत: प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के अधीन दिनांक 25.2.2010 के आदेश के तहत उपायुक्त, दुमका द्वारा याची की सेवा समाप्त की गयी है।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.11.2014 के आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 27.1.1997 के प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपीकंदर के पत्र की प्रतिलिपि, ग्राम पंचायत कार्यपालिका कमिटी के रिपोर्ट का वृतांत, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और दिनांक 3.11.1997 का अनुमोदन आदेश जिन्हें परिशिष्ट B श्रृंखला के रूप में संलग्न किया गया है, संलग्न करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रति शपथ पत्र के परिशिष्ट C श्रृंखला के मुताबिक, याची ने दिनांक 23.6.2009 को असद्भावपूर्ण एवं प्रच्छन्न आशय के साथ दिनांक 8.7.1975 के रूप में अपनी जन्मतिथि का दावा करते हुए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल किया। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि सुनवाई और कागजातों का परीक्षण करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याची जिला पंचायत राज अधिकारी, दुमका की दलपति नियुक्ति के कार्यालय अभिलेख के साथ छल साधन एवं छेड़छाड़ करने में अंतर्ग्रस्त था। यदि यह उपधारित किया जाता है कि रिट याची का दावा कि जन्मतिथि दिनांक 8.7.1975 है और कार्यपालिका कमिटी द्वारा उसकी नियुक्ति की तिथि दिनांक 30.11.1990 है, तब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रिट याची को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले नियुक्त किया गया था। अत:, नियुक्ति स्वत: अवैध बन जाती है।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के प्रत्युत्तर को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है कि तथाकथित जाँच रिपोर्ट, जैसा प्रतिशपथ पत्र में निर्दिष्ट किया गया है, की आपूर्ति याची को कभी नहीं की गयी थी जिसने गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। प्रत्युत्तर शपथ पत्र में आगे यह निवेदन किया गया है कि तर्क के लाभ के लिए यह मानने पर भी कि जन्मतिथि दिनांक 8.7.1970 है, जैसा कथन दिनांक 23.9.2009 की तथाकथित जाँच रिपोर्ट में किया गया है, दिनांक 30.11.1996 को अर्थात् नियुक्ति की तिथि पर याची की आयु 26 वर्ष 4 माह 22 दिन होगी अर्थात् 21 से 30 वर्ष के बीच और इसलिए, याची की नियुक्ति अवैध नहीं कही जा सकती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चार तिथियों अर्थात् दिनांक 8.7.1970; 5.7.1970; 8.7.1975 एवं 5.7.1975 याची की जन्मतिथि बतायी गयी हैं और यदि चार तिथियों में से किसी तिथि को सही माना जाता है, नियुक्ति की तिथि पर याची की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर को निर्दिष्ट करके निवेदन किया है कि याची को दिनांक 23.6.2009 की जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति कभी नहीं की गयी थी और याची के पीठ पीछे जाँच की गयी थी जो इस तथ्य से प्रकट है कि यह जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.9.2009 की है और याची को दिया गया कारण बताओ नोटिस दिनांक 6.11.2009 का है अर्थात् जाँच रिपोर्ट की तिथि से डेढ़ माह बाद। अत:, तथाकथित जाँच लापरवाह तरीके से संचालित की गयी है और संपूर्ण अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियात्मक अनियमितता एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अननुपालन, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघनकारी है, के कारण दूषित हो गयी है।

9. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद मैं पाता हूँ कि दिनांक 25.2.2010 का आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट–4, निम्नलिखित कारणों से विधित: संपोषणीय नहीं है:–

(i) fd ifjf'k"V 4 d vèkhu lok lekfIr dk vk{kfir vkn'k ulfxd U;k; d fl)krk dk vulj.k fd, fcuk ikfjr fd;k x;k g tl k çfr'kiFk i= l çdV gkrk

g D;kfd rFkkdfFkr tkp fnukd 23.9.2009 dk dh x;h Fkh fdr tkp fjikV dh çfr dh vkifr ;kph dk dHkh ugh dh x;h Fkh ftlu rn}kjk dk;okgh nf"kr fd;k vkj ;kph ij çfrdyrk dkfjr fd;kA

(ii) fnukd 6.11.2009 dk ;kph dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk vkj ;kph dk ;fDr;Dr volj ugh fn;k x;k Fkk vkj viu ekeyk dk cpko dju d fy, mldk vkjki d ykNu dh vkifr ugh dh x;h FkhA vr%] dkj.k crkvk ukfVl d vkjHk l gh dk;okgh d lekiu rd ?kkj çfØ;kRed vfu;ferrk dh x;h gA

(iii) fu;e 6 (?k) d erkfcd] ftyk ipk;r jkt vfèkdkjh fu;fDr çkfèkdkjh g vkj fu;e 19 (2) d erkfcd] ogh vfèkdkjh vFkkr ftyk ipk;r jkt vfèkdkjh ;kph dh lok lekIr dju okyk l{ke çkfèkdkjh g vkj og Hkh fu;e 19 e fofgr çfØ;k dk vulj.k dju d ckn] fdr] oreku ekey e mik;Dr nedk u mDr fu;ekoyh d fu;e 19 (2) d mYy?ku e lok lekfIr dk vk{kfir vkn'k ikfjr fd;k g tk fofèk dh nf"V e vfo|eku gA

(iv) bld vfrfjDr] ;kph ftlu 13 o"k dh lok nh g] dk;okgh e viu ekey dk cpko dju d fy, i;kIr volj iku dk gdnkj FkkA fdr oreku ekey e] u rk ;kph dk dkb f}rh; dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk vkj u gh tkp fjikV dh çfr] tk dk;okgh vkjHk dju dk vkèkkj Fkk] dh vkifr ;kph dk dh x;h FkhA nlj i{k dk Hkh lquk dk fl)kr vu'kklfud dk;okgh dk vfuok; fl)kr g fdr bl ijh rjg njfdukj dj fn;k x;k gA bld vfrfjDr] ifjf'k"V 4 d vèkhu fnukd 25.2.2010 dk lok lekfIr dk vk{kfir vkn'k Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 311 (2) d vfry?ku l Hkh ifrdyr% iHkkfor gA

10. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों के समेकित प्रभाव पर दिनांक 25.2.2010 के मेमो सं॰ 442/GO. के तहत जारी परिशिष्ट 4 पर आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को याची को सेवा में तुरन्त पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया जाता है और याची सेवा में निरंतरता के लाभ का हकदार होगा।

11. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है। किंतु, इस रिट याचिका का निपटान प्रत्यर्थीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, का पालन करते हुए कठोरतापूर्वक नियमों/मार्गदर्शक सिद्धांतों/सरकारी परिपत्रों, आदि के अनुरूप याची के विरुद्ध विभागीय रूप से अग्रसर होने के लिए, यदि ऐसा परामर्श दिया जाता है, अपवर्जित नहीं करेगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

अजित कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (PIL) No. 3845 of 2013. Decided on 5th January, 2015.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धारा 74 (2)—भारत का संविधान–अनुच्छेद 226–प्राईवेट वाहन का वाणिज्यिक उपयोग–प्रत्यर्थी बोर्ड ने निगम मुख्यालय में चलाने के लिए वाहन

(वाणिज्यिक) को काम पर लगाया है और वे विधि के अनुरुप कर का भुगतान कर रहे हैं–पी॰ आई॰ एल॰ खारिज। (पैराएँ 2 से 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Kumar, For the Petitioner; M/s J.C. to A.G. & Ajit Kumar, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गयी हैं:–

(a) Lo; mud viu fucèkuk ,o 'krk d foijhr vFkkr okf.kfT;d okgu d LFkku ij çkboV okgu dke ij yxk;k x;k g] >kj[kM jkT; fo|r ckM d dk;ky; e dke ij yxk, x, okgu d fy, ifjokgdk }kjk dh x;h okf.kfT;d ekVj dj dh pkjh dk vUo"k.k dju d fy, çR;Fkhx.k fo'k"krk çR;Fkh l0 7 ij lefpr fjV@vkn'k@vkj@vFkok fun'k tkjh dju d fy,(

(b) dj pkjh dh lhek dk fuèkkj.k dju ,o vrxLr 0;fDr;k l bl oly dju d fy, çR;Fkhx.k ij lefpr fjV@vkn'k vkj@vFkok fun'k tkjh dju d fy,A

(c) ;kph d lkFk li.k U;k; dju d fy, bld vfrfjDr vU; fjV@vkn'k vkj@vFkok fun'k tlk ekuuh; U;k;kèkh'k lefpr ,o l;kX; le>r g tkjh dju d fy,A

2. याची द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी बोर्ड वाणिज्यिक प्रयोजन से प्राईवेट वाहन काम पर लगा रहा है और इस प्रकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2) का उल्लंघन हुआ है। प्रत्यर्थीगण विद्युत बोर्ड के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विस्तृत प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है और प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट C संलग्न करके उन्होंने प्रत्यर्थी–विद्युत बोर्ड द्वारा भाड़े पर लिए गए वाहनों की सूची दिया है जो वाहन (वाणिज्यिक) हैं और प्रतिशपथ पत्र में कथन किया गया है कि वे विधि के अनुरूप कर का भुगतान कर रहे हैं।

3. दोनों पक्षों को सुनने पर और प्रत्यर्थीगण बोर्ड द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को देखते हुए, विशेषत: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि॰ द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को देखते हुए और इस प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट C को भी देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी बोर्ड ने निगम मुख्यालय, धुर्वा, राँची में चलाने के लिए वाहनों (वाणिज्यिक) को काम पर लगाया है और वे विधि के अनुरुप कर का भुगतान कर रहे हैं। अत:, हम इस जनहित याचिका को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं। इसे तद्नुसार निपटाया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के तापिन नार्थ कोलियरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता

cuke

उनके कर्मकार, अपर महासचिव के प्रतिनिधित्व में

L.P.A. No. 246 of 2013. Decided on 24th February, 2015.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–उलटा जाना–याची ने किसी अन्य का प्रतिरुपण किया और 26 वर्षों तक सी॰ सी॰ एल॰ में काम किया–व्यक्ति जिसका अभिकथित रूप से प्रतिरुपण किया गया था, घरेलू जाँच में कर्मकार के विरुद्ध मूल आरोप सिद्ध करने आगे नहीं

आया था–प्रतिरुपण के लिए कर्मकार के विरुद्ध कोई दांडिक मामला दर्ज नहीं किया गया–कर्मकार के पक्ष में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण का निष्कर्ष दिया गया जिसे बाद में रिट न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया–ऐसी गंभीर प्रकृति के आरोप को घरेलू जाँच में भी पूरी तरह सिद्ध करने की आवश्यकता है और इसे मात्र अधिसंभाव्यताओं पर सिद्ध किया गया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह संबंधित कर्मचारी का सामना सिविल एवं दांडिक परिणामों से कराता है–अपील खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2009)12 SCC 78—Followed.

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Appellant; M/s Rajesh Kumar, Renuka Trivedy, Suchitra Pandey, For the Respondents.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 33 वर्ष 2011 में कर्मकार के पक्ष में दिए गए निष्कर्षों से व्यथित होकर मेसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके बाद 'सी॰ सी॰ एल॰' के रूप में निर्दिष्ट) वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील के माध्यम से हमारे समक्ष है जिसे पहले ही दिनांक 13 अक्टूबर 2014 के आदेश के तहत ग्रहण किया गया है और कर्मकार की प्रार्थना पर इस पर अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इसकी पारी के पहले सुना गया है।

2. चूँकि सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा स्थापित मामला, जैसा अभिलेख से पाया जाता है, कर्मकार के प्रतिरुपण के संबंध में है, हम कर्मकार का नाम निर्दिष्ट करना चाहेंगे। वह बिराज चौहान उर्फ बिराज नोनिया है। सी॰ सी॰ एल॰ के मुताबिक, उसने किसी सुखदेव नोनिया का प्रतिरुपण किया था और 26 वर्षों तक सी॰ सी॰ एल॰ के साथ काम किया था और तब उसकी सेवा समाप्त की गयी थी जिसने उसे केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद (संक्षेप में 'अधिकरण') का दरवाजा खटखटाने का कारण दिया और उसने बर्खास्तगी की तिथि से पुनर्बहाली की तिथि तक पिछली मजदूरी के 50% के साथ अपनी पुनर्बहाली का अनुकूल आदेश प्राप्त किया। अधिनिर्णय से व्यथित होकर, सी॰ सी॰ एल॰ डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 33 वर्ष 2011 के माध्यम से विद्वान रिट न्यायालय के पास गया जिसे अब विद्वान रिट न्यायालय द्वारा दिनांक 5 सितंबर, 2012 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के तहत विद्वान अधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अभिपुष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया था जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि आर्रभिक विवाद्यक पर सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा की गयी घरेलू जाँच निष्पक्ष एवं समुचित थी, किंतु संबंधित जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे क्योंकि रिपोर्ट की प्रामाणिकता की परीक्षा करने के लिए रिपोर्ट के लेखक का परीक्षण नहीं किया गया था। सुखदेव नोनिया, जिसका अभिकथित रूप से प्रतिरुपण किया गया था, घरेलू जाँच में कर्मकार के विरुद्ध मूल आरोप को सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आया था। विद्वान अधिकरण के निष्कर्षों को अभिपुष्ट करते हुए, कतिपय अन्य पहलूओं/दुर्बलताओं को भी विचार में लिया गया है।

3. इस प्रकार, सी॰ सी॰ एल॰ वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील के माध्यम से हमारे समक्ष है।

4. सी॰ सी॰ एल॰ के लिए उपस्थित श्री राजेश लाला और कर्मकार के लिए उपस्थित श्री राजेश कुमार सुने गए। हमने अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

5. जो हमें प्रतीत होता है, वह यह है कि विद्वान रिट न्यायालय ने अपनी संतुष्टि के लिए एक बार फिर ताथ्यिक पहलूओं पर संपूर्ण मामले के विवरणों पर विचार किया है और केवल तत्पश्चात विद्वान अधिकरण के निष्कर्ष को संपुष्ट किया है।

6. श्री राजेश लाला ने निवेदन किया कि कर्मकार के विरुद्ध आरोप जाँच अधिकारी को उपलब्ध कराए गए अभिलेख से सिद्ध किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि सी॰ सी॰ एल॰ का निगरानी प्रकोष्ठ

सुखदेव नोनिया के गाँव गया था और संबंधित पुलिस थाना से पुलिस अधिकारी के साथ कतिपय ग्रामीणों का बयान दर्ज किया जिससे यह प्रकट हुआ कि यह पूर्वोक्त बिराज चौहान उर्फ ब्रिज नोनिया द्वारा प्रतिरुपण का मामला था। श्री राजेश लाला से विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या निगरानी प्रकोष्ठ की रिपोर्ट रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, उन्होंने निष्पक्षत: कथन किया कि यह रिट न्यायालय के अभिलेख का भाग नहीं था, किंतु अब इसे पूरक शपथ पत्र के रूप में अपील के मेमो के साथ संलग्न किया गया है। सी॰ सी॰ एल॰ को हमारे समक्ष बिल्कुल नया मामला विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष इसका मामला कभी नहीं था।

7. स्वीकृत रूप से, कर्मकार के विरुद्ध प्रतिरुपण के लिए कोई दांडिक मामला दर्ज नहीं किया गया था। भले ही हम उक्त खामी के लिए कुछ स्थान छोड़ते हैं, ऐसी गंभीर प्रकृति के आरोप को घरेलू जाँच में भी पूरी तरह सिद्ध करने की आवश्यकता है और इसे मात्र अधिसंभाव्यताओं पर सिद्ध किया गया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह संबंधित कर्मचारी का सामना सिविल एवं दांडिक परिणामों से कराता है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ एवं अन्य बनाम ज्ञान चंद चत्तर, (2009)12 SCC 78,** मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। कर्मकार के विरुद्ध प्रतिरुपण का आरोप सिद्ध करने का सर्वोत्तम गवाह सुखदेव नोनिया था जो स्वीकृत रूप से कर्मकार के विरुद्ध संचालित घरेलू जाँच के दौरान आगे नहीं आया है। कर्मकार के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा इन समस्त पहलूओं पर विचार किया गया था, जिसे बाद में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। हम उक्त निष्कर्ष अस्त-व्यस्त करने का कोई कारण, अच्छा कारण की तो बात ही दूर, नहीं पाते हैं। हमें यह भी सूचित किया गया है कि कर्मकार अधिवर्षित हो गया है।

8. परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है। तद्नुसार, ऐसा आदेश दिया जाता है।

9. दिनांक 12 मई, 2014 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है। सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा अधिकरण के पास जमा की गयी 50% पिछली मजदूरी की राशि कर्मकार द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन देने पर उसके पक्ष में निर्मुक्त की जाएगी। यह कहना अनावश्यक है कि अन्य समस्त धनीय लाभ भी उसके पक्ष में जाएँगे।

10. इस चरण पर, श्री राजेश लाला निवेदन करते हैं कि कर्मकार पहले ही विद्वान अधिकरण के अधिनिर्णय के अननुपालन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अधीन हजारीबाग में आवेदन दे चुका है, अत: उसे उक्त आवेदन को अग्रसर नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता है क्योंकि सी॰ सी॰ एल॰ किसी विलंब के बिना, सकारात्मक रूप से आज के दिन से तीन माह के भीतर उसको समस्त देयों का भुगतान करने के लिए तैयार है।

11. कर्मकार सी॰ सी॰ एल॰ को उसके समस्त देयों का भुगतान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु तीन माह तक उक्त आवेदन के अभियोजन पर जोर नहीं देगा जिसके व्यतिक्रम में, उक्त आवेदन सी॰ सी॰ एल॰ के विरुद्ध दिए गए अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के लिए विधि के अनुरुप निपटाया जाएगा।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अमर सिंह उर्फ टुनटुन सिंह (58 में)

चंद्रमा पांडे एवं एक अन्य (77 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Criminal Appeal (S.J.) Nos. 58 with 77 of 2005. Decided on 29th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 300 वर्ष 1999 के संबंध में श्री अवधेश मल, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट–7, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341, 323, 324 एवं 387 सह-पठित धारा 34—उद्दापन, दोषपूर्ण अवरोध एवं उपहति–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन विवरण का समर्थन करता है–अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण मात्र अभियोजन मामले के प्रति घातक कभी नहीं होगा जब तक अपीलार्थीगण पर कुछ प्रतिकूलता कारित नहीं की गयी है–किंतु, घटना सोलह वर्ष पहले हुई और अभियुक्तगण ने दांडिक अभियोजन और अपील लंबित का दर्द सहा है–अपीलें खारिज की गयी किंतु दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया। (पैराएँ 8 से 10)

निर्णयज विधि.–2014(4) JLJR 426—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Shekhar Prasad Sinha, Awadhesh Pandey, For the Appellants; Mr. Prem Prakash, For the State.

आदेश

दोनों उक्त अपीलें एक ही निर्णय एवं दोषसिद्धि के आदेश तथा दंडादेश से उद्भूत हुई हैं, अतः उन्हें साथ सुना जा रहा है और एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 58 वर्ष 2005 में केवल एक अपीलार्थी अर्थात् अमर सिंह उर्फ टुनटुन सिंह है जबकि दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 77 वर्ष 2005 में दो अपीलार्थीगण अर्थात् चंद्रमा पांडे एवं गणेश सिंह हैं। समस्त तीनों अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324 एवं 387 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अपराध के लिए पंद्रह दिन का सामान्य कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए छह माह का कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के एक वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अधीन अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला जो सूचक मुन्ना सिंह (अ॰ सा॰ 6) के फर्दबयान पर आधारित है यह है कि दिनांक 7.7.1998 को रात्रि लगभग 9 बजे वह पुटकी बाजार से अपने मोटरसाईकिल पर करकंद सुनामडीह अवस्थित अपने घर वापस आ रहा था और जब वह करकंद टेम्पो स्टैन्ड के निकट पहुँचा, समस्त तीनों अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण अर्थात् अमर सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, चंद्रमा पांडे एवं गणेश सिंह ने उसकी मोटरसाईकिल रुकवायी। अमर सिंह ने सूचक की कनपटी पर रिवाल्वर रखा और रंगदारी के रूप में 1000/- रुपया, मांगा किंतु जब सूचक ने विरोध किया, अभियुक्त गणेश सिंह ने भुजाली से उस पर प्रहार किया और बाएँ हाथ की तीन उंगलियों पर कटने की उपहति कारित किया। एक अन्य अभियुक्त चंद्रमा पांडे ने उसके पेट एवं छाती पर मुक्कों से प्रहार किया और सूचक को अमर सिंह को धन सौंपने के लिए कहा। तत्पश्चात, तीनों अभियुक्तगण ने उसको गंभीर परिणाम का चेतावनी दिया। यह फर्दबयान उसी दिन रात्रि लगभग 9 बजे पुटकी पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324, 387, 307, 506 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के सिवाए समस्त उक्त धाराओं में उक्त नामित तीनों

अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और विधि के अनुरुप विचारण एवं निपटान के लिए मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 387, 307, 323 एवं 324 सह पठित धारा 34 के अधीन अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे और आरोपों का विषय वस्तु अपीलार्थीगण को हिंदी में पढ़ा और स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया।

3. अभियोजन ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए सात गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 6 सूचक है अ॰ सा॰ 7 डॉक्टर है जिसने सूचक का परीक्षण किया था, अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 जो तथ्य के गवाह थे को उनके द्वारा अभिकथित घटना के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करने पर पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 4 राम दत्त सिंह तथ्य का एक अन्य गवाह है। सूचक की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित की गयी है।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का बचाव पूर्व पेशेवर स्पर्धा, क्योंकि सूचक तथा अपीलार्थीगण में से एक अमर सिंह ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे, के कारण मामले में झूठा आलिप्त किए जाने एवं अभिकथन से पूरा इनकार था।

5. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने पर पाया एवं अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन मामला सत्य है और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन के सिवाए आरोपों को अभियुक्तगण अर्थात् अपीलार्थीगण के विरुद्ध संतोषजनक रूप से सिद्ध किया गया है। तद्नुसार, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324 एवं 387 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था। अत:, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पूर्वोक्तानुसार दंडादेशित किया।

6. आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार बिल्कुल नहीं किया है और मामले के अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण अपीलार्थीगण को कारित प्रतिकूलता पर विचार करने में विफल रहा जो संपूर्ण अभियोजन मामले पर संदेह करने के लिए पर्याप्त थी। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने 2014 (4) JLJR 426 में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है। यह निवेदन भी किया गया है कि सूचक (अ॰ सा॰ 6) और अ॰ सा॰ 4 जो अनुश्रुत गवाह है के सिवाए लगभग समस्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है जो अभियोजन मामले को पूरी तरह झुठलाता है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि चूँकि अपीलार्थीगण पहले से ही युक्तियुक्त अवधि से अभिरक्षा में बने हुए हैं, उदारवादी दृष्टिकोण लिया जा सकता है क्योंकि दंडादेश अत्यन्त कठोर हैं।

7. उक्त निवेदनों के विपरीत, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का संवीक्षण करने के बाद सही प्रकार से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है।

8. अपीलार्थीगण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने पर मैंने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का परिशीलन एवं संवीक्षण किया है। सूचक अ॰ सा॰ 6 ने संपूर्ण तथ्यों को दोहराया है और अपीलार्थीगण द्वारा रंगदारी की मांग एवं प्रहार का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 4 नि:संदेह अनुश्रुत गवाह है जो हल्ला सुनने के बाद घटनास्थल के निकट आया था और घटना के तुरन्त बाद सूचक के मुँह से घटना के बारे में सुना। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन विवरण का समर्थन करता है किंतु डॉक्टर ने समस्त तीनों उपहतियों को सामान्य प्रकृति का और शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर नहीं बल्कि सूचक की उंगलियों पर पाया। यद्यपि बचाव पक्ष ने पेशेवर स्पर्धा और इस आधार पर झूठा आलिप्त किए जाने का

अभिवचन किया है कि अपीलार्थी अमर सिंह एवं सूचक ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे किंतु इसके समर्थन में बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। सुनिश्चित दृष्टिकोण में, अन्वेषण अधिकारी का गैर–परीक्षण मात्र, जब तक यह अपीलार्थीगण पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं करता है, अभियोजन मामले के प्रति घातक कभी नहीं होगा।

व्यक्तिगत गवाहों के साक्ष्य के स्वतंत्र संवीक्षण द्वारा पहुँचे गए निष्कर्ष से, मैं पा सकता था कि यह समुचित एवं न्यायोचित था और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, जैसा आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थीगण का पहला अपराध था, मेरे मत में, दंडादेश अत्यन्त कठोर है। घटना लगभग 16 वर्ष पहले हुई थी और इस समय तक अभियुक्तगण–अपीलार्थीगण ने दांडिक अभियोजन एवं अपील लंबित का दर्द सहा है। वे मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय रूप से भी पीड़ित हुए हैं। मामले के उस पहलू पर विचार करते हुए मैं इसे सुयोग्य मामला नहीं पाता हूँ जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थीगण को शेष दंडादेश भुगतने के लिए कारा अभिरक्षा में वापस जाने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वे विचारण के क्रम के दौरान अभिरक्षा में बने रहे।

9. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित दंडादेश को उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के लिए घटाता हूँ।

10. परिणामस्वरुप, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं किंतु पूर्वोल्लिखित दंडादेशों में उपांतरण के साथ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

भीम महतो एवं अन्य

cuke

सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

W.P. (S) No. 4750 of 2013. Decided on 15th November, 2014.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–प्रोन्नति–याचीगण दिनांक 26.1.2002 के एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ VI के अधीन जारी क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 32 द्वारा आच्छादित होने का दावा करते हैं–उसके द्वारा किए जा रहे काम के प्रति निर्देश के बिना कर्मचारी द्वारा आई॰ टी॰ आई॰ प्रमाण पत्र धारण करना मात्र उसे आई॰ आई॰ सं॰ 32 के अधीन लाभ का हकदार नहीं बनाएगा–याचीगण अभी भी ड्रिल ऑपरेटर के रूप में गैर-तकनीकी व्यक्ति की कोटि में बने हुए हैं जिसके प्रति आई॰ आई॰ सं॰ 32 लागू नहीं होता है–याचीगण ने ग्यारह वर्षों के विलंब के बाद अपना दावा किया है–प्रत्यर्थीगण को स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा विरचित नीति के विपरीत उच्चतर ग्रेड के लाभ का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, Sardhu Mahto, For the Petitioners; Mr. Rajesh Lala, For the CCL.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. कल्याण अधिकारी (टी॰), रजरप्पा परियोजना, सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड, द्वारा जारी दिनांक 13 अप्रिल 2013 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 7) द्वारा एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ VI के क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 32 के निबंधनानुसार अगले उच्चतर ग्रेड के लाभ के लिए याचीगण का दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

3. याचीगण का संपूर्ण मामला इस प्रश्न पर टिका है कि क्या इस तथ्य की दृष्टि में कि उन्हें दिनांक 28 मई, 1982 के परिशिष्ट 1 में अंतर्विष्ट प्रबंधन के निर्णय द्वारा ड्रिल ऑपरेटर गैर–तकनीकी काम के लिए अपयोजित किया गया था यद्यपि उनके पास आरंभ में प्रशिक्षु (विद्युत/यांत्रिकी) के रूप में अपनी नियुक्ति के समय पर आई॰ टी॰ आई॰ प्रमाण पत्र था, वे उक्त क्रियान्वयन अनुदेश के मुताबिक अगले उच्चतर ग्रेड के हकदार हैं। याचीगण दिनांक 26 जनवरी, 2002 के एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ VI के अधीन जारी क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 32 द्वारा आच्छादित होने का दावा करते हैं। उक्त अनुदेश के समेकित पठन पर, यह उपदर्शित करता है कि विद्यमान आई॰ टी॰ आई॰ कर्मी, जिन्होंने प्रशिक्षण पर वर्षों की कतिपय संख्या पूरा किया था और जिन्हें नियमित किया गया है, को दिनांक 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से अगले उच्चतर ग्रेड में अभिप्रायात्मक रूप से स्थापित किया जाएगा, किंतु वित्तीय लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से प्रोद्भूत होगा और यह एकमुश्त प्रबंध के रूप में उनको निजी रूप से मिलेगा। उक्त अनुदेश में अन्य शर्तें भी इसी प्रभाव की हैं, किंतु विद्यमान कोटि/ग्रेड में प्रशिक्षण पूरा करने का विभिन्न वर्ष देते हुए। याचीगण का दावा आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया है जो दिनांक 14/15 जनवरी, 2003 की पश्चातवर्ती स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट करता है, जिसके मुताबिक क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 32 को आगे इस अर्थ में स्पष्ट किया गया है कि लाभ विद्यमान आई॰ टी॰ आई॰ कर्मियों को दिया जाएगा जिन्हें आई॰ टी॰ आई॰ अर्हत्ता के आधार पर नियुक्त किया गया था और जो तकनीकी काम के कैडर पदनाम में कार्यरत हैं। अगले उच्चतर कोटि/ग्रेड में अपने स्थापन पर उनका अपना पदनाम होगा। किंतु, ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके पदनाम के सामने शब्द 'आई॰ टी॰ आई॰' उल्लिखित किया जाएगा। उनके नियमित प्रोन्नति पर, शब्द 'आई॰ टी॰ आई॰' विलोपित कर दिया जाएगा और कैडर योजना के मुताबिक समुचित पदनाम दिया जाएगा। यह स्पष्टीकरण दिनांक 11 जून, 2002 के पूर्व स्पष्टीकरण के संबंध में आया जो स्वयं रिट याचिका के साथ संलग्न है। याचीगण एवं प्रत्यर्थीगण दोनों ने दिनांक 11 जून, 2002 के इसी परिपत्र पर विश्वास किया। उक्त परिपत्र का खंड (i) जो वर्तमान विवाद्यक के विनिश्चयकरण के लिए तात्विक है नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"(i) vkb0 vkb0 l0 32 mu vkb0 Vh0 vkb0 dfe;k ij ç;kT; gkxk ftUg rduhdh dke ij fu;Dr fd;k x;k g vFkok dk;jr g ft ld fy, vkb0 Vh0 vkb0 çek.ki= gkuk vè; i{kk@vko';drk gA*
>
> *;g Li"V fd;k x;k Fkk fd mld }kjk fd, tk jg dke d çfr fun'k d fcuk depkjh }kjk vkb0 Vh0 vkb0 çek.ki= èkkj.k djuk ek= mudk vkb0 vkb0 32 d vèkhu ykHk dk gdnkj ugh cuk,xkA*
>
> *l?kk d çfrfufèk;k u dFku fd;k fd mu dedkjk] ftUg vkjHk e vkb0 Vh0 vkb0 çek.ki= d vkèkkj ij fu;Dr fd;k x;k Fkk fdr ckn e vU; dkek e vi;kftr fd;k x;k Fkk tgk vkb0 Vh0 vkb0 vgrk vko';d ugh gk ldrh g] dk bl 'kr d vè;èkhu fd , lk vi;ktu çcèkdh; dkj.kk l fd;k x;k Fkk] vkb0 vkb0 32 d vèkhu vkPNkfnr fd;k tkuk pkfg,A***

4. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि याचीगण जैसे व्यक्तियों, जिन्हें आरंभ में आई॰ टी॰ आई॰ प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था किंतु बाद में अन्य कामों जहाँ आई॰ टी॰ आई॰ अर्हता आवश्यक नहीं हो सकती है में अपयोजित किया गया था, को इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा अपयोजन प्रबंधकीय कारणों से किया गया है, क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 32 के अधीन आच्छादित किया जाना चाहिए।

5. किंतु प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने पूर्वोक्त उद्धृत प्रावधान के उप पैराग्राफ को इंगित किया और निवेदन किया कि उसके द्वारा किए गए काम के प्रति निर्देश के बिना कर्मचारी द्वारा धारण किया गया आई॰

टी॰ आई॰ प्रमाण पत्र उसको आई॰ आई॰ सं॰ 32 के अधीन लाभ का हकदार नहीं बनाएगा। अत: प्रत्यर्थीगण का मामला यह है कि आरंभ में इन याचीगण को ड्रिल ऑपरेटरों की रिक्ति एवं आवश्यकता के आधार पर और तत्पश्चात जारी विज्ञापन पर प्रशिक्षु (विद्युत/यांत्रिकी) के रूप में और न कि आई॰ टी॰ आई॰ प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचीगण ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उत्खनन ड्रिल ऑपरेशन विषय में, जो अभी भी गैर तकनीकी काम बना हुआ है, अपने अपने कैरियर का अनुसरण एवं विकास करने का लाभ लिया था जिसके द्वारा अनेक अर्धसाक्षर कर्मी भी ड्रिल ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। याचीगण ने ड्रिल ऑपरेटर का काम चुना क्योंकि उक्त पद पर अन्य समरुप कर्मकारों की तुलना में बेहतर आरंभिक वेतन है। अत:, किसी प्रशिक्षु को ड्रिल ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था जो गैर तकनीकी काम है। प्रत्यर्थीगण ने सारत: पूर्वोक्त स्पष्टीकरण, जिसे यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है, पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि याचीगण, जो इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास आई॰ टी॰ आई॰ प्रमाण पत्र है, ड्रिल ऑपरेटर के रूप में बने हुए हैं की ओर से अगले उच्चतर ग्रेड का दावा नहीं किया जा सकता है।

6. याचीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 11 अगस्त, 2014 को दाखिल अपने पूरक शपथ पत्र में कतिपय कार्यालय आदेशों को निर्दिष्ट किया है जिनके मुताबिक ड्रिल ऑपरेटर की कोटि में व्यक्तियों को दिनांक 1 जनवरी 2000 के प्रभाव से अगले उच्चतर कोटि में प्रोन्नत किया गया है और दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। किसी रामलखन राम एवं राजकांत सिंह के प्रति निर्देश किया गया है जिन्हें क्रमश: दिनांक 19 अप्रिल, 2002 और दिनांक 4 मई, 2002 के कार्यालय आदेश के तहत अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नत किया गया था। किंतु, उक्त कार्यालय आदेशों का परिशीलन उपदर्शित करता है कि उन्हें दिनांक 11 जून, 2002 के परिपत्र के स्पष्टीकरण जिसे याचीगण पर अधिरोपित किया गया है के पहले जारी किया गया है।

7. पूर्वोक्त चर्चा से जो तथ्य सामने आता है यह है कि याचीगण अभी भी ड्रिल ऑपरेटर के रूप में गैर तकनीकी कोटि में बने हुए हैं जिसके प्रति आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट दिनांक 11 जून, 2002 तथा दिनांक 14/15 जनवरी, 2003 के पश्चातवर्ती स्पष्टीकरण की दृष्टि में आई॰ आई॰ सं॰ 32 लागू होता प्रतीत नहीं होता है। याचीगण ने स्पष्टत: कतिपय अन्य व्यक्तियों, जिनके प्रति पूरक शपथ पत्र में निर्देश किया गया है और जिनके संबंध में उक्त स्पष्टीकरण जारी किए जाने के पहले आदेशों को प्रकटत: जारी किया गया था, के उदाहरणों की तुलना में लगभग 11 वर्ष बाद अपना दावा किया है।

8. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों से, स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा विरचित नीति, जैसा इसे समय-समय पर स्पष्ट किया है, के विपरीत उच्चतर ग्रेड के लाभ का भुगतान करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करना समुचित नहीं होगा। तद्नुसार, रिट याचिका में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया गया है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

मो॰ असिरुद्दीन एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 145 of 2014. Decided on 15th January, 2015.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–जब और जैसे ही घोर विलंब के बाद याचिका दाखिल की जाती है, यह सरकार को और उन कर्मचारियों जो पहले से ही सेवा में नियोजित हैं, को भी व्यवहारिक मुश्किल कारित करती है–याचीगण की ओर से अस्पष्टीकृत विलंब की दृष्टि में एकल न्यायाधीश द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से विपथन का कोई कारण नहीं है–एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s Sudhir Kumar Sharma, Suresh Kumar, For the Appellant; Mr. D.K. Dubey, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील 5 मार्च, 2014 को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 584 वर्ष 2008 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा इन अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज की गयी है और इसलिए **मूल याचीगण ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।**

2. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को वर्ष 1988 में लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 11 जनवरी, 1989 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी। मूल याची सं॰ 1 ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 6819 वर्ष 1991 दाखिल किया और पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 23 नवंबर, 1992 के आदेश द्वारा मामला नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजा गया था। पुनः दिनांक 7 दिसंबर, 1993 के आदेश के तहत राज्य प्राधिकारियों द्वारा सेवा समाप्ति आदेश संपुष्ट किया गया था। इस आदेश को इन अपीलार्थीगण द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4188 वर्ष 2004 में चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 1 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने के बजाए इन अपीलार्थीगण द्वारा एक अन्य रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 584 वर्ष 2008 दाखिल किया गया था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2014 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, अतः वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया गया है।

3. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सत्य है कि मूल याचीगण की दिनांक 7.12.1993 की सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी गयी थी और यह भी सत्य है कि इन्हीं अपीलार्थीगण ने रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4188 वर्ष 2004 दाखिल किया था जिसे दिनांक 1.9.2004 के आदेश के तहत निपटाया गया था और पुनः उन्होंने एक अन्य रिट याचिका मुख्यतः इस कारण से दाखिल किया है कि एक अन्य कर्मचारी (जो वर्तमान अपीलार्थीगण की भाँति समस्थित नहीं है) ने सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दिया था क्योंकि उसने सरकारी सेवा में 10 वर्ष तक काम किया था। उस कर्मचारी अर्थात् सदानंद ठाकुर ने रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1752 वर्ष 2001 दाखिल किया जिसे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मार्च 2003 के आदेश के तहत विनिश्चित किया गया था। सदानंद ठाकुर (इन अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के मुताबिक सदानंद ठाकुर इन अपीलार्थीगण जैसा समस्थित कर्मचारी नहीं है) द्वारा दाखिल यह रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी जिसके विरुद्ध राज्य ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 397 वर्ष 2003 दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस॰ एल॰ पी॰ सं॰ 18356 वर्ष 2005 दाखिल किया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5.9.2005/12.9.2005 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और कि सदानंद ठाकुर को दिनांक 15 सितंबर, 2005 के आदेश के तहत सरकारी सेवा में पुनर्बहाल किया गया था और इसलिए, यद्यपि इन्हीं अपीलार्थीगण की पूर्व रिट याचिका खारिज कर दी गयी थी, उन्होंने एक अन्य रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 584 वर्ष 2008 दाखिल किया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सदानंद ठाकुर को मिला लाभ इन अपीलार्थीगण को भी दिया जा सकता है।

4. राज्य के अधिवक्ता ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील का विरोध किया है और निवेदन किया है कि रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है क्योंकि इन अपीलार्थीगण ने लगभग 15 वर्ष बाद दिनांक 7.12.1993 के सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दिया है। इसके अतिरिक्त, यदि सदानंद ठाकुर समस्थित कर्मचारी नहीं है, फिर भी इन अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क के मुताबिक, सदानंद ठाकुर एवं इन अपीलार्थीगण के बीच तुलना का कोई भी प्रश्न उद्भूत नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किए तर्क के मुताबिक सदानंद ठाकुर ने 10 वर्ष काम किया था और इसलिए, सदानंद ठाकुर के मामले में पारित आदेश का लाभ इन अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है।

5. राज्य के अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी, इन अपीलार्थीगण ने पहले रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4188 वर्ष 2004 दाखिल किया था और दिनांक 1 सितंबर, 2004 का आदेश पारित करके इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया था एवं इसलिए, इसी वाद हेतुक के लिए इन अपीलार्थीगण द्वारा पुन: रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है और इसलिए, इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को भी इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

कारण:

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं पाते हैं:–

(i) bu vihykFkhx.k dk o"k 1988 e fyfid d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA mudh fu;fDr fiNy njokt l dh x;h çfof"V FkhA mudh lok, fnukd 11 tuojh] 1989 dk lekIr dj nh x;h Fkh] rRi'pkr] ey ;kph l0 1 u fjV ;kfpdk lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 6819 o"k 1991 nkf[ky fd;k Fkk vkj ey ;kph l0 2 u vrorh vkonu nkf[ky fd;k FkkA vrr%] ekuuh; iVuk mPp U;k;ky; u fnukd 23 uocj] 1992 d vkn'k d rgr blij u, flj l fu.k; d fy, ekeyk okil HktkA

(ii) rRdkyhu fcgkj jkT; e ljdkj }kjk iu% fu.k; fy;k x;k Fkk vkj fnukd 7 fnlcj 1993 d ,d vU; vkn'k d rgr fnukd 11 tuojh] 1989 dk lok lekfIr vkn'k iuvfHki"V vFkok li"V fd;k x;k FkkA rRi'pkr bu nkuk vihykFkhx.k (ey ;kphx.k) u ,d vU; fjV ;kfpdk MCY;0 ih0 (,l0) l0 4188 o"k 2004 nkf[ky fd;kA ml fjV ;kfpdk e ,d l vfèkd LFkkuk ij bu vihykFkhx.k d lok lekfIr vkn'k d ckj e fun'k Fkk ftl fnukd 7.12.1993 dk ikfjr fd;k x;k Fkk] fdr bu vihykFkhx.k d i{k e dkb vkn'k ikfjr ugh fd;k x;k Fkk vkj vrr% bl fnukd 1 flrcj] 2004 d vkn'k d rgr fuiVk;k x;k FkkA

(iii) bl çdkj] ;g çrhr gkrk g fd ; vihykFkhx.k ;|fi viuh io fjV ;kfpdk MCY;0 ih0 (,l0) l0 4188 o"k 2004 e fnukd 7 fnlcj] 1993 d ml lok lekfIr vkn'k dk fufn"V dj jg Fk] mud }kjk mDr lok lekfIr vkn'k dk pukrh dHkh ugh nh x;h FkhA Li"V rkj ij eku j[kk x;k Fkk vkj vc 15 o"k ckn bu vihykFkhx.k u fjV ;kfpdk MCY;0 ih0 (,l0) l0 584 o"k 2008 nkf[ky fd;k g vkj 15 o"k d yc foyc d ckn fnukd 7.12.1993 d lok lekfIr vkn'k dk vc pukrh nh tk jgh gA fjV ;kfpdk d eek e ,lk foyc dkfjr dju d fy, dkb Li"Vhdj.k ugh g] vr% fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk e[;r% foyc ,o f<ykb

d vkèkkj ij bu vihykFkhx.k }kjk nkf[ky fjV ;kfpdk [kkfjt dju e dkb xyrh ugh dh x;h gA ;g è;ku e j[kk tkuk pkfg, fd **fofèk mudh enn djrh g tk lrd gA** ;g fl)kr bl mièkkj.kk ij vkèkkfjr g fd ;fn lok lekflr d 15 yc o"kk d ckn bUgh vihykFkhx.k }kjk io fjV ;kfpdk MCY;O ihO (,lO) lO 4188 o"k 2004 nkf[ky fd;k x;k Fkk] mUgku fnukd 7.12.1993 d lok lekflr vkn'k dk dHkh ugh pukrh fn;kA mièkkj.kk ;g g fd o lok lekflr vkn'k l lr"V gA bld vfrfjDr] 15 o"kk dh bl ych vofèk d nkjku çR;Fkh ljdkj u Hkh bu vihykFkhx.k d eku ij ÑR; fd;k g fd o lok lekflr vkn'k l lr"V g] vU; dk Hkh 15 o"kk e fu;Dr fd;k x;k gkxkA bl U;k;ky; }kjk çR;d pht vLr&0;Lr ugh fd;k tk ldrk g tk bl M< n'kd dh vofèk d nkjku vU;Fkk LFkkfir gA ol vU; 0;fDr vLr&0;Lr gkx] ;fn bl U;k;ky; }kjk bl çdkj dh foyfcr fjV ;kfpdk, xg.k dh tkrh gA tc vkj tl gh ?kkj foyc d ckn ;kfpdk nkf[ky dh tkrh g] ;g ljdkj dk vkj mu depkfj;k tk igy l gh lok e fu;kftr g dk Hkh 0;ogkfjd ef'dy dkfjr djrk gA ;kphx.k dh vkj l yck vLi"VhÑr foyc vkj fo'k"kr% tc eè;{kih vofèk d nkjku bUgh vihykFkhx.k }kjk ,d l vfèkd fjV ;kfpdk nkf[ky dh x;h Fkh vkj ml fjV ;kfpdk e lok lekflr d vkn'k dk pukrh ugh nh x;h FkhA ,lh fLFkfr e yck vLi"VhÑr foyc lno ?kkrd gA fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk ekey d bl igy dk lefpr :i l vfèkeY;u fd;k x;k gA

(iv) bld vfrfjDr] fjV ;kfpdk nkf[ky dju e foyc dkfjr gku d fy, vihykFkhx.k d vfèkoDrk }kjk fn;k x;k rFkkdfFkr Li"Vhdj.k ;g g fd fdlh depkjh vFkkr lnkun Bkdj ftldh lok Hkh lekIr dh x;h Fkh u fjV vkonu nkf[ky fd;k Fkk] og viuh fjV ;kfpdk e lQy gvk vkj jkT; }kjk nkf[ky ,y0 ihO ,0 ,o ,lO ,y0 ihO [kkfjt dj fn;k x;k FkkA l[;k ,o frfFk;k igy gh ;gk Åij mfYyf[kr dh x;h g] fdr tc geu vihykFkhx.k d vfèkoDrk l iNk fd lnkun Bkdj ,o bu vihykFkhx.k d chp lekurk D;k g] vihykFkhx.k d fo}ku vfèkoDrk }kjk fuonu fd;k x;k g fd o le#i ugh gA lnkun Bkdj u 10 o"k rd lok fn;k g tcfd bu vihykFkhx.k u ughA pkg tk Hkh gk] rF; cuk jgrk g fd ;fn vihykFkhx.k d vfèkoDrk rd dj jg g fd lnkun Bkdj d ekey vkj bu vihykFkhx.k d ekey d chp vlekurk g] lnkun Bkdj d ekey e fu.k; ij fo'okl dju dk ç'u gh ugh g vkj blfy,] ;g 15 yc o"kk d foyc dh ekQh dk dkj.k ugh gk ldrk gA bld vfrfjDr] bl rd e ,d vkj xyrh g D;kfd bu vihykFkhx.k dh lok lekflr dk vkn'k iu% fnukd 7.12.1993 d vkn'k d rgr iu% li"V fd;k x;k FkkA ml le; ij o ugh tkur Fk fd dkb lnkun Bkdj o"k 2001 e ;kfpdk nkf[ky djxk vkj og ekuuh; lokPp U;k;ky; rd lQy gkxkA oLrr%] lnkun Bkdj u o"k 2001 e fjV ;kfpdk nkf[ky fd;k vU;Fkk ey ;kphx.k u fnukd 7.12.1993 d lok lekflr vkn'k dk dHkh ugh pukrh fn;k gkrkA bl lnkun Bkdj d ekey dk bu vihykFkhx.k d ekey l dN Hkh yuk&nuk ugh gA ml dk lok lekflr vkn'k o"k 2001 dk g tcfd oreku vihykFkhx.k (ey ;kphx.k) dh lok lekflr dk vkn'k fnukd 7.12.1993 dk gA bl çdkj] bu vihykFkhx.k dk lnkun Bkdj d ekey l dN yuk&nuk ugh g vkj doy rd d fy, ;g rd fn;k x;k gA

7. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों के समेकित प्रभाव के कारण, रिट याचिका विनिश्चित करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है और हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से किसी विपथन का कोई कारण नहीं पाते हैं। इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है और इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स जारडाइन हेंडरसन लिमिटेड

cuke

रामजी पंडित एवं अन्य

W.P.(L) No. 1349 of 2011. Decided on 19th February, 2015.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 12—भारत का संविधान–अनुच्छेद 215—अवमान कार्यवाही न्यायिक कल्प कार्यवाही है–अधिनियम वर्ष 1971 के अधीन और अनुच्छेद 215 के अधीन भी शक्ति का प्रयोग यदा-कदा करना है–अवमान याचिका की खारिजी का अर्थ इस रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि रिट मामले में पारित आदेश से प्रवाहित अपीलार्थीगण के पास कोई उत्तरजीवी अधिकार नहीं है–अधिकारिता का प्रश्न अंतिम सुनवाई में भी विनिश्चित किया जा सकता है। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–(1983) 4 SCC 293—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s M.S. Anwar, Nipun Bakshi, For the Petitioner; Mr. Mahesh Tewari, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 12.2.2011 के आदेश से व्यथित होकर जिसके द्वारा अधिकारिता की कमी के कारण पोषणीयता के प्रति आपत्ति अस्वीकार की गयी है, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वर्ष 1988 में लगभग 101 कर्मकारों की छँटनी की गयी थी और परिणामस्वरुप विवाद उद्भूत हुआ जिसे सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया था। सुलह विफल होने के बाद, बिहार सरकार ने दिनांक 3.2.1988 की अधिसूचना सं॰ 5/88 के तहत न्याय निर्णयण के लिए मामला निर्दिष्ट किया। औद्योगिक अधिकरण द्वारा 101 कर्मचारियों की छँटनी का आदेश मान्य ठहराते हुए दिनांक 25.11.1993 का अधिनिर्णय पारित किया गया था। उक्त अधिनिर्णय को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में चुनौती दी गयी थी और दिनांक 23.8.2002 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने दिनांक 25.11.1993 का अधिनिर्णय अपास्त कर दिया और पारिणामिक लाभ के साथ 101 कर्मकारों की पुनर्बहाली का निर्देश दिया। प्रबंधन याची ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 577 वर्ष 2002 दाखिल किया जिसे दिनांक 30.4.2003 को खारिज कर दिया गया था और विशेष अनुमति याचिका सिविल अपील सं॰ 4466 वर्ष 2004 भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी। 101 कर्मकारों में से 30 कर्मकारों ने अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 दाखिल किया जिसे दिनांक 2.5.2007 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। एक अन्य अवमान याचिका अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 71 कर्मकारों के समूह में से 7 कर्मकारों द्वारा दाखिल किया गया था जिन्होंने पहले ही प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया था और दिनांक 17.2.2009 के आदेश के तहत उक्त अवमान आवेदन खारिज किया गया था। तत्पश्चात, 10 कर्मकारों ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 और 6 कर्मकारों ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (C) (2) के अधीन मजदूरी

एवं अन्य पारिणामिक लाभों की संगणना के लिए दाखिल किया। याची प्रबंधन ने आर्रभिक आपत्ति किया जिसे दिनांक 12.2.2012 के एक ही आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया है और वर्तमान कार्यवाही में याची द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दी गयी है।

3. कर्मकारों की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि वर्तमान मामले में कर्मकार अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में पक्ष नहीं थे। फरवरी, 1994 में किया गया अभिकथित समझौता छँटनी के पहले की अवधि के लिए भुगतान के लिए था अर्थात् दिनांक 13 जनवरी, 1989 के पहले। अभिकथित करार की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में, वर्तमान प्रत्यर्थीगण सहित समस्त कर्मकार धनीय एवं पारिणामिक लाभ के हकदार हैं।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची प्रबंधन के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एस॰ अनवर ने निवेदन किया कि यह सुनिश्चित है कि अधिकारिता का प्रश्न पहली बार में उठाया जाना चाहिए और याची प्रबंधन ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 एवं एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 की कार्यवाही में बिल्कुल यही किया है। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि अधिकारिता का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है, इसे पहले विनिश्चित करने की आवश्यकता है किंतु, विद्वान औद्योगिक न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया और मामले में समस्त विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए अग्रसर हुआ जो विधि के विपरीत है। आगे यह निवेदन किया गया है कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकार जो औद्योगिक अधिकरण के पास गए थे ने अपना दावा सुलझा लिया और याची प्रबंधन से भुगतान प्राप्त किया और इस प्रकार, हेतु शेष नहीं है जहाँ तक 71 कर्मकारों का संबंध है। 71 कर्मकारों में से सात कर्मकारों जिन्होंने पहले ही याची प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया था, अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में इस न्यायालय के पास आए और पक्षों को सुनने के बाद अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 खारिज कर दिया गया था और इसलिए, विवाद्यक कि क्या प्राईवेट प्रत्यर्थीगण सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में दिनांक 23.8.2002 के आदेश के अधीन लाभ के हकदार हैं, का संबंध है, इसे अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में पारित आदेश द्वारा निष्कर्षित किया गया है और इसलिए, श्रम न्यायालय को कर्मचारियों की मजदूरी एवं पारिणामिक लाभ की संगणना के लिए मामले में अग्रसर होने की अधिकारिता नहीं है।

6. उक्त के विरुद्ध, प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने प्रतिशपथ पत्र में लिया गया दृष्टिकोण दोहराया और निवेदन किया कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश दिनांक 27.10.2005 को विशेष अनुमति याचिका की खारिजी के बाद अंतिम बन गया और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में दिनांक 23.8.2002 के आदेश के लाभ के हकदार नहीं हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि पहली बार अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 में कार्यवाही में बयान दिया गया था कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने कंपनी के साथ अपना दावा सुलझा लिया था किंतु, अभिकथित समझौते की प्रति अभिलेख पर कभी नहीं लायी गयी थी। वस्तुतः अभिकथित समझौता लॉक आउट अवधि के संबंध में फरवरी, 1994 में किया गया था जबकि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित दिनांक 23.8.2002 के आदेश के अधीन कर्मकार पुनर्बहाली के लाभ एवं अन्य पारिणामिक लाभों के हकदार होंगे। प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **''डी॰ पी॰ माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य'', (1983)4 SCC 293,** में निर्णय पर विश्वास किया है।

7. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. वर्तमान मामले के तथ्य अधिक विवादित नहीं हैं। दिनांक 27.10.2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं॰ 4466 वर्ष 2004 खारिज कर दिए जाने के बाद सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश अंतिम बन गया। न तो रिट न्यायालय के समक्ष और न ही लेटर्स पेटेन्ट न्यायालय के समक्ष याची प्रबंधन ने न्यायालय के समक्ष प्रकथन अथवा निवेदन किया कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने अपना दावा पहले ही सुलझा लिया था। किंतु, अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 में दिनांक 30.3.2007 के आदेश से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष बयान दिया गया था कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया है। उक्त बयान पर विश्वास करते हुए 71 कर्मकारों जिन्होंने अभिकथित रूप से अपना दावा सुलझा लिया था में से सात कर्मकारों द्वारा दाखिल अवमान आवेदन दिनांक 17.2.2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में दिनांक 17.2.2009 के आदेश की दृष्टि में कोई वाद हेतुक शेष नहीं रहता है और एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 और एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 में कार्यवाही न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित है।

9. अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 में पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि उक्त मामला शेष अन्य 30 कर्मकारों द्वारा दाखिल किया गया था जो शेष 71 कर्मकारों के भाग नहीं थे जिन्होंने अभिकथित रूप से पहले ही प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया है और इसलिए अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 की कार्यवाही में दिया गया बयान शेष 71 कर्मकारों को दावा, यदि हो, से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। दिनांक 17.2.2009 के आदेश का परिशीलन भी उपदर्शित नहीं करता है कि कोई अन्य सामग्री न्यायालय के ध्यान में यह स्थापित करने के लिए लायी गयी थी कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश के निबंधनानुसार कोई समझौता हुआ है। अवमान कार्यवाही में न्यायालय का सरोकार मुख्यतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आशयपूर्ण तथा जानबूझकर किए गए उल्लंघन के प्रश्न के साथ है। अवमान मामले में कार्यवाही न्यायिक कल्प कार्यवाही होती है और इसलिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन भी शक्ति का प्रयोग यदा-कदा किया जाना है। अवमान याचिका की खारिजी का अर्थ यह अर्थ लगाने के लिए नहीं लगाया जा सकता है कि एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 और एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 में आवेदकों के पास सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश से प्रवाहित उत्तरजीवी अधिकार नहीं है। यह सुनिश्चित है कि अधिकारिता का प्रश्न अंतिम सुनवाई में भी विनिश्चित किया जा सकता है। **''डी॰ पी॰ माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य'', (1983)4 SCC 293**, में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:-

> *"1. ..... ,d le; Fkk tc vkjfHkd fook|dk dk igy fofuf'pr djuk foodi.k ,o cf)eÙkki.k uhfr le>k tkrk FkkA fdr ml uhfr dk myVu dk le; vk x;k çrhr gkrk gA ge bl cgrj le>r g fd vfèkdj.k] fo'k"kr% o tk Je fooknk dk U;k;fu.khr dju d dk; l U;Lr g tgk foyc nfjnrk dh vkj y tk ldrk g vkj vk|kfxd 'kkfr Hkx dj ldrk g] dk fookfnr leLr fook|dk dk mue l dN dk vkjfHkd fook|d d :i e fopkfjr fd, fcuk ,d gh le; ij fofuf'pr djuk pkfg,A u gh mPp U;k;ky;k dk lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk d ç;kx e vfèkdj.k d le{k dk;okgh jkduk pkfg, rkfd mud }kjk vkjfHkd fook|d fofuf'pr fd;k tk ldA***

10. वर्तमान मामले में श्रम न्यायालय ने अंतर्ग्रस्त समस्त विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए मामले में अग्रसर होने का निर्णय किया है। इस प्रकार, यदि प्रबंधन यह स्थापित करने में सक्षम है कि

71 कर्मकारों के साथ पूर्ण एवं अंतिम समझौता हो गया है, उसे श्रम न्यायालय द्वारा विचार में लिया जा सकता है। याची प्रबंधन द्वारा किया अभिवचन एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 एवं एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 के विचारण के दौरान 71 कर्मकारों के अभिवचनों एवं समझौते के साक्ष्य सहित अवमान मामलों की कार्यवाही की प्रतियाँ प्रस्तुत करके स्थापित किया जा सकता है।

11. उक्त पर विचार करते हुए, मैं एम॰ जे॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2010 एवं एम॰ जे॰ केस सं॰ 134 वर्ष 2010 में दिनांक 12.2.2012 के आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ किंतु अंतिम सुनवाई के समय पर न्यायनिर्णीत, विवंध, पोषणीयता, अधिकारिता, आदि का अभिवचन करने की स्वतंत्रता याची को दी जाती है। याची इस न्यायालय के समक्ष पूर्व कार्यवाहियों में अभिवचनों एवं वर्तमान प्रत्यर्थीगण सहित 71 कर्मकारों के साथ भुगतान/समझौते का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी स्वतंत्र है। याची को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका खारिज की जाती है। तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 4603 वर्ष 2014 भी खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

राजेन्द्र प्रसाद सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 579 of 2009. Decided on 2nd March, 2015.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–साम्या–याची को चिकित्सीय प्रमाण पत्र द्वारा स्वस्थ पाए जाने पर चतुर्थ ग्रेड पद अर्थात् चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया–उसी संव्यवहार में एक अन्य उम्मीदवार एवं याची को नियुक्त किया गया था और वह डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1661/2004 और समूह मामले में पारित निर्णय के अनुसरण में सेवा में बनी हुई है और याची भी उसी आधार पर खड़ा है और व्यवहार में समतुल्यता का हकदार है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया, प्रत्यर्थीगण को याची को सेवा में तुरन्त पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया गया, याची को सेवा में निरंतरता के अतिरिक्त सेवा समाप्ति की तिथि से पुनर्बहाली की तिथि तक की अवधि के लिए सेवा में 25% पिछली मजदूरी का हकदार अभिनिर्धारित किया गया–याचिका अनुज्ञात।

(पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–(2000)3 PLJR 206 Para 5; (2004)2 JLJR 152, (2005) 4 JLJR 614, (2014) 2 JLJR 544; (2003)2 PLJR 27 Paras 21, 22, 24 and 36—Referred; AIR 2006 SC 1806—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Kumar, Rituraj Sinha, For the Petitioner; Mr. Vineet Prakash, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन याची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3 के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 13.5.2008 के मेमो सं॰ 1249 में अंतर्विष्ट आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में उसकी सेवा के आमेलन के लिए याची का अभ्यावेदन इस तथ्य के बावजूद अस्वीकार कर दिया गया है कि याची को विधिपूर्ण तरीके से जिला समाहरणालय की प्रतीक्षा सूची पैनल से, और न कि विस्थापित व्यक्तियों के रूप में जैसा प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत रूप से विचार किया गया है, नियुक्त किया गया है और वर्ष 1989 से याची द्वारा दी गयी निरंतर, अबाधित एवं अकलंकित सेवा को विचार में लेते हुए याची के नियमितिकरण के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए भी दाखिल की गयी है।

वर्तमान रिट आवेदन में, याची द्वारा परिशिष्ट 13 के अधीन पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी गयी है।

2. रिट आवेदन में वर्णित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को रिट आवेदन के परिशिष्ट–1 के तहत चतुर्थ ग्रेड पद अर्थात् चपरासी के पद पर दिनांक 17.4.1989 को नियुक्त किया गया था और याची को चिकित्सीय प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2) द्वारा स्वस्थ पाया गया है और रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के मुताबिक, बीस मंजूर पद उल्लिखित किए गए थे जिनमें से पाँच पद सामान्य कोटि के लिए थे और याची सामान्य कोटि से आता है। रिट आवेदन में प्रकथन किया गया है कि दिनांक 18.5.1989 के आदेश के मुताबिक याची का नाम 'अध्यक्ष' के रूप में क्रमांक 11 पर है जबकि किसी शकुंतला देवी का नाम क्रमांक 3 पर है। याची की नियुक्ति के अनुसरण में, रिट याचिका के परिशिष्ट 6 के मुताबिक सेवा पुस्तक खोला गया था जहाँ याची की नियुक्ति की तिथि दिनांक 1.5.1989 के रूप में दर्शायी गयी है। चूँकि याची की नियुक्ति की वास्तविक तिथि दिनांक 17.4.1989 थी, उसने सेवा पुस्तक में प्रविष्टि की तिथि के परिशुद्धिकरण के लिए अर्थात् दिनांक 1.5.1989 के बजाए दिनांक 17.4.1989 के रूप में नियुक्ति तिथि दर्शाने के लिए परिशिष्ट 7 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिया। किंतु, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया था और तत्पश्चात याची को दिनांक 29.11.1996 के पत्र (परिशिष्ट 8) के तहत आधार सूचित करते हुए याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि अक्षम प्राधिकारी अर्थात् पुनर्वास अधिकारी ने नियुक्ति किया है और कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में याची ने अपना उत्तर (रिट आवेदन का परिशिष्ट–9) दाखिल किया। परिशिष्ट 10 के मुताबिक, दिनांक 3.4.1998 के मेमो सं॰ 376 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के तहत निदेशक, भूमि अर्जन (प्रत्यर्थी सं॰ 6) द्वारा याची की सेवा समाप्त कर दी गयी थी।

3. सेवा समाप्ति के आदेश से व्यथित होकर, याची सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1739 वर्ष 1998 (R) में इस न्यायालय के पास आया और इस न्यायालय ने याची को छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी निदेशक, भूमि अर्जन, झारखंड राज्य के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ रिट आवेदन 13.12.2007 को निपटाया है जो संबंधित कार्यालय से याची का अभिलेख प्राप्त करेंगे और उस पर सकारण आदेश विधि के अनुरुप ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर पारित एवं संसूचित करेगा।

दिनांक 13.12.2007 के इस न्यायालय के आदेश के सम्मान में याची ने ताथ्यिक अवस्था वर्णित करते हुए विस्तृत उत्तर दाखिल किया और परिशिष्ट 13 के तहत याची की सेवाएँ समाप्त की गयी है जो इस रिट आवेदन में आक्षेपित है।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि याची की सेवाएँ समाप्त की गयी हैं क्योंकि उसकी नियुक्ति अवैध पायी गयी थी और दिनांक 13.12.2007 के निर्णय/आदेश के अनुसरण में, पूर्वोक्त रिट आवेदन में प्रत्यर्थी सं॰ 6 अर्थात् निदेशक, भू–अर्जन, झारखंड ने सकारण आदेश पारित किया है। निदेशक, भूमि अर्जन ने संबंधित दस्तावेज तथा याची द्वारा दाखिल अभ्यावेदन का परीक्षण किया। यह संप्रेक्षित किया गया था कि चूँकि याची को विस्थापित व्यक्ति होने के आधार पर दिनांक 18.5.1989 के मेमो सं॰ 1994 के तहत नियुक्त किया गया था, बिहार सरकार के तत्कालीन जल संसाधन विभाग

के भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों में की गयी अभिकथित अवैध नियुक्तियों की जाँच की गयी थी। अवैध नियुक्ति की जाँच की प्रक्रिया में याची को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो सिद्ध कर सकता था कि वह दिनांक 17.6.1997 के मेमो सं॰ 2262 के तहत वह एक विस्थापित व्यक्ति था। प्रति शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि चूँकि याची विस्थापित व्यक्ति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था, अत: जल संसाधन विभाग ने दिनांक 3.4.1998 के मेमो सं॰ 376 के तहत याची की सेवा समाप्त कर दिया क्योंकि याची की नियुक्ति अवैध थी। पूर्वोक्त संप्रेक्षण के आलोक में, निदेशक, भूमि अर्जन, जल संसाधन विभाग ने सेवा में पुनर्नियुक्ति का दावा अस्वीकार कर दिया है और रिट आवेदन के परिशिष्ट 13 के अधीन दिनांक 13.5.2008 के मेमो सं॰ 1249 के तहत सकारण आदेश पारित किया गया है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार और प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) के जे॰ सी॰ श्री विनीत प्रकाश सुने गए।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 13) का विरोध निम्नलिखित आधार पर किया है:–

(a) याची के विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क यह है कि विशेष भूमि अर्जन अधिकारी चतुर्थ ग्रेड पद में नियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी है और उक्त नियुक्ति आदेश को निदेशक, भूमि अर्जन का मौन अनुमोदन था जैसा परिशिष्ट 3 से प्रकट हुआ। याची की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी है और इस संदर्भ में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **रविन्द्र नारायण ठाकुर बनाम बिहार राज्य,** (2000)3 PLJR 206, मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है और उक्त निर्णय का पैरा 5 प्रासंगिक है जो निम्नलिखित है:–

> *"5. dkfV ,0 d vèkhu vku oky ekeyk e] ;kphx.k d fo}ku vfèkoDrk u ckn e vfHky[k ij yk, x, fu;fDr i=k dh çfr;k d çfr fun'k }kjk ;g n'kku dk ç;kl fd;k g fd vfèkdre fu;fDr;k fo'k"k Hkfe v tu vfèkdkjh }kjk dh x;h Fkh tk fu;fDr dju okyk l{ke çkfèkdkjh Fkk vkj iuokl vfèkdkjh }kjk dh x;h fu;fDr;k d ekeyk e Hkh] dN fu;fDr i= n'kkr g fd fu;fDr;k l{ke çkfèkdkjh fun'kd d vkn'kk d vèkhu dh x;h FkhA lhO MCY;0 t0 lhO l0 6586 o"k 1998 (luhy dekj flg cuke fcgkj jkT; ,o vU;) e fnukd 11.1.2000 d ej fu.k; lfgr bl U;k;ky; d dN vçdkf'kr fu.k;k d vkèkkj ij ;g fuonu fd;k x;k Fkk fd ,l ;kphx.k d ekeyk e Hkh ftUg iuokl vfèkdkjh }kjk fu;Dr fd;k x;k Fkk] fun'kd }kjk lok d foLrkj.k d i'pkrorh vkn'k dk vFk fu;fDr;k dk vuekfnr vFkok vfHki"V dju oky vkn'k d :i e yxk;k tkuk pkfg, vkj blfy, ;kph dh fu;fDr dk ikfèkdkj u j[ku oky 0;fDr }kjk dh x;h fu;fDr d :i e ugh ekuh tk ldrh gA***

राम प्रवेश कुमार (मापक) बनाम झारखंड राज्य, (2004)2 JLJR 152; **गोपाल सिंह बनाम झारखंड राज्य,** (2005)4 JLJR 614 और **बालेश्वर प्रसाद यादव बनाम झारखंड राज्य,** (2014)2 JLJR 544 में इस न्यायालय द्वारा समरुप दृष्टिकोण लिया गया है।

(b) याची के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा प्रतिवाद यह है कि साम्या का सिद्धांत प्रयोज्य है क्योंकि एक ही संव्यवहार से किसी शकुंतला देवी एवं याची की नियुक्ति की गयी थी और वह डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰)

सं॰ 1661 वर्ष 2004 और समूह मामलों में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सेवा में बनी हुई है और याची भी शकुंतला देवी जैसे आधार पर खड़ा है और याची शकुंतला देवी के समान उसी लाभ के साथ पुनर्बहाल किए जाने का हकदार है और व्यवहार में समतुल्यता पाने का हकदार है।

7. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष मेहनत से आग्रह किया है कि याची का अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा तार्किक आदेश द्वारा सही प्रकार से अस्वीकार किया गया है और याची शकुंतला देवी के समान उसी आधार पर नहीं खड़ा है क्योंकि शकुंतला देवी मामले में, कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में उसने समस्त दस्तावेजों को दाखिल किया था जबकि याची नि:शक्त व्यक्ति के प्रमाण पत्र के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिंदु कि याची की आरंभिक नियुक्ति अवैध है और इसे पश्चातवर्ती आदेश द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है, को अभिलेख पर लाने के लिए **बिहार राज्य बनाम प्रशांत कुमार शर्मा,** (2003)2 PLJR 27, मामले में दिए गए निर्णय को, विशेषत: पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफों 21. 22, 24 एवं 36 को निर्दिष्ट किया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी, AIR 2006 SC 1806,** में दिए गए निर्णय को भी निर्दिष्ट किया है।

8. उमा देवी (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय अवैध नियुक्ति के नियमितिकरण से संबंधित है जबकि वर्तमान याची का मामला सेवा समाप्ति से संबंधित है और उक्त निर्णय स्पष्टत: सुभिन्न किए जाने योग्य है और इस मामले की तथ्यपरक स्थिति पर प्रयोज्य नहीं है।

9. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विरोधी निवेदनों को सुनने पर मेरा सुविचारित मत है कि आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 13) विधित: संपोषणीय नहीं है। तद्नुसार, दिनांक 13.5.2008 का आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 13) अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याची को सेवा में तुरन्त पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। किंतु, चूँकि याची दिनांक 13.5.2008 की सेवा समाप्ति आदेश के कारण बेरोजगार बना हुआ है और वह बीच की अवधि के दौरान पीड़ा का सदमा भुगता है, न्याय के उद्देश्य के लिए याची सेवा में निरंतरता के अतिरिक्त सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में पुनर्बहाली की तिथि तक की अवधि के लिए 25% पिछली मजदूरी का हकदार है।

10. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

शेख हाकिम

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (SJ) No. 864 of 2004. Decided on 6th February, 2015.

खरसावाँ पी॰ एस॰ केस सं॰ 41 वर्ष 1997 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 1 वर्ष 1998 (A) में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सराय केला द्वारा पारित दिनांक 12.5.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 354, 504, 323 एवं 341—शील भंग करने का प्रयास, आशयपूर्ण अपमान, उपहति एवं दोषपूर्ण अवरोध—अ॰ सा॰ घटना के सर्वाधिक स्वाभाविक, सक्षम एवं स्वतंत्र गवाह प्रतीत होते हैं और उनकी उसके विरुद्ध झूठा अभिसाक्ष्य देने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई दुश्मनी नहीं है—अभियोक्त्री एवं अन्य गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं करने का कारण नहीं है—किंतु, घटना लगभग सत्तरह वर्ष पहले हुई—अपीलार्थी ने दांडिक अभियोजन का दर्द सहा है—अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक दंडादेश में उपांतरण के साथ अपील खारिज। (पैराएँ 6 से 10)

अधिवक्तागण.—M/s R.C.P. Sah, Vandana Sinha, For the Appellant; Mr. Tapas Roy, For the State.

निर्णय

इस अपील में खरसावाँ पी॰ एस॰ केस सं॰ 41 वर्ष 1997 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 1 वर्ष 1998 (A) में श्री बी॰ के॰ गोस्वामी विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा एक मात्र अपीलार्थी को धाराओं 354 एवं 504 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और प्रत्येक आधार पर एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने और एक हजार रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में प्रत्येक आधार पर 30 दिनों का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन केवल एक हजार रुपयों के जुर्माना और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में दो माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया था और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. विचारण के दौरान सामने आने वाला अभियोजन मामला यह है कि जब सूचक थूनी कुमारी सोय प्रातः लगभग 10 बजे शांतनु मंडल की किराना दुकान जा रही थी, अपीलार्थी ने उसको पंचायत भवन के निकट बीच रास्ते में रोका और उसे कामुक कृत्य कराने का प्रस्ताव दिया किंतु वह चुपचाप किसी तरह वहाँ से बच निकली और जब वह वापस आ रही थी, पुनः इस अपीलार्थी द्वारा उसी स्थान पर उसे बीच रास्ते रोका गया था और अपीलार्थी ने उसे यौन इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव दिया और जब सूचक ने विरोध किया, अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया और उसके मस्तक एवं पीठ पर चप्पल से प्रहार किया। सूचक द्वारा हल्ला सुनकर स्थानीय लोग वहाँ जमा हो गए। उसके परिवार के सदस्य भी वहाँ उसकी चीख सुनकर आए जिसके बाद अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया।

3. फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और अन्वेषण के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 354, 504 के अधीन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्रूरता अधिनियम की धारा 3/4 (xiv) के अधीन भी आरोप पत्र दाखिल किया और चूँकि मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्रूरता अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया था। जिसके बाद पूर्वोक्त धाराओं में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था। जैसा आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होता है, बचाव अभियोग से पूरे इनकार का है और कि अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है जैसा अभिकथित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में अपीलार्थी ने कथन किया है कि वह राज मिस्त्री के रूप में काम कर रहा था और सूचक भी उसके साथ रेजा (स्त्री मजदूर) के रूप में उसी ठेकेदार के अधीन काम कर रही थी और चूँकि वह कर्तव्य पर देर से आने की आदी थी, उसे काम से हटाया गया था और इसलिए उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है।

4. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 1, उसकी माता रंदयी कुई और भाई मंगल सॉय क्रमश: अ॰ सा॰ 2 एवं 3, डॉ॰ पाल जिन्होंने अभियोक्त्री का परीक्षण किया था अ॰ सा॰ 4, सदन सॉय अ॰ सा॰ 5, मामले का आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 6 और विरसा सॉय अ॰ सा॰ 7 है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

5. विचारण न्यायालय अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। अत:, अपीलार्थी को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ को सुनने पर मैं आक्षेपित निर्णय से पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के सिवाए अभिकथन पर्याप्त रूप से सिद्ध किया गया है किंतु मैं किसी निष्कर्ष पर आने के पहले अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण करना चाहूँगा।

7. अ॰ सा॰ 1 अभियोक्त्री ने कहानी दोहराते हुए आगे संपुष्ट किया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बीच रास्ते में रोका गया था जिसने उसका शीलभंग करने का प्रयास किया किंतु उसने अनदेखा किया और वहाँ से शांतिपूर्वक चली गयी किंतु किराना दुकान से वापस आते हुए उसे पुन: पंचायत भवन के निकट बीच रास्ते में रोका गया था और अपीलार्थी ने उससे बात करने को कहा और उसका हाथ पकड़ लिया और जब उसने विरोध किया, उसने चप्पल से उसकी पीठ पर प्रहार किया और जब उसने शोर मचाया, स्थानीय लोग वहाँ जमा हुए। उसने आगे कथन किया कि उसका भाई मंगल सॉय और माता रंदयी कुई भी वहाँ आए जिनको उसने पूरी घटना बताया। गवाह को विस्तारपूर्ण प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु लघु विरोधाभासों एवं लोपों के सिवाए अभियोजन मामला भंजित करने के लिए उससे कुछ नहीं निकाला गया था। गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि पंचायत भवन उसके घर से 50-60 गज की दूरी पर अवस्थित है। अभियोक्त्री का साक्ष्य कि उसके हल्ला करने पर अनेक स्थानीय लोग वहाँ जमा हुए और उसकी माता एवं भाई भी वहाँ आए, अ॰ सा॰ 2 माता एवं अ॰ सा॰ 3 भाई द्वारा अपने साक्ष्य में संपुष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी संपुष्ट किया है कि अभियोक्त्री कुछ सामान खरीदने किराना दुकान गयी थी और जब गवाह हल्ला सुनने के बाद घटना स्थल के निकट पहुँचे, उन्होंने अपीलार्थी को अपनी पुत्री पर प्रहार करते देखा और घटना स्थल पर उनके आने के पहले सदन सॉय, मंगल सॉय, बिरसा सॉय जैसे स्थानीय लोग वहाँ जमा थे। यह तथ्य अ॰ सा॰ 3 मंगल सॉय, अ॰ सा॰ 5 सदन सॉय एवं अ॰ सा॰ 7 बिरसा सॉय ने अपने साक्ष्य में संपुष्ट किया है। डॉक्टर, जिन्होंने अ॰ सा॰ 1 सूचक का परीक्षण किया था, ने संपुष्ट किया था कि युवती ने अपनी पीठ में दर्द की शिकायत की थी और उसके शरीर पर उपहति का निशान नहीं था।

8. प्रकटत:, चप्पल अथवा थप्पड़ द्वारा प्रहार से संबंधित कुछ लघु विरोधाभास हैं किंतु यह किसी रूप में अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री को बीच रास्ते रोकने एवं अपनी कामुक इच्छा दर्शाने के अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करता है। यद्यपि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में रेजा (स्त्री मजदूर) के काम से अभियोक्त्री को हटाए जाने के कारण झूठा आलिप्त किए जाने का बचाव लिया है किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया है कि अपीलार्थी किसी रूप में उसको हटाए जाने में सहायक था। उक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा अभिसाक्ष्य

देने के लिए अभियोजन गवाहों के पास कारण नहीं है। ये गवाह, विशेषत: अ॰ सा॰ 3, 5 एवं 7, घटना के सर्वाधिक स्वाभाविक, सक्षम एवं स्वतंत्र गवाह प्रतीत होते हैं और उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा अभिसाक्ष्य देने के लिए दुश्मनी नहीं दर्शाया है।

9. अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री एवं साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद एवं उनके आलोचनात्मक विश्लेषण पर, मैं अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 1 एवं अन्य गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाता हूँ। विद्वान विचारण न्यायालय ने विस्तारपूर्वक अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार किया है। अत: मेरे मत में, पूर्वोक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष समुचित एवं न्यायोचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, जैसा आक्षेपित आदेश से प्रतीत होता है, यह अपीलार्थी का प्रथम अपराध था, मेरे मत में दंडादेश अत्यन्त कठोर है। घटना लगभग 17 वर्ष पहले हुई थी और इस समय तक अपीलार्थी ने दांडिक अभियोजन एवं लंबित अपील का दर्द सहा है। वह मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय रूप से भी पीड़ित हुआ है। इस पहलू पर विचार करते हुए, मैं इसे सुयोग्य मामला नहीं पाता हूँ जिसमें अपीलार्थी को दंडादेश का शेष भाग पूरा करने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में वापस जाने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि अपीलार्थी विचारण के दौरान साढ़े तीन माह से अधिक समय से कारा अभिरक्षा में बना हुआ है। अत:, मैं विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दंडादेश उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाता हूँ।

10. परिणामस्वरुप, पूर्वोल्लिखित दंडादेशों में उपांतरणों के साथ अपील खारिज की जाती है। चूँकि अपीलार्थी जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

बिंदेश्वरी प्रसाद कर्ण

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 587 of 2008. Decided on 2nd March, 2015.

सेवा विधि–प्रोन्नति–याची प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है जब उसके कनीयों को उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है–चूँकि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही निष्कर्षित की गयी है, वह उस तिथि से जब समस्थित व्यक्तियों को प्रोन्नति दी गयी थी कृषि अभियंत्रण सेवा वर्ग II के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–2011(2) JLJR 213—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. R.N. Sahay, R. Prasad, For the Petitioner; M/s R.R. Mishra, Rishikesh Giri, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ एन॰ सहाय एवं प्रत्यर्थीगण के लिए जी॰ पी॰ II के जे॰ सी॰ श्री ऋषिकेश गिरि सुने गए।

2. पूर्वोक्त रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने की प्रार्थना किया है।

3. रिट याचिका में वर्णित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के मुताबिक दिनांक 26.8.1970 को मिस्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने अपने प्राधिकारियों

को संतोषजनक सेवा दिया और दिनांक 10.8.2006 के आदेश सं॰ 2428 के तहत याची को द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ दिया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 से प्रकट हुआ और बाद में याची को झारखंड कृषि अभियंत्रण सेवा वर्ग II के पद पर प्रोन्नत किया गया था। फिटर के पद पर बने रहते हुए याची को रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 के मुताबिक दिनांक 19.3.2007 के आदेश के तहत इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग के अतिरिक्त प्रभार में रखा गया था। रिट आवेदन में आगे प्रतिवाद किया गया है कि समस्थित व्यक्तियों को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 922 वर्ष 1989, सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 5077 वर्ष 1998, सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3586 वर्ष 1990 एवं सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2559 वर्ष 1998 में पारित आदेश के अनुसरण में कृषि अभियंत्रण सेवा वर्ग II के पद पर प्रोन्नत किया गया है जैसा दिनांक 3.9.2000 के परिशिष्ट 5 से प्रकट हुआ।

4. रिट याचिका में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 7 में यह प्रतिवाद किया गया है कि वर्ष 2005-06 में दिनांक 7.9.2005 के राज्यादेश सं॰ 38 के तहत कृषि फार्मों को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग, झारखंड सरकार में एक योजना आरंभ की गयी थी। उक्त योजना के अधीन, याची को झारखंड के नौ जिलों अर्थात् दुमका, जामतारा, पाकुर, साहेबगंज, बोकारो, धनबाद, गिरीडीह, गोड्डा, देवघर में से प्रत्येक में अनाज शेड के निर्माण के लिए 9, 75,114/- रुपयों का अग्रिम धन प्रत्यर्थी सं॰ 3, कृषि निदेशक, झारखंड, राँची के दिनांक 25.5.2006 के पत्र के तहत दिया गया था। चूँकि याची ने माप पुस्तक एवं वाउचर प्रस्तुत नहीं किया था और अग्रिम राशि समायोजित नहीं की गयी थी, उपनिदेशक, कृषि (अभियंत्रण), कृषि निदेशालय, राँची, झारखंड के आरंभिक जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया गया था कि याची ने धन का दुर्विनियोग एवं गबन किया था और दिनांक 8.2.2010 के पत्र सं॰ 328 के तहत याची को पुनः माप पुस्तक एवं वाउचर प्रस्तुत करने और उसको दिए गए अग्रिम धन को समायोजित करने का अनुदेश दिया गया था। किंतु, जब याची से प्रत्युत्तर नहीं मिला, दिनांक 5.5.2010 के आदेश सं॰ 50 के तहत याची को निलंबित किया गया था और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि याची उसको अग्रिम के रूप में दिए गए सरकारी धन के दुर्विनियोग में अंतर्ग्रस्त है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है, केवल विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद याची के प्रोन्नति मामले पर विचार किया जा सकता है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 22.6.2010 के प्रति शपथ पत्र का प्रत्युत्तर दाखिल किया है जिसमें दिनांक 1.6.2013 का आदेश परिशिष्ट 9 के रूप में उसमें यह कथन करते हुए संलग्न किया गया है कि विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गयी है और 83,184/- रुपयों की वसूलनीय राशि को अनुपयोगित अर्जित अवकाश से वसूल करने का आदेश दिया गया था और आगे यह कथन किया गया था कि निलंबन की अवधि कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मानी जाएगी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष मेहनत से आग्रह किया है कि चूँकि इस बीच विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गयी है और समस्थित व्यक्तियों, जिन्हें प्रोन्नति दी गयी है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 5 से प्रकट हुआ, के समतुल्य कृषि अभियंत्रण वर्ग II पद पर उसकी प्रोन्नति पर विचार करने पर बिल्कुल वर्जना नहीं है, अतः याची की सेवानिवृत्ति अथवा इस बीच अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेने के बावजूद प्रोन्नति के लिए याची के मामले पर विचार किया जा सकता है।

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश गिरी, जी॰ पी॰ II के जे॰ सी॰, को कोई गंभीर आपत्ति नहीं है यदि अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्वोक्त पद पर याची की प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए ऐसा निर्देश दिया जाता है।

7. तर्क के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता ने **मृत्युंजय किशोर मिट्टू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2011 (2) JLJR 213,. में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विशेषत: पैराग्राफ 4 एवं 5 को निर्दिष्ट किया है जिसमें परिस्थितियों के समरुप संवर्ग में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि याची प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है जब उसके कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और तथ्यों तथा परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद, मेरा सुविचारित मत है कि चूँकि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी है, वह उस तिथि से, जब समस्थित कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गयी थी, कृषि अभियंत्रण सेवा वर्ग II के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है। प्रत्यर्थीगण को नियमों के अनुरुप चार माह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त पद पर प्रोन्नति के लिए याची के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और यदि याची को पूर्वोक्त पद पर प्रोन्नत किए जाने का हकदार पाया जाता है, वह अभिप्रायात्मक सेवा लाभों का हकदार होगा।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

10. परिणामस्वरुप, अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 955 वर्ष 2015 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अब्दुस सलाम

cuke

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य

WP(S) No. 1556 of 2014. Decided on 8th April, 2015.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–भत्ता–गृह किराया भत्ता अस्वीकार किया गया–कर्मचारी इस आधार पर आधिकारिक क्वार्टर में शिफ्ट होने से इनकार नहीं कर सकता है कि उसका दूर के स्थान पर अन्यत्र आवासीय वास सुविधा है–अभिनिर्धारित, यदि याची ने स्वयं वास सुविधा का लाभ नहीं लिया था, वह यह कथन करके कि वह स्वयं अपने घर में रह रहा था, एच॰ आर॰ ए॰ के लाभ का दावा नहीं कर सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Ms. T. Parween, For the Petitioner; Mr. A.K. Mehta, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

वर्तमान याची बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के बस्ता कोयला क्षेत्र के अधीन जी॰ ओ॰ सी॰ पी॰, कुआ ओ॰ सी॰ पी॰ कोलियरी में एस॰ ओ॰ एम॰ (एस॰ जी॰)/सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हुए दिनांक 31.12.2009 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अक्टूबर, 2004 से दिसंबर, 2009 तक की अवधि के लिए

गृह किराया भत्ता के भुगतान तथा दिसंबर, 2006 से फरवरी, 2007 तक गृह किराया भत्ता के रूप में भुगतान की गयी राशि जिसे उसके वेतन से वसूला गया था की वापसी के दावा के साथ डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4573/2013 में पहले इस न्यायालय के पास आया था। उक्त रिट याचिका यह संप्रेक्षित करते हुए कि प्रत्यर्थीगण को याची के अभ्यावेदन पर आवश्यक तथ्यों के सत्यापन के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता थी, परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न, दिनांक 18.11.2013 के निर्णय द्वारा याची के दावा के गुणावगुणों पर विचार किए बिना निपटाया गया था। तत्पश्चात, याची का दावा बस्ता कोल्ला क्षेत्र, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, के महाप्रबंधक द्वारा पारित परिशिष्ट 13 में अंतर्विष्ट, दिनांक 5.2.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था। रिट याचिका में और प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपने अभ्यावेदन में बनाया गया याची का मामला यह है कि वह किसी आधिकारिक वास सुविधा का लाभ लिए बिना वर्ष 1985 से स्वयं अपने घर में निवास कर रहा है और उसे अक्टूबर, 2004 तक गृह किराया भत्ता का भुगतान भी किया गया था। याची ने अपने अभ्यावेदन के साथ संलग्न कतिपय दस्तावेजों तथा दिनांक 12.10.2004 के कार्यालय ज्ञापन परिशिष्ट 14, पर यह दावा करने के लिए विश्वास किया कि याची जैसे कार्यपालकों के लिए एच॰ आर॰ ए॰ ग्राह्य होगा। प्रत्यर्थीगण ने उसका दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि वर्ष 2004 में वह सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और उसे खान अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित कोयला खान विनियमन के प्रावधान के मुताबिक कार्यस्थान के आस-पास रहने की आवश्यकता थी। अत:, उसे बेरा ऑफिसर्स कॉलोनी में सं॰ C-9 वाला क्वार्टर आवंटित किया गया था जहाँ वह शिफ्ट नहीं हुआ था। चूँकि याची सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और कि यह आपात काल कैडर पद था, उसकी सेवाएँ खानों के लिए लेने की आवश्यकता होनी चाहिए थी जहाँ उसे आधिकारिक वास सुविधा में रहने की आवश्यकता थी और न कि दूरस्थ स्थान में अपने आवासीय घर में। चूँकि याची आवंटन के बाद आधिकारिक वास सुविधा में शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका गृह किराया भत्ता रोक दिया गया था।

2. प्रत्यर्थीगण का मामला यह है कि वर्ष 2004 में सुरक्षा अधिकारी के तौर पर पदस्थापित किए जाने के पहले वह खान निरीक्षक का पद धारण किए हुए था, तथा अपने स्वयं के आवासीय गृह में रहता था, जो 2004 तक अपने गृह किराया भत्ता का लाभ लेने का उसे हकदार बनाता था। किंतु, वर्ष 2004 में क्वार्टर के आवंटन के बाद याची गृह किराया भत्ता का लाभ लेने का हकदार नहीं था यद्यपि उसने जानबूझकर स्वयं आधिकारिक क्वार्टर में शिफ्ट नहीं किया होगा। अत:, याची का दावा अस्वीकार किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने भी निवेदन किया है कि दिनांक 12.10.2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा गृह किराया भत्ता मंजूर करने का कोई निर्णय फंक्शनल निदेशक द्वारा लिया जाना था और न कि क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अथवा एच॰ ओ॰ डी॰ द्वारा जबकि वर्तमान मामले में क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा गृह किराया भत्ता रोका गया है।

4. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के परिशीलन पर और विरोधी पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2004 एवं इसके आगे याची को सुरक्षा अधिकारी के रूप में आपातकाल कैडर में पदस्थापित किया गया था जहाँ उसकी सेवाएँ खानों जहाँ वह पदस्थापित था के आसपास लेने की आवश्यकता थी और उसको आधिकारिक क्वार्टर आवंटित करने का कारण भी यही है यद्यपि वह तब तक आवासीय गृह में रह रहा था और गृह किराया भत्ता का लाभ ले रहा था। प्रचलित नियमों के अधीन, यदि संबंधित खान में काम की अत्यावश्यकता में संगठन के कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है, कर्मचारी इस आधार पर आधिकारिक क्वार्टर में शिफ्ट होने से इनकार नहीं कर सकता है कि उसका दूरस्थ स्थान पर अन्यत्र आवासीय वास सुविधा है। यदि याची ने स्वयं आधिकारिक वास सुविधा का लाभ नहीं लिया था, वह यह कथन करके एच॰ आर॰ ए॰ के लाभ का दावा नहीं कर सकता है कि कर्तव्यों, जिसका सुरक्षा अधिकारी के रूप में खानों में जहाँ

वह पदस्थापित था, पालन करने की आवश्यकता उसे थी, की प्रकृति के बावजूद वह स्वयं अपने घर में निवास कर रहा था।

5. चूँकि तार्किक आदेश ने मामले के समस्त प्रासंगिक पहलूओं पर विचार किया है, और किसी विधिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं है, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

दशरथ साहू उर्फ गुड्डू साहू

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 78 of 2005. Decided on 29th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 199 वर्ष 2004 में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 6.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 7.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 326—खतरनाक हथियार द्वारा कारित घोर उपहति—दोषसिद्धि—वार दोहराया नहीं गया था और सूचक पर प्रहार करने के लिए कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से का उपयोग किया गया था—चिकित्सीय साक्ष्य ने सूचक के शरीर पर पायी उपहतियों का अभियोजन विवरण पूर्णतः संपुष्ट किया है—अपीलार्थी 10 वर्षों की लंबी अवधि के लिए विचारण एवं अपील की अग्नि परीक्षा से पीड़ित हुआ है—पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक दंडादेश घटाने के साथ अपील खारिज। (पैराएँ 6 से 12)

अधिवक्तागण.—M/s A.K. Chaturvedi, Rajesh Kumar Singh, For the Appellant; Mr. T.N. Verma, For the State.

निर्णय

एकमात्र अपीलार्थी ने सत्र विचारण सं॰ 199 वर्ष 2004 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध इस अपील को दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. अपीलार्थी को आरंभ में दो अन्य सह-अभियुक्तगण संतोष साहू एवं चामू साहू के साथ केदार साहू की टांगी से मृत्यु कारित करने के सामान्य आशय के साथ सूचक केदार साहू पर प्रहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन आरोप के लिए आरोपित किया गया था किंतु विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य पर विचार करने पर केवल वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किया किंतु अन्य दो अभियुक्तगण संतोष साहू एवं चामू साहू को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं पाया और उनको दोषमुक्त कर दिया।

3. अभियोजन मामला जो सूचक केदार साहू अ॰ सा॰ 7 के फर्दबयान पर आधारित है यह है कि दिनांक 10.1.2004 को वह अपने सह-ग्रामीणों टेम्पू साहू (अ॰ सा॰ 3) एवं राम विलास साहू (अ॰ सा॰

2) के साथ सायं लगभग 6 बजे अपने गाँव वापस आ रहा था और जब वे डॉ॰ सहदेव के घर के निकट पहुँचा, अपीलार्थी दशरथ साहू दो अन्य अपराधियों जिन्हें वह नहीं पहचानता है के साथ उस पर टांगी से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप दाँत टूटने के साथ उसके चेहरे पर उपहतियाँ आयी और जब उसके साथी ने मध्यक्षेप का प्रयास किया अभियुक्तगण भाग गए। तत्पश्चात, राम विलास साहू (अ॰ सा॰ 2) उसे घर लाया। ऐसी घटना का हेतु दशरथ साहू उर्फ गुड्डू साहू के साथ पूर्व दुश्मनी और उसके साथ मामला लंबित होना बताया गया था।

4. उक्त फर्दबयान के आधार पर, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और अन्वेषण के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया। अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसके इकबालिया बयान (प्रदर्श 6) पर सूचक पर प्रहार करने के लिए उसके द्वारा उपयोग की गयी टांगी बरामद की गयी थी और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जो प्रदर्श 7 है। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और आरोपों का विषय वस्तु उनको पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था जिससे उन्होंने इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया। जैसा आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होता है, बचाव अभियोग से पूर्ण इनकार का है और कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और कोई अपराध नहीं किया है जैसा अभिकथित किया गया है बल्कि उन्हें पूर्व दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है।

5. आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से अ॰ सा॰ 7 केदार साहू सूचक है, अ॰ सा॰ 8 सावित्री देवी सूचक की पत्नी है, अ॰ सा॰ 1 डॉक्टर है जिन्होंने सूचक का परीक्षण किया, अ॰ सा॰ 2 राम विलास साहू तथा अ॰ सा॰ 3 टेम्पो साहू ने घटना की अभिकथित तिथि पर सूचक का सहयात्री होने का दावा किया है। अ॰ सा॰ 5 छेदी साहू और अ॰ सा॰ 6 सुकरा साहू अभिग्रहण सूची गवाह हैं और उनके साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने सादे कागज पर हस्ताक्षर किया है। अ॰ सा॰ 9 अन्वेषण अधिकारी है।

6. विचारण न्यायालय अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्रियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर आया कि अभियोजन यह तथ्य स्थापित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी ने टांगी से सूचक के चेहरे पर प्रहार किया किंतु न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वार दोहराया नहीं गया था और सूचक पर प्रहार करने के लिए टांगी के पिछले हिस्से का उपयोग किया गया था अत: अपीलार्थी का आशय सूचक की हत्या नहीं करना था। अत:, अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध किया है। तद्नुसार, अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया था जैसा पहले ही ऊपर गौर किया गया है।

7. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री टी॰ एन॰ वर्मा को सुनने पर मैं आक्षेपित निर्णय से पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य पर विश्वास करके न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि चिकित्सीय साक्ष्य ने अभियोजन के प्रहार के विवरण को पूर्णत: संपुष्ट किया है किंतु मैं उक्त निष्कर्ष पर आने के पहले उनके साक्ष्य का परीक्षण करना चाहूँगा। अ॰ सा॰ 7 सूचक ने कहानी दोहराते हुए संपुष्ट किया कि अपीलार्थी तथा दो अन्य अभियुक्तगण घटना स्थल के निकट स्वयं को छुपाए हुए थे जब वह सायं लगभग 5.30 बजे अपने साइकिल पर तिलाईडीह मेला जा रहा था और दशरथ साहू उर्फ गुड्डू साहू ने टांगी से उसके चेहरे पर प्रहार किया जिसके बाद वह अपनी साइकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। तत्पश्चात्, टेम्पो साहू एवं राम विलास साहू उसको उसके घर लाए और अगले दिन सुबह उसके कजिन शिव नारायण साहू

द्वारा दी गयी सूचना पर पुलिस उसके घर आयी। इस गवाह का विस्तारपूर्वक प्रति-परीक्षण किया गया था किंतु लघु विरोधाभासों के सिवाए उससे कुछ नहीं निकाला गया था। इस गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान आगे कथन किया है कि वह और उसका साथी अपनी-अपनी साइकिल चला रहे थे और वह उनसे कुछ आगे था और उसकी अपीलार्थी के साथ दुश्मनी नहीं थी बल्कि अपीलार्थी के चाचा के विरुद्ध एक मामला लंबित है। लघु विरोधाभास उस समय से संबंधित है जब सूचक को पुनः होश आया जो किसी रूप में अभियोजन मामला को प्रभावित नहीं करता है। यह सत्य है कि अन्य दो साथियों जिनका परीक्षण अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के रूप में किया गया था ने अभियोजन विवरण का समर्थन नहीं किया है कि वे सूचक के साथ जा रहे थे किंतु उन दोनों ने इस तथ्य को इस सीमा तक संपुष्ट किया है कि वे भी मेला देखने के बाद अपने गाँव वापस आ रहे थे और उन्होंने केदार साहू को तिलाइडीह के निकट जमीन पर पड़ा पाया था। दोनों गवाहों ने इनकार किया है कि केदार साहू ने कोई सूचना दिया था कि किस प्रकार उसे उपहति आयी थी किंतु स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उसे घर लाया था।

8. डॉक्टर अ॰ सा॰ 1, जिन्होंने दिनांक 11.1.2004 को प्रातः 9 बजे सदर अस्पताल, गुमला में सूचक का परीक्षण किया था, निम्नलिखित उपहतियों को पायाः-

(i) [ku d FkDdk d lkFk gkB dh ijh ekVkb e 1 cm. xgjkb e fupy gkB ij yky jx dk fonh.k t[eA

(ii) jDr d FkDdk d lkFk gkB dh ijh ekVkb e 1/2 cm. xgjk Åijh gkB ij yky jx dk fonh.k t[eA

(iii) nkrk d ikl jDrlko d lkFk Åijh ik'o bulkbtj nkr VVk gvk migfr lO (i) ,o (ii) lkekU; çÑfr dh Fkh tcfd migfr lO (iii) xHkhj Fkh vkj leLr migfr;k dM ,o HkkFkj inkFkk }kjk dkfjr dh x;h Fkh vkj Vkxh d fiNy fgLl l dkfjr dh tk ldrh g tlk MkDVj u er fn;k gA

उक्त उपहति रिपोर्ट को प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था।

9. चिकित्सीय साक्ष्य ने सूचक (अ॰ सा॰ 7) के शरीर पर पायी गयी उपहतियों का अभियोजन विवरण पूर्णतः संपुष्ट किया है।

10. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री एवं साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद मैं अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष मेरे मत में समुचित एवं न्यायोचित है।

11. दंडादेश के संबंध में, मुझे बताया गया है कि यह अपीलार्थी चार माह से अधिक समय से कारा में बना रहा था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी 10 वर्षों से अधिक लंबे समय तक विचारण एवं अपील की अग्नि परीक्षा से पीड़ित हुआ है। तरीका जिसमें घटना हुई थी और इस अपीलार्थी की अग्नि परीक्षा एवं उपहतियों को विचार में लेते हुए मैं इसे सुयोग्य मामला नहीं पाता हूँ जिसमें अपीलार्थी अभियुक्त को शेष दंडादेश पूरा करने के लिए कारा अभिरक्षा में वापस जाने के लिए कहा जाना चाहिए। अतः मेरे मत में, न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध के लिए उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि का दंडादेश अधिनिर्णीत किया जाता है।

12. परिणामस्वरुप दंडादेश में पूर्वोल्लिखित उपांतरण के साथ अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

मोहन गोप

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1063 of 2004. Decided on 10th February, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 156 वर्ष 2002 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV, राँची द्वारा पारित दिनांक 30.1.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31.1.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास एवं जुर्माना अधिनिर्णीत–चश्मदीद गवाहों सहित आठ गवाहों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया–अ॰ सा॰ का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्पोषित–अपीलार्थी द्वारा किया गया निर्दोषिता का अभिवचन ऐसा सुझाने वाले किसी अन्य सामग्री की अनुपस्थिति में स्वीकार्य नहीं है जो दूर-दूर तक भी ऐसा सुझाव हों कि अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया गया है–अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है–अपील खारिज। (पैराएँ 5 से 9)

अधिवक्तागण.–Mrs. Chaitali C. Sinha, *Amicus Curiae,* For the Appellant; Mr. Abhishek Kumar, A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 156 वर्ष 2002 में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV, राँची द्वारा पारित दिनांक 30.1.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31.1.2004 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को छटू गोप की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कठोर कारावास भुगतने एवं 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 12.9.2001 को जब सूचक बहुरा देवी (अ॰ सा॰ 4) का पति छटू गोप रिक्शा चलाने के बाद घर आया और आराम कर रहा था, अपीलार्थी आया और उसको शराब एवं हड़िया (एक प्रकार की देशी शराब) देने के लिए कहा। सूचक और उसके पति ने यह कहकर उसका अनुरोध मानने से इनकार किया कि उनके पास शराब नहीं थी। इस पर अपीलार्थी वहाँ से चला गया। रात्रि लगभग 11 बजे अपीलार्थी छुरा लिए अन्य के साथ पुनः आया। उन सबों ने छटू गोप (मृतक) को कमरे के दरवाजा तक खींचा जहाँ अपीलार्थी ने छूरा से पेट के बगल के हिस्से पर एक उपहति और पेट के सामने के भाग में एक उपहति कारित किया जिसके परिणामस्वरुप आँत बाहर आ गया जिसके परिणामस्वरुप काफी खून बह रहा था। अभियुक्तगण वहाँ से भाग गए। इसे सूचक की पुत्री ने भी देखा था। जब सूचक अ॰ सा॰ 4 ने शोर किया, अ॰ सा॰ 2 बजरंग गोप, अ॰ सा॰ 3 लालदेव ओराँव, अ॰ सा॰ 5 मंगा ओराँव सहित अनेक लोग वहाँ आए जिनको सूचक ने घटना के बारे में बताया।

3. अगली सुबह, मंदार पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हरे राम पासवान को जब पता चला कि गाँव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है, गाँव आया जहाँ उसने फर्दबयान (प्रदर्श 2) दर्ज किया जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 3) दर्ज की गयी थी। आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 6 ने अन्वेषण शुरु किया। अन्वेषण के दौरान, उसने मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट

(प्रदर्श 4) तैयार किया। अन्वेषण के दौरान, आई॰ ओ॰ ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी जब्त किया और जब्ती सूची (प्रदर्श 1/A) तैयार किया। मृत्यु समीक्षा करने के बाद, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ सरोज कुमार (अ॰ सा॰ 8) द्वारा किया गया था। शव परीक्षण के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित उपहतियाँ पायी:–

(i) mnj d mijh ik'o Hkkx ij ck;h vkj 3½ x 2 cm dk dfoVh rd xgjk t[e@gfFk;kj iV dh nhoky l gkdj ck;h fdMuh e io'k fd;k FkkA mnjh; xgk e jDr rFkk jDr d FkDd ekt n FkA

(ii) vchfydl d fudV iV d ck, vkj d lkeu ij 4½ x 2cm x dfoVh rd xgjkA t[e gfFk;kj ,cMkfeuy oky d ikj x;k] NkVh vkr vkj fetfuVjh dk Nyuh fd;kA ,cMkfeuy dfoVh e jDr ,o jDr d FkDd ekt n FkA

4. डॉक्टर ने इस मत के साथ कि मृत्यु तेज धारदार एवं नुकीले हथियार द्वारा कारित पूर्वोक्त उपहतियों के कारण आघात एवं हेमरेज के कारण हुई थी, शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 5) जारी किया।

5. अन्वेषण पूरा करने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था और जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अभियुक्त का विचारण किया गया था जिसने अपने विरुद्ध विरचित आरोप का दोषी नहीं होने का अभिवचन किया। विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया जिनमें से अ॰ सा॰ 4 मृतक की विधवा एवं अ॰ सा॰ 1 मृतक की पुत्री पूनम कुमार चश्मदीद गवाह हैं, जबकि अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 5 गाँव वाले हैं जो सूचक द्वारा किए गए शोर को सुनने के बाद घटनास्थल पर आए जहाँ मृतक ने उनको और अ॰ सा॰ 7, मृतक के पिता को बताया कि अपीलार्थी ने ही उस पर उपहति कारित किया है। न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाने वाले परिसाक्ष्यों को विश्वसनीय पाने पर आरोप को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध पाया और तद्द्वारा पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

6. श्रीमती चैताली सी॰ सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता जिन्हें झालसा के अधिवक्ता पैनल से न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, ने निवेदन किया कि अपीलार्थी निर्दोष है जिसे इस मामले में आलिप्त किया गया है क्योंकि अपीलार्थी एवं मृतक के परिवार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि मृतक अपीलार्थी का किसी महिला के साथ विवाह कराने में सहायक था जिसके साथ अपीलार्थी अच्छा संबंध विकसित नहीं कर सका था। आगे यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी की निर्दोषिता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि घटना के बाद भी वह पूरे समय अपने घर में था और उसे घर से गिरफ्तार किया गया था। यदि अपीलार्थी ने अपराध किया होता, वह अपने घर में नहीं रुका होता बल्कि फरार हो गया होता, किंतु अवर न्यायालय ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया था और तद्द्वारा विचारण न्यायालय को दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता करता हुआ कहा जा सकता है।

7. इसके विरुद्ध, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह फूलप्रूफ मामला है जहाँ मृतक की हत्या करने में अपीलार्थी की सह-अपराधिता पर लेशमात्र संदेह नहीं है। साक्ष्य जिन्हें अभियोजन द्वारा

दिया गया है समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की और इसलिए, दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हम राज्य की ओर से किए गए निवेदन का सार पाते हैं। सूचक अ॰ सा॰ 4 ने स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि जब उसका पति रिक्शा चलाने के बाद घर आया और आराम कर रहा था, अपीलार्थी आया, उनसे शराब मांगा, हड़िया भी मांगा जिसको देने से सूचक ने इस बहाने इनकार किया कि वे अपने पास शराब नहीं रखते हैं जिस पर अपीलार्थी वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद रात्रि लगभग 11 बजे वह अन्य के साथ आया और छुरा लिए था। वे मृतक को खींचकर घर के दरावाजा के निकट लाए और वहाँ अपीलार्थी ने दो उपहतियाँ, पहला पेट के सामने वाले भाग पर और दूसरा पेट के बगल के भाग पर कारित किया जिसके परिणामस्वरुप आँत बाहर आ गया। घटना मृतक की पुत्री अ॰ सा॰ 1 द्वारा भी देखी गयी थी जो घर में उपस्थित थी। उसने अपने परिसाक्ष्य में वही कहानी दोहराया है। उनके मुताबिक जब मृतक पर उपहतियाँ कारित की गयी थी, सूचक ने हल्ला किया जिस पर अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 5 वहाँ आए और शरीर से आँत बाहर आते देखा। उनके अनुसार, मृतक ने उनको बताया था कि अपीलार्थी ने ही उस पर उपहति कारित किया है। चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 का और पूर्वोक्त गवाहों का भी परिसाक्ष्य आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से समर्थन पाता है, जिसने घटना स्थल पर रक्त पाया था जो जमीन पर बहा था जिसे उसने जब्त किया था। इसके अतिरिक्त, गवाहों के परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है क्योंकि डॉक्टर जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने दो उपहतियों को पायी थी; एक पेट के पार्श्व भाग पर और दूसरा पेट के सामने वाले भाग पर। डॉक्टर के अनुसार, आँत की कुंडली शरीर के बाहर निकली पायी गयी थी। इन साक्ष्यों की दृष्टि में अपीलार्थी की निर्दोषिता का कोई अभिवचन, जो दूर-दूर तक यह सुझाते हैं कि अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया गया है, किसी अन्य सामग्री की अनुपस्थिति में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह घटना के बावजूद घर में बना रहा था।

9. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है। अत:, विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित था जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

cuke

श्री अरुण कृष्ण राव हजारे, भूतपूर्व महाप्रबंधक (एच॰ आर॰ डी॰) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

W.P. (L) No. 3455 of 2013. Decided on 16th December, 2014.

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972—धारा 4 (b)—उपदान राशि रोका जाना–उपदान का भुगतान रोकने के सांविधिक प्रावधान की अनुपस्थिति में कर्मचारी को उपदान की राशि प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है–कोल इंडिया कार्यपालकों का

आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 में उपदान रोकने के लिए नियोक्ता को सशक्त बनाने वाला विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है–आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1993) 1 SCC 47; (2000)6 SCC 493; (1984) 3 SCC 369; (2010) 2 SCC 44; (2007) 1 SCC 663—Relied; (2011) 10 SCC 249—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Anoop Kr. Mehta, For the Petitioner; None, For the Respondent.

आदेश

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21.12.2011 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए और उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद–सह–अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 19.10.2012 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए याची मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा RC 13 (A)/ 06/00920006 A 0013 के तहत मामला दर्ज किया गया था और अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा दिनांक 8.8.2007 को अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान की गयी थी। दांडिक मामले में उसकी अंतर्ग्रस्तता के कारण दिनांक 12.12.2006 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी को निलंबित किया गया था। कोल इंडिया कार्यपालकों का आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 29 के अधीन प्रत्यर्थी–कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही दिनांक 28.9.2010 के आदेश के तहत आरंभ की गयी थी। जब दांडिक मामला एवं विभागीय कार्यवाही जारी थी, प्रत्यर्थी, जिसे बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में कार्यपालक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने दिनांक 31.12.2010 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लिया। किंतु, याची मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के पास दिनांक 9.2.2011 के चेक के तहत 10 लाख रुपयों की उपदान राशि इसे कार्यवाही जिसे प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ किया गया था जब वह सेवा में था के अंतिमता प्राप्त करने तक संवितरित नहीं करने के अनुरोध के साथ जमा की गयी थी। प्रत्यर्थी कर्मचारी ने नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष उपदान राशि की निर्मुक्ति के लिए फॉर्म एन॰ में दिनांक 24.5.2011 को आवेदन दिया जिसे पी॰ जी॰ केस सं॰ 36 (46)/2011-E-6 के रूप में दर्ज किया गया था। याची ने दिनांक 19.7.2011 को यह अभिवचन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया कि आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों 34.2 एवं 34.3 की दृष्टि में दांडिक/विभागीय कार्यवाही के निपटान तक उपदान राशि रोकी जाए। प्रत्यर्थी ने स्वयं का परीक्षण कराया और दांडिक मामला एवं विभागीय कार्यवाही का लंबित होना स्वीकार किया। किंतु, नियंत्रक प्राधिकारी ने दिनांक 21.12.2011 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 (6) की दृष्टि में उपदान राशि मात्र दांडिक मामला लंबित रहने के कारण नहीं रोकी जा सकती है और प्रत्यर्थी कर्मचारी को उपदान राशि के भुगतान के लिए विहित प्रोफोर्मा में आवेदन देने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा दिनांक 1.1.2011 से उपदान राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए पी॰ जी॰ अपील सं॰ 21/2012 दाखिल किया गया था। याची मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने भी पी॰ जी॰ अपील सं॰ 20/2012 दाखिल किया। इन दोनों अपीलों को साथ सुना गया था और दिनांक 19.10.2012 के आदेश के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दोनों अपीलें खारिज कर दी गयी थी।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता ने **''स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम लाल भाष्कर एवं एक अन्य, (2011)10 SCC 249,** और **अध्यक्ष-सह-प्रबंध**

निदेशक, महानदी कोल फील्ड्स लि॰ बनाम रबिन्द्र नाथ चौबे (सिविल अपील सं॰ 9693 वर्ष 2013) में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि इसी प्रकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपदान रोकने का आदेश अभिपुष्ट किया और रामलाल भाष्कर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहतपीठ के निर्णय की दृष्टि में **''रबिन्द्र नाथ चौबे''** मामला वृहत पीठ को निर्दिष्ट किया गया था और इस प्रकार, रामलाल भाष्कर मामले में निर्णय अभी भी कायम है। आगे यह निवेदन किया गया है कि नियम 34.2 के अधीन धारणा उपबंध की दृष्टि में प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही जारी है और चूँकि अनुशासनिक प्राधिकारी को आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 34.3 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान उपदान का भुगतान वापस रोकने की शक्ति है, नियंत्रक प्राधिकारी ने गलत रूप से उपदान राशि के भुगतान का आदेश दिया है और इस निमित्त सुनिश्चित विधि को अनदेखा करते हुए अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त आदेश अभिपुष्ट किया है।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. काफी पहले यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सरकारी सेवक का बहुमूल्य अधिकार है जिससे सरकारी सेवक को सिवाए विधि में अधिकथित प्रक्रिया के इतर वंचित नहीं किया जा सकता है। सामान्यत: पेंशन उपदान सम्मिलित करता है सिवाए जब शब्द 'पेंशन' का उपयोग उपदान के विरोधात्मक रूप में किया जाता है। **''बलबीर कौर एवं एक अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ एवं अन्य'', (2000)6 SCC 493,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''उपदान का भुगतान अब दान के क्षेत्र में नहीं है बल्कि कर्मचारी के पक्ष में प्रावधानित सांविधिक अधिकार है।'' **सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील कं॰ लि॰ एवं अन्य, (1984)3 SCC 369,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"17. D;k , lk lkekftd lj{kk mik; çkIfxd fu;ek dh bl çdkj 0;k[;k djd bldh çHkkodkfjrk ,o çoru l jfgr fd;k tk ldrk g rkfd dedkj dk bl rF; d ckotn fd mlu ych fujrj lok }kjk bl vftr fd;k g] fu;kDrk d i.k Lofood ij bll budkj fd;k tk ld\ ;fn fu;e 10 dh 0;k[;k ml çdkj dh tkrh g tlk mPp U;k;ky; u fd;k g] ;g dBkj fdr v#fpdj ifj.kke gkxkA vr% i'ku] ftld lerY; minku g] tl lokfuofÙk ykHkk d ç'u ij çHkko j[ku oky bfrgkl d iUu iyVuk vko';d gA cjgkuij rkIrh feYI fy0 cuke cjgkuij rkIrh feYI etnj l?k e bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k% ^^minku dh ;ktuk ,o i'ku dh ;ktuk e dkQh lekurk gA minku ,de'r jkf'k g tcfd ,d i'ku dfFkr] jkf'k dk vofèkdkfyd Hkxrku gA** fu%Ing nkuk dk ych fujrj lok }kjk vftr fd;k tkrk gA***

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने कोल इंडिया कार्यपालकों के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों 34.2 एवं 34.3 पर विश्वास किया जिन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *fu;e 34.2–vu'kklfud dk;okgh] ;fn rc lfLFkr dh x;h Fkh tc depkjh lok e Fkk] pkg mldh lok fuofÙk d igy vFkok iufu;ktu d nkjku dh x;h gk] depkjh dh vfre lokfuofÙk d ckn dk;okgh le>h tk,xh vkj tkjh jgxh rFkk ml çkfèkdkjh ftlu bl vkjHk fd;k Fkk }kjk mlh rjhd l lekIr dh tk,xh ekuk depkjh lok e cuk gvk FkkA*

*fu;e 34.3–vu'kklfud dk;okgh d yfcr jgu d nkjku] vu'kklfud çkfèkdkjh diuh dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d i.k vFkok ,d Hkkx dk minku l olyh dju dk vkn'k nu d fy, minku dk Hkxrku jkd ldrk g ;fn ml vijkèk@vopkj dk nk"kh ik;k x;k g tlk minku Hkxrku vfèkfu;e] 1972 dh èkkjk 4 dh mièkkjk (6) e mfYyf[kr g vFkok çfrfu;fDr ij vFkok lokfuofÙk d ckn iufu;ktu ij nh x;h lok lfgr viuh lok d nkjku vopkj vFkok mi{kk }kjk diuh dk èkuh; gkfu dkfjr dju d fy, minku dk Hkxrku jkd ldrk gA fdr] minku Hkxrku vfèkfu;e] 1972 dh èkkjk 7 (3) ,o 7 (3A) d çkoèkkuk dk foyfcr Hkxrku dh fLFkfr e è;ku e j[kuk pkfg, ;fn depkjh i.kr% foeDr fd;k tkrk gA***

8. ''इलाहाबाद बैंक एवं एक अन्य बनाम ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ'', (2010)2 SCC 44, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपदान सांविधिक अधिकार होने के नाते अधिनियम के प्रावधानों से इतर प्रकार से वापस नहीं लिया जा सकता है। **''जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं एक अन्य,'' (2007)1 SCC 663,** में कोल इंडिया कार्यपालकों का आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों 27 एवं 34 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमावली के नियम 34.3 के अधीन उपदान रोकने की शक्ति उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधान के अध्यधीन होनी चाहिए। कोल इंडिया कार्यपालकों के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 का नियम 27 केवल उपेक्षा अथवा आदेशों अथवा न्यास के भंग द्वारा कंपनी को कारित हानि की सीमा तक उपदान की वसूली प्रावधानित करता है किंतु, दंड अधिरोपित करना होगा जब तक कर्मचारी सेवा में बना रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

"12. bl çdkj] çknHkr lkfofèkd vfèkdkj fu;e ftud ikl lfofèk dh 'kfDr ugh g d dkj.k l ncy ugh cuk;k tk ldrk gA ;g dFku djuk nkgjkuk gkxk fd çR;Fkh 1 vFkok bldh gkfYMx diuh }kjk fojfpr fu;ekoyh lkfofèkd çÑfr dh ugh gA fdlh Hkh fLFkfr e fu;ekoyh lokfuofÙk ykHkk vFkok minku jkduk çkoèkkfur ugh djrh gA

*13. vfèkfu;e minku Hkxrku çnku dju dh x<h gb ;k tuk çkoèkkfur djrk gA ;g minku d fy, ;k tuk d vko';d çkoèkkuk dk vkPNkfnr dju okyh foLrr çkoèkku vrfo"V djrh i.k lfgrk gA ;g u doy minku d Hkxrku dk vfèkdkj lftr djrk g cfYd mldh ek=k fuèkkj.k rFkk 'krk ftu ij bll ofpr fd;k tk ldrk g] dk Hkh vfèkdfFkr djrk gA tlk ;gk igy xkj fd;k x;k g] vfèkfu;e dh èkkjk 4 dh mièkkjk (6) mldh mièkkjk (1) d edkcy lokifj [kM vrfo"V djrh gA pfd mld dkj.k l çknHkr vFkok fufgr vfèkdkj okil fy;k tkuk bfllr fd;k x;k g] mld vèkhu vfèkdfFkr 'krk dk ifji.k djuk gkxkA vr%] mle vrfo"V çkoèkkuk dk ikyu vR;Ur bekunkjh l djuk gkxkA-----***

9. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महानदी कोल फील्ड्स लि॰ बनाम रविन्द्र नाथ चौबे में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह गौर किया जाना है कि विवाद्यक जिसे वृहत पीठ द्वारा प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणा के लिए निर्दिष्ट किया गया है यह है कि क्या अधिवर्षिता के बाद बर्खास्तगी का मुख्य दंड अपचारी कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है या नहीं। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

"23. fook|d ftll gekjk lkeuk oreku vihy e g ;g g fd D;k lhO MhO ,O fu;ekoyh d fu;e 34 d ifj.kkeLo#i minku jkdk tk ldrk gA tc

*minku vfèkfu;e d çkoèkkuk d lkFk e bldk ijh{k.k fd;k tkrk g] minku vko';drk lcfèkr depkjh dk mldh lokfuofÙk ij fueDr djuk gkxk Hky gh mld fo#) foHkkxh; dk;okgh yfcr gA ge ikr g fd tlor flg fxy ekeyk çR;{kr% bl ç'u dk mÙkj nrk g] og Hkh bUgh lhO MhO ,O fu;ekoyh d lnHk eA fdr] bl dkj.k l fd mDr fu.k; bl vkèkkj ij vxlj gkrk g fd depkjh dh lokfuofÙk d ckn lokfuoÙk depkjh ij c[kkLrxh dk nM vfèkjkfir ugh fd;k tk ldrk gA ;fn ;g nf"Vdk.k lgh ugh g vkj c[kkLrxh d nM dk vfèkjki.k vHkh Hkh vuK; g] fu;kDrk minku Hkxrku vfèkfu;e dh èkkjkvk 4(1) ,o 4(6) d vèkhu çkoèkkfur lHkkoukvk e ,l depkjh dk minku leiâr dju dk vfèkdkj ik,xkA***

10. मामले के तथ्यों पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि यद्यपि प्रत्यर्थी कर्मचारी दिनांक 31.12.2010 के प्रभाव से अधिवर्षित हुआ, प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रही। नियम 34.2 के अधीन, सेवा से कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए धारणा उपबंध है किंतु, मेरा मत है कि कोल इंडिया कार्यपालकों के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 34.2 के प्रयोजन से भी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए औपचारिक आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। धारणा उपबंध केवल सामर्थ्यकारी प्रावधान है। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी की अधिवर्षिता के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए मंजूरी और नियमावली के नियम 34.2 के निबंधनानुसार औपचारिक आदेश के बीच सुभिन्नता कुछ महत्व की है। मामले के इस पहलू को छोड़ते हुए, यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज विभागीय कार्यवाही एवं दांडिक मामला अभी भी लंबित है। यह भी स्वीकृत अवस्था है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान को रोकने का सांविधिक प्रावधान नहीं है। याची द्वारा किए गए अभिवचन पर गौर करना दिलचस्प है जो सुझाता है कि अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने और परिणामस्वरुप अपचारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किए जाने की प्रत्याशा में अथवा अपचारी कर्मचारी दांडिक मामले में दोषसिद्ध किए जाने पर, उपदान राशि रोकनी ही चाहिए। ऐसा अभिवचन विवेकपूर्ण नहीं है और कम से कम इसे न्यायोचित एवं निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है। **''जरनैल सिंह बनाम सचिव, गृह मंत्रालय, (1993) 1 SCC 47,** में निर्णय भी इस दृष्टिकोण को अभिपुष्ट करता है कि उपदान भुगतान रोकने के सांविधिक प्रावधान की अनुपस्थिति में कर्मचारी को उपदान राशि प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता को कर्मचारी का उपदान का भुगतान रोकने का अधिकार था। जैसा ऊपर गौर किया गया है, कोल इंडिया कार्यपालकों के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 में उपदान रोकने के लिए नियोक्ता को सशक्त बनाने वाला विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है। मैं आक्षेपित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ।

11. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राम लखन मेहता

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 52 of 2005. Decided on 22nd December, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 25 वर्ष 2004 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ III डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 23.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 314—गर्भपात के कारण महिला की मृत्यु–दोषसिद्धि–यह दर्शाने वाला चिकित्सीय साक्ष्य है कि गर्भ अभी भी अक्षुण्ण था और गर्भपात नहीं हुआ था और डॉक्टर के मत में मृतका अपनी मृत्यु के पहले रक्त-स्राव की समस्या से पीड़ित नहीं थी–ऐसा कोई अभिकथन नहीं था कि मृत्यु अवैध गर्भपात के परिणामस्वरुप कारित की गयी थी और न ही घटना का कोई चश्मदीद गवाह था–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 314 के अधीन दायित्व केवल तब डाला जा सकता है जब यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि व्यक्ति विशेष अंतर्ग्रस्त है–अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है और तद्नुसार दोषमुक्त। (पैराएँ 10 से 14)

निर्णयज विधि.–1993 Cri.L.J. 722—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Ravi Prakash, Awanish Shekhar, For the Appellant; Mr. P.K. Appu, For the State.

निर्णय

एकमात्र अपीलार्थी रामलखन मेहता ने अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ III, डालटेनगंज द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अधीन अपनी दोषसिद्धि का विरोध किया है जिन्होंने उसको सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और व्यतिक्रम में एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. अभियोजन मामला, जो मृतका के पति वैद्यनाथ मेहता (अ॰ सा॰ 2) की सूचना पर आधारित है, यह है कि दिनांक 9.3.2001 को सायं लगभग 4 बजे कोई अलकरी देवी उसके घर आयी और उसकी पत्नी कलावती देवी को अपने गर्भपात के लिए अपीलार्थी राम लखन मेहता के क्लिनिक चलने के लिए मनाया। सूचक ने अपनी पत्नी को जोखिम उठाने से मना किया क्योंकि गर्भावस्था का चौथा माह था और तत्पश्चात बाहर चला गया। सायं लगभग 6 बजे जब वह लौटा, उसकी पत्नी घर में उपस्थित नहीं थी और पूछने पर उसके अवयस्क पुत्र ने सूचित किया कि उक्त अलकरी देवी उसकी माता को अपने साथ ले गयी थी। वह तुरन्त अपीलार्थी के क्लिनिक गया जहाँ उसने अपनी पत्नी का मृत शरीर पाया। उसने गाँव वालों को सूचित किया और वे सब अपीलार्थी के घर आए। यह भी अभिकथित किया गया है कि गाँव वालों की मदद से वह अपनी पत्नी का मृत शरीर दिनांक 10.3.2001 को अर्थात् अगले दिन पुलिस थाना ले गया जिसके बाद दिनांक 10.3.2001 का हुसैनाबाद पी॰ एस॰ केस सं॰ 29 वर्ष 2001 वर्तमान अपीलार्थी और अलकरी देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 314/316 के अधीन दर्ज किया गया था।

3. अन्वेषण पूरा करने के बाद, दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 314/316 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ के उक्त प्रावधानों के अधीन दोनों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे।

4. इस चरण पर यह कथन किया जा सकता है कि उक्त अलकरी देवी जिसका विचारण अपीलार्थी के साथ विचारण न्यायालय में किया गया था, को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया था कि अभिकथित अपराध में उसको आलिप्त करने वाला अलकरी देवी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं था और गवाहों ने भी उसके विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री कश्यप द्वारा प्रचारित मुख्य आधार यह है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चयात्मक रूप से स्थापित किया जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने कोई कृत्य किया था जिसका परिणाम मृतका कलावती देवी की मृत्यु में हो सकता था। इस प्रयोजन से, उन्होंने अभियोजन गवाहों के मौखिक साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण किया है। श्री कश्यप ने भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों पर विश्वास करते हुए आगे निवेदन किया कि यह प्रदर्शित करना अभियोजन के लिए आवश्यक है कि मृतका कलावती देवी की मृत्यु वर्तमान अपीलार्थी द्वारा किए गए कृत्य के कारण हुई थी पर साक्ष्य में से कोई भी अभियोजन विवरण का समर्थन नहीं करता था और साक्ष्य कोई भी विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। श्री कश्यप ने डॉक्टर (अ॰ सा॰ 9) के निर्णायक साक्ष्य पर आगे विश्वास करते हुए निवेदन किया कि डॉक्टर ने कोई वाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं पाया था बल्कि 12 सप्ताह का भ्रूण अक्षुण्ण पाया था और योनि, सर्विक्स अथवा गर्भाशय में कोई खरोंच अथवा विदीर्णता अथवा कोई उपहति नहीं थी, फेटल मेम्ब्रेन भी अक्षुण्ण था और डॉक्टर के अनुसार मृतका अपनी मृत्यु के पहले रक्त स्राव की किसी समस्या से पीड़ित नहीं थी और डॉक्टर का साक्ष्य गर्भपात के अभियोजन विवरण का पूरी तरह से भंजन करता है। विद्वान अधिवक्ता ने **वत्छला भाई मारुति क्षीरसागर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1993 Cr. L.J. 722** मामले में निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य एवं महिला की मृत्यु के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना होगा।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए नि:संदेह अनेक परिस्थितियों तथा पाँच वर्षों से आयुर्विज्ञान की एलोपैथिक प्रणाली में सद्भावपूर्ण आर॰ एम॰ पी॰ के रूप में ग्रामीण दंत एवं औषधि चिकित्सक कल्याण परिषद् की उपविधियों के अधीन अपीलार्थी का नामांकन दर्शाते हुए अन्वेषण के क्रम में अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त किया गया प्रमाण पत्र (प्रदर्श 4 एवं 4/1) पर विश्वास किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर भी आए हैं कि अपीलार्थी झोला छाप डॉक्टर था और किसी प्रोफेशनल डिग्री के बिना गाँव में डॉक्टर के रूप में पेशा कर रहा था।

7. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया किंतु नौ गवाहों में से अ॰ सा॰ 1 रंजीत मेहता, अ॰ सा॰ 3 राजेश्वर मेहता, अ॰ सा॰ 4 महावीर मेहता, अ॰ सा॰ 5 राजेन्द्र मेहता, अ॰ सा॰ 6 बिरेन्द्र मेहता, अ॰ सा॰ 7 जनेश्वर मेहता एवं अ॰ सा॰ 8 रामराज मेहता को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। किंतु, मैं उक्त गवाहों में से कुछ के बारे में एक-दो पंक्ति चर्चा करना चाहूँगा। अ॰ सा॰ 1 रंजीत मेहता ने अभिकथित घटना के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है बल्कि केवल यह कहा है कि वैद्यनाथ महतो की पत्नी की मृत्यु चार वर्ष पहले हो गयी थी और अपीलार्थी गाँव में चिकित्सा पेशेवर था। अ॰ सा॰ 3 वैद्यनाथ मेहता की पत्नी की चार वर्ष पहले हुई मृत्यु संपुष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि किन परिस्थितियों के अधीन मृतक अपीलार्थी के घर गया था। प्रति-परीक्षण में, गवाह ने कहा कि उसने मृतका को अपीलार्थी के क्लिनिक में इलाज करवाते नहीं देखा था। अ॰ सा॰ 4 मृतका का ससुर है और अपने साक्ष्य में उसने कथन किया है कि जब वह अपनी भैसों के साथ शाम में अपने घर लौटा, उसने मृतका का मृत शरीर अपने दरवाजा पर देखा। वह मृत्यु का कारण नहीं बता सका था।

8. सूचक जिसका परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया था ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी पत्नी कलावती देवी चार माह का गर्भधारण किए थी और घटना की अभिकथित तिथि पर जब वह शाम में अपने घर लौटा, उसकी पत्नी घर में उपस्थित नहीं थी और तत्पश्चात वह अपनी पत्नी की तलाश करने लगा और अपनी पत्नी का मृत शरीर अपीलार्थी राम लखन मेहता के घर में पाया। अगली सुबह, वह मृत शरीर पुलिस थाना ले गया किंतु मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ 3 में उसने कथन किया है कि वह नहीं कह सकता था कि किन परिस्थितियों के अधीन उसकी पत्नी राम लखन मेहता के घर गयी थी। इस गवाह ने प्राथमिकी (प्रदर्श 1) पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है किंतु प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया है कि दरोगाजी ने फर्दबयान तैयार किया था और इसे पढ़े बिना उसका हस्ताक्षर लिया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने दारोगाजी के कहने पर प्राथमिकी पर अपना हस्ताक्षर किया था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि गर्भापात के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हुई और आगे कथन किया कि घटना की अभिकथित तिथि के पहले उसकी पत्नी को रक्तस्राव की समस्या थी और उसे डॉक्टर राम लखन मेहता अथवा अलकरी देवी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

9. मौखिक साक्ष्य से सामने आने वाली पूर्वोक्त अवस्था के आलोक में मेरे विचार में अब चिकित्सीय साक्ष्य का परीक्षण करने का समय है। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था का परीक्षण अ॰ सा॰ 9 के रूप में किया गया है और डॉक्टर ने मृत्युपूर्व एवं मृत्यु पश्चात रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन किया है:–

- *nk, D;fcVy QkLl e pHku dk fpUg ektn FkkA 'kjhj ij ckg; migfr ugh FkhA*
- *phj&QkM dju ij] yxHkx 12 llrkg dk xHk èkkj.k dju okyk xHkk'k; v{k..k FkkA ;kfu] lfoDl vFkok xHkk'k; e jDr vFkok dkb ckg; inkFk ugh FkkA ;kfu e [kjkp vFkok fonh.krk ugh FkkA*
- *QkjfuDl] lfoDl vFkok ;Vjl%&QhVy eEcu v{k..k FkkA lylVk ukey FkkA yxHkx 12 llrkg vkdkj dk Hk.k FkkA dkb vU; vkrfjd migfr ugh FkhA*
- *fuEufyf[kr foljkvk dk ljf{kr fd;k x;k Fkk% ân;] QQMk] fyoj] Liyhu] fdMuh] vkr] vroLr d lkFk iV ,o xHkk'k;A*
- *eR; dk dkj.k vfHkfuf'pr ugh fd;k tk ldrk g] vr% iokfYyf[kr foljk ljf{kr fd, x, FkA*
- *eu ckgjh vFkok vn#uh rkj ij ;kfu e dkb jDr ugh ik;k FkkA*
- *erdk viuh eR; d igy jDrlko dh leL;k l ihfMr ugh FkhA*
- *e ugh dg ldrk g fd mldh eR; d igy erdk dk dku lh nok dh lb yxk;h x;h FkhA*

10. यहाँ, मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर द्वारा संग्रहित विसरा इसके परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था और न ही इस मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण किया गया था, किंतु इतना स्पष्ट है कि 12 सप्ताह का गर्भ अक्षुण्ण था और गर्भपात नहीं हुआ था और डॉक्टर के मत में भी मृतका अपनी मृत्यु के पहले रक्तस्राव की समस्या से पीड़ित नहीं थी।

11. आगे अग्रसर होने के पहले एक चीज प्रकट हुआ कि सूचक की पत्नी की मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। द्वितीयतः, ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि मृत्यु अवैध गर्भपात कराने के प्रयास के परिणामस्वरुप कारित हुई थी। तृतीयतः, यद्यपि लिखित रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि मृतका को अलकरी देवी द्वारा अपीलार्थी के घर लाया गया था किंतु विचारण न्यायालय के समक्ष किसी अभियोजन गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया। जिसके बाद अवर न्यायालय द्वारा अलकरी देवी को दोषमुक्त कर दिया गया था। सूचक अ॰ सा॰ 2 ने भी अपने साक्ष्य में कहीं नहीं कथन किया है कि उसकी पत्नी उक्त अलकरी देवी के साथ अपीलार्थी के घर गयी थी बल्कि सूचक ने स्पष्टतः कथन किया है कि उसकी अपीलार्थी से कोई शिकायत नहीं है। यह इस गवाह के साक्ष्य से भी प्रतीत होता है कि प्रति परीक्षण के दौरान उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज उसके बयान के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

12. न्यायालय को विशेषतः ध्यान में रखना होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अधीन किसी मामले में दायित्व केवल तब डाला जा सकता है जब यह निर्विवादतः प्रदर्शित किया जाता है कि व्यक्ति विशेष अंतर्ग्रस्त है। प्रकटतः अभियोजन मामले के समर्थन में चश्मदीद गवाह नहीं है और सूचक सहित किसी गवाह ने नहीं कहा है कि अपीलार्थी ने इलाज किया था अथवा गर्भपात कराने के लिए कृत्य विशेष करने का प्रयास किया था और कि इसी कृत्य ने अंततः सूचक की पत्नी की मृत्यु कारित किया। सूचक का साक्ष्य कि घटना की अभिकथित तिथि के पहले उसकी पत्नी का रक्तस्राव की समस्या थी, डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है जिसने अभियोजन मामला पूर्णतः भंजित कर दिया है। किंतु, अ॰ सा॰ 2 द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य पर सावधानीपूर्ण विचार करने पर केवल यह कहा जा सकता है कि सूचक की पत्नी का मृत शरीर अपीलार्थी के घर में पाया गया था किंतु साक्ष्य का यह टुकड़ा अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

13. इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितजन्य साक्ष्य मुझे अपीलार्थी की निर्दोषिता के साथ पूर्णतः असंगत प्रतीत नहीं होता है और मेरे विचार में अपीलार्थी की दोषसिद्धि पोषित करना बिल्कुल असुरक्षित होगा। मेरे सुविचारित मत में, इस मामले में अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। तद्नुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

14. परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है और अपीलार्थी जो जमानत पर है को उसके जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

फिरोज खान

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 6626 of 2007. Decided on 20th February, 2015.

सेवा विधि–दंड–न्यूनतम वेतनमान के अध्यधीन किया जाना और तीन वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोका जाना–अधिरोपित दंड अवचार की गंभीरता के अनुकूल होना चाहिए और अवचार

की गंभीरता के अननुपातिक कोई दंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी होगा–न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक दंड का आदेश न्यायालय की अंतरात्मा को आघात नहीं पहुँचाता है–रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 9 से 14)

निर्णयज विधि.–(2006) 5 SCC 673; (2012) 3 SCC 178; (1997) 7 SCC 463; (1999) 1 SCC 759; (1995) 6 SCC 749; (2005) 3 SCC 401; (1983) 2 SCC 442—Relied; (1983) 2 SCC 442; (1995) 6 SCC 750—Referred.

अधिवक्तागण.–Dr. S.N. Pathak, For the Petitioner; Mr. Faiz-ur-Rahman, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17.5.2002 के आदेश और अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा पारित दिनांक 30.9.2002 के आदेश तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 3.7.2003 के आदेश के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट जारी करने के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन प्रत्यर्थीगण ने विभागीय कार्यवाही में याची को न्यूनतम वेतनमान के अध्यधीन करते हुए और उस न्यूनतम वेतनमान में तीन वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोकते हुए याची पर दंड अधिरोपित किया है और यह भी कि वेतनवृद्धि पर भावी वेतनमान का प्रभाव होगा और निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के सिवाए किसी चीज का भुगतान नहीं किया जाए और याची ने आगे निलंबन अवधि अर्थात् दिनांक 9.11.2001 से दिनांक 13.2.2002 तक के भुगतान के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट याचिका में संक्षिप्त रूप से प्रकट एवं कथित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (इसमें इसके बाद 'सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰' के रूप में निर्दिष्ट) में उत्तर प्रदेश में शक्तिनगर में कॉंस्टेबल के रूप में दिनांक 18.3.1993 को नियुक्ति किया गया था। एरीनाकुलम आर॰ टी॰ सी॰ में प्रशिक्षण पाने के बाद दिनांक 17.1.1994 को उसे बी॰ एस॰ एल॰ बाको में पदस्थापित किया गया था और तब दिनांक 26.7.1999 को उसे ए॰ टी॰ सी॰ राँची में पदस्थापित किया गया था। दिनांक 9.11.2001 को अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गयी थी और विभागीय जाँच के अनुध्यान में याची के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के अधीन, याची के विरूद्ध विरचित आरोप के मद के विवरण के मुताबिक याची को दिनांक 7.11.2001 को कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडक्शन कर्त्तव्य पर लगाया गया था और उसे कॉय कमांडर एवं एच॰ एम॰ टी॰ पी॰ कंपनी के सी॰ एच॰ एम॰ द्वारा दिनांक 7.11.2001 की दोपहर को एच॰ ई॰ सी॰ कंटिनजेंट के दल प्रभारी को रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया था और अस्त्र एवं कारतूस संग्रह करने और हटिया हावड़ा एक्सप्रेस द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट जाने के लिए कहा गया था। किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ था और कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडक्शन कर्तव्य से बचने के लिए आशयपूर्वक अवकाश बिना अनुपस्थित (ए॰ डब्ल्यू॰ एल॰) बना रहा। न तो उसने अपनी किसी समस्या की सूचना दी और न ही उसने सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति लिया था और याची का कृत्य उसके संघ के सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते घोर अनुशासनहीनता, अपने उच्चतरों के विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा, घोर उपेक्षा एवं अपने कर्तव्य की अवहेलना के तुल्य है और तद्नुसार आरोप पत्र के मद के समर्थन में उपेक्षा, कर्तव्य अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं अपने उच्चतरों के विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा अथवा आरोप का विवरण याची के विरुद्ध विरचित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप, याची को रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 के अधीन दिनांक 9.11.2001 के आदेश के तहत निलंबित किया गया था। दिनांक 31.1.2002 के आदेश के तहत, रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के अधीन, मामले की जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसने जाँच रिपोर्ट (परिशिष्ट 4) दाखिल किया जिसे दिनांक 11.4.2002 के ज्ञापन के परिशिष्ट 5 के तहत, याची पर तामील किया गया था और उसके अनुसरण में याची ने अपना स्पष्टीकरण दिया। परिशिष्ट 6 के तहत दिनांक 17.5.2002 का दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध याची ने अपील दाखिल किया जिसे रिट आवेदन के

परिशिष्ट 7 के अधीन दिनांक 30.9.2002 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक, सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया गया था जिन्होंने रिट आवेदन के परिशिष्ट 8 के अधीन दिनांक 3.7.2003 के आदेश के तहत उक्त पुनरीक्षण अस्वीकार कर दिया। अनुशासनिक कार्यवाही, अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर, पूर्वोक्त अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. प्रत्यर्थीगण ने रिट आवेदन में किए गए प्राख्यानों को खंडित करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रतिशपथ पत्र में यह कथन एवं निवेदन किया गया है कि याची को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9.11.2001 के आदेश के तहत निलंबन के अधीन किया गया था और कमांडेंट, सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ यूनिट, एच॰ ई॰ सी॰, राँची द्वारा सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 2001 के नियम 36 के अधीन आरोप-पत्रित किया गया था और विभागीय जाँच के समापन पर जाँच अधिकारी ने अपना जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया और याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी की दिनांक 6.4.2002 की जाँच रिपोर्ट एवं निष्कर्ष से सहमत होकर दिनांक 11.4.2002 के पत्र के तहत उक्त जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति याची को किया और उसे इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि हो, देने का निर्देश दिया। याची ने दिनांक 14.4.2002 को जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति अभिस्वीकृत किया और दिनांक 20.4.2002 को अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। बाद में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने समस्त अभिलेखों का सावधानीपूर्ण परीक्षण करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया। अनुशासनिक प्राधिकारी के दंड के आदेश से व्यथित होकर याची ने दिनांक 3.7.2003 को अपील दाखिल किया जिसे भी गुणागुण रहित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था और तत्पश्चात याची ने दिनांक 17.5.2002 का पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया जिस पर विचार किया गया था और इसे गुणागुण रहित होने के कारण दिनांक 3.7.2003 के आदेश के तहत अस्वीकार किया गया था। अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों को प्रतिशपथ पत्र के क्रमशः परिशिष्ट ए॰ बी॰ एवं सी॰ के रूप में संलग्न किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह दोहराया गया है कि उच्चतर अधिकारी के विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा एवं याची का अनुशासनहीन कृत्य अनुशासित बल में गंभीर प्रकृति का है और प्रत्यर्थीगण के कृत्य को विधि के प्रावधान के विरुद्ध अवैध एवं मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, याची से संघ के सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते आचरण एवं अनुशासन के उच्चतर स्तर को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है किंतु याची ऐसा करने में विफल रहा और अवांछनीय कृत्य करके अपराध किया है। जहाँ तक न्यूनतम वेतनमान घटाए जाने का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि कमांडेंट नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते बल के किसी नामदज सदस्य के न्यूनतम वेतनमान में अवगत करने का दंड अधिनिर्णीत करने के लिए पूर्णतः सक्षम है जैसा प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट डी॰ तथा ई॰ के मुताबिक अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 2001 के उपनियम (1) एवं (3) के अधीन उसे सशक्त बनाया गया है।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक एवं प्रत्यर्थी-भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री फैज-उर-रहमान सुने गए।

5. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जोर देकर तर्क किया है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने इस तथ्य का अधिमूल्यन किए बिना कि अनुपस्थिति केवल एक दिन की थी और वह भी बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण क्योंकि याची अपने पेट में भयंकर दर्द के कारण अस्पताल में भरती था जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज स्लिप, एक्स-रे रिपोर्ट द्वारा समर्थन पाता है और जाँच अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और

पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, फिर भी आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एक दिन की अनुपस्थिति के एक आरोप के लिए एक कार्यवाही में तीन दंड प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है जो कठोर, अत्याधिक एवं आरोप के अननुपातिक है, अत: ऐसा दंड का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाना चाहिए।

6. अपने तर्क के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ एवं एक अन्य बनाम बी॰ सी॰ चतुर्वेदी, (1995)6 SCC 750,** के मामले विशेषत: पैराग्राफों 18, 22, 23, 24 एवं 26, पर विश्वास किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1983)2 SCC 442,** विशेषत: पैराग्राफ 5 एवं 6 पर विश्वास किया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया है कि याची को आरोप का दोषी पाए जाने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा न्यायोचित दंड अधिनिर्णीत किया गया है और अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है, अत: अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड के आक्षेपित आदेश जिसे अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किया गया है में हस्तक्षेप करने का आधार बिल्कुल नहीं है।

8. अभिलेखों के परिशीलन पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुशासनिक कार्यवाही के आरंभ से इसके समापन तक कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं की गयी है क्योंकि जाँच अधिकारी द्वारा याची को आरोप का दोषी पाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर यादव एवं एक अन्य, 2006 (5) SCC 673,** में पैराग्राफ 4 पर अभिनिर्धारित किया कि:–

> *"4. .....;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; dk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kklfud dkjokb e gLr{ki dju dh vR;Ur lhfer xtkb'k g vkj] blfy,] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k vkj lok l c[kkLrxh d nM d ikfj.kkfed vkn'k dk vLr&0;Lr ugh fd;k tkuk pkfg,---------***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे **कृष्ण कांत बी॰ परमार बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2012)3 SCC 178,** में अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं निष्कर्षों को अस्त-व्यस्त नहीं कर सकता है।

9. अत:, पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के परिशीलन के बाद विवादास्पद प्रश्न जो इस न्यायालय द्वारा विनिश्चयकरण के लिए आया है यह है कि क्या दंड के आक्षेपित आदेश में आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर अथवा दूसरे शब्दों में दंड की मात्रा के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ एवं एक अन्य बनाम जी॰ गणयुथम, (1997)7 SCC 463,** में अभिनिर्धारित किया है कि अनुशासनिक मामले में अधिरोपित दंड के मामले में जब तक न्यायालय/अधिकरण अपनी द्वितीयक भूमिका में मत नहीं देता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर प्रशासक अतार्किक था, दंड अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल बनाम ए॰ के॰ चोपड़ा, (1999)1 SCC 759** में पैराग्राफ 22 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"....... mPp U;k;ky; dk çkfèkdkjh d Lofood d LFkku ij Lo; viuk Lofood çfrLFkkfir ugh djuk pkfg, FkkA ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e dku l k nM vfèkjkfir dju dh vko';drk Fkh] ,l k ekeyk Fkk tk vuU; :i l l{ke çkfèkdkjh dh vfèkdkfjrk d vrxr Fkk vkj ble mPp U;k;ky; }kjk fdlh gLr{ki dh vko';drk ugh FkhA mPp U;k;ky; dk ijk nf"Vdk.k xyr gA mPp U;k;ky; dk vk{kfir vkn'k doy bl vkèkkj ij l ikf"kr ugh fd;k tk ldrk gA**-----------------------*

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी॰ सी॰ चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1995)6 SCC 749,** में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक दंड का आदेश ऐसा नहीं है जो न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुँचाता है। **म॰ प्र॰ विद्युत बोर्ड बनाम जगदीश चंद्र शर्मा, (2005)3 SCC 401,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरुप दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है।

13. भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1983)2 SCC 442, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह समान रूप से सत्य है कि अधिरोपित दंड को अवचार की गंभीरता के अनुकूल होना होगा और अवचार की गंभीरता के अननुपातिक कोई दंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा।

14. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण मेरा मत है कि रिट आवेदन में इस न्यायालय की किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसे गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राजू महतो उर्फ राजू प्रसाद यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 282 of 2001. Decided on 4th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 217 वर्ष 1999 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 28.6.2001 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.6.2001 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 304B एवं 201—दहेज मृत्यु–शव की गुप्त अंत्येष्टि–दोषसिद्धि–मृतका की मृत्यु अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर अपने दांपत्य गृह में हुई और किसी शव परीक्षण के बिना उसकी अंत्येष्टि की गयी थी–उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले उसे दहेज मांग पूरी नहीं करने के लिए परेशान किया जाता था एवं यातना दी जाती थी–अपना दोष छुपाने के स्पष्ट हेतु के साथ गुप्त अंत्येष्टि की गयी थी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया–अपील खारिज। (पैराएँ 7 से 11)

निर्णयज विधि.–2000 (2) East Cr.C. 698 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Hemant Kumar Shikarwar, A.K. Choudhary, For the Appellants; Ms. Anita Sinha, For the State.

निर्णय

समस्त तीनों अपीलार्थीगण ने सत्र विचारण सं॰ 217 वर्ष 1999 में सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 28.6.2001 एवं दिनांक 29.6.2001 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का विरोध किया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन तीनों अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दस वर्षों का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। दोनों दंडादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

2. विचारण के दौरान सामने आया अभियोजन मामला निम्नलिखित है:

सूचक मोहर महतो का फर्द बयान (प्रदर्श 1) दिनांक 19.8.1999 को प्रातः 11.30 बजे कुंडा पुलिस थाना में प्रभारी अधिकारी सुभाष चंद्र सेठी द्वारा दर्ज किया गया था कि सूचक की पुत्री नशा देवी का विवाह राजू महतो के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था और विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया गया था और विवाह के बाद नशा देवी अपने ससुराल गयी और जब वह लगभग दस दिन बाद अपने ससुराल से लौटी, उसने सूचक और अपनी माता को सूचित किया कि उसके ससुराल वाले मोटरसाइकिल एवं टी॰ वी॰ की मांग कर रहे थे और उसको उन वस्तुओं के बिना ससुराल वापस नहीं आने की चेतावनी दी है। लगभग एक माह बाद, अपीलार्थी राजू महतो उसकी पुत्री के बिदाई के लिए आया और उस समय भी राजू महतो ने सूचक से मोटर साइकिल एवं टी॰ वी॰ मांगा। उसका समधी गोबिन्द महतो भी इस अवधि के दौरान आया था और उन वस्तुओं को मांगा था किंतु सूचक ने किसी प्रकार मामला शांत किया था और अपनी पुत्री को उसके ससुराल भेजा और जब कभी भी उसकी पुत्री उसके घर आती थी, वह उसने सदैव अपने ससुराल वालों की मांग दोहराती थी और वह यह भी कहा करती थी कि यदि उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देंगे। यह भी अभिकथित किया गया है कि जून माह में उसकी पुत्री पुनः उसके घर आयी और लगभग दस दिन बाद वापस गयी जब उसका पति उसकी बिदाई के लिए आया था। इस समय भी बिदाई के समय उसने सूचक को याद दिलाया था कि चूँकि मांग पूरी नहीं की गयी है, उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देंगे। दिनांक 17.8.1999 को उसके दामाद का मामा अर्जुन महतो उसके घर आया और उसकी पत्नी को सूचित किया कि उसकी पुत्री नशा देवी की मृत्यु अपने ससुराल में हो गयी है। यह सूचना पाने के बाद सूचक अपने दो पुत्रों अमीन महतो एवं बालेश्वर महतो के साथ अपनी मृतक पुत्री के ससुराल आया और गाँववालों से पूछा किंतु उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। उसके समधी गोबिन्द महतो, दामाद राजू महतो, उसकी माता अझोला देवी ने भी सूचक के समक्ष कुछ भी नहीं प्रकट किया था किंतु किसी प्रकार उसको पता चला कि उसकी पुत्री की मृत्यु दिनांक 12.8.1999 को ही हो गयी थी और उसके ससुराल वालों ने हड़बड़ी में उसका मृत शरीर जला दिया था। उक्त फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 2) लिखी गयी थी। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। अवर न्यायालय ने संज्ञान लेने के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। मृतका नशा देवी की दहेज मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन भी तीनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे।

3. तीनों अपीलार्थीगण ने बचाव लिया कि मृतका की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी और उसके पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करने के बाद मृत शरीर की अंत्येष्टि कर दी गयी थी। अपीलार्थीगण ने आरोप से इनकार किया और झूठा आलिप्त किए जाने का दावा किया।

4. आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 5 मोहन महतो सूचक है, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 अमीन महतो एवं बालेश्वर महतो मृतका के दो भाई हैं, अ॰ सा॰ 3 सह-ग्रामीण है। अ॰ सा॰ 4 स्नेहशील था। बचाव पक्ष ने इस तथ्य के समर्थन में तीन गवाहों का परीक्षण किया है कि सूचक एवं उसके पुत्र मृतका नशा देवी के मृत शरीर की अंत्येष्टि के समय उपस्थित थे। अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचक अ॰ सा॰ 5 एवं उसके दो पुत्रों अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने सिद्ध किया है कि उसकी मृत्यु के पहले मृतका को मोटरसाइकिल एवं टी॰ वी॰ की मांग पूरी नहीं करने के कारण यातना एवं परेशानी के अध्यधीन किया जाता था और कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अधीन से अन्यथा परिस्थिति में उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी। तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है क्योंकि विचारण न्यायालय इस तरह अग्रसर हुआ मानो सिद्ध करने का भार बचाव पर है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह सिद्ध करने का भार कि मृतका को दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण परेशानी और क्रूरता के अध्यधीन किया जाता था का उन्मोचन अभियोजन को करना था किंतु अभियोजन अपना भार उन्मोचित करने में विफल रहा है। दोष का निष्कर्ष जैसा विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया है पोषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि किसी भी गवाह ने सिद्ध नहीं किया है कि मृतका को अपीलार्थीगण के हाथों दहेज मांग के संबंध में अपनी मृत्यु के तुरन्त पहले क्रूरता अथवा परेशानी के अध्यधीन किया जाता था और ऐसी दशा में दहेज मांग एवं परेशानी के अस्पष्ट बयान मात्र पर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

6. प्रत्युत्तर में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्ष्य का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के बाद विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण के दोष के बारे में निष्कर्ष पर आया है और अवर न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के पहले मैं यह देखने के लिए अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण करना चाहूँगा कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष अपीलार्थीगण का दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। अ॰ सा॰ 5 मोहन महतो सूचक ने फर्दबयान में दिए गए संपूर्ण तथ्यों को लगभग दोहराया है और आगे परिसाक्ष्य दिया है कि जब कभी उसकी पुत्री उसके घर आती थी, वह उससे अझोला देवी एवं गोविन्द महतो, क्रमशः सास-ससुर, द्वारा मोटरसाइकिल एवं टी॰ वी॰ की मांग और इस तथ्य कि दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण वे सदैव मृतका से झगड़ा करते थे के बारे में सूचित किया। गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि मृतका ने उसे यह भी सूचित किया था कि दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस गवाह ने यह भी संपुष्ट किया कि उसकी पुत्री की मृत्यु उसके विवाह के लगभग एक वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी और जब वह नशा की मृत्यु की सूचना पाने के बाद उसके ससुराल आया वहाँ कोई उपस्थित नहीं था और गाँववालों से उसे पता चला कि अपीलार्थीगण ने उसकी पुत्री नशा देवी की हत्या कर दी है और मृत शरीर की अंत्येष्टि कर दी है। इस गवाह को विस्तृत प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु साक्ष्य में कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया। अन्य दो गवाहों मृतका के भाईयों अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने भी मोटर साइकिल एवं टी॰ वी॰ की दहेज के रूप में मांग संपुष्ट किया है और यद्यपि

राजू महतो को छह माह के भीतर मांग पूरी करने का आश्वासन उन लोगों द्वारा दिया गया था, अपीलार्थीगण ने उसकी बहन की हत्या कर दी। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि मृत्यु के तुरन्त पहले उनकी बहन को परेशानी एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और अपीलार्थीगण द्वारा उस पर प्रहार किया जाता था। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि जब कभी उनकी बहन अपने माएके आती थी। वह दहेज मांग और इस तथ्य कि उसकी हत्या कर दी जाएगी यदि वे मांग पूरा करने में विफल रहे, के बारे में सूचित करती थी और आगे संपुष्ट किया कि उन्होंने राजू महतो के मामा अर्जुन महतो से अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सूचना पाया। तत्पश्चात, वे अपनी मृतका बहन के ससुराल गए।

8. स्वीकृत रूप से, मृतका की मृत्यु अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर हुई जब वह अपीलार्थीगण के घर अर्थात् दांपत्य गृह में थी और स्वीकृत रूप से शव परीक्षण के बिना उसकी अंत्येष्टि की गयी थी। अपीलार्थीगण द्वारा लिया गया बचाव यह था कि डायरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गयी किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि मृतका की मृत्यु डायरिया के कारण हुई। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कागज का एक पुर्जा तक नहीं है कि अपीलार्थीगण ने उसकी मृत्यु के पहले किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था।

9. कंस राज बनाम पंजाब राज्य, 2000 (2) East Cr. C. 698 (SC) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रि–न्यायाधीश न्यायपीठ ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113B के निबंधनानुसार उपलब्ध उपधारणा और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के निबंधनानुसार व्यक्तियों को दोषी पाने पर इसके प्रभाव पर विचार किया; निम्नलिखित ध्यान में लिया गया था:–

^^fofèk t l k ;g vc fo|eku g çkoèkkfur djrh g fd tgk efgyk dh eR; fookg d lkr o"kk d Hkhrj lkekU; ifjfLFkfr;k d vèkhu l vU;Fkk ifjfLFkfr e fdlh tyu vFkok 'kkjhfjd migfr }kjk dkfjr gkrh g vkj ;g n'kk;k tkrk g fd mldh eR; d rjUr igy mldk ngt dh fdlh ekx d fy, vFkok bld lcèk e mld ifr vFkok mld fdlh lcèkh }kjk Øjrk vFkok ij'kkuh d vè;èkhu fd;k tkrk Fkk] ,lh eR; èkkjk 304B d vèkhu nMuh; gkxhA ngt eR; d vijkèk d fy, 0;fDr d fo#) nk"kflf) bfllr dju d fy, vfHk;ktu ;g fl) dju d fy, ckè; g fd%

(a) efgyk dh eR; lkekU; ifjfLFkfr;k vèkhu l vU;Fkk ifjfLFkfr e tyu vFkok 'kkjhfjd migfr }kjk dkfjr dh x;h Fkh vFkok gbl Fkh(

(b) ,lh eR; mld fookg d lkr o"kk d Hkhrj gbl Fkh(

(c) erdk dk mld ifr }kjk vFkok mld ifr d fdlh lcèkh }kjk Øjrk vFkok ij'kkuh d vè;èkhu fd;k tkrk Fkk(

(d) ,lh Øjrk vFkok ij'kkuh ngt ekx d fy, vFkok blds lcèk e gkuh pkfg,(rFkk

(e) erdk dk mldh eR; d rjUr igy ,lh Øjrk ;k ij'kkuh d vè;èkhu fd;k x;k gkA**

प्रकटत:, वर्तमान मामले में, मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अधीन से अन्यथा परिस्थिति में हुई थी और उसे दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन किया जाता था जैसा अ॰ सा॰ 5, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है और उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले अपीलार्थीगण द्वारा मोटरसाइकिल एवं टी॰ वी॰ की मांग की गयी थी। यह अभिव्यक्ति ''तुरन्त पहले'' जैसा यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में आता है, सापेक्ष शब्द है जिस पर प्रत्येक मामले की विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन विचार किए जाने की आवश्यकता है और यह शब्द एक अन्य

शब्द ''ठीक पहले'' का पर्यायवाची नहीं है। जैसा ऊपर कथन किया गया है, वर्तमान मामले की ताथ्यिक अवस्था दर्शाती है कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि संदेहपूर्ण परिस्थितियों में हुई थी। मृतका के पिता अ॰ सा॰ 5 का इस प्रभाव का साक्ष्य कि उसे दिनांक 17.8.1999 को घटना के बारे में सूचित किया गया था, को चुनौती नहीं दिया गया था यद्यपि अपीलार्थीगण ने बचाव लिया कि सूचक और उसका एक पुत्र मृतका की अंत्येष्टि के दौरान उपस्थित थे। यह एक परिस्थिति है जिसने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारी अधिमान डाला है।

10. बचाव ने अभियोजन गवाहों का साक्ष्य कि उन्हें दिनांक 17.8.1999 के पहले नशा देवी की मृत्यु की पूर्व सूचना नहीं थी को भंजित करने के लिए तीन गवाहों का परीक्षण किया। ब॰ सा॰ 1 खिरो मंडल ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि नशा देवी की मृत्यु के संबंध में सूचना राजू महतो द्वारा सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों को दी गयी थी और तत्पश्चात सूचक एवं उसका पुत्र अपीलार्थी के गाँव आए और अंत्येष्टि में भाग लिया। इस गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान कथन किया है कि पंद्रहवीं तारीख को सबेरे नशा देवी की मृत्यु हो गयी और उसी दिन दोपहर तीन बजे उसकी अंत्येष्टि की गयी थी। ब॰ सा॰ 2 कलेश्वर महतो यह कहने के लिए आगे आया है कि मृतका की मृत्यु डायरिया के कारण हुई और उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना उसके परिवार के सदस्यों को दी गयी थी। प्रति परीक्षण के दौरान, इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि किसी डॉक्टर द्वारा मृतका नशा देवी का इलाज नहीं किया गया था। ब॰ सा॰ 3 अर्जुन महतो ने नशा देवी की मृत्यु की विभिन्न तिथि दिया है और कहा है कि अपीलार्थी राजू महतो ने उसको नशा देवी की मृत्यु के बारे में चौदहवीं तारीख को सूचित किया था और तत्पश्चात उसने यह सूचना मृतका के माएके में दिया था और तत्पश्चात सूचक एवं उसका पुत्र अपीलार्थीगण के गाँव आए और अंत्येष्टि में भाग लिया। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने मृतका नशा देवी की मृत्यु की भिन्न तिथि दिया है और कहा कि उसने पंद्रहवीं तारीख को नशा देवी की मृत्यु की सूचना पायी। अत: गवाहों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन के बाद यह प्रतीत होता है कि उनके साक्ष्य संगत नहीं हैं और समस्त तीनों गवाहों ने नशा देवी की मृत्यु की विभिन्न तिथियाँ दिया है। यद्यपि अपीलार्थीगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में दिनांक 12.8.1999 को नशा देवी की मृत्यु की तिथि के रूप में दिया था। प्रकटत: बचाव गवाहों के परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अभिलेख पर मौजूद परिस्थितियों एवं बचाव गवाहों के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने मृतका का डॉक्टर द्वारा जाँच करवाने अथवा उसे डॉक्टर के पास ले जाने का जहमत नहीं उठाया था यदि वह सचमुच डायरिया से पीड़ित थी। उन्होंने उसके मृत शरीर का शव परीक्षण नहीं कराया था ताकि मृत्यु का कारण जाना जा सके। स्वीकृत रूप से, अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के अनुसार दहेज की मांग की गयी थी, जिसे पूरा नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों ने इस तथ्य को स्पष्ट कड़ी से जोड़ा कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी और उसके विवाह के एक वर्ष के भीतर उसकी दहेज मृत्यु उपदर्शित करती थी। अत: साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता था। चूँकि ये परिस्थितियाँ और अभियोजन गवाहों के साक्ष्य अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B की रिष्टि के अधीन लाएँगे, उन्हें सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है। अपीलार्थीगण ने मृतका के पिता अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद और उसकी अंत्येष्टि के पहले सूचित नहीं किया था और इसे अपना दोष छुपाने के स्पष्ट हेतु के साथ किया गया था। मैं पाता हूँ कि दहेज मांग, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B लागू करने के लिए अनिवार्य है, तीनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्थापित किया गया है।

परिणामस्वरुप, मेरा सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201 के अधीन दोषसिद्ध करने में बिल्कुल न्यायोचित था और दंडादेश के आदेश में भी हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है।

11. तद्नुसार, इस अपील को खारिज किया जाता है। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि समस्त तीनों अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, अतः उनका जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। तीनों अपीलार्थीगण को दंडादेश की शेष अवधि पूरा करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय को आगे समस्त प्रपीड़क कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, यदि अपीलार्थीगण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने में विफल होते हैं।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

राम प्रवेश यादव

cuke

पार्वती देवी

F.A. No. 186 of 2013. Decided on 7th January, 2015.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1959—धारा 25—तलाक कार्यवाही–अपीलार्थी ने भरण-पोषण मामले में पक्षों के बीच हुए सुलह के आधार पर एवं एकमुश्त भरण-पोषण के रूप में 1,05,000/- रुपयों का भुगतान किया है–प्रत्यर्थी 45,000/- रुपयों की राशि स्वीकार करने की इच्छुक है क्योंकि प्रत्यर्थी के एकमुश्त भरण-पोषण के लिए 1,05,000/- रुपयों की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है–अपीलार्थी को 45,000/- रुपया प्रत्यर्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

अधिवक्तागण.–Mr. Bhola Nath Rajak, For the Appellant; Mr. Pravin Kumar Rana, For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह प्रथम अपील वैवाहिक वाद सं॰ 204 वर्ष 2010 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित 7.8.2013 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूल आवेदक है जिसने पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए आवेदन दिया है और अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि भरण-पोषण याचिका केस सं॰ 4 वर्ष 2008 में पक्षों के बीच हुए सुलह के आधार पर एकमुश्त भरण-पोषण के रूप में 1,05,000/- रुपयों की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और, इसलिए, 1,50,000/- रुपयों के बजाए अब केवल 45,000/- रुपया अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को दिया जाना है।

3. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षतः निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी 45,000/- रुपयों की राशि स्वीकार करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है क्योंकि प्रत्यर्थी के एकमुश्त भरण-पोषण के लिए 1,05,000/- रुपयों की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री उक्त सीमा तक उपयुक्त रूप से उपांतरित की जा सकती है।

4. दोनों पक्षों के अधिवक्ता के इस सीमित निवेदन की दृष्टि में और इस तथ्य को भी देखते हुए कि भरण-पोषण याचिका केस सं॰ 4 वर्ष 2008 में पक्षों के बीच हुए सुलह की दृष्टि में एकमुश्त भरण-पोषण के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को पहले ही 1,05,000/- रुपयों का भुगतान कर दिया है,

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत राशि एतद् द्वारा उपांतरित की जाती है कि 1,50,000/- रुपयों के बजाए अब यह केवल 45,000/- रुपया होगी और प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो के आदेश का शेष भाग जैसा यह है वैसा अक्षुण्ण बना रहेगा।

5. हम अपीलार्थी को एतद् द्वारा आज के दिन से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को 45,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को यह आदेश संसूचित किया जाएगा ताकि पूर्वोक्त समय सीमा के भीतर 45,000/- रुपयों की राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रत्यर्थी को किया जा सके।

6. पूर्वोक्त सीमा तक यह प्रथम अपील अनुज्ञात की जाती है और अंतर्वर्ती आवेदन, यदि हो, निपटाया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

लालो सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 317 of 2004. Decided on 12th February, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 68 वर्ष 2001/सत्र विचारण सं॰ 69 वर्ष 2001 में श्री इबरार हसन, सत्र न्यायाधीश, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 23.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.12.2003 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया–सूचक जो चश्मदीद गवाह है का परिसाक्ष्य एक अपीलार्थी द्वारा मृतक के मस्तक पर फरसा से प्रहार जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया के बिंदु पर संगत है–सूचक का परिसाक्ष्य दूसरे अभियुक्त द्वारा मृतक के पेट पर भाला से प्रहार जिसके बाद अभियुक्त लुखरी सिंह द्वारा मृतक के गाल पर फरसा से दूसरा वार और आगे मृतक की जांघ पर लालो सिंह द्वारा भाला से प्रहार के बिंदु पर संगत है जिस कारण मृतक बेचैन हो गया और हल्ला करने के बाद बेहोश हो गया और उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा–अ॰ सा॰ ने न केवल सूचक के परिसाक्ष्य को संपुष्ट किया है बल्कि उन्होंने उनका पीछा करने पर अभियुक्तगण को घटनास्थल से भागते हुए भी देखा–उपहतियों की प्रकृति चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित की गयी है–पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने के समय अस्पष्टता स्पष्टतः अ॰ सा॰ 9 के बयान से बनायी गयी है–फर्दबयान के आधार पर अभियोजन द्वारा बनाया गया मामला विचारण के दौरान संगत है और सूचक द्वारा पूरी तरह सिद्ध किया गया है–चश्मदीद गवाह का साक्ष्य अन्य अ॰ सा॰ द्वारा सम्यक रूप से संपुष्ट किया गया है जो हल्ला सुनकर घटनास्थल पर पहुँचे और दोनों अभियुक्तगण को घटनास्थल से फरसा एवं भाला के साथ भागते हुए भी देखा–अपील खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Anand Kr. Sinha, Vijay Shankar Jha, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–दोनों अभियुक्त/अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए गए और उनको सत्र विचारण सं॰ 68 वर्ष 2001/सत्र विचारण सं॰ 69 वर्ष

2001 में श्री इबरार हसन, सत्र न्यायाधीश, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 23.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.12.2003 के दंडादेश द्वारा आजीवन कारावास भुगतने के लिए दंडादेशित किए गए। उन्होंने वर्तमान अपील दाखिल किया है।

2. सूचक लाटो महतो मृतक लालजीत महतो का पुत्र है जिसने दिनांक 11.10.2000 को प्रात: 10 बजे जिला कोडरमा के अधीन सतगावाँ पुलिस थाना के प्रभारी–अधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान दिया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन प्राथमिकी अर्थात् सतगावाँ पी॰ एस॰ केस सं॰ 40 वर्ष 2000 के संस्थापन की ओर ले गया। सूचक के फर्दबयान से सामने आने वाला अभियोजन मामला यह है कि सूचक अन्य बातों के साथ अभिकथित करता है कि सूचक लाटो महतो के पास ग्राम जोगीडीह बधार में पहाड़ी नाला के पश्चिमी भाग पर भूखंड है। उसके भूखंड के उत्तरी भाग में अभियुक्त–अपीलार्थीगण लालो सिंह एवं लुखरी सिंह द्वारा खेती की जा रही 'गैर मजरुआ' भूमि है। फर्दबयान दर्ज करने के चार दिन पहले लालो सिंह खेत में हल चला रहा था और लुखरी सिंह जो मेढ़ काट रहा था, सूचक के खेत में आया। सूचक का पिता मृतक लालजीत महतो भी खेत जोत रहा था और सूचक तथा उसका भाई प्रभु महतो वहाँ से घास हटा रहे थे। जब लुखरी सिंह सूचक के खेत में आया, सूचक के पिता ने विरोध किया किंतु दोनों अभियुक्तगण ने उसको गाली दिया और पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। महावीर महतो जो बगल के खेत में काम कर रहा था वहाँ आया और मध्यक्षेप किया जिसके परिणामस्वरुप कोई प्रहार नहीं हुआ था किंतु दोनों अभियुक्तगण ने लालजीत महतो की हत्या करने की धमकी दी। सूचक और उसके परिवार के सदस्यों ने धमकी को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था।

3. आगे यह अभिकथित किया गया है कि चूँकि अभिकथित घटना के पहले पिछले 3-4 दिन से लालजीत महतो खेत में खाद डालने के प्रयोजन से गोबर संग्रहित किया करता था और भूखंड के ऊपर खड़े मचान पर सोता था। दिनांक 10.10.2000 की रात्रि लगभग 8 बजे सूचक अपने पिता के लिए भोजन खेत में ले गया और जब लालजीत महतो मचान पर खाना खा रहा था, सूचक मचान के पूर्वी भाग पर लगभग 20 गज दूर अवस्थित नाला के बगल से पानी लाने गया। किंतु जब वह पानी लेकर लौट रहा था, अभियुक्त लुखरी सिंह फरसा लिए और लालो सिंह भाला लिए पड़ोस के आहर से आए और मचान तक गए। उन्होंने लालजीत महतो को मचान से खींचा और जबरन उसको नाला के निकट अवस्थित 'गैर मजरुआ' भूमि पर लाए और वहाँ लुखरी सिंह ने फरसा से उस पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप उसका मस्तक फट गया और वह गिर गया। लालो सिंह ने उसके पेट में भाला मारा। लुखरी सिंह ने पुन: उसके गाल पर फरसा का वार किया जिसका परिणाम गाल कटने में हुआ और उस समय लालो ने पुन: सूचक के पिता की जांघ पर भाला मारा। सूचक का पिता प्रारंभिक चिल्लाहरों के बाद, अनेक प्रहार के कारण गिर गया और उससे खून बहने लगा और वह अचेत हो गया। तत्पश्चात सूचक वहाँ पहुँचा और बाल्टी से लुखरी सिंह पर प्रहार किया। लालो ने भी सूचक पर भाला फेंका किंतु इसका परिणाम किसी उपहति में नहीं हुआ। उस समय चांदनी रात थी। तत्पश्चात सूचक हल्ला करते हुए वहाँ से भाग गया। तब महाबीर महतो एवं मंटू महतो जो अपना धान का खेत सींच रहे थे भी वहाँ आए और तत्पश्चात सूचक उनके साथ पहाड़ी नाला की ओर दौड़ा, तत्पश्चात लालो सिंह एवं लुखरी सिंह गाली देते हुए अपने गाँव की ओर भाग गए। मंटू महतो एवं महाबीर महतो दोनों ने दोनों अभियुक्तगण को भागते देखा था और उनको पहचाना भी था। तत्पश्चात सूचक एवं अन्य उसके पिता के पास वापस आए जिसे मृत पाया गया था। चूँकि देर रात थी और सकरी नदी में काफी पानी था, सूचक रात में पुलिस थाना नहीं जा सका था किंतु कुछ सूचना पर पुलिस सुबह आयी और तत्पश्चात, प्रात: 10 बजे वर्तमान फर्दबयान दर्ज किया गया था।

4. अन्वेषण पूरा करने पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/302/34 के अधीन संज्ञान लेने के बाद दिनांक 27.8.2001 को मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अभियुक्तगण ने निर्दोषिता का अभिवचन किया जिसके बाद विचारण आरंभ हुआ। बचाव पक्ष ने अन्यत्र मौजूद होने का अभिवचन किया और निर्दोषिता का अभिवचन किया और कथन किया कि लुखरी सिंह गाँव विशनीदि में था जबकि अभियुक्त लालो कलकत्ता में था। बचाव पक्ष ने अपनी ओर से 5 गवाह का परीक्षण किया।

5. अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 1 पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अ॰ सा॰ 5 लाटो महतो सूचक और मृतक लालजीत महतो का पुत्र है। अपने अभिसाक्ष्य में उसने कथन किया था कि दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि की 8 बजे वह अपने पिता मृतक लालजीत महतो के लिए अपने खेत में भोजन लेकर गया था जहाँ उसका पिता खेत की रखवाली के लिए रुका हुआ था। खेत में खाना रखने के बाद वह नदी से पानी लाने गया जहाँ उसने अपने पिता का शोर सुना। जब वह घटनास्थल के निकट पहुँचा, उसने लुखरी सिंह एवं लालो सिंह को अपने पिता पर प्रहार करते देखा। लुखरी ने फरसा से प्रहार किया और लालो ने मृतक के पेट में भाला घोंपा। सूचक द्वारा हल्ला किए जाने पर, महाबीर महतो और छोटू महतो ने दोनों अभियुक्तगण को घटनास्थल से भागते देखा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया था कि वह रात में अपने पिता के मृत शरीर के बगल में बना रहा जबकि नसीरगंज पुलिस थाना को सूचना भेजी गयी थी जिस पर पुलिस अन्वेषण के लिए सुबह आयी जब लुखरी सिंह पकड़ा गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के चार दिन पहले अभियुक्तगण और उसके पिता के बीच झगड़ा हुआ था जिन्होंने उसको भद्दी भाषा में गाली दिया था और धमकी दिया था कि उसी भूखंड पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। उस बिंदु पर महाबीर महतो ने मध्यक्षेप किया और उनको अलग किया। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसके पिता के पाँच भाई थे, मंगल महतो उसका दादा है और महाबीर महतो उसका चाचा हैं। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उनके खेत एवं 'गैर मजरुआ' भूमि के बीच मेढ़ है और उसका पिता अभिकथित घटना के आठ दिन पहले से खेत की रखवाली कर रहा था। नाला जहाँ से वह पानी लाने गया था घटनास्थल से 50 गज की दूरी पर है।

अ॰ सा॰ 2 महाबीर महतो ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 10.10.2000 को रात्रि 8 बजे वह घटनास्थल से 10 बाँस की दूरी पर अपने खेत की सिंचाई कर रहा था जब उसने लाटो महतो का हल्ला सुना और दौड़ कर घटनास्थल पर गया जहाँ उसने दो बाँस की दूरी से लुखरी सिंह एवं लालो सिंह को भागते देखा। इस पर उसने छोटू महतो, धनेश्वर महतो और मंटू महतो के साथ कुछ दूरी तक उनका पीछा किया। लुखरी सिंह फरसा से लैस था और लालो सिंह भाला से लैस था। चूँकि वे आहर खेत में घुस गए, उनको पकड़ा नहीं जा सका था। तत्पश्चात, वह घटनास्थल पर आया और अपने भाई लालजीत महतो को बेचैन दशा में पाया। उसने आगे कथन किया कि लालजीत महतो ने उसको सूचित किया था कि लुखरी एवं लालो ने उस पर प्रहार किया है। उसने लालजीत महतो के शरीर पर अनेक उपहति पाया जिसकी मृत्यु आधा घंटा बाद हो गयी। उसने आगे कथन किया है कि सुबह में गाँववालों ने पुलिस को सूचित किया और तत्पश्चात जब पुलिस आयी, लुखरी का पीछा किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था। मृतक लालजीत महतो का मृत शरीर नसीरगंज पुलिस थाना लाया गया था और तत्पश्चात शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। उसने आगे कथन किया है कि अभिकथित घटना के 3/4 दिन पहले अभियुक्त व्यक्तियों एवं लालजीत महतो के बीच झगड़ा प्रारम्भ हुआ था जब उसने मध्यक्षेप किया था और उनको अलग किया था। उस दिन अभियुक्तगण ने लालजीत महतो को धमकी दिया था कि उसकी

हत्या कर दी जाएगी। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्तगण का घटना स्थल के निकट खेत है जो उनके कब्जा में है। उसने आगे कथन किया है कि घटना की तिथि पर चांदनी रात थी।

अ॰ सा॰ 3 छोटू महतो ने कथन किया है कि दिनांक 10.10.2000 को रात्रि 8 बजे जब वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, उसने अपने भतीजा लाटो महतो का हल्ला सुना। तत्पश्चात, वह धनेश्वर महतो, महाबीर महतो आदि घटनास्थल की ओर दौड़े और लुखरी सिंह एवं लालो सिंह को देखा जिसका पीछा उनके द्वारा किया गया था किंतु वे आहर खेत में भाग गए। लौटने पर उसने लालजीत महतो को बेचैन दशा में पाया और घायल लालजीत महतो द्वारा उसको सूचित किया गया था कि लुखरी सिंह एवं लालो सिंह ने उस पर प्रहार किया था। तत्पश्चात आधा घंटा बाद लालजीत महतो की मृत्यु हो गयी। उसने यह कथन भी किया है कि अभिकथित घटना के 2-4 दिन पहले अभियुक्तगण एवं मृतक लालजीत महतो के बीच झगड़ा हुआ था जब महाबीर महतो ने स्थिति से बचने के लिए मध्यक्षेप किया था किंतु अभियुक्तगण ने लालजीत महतो की हत्या करने की धमकी दी।

अ॰ सा॰ 4 धनेश्वर प्रसाद यादव भी हल्ला सुनने पर महाबीर महतो तथा छोटू महतो के साथ लालजीत महतो के खेत में जाने का दावा करता है जब उसको सूचित किया गया था कि अभियुक्तगण लुखरी सिंह एवं लालो सिंह लालजीत महतो पर प्रहार करने के बाद भाग रहे थे। किंतु वह कथन करता है कि उसने अभियुक्तगण को भागते हुए नहीं देखा था।

अ॰ सा॰ 9 बलदेव महतो ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह मृतक लालजीत महतो का सगा भाई है और काफी पहले बँटवारा के बाद उससे अलग हो गया था। वह हल्ला सुनने के बाद घटनास्थल पहुँचने का और अभियुक्तगण को भागते देखने का दावा करता है। उसने भी अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना के लगभग एक सप्ताह पहले अभियुक्तगण एवं लालजीत महतो के बीच झगड़ा हुआ था जब अभियुक्तगण ने मृतक लालजीत महतो को धमकी दिया था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। किंतु वह कथन करता है कि सूचक लाटो महतो ने उसको सूचित किया था कि अभियुक्तगण लुखरी सिंह एवं लालो सिंह द्वारा भाला एवं तलवार से उसके पिता पर प्रहार किया गया था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया कि वह रात में 11 बजे पुलिस थाना गया था किंतु प्रभारी अधिकारी ने कथन किया कि वह रात में जाने में सक्षम नहीं होगा बल्कि अगली सुबह 8 बजे घटना स्थल पर आएगा। तब वह रात भर डाकबंगला में रुका रहा और सुबह में आया। प्रभारी अधिकारी प्रातः 8 बजे घटनास्थल की ओर रवाना हो गया था जबकि वह पैदल पहुँचा था। उसने आगे कथन किया है कि उसने रात में 9 बजे पुलिस थाना छोड़ा था और वहाँ रात 11 बजे पहुँचा था।

प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि ग्राम जोगीडीह बधार अर्थात् सूचक के गाँव से पुलिस थाना की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है।

अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ कृष्ण प्रसाद चिकित्सा अधिकारी है जिसने मृतक लालजीत महतो के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और बाह्य परीक्षण पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहति पाया है:–

(i) eLrd d nk, Hkkx ij 2½" x 3/4" x Ropk rd xgjk dVu dk t[eA

(ii) dku d uhp xnu d ck, Hkkx ij 3" x 3/4" x Ropk rd xgjk dVu dk t[eA

(iii) pgj d ck, Hkkx ij 1½" x 1/2" x Ropk rd xgjk dVu dk t[eA

(iv) iV d ck, Hkkx ,o Nkrh ij 1/2"-1" x 1/4" x Ropk rd xgjk dVu dk vud t[eA

(v) Dyfody d fudV Nkrh d ck, Hkkx ij 2" x 1/4" x dfoVh rd xgjk fNfnr t[eA

(vi) iV ij 1/4" ck, vkj ukfHk d Åij 2" x 3/4" x dfoVh rd xgjk fNfnr t[eA

(vii) ck;h ckg] nk;h vxckg ,o ck, ij ij 1/4" 1"x1/4" x Ropk rd xgjk dVu dk vud t[eA

phj QkM dju ij mUgku fuEufyf[kr ik;k&

eLrd&nk, pcj e jDr Fkk vkj ck;k pcj [kkyh FkkA

QQMk&QVk gvk rFkk fuLrt

;Ñr&QVk gvk rFkk fuLrt

lyhgk ,o xnk&QVk gvk rFkk fuLrt

iV&QVk gvk vkj vèkipk Hkkt u vrfo"V Fkk

e=k'k;&[kkyh

efLr"d&fuLrt

mnj dfoVh e tek gvk jDr ektn FkkA

चिकित्सा अधिकारी के मत में मृत्यु पूर्वोल्लिखित उपहतियों के कारण हेमरेज एवं आघात के कारण शव परीक्षण के 36 घंटे के भीतर कारित हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि भोजन के तुरन्त बाद पाचन शुरू हो जाता है।

अ॰ सा॰ 7 सुरेश दूबे, एस॰ आई॰ अन्वेषण अधिकारी है जिसने कथन किया है कि वह अफवाह से जाना कि दिनांक 11.10.2000 को सायं 7.15 बजे ग्राम जोगीडीह बधार में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है। उसने सनहा दर्ज किया और पुलिस दल के साथ उक्त गाँव गया और सूचक लाटो महतो का फर्दबयान दर्ज किया जिसे प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसे मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 5 भी तैयार किया और अभिग्रहण सूची प्रदर्श 4 तैयार करने के बाद गवाहों की उपस्थिति में घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया। उसने लालजीत महतो का मृत शरीर घटनास्थल पर पड़ा पाया जो 'गैर मजरुआ' भूमि है जिस पर ग्राम बिसनीडीह का छोटू सिंह खेती कर रहा है। उसने यह कथन भी किया है कि मृतक लालजीत महतो का खेत घटनास्थल के बगल में है। एक मेड़ दोनों भूमि को अलग करता है। उसने घटना स्थल से पश्चिमी भाग पर 100 गज की दूरी पर अवस्थित सूचक के खेत में गोबर भी पाया। उक्त खेत के पूर्वी भाग पर मचान है। मृत शरीर उक्त मचान के पूर्वी भाग पर 50 गज दूर पड़ा था। घटना स्थल से 10-12 गज की दूरी पर एक नाला है।

अ॰ सा॰ 8 रमेश प्रसाद सिंह प्रभारी अधिकारी है जिसने दिनांक 6.11.2000 को अन्वेषण अपने हाथ में लिया और दिनांक 3.12.2000 को प्राथमिकी में नामित दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। वह आगे कथन करता है कि उसने किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया था और किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया था।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि अ॰ सा॰ 5 सूचक अभिकथित घटना का चश्मदीद गवाह है जिसने दोनों अभियुक्तगण लुखरी सिंह एवं लालो सिंह को फरसा एवं भाला से अपने पिता पर प्रहार करते देखा था जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया है कि

अ॰ सा॰ 2 एवं 3 सूचक का हल्ला सुनने पर घटनास्थल पर आए थे और फरसा एवं भाला से लैस अभियुक्तगण को भागते देखा था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 9 के अभिसाक्ष्य पर विचार किया है जिसे भी लाटो महतो का हल्ला सुनकर घटनास्थल पर आया और लुखरी सिंह तथा लालो सिंह को भागते हुए देखा गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 5, 2, 3 एवं 9 के बयानों को विचार में लिया जिन्होंने कथन किया है कि अभिकथित घटना के चार दिन पहले अभियुक्तगण एवं मृतक लालजीत सिंह के बीच झगड़ा हुआ था जब उन्होंने उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। किंतु अ॰ सा॰ 2 के मध्यक्षेप पर उन्हें अलग किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव गवाहों ब॰ सा॰ 1, ब॰ सा॰ 2, ब॰ सा॰ 4 एवं ब॰ सा॰ 5 के अभिवचन पर भी विचार किया है और पूर्वोक्त बिंदु पर उनका साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी पाया है। उनके बयान पूर्णत: विश्वास किए जाने योग्य नहीं पाए गए थे। यद्यपि बचाव पक्ष अभियुक्तगण द्वारा कारित चार उपहतियों के बिंदु पर सूचक के परिसाक्ष्य की तुलना में डॉक्टर द्वारा मृतक पर पायी गयी अनेक उपहतियों से संबंधित विवाद्यक उठता हुआ प्रतीत होता है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि सूचक एवं अन्य गवाहों ने कथन नहीं किया था कि उन्होंने वस्तुत: मृतक के मृत शरीर पर कारित उपहतियों को वस्तुत: गिना था बल्कि मृत शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ तेज धार वाले हथियार के कारण हुई थीं और अनेक थीं जैसा डॉक्टर द्वारा पाया गया है जो मृतक पर अभियुक्तगण द्वारा फरसा एवं भाला से प्रहार के मौखिक परिसाक्ष्य को संपुष्ट कर रहा था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन मामले पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं पाया था और इस आधार पर कि अभिकथित घटना की सूचना घटना की रात में ही पुलिस को दी गयी थी किंतु फर्दबयान सुबह 10 बजे दर्ज किया गया था, वास्तविक प्राथमिकी के संस्थापन से संबंधित बचाव पक्ष द्वारा किए गए अभिवचन पर विश्वास करने का कारण नहीं पाया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य पर पाया कि सुबह 7 बजे अफवाह सुनने पर पुलिस घटना स्थल पर गयी थी और दिनांक 11.10.2000 को प्रात: 10 बजे फर्दबयान दर्ज किया था। विद्वान विचारण न्यायालय आश्वस्त नहीं था कि घटना स्थल पर जाने से पहले अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया बताया गया सनहा के गैर-प्रस्तुतीकरण के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा इंगित किए गए लघु विरोधाभास सम्पूर्ण अभियोजन मामला अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त थे। यह इस निष्कर्ष पर भी आया है कि मात्र इसलिए कि कुछ गवाह सूचक से संबंधित थे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अन्यथा स्वाभाविक था और इसे विचारण न्यायालय के समक्ष उनके परिसाक्ष्यों से सिद्ध किया गया है। अभियोजन गवाह सं॰ 2 एवं 3 ने स्पष्टत: अभियोजन मामले का समर्थन किया कि वे हल्ला सुनकर अपने-अपने खेतों से घटनास्थल पर आए जहाँ वे काम कर रहे थे।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ की सहायता से अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्य का विश्लेषण किया है और पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है। अभियोजन मामले की सत्यता की परीक्षा करने के अपने प्रयास में हमारे द्वारा प्रासंगिक तात्विक साक्ष्य का पुनर्आकलन सूक्ष्मतापूर्वक इस निष्कर्ष पर आने के लिए किया गया है कि क्या दोनों वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पूरी तरह अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है। जैसी चर्चा यहाँ ऊपर की गयी है, अभियोजन गवाहों के निवेदनों के संवीक्षण एवं विश्लेषण से सूचक लाटो महतो, पुत्र मृतक लालजीत महतो की घटनास्थल के निकट

उपस्थिति, जब अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा प्रहार किया गया था, को संदेहपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। रात में 8 बजे, जैसा प्राथमिकी में विवरण दिया गया है, सूचक का पिता खेत की रखवाली के लिए और रात में खाद देने का काम पूरा करने के लिए मचान पर था जहाँ वह अभिकथित घटना के पहले पिछले 3-4 दिन से रुका हुआ था। रात के आठ बजे सामान्यत: गाँव वाले अपना भोजन करते हैं और सूचक मृतक का पुत्र होने के नाते स्वाभाविक क्रम में अपने पिता के लिए खेत में खाना ले गया था जहाँ मृतक लालजीत महतो उनके द्वारा बनायी गयी मचान पर ठहरा हुआ था। जैसा सूचक एवं अन्य के परिसाक्ष्य से पाया गया है, यह चांदनी रात थी और जब सूचक नदी जो मचान के पूर्वी भाग से 20-50 गज पर थी के निकट से पानी लाने गया था, ये दोनों अभियुक्त अपीलार्थीगण अर्थात् लुखरी सिंह एवं लालो सिंह अपने निकट के खेत में आए थे और मृतक लालजीत महतो को मचान से खींचा था और उसको नाला के निकट अवस्थित 'गैर मजरुआ' भूमि पर लाए थे। तत्पश्चात, सूचक का परिसाक्ष्य अपने पिता लालजीत महतो के मस्तक पर लुखरी सिंह द्वारा फरसा से प्रहार के बिंदु पर संगत है जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया। सूचक का परिसाक्ष्य लालो सिंह द्वारा भाला से मृतक लालजीत महतो के पेट पर प्रहार के बिंदु पर भी संगत है जिसके बाद अभियुक्त लुखरी सिंह द्वारा गाल पर फरसा का एक अन्य वार किया गया था तथा लालो सिंह द्वारा मृतक की जांघ पर भाला से प्रहार किया गया था। इस पर सूचक का पिता बेचैन हो गया और हल्ला करने के बाद उससे तेजी से खून बहने लगा जिससे वह बेहोश हो गया।

अपने परिसाक्ष्य के माध्यम से अ॰ सा॰ 2 एवं 3 ने न केवल सूचक के परिसाक्ष्य को संपुष्ट किया है बल्कि उन्होंने अभियुक्तगण को उनका पीछा किए जाने पर घटनास्थल से भागते हुए भी देखा है। मृतक के शरीर पर कारित उपहतियाँ चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतक के शरीर पर पायी गयी अनेक मृत्युपूर्व उपहतियों का परिणाम है जो दोनों अभियुक्तगण द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तक, गर्दन, बायीं ओर के चेहरे, छाती, पेट, पेट एवं छाती के बाएँ भाग पर पंक्चर जख्म पर बार-बार प्रहार संपुष्ट करता है। उपहति की प्रकृति ऐसी थी जिसे फरसा जैसे तेज धार वाले हथियार और भाला जैसे नुकीले हथियार द्वारा कारित की जा सकती है जिसे सूचक द्वारा अभियुक्तगण लुखरी सिंह एवं लालो सिंह द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया है जिसने उनको नजदीक से चांदनी रात में, अपने पिता पर प्रहार करते देखा था। अ॰ सा॰ 5 सूचक के साक्ष्य एवं फर्दबयान में किए गए निवेदन से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस केवल सुबह में आयी यद्यपि अ॰ सा॰ 9 को रात में घटना स्थल से 10-12 कि॰ मी॰ की दूरी पर स्थित पुलिस थाना को सूचना देने के लिए जाता हुआ और रात 11 बजे पहुँचा बताया जाता है। सूचक का फर्दबयान में बयान कि चूँकि रात थी, अत: वह अपने पिता के मृत शरीर के बगल में रूका रहा और चूँकि सकरी नदी में काफी पानी था, वह केवल अगली सुबह अपना फर्दबयान दे सका था जब प्रभारी अधिकारी सुबह 10 बजे घटनास्थल पहुँचा था, अगले दिन प्राथमिकी के संस्थापन से संबंधित कोई संदेह सृजित करता नहीं कहा जा सकता है। सूचक अ॰ सा॰ 5 के परिसाक्ष्य, जब इसको अ॰ सा॰ 3 एवं 4 के परिसाक्ष्य के साथ पढ़ा जाता है और चिकित्सा अधिकारी अ॰ सा॰ 6 द्वारा मृतक के मृत शरीर पर पायी गयी घातक मृत्यु पूर्व उपहति अभियोजन मामले को स्पष्टत: स्थापित करती है जैसा सूचक के फर्दबयान पर दर्ज

प्राथमिकी में प्रारंभ में बनाया गया है कि दोनों अभियुक्तगण ने दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में 8 बजे खेत में सूचक के पिता पर फरसा एवं भाला से गंभीर प्रहार किया गया था जब सूचक अपने पिता को भोजन देने गया था और मचान के पूर्वी भाग पर स्थित नाला के निकट से पानी लाने गया था।

अन्यत्र होने का अभिवचन अभियुक्तगण को बचाने के लिए बचाव पक्ष द्वारा किया गया कमजोर अभिवचन है और इस मामले में समस्त तात्विक साक्ष्य और इस बिंदु पर दिए गए 4 बचाव गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने पर हम पाते हैं कि अभिवचन बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस बिंदु पर ब॰ सा॰ के बयानों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से एक-दूसरे का विरोधाभासी पाया गया है। यद्यपि ब॰ सा॰ 1, 2, 4 एवं 5 ने कथन किया है कि दिनांक 10.10.2000 को लालो सिंह कलकत्ता में था और लुखरी सिंह ग्राम बिसनी डीह में था। प्रति परीक्षण में ब॰ सा॰ 1 प्रकट नहीं कर सका था कि लालो सिंह किसी तिथि पर गाँव आया अथवा पाँच वर्षों के दौरान वहाँ से लौटा था। वह नहीं कह सका था कि विगत दो अवसरों पर किन तिथियों पर वह ग्राम बिसनीडीह गया था। ब॰ सा॰ 1 स्वयं का कलकत्ता का निवासी होने का दावा करता है किंतु वह नहीं कह सका था कि लालो सिंह कलकत्ता में कहाँ फुचका बेचता था यद्यपि उसने स्वीकार किया है कि अंतिम बार वह लालो सिंह से दिनांक 10.10.2000 अर्थात् घटना की तिथि के पहले मिला था। ब॰ सा॰ 2 अपने प्रति परीक्षण में यह कहने में विफल रहा कि उसके साथ कौन सह-ग्रामीण थे और किस अवधि के दौरान वे दिनांक 10.10.2000 को उसके साथ थे। ब॰ सा॰ 4 अपने प्रति-परीक्षण में वह तिथि नहीं बता सका था जिस पर लालो सिंह अंतिम बार वर्ष 2000 में उससे मिला था। वह अन्य प्रासंगिक तिथि भी बताने में प्रति परीक्षण के दौरान अक्षम रहा। ब॰ सा॰ 5 का परिसाक्ष्य संदेहपूर्ण है।

यद्यपि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सूचक द्वारा घटना की तिथि की रात्रि में अर्थात् दिनांक 10.10.2000 को अथवा वस्तुतः अगली तिथि पर घटना से संबंधित पुलिस को दी गयी प्रथम सूचना के संबंध में संदेह का तत्व सृजित करने का श्रमसाध्य प्रयास किया किंतु अपने फर्दबयान में सूचक के बयान सह-पठित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए परिसाक्ष्य और अ॰ सा॰ 9 के बयान पर विचार करते हुए हम कोई अस्पष्टता नहीं पाते हैं, जहाँ तक पुलिस को दी गयी प्राथमिकी के समय का संबंध है। अ॰ सा॰ 9 के बयान से यह स्पष्टतः बनाया गया है कि यद्यपि वह दिनांक 10.10.2000 की रात में पुलिस थाना गया था किंतु पुलिस वस्तुतः ग्राम जोगीडीह बधार में व्यक्ति की हत्या का अफवाह सुनकर अगली सुबह 7 बजे घटनास्थल पर गयी थी। केवल जब 10 बजे सुबह पुलिस घटना स्थल पर आयी, सूचक का फर्दबयान गाँव में दर्ज किया गया था। अतः, उक्त फर्दबयान के आधार पर अभियोजन द्वारा बनाया गया मामला विचारण के दौरान संगत रहा है और चश्मदीद गवाह सूचक द्वारा पूरी तरह सिद्ध किया गया है जिसे अ॰ सा॰ 2, 3 जैसे अन्य गवाहों द्वारा सम्यक रूप से संपुष्ट किया गया है जो हल्ला सुनकर घटनास्थल पर आए थे और दोनों अभियुक्तगण को फरसा एवं भाला के साथ घटनास्थल से भागते देखा था।

8. अतः हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है। हम दोनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास अधिनिर्णीत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

बिपिन बिहारी सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(S) No. 6243 of 2014. Decided on 21st May, 2015.

झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011—प्रोन्नति के रूप में निदेशक, खान के पद पर नियुक्ति–नियमावली वर्ष 2011 में संशोधन के अनुसरण में निदेशक का पद एक्स-कैडर पद घोषित किया गया है–याची यह दर्शा नहीं सका था कि पहले प्रचलित नियमों के आधार पर सांविधिक समय सीमा के अंतर्गत खान निदेशालय में उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति कार्य संचालित करने के प्रति सांविधिक निषेध था–याची को पहले ही प्रदान की गयी प्रोन्नति वापस नहीं ली गयी है–कोई निहित अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता है क्योंकि प्रोन्नति का अवसर सेवा की शर्त नहीं है–विभाग द्वारा किए गए मांग पर अब जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा भरे जाने वाले निदेशक के पद पर नियुक्ति इप्सित करने से याची अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वर्जित नहीं किया गया है–संप्रेक्षणों के साथ रिट याचिका निपटायी गयी। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–JT 2015 (3) 423 (SC)—Relied; (1983) 3 SCC 284; 1991 Supp. (2) SCC 363; (2013) 4 SCC 169—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Delip Jerath, Rajesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Mohan Kr. Dubey, For the Resp.-State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट आवेदन में याची अपने मामले पर विचार कराकर, क्योंकि वह खान निदेशालय में वरीयतम अधिकारी है, प्रोन्नति के रूप में निदेशक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और कि प्रोन्नति के प्रयोजन से दिनांक 25.10.2014 की अधिसूचना अर्थात् झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 (जैसा वर्ष 2014 में संशोधित किया गया है) याची के मामले के प्रति अप्रयोज्य अभिनिर्धारित की जाए, इस न्यायालय के पास आया है। निदेशक का पद खाली पड़ा है तथा 1.4.2008 से याची द्वारा कार्यसंचालन क्षमता से इसे ग्रहण किया था।

3. जैसा पक्षों के निवेदनों और न्यायालय के ध्यान में लाए गए कतिपय प्रासंगिक सामग्रियों से प्रतीत होता है, दिनांक 25.10.2014 की अधिसूचना के पहले निदेशक का पद 2011 नियमावली के मुताबिक भी कैडर स्ट्रक्चर का भाग था। किंतु दिनांक 10.11.2014 को अधिसूचित संशोधित 2011 नियमावली ने कैडर का पद पुनर्गठित किया है और झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा में उच्चतम पद अपर निदेशक (खान) का पद है जो सहायक खनन अधिकारी, वर्ग II के निम्नतम अधिक्रम से आरंभ होता है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि यद्यपि, याची वर्ष 2008 से वरीयतम व्यक्ति है और पद रिक्त था और पूर्व रिट याची का डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 798/2009, जिसमें याची प्रत्यर्थी था, में प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक परिशिष्ट 12 के तहत सरकार द्वारा उसका मामला

विचाराधीन था, याची को ऐसी प्रोन्नति कभी प्रदान नहीं की गयी थी और अब पद भी समाप्त कर दिया गया है। यह विधि में अनुज्ञेय नहीं है और अधिक्रम में उच्चतर पद, जैसा उस समय विद्यमान था जब उसने सेवा में प्रवेश किया था, पर प्रोन्नत होने का याची का अधिकार वापस ले लिया गया है। अत:, वह इस न्यायालय के पास आया है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह भी इंगित करते हैं कि पूर्व अवसरों पर भी इस याची को इस न्यायालय के पास आना पड़ा था और रिट याचिकाओं में से एक अर्थात् डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 1477/2002 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमित आधार पर अथवा कम से कम तदर्थ/स्थानापन्न आधार पर उप निदेशक, खान एवं अपर खान निदेशक का पद भरने के निर्देश के साथ मामला प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के पास वापस भेज दिया। उस अवसर पर, याची शिकायत कर रहा था कि उसे केवल वर्ष 1977 से उपनिदेशक के पद का चालू प्रभार दिया जा रहा है, यद्यपि वह समय की पर्याप्त अवधि के लिए जिला खनन अधिकारी का अधिष्ठायी पद धारण करने के कारण उक्त पद पर प्रोन्नति का अन्यथा हकदार है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **वाई॰ वी॰ रंगैय्या एवं अन्य बनाम जे॰ श्रीनिवास राव एवं अन्य, (1983)3 SCC 284;** के मामले में **निर्मल चंद्र भट्टाचार्जी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1991 Supp (2) SCC 363** के मामले में और **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम महेश नारायण एवं अन्य, (2013)4 SCC 169** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर यह निवेदन करने के लिए विश्वास किया है कि तदर्थ तरीके से उच्चतर पद भरने की प्रथा समुचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने पूर्वोक्त निर्णयों पर विश्वास करके निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई का परिणाम प्रोन्नति के अवसर से वंचित करने में हुआ था क्योंकि याची को समय के भीतर प्रोन्नत नहीं किया गया था जब याची पात्र बन गया था यद्यपि प्रत्यर्थी राज्य ने उस ओर कदम उठाया था जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 12 से स्पष्ट होगा।

5. प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रतिशपथ पत्र में कथन किया है कि स्वयं याची द्वारा दाखिल पूर्व रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3943/2012 में अनुबंधित अवधि के भीतर वरीयता सूची तैयार करने का निर्देश था। याची ने अवमान याचिका दाखिल किया जो लंबित है। प्रत्यर्थीगण स्पष्टत: कथन करते हैं कि नीतिगत निर्णय के रूप में झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 दिनांक 10.11.2014 को अधिसूचित की गयी है और खनन कैडर का कैडर पद पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित कैडर संरचना प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 6 पर प्रस्तुत की गयी है जो दर्शाती है कि अपर निदेशक, खान का पद अब उच्चतम प्रोन्नति पद है। पैरा 7 पर, प्रत्यर्थीगण यह कथन भी करते हैं कि राज्य सरकार ने निदेशक, खान का पद एक्स-कैडर पद के रूप में घोषित किया है और झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनाकर इस पर नियुक्ति की जाएगी। यह कथन किया गया है कि याची को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के अवसर से वंचित नहीं किया गया है और यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है, वह निदेशक, खान के उक्त पद पर नियुक्ति पाने में सफल भी हो सकता है। प्रत्यर्थीगण आगे कथन करते हैं कि दिनांक 4.3.2015 की अधिसूचना सं॰ 302 (परिशिष्ट A) द्वारा याची को स्थानापन्न निदेशक, खान के पद से हटाया गया था और किसी एस॰ पी॰ नेगी, भारतीय वन सेवा अधिकारी को उसी पद पर स्थापित किया गया है और उसने पहले ही पदग्रहण कर लिया है। उसी शपथ पत्र के पैरा 11 से यह भी स्पष्ट होगा कि याची को हाल में सी॰ बी॰ आई॰ केस सं॰ RC 219/2012 (E) 0012 में आरोप पत्रित किया गया है और दिनांक 5.12.2014 के आदेश सं॰ 56/J के तहत विधि विभाग (न्याय) के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी भी प्रदान की गयी है। अत:, उक्त पद पर उसका बना रहना लोकहित में नहीं था।

6. उसके मामले पर विचार करते हुए, क्योंकि वह निदेशालय में वरीयतम अधिकारी हैं, निदेशक, खान के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए याची द्वारा की गयी प्रार्थना पर निर्णय पर आने के लिए प्रचारित एवं यहाँ ऊपर गौर किए गए तात्विक तथ्य विद्यमान हैं।

7. प्रथमत: यह गौर किया जाना है कि प्रत्यर्थी सरकार नियोक्ता होने के नाते दिनांक 10.11.2014 को अधिसूचित 2011 नियमावली में संशोधन अधिनियमित करने की अपनी अधिकारिता के अंतर्गत है जिसके द्वारा कैडर स्ट्रक्चर पुनरीक्षित किया गया है। भरती, प्रोन्नति, सेवा विशेष का कैडर पुनर्गठन के संबंध में नियम अधिनियमित करने के नियोक्ता के प्राधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य विवाद्यक यह है कि क्या कैडर की स्ट्रक्चरिंग में पुनरीक्षण के कारण याची को किसी निहित अधिकार से वंचित किया गया है नहीं? यह बार-बार संप्रेक्षित किया गया है कि राज्य अथवा इसके अभिकरणों के अधीन कर्मचारी को ऐसी प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। नियम जो प्रोन्नति के अवसर को प्रभावित मात्र करता है, सेवा शर्त में परिवर्तन के तुल्य नहीं है।

8. वर्तमान मामले में, नियमावली वर्ष 2011 में संशोधन के अनुसरण में निदेशक का पद एक्स-कैडर पद घोषित किया गया है। याची यह दर्शाने में सक्षम नहीं हुआ है कि पहले प्रचलित नियमों के आधार पर सांविधिकत: नियत समय सीमा के भीतर खान निदेशालय में उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति कार्य संचालित किए जाने पर सांविधिक निषेध था यद्यपि वह दावा करता है कि वह ऐसी प्रोन्नति के लिए वर्ष 2008 से पात्र था। वह यह दर्शाने में सक्षम नहीं हुआ है कि प्रत्यर्थीगण नियमावली, जो ऐसे कर्मचारी की सेवा शर्त शासित करती है, द्वारा प्रदत्त नियत समय तालिका के मुताबिक ऐसी प्रोन्नति कार्य संचालित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन थे। नियमावली वर्ष 2011, जैसा दिनांक 10.11.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, भविष्यलक्षी प्रभाव वाली प्रतीत होती है क्योंकि नियमावली की भाषा से अभिव्यक्त रूप से अथवा विवक्षित रूप से किया गया भूतलक्षी निषेध नहीं है। मेहनत से यह तर्क किया गया है कि संशोधित नियमावली ने मूल रूप से याची की प्रोन्नति की संभावना परिवर्तित कर दिया। किंतु, जिसे अनदेखा किया गया है वह यह है कि याची को पहले ही प्रदान की गयी प्रोन्नति वापस नहीं ली गयी है। जहाँ तक प्रोन्नति के भावी अवसर का संबंध है, कोई निहित अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता है क्योंकि प्रोन्नति का अवसर सेवा शर्त नहीं है। इस संबंध में विधिक अवस्था इन विवाद्यकों पर पूर्व निर्णयों के समग्र सर्वेक्षण के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **धोले गोविन्द साहेब राव एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य एवं** सदृश मामलों, **JT 2015 (3) 423** में संक्षिप्त की गयी है। पैराग्राफ 22 (i) (iv), 22.1, 22.2 (v), 23 एवं 24 में अंतर्विष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"22 (i) çFker% ge egkjk"V jkT; ,o ,d vU; cuke pndkr vur dyd.kh ,o vU;] 1981 (4) SCC 130, e bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; dk è;ku e y ldr g ft le bl U;k;ky; dh f=&U;k;kèkh'k U;k; ihB u fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k&

"16. çkUufr dk volj ek= lok dh 'kr ugh g vkj ;g rF; fd çkUufr d volj ?kVk fn, x, Fk] lok 'kr e ifjoru d rY; ugh FkA çkUufr d fy, fopkj fd; tku dk vfèkdkj lok dk fucèku g] fdr çkUufr dk volj ek= ughA eè; çn'k dh Hkrio jkT; ljdkj }kjk fojfpr] t lk fnukd tuojh 20, 1960 dk l'kkfèkr fd;k x;k g] ,l0 Vh0 vk0 dh foHkkxh; ijh{kk fu;ekoyh] 1954 d vèkhu] foHkkxh; ijh{kk e mUkh.k gkuk ek= çkUufr d fy, ,l0 Vh0

vkbO] ckEc dk vfèkdkj çnÙk ugh djrk FkkA ijh{kk e mÙkh.k gkdj o ek= çkUufr d ik= cu x,A mUg u doy lokofèk ek= ij cfYd eèkk&lg&ojh;rk fl)kr ij Hkh p;u lph ij yk;k tkuk FkkA vr%] ;g vkj dN ugh cfYd çkUufr dk volj ek= FkkA çR;koi.k d vk{kfir vkn'kk d ifj.kke e tk dN gvk og ;g g fd dN ,l0 Vh0 vkb0 ftUg xyr :i l ,l0 Vh0 vk0 xM III d :i e çkUur fd;k x;k Fkk dk çR;kofir fd;k tkuk Fkk vkj rn}kjk dN LFkku xok fn, x,A bld foijhr] eè; çn'k ,o gnjkckn l ,0 ,l0 Vh0 vk0 dh lok 'kr] tgk rd jkT;k d iuxBu d igy mud }kjk èkkj.k fd, x, in d Åij çkUufr d ,d pj.k dk lcèk g] dn ljdkj dh io etjh d fcuk ifjofrr ugh dh tk ldrh Fkh tlk vfèkfu;e dh èkkjk 115 dh mièkkjk (7) d ijUrd e vfèkdfFkr fd;k x;k gA**

(iv) gky dk ,d fu.k; ,l0 ,l0 ckyk ,o vU; cuke ch0 Mh0 ljnkuk ,o vU;] JT 1997 (6) SC 637: 1997 (8) SCC 522, e ,d vU; f=&U;k;kèkh'k [kMU;k;ihB }kjk fn;k x;k fu.k; gA mDr fu.k; e cger dk er U;k;efr d0 jkek Lokeh }kjk fn;k x;k FkkA fopkj dju dh çfØ;k e mUgku fuEufyf[kr lçf{kr fd;k x;k gA**

"145. ;g lR; g fd lfoèkku d vuPNn 309 d ijUrd d vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh Hkry{kh çHkko l fu;ekoyh l'kkfèkr vFkok ifjofrr djd tkjh dh tk ldrh g tlk fu.k;k dh J[kyk e vFkkr ch0 ,l0 onjk cuke Hkkjr l?k] AIR 1969 SC 118; jktdekj cuke Hkkjr l?k] 1975 (4) SCC 13; d0 ukxjkt cuke ,0 ih0 jkT;] 1985 (1) SCC 523; Vh0 vkj0 dij cuke gfj;k.kk jkT;] 1986 (Suppl.) SCC 584 e vkj vud vU; fu.k;k e bl U;k;ky; }kjk fujrj vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA fdr ç'u ;g g fd D;k fufgr vfèkdkj okil yr g, fu;ekoyh l'kkfèkr dh tk ldrh gA ojh;rk d vfèkdkj d lcèk e] bl U;k;ky; u mu leLr fu.k;k dk ,d ckj fQj nkgjku dh vko';drk l eDr djr g, v'kkd dekj xlrk cuke m0 ç0 jkT;] 1977 (5) SCC 201, e uohure fu.k; e ojh;rk d vfèkdkj ,o vfèkfu;e d l'kkèku dh ?kVuk ij foLrkjiod fopkj fd;kA ;g dFku djuk i;kIr g fd ;g lfuf'pr fofèk g fd vfèkdkj ,o fgr d chp lfHkUurk lno ikf"kr dh x;h gA ojh;rk fgr dk igy gA fu;ekoyh p;u@Hkjrh dh i)fr fofgr djrk gA ojh;rk fo|eku fu;ek }kjk 'kkflr gkrh g vkj rnulkj bldk gy fudkyu dh vko';drk gA fdlh dk çkUufr vFkok ojh;rk dk fufgr vfèkdkj ugh g fdr vfèkdkjh dk fu;ekoyh }kjk vftr ojh;rk dk fgr gA bl doy oèk fofèk d çoru }kjk okil fy;k tk,xkA çkUufr d fy, fopkj fd, tku dk vfèkdkj lok 'krk }kjk fofgr fu;e gA fu;e tk 0;fDr dh ml çkUufr dk çHkkfor djrk g] lok 'kr l lcfèkr gA çkUufr d volj dk çHkkfor ek= dju oky fu;e dk lok dh 'kr ifjofrr dju okyk ugh ekuk tk ldrk gA çkUufr dk volj lok 'kr ugh gA fu;e tk ek= çkUufr dk volj çHkkfor djrk g] lok 'kr e ifjoru d rY; ugh gA**

22.1 mDr foLrr fopkj d ifj.kkeLo#i U;k;efr d0 jkekLokeh u ijkxkQ 153 e viuk fu"d"k nt fd;kA oreku fook|d ij] ijkxkQ 153 dk mi ijkxkQ AB çklfxd g ftl ;gk uhp m)r fd;k tkrk g%

"AB. çkUufr d fy, fopkj fd, tku d vfèkdkj vkj çkUufr d fy, fopkj fd, tku d fgr d chp lfHkUurk lno ikf"kr dh x;h gA ojh;rk fgr dk igy gA ojh;rk çkUufr d fy, fopkj fd, tku dh frfFk ij fo|eku fu;ekoyh }kjk 'kkfl r gkrh gA fo|eku fu;ek d vulkj ojh;rk dk gy fudkyu dh vko';drk gA fdlh dk çkUufr vFkok ojh;rk dk fufgr vfèkdkj ugh gA fdr vfèkdkjh dk fu;ekoyh cuk dj vftr ojh;rk dk fgr gA doy oèk fofèk d çoru }kjk ojh;rk okil yh tkuh pkfg,A çkUufr d fy, fopkj fd, tku dk vfèkdkj lok 'krk }kjk fofgr fu;e gA fu;e tk 0;fDr dh çkUufr d voljk dk çHkkfor djrk g] lok 'kr l lcfèkr gA çkUufr d voljk dk çHkkfor ek= dju oky vfèkfu;e e fu;e@çkoèkku lok 'krk dk ifjofrr djrk gvk ugh ekuk tk,xkA çkUufr dk volj lok dh 'kr ugh gA fu;e tk ek= çkUufr dk volj çHkkfor djrk g] lok 'krk e ifjoru d rY; ugh gA fdr] tc ,d ckj fo|eku fu;ek d vkèkkj ij loèkkfud U;k;ky; }kjk fofèk dh ?kk"k.kk dh tkrh g vkj ojh;rk lph r;kjh djd bld çoru d fy, ijekn'k tkjh fd;k tkrk g vFkok fun'k fn;k tkrk g] fofèk dh ?kk"k.kk dk çoru vkj U;k;ky; }kjk tkjh ijekn'k ,o fun'k fofèk dh ?kk"k.kk dk ifj.kke g fdr viu vki e fu;ek dk çoru ugh gA**

22.2. U;k;efr ,l0 lxhj vgen U;k;efr d0 jkekLokeh }kjk vfHk0;Dr nf"Vdk.k l lger g,A U;k;efr th0 ch0 iVuk;d }kjk folEer nf"Vdk.k nt fd;k x;k FkkA fdr] oreku fo"k; ij folEefr ugh FkkA U;k;efr th0 ch0 iVuk;d }kjk nt fu"d"k fuEufyf[kr çHkko dk gh

"199. itkc jkT; cuke fd'ku nkl] 1971 (1) SCC 319, ekey e bl U;k;ky; dk mDr çHkko dk fu.k; ftle bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k fd foxr lok] ftlu ljdkjh lod dk in vFkok J.kh ftl og èkkj.k djrk g e oru of) vftr djrk g] J.kh ftll og vkrk g d vrxr mldh ojh;rk vFkok çkUufr d mld Hkkoh voljk dk çHkkfor dju okyk] pkg ;g mld fdruk Hkh çfrdy D;k u gk] leiâr djrk vkn'k lfoèkku d vuPNn 311 (2) dk vkÑ"V ugh djrk g D;kfd ;g vfHk0;Dr J.kh e ?kVk;k tkuk }kjk vkPNkfnr ugh gA

200. bl çdkj] dMj d vrxr ojh;rk lph e fo'k"k voLFkk j[kuk ljdkjh lod dk çknHkr vFkok fufgr vfèkdkj ugh dgk tk ldrk g vkj dMj d vrxr ojh;rk lph e dN LFkkuk dk xokuk J.kh e ?kVk, tku d rY; ugh g ;|fi rn}kjk çkUufr d Hkkoh volj foyfcr gkr gA çR;{k Hkjrh fd, x, mEehnokjk d fy, mifLFkr Jh lpj ,o Jh egkchj flg }kjk vkxg fd;k x;k Fkk fd vfèkfu;e d çkoèkkuk d vu#i ojh;rk d iufofu'p;dj.k dk çHkko u doy ;g g fd çR;{k Hkjrh fd, x, mEehnokj dk;ikyd vfHk;rk dh J.kh e ojh;rk d dN LFkku xokrh g cfYd çkUufr dk mudk Hkkoh volj Hkh Hkkjh ldV e iM tkrk g vkj vfèkdkj okil fy, tku ij vfèkfu;e dk voèk vfHkfuèkkfjr djuk gh gkxkA bl çfrokn dk Lohdkj djuk ef'dy g D;kfd ljdkjh lod dh çkUufr d volj lok dh 'kr ugh gA egkjk"V jkT; cuke pndkr vur dyd.kh] 1981 (4) SCC 130, e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;kh (SCC p 141, Para 16)

*"16. çkUufr dk volj ek= lok dh 'kr ugh g vkj ;g rF; fd çkUufr d volj dk ?kVk;k x;k Fkk] lok 'krk e ifjoru d rY; ugh gA çkUufr d fy, fopkj fd;k tkuk lok dk fucèku g] fdr çkUufr dk volj ek= lok dk fucèku ugh gA***

201. d0 txnh'ku cuke Hkkjr l?k] JT 1990 (1) SCC 247, e bl U;k;ky; dk fu.k; bl çHkko dk g ft le bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k

*^^, d ek= çHkko ;g g fd çkUufr dk mldk volj vFkok mPprj in ij çkUufr d fy, fopkj fd, tku dk mldk vfèkdkj çfrdy :i l çHkkfor gkrk gA bl vk{kfir vfèklpuk }kjk fd, x, fu;ek d l'kkèku dk fn, tk jg Hkry{kh çHkko d :i e ugh ekuk tk ldrk g vkj mDr vfèklpuk dk ml vkèkkj ij pukrh foQy gkxhA***

(v) vr e] Hkkjr l?k ,o vU; cuke duy th0 ,l0 xoky] JT 2014 (8) SC 70: 2014 (7) SCC 303, e bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; d çfr fun'k fd;k tk ldrk g ft le bl U;k;ky; u fuEufyf[kr lçf{kr fd;k

"28. tlk Åij bfxr fd;k x;k g] vfèkdj.k u çR;Fkh dk vk0 ,0 e[;r% bl vkèkkj ij v'kr% vuKkr fd;k g fd fnukd 23.4.2010 d ljdkjh vkn'k e vrfo"V fu.k; Hkry{kh çHkko l çkUufr uhfr l'kkfèkr djrk g] rn}kjk io uhfr d fucèkukulkj çR;Fkh dk igy l gh çknHkr vfèkdkjk dk okil yrk gA ;g Hkh mfYyf[kr fd;k x;k g fd iujhf{kr uhfr ey :i l vkond dh çkUufr dh lHkkouk ifjofrr djrh g ft l vun[kk fd;k x;k g og ;g g fd çR;Fkh dk igy gh çnku dh x;h çkUufr;k okil ugh yh x;h gA tgk rd çkUufr dh Hkkoh lHkkouk dk lcèk g] dkb fufgr vfèkdkj çknHkr ugh gkrk g D;kfd çkUufr dk volj lok dh 'kr ugh gA vr% igyh ckj e] vfèkdj.k dk crkuk gkxk fd dku lk fufgr vfèkdkj tk igy gh çR;Fkh dk çknHkr gvk Fkk vkj ft l fnukd 23.4.2010 d uhfrxr fu.k; }kjk okil fy;k x;k gA bl çfØ;k e vU; pht tk çklfxd cu tkrh g] ;g fopkj djuk g fd tc ,d ckj çR;Fkh dk LFkk;h :i l MhO th0 D;0 ,0 e Seconded fd;k x;k g vkj ml ogk cu jgu dh vuefr nh x;h g] D;k vU; tk MhO th0 D;0 ,0 e ml d çfrLFkkuh g fdr ftudk LFkk;h Secondment lng e ugh g d edkcy ml dh lok 'krk e ifjoru gk ldrk g\ bldk vU;Fkk j[kr g,] fnukd 23.4.2010 dh ljdkjh uhfr tkjh dju dk ,dek= dkj.k mu ekeyk dh n[kHkky djuk Fkk tgk MhO th0 D;0 ,0 dk LFkk;h Secondment xyr :i l fn;k x;k FkkA vihykFkx.k d erkfcd] pfd çR;Fkh vfre vfèkØe.k l ihfMr gvk Fkk] og MhO th0 D;0 ,0 e LFkk;h :i l Seconded fd, tku dk gdnkj ugh FkkA bl çR;Fkh }kjk fookfnr fd;k x;k gA ml igy dk igy fofuf'pr djuk gkxkA bld vfrfjDr] Hky gh ;g ,lk g] tlk vihykFkx.k }kjk çfrokn fd;k x;k g] vihykFkx.k u LFkk;h Secondment vkn'k okil ugh fy;k gA mUgku duy d :i e ml dh çkUufr ikf"kr djr g,] ftl bl Secondment d vulj.k e fn;k x;k Fkk] çR;Fkh dk MhO th0 D;0 ,0 e cu jgu dh vuefr nh gA ,lh ifjfLFkfr;k e ç'u tk mnHkr gkxk ;g g fd D;k çR;Fkh d lkFk fHkUu :i l 0;ogkj fd;k tk ldrk g Hky gh ml MhO th0 D;0 ,0 e cu jgu dh vuefr nh tkrh g vFkkr D;k vkx çkUufr yu dh vuefr ml ugh nuk] tk ykHk vHkh Hkh vU; dk miyCèk g ftudk LFkk;h Secondment fookfnr ugh g] HknHkko vFkok euekuiu d rY; gkxk] rn}kjk Hkkjr d lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 dk mYy?ku djrk gA gekj er e] bu ,o vU; lcfèkr fook|dk ij lefpr fu"d"k ij vku d fy, rd fd;k tkuk gkxk vkj budk ly>kuk gkxkA

23. iokDr ijkxkQk e m)r fu.k;k e nt fu"d"kk d lefgd ifj'khyu l ;g çdV g fd çkUufr dk volj lok dh 'kr xfBr ugh djrk gA ekey d ml nf"Vdk.k e ;g vfHkfuèkkfjr djuk vifjgk; g fd mPp U;k;ky; u bl rF; d vkèkkj ij viuk vfre fofu'p;dj.k nt dju e xyrh fd;k fd VhO ,0 fu;ekoyh] 2003 vkj ,l0 VhO ,0 fu;ekoyh] 2003 dk ç[;kiu vkil e ojh;rk d fu;frdj.k d lcèk e HknHkkoi.k ,o euekuk Fkk pfd blu ey vulfpoh; dMj d mu lnL;k] ftUgku MkVk ,UVh vkijVj d dMj e fu;fDr@vkeyu puk Fkk] d çfr fun'k e vkj mul ryuk e ey vulfpoh; dMj d mu lnL;k] ftUgku MkVk ,UVh vkijVj d dMj e fu;fDr@vkeyu ugh puk Fkk] vFkkr vulfpoh; dMj d vc rd d lnL;k dh çkUufr d voljk ij xHkhj :i l çfrdy çHkko MkykA

*24.**fofèk dh çfriknuk d :i e gekj fy, ;g nt djuk vfuok;l g fd çkUufr dk volj lok 'kr xfBr ugh djrk g vkj bl n'kk e çkUufr d volj dk ifjoru ek= vfuok;rk U;kf;d gLr{ki d fy, ugh dgxkA mDr lkekU; çfriknuk ç;kT; ugh gkxh ;fn çkUufr dk volj eueku :i l vFkok mu fopkjk ftUg foÑr vFkok vlnHkkoi.k n'kk;k x;k g d vkèkkj ij ifjofrr fd;k x;k gA***

जैसा प्रत्यर्थीगण द्वारा कथन किया गया है, निदेशक का पद एक्स कैडर पद बनाया गया है, याची अथवा किसी अन्य व्यक्ति को विभाग द्वारा की गयी मांग पर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब भरे जाने वाले निदेशक के उक्त पद पर नियुक्ति इप्सित करने से अपवर्जित नहीं किया गया है।

9. याची के मामले के तथ्यों में, यह भी गौर किया गया है कि चूँकि याची को सी॰ बी॰ आई॰ मामले में आलिप्त किया गया है और दिनांक 5.12.2014 को प्रत्यर्थी सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गयी है, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 4.3.2015 की अधिसूचना द्वारा ऐसी हैसियत में एक अन्य व्यक्ति को पदस्थापित करके उसको स्थानापन्न निदेशक के पद से हटाया है। किंतु वह अधिसूचना याची द्वारा चुनौती के अधीन नहीं है। **जे॰ श्री निवास राव (ऊपर)** एवं **निर्मल चंद्र भट्टाचार्जी (ऊपर)** मामलों में याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय याची के मामले की मदद नहीं करते हैं। **जे॰ श्री निवास राव (ऊपर)** मामले में यह पाया गया है कि पैनल तैयार करने के लिए नियमों में समय अनुबंधित किया गया था। ऐसे तरीके में, नियोक्ता के ऊपर ऐसा करने का सांविधिक निषेध था जिसका अनुसरण उक्त मामले में नहीं किया गया था। **निर्मल चंद्र भट्टाचार्जी (ऊपर)** के मामले में, यह पाया गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग आदेश था जो प्रावधानित करता था कि तिथि विशेष पर विद्यमान रिक्ति उस प्रक्रिया के अनुसार भरी जानी चाहिए जो दिनांक 1.8.1983 के पहले प्रचलन में थी। इन प्रासंगिक तात्विक तथ्यों एवं ऐसे किसी नियम का प्रवर्तन याची के मामले में नहीं पाया गया है। **महेश नारायण (ऊपर)** मामले में याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय में उसमें अंतर्ग्रस्त प्रश्न यह था कि क्या असंशोधित 1987 नियमावली अथवा संशोधित 1987/1990 नियमावली प्रत्यर्थी नियोक्ता के प्रति प्रयोज्य थी। उ॰ प्र॰ राज्य ने कर्मचारियों के दावा का विरोध इस आधार पर किया है कि प्रत्यर्थी का अनुभव उस तिथि से नहीं गिना जाएगा जब संशोधित 1987/1990 नियमावली को गजट में प्रकाशित किया गया था बल्कि उस तिथि से गिना जाएगा जब संशोधित 1987/1990 नियमावली तैयारी के अधीन थी जिसकी दृष्टि में वे वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पाँच

वर्षों की अध्यपेक्षित अनुभव नहीं रखते थे। उ॰ प्र॰ राज्य का यह प्रतिवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए तुरन्त अस्वीकार कर दिया गया था कि नियमावली को उसकी तैयारी की तिथि से प्रभावकारी बनाया गया अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है बल्कि यह केवल तब विधिक पवित्रता प्राप्त करेगा और प्रवर्तित किया जा सकता है जब इसे प्रभावकारी बनाया जाता है। तिथि जिस पर इसे प्रभावकारी बनाया गया है स्पष्टत: वह तिथि होगी जब गजट अधिसूचना में नियमावली प्रकाशित की जाती है। अत:, उक्त निर्णय पर याची का विश्वास उसके मामले का मददगार नहीं है।

10. सार-संक्षेप में, चूँकि नियमावली वर्ष 2011 के संशोधन को दिनांक 10.11.2014 से प्रभाव दिया गया है और वर्तमान रिट आवेदन में इसको चुनौती नहीं दी गयी है, निदेशक के पद को भरने का कोई कार्य नियम जो प्रचलन में है द्वारा शासित होगा। किंतु याची के इस प्रभाव के प्रतिवाद कि निदेशक, खान का पद स्थानापन्न अथवा तदर्थ हैसियत में जारी नहीं रखा जा सकता है, में कुछ सार है, यद्यपि याची स्वयं सात वर्षों से अधिक के लिए ऐसी स्थानापन्न व्यवस्था का लाभार्थी था। उस संबंध में, प्रत्यर्थी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा कि विधि के अनुरुप समय सीमा के भीतर निदेशक का पद भरा जाय। किंतु जहाँ तक याची की मुख्य प्रार्थना का संबंध है, यहाँ ध्यान में लिए गए ताथ्यिक पृष्ठभूमि में और यहाँ ऊपर दर्ज किए गए कारणों से यह न्यायालय रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता है। किंतु, पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

दशरथ साव उर्फ लूटन

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1585 of 2006. Decided on 26th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 174 वर्ष 2003 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 25.9.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 26.9.2006 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 सहपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27—हत्या–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया–अपीलार्थी ने गोली मार कर मृतक की हत्या की, अ॰ सा॰ द्वारा घटना देखी गयी थी जिन्होंने घटनास्थल, जिस तरीके से घटना हुई के बारे में परिसाक्ष्य दिया–घटना की उत्पत्ति, जिसे सूचक के खेत से मिट्टी लिया जाना बताया जाता है, आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से समर्थन पाती है–अभिनिर्धारित, अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है, अभियोजन द्वारा अन्य गवाहों का गैर परीक्षण अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि उन गवाहों का साक्ष्य देकर अंतर भरने के लिए अभियोजन मामले में कुछ भी नहीं है–अपीलार्थी पर स्वतंत्र गवाहों के गैर परीक्षण के कारण किसी तरीके से प्रतिकूलता कारित होता हुआ नहीं कहा जा सकता है–अपील खारिज। (पैराएँ 11 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. Deepak Kumar, For the Appellant; Mr. M.B. Lal, For the State.

आदेश

यह अपील सत्र विचारण सं॰ 174 वर्ष 2003 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 25.9.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 26.9.2006 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को सुरेन्द्र राम उर्फ मुतारी राम की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और आगे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और व्यतिक्रम खंड के साथ 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 13.2.2002 को प्रातः लगभग 8 बजे सूचक श्यामकांत राम (अ॰ सा॰ 4) का सौतेला भाई मृतक सुरेन्द्र राम तालाब की ओर जा रहा था। जब वह जगेश्वर विश्वकर्मा के घर के निकट पहुँचा, उसने अपीलार्थी को अपने खेत से मिट्टी ले जाते देखा। इस पर उसने अपीलार्थी से पूछा कि वह क्यों खेत जिसे और भी मिट्टी से भरा जाना था खोदने के बाद मिट्टी ले रहा है। यह अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा की ओर ले गया। ग्रामीण हरि साव के मध्यक्षेप पर दोनों को अलग किया जा सका था। इस पर, सुरेन्द्र राम उर्फ मूतारी राम जोगेश्वर विश्वकर्मा के घर के निकट बना रहा जबकि अपीलार्थी अपने घर की ओर चला गया। जब सूचक श्यामकांत राम (अ॰ सा॰ 4) को पता चला कि मृतक एवं अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ है, वह आशंकित हुआ कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो और, इसलिए, वह मृतक के सौतेले भाई संजीत कुमार गुप्ता (अ॰ सा॰ 2) के साथ जोगेश्वर विश्वकर्मा के घर की ओर गया और जब वे जोगेश्वर विश्वकर्मा के घर से 20 गज दूर थे, उन्होंने अपीलार्थी को अपने हाथों में अपनी साइकिल लिए अपने भाई सुरेन्द्र राम के निकट आते और उस पर गोली चलाते देखा। वहाँ उपस्थित लोगों ने अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयास किया किंतु विफल रहे।

3. घटना के बाद, संजीत कुमार गुप्ता अ॰ सा॰ 2 ने घटना के बारे में जमुआ पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी अरुण कुमार सिंह (अ॰ सा॰ 6) को टेलीफोन पर सूचित किया जिसने स्टेशन डायरी में घटना प्रविष्ट किया और घटना स्थल की ओर गया। घटना स्थल पहुँचने पर, उसने सूचक श्यामकांत राम (अ॰ सा॰ 4) का फर्दबयान दर्ज किया जिसमें उसने उन तथ्यों का कथन किया जिनका कथन ऊपर किया गया है। इस पर अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था और औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 3) दर्ज की गयी थी। उसने स्वयं अन्वेषण किया और अन्वेषण के दौरान मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) तैयार किया।

4. इस पर, उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे डॉ॰ इजहार अनवर (अ॰ सा॰ 3) एवं डॉ॰ रुबेन हेम्ब्रम (अ॰ सा॰ 7) से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था, जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

Nkrh d nk,¡ vkèk d Åijh Hkkx d lkeu eR;io t[eA io'k t[e dk vkdkj yc {krhth; 0;kl 2" x mèo 0;kl 1" d lkFk vMkdkj FkkA ekftu dk fonh.krk] dkyiu ,o lyjy dfoVh d lkFk tMk bn&fxn d Ropk dh VVbx d lkFk

buoVM ik;k x;k FkkA phM&QkM dju ij MkDVj u ek'ki'kh e ekl h cyV ik;k ft l fudkyk x;k Fkk vkj dkLVcy dk lkik x;k FkkA

मेडिकल बोर्ड ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) जारी किया कि मृत्यु आग्नेयास्त्र द्वारा कारित उपहति के कारण रक्तस्राव एवं आघात के कारण हुई थी।

5. इस बीच, आई॰ ओ॰ ने गवाहों का बयान दर्ज किया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। अन्वेषण पूरा करने के बाद, आई॰ ओ॰ ने आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर, अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

6. विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 5 जोगेश्वर विश्वकर्मा अनुश्रुत गवाह है जबकि अ॰ सा॰ 1 जुगल किशोर राय, अ॰ सा॰ 2 संजीत कुमार गुप्ता और अ॰ सा॰ 4 श्यामकांत राम सूचक घटना के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया था कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक पर गोली चलाते, उपहति कारित करते देखा था जिसकी परिणति उसकी मृत्यु में हुई।

7. विचारण न्यायालय ने गवाहों को विश्वसनीय पाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार निवेदन करते हैं कि यह स्वयं अभियोजन का मामला है कि अनेक व्यक्तियों अर्थात् जागेश्वर विश्वकर्मा, प्रेम मियाँ, दिलचंद साव, रामेश्वर महतो की उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा गोली चलाकर मृतक की हत्या की गयी थी किंतु अभियोजन द्वारा उनमें से किसी का, जो स्वतंत्र गवाह थे, सिवाए जगेश्वर विश्वकर्मा के, परीक्षण नहीं किया गया है और तद्द्वारा अभियोजन द्वारा स्वतंत्र गवाहों को रोक लिया गया है और इसलिए, अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विशेषत: जब गवाहों के साक्ष्य में अनेक असंगतियाँ हैं। इस संबंध में, यह इंगित किया गया था कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 जुगल किशोर राय ने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया किंतु अन्य गवाहों ने अपने साक्ष्य में नहीं कहा था कि जुगल किशोर राय घटना के समय पर घटनास्थल पर उपस्थित था और कि अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के साथ संगत नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 ने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मृतक पर गोली चलाने के बाद जा रहा था, उसे दिलचंद साव द्वारा पकड़ा गया था किंतु अ॰ सा॰ 4 ने परिसाक्ष्य दिया है कि किसी ने भी, जो घटना स्थल पर उपस्थित था, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया था और कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने साक्ष्य में परिसाक्ष्य दिया है कि मृतक को नजदीक से गोली मारी गयी थी जबकि अन्य गवाहों अ॰ सा॰ 2 एवं 4 ने अन्यथा परिसाक्ष्य दिया है कि गोली 3-4 फीट की दूरी से चलायी गयी थी और इन परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम॰ बी॰ लाल निवेदन करते हैं कि यह सत्य है कि घटना स्थल पर अनेक व्यक्ति उपस्थित थे किंतु केवल जगेश्वर विश्वकर्मा का परीक्षण किया गया है, जबकि अन्य व्यक्तियों अर्थात् प्रेम मियाँ, दिलचन्द साव एवं रामेश्वर महतो का परीक्षण नहीं किया गया है, और इन गवाहों के गैर–परीक्षण के कारण बचाव पर प्रतिकूलता कारित नहीं की गयी है और तद्द्वारा बचाव इसका कोई लाभ नहीं ले सकता है।

10. आगे यह निवेदन किया गया है कि चश्मदीद गवाहों का परिसाक्ष्य चिकित्सीय रिपोर्ट से और आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से संपुष्टि पाता है और इन परिस्थितियों के अधीन विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और इसलिए दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख के परिशीलन पर हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला, जैसा सूचक अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 2 जो मृतक के सौतेले एवं कजिन भाई हैं, और अ॰ सा॰ 1 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है यह है कि जब वे अपने घर में थे हरीश साव ने सूचित किया कि अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा हुआ है और जब अपीलार्थी ने मृतक को अपने खेत से मिट्टी लेने से मना किया था, वे काफी आशंकित हो गए थे कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो और इसलिए, वे घटना स्थल की ओर दौड़े और जब वे जगेश्वर विश्वकर्मा के घर से बीस गज दूर थे, उन्होंने अपीलार्थी को मृतक की ओर आने तथा उस पर गोली चलाते देखा। इस प्रकार, वे घटना स्थल, घटना के तरीके के बारे में परिसाक्ष्य देते प्रतीत होते हैं और बचाव की ओर से कुछ भी नहीं निकाला गया है जो उन गवाहों के परिसाक्ष्य में कोई सुराख कर सके।

12. बचाव पक्ष की ओर से की गयी आलोचना यह है कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने साक्ष्य में परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने काफी नजदीक से गोली चलायी थी जबकि अन्य दो गवाहों ने ऐसा कभी नहीं कहा है बल्कि उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है कि गोली दूर से चलायी गयी थी। यह सत्य है कि अ॰ सा॰ 1 ने यह पहली बार कहा है कि गोली काफी नजदीक से चलायी गयी थी किंतु तुरन्त ही उसने कहा कि गोली 3-4 फीट की दूरी से चलायी गयी थी जो इस संबंध में अ॰ सा॰ 2 एवं 4 द्वारा दिए गए साक्ष्य से असंगत है जिसमें उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है कि गोली 3-6 फीट की दूरी से चलायी गयी थी जो इस संबंध में अ॰ सा॰ 2 एवं 4 द्वारा दिए गए साक्ष्य से असंगत है जिसमें उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है कि गोली 3-6 फीट की दूरी से चलायी गयी थी जो तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है क्योंकि डॉक्टर ने चमड़े के इर्द-गिर्द कालापन एवं टैटूइंग पाया था।

13. आगे, घटना की उत्पत्ति, जो सूचक के खेत से मिट्टी लिया जाना बतायी जाती है, आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से समर्थन पाता है और आई॰ ओ॰ ने घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान सूचक के खेत से मिट्टी खोदा गया पाया था।

14. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला इस तथ्य के बावजूद स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि अन्य गवाहों, जिन्हें घटना स्थल पर उपस्थित बताया गया है, का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है किंतु अभियोजन द्वारा उनका गैर परीक्षण अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि उन गवाहों, जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है, का साक्ष्य देकर अंतर भरने के लिए अभियोजन मामले में कुछ नहीं था और तद्द्वारा स्वतंत्र गवाहों के गैर परीक्षण के कारण अपीलार्थी पर किसी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

15. इस प्रकार, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में पूर्णतः न्यायोचित था और इसलिए, इसे एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

16. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेनका किस्कू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2089 of 2015. Decided on 20th May, 2015.

सेवा विधि–चयन–आंगनबाड़ी सेविका का पद–याची सहित समस्त उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के बाद बेहतर योग्यता पर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रत्यर्थी का चयन दिनांक 2.6.2006 के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प के आलोक में दुर्बलता से पीड़ित नहीं है–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Durga C. Mishra, For the Petitioner; M/s Chaitali C. Sinha, Jai Prakash, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दिनांक 11.4.2015 को की गयी आम सभा (परिशिष्ट-3) द्वारा गोलपुर, मलसिया प्रखंड, दुमका केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 8 दीपमाला हेम्ब्रम के चयन को याची द्वारा चुनौती दी जा रही है जो भी उसी केंद्र में उसी पद पर ऐसी नियुक्ति के लिए उम्मीदवार थी।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची इंटरमीडिएट विज्ञान में 239 अंक पाया है और प्रत्यर्थी सं॰ 8 ने इंटरमीडियट कला में याची की तुलना में कम अंक पाया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 का चयन आम सभा जिसने बहुमत से याची का चयन किया था के निर्णय के विरुद्ध किया गया है किंतु वृतांत लिखे जाते समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसलिया प्रखंड द्वारा गलत रूप से प्रत्यर्थी सं॰ 8 दीपमाला हेम्ब्रम का नाम सम्मिलित किया गया था। अपने प्रतिवाद के समर्थन में गोलपुर ग्राम प्रधान रुपलाल टुडू, ग्राम बेलियाजोर के मुखिया सुलेखा हेम्ब्रम और ग्राम गोलपुर के बेनियाजोर पंचायत के वार्ड सदस्य पार्वती मरांडी के शपथ पत्रों जो क्रमश: प्रदर्श 4, 5 तथा 6 हैं पर विश्वास किया है।

4. किन्तु, दिनांक 11.4.2015 को की गयी आम सभा के वृत्तांत के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याची सहित समस्त आवेदकों, कुल छह, की उम्मीदवारी पर विचार किया गया था। यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 ने ऑक्सीलियरी नर्स मिडवाइफ (ए॰ एन॰ एम॰) का प्रशिक्षण पाया था और क्रीड़ा गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त की थी और इंटरमीडिएट भी थी। अत: आम सभा ने दिनांक 11.4.2015 को आम सहमति से उक्त प्रत्यर्थी सं॰ 8 को सेविका के रूप में चुना। आम सभा ने पाया कि याची सहित अन्य व्यक्ति उक्त गाँव की बहुएँ थी और बहुसंख्यक जनसंख्या से आती थी। याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 8 अनुसूचित जनजाति कोटि से आती थी और वे आयु सीमा के अंतर्गत थी।

5. अत: याची सहित समस्त उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के बाद बेहतर योग्यता पर

आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 8 का चयन दिनांक 2.6.2006 के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प के आलोक में किसी विधिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

6. मामले के उस दृष्टिकोण में यह न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स आनंद इंटरप्राइजेज एवं अन्य

cuke

यूको बैंक

W.P. (C) No. 5395 of 2013. Decided on 21st May, 2015.

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993—धारा 21—ऋण की वसूली–अपील–अपील ग्रहण किए जाने के पहले जमा किए जाने के लिए आवश्यक देय राशि का 75% डी॰ आर॰ ए॰ टी॰ द्वारा त्यक्त अथवा परिवर्तित किया जा सकता है–याची द्वारा दाखिल अपील अनुज्ञात की गयी और ओ॰ ए॰ को इसके मूल फाइल में पुनर्स्थापित किया गया–जब अभी भी ओ॰ ए॰ न्याय निर्णीत किया जाना है, बैंक के पास 70,000/- रुपयों की राशि जमा करने का निर्देश डी॰ आर॰ ए॰ टी॰ द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था–आक्षेपित आदेश उपांतरित। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–M/s Dr. Hasnain Waris, Sanjay Kumar, For the Petitioners; Mr. Gyanendra Kumar, For the Respondent.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 3049 वर्ष 2015</u>

यह आवेदन रिट याचिका में की गयी प्रार्थना में उपांतरण तथा पक्षों के कतार से याची सं॰ 2 के नाम का विलोपन, क्योंकि दिनांक 10.6.2014 को उसकी मृत्यु हो गयी, इप्सित करते हुए दाखिल किया गया है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण (अपील सं॰ 132 वर्ष 2011 में) अपील (टी॰) सं॰ 8/2013 में दिनांक 12.7.2013 के आदेश से व्यथित है। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण दिनांक 12.7.2013 के आदेश को अपास्त किया जाना इप्सित कर रहे हैं किंतु, अनवधानता से रिट याचिका में मूल प्रार्थना समुचित रूप से निरुपित नही की गयी है।

3. प्रत्यर्थी यूको बैंक के विद्वान अधिवक्ता संशोधन आवेदन का विरोध करते हैं।

4. दिनांक 12.7.2013 के आदेश से व्यथित होकर, याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। रिट याचिका में किए गए प्रकथन प्रकट करते हैं कि याचीगण 7,00,000/- रुपयों की राशि जमा करने का निर्देश याची को देते हुए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी निर्देश से व्यथित है।

5. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए रिट याचिका में उपांतरण तथा याची सं॰ 2 के नाम का विलोपन इप्सित करता आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

<u>डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395 वर्ष 2013</u>

याची मेसर्स आनंद इंटरप्राइज भागीदारी फर्म है जिसके याची सं॰ 2 एवं 3 भागीदार हैं। प्रत्यर्थी यूको

बैंक ने 20,00,000/- रु॰ का नकद उधार तथा याची सं॰ 1 को 5,00,000/- रु॰ सावधि ऋण मंजूर किया। कर्ज राशि नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एन॰ पी॰ ए॰) घोषित किया गया था और बाद में याची के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम, 2002 के अधीन कदम उठाए गए थे। प्रत्यर्थी बैंक ने दिनांक 19.6.2006 को 21,95,613.50/- रुपया वसूल करने के लिए कर्ज वसूली अधिकरण, राँची के समक्ष ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 दाखिल किया। किंतु, ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ। दिनांक 13.2.2009 के आदेश के तहत उक्त आवेदन अंततः अनुज्ञात किया गया था। व्यथित होकर, याचीगण ने दिनांक 13.2.2009 की एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए एम॰ ए॰ केस सं॰ 26 वर्ष 2009 दाखिल किया। उक्त आवेदन दिनांक 12.5.2011 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। इसे चुनौती देते हुए, याचीगण ने अपील सं॰ 132 वर्ष 2011 दाखिल किया।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जब एक बार अपील सं॰ 132 वर्ष 2011 ग्रहण की गयी थी और दिनांक 12.7.2013 के आदेश के तहत अनुज्ञात की गयी थी, कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण प्रत्यर्थी बैंक को 7,00,000/- रुपयों का भुगतान किए जाने का शर्त नहीं रख सकता था।

3. प्रत्यर्थी यूको बैंक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण जिन्हें कर्ज दिया गया था, ने भुगतान करने में व्यतिक्रम किया। ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 एकपक्षीय रूप से सुना गया था क्योंकि याचीगण कर्ज वसूली अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के बाद मामले का अनुसरण करने की उपेक्षा की। याचीगण को दिया गया कर्ज लोक धन है और प्रत्यर्थी बैंक इसकी वसूली के लिए कदम उठाने के लिए सांविधिक कर्तव्य के अधीन है। ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 12.7.2013 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आदेश न्यायोचित, उचित एवं साम्यापूर्ण है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 20 अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रावधानित करती है। धारा 21 आज्ञा देती है कि अपीलार्थी जिसके पास बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की राशि है को उक्त राशि के 75% जमा करना चाहिए। किंतु, धारा 20 के अधीन अपील ग्रहण किए जा सकने के पहले कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा उक्त राशि त्यक्त अथवा परिवर्तित की जा सकती है।

5. दिनांक 12.7.2013 के आदेश का परिशीलन प्रकट करता है कि याचीगण द्वारा दाखिल अपील अनुज्ञात की गयी है। ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 को इसके मूल फाइल में पुनर्स्थापित किया गया है और याचीगण को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गयी है। आगे निर्देश जारी किया गया है कि कर्ज वसूली अधिकरण याचीगण, जो अधिकरण के समक्ष विरोधी पक्षकार हैं, का लिखित कथन स्वीकार करेगा। यह प्रकट है कि याचीगण द्वारा दाखिल अपील दिनांक 12.7.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार की गयी थी। अपील स्वीकार करने और ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 को इसके मूल फाइल में पुनर्स्थापित करने के बाद कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी बैंक के पास 7,00,000/- रुपयों की राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। 21,95,613/- रुपयों की राशि की वसूली के लिए ओ॰ ए॰ सं॰ 10/2008 अभी भी याचीगण को अपना बचाव करने का अवसर देने के बाद न्यायनिर्णीत किया जाना है।

6. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि दिनांक 12.7.2013 के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है जहाँ तक कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी प्रत्यर्थी बैंक के पास 7,00,000/- रुपए जमा करने के निर्देश का संबंध है। तद्नुसार, रिट याचिका इस सीमा तक अनुज्ञात की जाती है कि याचीगण को कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी दिनांक 12.7.2013 के आदेश के तहत आदेशित प्रत्यर्थी बैंक के पास 7,00,000/- रुपए जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

ekuuh; vfer kHk dekj xlrk] U;k;efr

हितेश वर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 879 of 2011. Decided on 10th February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—पुनरीक्षण–विचारण न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध से याची को उन्मोचित किया किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए उन्मोचन याचिका अस्वीकार किया–प्राथमिकी में किए गए अभिकथन एवं मामा-मामी के बयान के सिवाए यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि दहेज की मांग के लिए मृतका को यातना दी गयी थी और क्रूरता के अध्यधीन किया गया था, इस अधिसंभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याची के विरुद्ध अभिकथन असद्भावपूर्ण आशय के साथ किया गया है–आरोप विरचित किए जा सकते हैं जब व्यक्तियों की अपराध में सह-अपराधिता अथवा अंतर्ग्रस्तता दर्शाते हुए गंभीर संदेह हैं किंतु वर्तमान मामले में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज अथवा सामग्री मौजूद नहीं है–अभिनिर्धारित, आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए कोई अवयव नहीं पाया था और याची को उन्मोचित किया था किंतु कोई कारण दिए बिना अथवा अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर चर्चा किए बिना अभिनिर्धारित किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है–यह निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर किसी चर्चा अथवा विचार के बिना दिया गया है–अभिकथनों के इसी संवर्ग पर याची के माता-पिता को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के आरोप से विमुक्त किया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 14 एवं 15)

अधिवक्तागण.–M/s Rajeev Ranjan, Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; Mr. Vikash Kishore, For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण दिनांक 22.11.2011 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, उन्मोचन याचिका अंशत: अस्वीकार कर दी गयी है किंतु विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची हितेश वर्मा और उसके माता-पिता अर्थात् कीर्ति प्रसाद वर्मा एवं सरोज बाला वर्मा के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 498A एवं 34 के अधीन प्राथमिकी संस्थित की गयी थी। कि अन्वेषण के बाद माता-पिता को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A और 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप से विमुक्त करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया था किंतु, याची के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया था जिसके बाद, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304 एवं 498A के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए उन्मोचित किया किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया। कि याची के आवेदन पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 173 (8) के निबंधनानुसार आगे अन्वेषण का आदेश दिया गया था और सी॰ आई॰ डी॰ द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था और वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी ने

अभिकथन झूठा पाया। कि सत्र न्यायालय ने सी॰ आई॰ डी॰ और पुलिस के अतिरिक्त अन्वेषण रिपोर्ट को मंगाने के लिए याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया जिसके बाद दांडिक रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 304/2008 दाखिल की गयी थी और उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.7.2009 के आदेश द्वारा दस्तावेजों, जो आरोप विरचित किए जाने के समय पर दिनांक 10.3.2008 के रिपोर्ट का भाग निर्मित करते हैं, के साथ दिनांक 17.12.2006 की जाँच रिपोर्ट मंगाने और विचार करने का निर्देश विचारण न्यायालय को देते हुए अपर न्यायिक आयुक्त का आदेश अपास्त कर दिया।

3. यह तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल हुआ है कि पहले जब आरोप के बिंदु पर सुनवाई के लिए मामला रखा गया था, तब दिनांक 5.3.2011 के आदेश (परिशिष्ट 4) द्वारा न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित करने के अवयव क्या हैं; अभियोजन ने निवेदन किया कि यह केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए आरोप पर जोर दे रहा है और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि अभियोजन ने स्वीकार किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि यातना, दहेज मांग एवं याची द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में प्राथमिकी में अभिकथन अभिलेख पर मौजूद सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है किंतु विचारण न्यायालय ने तथ्यों का अधिमूल्यन किए बिना एवं कोई कारण दिए बिना याचिका अंशत: अस्वीकार कर दिया।

4. यह आग्रह किया गया है कि पुत्र अवनीश सत्यांग ने केस डायरी के पैरा 52 में कथन किया है कि उसके माता–पिता के बीच मधुर संबंध था। उसने याची द्वारा यातना, प्रहार अथवा क्रूरता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है जिसे दिनांक 17.7.2005 की सी॰ आई॰ डी॰ रिपोर्ट में लिखा भी गया है। अवनीश का बयान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था जो सी॰ आई॰ डी॰ रिपोर्ट के पृष्ठों 265 से 268 पर संलग्न है।

5. यह इंगित किया गया है कि सी॰ सी॰ एल॰ जहाँ याची कर्मचारी था से संबद्ध डॉक्टरों एवं अपोलो अस्पताल के डॉक्टर ने सूचक की पुत्री के शरीर पर कोई उपहति नहीं पाया था। कि प्राथमिकी में मांग एवं भुगतान के संबंध में अभिकथन और केस डायरी के पैरा 3 के मुताबिक कि याची की माता को 30,000/- रुपयों का भुगतान किया गया था, केस डायरी के पैरा 29 में सूचक एवं किसी संतोष कुमार के बयान के मुताबिक सत्यापित एवं अन्वेषित किया गया था और पूरक केस डायरी के पैरा 41 के मुताबिक यह पाया गया था कि उक्त अवधि के दौरान याची की माता अमेरिका में थी, तद्नुसार, 30,000/- रुपयों के भुगतान का अभिकथन झूठा पाया गया था। कि केस डायरी के पैरा 54 के मुताबिक जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि उसकी पुत्री के मुंडन समारोह के लिए मृतका संजना वर्मा के खाता में 51,000/- रुपया जमा किया गया था और उक्त धन कभी नहीं निकाला गया था। कि डॉ॰ राय चंडीनाथ सहाय ने पूरक केस डायरी के पैरा 60 में कथन किया है कि मृतका विगत दस वर्षों से लम्बे समय से दमा की मरीज थी। दिनांक 12.10.2004 को उसे निमोनिया के इलाज के लिए गांधीनगर अस्पताल में भरती किया गया था और कार्डियक मसाज दिया गया था। डॉ॰ एच॰ डी॰ शरण ने पूरक केस डायरी के पैरा 62 में कथन किया है कि संजना वर्मा श्वास की बीमारी के इलाज के लिए दिनांक 7.10.2004, 9.10.2004 एवं 11.10.2004 को उसके इलाज के अधीन थी और याची उसे लाया था। यह दर्शाता है कि याची अपनी पत्नी (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के स्वास्थ्य के बारे में अत्यन्त चिंतित था।

यह निवेदन किया गया है कि याची के माता–पिता को पुलिस द्वारा विमुक्त किया गया था जिसके विरुद्ध सूचक ने विरोध याचिका दाखिल किया था जिसे खारिज किया गया था और यह चुनौती हीन बना हुआ है। कि मृतका को आग लगाने के प्रयास का अभिकथन अथवा मृतका की अनेक बार हत्या करने

के प्रयास का अभिकथन पड़ोसियों अथवा दंपत्ति की संतानों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है जो केस डायरी, पूरक केस डायरी, दिनांक 12.7.2005 की सी॰ आई॰ डी॰ रिपोर्ट, दिनांक 17.12.2006 की पुलिस रिपोर्ट, दिनांक 17.1.2007 की सी॰ आई॰ डी॰ रिपोर्ट एवं दिनांक 10.3.2008 की पुलिस रिपोर्ट से स्पष्ट है। कि ऐसा अभिकथन मृतका संजना वर्मा की मृत्यु के दो दिन बाद पहली बार किया गया है।

6. यह निवेदन किया गया है कि गवाहों ने कथन किया है कि सूचक एवं स्वर्गीय संजना वर्मा के संबंधी याची को उसकी पत्नी की मृत्यु के समय पर सांत्वना दे रहे थे। यदि याची ने मृतका संजना वर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया होता, सूचक अथवा उसके संबंधियों ने याची के साथ सहानुभूति नहीं जताया होता अथवा उसे सांत्वना नहीं दिया होता बल्कि समय के उस बिंदु पर उसने तुरन्त मामला दर्ज किया होता। डॉ॰ राघव शरण ने दिनांक 12.4.2004, 23.4.2004 और 7.5.2004 को मृतका संजना वर्मा का इलाज किया था और केस डायरी के पैरा 66 में उसका बयान इस अभिकथन को झुठलाया है कि याची के प्रहार के कारण मृतका के कान का पर्दा फट गया था। कि सूचक एवं उसके संबंधियों द्वारा किया गया अभिकथन कि याची ने अपनी पत्नी पर प्रहार किया था जिस पर उसे दिनांक 22.1.2004 से दिनांक 31.1.2004 तक गांधीनगर अस्पताल में भरती किया गया था, का अन्वेषण किया गया था और मेडिकल पेपर्स से यह पाया गया था कि किसी उपहति अथवा प्रहार का उल्लेख नहीं था और आई॰ सी॰ यू॰ यूनिट के नर्सों ने स्पष्टत: कथन किया है कि मृतका ने किसी प्रहार की शिकायत नहीं की थी।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वस्तुत: वर्तमान मामला अंतरस्थ हेतु के साथ दर्ज किया गया है जैसा प्राथमिकी में विवरण से स्पष्ट होगा जहाँ सूचक ने प्राख्यान किया है कि याची की संतानों को उसे सौंप दिया जाए। सूचक ने संतानों की अभिरक्षा के लिए अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन आवेदन दाखिल किया है।

8. यह आग्रह किया गया है कि अभिलेख पर कोई सामग्री मौजूद नहीं है और वस्तुत: यह केवल प्रहार, यातना एवं दहेज मांग के संबंध में सूचक, उसके पुत्र और पुत्री द्वारा फुसफुसाया गया संदेह मात्र है। कि विचारण न्यायालय इस तथ्य का अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि सूचक के अभिकथन कि मृतका के परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों को दिनांक 12/13.10.2004 को मृतका को अस्पताल में भरती किए जाने अथवा उसकी मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था और मृतका संजना वर्मा के माता–पिता कुछ पड़ोसियों से सूचना पाने पर दिनांक 15.10.2004 को राँची पहुँचे थे, का अन्वेषण किया गया था और यह स्पष्ट है कि सूचक केस डायरी, जो दिनांक 17.12.2006 की पुलिस रिपोर्ट के पैरा 14 पर संलग्न है, के पैरा 39 के मुताबिक दिनांक 12.10.2004 को राँची पहुँचे थे। मृतका को उसके मामा सुनील सहाय की उपस्थिति में अस्पताल में भरती किया गया था। कि दिनांक 17.12.2006 की पुलिस रिपोर्ट के पृष्ठ 176 पर संलग्न दस्तावेज के मुताबिक मृतका की मामी नीलिमा सहाय ने अस्पताल से मृतका का गहना प्राप्त किया था जहाँ से मृतका को एम॰ आई॰ सी॰ यू॰ ने ले जाया गया था जो दिनांक 17.12.2006 की उक्त पुलिस रिपोर्ट के संलग्नक के पृष्ठ 180 के मुताबिक है। कि साक्ष्य के उसी संवर्ग पर माता–पिता को पुलिस द्वारा आरोप से विमुक्त किया गया था।

9. अपने प्रतिवाद के समर्थन में उन्होंने **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक एवं अन्य, (2013)5 SCC 762,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि उन्मोचन के बिंदु पर साक्ष्य के अधिमूल्यन के लिए समस्त अन्वेषण रिपोर्टों अर्थात् आरंभिक, पूरक अथवा अतिरिक्त अन्वेषण रिपोर्टों पर प्रासंगिक सामग्रियों के रूप में विचार किया जाना होगा और इनका संयुक्त रूप से पठन करना होगा। यह निवेदन किया गया है कि गवाहों के साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य तथा डॉक्टर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका 'इंटरस्टीरियल फेफड़ा की बीमारी' से पीड़ित थी और बाद में उसे

निमोनिया भी हो गया था। उसे अस्पताल में भरती किया गया था और बीमारी के कारण उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गयी और किए गए अभिकथन कि उस पर प्रहार किया जाता था और यातना दी जाती थी जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी, अभिलेख पर मौजूद अनधिक्षेपणीय एवं असंदिग्ध दस्तावेजों द्वारा झुठलाया गया है।

10. यह निवेदन किया गया है कि जब दो दृष्टिकोण संभव हैं और कोई गंभीर अथवा मजबूत संदेह नहीं है, अभियुक्त उन्मोचित किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य, (1979)3 SCC 4,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है जिसका अनुसरण **दिलवर बालू खरामे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002)2 SCC 135,** और **युगेश उर्फ जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008)10 SCC 394** में किया गया है।

11. उक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने तात्विक तथ्यों एवं अधिकथित सिद्धांतों का अधिमूल्यन किए बिना यांत्रिक तरीके से उन्मोचन आवेदन अस्वीकार कर दिया है और आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और याची उन्मोचित किए जाने योग्य है।

12. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री विकास किशोर ने इस तथ्य को विवादित नहीं किया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक दिनांक 17.12.2006 और दिनांक 10.3.2008 की अतिरिक्त अन्वेषणों रिपोर्टों पर आरोप विरचित किए जाने के समय पर विचार किया गया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सह-अभियुक्तगण अर्थात् माता-पिता अर्थात् कीर्ति प्रसाद वर्मा एवं सरोज बाला वर्मा को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन आरोप से विमुक्त किया गया है क्योंकि पुलिस द्वारा दिनांक 28.6.2005 को फाइनल रिपोर्ट दाखिल किया गया था और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 16.1.2006 को इसे स्वीकार किया गया था। सूचक की विरोध याचिका भी खरिज कर दी गयी थी और इसे सूचक द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन आरोप विरचित करने के लिए सामग्री पाया है। उन्होंने निवेदन किया है कि प्राथमिकी में विनिर्दिष्ट अभिकथन है कि याची की माता को चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि दी गयी थी। कि अभिकथन है कि यह याची अपने माता-पिता के साथ सूचक की पुत्री अर्थात् मृतका को यातना एवं क्रूरता के अध्यधीन करता था। कि अभिकथन है कि उन्होंने उसकी पुत्री का गला दबाने का प्रयास किया था। यह अभिकथन भी है कि याची की माता और याची ने संजना वर्मा (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) पर किरासन तेल डाला था और उसको आग लगाया था जिसे पड़ोसियों द्वारा बुझाया गया था। कि सूचक ने अपनी पुत्री के शरीर पर उपहति चिन्ह देखा था और इसे उसकी पत्नी एवं साला द्वारा भी देखा गया था।

13. अधिवक्ता सुने गए। अभिलेख पर मौजूद सामग्री एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया गया।

14. प्राथमिकी के मुताबिक सूचक ने दहेज मांग एवं याची की माता को 4 लाख रुपयों के भुगतान के बारे में अभिकथन किया है। प्राथमिकी में यह लिखा गया है कि अप्रिल, 2004 में किसी संतोष कुमार ने अभिकथित रूप से याची की माता को 30,000/- रुपया दिया है। पुलिस और सी॰ आई॰ डी॰ के अन्वेषण के मुताबिक, 9 मार्च से 25 जून तक के बीच की अवधि के दौरान याची की माता अमेरिका में थी। पूरक केस डायरी के पैराओं 33 एवं 41 के मुताबिक इसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। पासपोर्ट में, दिनांक 4.3.2004 को उसके अमेरिका पहुँचने और दिनांक 25.6.2004 को कलकत्ता पहुँचने के संबंध में प्रविष्टि की गयी है। यह सत्य है कि याची के माता-पिता को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन आरोपों से विमुक्त किया गया है। विनिर्दिष्ट अभिकथन सास को और न कि याची को धन सौंपने का है। मृतका पर किरासन तेल छिड़कने एवं उसको आग लगाने का अभिकथन किसी

चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है और न ही पड़ोसियों अथवा संतानों ने उक्त अभिकथन का समर्थन किया है। सूचक ने आगे अभिकथित किया है कि मृतका की नसों में वायु का बुलबुला डाला गया था जिसने उसकी मृत्यु कारित किया। शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की मृत्यु का कारण फेफड़े की पुरानी बीमारी एवं इसकी जटिलता थी। डॉक्टर ने मृतका के शरीर पर उपहति का कोई चिन्ह अथवा जलन उपहति भी नहीं पाया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में बाह्य उपहति भी नहीं पायी गयी थी।

यह प्रकट है कि पहले आरोप के बिंदु पर सुनवाई के समय, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए आरोप पर जोर दिया था और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन आरोप पर जिससे अभियोजन द्वारा इनकार नहीं किया गया है। गवाहों का परिसाक्ष्य है कि याची और सूचक की पुत्री के बीच विवाह संपन्न किया गया था और उनके मृदुल संबंध थे क्योंकि वे पारिवारिक मित्र थे और दोनों परिवार एक-दूसरे को पहले से ही जानते थे। सूचक ने अभिकथित किया है कि उसे अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था जबकि, जैसा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, अन्वेषण रिपोर्ट एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री प्रकट करते हैं कि मृतका के मामा-मामी उपस्थित थे जब मृतका को इलाज के लिए ले जाया गया था। दिनांक 17.12.2006 की अन्वेषण रिपोर्ट में पैरा 9 पर यह उल्लिखित किया गया है कि सूचक दिनांक 13.10.2004 को सी॰ सी॰ एल॰ अस्पताल एवं अपोलो अस्पताल में उपस्थित था और वह याची एवं अपनी पुत्री (जिसकी अब मृत्यु को चुकी है) के साथ अपोलो अस्पताल गया था। पूरक केस डायरी के पैराओं 33 एवं 39 के मुताबिक अन्वेषण अधिकारी ने पाया है कि सूचक दिनांक 12.10.2004 को ही राँची पहुँचा था। पूरक केस डायरी के पैरा 60 में कथन किया गया है कि डॉ॰ राय चंडीनाथ चौधरी जो दिनांक 12.10.2004 को याची के घर गए थे, ने सूचक एवं उसके साला सुधीर सहाय एवं उसकी पत्नी को वहाँ पाया था। इस प्रकार, सूचक का बयान कि किसी को सूचित नहीं किया गया था, मनगढ़ंत बयान प्रतीत होता है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुकूल नहीं है।

प्राथमिकी में किए गए अभिकथन एवं मामा-मामी के बयान के सिवाए यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था। इस अधिसंभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि असद्भावपूर्ण आशय के साथ याची के विरुद्ध अभिकथन किया गया है। यह सत्य है कि आरोप विरचित किए जा सकते हैं जब अपराध में व्यक्तियों की सह-अपराधिता अथवा अंतर्ग्रस्तता दर्शाने वाला गंभीर संदेह है। किंतु वर्तमान मामले में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज अथवा सामग्री मौजूद नहीं है। कि आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए कोई अवयव नहीं पाया था और याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A के अधीन अपराध के लिए आरोप से उन्मोचित कर दिया, किंतु कोई कारण दिए बिना अथवा अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर चर्चा किए बिना अभिनिर्धारित किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। वस्तुतः जैसा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है और जिसका विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा खंडन नहीं किया गया है, अभिकथनों के उसी संवर्ग पर याची के माता-पिता अथवा याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के आरोप से विमुक्त किया गया है।

15. ऊपर की गयी चर्चा एवं अभिलेख पर मौजूद् सामग्री की दृष्टि में यह न्यायालय पाता हैं कि आक्षेपित आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है और यहाँ ऊपर की गयी चर्चा एवं अभिलेख पर मौजूद् सामग्री की पृष्ठभूमि में संपोषणीय नहीं है। कार्यवाही जारी रखना केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग एवं लोक समय की बर्बादी होगी। तद्नुसार, याची को एतद् द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। दिनांक 22.11.2011 का आक्षेपित आदेश उक्त सीमा तक अपास्त किया जाता है।

16. पुनरीक्षण एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;kefr

दिनेश्वर राम

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 828 of 2009. Decided on 12th March, 2015.

सत्र केस सं॰ 29 वर्ष 2007 में श्री राजेश कुमार दूबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 18.8.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 20.8.2009 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 376–बलात्संग–दोषसिद्धि–पक्षद्रोही गवाह–सूचनादाता तथा पीड़िता के पिता ने भी परीक्षा के अनुक्रम में घटना के तथ्य से इनकार किया था तथा अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री के साथ कोई अनुचित कार्य कारित नहीं किया था–पीड़िता लड़की ने अपनी परीक्षा में उस ढंग का विस्तृत विवरण दिया था जिस ढंग से अपीलार्थी ने उसे निर्वस्त्र कर दिया था तथा इसके उपरान्त उसके साथ बलात्संग कारित किया था, इस गवाह ने अपीलार्थी को चेहरे से तथा नाम से भी पहचाना था–एक मात्र गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है वशर्ते कि गवाह द्वारा जो अभिसाक्ष्य दिया गया है वह अकाट्य तथा भरोसे के लायक हो–न्यायालय को इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य का एक गुणात्मक आकलन करना होता है तथा एक मात्रात्मक आकलन नहीं–अभिनिर्धारित, विचारण न्यायालय ने पीड़िता के एकल परिसाक्ष्य पर भरोसा करके अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने में कोई अवैधानिकता कारित नहीं की थी–अभियोजन द्वारा इस प्रभाव का तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी पीड़िता का संबंधी था तथा बलात्संग के मामले में भारतीय समाज में किसी लड़की या उसके परिवार द्वारा सामना किये जानेवाले अपमान पर विचार करते हुए, प्राथमिकी संस्थित करने में हुए विलम्ब का उपयुक्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है–उसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है–अपील खारिज। (पैराएँ 14 से 17)

निर्णयज विधि.–2002(2) Eastern Criminal Cases 292 (SC); 2004(1) Eastern Criminal Cases 152(Jhr); 2011(2) SCC 385—Referred; 2011(14) SCC 309—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Trivedi, For the Appellant; Mr. P.K. Appu, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ त्रिवेदी तथा राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पी॰ के॰ अप्पू को सुना।

2. यह अपील सत्र विचारण सं॰ 29 वर्ष 2007 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 18.8.2014 के निर्णय के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसमें अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की गयी थी तथा सात वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने एवं 10,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश सुनाया गया था तथा जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में, उसे और छह महीनों का सश्रम कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया था।

3. जैसा कि सूचनादाता, अर्थात्, कैल भुईयां, जो अ॰ सा॰ 1 है, के फर्दबयान से प्रतीत होता है, अभियोजन मामला यह है कि लगभग 16 वर्षीय उसकी पुत्री प्रतिमा कुमारी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तथा वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम नहीं है। यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी दिनेश्वर राम रेलवे में एक फिटर के तौर पर कार्य करता था तथा किसी लालो देवी के साथ उसका अनैतिक सम्बंध था। अ॰ सा॰ 1 द्वारा फर्दबयान में यह भी कथित किया गया है कि चूँकि उसकी पुत्री की मानसिक क्षमता अति स्वस्थ नहीं है, इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त दिनेश्वर राम ने उसकी नि:शक्तता का लाभ उठाते हुए उसे पकड़ लिया था एवं उसके साथ बलात्संग कारित किया था।

4. मामला संस्थित कर दिये जाने के उपरान्त, पुलिस द्वारा अन्वेषण का संचालन किया गया था एवं मामला सही पाते हुए, अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात, दिनेश्वर राम (अपीलार्थी) के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था तथा पुलिस के कागजात की आपूर्ति एवं मामले को सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरान्त, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था जिसका अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया था एवं विचारण किये जाने का दावा किया था।

5. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में चार गवाहों को परीक्षित किया था। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया था।

6. कैल भुईंयां, जो सूचनादाता तथा पीड़िता प्रतिमा कुमारी (अ॰ सा॰ 2) का पिता भी है, ने परीक्षा के अनुक्रम में घटना के तथ्य से इनकार किया है तथा अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री के साथ कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि अपीलार्थी तथा कोई लालो देवी एक घर में एक ही साथ रह रहे हैं तथा लालो देवी अपीलार्थी की पत्नी है। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि वह अपनी पत्नी के साथ पुलिस थाना आया था तथा मामला दर्ज किया था एवं पुलिस ने उसकी पुत्री-अ॰ सा॰ 2 का भी बयान अभिलिखित किया है, परन्तु ऐसा बयान उसकी मौजूदगी में दर्ज नहीं किया गया था। इस गवाह ने पीड़िता-अ॰ सा॰ 2 के साथ अपीलार्थी द्वारा बलात्संग कारित किये जाने से संबंधित तथ्य से इनकार किया है। अभियोजन के आग्रह पर, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था।

7. अ॰ सा॰ 2-प्रतिमा कुमारी पीड़ित लड़की है तथा सूचनादाता (अ॰ सा॰ 1) की पुत्री है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में उस ढंग का एक विस्तृत विवरण दिया है जिस ढंग से अपीलार्थी ने उसे निर्वस्त्र किया था एवं उसके पश्चात् उसके साथ बलात्संग कारित किया था। इस गवाह ने अपीलार्थी को चेहरे तथा नाम से पहचाना भी है। अ॰ सा॰ 2 की परीक्षा के अनुक्रम में, विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता की मानसिक तथा शारीरिक अवस्था अभिलिखित की थी तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में नहीं है तथा अपने आप को अभिव्यक्त करते समय, वह हकलाती है तथा उसके शारीरिक हुलिये से उसकी आयु इंगित नहीं होती है। अ॰ सा॰ 2 की प्रतिपरीक्षा में, उसने अपने रक्तरंजित वस्त्रों के बारे में कथित किया था जिन्हें उसने अपने माता-पिता को दे दिया था, परन्तु उसके माता-पिता ने आवश्यक कार्रवाई हेतु इसे पुलिस थाना अग्रसारित नहीं किया था। उसने यह भी निवेदन किया है कि उसके चिल्लाने पर, आस-पास से कई लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े थे। उसने यह भी अभिसाक्ष्य

दिया है कि चूँकि अपीलार्थी का उसकी बहन के साथ विवाह हुआ था, अतएव, अपीलार्थी के साथ उसका संबंध तनावपूर्ण है तथा चूँकि यह प्रहार का एक मामला था, वह प्रहार के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस थाना गयी थी।

8. अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ सीमा रानी प्रसाद ने 15.11.2006 को 3.30 बजे अपराह्न में पीड़िता प्रतिमा कुमारी की परीक्षा की थी। परीक्षा करने पर, इस गवाह को पीड़िता के शरीर के किसी हिस्से पर कोई बाहरी उपहति नहीं मिली थी। इस गवाह के अनुसार, रोगात्मक परीक्षा पर, उसके योनि द्रव्य में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था तथा एक गर्भावस्था परीक्षण भी किया गया था जिसे नकारात्मक पाया गया था। इस गवाह ने पीड़ित लड़की की आयु का आकलन 15 वर्ष से कम किया था।

9. अ॰ सा॰ 4 अनिल कुमार अन्वेषण पदाधिकारी है जिसने अ॰ सा॰ 1 द्वारा दर्ज मामले के अनुसरण में अन्वेषण का संचालन किया था तथा मामला सही पाने के उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। उसने अपनी परीक्षा के दौरान निवेदन किया कि अन्वेषण प्रारंभ करने के उपरान्त, उसने घटना स्थल का दौरा किया था जिसे उसे पीड़िता–अ॰ सा॰ 2 द्वारा दिखाया गया था तथा उसने घटना स्थल का विवरण प्रदान किया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि उसने पीड़िता को मानसिक रूप से बीमार पाया था एवं किसी प्रकार से वह स्वयं अपने शब्दों में तथा संकेतों द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकी थी। पीड़िता द्वारा इस गवाह को संकेतों के माध्यम से बलात्संग कारित किये जाने का कार्य प्रकटित किया गया था जिससे इस गवाह ने निष्कर्ष निकाला था कि अ॰ सा॰ 2 के साथ बलात्संग कारित किया गया था। प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया था कि पीड़िता अ॰ सा॰ 2 ने उसे इस बारे में बताया था कि अपीलार्थी ने उसे किस प्रकार पकड़ लिया था एवं उसे निर्वस्त्र कर दिया था तथा उसके साथ बलात्संग कारित किया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया था कि अ॰ सा॰ 2 ने उससे घटना के तथ्य से इनकार किया था।

10. अभियुक्त की दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गयी थी तथा उसने केवल बलात्संग कारित किये जाने से इनकार किया था, परन्तु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षा में, उसने अभिकथित रूप से उसे झूठ मूठ फंसाये जाने के संबंध में कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ त्रिवेदी ने निवेदन किया है कि फर्दबयान 14.11.2006 को अभिलिखित किया गया था तथा घटना की तिथि कथित रूप से फर्दबयान अभिलिखित किये जाने की तिथि के दो महीने पहले बतायी गयी है तथा वर्तमान मामला दर्ज करने में हुए विलम्ब के संबंध में अभियोजन कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका था। इस संदर्भ में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **2002 (2) ईस्टर्न क्रिमिनल केसेज 292 (SC)** में रिपोर्ट किये गये **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम जलपथी सुब्बारायूडू एवं अन्य** के मामले को निर्दिष्ट किया है, जिसमें निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *^^4. fu%lng ;g lgh g fd bl ekeyk e foyEc viu vki e vfHk;ktu d ekey d fy, ?kkrd ugh gk ldrk g] cfYd ;g ekey d vU; rF;k rFkk ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxkA***

उन्होंने **2004(1) ईस्टर्न क्रिमिनल केसेज 152 (Jhar.)** में रिपोर्ट किये गये **सुभाष दास बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)** के मामले को भी निर्दिष्ट किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप प्राय: अलंकरण सामने आती है जो बाद में सोच समझकर उत्पन्न की गयी होती है तथा विलम्ब के कारण प्राथमिकी न केवल तात्कालिकता के लाभ से रहित हो जाती है, बल्कि एक रक्तरंजित पक्ष या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के सामने आ जाने का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है।''

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथित किया है कि समूची दोषसिद्धि अ॰ सा॰ 2, पीड़िता के एकल परिसाक्ष्य पर आधारित रही है जिसका न तो गवाहों द्वारा सम्पोषण किया गया है, न

ही इसका चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्पोषण हुआ है। इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि किसी गवाह के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि करना खतरनाक होगा। इस संदर्भ में, उन्होंने **'2011 (2) SCC 385'** में रिपोर्ट किये गये **'अलामेलू एवं एक अन्य बनाम आरक्षी निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये राज्य'** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को निर्दिष्ट किया है। अपना तर्क आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि वस्तुत: अ॰ सा॰ 1, पीड़िता का पिता पक्षद्रोही हो गया है तथा अ॰ सा॰ 4, अन्वेषण पदाधिकारी ने भी स्पष्टत: कथित किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन अ॰ सा॰ 2 का बयान अभिलिखित किये जाने के समय, उसने अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा बलात्संग कारित किये जाने के तथ्य से इनकार किया था। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के ही समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, परन्तु किसी पेशेवर चिकित्सक द्वारा उसकी मानसिक स्थिति अभिप्रमाणित कराने के लिए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे। आयु को निर्दिष्ट करते हुए जिसे अ॰ सा॰ 3 द्वारा 15 वर्ष अभिनिर्धारित किया गया है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मोदी के चिकित्सा विधि शास्त्र तथा विष विज्ञान को निर्दिष्ट किया है जिसमें सटीक रूप से आयु को सिद्ध करने वाले जो मुख्य कारक हैं वह अस्थिविकास (ossification) परीक्षण तथा दांत, कद तथा भार के संबंध में किये गये परीक्षण होंगे। उन्होंने निवेदन किया है कि आयु 15 वर्ष निर्धारित करते समय, चिकित्सा विधि शास्त्र के अनुसार कोई भी परीक्षण संचालित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार आयु का कोई अंतिम आकलन अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है तथा अ॰ सा॰ 3, चिकित्सक ने उपधारणा के आधार पर अ॰ सा॰ 2 की आयु का आकलन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि चिकित्सीय परीक्षा के अनुसार, पीड़िता लड़की का hymen उपस्थित था जो बलात्संग के अभिकथन को झुठलाता है।

13. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पी॰ के॰ अप्पु इस अपील का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि जहां तक अ॰ सा॰ 2 के पक्ष का सवाल है, उसने घटना के ढंग का एक सजीव वर्णन प्रदान किया है जिसपर मात्र इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि इस संबंध में कोई सम्पोषक साक्ष्य नहीं रहा है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, साक्ष्य की गुणवत्ता का अवलोकन किया जाना होता है, साक्ष्य की मात्रा का नहीं। चिकित्सक द्वारा पीड़िता–अ॰ सा॰ 2 की परीक्षा के संबंध में, उन्होंने निवेदन किया है कि घटना की तिथि से दो महीनों के उपरान्त उसकी परीक्षा की गयी थी, इस प्रकार, यह अपेक्षित था कि पीड़िता लड़की पर बलात्संग का कोई चिन्ह नहीं पाया जायेगा।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई करने के उपरान्त तथा अवर न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त, मैं पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 1 कैल भुईयां के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी संस्थित की गयी थी, जो पीड़िता लड़की का पिता है। फर्दबयान में, अ॰ सा॰ 1 द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथित किया गया था कि उसकी पुत्री की मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुए अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग कारित किया था। तथापि, पुलिस के समक्ष अपने बयान से वह पलट गया था तथा विचारण में उसने घटना से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में, इसे अ॰ सा॰ 2, पीड़िता लड़की के साक्ष्य से मालूम किया जाना था कि यह सुसंगत, भरोसे के योग्य तथा विश्वसनीय है या नहीं। अ॰ सा॰ 2 ने अपने साक्ष्य में कथित किया था कि किस प्रकार अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया था एवं उसे निर्वस्त्र करने के उपरान्त उसके साथ बलात्संग कारित किया था। वस्तुत:, उसके साक्ष्य के अनुक्रम में, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा यह अभिलिखित किया गया था कि गवाह मानसिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है तथा वह हकला कर बोलती है। तथापि, अ॰ सा॰ 2 का साक्ष्य स्पष्टत: अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग कारित किये जाने का तथ्य प्रकट करता है। अपीलार्थी के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा इसपर काफी बल दिया गया है कि समूची दोषसिद्धि अ॰ सा॰ 2 के एकल परिसाक्ष्य पर आधारित है तथा किसी सम्पोषण के बिना यह साक्ष्य का भरोसेमंद टुकड़ा नहीं रह जाता है। इस संदर्भ में, **(2011) 2 SCC 385** में रिपोर्ट किये गये **'अलामेरू एवं एक अन्य बनाम आरक्षी निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये राज्य'** के मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है तथा सुसंगत अंश यहां नीचे उत्कथित किया गया है:–

^^51. jke'oj cuke jktLFkku jkT; e bl U;k;ky; u ?kkf"kr fd;k Fkk fd cykRlx d fdlh ekey e lEik"k.k nk"kflf) d fy, vfuok; ugh gA iokDr ekey e] U;k;ky; d fy, ckyr g, U;k;efr fofo;u ckl u fuEuor lEijhf{kr fd;k Fkk%&(AIR i"B 57] ijk 19)

^^19. ---- tk fu;e ekeyk d vulkj dBkj gkdj fofèk cu x;k g] og ;g ugh g fd fdlh nk"kflf) d igy lEik"k.k vfuok; g cfYd lEik"k.k dh vko';drk cf)eÙkk d ,d dkjd d rkj ij] flok; ml fLFkfr d tgk ifjfLFkfr;k ble NV nuk ljf{kr cuk nrh g] vko';d :i l U;k;kèkh'k d eu e mifLFkr gkuk pkfg, ---- fofèk dk ,dek= fu;e ;g g fd cf)eÙkk dk ;g fu;e vko';d :i l U;k;kèkh'k ;k T;jh] ;Fkk fLFkfr] d eu e mifLFkr gkuk pkfg, rFkk mld ;k mud }kjk le>k tkuk pkfg, ;k eY;kfdr fd;k tkuk pkfg,A ifjikVh dk ,lk dkb fu;e ugh g fd iR;d ekey e nk"kflf) cjdjkj j[k tku l igy lEik"k.k dk gkuk vko';d gA**

52. ckn e db fu.k;k e bl U;k;ky; }kjk fofèk dh iokDr ifriknuk dh iujkofÙk dh x;h gA ; lEijh{k.k fdlh idkj dk lng ugh jgu nr g fd fdlh ihfMr d ,dy] vlEikf"kr lk{; ij nk"kflf) vfHkfyf[kr dh tk ldrh g c'kÙk fd ;g fdlh ,lh cfu;knh ncyrk ;k vufèklHkk0;rkvk l xLr ugh g tk bl Hkjkl d yk;d ugh jgu nrh gA**

15. अतएव, इसका अभिप्राय यह होगा कि एकमात्र गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है बशर्ते कि गवाह द्वारा जो अभिसाक्ष्य दिया गया है, वह अकाट्य तथा भरोसे के योग्य है। न्यायालय को इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य का गुणात्मक आकलन करना होता है, मात्रात्मक आकलन नहीं। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, चूँकि अ॰ सा॰ 2 का साक्ष्य भरोसा उत्पन्न करता है तथा एक भरोसेमन्द साक्ष्य है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 2 के एकल परिसाक्ष्य पर भरोसा करके अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने में कोई अवैधानिकता कारित नहीं की थी। जहां तक प्राथमिकी संस्थित करने में हुए विलम्ब के प्रश्न का सम्बन्ध है, **2011 (14) SCC 309** में रिपोर्ट किये गये **'ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य'** के मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजन द्वारा एक बार कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिये जाने पर, प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब मात्र आवश्यक रूप से अभियोजन के मामले के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा। वर्तमान मामले में, अभियोजन द्वारा इस प्रभाव का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है कि अपीलार्थी पीड़िता का संबंधी है तथा बलात्संग के किसी मामले में भारतीय समाज में किसी लड़की या उसके परिवार द्वारा सामना किये जानेवाले अपमान पर विचार करते हुए, प्राथमिकी संस्थित करने में हुआ विलम्ब उपयुक्त रूप से स्पष्टीकृत किया गया है। इससे भी बढ़कर यह प्रतीत होता है कि अन्य कारणों में जिस एक कारण से अ॰ सा॰ 1 ने मामला संस्थित किया था, वह यह था कि यह समझा गया था कि अ॰ सा॰ 2 गर्भवती हो गयी है तथा इसके बाद मामला प्रकाश में आया था। यद्यपि अ॰ सा॰ 2 पर संचालित किये गये गर्भावस्था परीक्षण ने एक नकारात्मक परिणाम दिया था परन्तु उपरोक्त प्रगणित परिस्थितियां इस निष्कर्ष की ओर ले जायेंगी कि मामला संस्थित करने में हुआ विलम्ब अभियोजन द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्टीकृत कर दिया गया है। जहां तक पीड़िता अ॰ सा॰ 2 की मानसिक अवस्था का संबंध है, उसके अभिसाक्ष्य के अनुक्रम में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे ध्यान में लिया गया था, परन्तु उसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने

के लिए बचाव पक्ष द्वारा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उन कतिपय विरोधात्मकताओं पर, जो गवाहों के साक्ष्य से उत्पन्न हो रही हैं, भरोसा करने की ईप्सा की है तथा ऐसे संदर्भ में, **'ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य' (ऊपर)** के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जिसमें निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था:–

*^^iR;d NkVh ekVh folxfr ;k NkVh ekVh fojks/kkRedrk dk] tk xokg d 'k{kf.kd rFkk vU; i"BHkfe dk è;ku e j[kr g, le; xtju d dkj.k fdlh xokg d c;kuk e lkeu vk ldrh g] vfHk;ktu d ekey d fy, ?kkrd folxfr d rkj ij ugh ekuk tk ldrk gA U;k;ky; dk vko';d :i l dFku dh ijh li.krk] mld lgh ifji{; e rFkk vfHk;ktu }kjk vfHky[k ij yk;h x;h lyXu ifjfLFkfr d vkykd e ijh{kk djuh gA***

16. अतएव, पूर्वगामी पैराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों को जोड़ते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन अपने मामले को किसी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, इस अपील में कोई गुण न होने के कारण, इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

17. चूँकि अपीलार्थी जमानत पर है, उसके जमानत बंध पत्र रद्द किये जाते हैं तथा अपीलार्थी को अपने दंडादेश का शेष भाग भुगतने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

महाबीर गोसाईं उर्फ महाबीर गोसाई

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 138 of 2014. Decided on 12th March, 2015.

चक्रधरपुर पुलिस थाना केस सं॰ 71 वर्ष 2000 से उद्भूत सत्र विचारण सं॰ 52 वर्ष 2001 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 4.3.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय/आदेश तथा दिनांक 7.3.2008 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–आयुध अधिनियम, 1959–धारा 27–दोषसिद्धि–दांडिक विधिशास्त्र में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है–अभियोजन के लिए युक्तिसंगत संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करना होता है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता से अभियुक्त की दोषसिद्धि की ईप्सा करने में अभियोजन दुर्बल आधार पर है–स्वीकार्यतः, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस मुख्य अभियुक्त ने अपनी पिस्तौल से गोली दागी थी, उसे अभियुक्त द्वारा उकसाया गया था–अभियुक्त ने दो साथियों के साथ केवल मदिरा पान करने के लिए मृतक के घर में प्रवेश किया था तथा मृतक की हत्या करने के आशय के साथ नहीं–अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप का तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोप का अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 11, 13 से 18)

अधिवक्तागण.–Ms. Shweta Singh, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–अपीलार्थी महावीर गोसाईं (इसमें इसके पश्चात 'अभियुक्त' के तौर पर निर्दिष्ट) वर्ष 2001 से संबंधित किसी मामले में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के दिनांक

7.3.2008 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 सह-पठित धारा 34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्धि का सामना करने के उपरान्त जब उक्त निर्णय को आक्षेपित करते हुए अपील दाखिल नहीं कर सका था, उसने वर्ष 2012 में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) की सेवायें इप्सित की थी, परिणामस्वरूप JHALSA ने अभियुक्त का बचाव करने के लिए सुश्री श्वेता सिंह को नियुक्त किया था। इसी कारण से प्रस्तुत अपील के दाखिले में भारी विलम्ब हुआ था जिसे अब दिनांक 18.9.2014 के आदेश से न्यायालय द्वारा माफ कर दिया गया है। अभियुक्त कथित रूप से पिछले 14 वर्षों से भी अधिक समय से हिरासत में है, अतएव, इस मामले पर अंतिम रूप से विचार किये जाने के लिए इसे प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

2. इस मामले में मृतक केदार गोसाईं है तथा अभियुक्त उसका पुत्र है। वह मृतक की पहली पत्नी से है। मृतक केदार गोसाईं के बयान पर प्रारंभ में मामला केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज किया गया था, उसमें यह अभिकथित करते हुए कि 26.8.2000 को जब वह अपना भोजन पूरा करने के उपरान्त अपने घर के प्रांगण में चौकी पर सो रहा था लगभग 1 बजे पूर्वाह्न में उसका पुत्र अन्य दो व्यक्तियों के साथ वहां आया था तथा उससे मदिरा की मांग की थी। उसने पीने के लिए उन्हें मदिरा दी थी तथा इसे लेने के उपरान्त उन्होंने उससे और मदिरा की मांग की थी जिससे उसने इनकार किया था तथा उस समय उन्होंने उसके साथ झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया था, जब उस दौरान उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली थी तथा उसपर गोली चला दी थी जो उसकी गर्दन के नीचे लगी थी तथा उसे उपहति आयी थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि घटना ने उसकी पत्नी अभियोजन साक्षी लक्ष्मी हेम्ब्रम को आकर्षित किया था जो घर ही में सो रही थी। इसने निकट रहने वाले कतिपय अन्य व्यक्तियों को भी आकर्षित किया था तथा इस दौरान अभियुक्त भाग गये थे। उक्त बयान में यह भी कथित किया गया है कि अंधेरे के कारण वह उन व्यक्तियों के चेहरे को पहचान नहीं सका था। उक्त कथन में यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त पैसे की मांग के लिए तथा उसे घर में रहने देने की अनुमति देने के लिए उसके साथ झगड़ा किया करता था। वर्तमान मामले में उसकी संलिप्तता के संबंध में मृतक के पड़ोसी किसी भकवा मुण्डा पर भी संदेह की उंगली उठायी गयी थी।

3. मृतक पांच दिनों तक अस्पताल में रहा था, इलाज के दौरान उसे septicaemia हो गया था तथा 5.9.2000 को अंततः उसकी मृत्यु हो गयी थी। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है, septicaemia के कारण होनेवाली हृदय श्वास संबंधी प्रक्रिया बन्द हो जाना मृत्यु का कारण था।

4. वर्तमान मामले का अन्वेषण अभियोजन साक्षी एम॰ पी॰ सिंह द्वारा किया गया था जिसने प्रारंभ में मृतक का बयान अभिलिखित किया था। अन्वेषण के समापन पर, अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों के लिए विचारण पर रखा गया था जिसके लिए उसकी दोषसिद्धि की गयी है तथा दंडादेश सुनाया गया है।

5. यहां इसे उल्लिखित किये जाने की आवश्यकता है कि अन्वेषण के दौरान, दो और हमलावरों, जिन्हें अभिकथित रूप से घटना के समय अभियुक्त के साथ दर्शाया गया था, को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।

6. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ विशम्भर दयाल, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था तथा पोस्टमार्टम प्रदर्शित कराया था, अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ पी॰ कूजूर, जिन्होंने प्रारंभ में मृतक की जांच की थी तथा उपहति रिपोर्ट प्रदर्शित करायी थी, अ॰ सा॰ 3 लक्ष्मी हेम्ब्रम, जो मृतक की पत्नी है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था, इस कारण पक्षद्रोही घोषित कर दी गयी थी, अ॰ सा॰ 4 नन्दी कुरी, जो बिल्कुल निकट का पड़ोसी था और जिसे पक्षद्रोही भी घोषित कर दिया गया था, अ॰ सा॰ 5 चोकेया हो, जो अनुश्रुत साक्ष्य पर गवाह है, अ॰ सा॰ 6 शंकर सरकार, जो बुलाया गया गवाह है तथा अ॰ सा॰ 7 महेश प्रसाद सिंह, जो वर्तमान मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है, की परीक्षा की है।

7. जैसा कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा से पता चलता है, अभियुक्त का मामला मात्र इनकार करने का मामला है। तथापि, उसने बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है।

8. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध विचारण न्यायालय के साक्ष्य का अवलोकन किया।

9. सुश्री सिंह ने निवेदन किया कि स्वयं मृतक के बयान से, जिसे अंतत: मृत्युकालिक घोषणा का दर्जा दिया गया है, अभियोजन मामले को सही मान लिये जाने पर भी विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता से अभिलिखित अभियुक्त की दोषसिद्धि समर्थनीय नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त मृतक से पैसे की मांग किया करता था एवं घर में भी रहना चाहता था जिसे असामान्य नहीं कहा जा सकता है, विशेषकर इस मामले में जब मृतक ने अपनी पहली पत्नी (अभियुक्त की माता) की मृत्यु के उपरान्त अभियोजन साक्षी लक्ष्मी हेम्ब्रम से विवाह किया था, अतएव, इस कारण पिता तथा पुत्र के बीच कोई भी झगड़ा हो सकता था। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि साथ ही साथ यह भी बिल्कुल संभव है कि अभियुक्त को शराब पीने की आदत थी तथा दुर्घटना के दिन भी वह अपने दो मित्रों/साथियों के साथ मदिरा पान करने के लिए मृतक के घर गया था जिसे, मृतक के अनुसार, तीनों व्यक्तियों को पिलाया गया था परन्तु जब उन्होंने और शराब की मांग की थी तथा मृतक ने इनकार कर दिया था, इसके परिणामत: मृतक तथा अभियुक्त समेत तीन व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो गया था तथा इस झगड़े के दौरान ही, तीनों में से एक (शिनाख्त ज्ञात नहीं) ने एक पिस्तौल निकाली थी तथा मृतक पर गोली चला दी थी। उन्होंने निवेदन किया कि यह बिल्कुल संभव है कि अभियुक्त के साथियों में से एक ने, जिसे भी शराब पिलायी गयी थी, और शराब देने से इनकार किये जाने पर इसपर उत्तेजित हो गया था तथा पिस्तौल निकाल ली थी एवं मृतक पर एक गोली दाग दी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अगर विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा यथा सामने लाये गये वर्तमान मामले को इसकी सम्पूर्णता में देखा जाता है, अभियुक्त के पिता की हत्या कारित करने के लिए सभी तीन अभियुक्तों का साझा आशय सुभिन्न रूप से अनुपस्थित है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता से अभियुक्त की दोषसिद्धि वैधानिक रूप से समर्थनीय नहीं होगी।

10. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करती हैं कि साक्ष्य के पूर्वोक्त टुकड़े के अलावा, अर्थात, घटना के ही दिन पुलिस को दिये गये मृतक के बयान के अलावा, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के मुख्य अपराध के कारित किये जाने से अभियुक्त को संबंधित करने के लिए अपराध में फंसाने वाला कोई अन्य साक्ष्य अभियोजन के पास नहीं है क्योंकि मृतक की पत्नी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. इसी अनुक्रम में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आयुध अधिनियम की धारा 27 के आरोप को भी अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आग्नेयायुध किसी और के पास था जो मृतक के घर में अभिकथित रूप से अभियुक्त के साथ था। अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा अपराध का हथियार बरामद नहीं किया गया है। इस प्रकार, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त इस आरोप के लिए भी दोषमुक्ति का हकदार है।

12. तत्प्रतिकूल, राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नि:संदेह अभियोजन अभियुक्त के दोनों साथियों को पकड़ने में सक्षम नहीं रहा है जो उसके साथ थे जब उन तीनों ने मृतक के घर में प्रवेश किया था एवं शराब की मांग की थी परन्तु यह तथ्य अपने आप में अभियोजन के मामले को खंडित नहीं कर देगा जहां तक वर्तमान अभियुक्त की संलिप्तता का संबंध है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह केवल अभियुक्त है जो मृतक के साथ झगड़ा किया करता था तथा घटना के दिन भी उसने

अपने दो साथियों के साथ मृतक के घर में प्रवेश किया था तथा इसके बाद उन्हें शराब पिलाने से मृतक द्वारा इनकार किये जाने पर, उसे उनमें से एक के द्वारा मार दिया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने अपने पिता की हत्या करने में अपने सह-अभियुक्त की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, अतएव, उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार, वह अपील की खारिजी का आग्रह करते हैं।

13. यह प्रतीत होता है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता चाहते हैं कि न्यायालय भावनाओं में बह जाये क्योंकि अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथन अभिकथित रूप से अपने पिता की हत्या कारित करने जैसे गंभीर प्रकृति का है, परन्तु दांडिक विधि शास्त्र में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अभियोजन के लिए युक्तिसंगत संदेह के किसी भी छाया से परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करना होता है, जो दांडिक विधि शास्त्र का स्थापित सिद्धांत है तथा प्रस्तुत मामले में, हमारी सुविचारित राय में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता से अभियुक्त की दोषसिद्धि की ईप्सा करने में अभियोजन अति दुर्बल आधार पर खड़ा है।

14. स्वीकार्यत:, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिस मुख्य अभियुक्त ने अपनी पिस्तौल से गोली चलायी थी, उसे पहले अभियुक्त द्वारा उकसाया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से हमें जो प्रतीत होता है वह यह है कि जब अभियुक्त समेत तीनों व्यक्तियों ने मृतक के घर में प्रवेश किया था, वह केवल शराब चाहते थे तथा मृतक द्वारा उन्हें यह पिलायी गयी थी तथा उनके द्वारा और शराब की मांग किये जाने पर ही जब मृतक ने इनकार किया था, मृतक, अभियुक्त तथा अन्य दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा प्रारंभ हो गया था तथा उस समय, उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली थी तथा मृतक के नाजुक हिस्से, अर्थात्, गर्दन पर चोट करते हुए एक गोली चला दी थी जो अंतत: जानलेवा साबित हुयी थी। अभिलेख पर जो कुछ भी उपलब्ध है, उससे यह आसानी से कहा जा सकता है कि अपने दो साथियों के साथ अभियुक्त मृतक के घर में केवल शराब पीने के लिए गया था तथा मृतक की हत्या कारित करने के इरादे से नहीं। अगर उनमें से किसी ने भी मृतक के घर में प्रवेश करने के तुरन्त बाद गोली चलायी होती, मृतक तथा उसके पुत्र, जो इसमें अभियुक्त हैं, के बीच कुछ तनाव के कारण मृतक को मार डालने के साझा आशय को कोई मान सकता था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम यहां यह कथित करते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें तीन व्यक्ति केवल शराब की मांग करने के लिए मृतक के घर में प्रवेश कर रहे हैं तथा इसके बाद जो होता है, वह एक पश्चातवर्ती घटनाक्रम है जो हत्या कारित करने के साझा आशय को संदर्भ से बाहर कर देती है। अभियोजन के मामले का उस परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किये जाने पर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के मुख्य आरोप का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यथा अभिलिखित उसकी दोषसिद्धि हस्तक्षेप किये जाने का हकदार है।

15. जहां तक आयुध अधिनियम की धारा 27 के आरोप का संबंध है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी उचित रूप से स्वीकार किया है कि यह अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध नहीं हुआ है। हमने भी अपने समाधान के लिए साक्ष्य का परिशीलन किया है तथा पाते हैं कि उक्त आरोप अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध नहीं है तथा वह उस बिन्दु पर भी दोषमुक्ति का हकदार है।

16. अब जो कुल परिणाम सामने आता है वह यह है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के आरोप तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के आरोप का भी अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार देखे जाने पर, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील अनुज्ञात किये जाने की हकदार है। तद्नुसार आदेश दिया गया। उसपर अधिरोपित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दण्डादेश अपास्त किया जाता है एवं उसे उसके विरूद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त कथित रूप से पिछले 14 वर्षों से हिरासत में है। उसे तत्काल रिहा किया जायेगा अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है। रजिस्ट्री को बिना समय गंवाये संबद्ध कारागार प्राधिकारी को

आदेश संसूचित करने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को भी प्रस्तुत अपील के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

18. निर्णय से अलग होने के पहले, हम एतद्द्वारा सुश्री श्वेता सिंह की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियोजित किये जाने के उपरान्त न्यायालय की सहायता की है। हम इस मामले में उनके द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा करते हैं। JHALSA को ऐसे उर्जावान अधिवक्ताओं को संलग्न करना चाहिए, वह भी प्रस्तुत मामले जैसे गंभीर प्रकृति के मामले में।

19. निर्णय की प्रतिलिपि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, JHALSA के समक्ष भी रखी जाये।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सुखदेव मंडल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 4352 of 2011. Decided on 21st May, 2015.

सेवा विधि–वसूली–कूटरचना का अभिकथन–प्रत्यर्थीगण द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था–याची ने विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण अपनाया है कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है–याची के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के पूर्व सत्यापन की दृष्टि में प्रत्यर्थीगण याची को कारण बताओ नोटिस जारी करने के कर्तव्य के अधीन थे–नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Rupesh Singh, For the Petitioner; Mr. L.C.N. Shahdeo, For the Resp.-State; Mr. Sudharshan Shrivastava, For the Resp. No.6.

आदेश

दिनांक 23.6.2011 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए और दिनांक 29.4.2011 के पत्र में अंतर्विष्ट आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची को दिनांक 31.3.1973 को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 30.6.2009 को सेवा से अधिवर्षित हुआ। जिला शिक्षा अधीक्षक दुमका ने दिनांक 27.7.2009 के पत्र के तहत याची को अपना शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह कथन किया गया है कि सह–ग्रामीण अर्थात् उमा महतो द्वारा परिवाद किया गया था जिसके आधार पर याची को सत्यापन के लिए पूर्वोक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 23.9.2009 को आदेश जारी किया गया था जिसके द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका ने याची को पेंशन निर्मुक्त करने का आदेश दिया गया था किंतु बाद में दिनांक 23.6.2011 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका ने 4,07,831/- रुपयों की उपदान राशि की वसूली और अर्जित अवकाश, बीमा, भविष्य निधि, छठें वेतन पुनरीक्षण के बकाया, पेंशन की अल्पीकरण की राशि, आदि की वसूली के लिए आदेश दिया।

3. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रुपेश सिंह निवेदन करते हैं कि नियुक्ति के समय पर याची को अपने प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जिन्हें प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया था और याची को सेवा में लिया गया था। बाद में भी, याची के विरुद्ध किए गए परिवाद पर जाँच की गयी थी और याची के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका ने याची को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान किए जाने का आदेश दिया। किंतु बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना के दिनांक 9.6.2011 के पत्र की प्रति प्रस्तुत किए बिना याची के विरुद्ध पूर्वोक्त राशि की वसूली का आदेश पारित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 23.6.2011 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया है क्योंकि याची को कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया था।

5. उक्त के विरुद्ध, झारखण्ड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एल॰ सी॰ एन॰ सहदेव ने निवेदन किया है कि चूँकि याची के विरुद्ध कूटरचना का अभिकथन किया गया था जिसे जाँच में सही पाया गया था, याची को कोई कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। यह निवेदन किया गया है कि याची, जिसने सेवा निवृत्ति लाभों के कारण भुगतान प्राप्त किया है, को इसे वापस करने की आवश्यकता विधि में थी, अत: दिनांक 23.6.2011 का आदेश पारित किया गया है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि उमा महतो द्वारा किए गए परिवाद के अनुसरण में याची के विरुद्ध अनुध्यात जाँच याची की जानकारी में थी। याची ने स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, अत:, यदि जाँच के बाद यह पाया गया है कि वे प्रमाण पत्र कूटरचित थे, याची किसी साम्यापूर्ण अनुतोष का हकदार नहीं है।

7. यह विवादित नहीं है कि दिनांक 31.3.1973 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश के तहत याची एवं अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.3.1973 का मेमो प्रकट करता है कि उम्मीदवारों की नियुक्ति समुचित सत्यापन एवं उम्मीदवारों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण के अध्यधीन थी। याची लगभग 36 वर्ष तक सेवा में बना रहा और दिनांक 30.6.2009 को सेवा से अधिवर्षित हुआ। केवल याची द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों की निर्मुक्ति के लिए दस्तावेज जमा करने पर ही याची के विरुद्ध अभिकथित रूप से किए गए परिवाद पर जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका ने याची को अपना शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 11.9.2009 के पत्र द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को सूचित किया कि सत्यापन पर याची का शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सही पाया गया है। तद्नुसार, दिनांक 23.9.2009 के पत्र के तहत याची का सेवानिवृत्ति लाभ निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया था। यह प्रतीत होता है कि याची के विरुद्ध किसी उमा महतो द्वारा परिवाद किया गया था। उक्त आवेदन को निर्दिष्ट करते हुए, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने दिनांक 13.10.2009 का पत्र लिखा जो प्रकट करता है कि याची का शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना से सत्यापित किया गया था और उन्हें सही पाया गया था। किंतु, दिनांक 23.6.2011 के पत्र के तहत याची को विभिन्न शीर्षों के अधीन भुगतान की गयी राशि की वसूली के लिए आदेश पारित किया गया है। दिनांक 23.6.2011 के आदेश का परिशीलन प्रकट करता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना के दिनांक 9.6.2011 के पत्र के आधार पर उक्त आदेश

पारित किया गया है। किंतु, प्रत्यर्थीगण ने इनकार नहीं किया है कि दिनांक 9.6.2011 के पत्र की प्रति याची को नहीं दी गयी थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याची ने विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण अपनाया है कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया है। याची के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के पूर्व सत्यापन की दृष्टि में प्रत्यर्थीगण याची को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बाध्यता के अधीन थे। याची को दिनांक 9.6.2011 के पत्र की प्रति देना भी प्रत्यर्थीगण पर बाध्यकारी था।

8. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि दिनांक 29.4.2011 एवं दिनांक 23.6.2011 के आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने के दायी है और तद्नुसार, एतद् द्वारा अभिखंडित किए जाते हैं। प्रत्यर्थीगण याची को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं और याची का प्रत्युत्तर इप्सित करने, के बाद प्रत्यर्थीगण मामले में अग्रसर होने एवं विधि के अनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। किंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि आक्षेपित आदेशों को केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर अभिखंडित किया गया है। इस प्रकार, याची को अपने विरुद्ध पारित किसी आदेश को चुनौती देने के लिए उसको उपलब्ध आधार लेने की छूट होगी।

9. तद्नुसार, उक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

फिरन सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 418 of 2004. Decided on 23rd April, 2015

भारतीय दण्ड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–दोषसिद्धि–बाल गवाह–अपीलार्थी को मृतकों की पुत्री एवं चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 5 सूचक के माता-पिता की हत्या के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया–इस गवाह के मुख के माध्यम से वर्णित तथ्यों का मैट्रिक्स घटनाओं का स्पष्ट स्वभाविक क्रम प्रकट करता है सायं 4.30 बजे सूचक, उसकी माता एवं उसका भाई कुआँ से आ रहे थे, चश्मदीद गवाह पूर्णतः स्वाभाविक गवाह है और उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, वह अपनी माता की गर्दन पर प्रहार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त तेज धार वाले हथियार जिसने घातक उपहतियाँ कारित किया के संबंध में संगत है–उपहतियों का वर्णन और मृतक की गर्दन पर तेज धार वाली उपहतियों की उपस्थिति जिसने मृत्यु कारित किया और चिकित्सा अधिकारी का मत अपराध की कारिता में अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता से संबंधित लेशमात्र संदेह भी नहीं छोड़ता है–आई॰ ओ॰ का विवरण सूचक द्वारा दिए गए विवरण को संपुष्ट करता है–अभिनिर्धारित, विचारण के दौरान बाल गवाह द्वारा शपथ पर जो भी कथित किया गया, वह प्राथमिकी में उल्लेख पाता है, बाल गवाह (सूचक) भी घटनास्थल पर उपस्थित थी, इस गवाह के साथ छल साधन करने का कोई कारण नहीं हो सकता था–अपील खारिज। (पैराएँ 10 से 15)

निर्णयज विधि.–(2004)1 SCC 64; (1998)7 SCC 177—Discussed.

अधिवक्तागण.–Mr. H.K. Shikarwar, For the Appellant; Mr. Hardeo Pd. Singh, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–अपीलार्थी दिनांक 2.12.2003 को अघनी देवी एवं जगमोहन सिंह की हत्या कारित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 5.12.2003 के आदेश द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इससे व्यथित होकर, उसने वर्तमान अपील दाखिल किया है। चूँकि अपीलार्थी 13 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में हैं, इसकी अंतिम सुनवाई के लिए इस अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

2. अभियोजन अन्य बातों के साथ अभिकथित करता है कि दिनांक 20.11.2001 को प्रात: 4.30 बजे सूचक अपनी माता अघनी देवी (मृतका) और छोटे भाई के साथ कुआँ से पानी लेकर घर आ रही थी। जब वे फगुआ सिंह के घर के निकट आए, तब अपीलार्थी/अभियुक्त सूचक की माता के पास आया और सूचक की माता की गर्दन पर तलवार से वार किया जिस पर अघनी देवी जमीन पर गिर गयी और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। सूचक अपने छोटे भाई के साथ अपने घर की ओर भागी जहाँ उसने आंगन के सामने अपने पिता को मृत पड़ा पाया। सूचक की माता पर हमला करते हुए अपीलार्थी कह रहा था कि उसने पहले ही सूचक के पिता की हत्या कर दी थी।

3. दिनांक 21.11.2001 को सुखमती कुमारी (सूचक) के फर्दबयान पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जो बानो पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2001 है।

4. अन्वेषण के समापन एवं आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय सिमडेगा को सुपुर्द किया गया था।

5. अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से सूचक अ॰ सा॰ 5 सुखमती कुमारी मृतकों की पुत्री एवं चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 स्वर्गीय जगमोहन सिंह की एक अन्य पत्नी है जो अनुश्रुत गवाह है। अ॰ सा॰ 2 एवं 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अ॰ सा॰ 6 डॉक्टर है जिसने शव परीक्षण किया और अ॰ सा॰ 7 अन्वेषण अधिकारी है।

6. डॉ॰ चंद्रनाथ झा ने मृतकों अर्थात् अघनी देवी एवं जगमोहन सिंह के मृत शरीर का शव परीक्षण किया जिन्हें क्रमश: प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है।

उन्होंने अघनी देवी के मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

ckg; migfr%

I. eLrd d nk, fgLl ij fLFkr vkDlhihVy vfLFk d ÝDpj d lkFk 7" x 1½" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

II. BM<h d Bhd uhp fLFkr efMcy d ÝDpj d lkFk 3" x 2" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

***vkrfjd ijh{k.k%**&migfr l0 1 dk n[ku ij efutl ,o cu eVj dh fonh.krk Fkh vkj cu eVfj;y d vnj gejt Hkh FkkA migfr l0 2 d jkLr ij xnu dh cMh ufydk dk dVdj vyx gk tkuk FkkA ân; d nkuk Hkkx [kkyh FkA leLr oly vx èkfey FkA iV e vuiph [kk| lkexh FkhA*

***gfFk;kj dh çÑfr-**&ryokj tlk rt èkkj okyk gfFk;kj leLr migfr;k eR;io çÑfr dh FkhA*

***eR;| l chrk le;-**&36-48 ?kVk d HkhrjA*

eR;q dk dkj.k%& iokfYyf[kr migfr;k }kjk dkfjr gejt ,o vk?kkr l eR; gb FkhA

उन्होंने जगमोहन सिंह के मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

ckg; migfr%&

I. nk, dku d lkeu vkDlhihVy vfLFk d ÝDpj d lkFk 2½"x1"x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

II. nk, Hkkx d ijkbVy vfLFk d ÝDpj d lkFk 2"x1"x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

III. nk, Hkkx ij vkDlhihVy vfLFk d ÝDpj d lkFk 3"x1"x vfLFk rd xgjk dVu dk t[e

vkrfjd ijh{k.k%

vkx mDr rhuk migfr;k d jkLr ij cu d efut l ,o cu dh fonh.krk vkj bld vnj gejt FkkA ân; d nkuk Hkkx [kkyh FkA iV [kkyh FkkA leLr foljk d vx fuLrt FkA

gfFk;kj dh çÑfr%& ryokj tlk rt èkkj okyk gfFk;kjA leLr migfr;k eR; io çÑfr dh FkhA eR; l chrk le; 36-48 ?kVk FkkA

eR;q dk dkj.k%& iokfYyf[kr migfr;k d dkj.k gejt ,o vk?kkrA

7. आई॰ ओ॰ ब्रज किशोर कुमार अ॰ सा॰ 7 के रूप में उपस्थित हुआ और फर्दबयान तथा औपचारिक प्राथमिकी और उसके द्वारा लिखे गए अन्य पन्नों को सिद्ध किया जिन्हें क्रमश: प्रदर्श 2 एवं 3 चिन्हित किया गया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय तात्विक साक्ष्य के अधिमूल्यन पर इस निष्कर्ष पर आया कि अ॰ सा॰ 5 सुखमती कुमारी घटना की चश्मदीद गवाह है और उसने घटना का तरीका, तिथि एवं समय का पूर्ण समर्थन किया है और अभियुक्त को पहचाना भी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने घटनास्थल पर अ॰ सा॰ 5 सूचक की उपस्थिति बिल्कुल विश्वसनीय पाया है क्योंकि वह अपनी माता के साथ थी। विद्वान विचरण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 5 के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं पाया था।

9. अपीलार्थी का दोषसिद्धि के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह है कि अ॰ सा॰ 5 बाल गवाह है और वह अपने बयान में संगत नहीं है।

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्यों का परिशीलन किया है और इनका पुनर्अधिमूल्यन किया है।

11. अभियोजन मामला मृतकों की पुत्री अ॰ सा॰ 5 चाक्षुक गवाह के परिसाक्ष्य पर टिका है। इस गवाह के मुख से वर्णित तथ्यों का मैट्रिक्स घटनाओं का स्पष्ट स्वाभाविक क्रम प्रकट करता है जब सायं 4.30 बजे सूचक, उसकी माता और उसका भाई कुआँ से आ रहे थे। चश्मदीद गवाह बिल्कुल स्वाभाविक चश्मदीद गवाह है और उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अ॰ सा॰ 5 सूचक अपनी माता की गर्दन पर प्रहार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त तेज धार वाले हथियार जिसने घातक उपहति कारित किया के संबंध में संगत है।

12. उपहतियों का वर्णन एवं मृतकों के गर्दन पर तेज धार वाली उपहतियों की उपस्थिति जिसने मृत्यु कारित किया और चिकित्सा अधिकारी अ॰ सा॰ 6 डॉक्टर चंद्रनाथ झा का मत अपराध की कारिता में अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में लेशमात्र का संदेह भी नहीं छोड़ता है।

13. आई॰ ओ॰ का बयान भी सूचक के विवरण को संपुष्ट करता है। आई॰ ओ॰ द्वारा तैयार की गयी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कोई संदेह नहीं छोड़ती है बल्कि यह सूचक के मामले को बिल्कुल पुख्ता बनाती है।

14. न्यायालय जिस एक और पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, वह यह तथ्य है कि विचारण के दौरान शपथ पर बाल गवाह द्वारा जो भी कथन किया गया है, वह प्राथमिकी में उल्लेख पाता है। बाल गवाह (सूचक) भी घटना स्थल पर उपस्थित थी। अत: किसी के लिए इस गवाह को छल साधित करने का कोई कारण नहीं हो सकता था।

यह सुनिश्चित है कि बाल गवाह के साक्ष्य को सिखाये पढ़ाये जाने की संभावना को दूर करने के लिए सूक्ष्म संवीक्षण के अध्यधीन करना होगा। नि:संदेह, इस पर विश्वास किया जा सकता है यदि न्यायालय पाता है कि बाल गवाह के पास पर्याप्त बुद्धि है और शपथ की समझ है।

रत्नासिंह दलसुकभाई नायर बनाम गुजरात राज्य, (2004)1 SCC 64, में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल गवाह के साक्ष्यिक मूल्य पर विचार करते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*"6. .....bl ç'u ij fu.k; fd D;k cky xokg d ikl i;kZIr cf) g] e[;r% fopkj.k U;k;kèkh'k ij vkèkkfjr g tk mldh gko&Hkko] mldh cf) dh çdV xg.kh; rk vFkok bldh deh dk è;ku e yrk gA vkj mDr U;k;kèkh'k fdlh Hkh ijh{kk dk lgkjk y ldrk g tk mldh {kerk ,o cf) eÙkk rFkk 'kiFk dh ckè; rk dh mldh le> dk çdV dju dh çofÙk j[krk gA fdr] mPprj U;k;ky; }kjk fopkj.k U;k;ky; d fu.k; dk vLr&0;Lr fd;k tk ldrk g ;fn ftl vfHky[k e ljf{kr fd;k x;k g mll ;g Li"V g fd mudk fu"d"k xyr FkkA ;g lkoèkkuh vko';d g D;kfd cky xokg fl[kk; i<k, tkus d çfr lxká g vkj çk;% dYiuk dh nfu;k e jgrk gA ;|fi ;g ,d LFkkfir fl)kr g fd cky xokg [krjukd gkr g D;kfd o vklkuh l çHkkfor fd, rFkk fl[kk;&i<k; tk ldr g] fdr ;g Hkh ,d LohÑr ekud g fd ;fn mud lk{; dh lkoèkkuhi.k loh{k.k d ckn U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd ble lR; dh Nfo g] rc cky xokg d lk{; dk Lohdkj dju e dkb vojkèk ugh gA***

एक अन्य मामले अर्थात् **पंछी एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (1998)7 SCC 177,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है:–

*"11. fo}ku ojh; vfèkoDrk Jh vkj0 d0 tu u çfrokn fd;k fd v0 lk0 1 d cky xokg gku d ukr mld lk{; ij fo'okl djuk tkf[ke Hkjk gA fo}ku vfèkoDrk d vulkj] cky xokg dk lk{; lkeku; r% fo'okl d v;kZ; gkrk gA fdr ge bl nf"Vdk.k l lger ugh g fd cky xokg dk lk{; lno vifjgk; :i l dyfdr jgxkA fofèk ;g ugh g fd ;fn xokg ckyd g] mldk lk{; vLohdkj fd;k tk,xk Hky gh bl fo'oluh; ik;k tkrk gA fofèk ;g g fd cky xokg d lk{; dk vfèkd lkoèkkuhiod ,o vR;Ur pkdlh d lkFk eY;kfdr dju gkxk D;kfd ckyd ml ckr d çfr lçHkk0; g tk vU; mll dgr g vkj bl fy, cky xokg dk vklkuh l fl[kk;k i<k;k tk ldrk gA***

15. अभियोजन साक्ष्य की इसके सही परिप्रेक्ष्य में छानबीन करने के बाद हमारा सुविचारित मत है कि घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 5 जो नि:संदेह बाल गवाह है का साक्ष्य बिल्कुल सही रूप से अभियोजन मामला सामने लाता है। इस प्रकार अभियोजन किसी भी युक्तियुक्त संदेह के परे दो व्यक्तियों अर्थात् अघनी देवी एवं जगमोहन सिंह की हत्या के आरोप को सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। परिणामस्वरुप, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय के तहत पहले ही दर्ज की गयी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिपुष्ट किए जाने योग्य है। तद्नुसार, आदेशित किया गया।

16. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

नागेन्द्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 67 of 2002. Decided on 25th March, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संपूर्ण दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 420, 506/34 तथा एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (5) (8) के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया गया–संपूर्ण विवाद विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री के फलस्वरुप अभिपुष्ट किए गए प्रश्नगत भूमि एवं याची के स्वामित्व के संबंध में है, याची के विरुद्ध दांडिक मामला जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–याची द्वारा विश्वास किए गए दस्तावेज अनधिक्षेपणीय हैं और इस दशा में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन न्यायालय तार्किक निष्कर्ष पर आते हुए उक्त दस्तावेजों पर विश्वास करने के लिए लिए सशक्त है–याची द्वारा किया गया प्राख्यान विपक्षी सं॰ 2 द्वारा उपस्थित होकर अथवा याची द्वारा किए गए प्राख्यानों से इनकार करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके खंडित नहीं किया गया है–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Chaturvedi, For the Petitioner; Mr. A.K. Pandey, For the State; None, For the O.P No.2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ पांडु सुने गए। नोटिस के वैध तामील के बावजूद विपक्षी सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. इस आवेदन में, याची ने गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2001, जी॰ आर॰ सं॰ 85 वर्ष 2001 के तत्सम, के संबंध में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुमला द्वारा पारित दिनांक 6.8.2001 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 420 एवं 560/34 के अधीन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (5) (8) के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. लिखित रिपोर्ट, जिसके आधार पर प्राथमिकी संस्थित की गयी थी, इस प्रभाव की है कि सूचक का स्वर्गीय पति भूतपूर्व जमीन्दार का नौकर था और हुकुमनामा के फलस्वरुप उसे खाता सं॰ 4, भूखंड सं॰ 89 में 13 डिसमिल भूमि दी गयी थी। यह कथन किया गया है कि सूचक के पति ने वर्ष 1952 में भूमि के ऊपर कुछ निर्माण किया था और इसे किराया पर दिया था। यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 20.12.2000 को रात में अभियुक्तगण उसके घर आए थे और उन्होंने उसको बेदखल करने के प्रयोजन से गाली दिया था और उसको धमकाया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तगण ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किया था और उक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, वे उसको स्वयं अपने घर से बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे।

4. पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 420, 506/34 के अधीन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (5) (8) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2001 दर्ज किया गया था।

5. अन्वेषण के समापन पर और मामला सत्य पाए जाने पर याची सहित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तत्पश्चात विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुमला ने दिनांक 6.8.2001 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 420, 506/34 के अधीन और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (5) (8) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संज्ञान लेने वाले आदेश में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराधों को गठित करने के लिए आवश्यक अवयवों में से कोई भी याची के विरुद्ध मौजूद नहीं है। यह निवेदन भी किया गया है कि अन्वेषण के क्रम में सूचक द्वारा किए गए अभिकथनों का समर्थन करते हुए गवाहों द्वारा विनिर्दिष्ट बयान नहीं दिया गया था और इस दशा में पुलिस ने ही जानबूझकर एवं असद्भावपूर्ण आशय से याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि विवाद का विषय वस्तु गुमला पुलिस थाना के अंतर्गत मुरली बगीचा, वार्ड सं॰ 1 के खाता सं॰ 4, भूखंड सं॰ 890 के 04 डिसमिल क्षेत्र से संबंधित है जिस पर याची दिनांक 9.9.1994 को याची के पक्ष में ब्रज किशोर सिंह एवं जय किशोर सिंह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड दान विलेख के माध्यम से काबिज हुआ और सूचक का स्वर्गीय पति विलेख का गवाह था। यह निवेदन भी किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में, अधिकतम भूमि सीमा कार्यवाही भी आरंभ की गयी थी और उक्त कार्यवाही में दिनांक 17.1.1989 की अधिसूचना सं॰ 17 के तहत बरायक ब्रज किशोर सिंह और बरायक जय किशोर सिंह के पक्ष में भूमि छोड़ दी गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा याची के पक्ष में विलेख के निष्पादन के बाद उक्त भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था जिसे अंचलाधिकारी के दिनांक 25.7.1995 के आदेश द्वारा याची के नाम में नामांतरित किया गया था और याची के नाम में करेक्शन पर्ची जारी की गयी थी और याची नियमित रूप से राज्य को लगान का भुगतान कर रहा है। आगे यह निवेदन किया गया है कि नामांतरण कार्यवाही के क्रम में सूचक के स्वर्गीय पति ने आवेदन दाखिल किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, याची के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह प्राथमिकी में विनिर्दिष्टत: उल्लिखित किया गया था कि याची अन्य अभियुक्तगण के साथ उक्त संपत्ति हड़पने के लिए और सूचक

जो गरीब विधवा है को स्वयं उसके अपने घर से बाहर निकालने के आशय से कृत्य किया और यह विनिर्दिष्टत: कथित किया गया है कि याची कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति के ऊपर दावा करने का प्रयास कर रहा था। आगे यह निवेदन किया गया है कि सूचक द्वारा जो भी अभिकथन किए गए हैं, वे सत्य थे जिनकी परिणति याची एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने में हुई और ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि लिखित रिपोर्ट में किए गए अभिकथन अपराध गठित नहीं करते हैं।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने के बाद मैं पाता हूँ कि लिखित रिपोर्ट में सूचक ने कथन किया था कि वर्ष 1952 में भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा हुकुमनामा के फलस्वरुप सूचक के पति को भूमि का विवादित भूखंड दिया गया था और इसके बाद भूमि के उक्त भूखंड पर निर्माण किया गया था। यह प्रतीत होता है कि भूतपूर्व जमीन्दार ने दिनांक 9.9.1994 को याची के पक्ष में रजिस्टर्ड दान निष्पादित किया था और तत्पश्चात संबंधित प्राधिकारी के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था जिसे दिनांक 25.7.1995 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। नामांतरण कार्यवाही में, सूचक के पति अर्थात् स्वर्गीय महादेव मुंडा ने उपायुक्त, गुमला के समक्ष आवेदन दाखिल किया था और इसे जाँच के लिए सब-डिविजनल अधिकारी, गुमला को निर्दिष्ट किया गया था जो मामले में जाँच करने पर इस निष्कर्ष पर आया कि सूचक के स्वर्गीय पति अर्थात् महादेव मुंडा का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार और अभिधान नहीं था। सूचक के पति द्वारा की गयी आपत्ति के बावजूद याची के नाम में नामांतरण का आदेश उसे भू-सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के समक्ष नामांतरण अपील सं॰ 18/1995-96 दाखिल करने की ओर ले गया जिसे दिनांक 24.4.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याची के पक्ष में कर निर्धारण के समय पर नगरपालिका कार्यालय, गुमला के समक्ष स्वर्गीय महादेव मुंडा द्वारा आपत्ति की गयी थी जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विरुद्ध याची द्वारा एक बेदखली वाद-बेदखली वाद सं॰ 27/1996 दाखिल किया गया था और मामले की सुनवाई के बाद विद्वान मुंसिफ ने न्यायालय जिसमें वाद दाखिल किया जाना चाहिए था में इसे प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र लौटाने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 7 नियम 10 के अधीन आदेश पारित किया था। याची द्वारा अभिधान वाद सं॰ 33 वर्ष 2002 संस्थित किया गया था जिसमें साक्ष्य दिए जाने के बाद विद्वान उप-न्यायाधीश I द्वारा याची के पक्ष में वाद विनिश्चित करते हुए दिनांक 4.7.2006 को निर्णय पारित किया गया था और दिनांक 18.7.2006 को डिक्री भी तैयार की गयी थी। आगे यह प्रतीत होता है कि याची के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित किए जाने के बाद डिक्री के निष्पादन के लिए याची द्वारा एक आवेदन-निष्पादन मामला सं॰ 10 वर्ष 2006 दाखिल किया था और दिनांक 16.2.2012 को न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से याची को कब्जा का परिदान किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र में न्यायालय का ध्यान अभिधान वाद सं॰ 22 वर्ष 1995 की ओर आकृष्ट किया है जिसे सूचक के पति द्वारा दाखिल किया गया था और उक्त कार्यवाही के दौरान सूचक की मृत्यु पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रति स्थापित किया गया था किंतु अभिधान वाद तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। जैसा ऊपर विवरण दिया गया है, संपूर्ण प्रसंग स्पष्टत: प्रकट करता है कि विवाद शुद्धत: सिविल प्रकृति का है और दोनों पक्षों ने सिविल उपचार का सहारा लिया था और किसी भी परिस्थिति में दांडिक मामला नहीं हो सकता है। यद्यपि दांडिकता का रंग देने के लिए याची के विरुद्ध कतिपय लांछन एवं अंतसर्पण का प्रयास सूचक द्वारा किया गया है

किंतु इस तथ्य की दृष्टि में कि विधि के सक्षम न्यायालय की डिक्री के फलस्वरुप याची का स्वामित्व अभिपुष्ट किया गया है और संपूर्ण विवाद प्रश्नगत भूमि के संबंध में है, याची के विरुद्ध दांडिक मामला जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए दस्तावेज न्यायिक तथा न्यायिक कल्प प्राधिकारियों द्वारा दिया गया आदेश होने के कारण अनधिक्षेपणीय तथा त्रुटिहीन हैं और इस दशा में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन न्यायालय तार्किक निष्कर्ष पर आते हुए उक्त दस्तावेजों पर विश्वास करने के लिए सशक्त है। इसके अतिरिक्त, याची द्वारा किए गए प्राख्यानों को विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा उपस्थित होकर अथवा याची द्वारा किए गए प्राख्यानों से इनकार करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके खंडित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, सूचक द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है ताकि दांडिक मामले में याची को अभियोजित किया जा सके, अत: वर्तमान आवेदन अनुज्ञात किए जाने योग्य है।

9. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2001, जी॰ आर॰ सं॰ 85 वर्ष 2001 के तत्सम के संबंध में याची के विरुद्ध संस्थित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुमला द्वारा पारित दिनांक 6.8.2001 का आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड सहिता की धाराओं 467, 468, 420, 506/34 के अधीन और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (5) (8) के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है, एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

श्री हंसराज सरदाना

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 4842 of 2013. Decided on 7th April, 2015.

झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000—धारा 8 (1) (c)—उचित किराया का विनिश्चयकरण–सब-डिविजनल दंडाधिकारी-सह-नियंत्रक के न्यायालय में 80/- रु॰ प्रतिवर्ग फीट की दर पर उचित किराया के नियतकरण के लिए धारा 5 के अधीन याचिका दाखिल की गयी–गृह नियंत्रक ने 2100/- रुपया से 16,200/- रुपयों तक अर्थात् 50/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के दर पर किराया पुनरीक्षित करते हुए आदेश पारित किया–अपील एवं पुनरीक्षण दोनों खारिज कर दिए गए–प्रश्नगत परिसर भूतल पर स्थित है, वर्ष 1935 में उक्त भवन का निर्माण किया गया था और यह बिष्टुपुर के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है–उस क्षेत्र में दुकानों का मासिक किराया 37/- रुपयों से 123/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के बीच है–नियंत्रक ने रिलायन्स रिटेल लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए किराए को ध्यान में लिया जिसने वर्ष 2007 में किराया करार किया था जिसमें 123.60/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रति माह का मासिक किराया नियत किया गया था–भरुचा मैंशन उस भवन जिसमें रिलायंस रिटेल लिमिटेड अवस्थित है के निकट मुख्य सड़क पर है–अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उचित किराया के विनिश्चयकरण में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं पाया है–धारा 8 (1) (c) के अधीन अभिव्यक्ति ''उसी अथवा समरुप वास सुविधा के लिए'' केवल क्षेत्र में पुरानी अभिधृतियों को सम्मिलित नहीं करेगी, यह ''किराया के प्रचलित दरों'' पर विचार करने की आज्ञा देती है जो हाल की अभिधृतियों को भी सम्मिलित करेगी–याचिका खारिज। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

भरुचा मैंशन में दुकान सं॰ 8 दिनांक 21.10.1959 को दिनांक 21.10.1959 और दिनांक 31.3.1960 के बीच की अवधि के लिए 100/- रुपए के मासिक किराया पर सरदाना एन्ड कंपनी के नाम में पट्टा पर ली गयी थी। याची के पिता और किसी श्री फरीदन के॰ एम॰ भरुचा के बीच पट्टा करार निष्पादित किया गया था। याची के फर्म एवं मेसर्स एफ॰ के॰ एम॰ भरुचा के प्रतिनिधि के बीच दिनांक 16.8.2002 का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था जिसके अधीन अनुसूची के मुताबिक किराया परिसर के किराया के पुनरीक्षण पर सहमति हुई थी। यह प्रावधानित किया गया था कि दिनांक 31.12.2008 की अवधि तक का किराया 2100/- रुपया प्रतिमाह की दर पर होगा और तत्पश्चात इसे प्रत्येक चार वर्ष पर 15% बढ़ा दिया जाएगा। पहली किराया वृद्धि 1.1.2009 को होनी थी। सब–डिविजनल दंडाधिकारी–सह–नियंत्रक के न्यायालय दालभूम, जमशेदपुर में बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे एच॰ आर॰ सी॰ केस सं॰ 45 वर्ष 2007 के रूप में दर्ज किया गया था। वादीगण ने उसमें 80/- रुपया प्रति वर्ग फीट की दर पर उचित किराया के नियतिकरण के लिए प्रार्थना किया। गृह किराया नियंत्रक ने 2100/- रुपयों से 16,200/- रुपयों तक अर्थात् 50/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर पर किराया पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 3.3.2009 का आदेश पारित किया। अपील एवं पुनरीक्षण दोनों खारिज कर दिए गए थे, अत:, याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि झारखंड मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 8 प्रावधानित करती है कि भवन का उचित किराया उक्त प्रयोजन से विरचित नियमावली के अनुरुप विनिश्चित किया जाएगा। धारा 8 (1) (C) आज्ञा देती है कि नियंत्रक समरुप परिस्थितियों में उसी अथवा समरुप वास सुविधा के लिए मुहल्ला में किराया की प्रचलित दरों को सम्यक ध्यान में रखेगा। यह आगे प्रावधानित करती है कि मरम्मती के बढ़ते खर्च एवं स्थल और भवन निर्माण की लागत में सामान्य वृद्धि, यदि भवन दिनांक 1.12.1980 के बाद निर्मित किया गया है, पर भी उचित किराया विनिश्चित करते हुए विचार किया जाना होगा। किंतु, कार्यपालक दंडाधिकारी, दालभूम की दिनांक 10.4.2008 की रिपोर्ट जिसके अधीन निरीक्षण अधिकारी ने 7/- रुपए से 9/- रुपए प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर पर उचित किराया अनुशंसित किया, पर विचार किए बिना किराया नियंत्रक ने 50/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर पर उचित किराया नियत किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि दिनांक 31.12.2008 को एम॰ ओ॰ यू॰ का अवसान हो जाना था, अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन दिनांक 2.11.2007 को ही दाखिल कर दिया गया था और इस प्रकार, बिहार भवन (पट्टा किराया एवं बेदखली) नियंत्रण नियमावली, 1983 (जिसे झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया है) के नियम 3 (ii) (g) के निबंधनानुसार धारा 5 के अधीन आवेदन को दिनांक 16.8.2002 के एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनानुसार विनिश्चित किए जाने की आवश्यकता थी।

3. इस प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि दिनांक 16.8.2002 के एम॰ ओ॰ यू॰ के चालू रहने के दौरान धारा 5 के अधीन आवेदन विनिश्चित नहीं किया जा सका था, मैं पाता हूँ कि गृह किराया नियंत्रक ने दिनांक 3.3.2009 को अंतिम आदेश पारित किया है और उक्त आदेश द्वारा नियत उचित किराया आदेश की तिथि से भुगतेय है जबकि दिनांक 16.8.2002 का एम॰ ओ॰ यू॰ दिनांक 1.1.2009 को बीत गया और इसलिए, उक्त एम॰ ओ॰ यू॰ में नियत मासिक किराया एच॰ आर॰ सी॰ केस सं॰ 45 वर्ष 2007 में पारित आदेश द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नियंत्रक ने पाया है कि प्रश्नगत परिसर अर्थात् दुकान सं॰ 8 भरूचा मैंशन के भूतल पर अवस्थित है। उक्त भवन का निर्माण वर्ष 1935 में किया गया था और यह बिष्टुपुर के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में दुकानों का मासिक किराया 37/- रुपए से 123/- रुपए

प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के बीच है। नियंत्रक ने रिलायन्स रिटेल लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए किराया को भी ध्यान में लिया है जिसने वर्ष 2007 में किराया करार किया जिसमें 123.60/- रुपया प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर पर मासिक किराया नियत किया गया है। यह गौर किया गया है कि भरुचा मैंशन उस भवन जिसमें रिलायन्स रिटेल लिमिटेड अवस्थित है के निकट मुख्य सड़क पर है। अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि भरुचा मैंशन बिष्टुपुर के केंद्र में है और विष्टुपुर पुलिस थाना के सामने स्थित है। पुनरीक्षण न्यायालय ने गौर किया है कि भरुचा मैंशन में समस्त आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अपीलीय एवं पुनरीक्षण न्यायालय ने उचित किराया के विनिश्चयकरण में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं पाया है। अधिनियम की धारा 8 (1) (C) समरुप परिस्थितियों में उसी अथवा समरुप वास-सुविधा के लिए मुहल्ला में किराया की प्रचलित दर पर विचार करना प्रावधानित करती है। जाँच अधिकारी ने कुछ अन्य दुकानों के किराया को ध्यान में लिया है किंतु, उसमें किराएदारी की तिथि उपदर्शित नहीं की गयी है। यह विवादित नहीं है कि मुहल्ला में अन्य दुकानदारों द्वारा भुगतान की गयी प्रचलित किराया 37/- एवं 123/- रुपयों के बीच है। धारा 8 (1) (C) के अधीन अभिव्यक्ति ''उसी अथवा समरुप वास सुविधा के लिए'' केवल क्षेत्र में पुरानी किराएदारी को सम्मिलित नहीं करेगी क्योंकि धारा 8 (1) (C) ''किराया की प्रचलित दर'' पर विचार करने की आज्ञा देती है जो हाल की किराएदारी भी सम्मिलित करेगी। यह तथ्य कि मुहल्ला में कुछ दुकानों के लिए भुगतान किया गया किराया 2.16/- रुपए से 8.30/- रुपए प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर पर है, मुहल्ला में किराया की प्रचलित दर नियत करने के लिए निर्णायक नहीं है। मैं पाता हूँ कि नियंत्रक द्वारा अधिनियम, 2000 के प्रावधानों एवं 1983 नियमावली की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। यह विवाद्यक समवर्ती निष्कर्षों द्वारा निष्कर्षित कर दिया गया है जो चुनौती के अधीन नहीं हैं।

4. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मैं मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अब्दुल रज्जाक

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 1162 of 2015. Decided on 13th April, 2015.

विद्यालय विधि–अवकाश नगदकरण–अवकाश नगदकरण का गैर भुगतान–याची गैर-सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय से सहायक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ–उसके नाम पर बकाया अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदकरण का भुगतान नहीं किया गया–जिला शिक्षा अधिकारी को याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद और मरियम तिर्के के मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में याची को अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया। (पैराएँ 3 से 5)

निर्णयज विधि.–2014(1) JBCJ 465—Followed.

अधिवक्तागण.–Mr. M.M. Pan, For the Petitioner; JC to SC-I, For the Respondents.

आदेश

याची को उच्च विद्यालय, मर्चा (खूँटी) से सहायक शिक्षक के रूप में दिनांक 30.6.2014 को सेवानिवृत होता बताया जाता है। याची का प्रतिवाद है कि प्रश्नगत विद्यालय सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक

उच्च विद्यालय है और विद्यालय कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की ओर समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा राजकीय कोष से दिया जाता है। याची भी महालेखाकार के कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन पा रहा है।

2. वर्तमान आवेदन में याची की शिकायत उसके नाम के विरुद्ध बकाया अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदकरण के गैर भुगतान के संबंध में है। उसने यह कथन भी किया है कि याची को पहले ही अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात देयों का भुगतान कर दिया गया है और कि याची के वेतन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात देयों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान से कर दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा पहले याची के दावा का प्रतिरोध किया गया था किंतु अब **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 506/2013** एवं सदृश मामलों में **मरियम तिर्के बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2014 (1) JBCJ 465,** मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय, जिसे **एस॰ एल॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 20606-20607/2014** में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है, की दृष्टि में यह विवाद्यक सुनिश्चित कर दिया गया है। याची के अनुसार, विद्वान खंडपीठ के पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में प्रत्यर्थीगण को याची को अर्जित अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर रिट याचिका निपटायी जा सकती है।

4. राज्य के अधिवक्ता विवाद नहीं करते हैं कि गैर सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नगदकरण राशि की ग्राह्यता से संबंधित पूर्वोक्त विवाद्यक अब **मरियम तिर्के (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा विनिश्चित कर दिया गया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय तक अभिपुष्ट किया गया है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 जिला शिक्षा अधिकारी, खूँटी को याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेखा के सम्यक संवीक्षण के बाद और **मरियम तिर्के (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में याची के अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में याची की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निपटायी जा रही है।

तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

विरेन्द्र कुमार झा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 3459 of 2013. Decided on 25th March, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—प्राथमिकी का अभिखंडन—प्राथमिकी स्पष्टतः याचीगण के विरुद्ध इस प्रभाव का अभिकथन करती है कि संवितरण की अवधि समाप्त हो

जाने के बाद कंपनी के निदेशकों ने अचानक कैश क्रेडिट खाता ऑपरेट करना बंद कर दिया और जब बैंक अधिकारियों ने याचीगण के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण किया, आडमन स्टॉक शून्य पाया गया था–लिए गए कर्ज को निजी लाभ के लिए अपयोगित किया गया था–याचीगण का कृत्य उनकी ओर से प्रवंचना के बारे में कहता है, प्रवंचना आरंभ से ही की गयी कही जा सकती है और ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है–कोई कृत्य सिविल अथवा दांडिक कार्यवाही उद्भूत कर सकता है किंतु इसे विनिश्चित करने की वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या तथ्यों के दिए गए संवर्ग में सिविल दायित्व अथवा दांडिक दायित्व अथवा दांडिक अपराध बनता है–अभिनिर्धारित, तरीका जिसमें याचीगण ने षडयंत्र किया था और स्वयं अपने निजी लाभ के लिए निधि अपयोगित किया था के साथ-साथ अन्य अनेक कृत्य जिन्हें स्वयं लिखित रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, की दृष्टि में बैंक को दांडिक विधि के अधीन उपचार इप्सित करने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है–याचिका खारिज। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Kashyap, For the Petitioners; APP., For the State; Mr. A. Allam, For the O.P. No.2.

आदेश

याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ कश्यप एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ अल्लम सुने गए।

2. इस आवेदन में, याचीगण ने सेक्टर IV पी॰ एस॰ केस सं॰ 159 वर्ष 2013, जी॰ आर॰ सं॰ 1608 वर्ष 2013, जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. अभियोजन मामला, जैसा सूचक द्वारा संस्थित प्राथमिकी से प्रतीत होगा, यह है कि याचीगण ने मेसर्स रेवती एक्जिम प्रा॰ लि॰ का निदेशक होने के नाते इस्पात प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग के लिए 300 लाख रुपयों का कर्ज प्राप्त किया था जिसे दिनांक 23.12.2010 को मंजूर किया गया था और जिसे बाद में 400 लाख रुपयों तक बढ़ाया गया था। कामकाज पूंजी एवं नगद क्रेडिट के लिए गारंटी के रूप में स्टील, पेपर एवं तैयार वस्तुओं के स्टॉक को मुख्यत: आडमानित किया गया था और अवधि ऋण के लिए 'रॉलिंग मशीन आडमानित की गयी थी। यह कथन किया गया है कि दिनांक 11.2.2010 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं॰ 1147 के तहत रेवती एक्जिम प्रा॰ लि॰ के नाम में रजिस्टर्ड मौजा पिंड्राजोरा, खाता सं॰ 25, भूखंड सं॰ 2770, 2807 एवं 2809 में 4.28 एकड़ क्षेत्र मापवाली भूमि बैंक के पक्ष में साम्यापूर्ण बंधक के अधीन दी गयी थी। यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 19.7.2012 को लौह वस्तुओं एवं कागज उत्पादों की खरीद के प्रयोजन से दिनांक 26.7.2012 को 80 लाख रुपयों का ओवरलिमिट संवितरित किया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने गैर ईमानदार रूप से नगद क्रेडिट खाता में संव्यवहार रोक दिया था और जब बैंक के अधिकारी ने कंपनी के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण किया था, आडमानित स्टॉक शून्य पाए गए थे। यह भी अभिकथित किया गया है कि करार के निबंधनों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों को आडमानित स्टॉक के विक्रय आगम को जमा करना चाहिए था किंतुं इसका अनुपालन नहीं किया गया था और अपने निजी उपयोग के लिए निधि अपयोजित की गयी थी जिसके परिणामस्वरुप बैंक को दोषपूर्ण हानि हुई थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचीगण पर कानूनी नोटिस का तामील किया था किंतु

इसे तामील किए बिना वापस कर दिया गया था और यद्यपि याचीगण से बार–बार खाता को नियमित करने का अनुरोध किया गया था किंतु इसे नहीं किया गया था और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला संस्थित किया गया था, जिसे सेक्टर IV पी॰ एस॰ केस सं॰ 159 वर्ष 2013 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी में किए गए संपूर्ण अभिकथन कोई दांडिक दायित्व गठित नहीं करते हैं और यदि बैंक याचीगण की ओर से किए गए कृत्यों से व्यथित हैं, बैंक सिविल विधि के अधीन समुचित उपचार का सहारा ले सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वस्तुत: बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 सह–पठित ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 का नियम 4 और वित्त मंत्रालय बैंकिंग डिविजन, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन ऋण वसूली अधिकरण, राँची के समक्ष आवेदन पहले ही दाखिल किया है जो केस सं॰ ओ॰ ए॰ सं॰ 319 वर्ष 2013 है और चूँकि उक्त आवेदन लंबित है, याचीगण के विरुद्ध दांडिक मामला संस्थित करना बैंक की ओर से समयपूर्व था। यह निवेदन भी किया गया है कि याचीगण द्वारा नगद क्रेडिट व्यवस्था आदि का लाभ लिया गया है और स्टॉक एवं कच्चा माल बैंक को आडमानित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि बैंक ने सहन की गयी हानि के रूप में 5,50,94,795.48/- रुपयों की राशि का दावा किया है जिसके लिए इसने ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष पहले ही आवेदन दाखिल किया है जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है और बिल्कुल इसी अनुतोष के लिए दांडिक मामला संस्थित किया गया है जो विधि में अनुज्ञेय नही है। आगे यह निवेदन किया गया है कि स्वयं प्राथमिकी प्रकट करती है कि याचीगण ने बंधक के रूप में भूमि का रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत किया था और तत्पश्चात बैंक ने सावधि ऋण, नगद क्रेडिट व्यवस्था आदि दिया था और ऐसी परिस्थितियों में याचीगण के विरुद्ध छल अथवा न्यास का दांडिक भंग के अवयव नहीं बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण के विरुद्ध बैंक के साथ छल करने एवं बैंक को दोषपूर्ण हानि कारित करने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है। यह निवेदन किया गया है कि पाँच करोड़ एवं इसके ऊपर की सीमा तक बैंक से उधार ली गयी संपूर्ण राशि याचीगण के निजी लाभ के लिए अपयोजित की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बैंक से कर्ज लेने का संपूर्ण काम और तत्पश्चात निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग दांडिक अपराध के तुल्य है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में केवल सिविल विवाद बनता है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि याचीगण की ओर से दांडिक आशय इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि बैंक से कर्ज के रूप में ली गयी विपुल राशि के गबन/दुरुपयोग के बाद उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दिया है और नयी कंपनी शुरु किया है और एक नये सदस्य को लिया गया है जबकि एक अन्य सदस्य सेवानिवृत्त हो गया है जो अपराध करने में याचीगण का षडयंत्र दर्शाता है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी के संस्थापन के बाद, अन्वेषण अभी भी लंबित है और ऐसी परिस्थितियों में, अन्वेषण में और परिणामस्वरुप याचीगण के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना समयपूर्ण होगा।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि सूचक द्वारा संस्थित की गयी प्राथमिकी स्पष्टत: याचीगण के विरुद्ध इस प्रभाव के अभिकथन

के बारे में कहती है कि संवितरण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कंपनी के निदेशकों ने अचानक नगद क्रेडिट खाता ऑपरेट करना बंद कर दिया और कि जब बैंक अधिकारियों ने याचीगण के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण किया था, आडमानित स्टॉक शून्य पाए गए थे। यह भी अभिकथित किया गया है कि लिया गया कर्ज अपयोजित किया गया था और वह करार के निबंधनानुसार, कंपनी के निदेशकों को प्रत्येक दिन ऋण खाता में आडमानित स्टॉक का विक्रय आगम जमा करना चाहिए था किंतु इसे नहीं किया गया था और निजी लाभ के प्रयोजन से निधि अपयोजित की गयी थी। याचीगण का कृत्य वस्तुत: कहता है कि याचीगण की ओर से प्रवंचना की गयी है और याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथनों पर विचार करते हुए, आरंभ से ही प्रवंचना की गयी कही जा सकती है और ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण द्वारा अपराध नहीं किया गया है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इस तथ्य को प्रकाशमान करने के लिए कि मामला शुद्धत: सिविल प्रकृति का है और ऐसी परिस्थितियों में ''संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है, ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा संस्थित मामले पर काफी अधिक जोर दिया है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता के इस तर्क को इस तथ्य की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि स्वयं लिखित रिपोर्ट याचीगण के निजी लाभ के लिए ऋण राशि अपयोजित करने में याचीगण की ओर से दांडिक आशय प्रकट करती है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि कोई कृत्य सिविल एवं दांडिक दोनों कार्यवाही उद्भूत कर सकता है। इसे विनिश्चित करने की वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या तथ्यों के दिए गए संवर्ग में सिविल दायित्व अथवा दांडिक अपराध बनता है। दोहराने की कीमत पर भी यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि बैंक को कारित की गयी हानि की वसूली के लिए बैंक द्वारा पहले ही ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया है। किंतु, जिस तरीके से याचीगण ने षडयंत्र किया था और स्वयं अपने निजी लाभ के लिए निधि अपयोजित किया था साथ ही विभिन्न कृत्यों जिन्हें स्वयं लिखित रिपोर्ट में वर्णित किया गया है से बैंक को दांडिक विधि के अधीन उपचार इप्सित करने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि सूचक द्वारा किए गए अभिकथनों में अन्वेषण अभी भी लंबित है और ऐसी परिस्थितियों में, इस आरंभिक चरण पर अन्वेषण में हस्तक्षेप करना न्यायोचित एवं समुचित नहीं होगा। अन्वेषण अपने लिखित रिपोर्ट में सूचक द्वारा किए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा प्रकट करेगा और यह न्यायालय सामान्यत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा जब केवल अन्वेषण के क्रम में ताथ्यिक प्राख्यानों को अभिनिश्चित किया जाना है।

7. याचीगण द्वारा दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए मामला बनाने में विफल होने पर और इस आवेदन के गुणागुण रहित होने के कारण इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

महेन्द्र सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2601 of 2013. Decided on 9th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान आदेश का अभिखंडन–ओ॰ सी॰ बर्वाडीह पी॰ एस॰ के समक्ष सहायक खनन अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद दाखिल किया गया–याची के परिसर पर छापा मारा गया जो गैर मजरुआ मालिक एवं वन भूमि है और सात स्थानों पर कुल मिलाकर 19600 क्यूबिक फीट पत्थर बरामद किया गया था–खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 4/67 के अधीन प्राथमिकी संस्थित की गयी, बाद में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 जोड़ी गयी थी–खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 स्पष्टतः परिवाद के बारे में कहती है, प्राथमिकी दर्ज करके दांडिक मामले का संस्थापन त्रुटिपूर्ण है और विधि के पूर्वोक्त प्रावधान के विपरीत है–खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन लिया गया संज्ञान अभिखंडित किया गया–झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 का नियम 54 अधिकथित करता है कि प्राधिकृत व्यक्ति अथवा उपनिदेशक (खान) अथवा खान निदेशक विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद अथवा प्राथमिकी संस्थित कर सकता है–झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान के संबंध में कोई अवैधता इंगित नहीं की गयी, अतः याची के प्रतिवाद में गुणागुण नहीं होने के नाते इसे अस्वीकार किया गया–याचिका अंशतः अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 9 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashok Kr. Yadav, For the Petitioner; A.P.P., For the Opp. Party.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव एवं विरोधी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने बर्वाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 26 वर्ष 2013 जी॰ आर॰ सं॰ 284 वर्ष 2013 के तत्सम, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित दिनांक 4.3.2013 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन एवं झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. बर्वाडीह पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष सहायक खनन अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल लिखित परिवाद से सामने आने वाला अभियोजन मामला इस प्रभाव का है कि उपायुक्त, लातेहार के निर्देश के अनुसरण में टास्क फोर्स गठित किया गया था और मौजा बर्वाडीह, खाता सं॰ 50, भूखंड सं॰ 61 एवं 63 जो गैर मजरुआ मालिक एवं वन भूमि है, पर याची के परिसर में छापा मारा गया था और सात स्थानों पर कुल मिलाकर 19600 क्यूबिक फीट पत्थर बरामद किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि घटना स्थल पर पहुँचने के बाद ग्रामीणों में से एक किसी मो॰ रजाउल हक एवं चौकीदार अर्थात् सुनील पासवान ने क्रशर के स्वामी अर्थात् महेन्द्र सिंह (याची) का नाम प्रकट किया था जिसने खाता सं॰ 50 भूखंड सं॰ 61 एवं 63 में अवैध पत्थर भंडारित किया था।

4. पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और बाद में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 जोड़ी गयी थी।

5. याची द्वारा दाखिल अंतर्वर्ती आवेदन में यह प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान याची के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और आरोप-पत्र के आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, लातेहार ने दिनांक 4.3.2014 के आदेश के तहत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची पत्थर तोड़ने के व्यवसाय में लगा हुआ है जिसके लिए उसने एक क्रशर मशीन बिठाया है और कि याची ने भूखंड सं॰ 33, थाना सं॰ 29, खाता सं॰ 8 के तत्सम, में मौजा छेछा, पी॰ एस॰ बर्वाडीह, जिला लातेहार से 2.51 एकड़ के कुल क्षेत्रफल वाली भूमि से पत्थरों के खनन के लिए झारखंड सरकार के साथ दिनांक 22.7.2008 का खनन पट्टा करार किया था। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 22.8.2008 को निष्पादित पट्टा विलेख 10 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 22.8.2018 तक वैध है।

7. यह निवेदन भी किया गया है कि उस स्थान जहाँ क्रशर मशीन लगी हुई है तक पत्थरों को परिवहित करने के लिए याची को पत्थरों के भंडारण हेतु फॉर्म-Q प्राप्त करने की आवश्यकता थी और याची द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसरण में खनन विभाग समय-समय पर प्रमाण पत्र जारी करता था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची ने दिनांक 1.1.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक की अवधि के लिए पत्थरों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए दिनांक 31.12.2012 को सम्यक रूप से आवेदन दिया था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 31.1.2013 के पत्र के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा याची के पक्ष के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है और पत्थर के बड़े टुकड़ों के लिए 1000 क्यूबिक फीट तक प्रतिदिन उत्पादन क्षमता रखने की अनुमति दी गयी थी। केवल यही नहीं, खानों को ऑपरेट करने की सहमति भी दिनांक 14.2.2013 के आदेश के तहत दी गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 15.4.2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र याची के पक्ष में जारी किया गया था जिसके द्वारा मौजा बर्वाडीह, पी॰ एस॰ बर्वाडीह, जिला लातेहार में भूखंड सं॰ 63/1667, 1668 खाता सं॰ 50/16 में चार एकड़ भूमि में स्टोन क्रशर लगाने के लिए सहमति दी गयी है और दिनांक 13.5.2013 को इसे चलाने की अनुमति दी गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि परिसर जहाँ क्रशर मशीन लगायी गयी है में पत्थरों के भंडारण का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका था यद्यपि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके फलस्वरुप याची ने अपने खनन क्षेत्र से पत्थरों को उस स्थान जहाँ क्रशर मशीन लगी हुई थी तक परिवहित किया था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि भले ही अभिकथनों को उनकी संपूर्णता में सत्य माना जाए, इनका अर्थ पट्टा के शर्तों के निबंधनों के उल्लंघन के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे जोड़ते हैं कि यदि वस्तुत: अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन किया गया है, सूचक अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों का सहारा

ले सकता था और न कि दांडिक मामला संस्थित करके। आगे यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण परिवाद याची को अभियोजित करने वाली किसी सामग्री से रहित होने के कारण, यह अभिखंडित और अपास्त किए जाने का दायी है।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पट्टाधृत क्षेत्र के परे पत्थरों को रखने का विनिर्दिष्ट अभिकथन याची के विरुद्ध है और याची के पास पत्थरों के भंडारण की अनुमति देने वाला अध्यपेक्षित चालान नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण का परिणाम मामले को सत्य पाने में हुआ और आरोप पत्र की दाखिली पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा किया गया प्रत्येक प्रतिवाद अपने बचाव के संबंध में है और यह न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन इस चरण पर याची के बचाव पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि यह विचारण का मामला है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 एवं झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी संस्थित की गयी थी। बाद में, आवेदन पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 414 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 जोड़ी गयी थी किंतु अन्वेषण पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 414 के अधीन अथवा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन भी आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

10. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 विनिर्दिष्टत: अधिकथित करती है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए इस निमित्त केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में परिवाद करना होगा। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 154 के प्रावधानों के अधीन प्राथमिकी संस्थित की गयी है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 2 (d) में परिवाद परिभाषित किया गया है जो विनिर्दिष्टत: प्राथमिकी को अपवर्जित करता है। चूँकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 स्पष्टत: परिवाद के बारे में कहती है, ऐसी दशा में प्राथमिकी दर्ज करके दांडिक मामले का संस्थापन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 के प्रावधानों के विपरीत होगा और ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ तक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 का संबंध है, दांडिक कार्यवाही का आरंभ त्रुटिपूर्ण है और विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

11. जहाँ तक संज्ञान का संबंध है जिसे झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन लिया गया है, झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 57 के निबंधनानुसार प्राथमिकी संस्थित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर कोई वर्जना नहीं है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि केवल परिवाद संस्थित किया जा सकता है, भ्रामक है। झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 का नियम 54 अधिकथित करता है कि प्राधिकृत व्यक्ति अथवा उपनिदेशक (खान) अथवा अपर निदेशक (खान) अथवा खान निदेशक विधि के समक्ष न्यायालय के समक्ष परिवाद अथवा प्राथमिकी संस्थित कर सकता है। प्राथमिकी सहायक खनन अधिकारी द्वारा संस्थित की गयी है और याची द्वारा अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वह

झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला संस्थित करने के लिए सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि परिसर जहाँ क्रशर मशीन लगी हुई थी में पत्थरों के भंडारण के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका था और ऐसी परिस्थिति में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या पत्थरों को पट्टाधृत क्षेत्र के परे रखा गया था या नहीं। पुलिस ने भी मामले का अन्वेषण किया है और अभिकथनों को सत्य पाते हुए झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 4/67 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया है। क्या वह क्षेत्र जिसमें पत्थरों को रखा गया था, पट्टा धृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा क्या पत्थरों के भंडारण के लिए याची द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, को केवल विचारण के क्रम में सुलझाया जा सकता है। यह न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन साक्ष्य की छानबीन अथवा याची के विरुद्ध किए गए अभिकथनों को घुमक्कड़ जाँच करने के लिए सशक्त नहीं है।

12. चूँकि झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान के आदेश के संबंध में कोई अवैधता इंगित नहीं की गयी है, यह न्यायालय दिनांक 4.3.2013 के आदेश के उस भाग को अभिखंडित करने का इच्छुक नहीं है।

13. किंतु, संज्ञान के संबंध में जिसे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए लिया गया है और जैसी चर्चा ऊपर की गयी है कि चूँकि परिवाद का संस्थापन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन दांडिक कार्यवाही आरंभ करने के लिए अनिवार्य है, और चूँकि ऐसा नहीं किया गया है, उक्त प्रावधान के अधीन दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. तद्नुसार, दिनांक 4.3.2013 के आदेश का वह भाग, जिसके द्वारा और जिसके अधीन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है, का संबंध है, इसे अभिखंडित किया जाता है। किंतु, झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 4/67 के अधीन संज्ञान के संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद में गुणागुण नहीं होने के नाते इसे अस्वीकार किया जाता है और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की धारा 4/67 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में विचारण अग्रसर होगा।

यह आवेदन अंशतः अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

किरण देवी

cuke

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 757 of 2014. Decided on 8th April, 2015.

(क) विधिक सूक्ति–लेक्स नॉन कोजिट एड इंपोसिबिलीया–विधि किसी व्यक्ति को वह करने को विवश नहीं करती जिसे वह संभवतः पूरा न कर सकता हो। (पैराएँ 5 एवं 6)

(ख) सेवा विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–विधि की भावना को विधि के अक्षर पर अभिभावी होना चाहिए–प्रत्यर्थीगण को यह विचार में रखते हुए कि वह डेढ़ वर्ष की संपूर्ण

अवधि के लिए हत्या के गंभीर आरोप पर काराधीन थी जब वह कारा से आवेदन देने की कल्पना अथवा प्रयास भी नहीं कर सकती थी, कम से कम अपने पति की मृत्यु पर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अनुमति देना चाहिए था–याची यह प्रत्याशा नहीं कर सकती थी कि विचारण के समापन के बाद उसे दोषमुक्त कर दिया जाएगा अथवा अपनी दोषसिद्धि पर उसे आगे कारावास भुगतना होगा–मृतक के आश्रित जो निराश्रित हो गया है और निर्धनता की अवस्था में है को राहत पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के सामाजिक सुरक्षा अध्याय के अधीन परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपाय की दृष्टि में न्याय का हित पूरा होगा यदि विधि के शब्दों की कठोरता को शिथिल किया जाता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–याचिका निर्देश के साथ अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–1985 (Supp) SCC 416 Para 10, 1974 (2) SCC 33—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s H.K. Mahato, For the Petitioner; Sr. D.K. Chakraverty, For the Resp.-CCL.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

वर्तमान मामले के तथ्य कुछ मायनों में विचित्र हैं और इसलिए प्रावधानों जिनके अधीन सेवारत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान की जाती है की व्याख्यात्मक समीक्षा आवश्यक है।

2. वर्तमान मामले में याची मृतक कर्मचारी अर्थात् रामेश्वर दास की विधवा है जिसकी मृत्यु दिनांक 13 दिसंबर 2009 को दुर्घटना के कारण हो गयी जब वह सी॰ सी॰ एल॰ अस्पताल, गिरीडीह के अधीन स्वीपर के रूप में पदस्थापित था। कर्मचारी की मृत्यु की घटना उसके भाई द्वारा प्राथमिकी के संस्थापन की ओर ले गयी जिसमें यह अभिकथित करते हुए कि उन्होंने रामेश्वर दास की हत्या करने का षडयंत्र किया था, याची विधवा एवं किसी धनेश्वर दास को अभियुक्तगण के रूप में आलिप्त किया गया था। याची को दिनांक 14 दिसंबर 2009 को ही अभिरक्षा में लिया गया था और उसने सत्र विचारण मामला सं॰ 286 वर्ष 2010 में अपर सत्र न्यायाधीश, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 23 अगस्त, 2011 के निर्णय परिशिष्ट-3 के तहत दोषमुक्त किए जाने तक कारावास भुगता था। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के समापन भाग में अभिनिर्धारित किया है कि वस्तुतः अभियुक्तगण अर्थात धनेश्वर दास एवं किरण देवी के विरुद्ध लगाए गए आरोप को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है। वस्तुतः न केवल अन्य अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो गए बल्कि स्वयं सूचक ने कथन किया कि उसे उसकी मृत्यु के कारण की जानकारी नहीं थी और पक्षद्रोही हो गया। दोषमुक्ति के अनुसरण में कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने के बाद याची ने खंड 9.3.0 के अधीन नियोजन के लिए आवेदन देने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रबंधक (कार्मिक) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के समक्ष दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को अभ्यावेदन, परिशिष्ट-4, दिया। उसने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिनमें उसे अपने पति की मृत्यु कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था और दिनांक 23 अगस्त 2011 को अभिरक्षा से निर्मुक्त किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि उसके परिवार में किसी वयस्क सदस्य की अनुपलब्धता के कारण उसके पति की मृत्यु के संबंध में सूचना प्रबंधन को पहले नहीं दी जा सकी थी। अतः उसने एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के खंड 9.3.0 के अधीन नियुक्ति इप्सित किया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अनुमति प्रदान करने

का उसका अनुरोध प्रबंधक (कार्मिक) गिरीडीह द्वारा दिनांक 17/18 नवंबर, 2013 की संसूचना (परिशिष्ट 5) द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि ऐसा आवेदन अनुकंपा पर नियुक्ति शासित करने वाले परिपत्र जो कोई शिथिलकरण प्रावधानित नहीं करता है के अधीन अपने पति की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष 6 माह की अनुबंधित अवधि के बाद दिया गया था। अत:, याची ने वर्तमान रिट आवेदन में इसका विरोध किया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए फॉर्म भरने की अनुमति उसको देने का निर्देश भी इप्सित किया है।

3. प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए हैं और अपने प्रतिशपथ पत्र में आक्षेपित आदेश में उपदर्शित कारणों को उसी आधार पर न्यायोचित ठहराया है कि अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा करने के लिए प्रचलित परिपत्र केवल एक वर्ष छह माह की ऊपरी समय सीमा की अनुमति देता है जो दिनांक 13 दिसंबर, 2009 को अपने पति की मृत्यु की तिथि से गिनते हुए दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 को आवेदक–याची द्वारा आवेदन दिए जाने के पहले बीत चुका था। यह भी उपदर्शित किया गया है कि दिनांक 24 अक्टूबर 2011 को संयुक्त परामर्शदात्री कमिटी द्वारा लिया गया निर्णय, जो अनुकंपा पर नियुक्ति के मामलों जिन्हें 6 माह से अधिक के विलंब के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है, वर्तमान मामले पर अप्रयोज्य थे क्योंकि यह केवल तब अनुज्ञेय है यदि आवेदन कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्ष तक दिया जाता है। अत:, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह किसी गलती अथवा दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया है। वर्तमान मामले के ताथ्यिक मैट्रिक्स में विचित्र विवाद्यक जिसपर विचार करने की आवश्यकता है यह है कि क्या ऐसे मामले में जहाँ मृतक कर्मचारी की आश्रित दिनांक 14 दिसंबर, 2009 से दिनांक दिनांक 23 अगस्त 2011 को दोषमुक्त किए जाने तक कारा में रही थी, समय सीमा नियत करने वाले परिपत्र की कठोरता को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए अथवा इसे खंड 9.3.0 के अधीन राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार और परिपत्र जो आवेदन के लिए समय सीमा अधिकथित करता है के अधीन परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा योजना की भावना की प्रयोजनात्मक व्याख्या करते हुए विशेष परिस्थितियों में शिथिल किया जा सकता है।

5. मैं सुस्थापित सूक्ति दोहराने के लिए प्रलोभित हूँ–विधि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो वह संभवत: पूरा नहीं कर सकता हो। इसके अननुपालन के लिए पर्याप्त कारण के चलते सलाहकार बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विलंब के बिंदु पर, पालन की असंभावना के सिद्धांत को लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य एवं एक अन्य बनाम शमशेर सिंह, 1985 (Supp) SCC 416,** मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया। पैरा 110 नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"10. Jh tBeykuh u gekj le{k Broom's Legal Maxims (p. 162), 10th Edn. l m)j.k çLrr fd;k tgk ikyu dh vlHkkouk d fl)kr (fofèk vlHko dk; dju d fy, foo'k ugh djrh) ij ppk dh x;h gA mle ;g minf'kr fd;k x;k g fd çkoèkku pkg fdruk Hkh vkKkid D;k u gk] tgk vuikyu vlHko g] og vuuikyu dk i;kIr dkj.k gkxkA fo'k"kr% tc ;g le; dk dkjd dk ç'u gA bl ekey dh vku"kfxd ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[kr g, ge ;g vfHkfuèkkfjr dju e ef'dy ikr g fd jkT; ljdkj }kjk fy;k x;k le; vH;konu okil jkdu d rY; gk ldrk g ftldh ifj.kfr vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vuuikyu e gb rkfd ;g fujkèk nf"kr dj ld-------***

6. राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के संदर्भ में विशेष संदर्भ सं॰ 1 वर्ष 1974, 1974 (2) SCC 33 में प्रकाशित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी परामर्शदात्री अधिकारिता में Impotentia excusat Legam के सिद्धांत पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया। पैरा 15 यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"15. mEehnokj dh eR; dh fLFkfr e inkofèk d volku d igy jk"Vifr d in dh fjDrrk Hkju d fy, fuokpu d lekiu dh vlHkkouk] tks vfèkfu;e 1952 dh èkkjk 7 l çrhr gk ldrk g] vuPNn 62 (1) l bldk vkKkid pfj= ugh Nhurk gA fofèk dh lfDr Impotentia excusat legam , d vU; lfDr fofèk vlHko dk; dju d fy, foo'k ugh djrh d lkFk vrjx :i l lcfèkr gA Impotentia excusat-legam ;g g fd tc fofèk ftl Impotentia ekQ djrh g d vkKkid Hkkx dk ikyu dju d fy, vko';d vFkok vijkt; fu%'kDrrk gA fofèk fdlh 0;fDr dk og dju d fy, foo'k ugh djrh tk og lHkor% ugh ijk dj ldrk gkA ^^tc fofèk dr0; vFkok çHkkj lftr djrh g vkj i{k Lo; e fdlh 0;frØe d fcuk] vkj bld fy, mld ikl mipkj ugh g] bldk ikyu dju e vleFk g] fofèk lkekU; r% ml ekQ djxhA** vr% tc ;g çrhr gkrk g fd lfofèk }kjk fofgr vkipkfjdrkvk dk ikyu mu ifjfLFkfr;k }kjk vlHko cuk fn;k x;k g ftu ij fgrc) 0;fDr dk dkb fu;=.k ugh Fkk] tks b'ojh; ÑR;] mu ifjfLFkfr;k dk oèk dkj.k ekuk tk,xkA tgk b'ojh; ÑR; lfofèk d 'kCnk dk vuikyu jkdrk g] b'ojh; ÑR; }kjk dkfjr vkdfLed vlHkkouk d dkj.k lkfofèkd çkoèkku viuk vkKkid pfj= ugh [kkrk gA (See. Broom's Legal Maxims, 10th Edn. at PP. 162-63 and Craies on Statute Law 6th Edn at p. 288).*

7. वर्तमान मामले के तथ्य प्रकट करते हैं कि दिनांक 13 दिसंबर 2009 को कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्ष की संपूर्ण अवधि के दौरान याची स्वयं अपने पति की हत्या के गंभीर आरोप पर कारा में रही और अंततः उन परिस्थितियों जब सूचक स्वयं अन्य अभियोजन गवाहों के अतिरिक्त पक्षद्रोही हो गया था, में दिनांक 23 अगस्त, 2011 को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त की गयी थी। याची का मामला यह भी है कि परिवार में कोई वयस्क सदस्य नहीं था जो प्रत्यर्थी नियोक्ता की जानकारी में मृत्यु का तथ्य ला सकता था अथवा कोई अन्य जो अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकता था।

8. याची स्वयं हत्या के गंभीर आरोप पर कारावास भुगत रही थी और इसमें आजीवन कारावास भी भुगत सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में, यदि उसने अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने के बाद लगभग डेढ़ वर्ष के भीतर दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को आवेदन दिया था, न्यायालय के मत में विधि की भावना को विधि के शब्दों पर अभिभावी होना चाहिए। यह ऐसा मामला प्रतीत होता है जहाँ प्रत्यर्थीगण को यह ध्यान में रखते हुए कि डेढ़ वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए वह हत्या के गंभीर आरोप पर कारा में थी जब वह कारा से आवेदन देने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी अथवा इसका प्रयास भी नहीं कर सकती थी, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अनुमति कम से कम देना चाहिए था। अन्यथा भी, उक्त समय के भीतर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कारा से कोई आवेदन दिया जाना निरर्थक कार्य होगा क्योंकि ऐसा आवेदन देते हुए अनेक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना था। याची प्रत्याशा नहीं कर सकती

थी कि विचारण के समापन के बाद उसे दोषमुक्त किया जाएगा अथवा दोषसिद्धि पर उसे आगे कारावास भुगतना होगा। अत:, मृतक के आश्रित जो दरिद्र हो गया है और निर्धनता की अवस्था में है को राहत पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के सामाजिक सुरक्षा अध्याय के अधीन कल्पित सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपाय की दृष्टि में, न्याय का हित पूरा होगा यदि विधि के शब्दों की कठोरता शिथिल की जाती है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किए जाने के लिए याची को कम से कम आवेदन देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उसका मामला अंतत: प्रासंगिक कारकों जो विवाद्यक के प्रति उपयुक्त हो सकते हैं पर विचार करने पर स्वीकार किया जाय या नहीं, यह प्राधिकारियों को तय करना है किंतु अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए याची को आवेदन देने की अनुमति देने के बाद।

10. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय उस आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक है जिसने केवल इस आधार पर कि ऐसा अनुरोध उसके पति की मृत्यु से डेढ़ वर्ष बाद किया गया था, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अनुमति प्रदान करने का उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। तद्नुसार दिनांक 17/18 नवंबर, 2013 का आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट 5 अभिखंडित किया जाता है। विधि के अनुरुप कृत्य करने के लिए मामला प्रत्यर्थी के पास भेजा जाता है। याची अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन देगी जिस पर प्रत्यर्थीगण के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर विधि के अनुरुप विचार किया जाना चाहिए।

11. तद्नुसार, यहाँ ऊपर उपदर्शित तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

रमेश सिंह मुंडा उर्फ होरगा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1814 of 2004. Decided on 23rd April, 2015.

दांडिक विधि–हत्या–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश–हेतुक तुच्छ प्रतीत होता है किंतु फिर भी विशेषत: गाँवों में हत्या तुच्छ हेतुक पर भी की जा सकती है–अ॰ सा॰ 4 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसी दिन जब मेलाटांड में घटना हुई थी, अभियुक्त की पत्नी एवं सारीगाँव की एक लड़की के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें मृतक ने मध्यक्षेप किया और तब मृतक एवं अभियुक्त मदन के बीच झगड़ा हुआ था–हत्या करने में अभियुक्त की भूमिका के संबंध में मृतक के पुत्र अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य ने अ॰ सा॰ 4 का बयान संपुष्ट किया है–लोहे से बनाए गए तेज धार वाली वस्तु द्वारा मृतक के शरीर पर कारित उपहतियों को संपुष्ट करने वाला चिकित्सीय साक्ष्य भी है–अपीलार्थीगण यह प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण के कारण उन पर कौन सी प्रतिकूलता कारित हुई है–मात्र यह कहना कि प्रतिकूलता कारित हुई है, स्वमेव अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं बन जाता है जब दूसरी

ओर गवाह हैं जिन्होंने अभियोजन मामला पूरी तरह सिद्ध करते हुए विश्वसनीय साक्ष्य दिया है–अपील खारिज। (पैराएँ 12 से 18)

निर्णयज विधि.–(2001)8 SCC 311—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Appellants; A.P.P., For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–वर्तमान अपील एस॰ टी॰ सं॰ 416 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 17.12.2013 के निर्णय एवं दिनांक 23.12.2003 के दोषसिद्धि से उद्भूत होती है जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों (इसमें इसके बाद संक्षेप में अभियुक्तगण के रूप में निर्दिष्ट) को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. चूँकि अपीलार्थीगण विगत 13 वर्षों से अभिरक्षा में हैं, वर्तमान अपील को इसकी अंतिम सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

3. दिनांक 6.6.2002 को रात्रि लगभग 8 बजे सूचक बागी देवी (मृतक की पत्नी) (अ॰ सा॰ 4) के फर्दबयान में वर्णित अभियोजन मामला यह है कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 6.6.2002 को प्रातः लगभग 10 बजे अभियुक्त मदन सिंह मुंडा की पत्नी एवं सारीगांव के फकीर नायक की लड़की के बीच झगड़ा हुआ। जगरनाथ सिंह (मृतक) वहाँ गया और झगड़ा सुलझाया इसी समय पर मृतक एवं अभियुक्त मदन सिंह मुंडा के बीच झगड़ा शुरू हुआ। तत्पश्चात, सूचक अपने पति को घर लायी। शाम में जब मृतक प्रथम सूचक एवं अपनी संतान के साथ अपने आंगन में बैठा हुआ था, सायं लगभग 5 बजे अभियुक्त मदन मुंडा और रमेश सिंह मुंडा वहाँ आए। रमेश सिंह मुंडा अपने हाथ में चाकू लिए था। ज्योंही अभियुक्तगण आए, मदन सिंह ने पूछा ''क्या तुम मेरे साथ झगड़ा करोगे।'' इस बीच, अभियुक्त रमेश ने आंगन से बल्ली लिया और मृतक के मस्तक के पीछे मारा, परिणामस्वरुप वह जमीन पर गिर गया और बल्ली भी दो टुकड़ों में बँट गयी। सूचक ने दोनों अभियुक्तों से पूछा कि वे क्यों झगड़ा कर रहे थे और उनको बैठ कर बात करने को कहा जिस पर अभियुक्त रमेश ने उसको चुप रहने की धमकी दी अन्यथा उसे भी पीटा जाएगा। तत्पश्चात, दोनों अभियुक्तों ने एक-एक कर मृतक की छाती पर छुरा मारा। जब मृतक पहले से ही जमीन पर बेहोश पड़ा था। तत्पश्चात, वे दोनों सूचक की ओर उसकी हत्या करने दौड़े किंतु, वह अपने पुत्र (अ॰ सा॰ लक्ष्मण सिंह) के साथ भाग गयी। कुछ समय बाद, वह धर्मनाथ मुंडा के घर वापस आयी और मृतक को अपने शरीर पर चाकू मारने के निशान के साथ मृत पड़ा पाया।

4. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन प्राथमिकी मर्हू पी॰ एस॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2002 दर्ज की गयी थी। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने उन दोनों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया जिसके लिए उन्होंने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन विचारण का सामना किया था और अब उन्हें दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था जैसा यहाँ ऊपर उपदर्शित किया गया है।

5. अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 लोहरा नायक, अ॰ सा॰ 2 धरमनाथ मुंडा, अ॰ सा॰ 3 लक्ष्मण सिंह मुंडा, अ॰ सा॰ 4 बागी देवी, अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ अजय कुमार झा जिन्होंने मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया, अ॰ सा॰ 6 दुखु सिंह और अ॰ सा॰ 7 गोंडा मुंडा का परीक्षण किया गया है। मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

6. दूसरी ओर, बचाव ने अपने मामले के समर्थन में किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया है और यह सामान्य इनकार का मामला है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं विचारण न्यायालय ने अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान अवर न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि विभिन्न हथियारों से अभियुक्तों द्वारा प्रहार के संबंध में गवाहों के बयान में विरोधाभास हैं। उन्होंने आगे इंगित किया कि अ॰ सा॰ 4 के पैरा 2 पर बयान के मुताबिक यह कथन किया गया है कि अभियुक्तों ने बैथी से मृतक पर प्रहार किया था जबकि अपने फर्दबयान में उसने कथन किया है कि मृतक पर चाकू से प्रहार किया गया था।

9. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान शव परीक्षण रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करते हुए चिकित्सीय साक्ष्य एवं चश्मदीद गवाह के विवरण के बीच कतिपय विरोधाभास बताने का प्रयास किया है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी के गैर–परीक्षण के कारण अपीलार्थीगण अन्वेषण के दौरान दर्ज गवाहों के पूर्व बयान को अभिलेख पर नहीं ला सके थे जिसने उनपर प्रतिकूलता कारित किया है।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश का समर्थन किया है, जैसा पहले ही विचारण न्यायालय अभिलेख में दर्ज है। उन्होंने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 4 हत्या करने में अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में अपने विवरण में संगत है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मृतक के शरीर पर उपहतियों की कमी नहीं है और यह दोनों अभियुक्तों का आशय सिद्ध करता है। इस प्रकार, वह दोषसिद्धि एवं दंडादेश जैसे पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित किया गया है को मान्य ठहराने की प्रार्थना करते हैं।

12. यह पता चलता है कि अ॰ सा॰ 4 इस मामले की मुख्य गवाह है, ऐसी दशा में उसके साक्ष्य के सूक्ष्म संवीक्षण की आवश्यकता है। अ॰ सा॰ 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया कि सायं लगभग 5 बजे मृतक आंगन में बैठा था और पानी पी रहा था और वह तथा उसका पुत्र कटहल पका रहे थे। उसी समय, अभियुक्तगण वहाँ आए, मृतक को अपने साथ झगड़ा करने के लिए उकसाया और तब उन दोनों द्वारा उस पर प्रहार किया गया था। उसका बयान हमें सर्वाधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि घर में उसकी उपस्थिति के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है।

13. हेतु के संबंध में, अ॰ सा॰ 4 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसी दिन जब मेलाटांड में घटना हुई, अभियुक्त मदन की पत्नी एवं सारीगाँव के किसी लड़की के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें मृतक ने मध्यक्षेप किया और तब मृतक एवं अभियुक्त मदन के बीच झगड़ा हुआ। तत्पश्चात सूचक मृतक को अपने घर ले गयी। नि:संदेह, हेतु तुच्छ प्रतीत होता है, फिर भी, विशेषत: गाँवों में तुच्छ हेतु पर भी हत्या की जा सकती है।

14. अ॰ सा॰ 3 (मृतक का पुत्र) बाल गवाह है और घटना देखने का दावा करता है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि बाल गवाह परिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम होता है यदि वह अपने से पूछे गए प्रश्नों को समझने एवं उन प्रश्नों का तार्किक उत्तर देने में सक्षम है। वर्तमान मामले में, बाल गवाह का साक्ष्य दर्ज करने के पहले विद्वान अवर न्यायालय ने बाल गवाह की समझने की क्षमता का निर्धारण किया है। अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य से, यह प्रकट होता है कि उसने हत्या करने में अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में अ॰ सा॰ 4 का बयान संपुष्ट किया था। यह आगे प्रकट करता है कि अ॰ सा॰ 3 ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उसका पिता आंगन में पानी पी रहा था और उसकी माता कटहल

पका रही थी जब दोनों अभियुक्तगण वहाँ आए और मृतक की पीठ पर डंडा से प्रहार किया और जब मृतक गिर गया तब उन्होंने पुन: बैथी से उस पर प्रहार किया। हम बाल गवाह के साक्ष्य में समाए कतिपय विरोधाभासों से अवगत हैं किंतु ये बिल्कुल अमहत्वपूर्ण एवं अनदेखा करने योग्य हैं।

15. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने अधिक जोर दिया है कि अ॰ सा॰ 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया था कि उपहतियाँ बैथी द्वारा कारित की गयी थी और अ॰ सा॰ 5 (शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर) ने अपने मत में कथन किया है कि उपहति सं॰ 1 से 5 छूरा से कारित की गयी थी, ऐसी दशा में, मृतक के शरीर पर कारित उपहतियों के बिंदु पर महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क इस कारण से आधारहीन है कि अ॰ सा॰ 5 ने अपने प्रति परीक्षण में पैरा 8 में अभिसाक्ष्य दिया कि उपहति सं॰ 1 से 5 छूरा द्वारा कारित की जा सकती हैं और इस हथियार की तरह बैथी भी लोहे से बनी तेज धार वाली वस्तु है। छूरा एवं बैथी तेज धार वाले हथियार हैं और उन दोनों के बीच अधिक अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 4 देहाती अनपढ़ महिला है और उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने जो गौर किया है कि उसका बयान अधिमूल्यन के मापदंड पर परीक्षा किए जाने पर किसी महत्वपूर्ण पहलू पर किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

16. जहाँ तक अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण का संबंध है, **राम गुलाम चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2001)8 SCC 311,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *26. jkeno cuke m0 ç0 jkT; ekey e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd vUo"k.k vfèkdkjh dk ijh{k.k djuk vfHk;ktu d fy, lno okNuh; gA fdr] vUo"k.k vfèkdkjh dk xj&ijh{k.k fdlh :i e vfHk;ktu ekey e dkb ljk[k mRiUu ugh djrk g] p'enhn xokgk dh fo'oluh; rk vFkok vU;Fkk fo'oluh; ifjlk{; dk vkj Hkh de çHkkfor djrk gA*

> *27. fcgkjh çlkn cuke fcgkj jkT; ekey e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd vUo"k.k vfèkdkjh d xj ijh{k.k d dkj.k vfHk;ktu ekeyk foQy gku dh vko';drk ugh gA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd ;g çfrokn djuk lgh ugh g fd ;fn vUo"k.k vfèkdkjh dk ijh{k.k ugh fd;k x;k g] li.k ekeyk èkjk'kk;h gk tk,xk D;kfd vfHk;Drk dk xokgk dk çHkkodkjh çfr ijh{k.k dju ,o fojkèkkHkk l lkeu yku d volj l ofpr fd;k x;k FkkA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd lHkkfor :i l dkfjr gku okyh çfrdyrk dk ekeyk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxk vkj dkb Hkh lkoHkke dBkj fu;e vfèkdfFkr ugh fd;k tkuk pkfg, fd vUo"k.k vfèkdkjh dk xj ijh{k.k vfuok;rk nkfMd fopkj.k nf"kr djrk gA*

> *28. vfcdk çlkn cuke jkT; (fnYyh ç'kklu) ekey e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd nkfMd fopkj.k u doy vfHk;Dr d lkFk cfYd ihfMr ,o lekt d lkFk Hkh U;k; dju d fy, vk'kf;r g rkfd fofèk&0;oLFkk cuk;h j[kh tk ldA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd U;k;kèkh'k ek= ;g n[ku d fy, fd funk"k nfMr ugh fd;k tk;] nkfMd fopkj.k lpkfyr ugh djrk gA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd U;k;kèkh'k ;g n[ku d fy, Hkh fd nk"kh cp u fudy nkfMd fopkj.k lpkfyr djrk gA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd nkuk ykd dr0; g ftudk ikyu U;k;kèkh'k dk djuk gA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd ;g nHkkX;i.k Fkk fd vUo"k.k vfèkdkjh fdlh vkfpR;i.k vkèkkj d fcuk dB?kj e ugh vk;k FkkA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd vUo"k.k vfèkdkjh ,o vU; i{knkgh xokgk dk vkpj.k v0 lk0 5 ,o 7 ftudh ?kVukLFky ij mifLFkfr fdlh ;fDr;Dr lng d ij LFkkfir dh x;h Fkh d lk{; dk R;Dr dju dk vkèkkj ugh gk ldrh FkhA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd vUo"k.k vfèkdkjh dk xj ijh{k.k p'enhn xokgk ij vfo'okl dju dk vkèkkj ugh gk ldrk FkkA*

*29. cgknj uk;d cuke fcgkj jkT; d ekey e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd vUo"k.k vfèkdkjh dk xj ijh{k.k ifj.kkegh u g tc ;g ugh n'kk;k tk ldrk Fkk fd ,l xj ijh{k.k d dkj.k vihykFkh ij dku lh çfrdyrk dkfjr dh x;h FkhA***

17. वर्तमान मामले में भी, अपीलार्थीगण यह प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण उन पर कौन सी प्रतिकूलता कारित हुई है, ऐसी दशा में, मात्र यह कहना कि प्रतिकूलता कारित हुई है स्वमेव अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं बन जाता है जब दूसरी ओर गवाह हैं जिन्होंने अभियोजन मामला पूरी तरह सिद्ध करते हुए विश्वसनीय साक्ष्य दिया है।

18. यहाँ ऊपर कथित कारणों से हमारा दृष्टिकोण है कि अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह के बिना दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के आरोप का अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रहा है, ऐसी दशा में, उक्त आरोप के लिए उनकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश जैसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दर्ज किया गया है पुनर्अभिपुष्ट किए जाने योग्य है। तद्नुसार आदेशित।

19. परिणामस्वरुप, अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

मो॰ शहनवाज उर्फ शहनवाज उर्फ शहनवाज अहमद (319 में)

शंकर दास (265 में)

ठाकुर अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ बाउल (375 में)

अमित राज वर्धन (756 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 319, 265 and 375 of 2010; Cr. Revision No. 756 of 2010. Decided on 4th December, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दिनांक 24 फरवरी, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25 फरवरी, 2010 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149 एवं 307/149—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27 (i)—हत्या–सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील–अभियुक्त एवं मृतक के बीच पुराना बैर–घायल चश्मदीद गवाहों ने उसके माता-पिता की हत्या और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और आयुध अधिनियम के अधीन अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में अभियोजन द्वारा अभिकथित अपराध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया–उसके अभिसाक्ष्य में कोई मुख्य लोप, विरोधाभास और सुधार नहीं है–एक अन्य गवाह ने घटनास्थल, घटना का समय, घटना का हेतु सिद्ध किया है और उसने किसी अतिशयोक्ति के बिना पूर्ण अभिसाक्ष्य दिया–इस गवाह ने अभियुक्तों को पहचाना भी है–अभियुक्तगण पूर्व मामले को सुलझाने के लिए धमकी दे रहे थे और आग्नेयास्त्र के साथ मोटरसाइकिल पर आए थे–अभियोजन

ने घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य की मदद से, चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य की सहायता से, जिनका अभिसाक्ष्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पा रहा है, अपीलार्थियों द्वारा की गयी हत्याओं का अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 149 के अधीन अपराध भी सिद्ध किया है–उनके अभिसाक्ष्य में कोई मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार नहीं है–अभियोजन ने अभिकथित अपराध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है–यह मामला विरल मामलों में विरलतम की कोटि में नहीं आता है–आजीवन कारावास से मृत्यु दंडादेश में दंड बढ़ाने का कारण नहीं है–विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत आजीवन कारावास न्यायोचित एवं पर्याप्त दंड है–दांडिक अपीलों एवं दांडिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज किए गए।

(पैराएँ 7, 9, 12, 15, 16, 20, 21 एवं 22)

निर्णयज विधि.–(2010) 10 SCC 259; (2012) 4 SCC 79; (2007) 14 SCC 150; (2010) 9 SCC 567; (2012) 9 SCC 532; (1980) 2 SCC 684; (1983) 3 SCC 470; (2014) 4 SCC 292—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anil Kumar, Priya Shrestha, For the Appellants; Mr. T.N. Verma, For the State; Mr. Sameer, For the Informant; Saurabh, Petitioner.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–पूर्वोक्त अपीलें सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दोषसिद्धि के एक ही निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत होती है। दिनांक 24/25 फरवरी, 2010 के विचारण न्यायालय के आदेश द्वारा दांडिक अपीलों में अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 25,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी 10 वर्ष के कठोर कारावास के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 27 (i) के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक को पाँच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने एवं 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। इन समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया है। इस दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध इन तीन अपीलार्थियों द्वारा अपीलें दाखिल की गयी हैं जबकि दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 756 वर्ष 2010 पीड़ित (अ॰ सा॰ 7–मृतक का पुत्र) द्वारा दंडादेश बढ़ाने के लिए दाखिल किया गया है।

<u>अभियोजन मामला:</u>

2. अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 28.4.2000 को सायं 5.30 बजे सूचक मधु वर्मा, जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी, ने घायल दशा में सदर अस्पताल, सिवान में पुलिस को फर्दबयान दिया कि अभियुक्त छोटे जिसने न्यायालय में अपहरण के एक मामले में आत्मसमर्पण किया था ने अन्य के साथ उस दिन उसको धमकाया था जिसमें बिपेन्द्र कुमार वर्मा जो लोक अभियोजक है, उनमें मुख्य था। वह पहले भी सुलह के लिए आया था। उसने आगे अभिकथित किया कि आज के दिन बॉल (अभियुक्त) जो ठाकुर बालेश्वर का पुत्र है शाहनवाज जो मेहदीपुर का निवासी है सहित अन्य आठ व्यक्तियों के साथ मोडी जा सकने वाली ए॰ के॰ 47 बंदूक के साथ लैस होकर मधु वर्मा के निवास स्थान आए और उन्होंने इसे मोड़ने के बाद अपने अस्त्रों को रखा।

सूचक मधु वर्मा द्वारा पूर्वोक्त बयान दिए जाने के बाद उसका देहान्त हो गया जब उसे पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना ले जाया जा रहा था। सूचक के पति की अंधाधुंध गोली चलाये जाने के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इस घटना में मृतक की पुत्री श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) ने भी उपहति पाया।

3. अन्वेषण आरंभ किया गया था, पुलिस ने अनेक गवाहों का बयान दर्ज किया और अनेक साक्ष्य संग्रहित किया, नौ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे जिनमें से दो जमानत छोड़ कर भाग गए और फरार हो गए। विचारण पृथक किया गया था और सात अभियुक्तों ने विचारण का सामना किया जिनमें से तीन को दोषमुक्त कर दिया गया है जो बिपिनेन्द्र कुमार वर्मा, ठाकुर उज्ज्वल कुमार उर्फ राजू और ठाकुर सिंहेश्वर कुमार उर्फ छोटे हैं जो सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में मूल अभियुक्त सं॰ 5, 6 एवं 7 हैं जबकि मूल अभियुक्त सं॰ 1, 2, 3 एवं 4 को दोषसिद्ध किया गया है। इन चार दोषसिद्ध अभियुक्तों में से मूल अभियुक्त सं॰ 3 विनोद कुमार उर्फ विनोद कृष्णा की अस्पताल में अपने इलाज के दौरान कारा में मृत्यु हो गयी और, इसलिए, उसकी अपील दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 278 वर्ष 2010 उपशमनित होती है जिसे पृथक आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

4. अभियोजन ने 11 गवाहों का परीक्षण किया है और अभियोजन गवाहों का सार निम्नलिखित है:

<u>अभियोजन गवाहों का सार:</u>

अ॰ सा॰ 1	श्री प्रकाश सिंह	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दिनांक 28.4.2000 को सायं 5 बजे ए॰ के॰ 47 प्रकार के राइफलों से लैस नौ व्यक्तियों को दो हीरो होन्डा एवं एक बुलेट मोटर साइकिल पर भागते देखा। उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
अ॰ सा॰ 2	मनिराज	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी और रिवाल्वर, बंदूक एवं राइफल से लैस नौ व्यक्तियों को तीन मोटरसाइकिल पर भागते देखा। उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
अ॰ सा॰ 3	मोती कुमार	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी और ए॰ के॰ 47 पकड़े व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर देखा। उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
अ॰ सा॰ 4	डॉ॰ एस॰ के॰ अमन	वह घटना के दिन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सिवान के रूप में पदस्थापित था। **उसने फर्दबयान, प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 5	वैद्यनाथ चौधरी	वह **एडवोकेट क्लर्क** है और **प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर एवं रोहित राजवर्धन का हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 6	डॉ॰ जमशेद अहमद	वह **डॉक्टर** है जो मेडिकल बोर्ड का सदस्य है जिसने रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और क्रमश: प्रदर्श 3 एवं 4 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्टों को सिद्ध किया है।

अ॰ सा॰ 7	अमित राज वर्धन	वह **मृतकों रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा का पुत्र है। वह अनुश्रुत गवाह है।**
अ॰ सा॰ 8	धीरेन्द्र श्रीवास्तव	वह घटना के दिन नगर थाना, सिवान में सब-इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित था और इस मामले का **अन्वेषण अधिकारी है। उसने सिवान पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी-सह-इंस्पेक्टर श्री सकलू राम के फर्दबयान पर दो पृष्ठांकनों को सिद्ध किया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 9 एवं 9/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित घटनास्थल का स्केच मैप भी सिद्ध किया है। उसने प्रदर्श 8 के रूप में चिन्हित खाली कारतूसों एवं रक्तरंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची भी सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 9	श्रीमती शिल्पी वर्मा	**वह मृतक रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा की पुत्री है और घटना की चश्मदीद गवाह है।**
अ॰ सा॰ 10	सुश्री श्वेता वर्मा	वह मृतक रघुवीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा की पुत्री है और घटना की घायल चश्मदीद गवाह है।
अ॰ सा॰ 11	रोहित यशवर्धन	**वह मृतक रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा का पुत्र है। उसने अभियुक्तों को तीन मोटर साइकिल पर हाथ में ए॰ के॰ 47 लिए देखा था।**

अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया तर्क

5. अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों में मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त एवं अभिखंडित किए जाने योग्य है। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे हत्याओं का अपराध एवं अन्य अपराधों को सिद्ध करने में विफल रहा है। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि मधु वर्मा (मृतका) द्वारा अस्पताल में दिया गया बयान सिद्ध नहीं किया गया है और, इसलिए, इसे 'मृत्यु कालिक कथन' के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे विचार में नहीं लिया जा सकता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि तथाकथित घायल गवाह (अ॰ सा॰ 9) की उपहति प्रमाण पत्र अन्वेषण एजेन्सी द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 9 को घायल चश्मदीद गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 10 घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 11 उपस्थित नहीं थे जब घटना हुई थी। डॉ॰ एस॰ के॰ अमन (अ॰ सा॰ 4) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उन्होंने दबाव के अधीन मधु वर्मा के बयान पर हस्ताक्षर किया था। अभियोजन गवाहों द्वारा इन अपीलार्थियों की समुचित रूप से शिनाख्त नहीं की गयी है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा परीक्षा

पहचान परेड नहीं करवायी गयी है। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि मृतक मधु वर्मा के बयान को देखते हुए अपराधों की कारिता में इन अपीलार्थियों की भूमिका नहीं बतायी गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए, सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

राज्य के ए॰ पी॰ पी॰ का तर्क:

6. राज्य के ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है। अभियोजन मामला मधु वर्मा के बयान पर आधारित है (जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी जब उसे पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था)। घटना के एक से अधिक चश्मदीद गवाह हैं जो अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 10 हैं। अ॰ सा॰ 9 घायल चश्मदीद गवाह है जो मृतका की पुत्री है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि जब ये अपीलार्थीगण उसके घर आए और गोली चलाने लगे, वह प्रथम तल पर थी और वह तुरन्त भूतल पर आयी जहाँ अभियुक्तगण उसके माता-पिता पर गोली चला रहे थे। आग्नेयास्त्र की उपहतियों के कारण घटनास्थल पर ही पिता की मृत्यु हो गयी और माता को गंभीर आग्नेयास्त्र की उपहतियाँ आयी थी। इस अ॰ सा॰ 9 को भी आग्नेयास्त्र उपहति आयी है। इस गवाह ने अपीलार्थियों को पहचाना है। तुरन्त उसका भाई रोहित यशवर्धन (अ॰ सा॰ 11) घर आया और तत्पश्चात, उसकी माता एवं अ॰ सा॰ 9 को अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस द्वारा उसकी माता का बयान दर्ज किया गया था। अ॰ सा॰ 9 का भी अस्पताल में इलाज किया गया था और तत्पश्चात उसकी माता और अ॰ सा॰ 9 को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था, किंतु, पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना जाने के रास्ते में उसकी माता की मृत्यु हो गयी जबकि अ॰ सा॰ 9 पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना पहुँची जहाँ उसका इलाज जारी रहा। इस प्रकार, इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी माता का बयान सिवान सदर अस्पताल में दर्ज किया गया था। इस घायल चश्मदीद गवाह पर अविश्वास करने का कारण नहीं है। उसने समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे इन अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपराधों जैसा अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है सिद्ध किया है। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 10 भी घटना का चश्मदीद गवाह है जो भी मृतक की पुत्री है। उसने भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णायक एवं स्पष्ट साक्ष्य दिया है। उसने अ॰ सा॰ 9 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को पूर्ण संपुष्टि दिया है। इस गवाह ने भी इन अपीलार्थियों को पहचाना है। उसने भी कथन किया है कि उसकी माता एवं उसकी बहन को पहले सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उसकी माता का बयान दर्ज किया गया था और तत्पश्चात उन दोनों को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था। पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना ले जाते हुए रास्ते में उसकी माता की मृत्यु हो गयी जबकि उसकी बहन श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना में भरती किया गया था जहाँ 25 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा। ये दोनों चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 11 रोहित यशवर्द्धन एवं अ॰ सा॰ 8 धीरेन्द्र श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य एवं अभियोजन के अन्य गवाहों के अभिसाक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पा रहे हैं। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा निवेदन किया गया है कि ये अपीलार्थीगण पूर्व दांडिक मामलों को सुलझाने पर जोर दे रहे थे और चूँकि मृतक मामला सुलझाने के लिए तैयार नहीं थे अत: इन अपीलार्थियों द्वारा दो हत्याएँ की गयी हैं और उन्होंने अ॰ सा॰ 9 पर भी आग्नेयास्त्र उपहति कारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभिलेख पर मौजूद इन साक्ष्यों का अधिमूल्यन किया है और अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 एवं आयुध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध सिद्ध किया है। अत:, इस न्यायालय द्वारा इन अपीलों को ग्रहण

नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक मृतक के पुत्र द्वारा दाखिल दांडिक पुनरीक्षण आवेदन का संबंध है, ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह मामला विरल मामलों में विरलतम की कोटि में आता है और इन अपीलार्थियों द्वारा अंधाधुंध गोली चलायी गयी थी और वे अपना पूर्व दांडिक मामला सुलझाना चाहते थे। उनकी ओर से आपराधिक मन:स्थिति को देखते हुए, मृत्यु दंडादेश इन अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत किया जाने वाला पर्याप्त दंडादेश होगा। दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 756 वर्ष 2007 के आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन अपीलार्थियों द्वारा पहले मृतक के पुत्र की हत्या की गयी थी। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य दांडिक मामले दाखिल किए गए थे और वे सिवान नगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 22 वर्ष 1998, सिवान पी॰ एस॰ केस सं॰ 39 वर्ष 1988, सिवान नगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 141 वर्ष 1998 (मृतक के पुत्र की हत्या के कारण) और सिवान पी॰ एस॰ केस सं॰ 20 वर्ष 1999 थे। इन मामलों के समाधान के लिए अभियुक्तगण जोर दे रहे थे जिससे मृतक रघुवीर शरण वर्मा ने इनकार किया था और, इसलिए, इन अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपराध कारित किया गया है। अत:, मामला विरल मामलों में विरलतम के अंतर्गत आता है, अत: उनको अधिनिर्णीत दंडादेश बढ़ाया जा सकता है और उन्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है।

<u>कारण</u>

7. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण अभियुक्त पक्ष उनके बीच कतिपय विवाद के समाधान पर जोर दे रहा था जिसके लिए रघुबीर शरण वर्मा (मृतक) तैयार नहीं था। ये अपीलार्थीगण अन्य सह अभियुक्तों के साथ दिनांक 28 अप्रिल, 2000 को सायं लगभग 5.30 बजे मृतक के घर आए। वे रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा पर गोली चलाने लगे। रघुवीर शरण वर्मा की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी। हमलावरों द्वारा चलायी जा रही गोली की आवाज सुनकर मृतक की दोनों पुत्रियाँ अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 10 जो घर के प्रथम तल पर थी तुरन्त भूतल पर आयी। अ॰ सा॰ 9 श्रीमती शिल्पी वर्मा नीचे आने वाली पहली थी और उसे भी आग्नेयास्त्र उपहति आयी थी। अ॰ सा॰ 10 अ॰ सा॰ 9 के पीछे आयी। उसने भी घटना देखा था किंतु उसे कोई उपहति नहीं आयी थी। इस बीच, अ॰ सा॰ 11, अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 10 का भाई जो बाहर गया हुआ था घर आया और उसने आग्नेयास्त्रों के साथ अभियुक्तों को तीन मोटर साइकिल पर देखा। यह अ॰ सा॰ 11 एवं अन्य व्यक्ति मधु वर्मा एवं श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को निकटतम अस्पताल अर्थात् सिवान सदर अस्पताल ले गए जहाँ पुलिस द्वारा मधु वर्मा का बयान दर्ज किया गया था जिस पर अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ एस॰ के॰ अमन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। मधु वर्मा एवं श्रीमती शिल्पी वर्मा दोनों को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था। पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना जाने के रास्ते में मधु वर्मा की मृत्यु हो गयी जबकि श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल पटना में बाह्य मरीज के रूप में भरती किया गया था और लगभग 25 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा। मधु वर्मा (बाद में मृत्यु हो गयी) के बयान के आधार पर सिवान नगर पुलिस थाना में अपराध दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था, पुलिस ने अनेक गवाहों का बयान दर्ज किया और नौ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिनमें से दो फरार हो गए। विचारण पृथक किया गया था और सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में सात अभियुक्तों का विचारण किया गया था जिसमें से मूल अभियुक्त सं॰ 1, 2, 3 एवं 4 को मुख्यत: भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह पठित धारा 149 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 (i) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडित किया गया है।

8. इस प्रकार, अभियोजन के मामले को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि मधु वर्मा का बयान जो प्रदर्श 5 है, अ॰ सा॰ 9 श्रीमती शिल्पी वर्मा, घायल चश्मदीद गवाह, अ॰ सा॰ 10 सुश्री श्वेता वर्मा और

अ॰ सा॰ 11 रोहित यशवर्धन द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य अभियोजन द्वारा दिया गया मुख्य साक्ष्य है और इन साक्ष्यों को अ॰ सा॰ 8 धीरेन्द्र श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के आलोक में देखा जाना है। अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ जमशेद अहमद जिन्होंने रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा के शरीर का शव परीक्षण किया था जो क्रमश: प्रदर्श 3 एवं 4 हैं का अभिसाक्ष्य और अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ एस॰ के॰ अमन जिन्होंने मृतका मधु वर्मा द्वारा दिए गए फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर दिया है के अभिसाक्ष्य के आलोक में देखा जाना है।

9. श्रीमती शिल्पी वर्मा अ॰ सा॰ 9 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वह मृतक की पुत्री है। उसने स्पष्ट कथन किया है कि घटना दिनांक 28 अप्रिल, 2000 को सायं लगभग 5 बजे हुई है जब उसके पिता रघुबीर शरण वर्मा एवं उसकी माता मधु वर्मा घर में थे और गोली चलने की आवाज सुनकर वह तुरन्त अपने माता-पिता की ओर दौड़ी और 8-9 व्यक्तियों को गोली चलाते देखा। इस गवाह के माता-पिता को आग्नेयास्त्र उपहति आयी। इस गवाह को भी पेट एवं पेल्विस में आग्नेयास्त्र की उपहति आयी। वह उपहतियों के कारण गिर गयी थी। उसका छोटा भाई रोहित (अ॰ सा॰ 11) उस समय तक बाजार से लौटा था जो माता मधु वर्मा एवं श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को सिवान सदर अस्पताल ले गया था जहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया गया था। उसकी माता को भी उक्त अस्पताल में भरती किया गया था। पुलिस वहाँ आयी और उसकी माता का बयान दर्ज किया। इस गवाह ने यह कथन भी किया कि वह भी सिवान अस्पताल में अपनी माता की शय्या के निकट वाले शय्या पर पड़ी थी और पुलिस द्वारा बयान दर्ज किए जाने के बाद उसकी माता का अंगूठा का निशान लिया गया था। डॉक्टर ने भी उसकी माता के बयान पर अपना हस्ताक्षर किया है और आगे इलाज के लिए उसकी माता एवं अ॰ सा॰ 9 को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था। उसकी माता को एम्बुलेंस में ले जाया गया था, जबकि अ॰ सा॰ 9 को पुलिस जीप में ले जाया गया था और रास्ते में पुलिस जीप रूकी और उसे सूचित किया गया कि उसकी माता की मृत्यु हो गयी थी। अ॰ सा॰ 9 को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल पटना में भरती किया गया था जहाँ 25 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा। मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण को देखते हुए उसने इन अपीलार्थियों को पहचाना है। इस गवाह के अभिसाक्ष्य को देखते हुए इस गवाह ने निम्नलिखित सिद्ध किया है:-

(i) ?kVuk dh frfFk ,o ?kVuk dk le; vFkkr fnukd 28 vçy] 2000 yxHkx 5 ct 'kkeA

(ii) ?kVuk LFky vFkkr erd dk ?kjA

(iii) ?kVuk LFky ij Lo; mldh viuh mifLFkfr—Lo; viu ?kj e mldh mifLFkfr LokHkkfod FkhA xkyh pyu dh vkokt luu ij] og viu ekrk&firk dh vkj nkMh vkj 8-9 vfHk;Drk dk viu ekrk&firk ij xkyh pykr n[kkA mlu bu vihykfFk;k dk igpkuk Hkh gA mlu foukn dekj] 'kkguokt] vHk; ikM ,o 'kdj yky dk uke fn;k gA bl çdkj] bl xokg }kjk iokDr rhu vihykfFk;k dh igpku dh x;h FkhA

उसने यह भी सिद्ध किया है कि अभियुक्तगण आग्नेयास्त्र के साथ आए और उन्होंने उसके माता-पिता अर्थात् रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा (दोनों की मृत्यु हो गयी) और स्वयं उस पर अंधाधुंध गोली चलायी।

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसके पूरे साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसने अनेक दिनों बाद अपना फर्दबयान दिया है, अत: उसने यह कथन भी किया है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने इस बिंदु पर काफी जोर दिया है, किंतु

अभियोजन गवाहों और विशेषत: अन्वेषण अधिकारी जो अ॰ सा॰ 8 है के पूरे साक्ष्य को देखते हुए उसने स्पष्टत: पैराग्राफों 25, 47, 72 एवं 87 पर कथन किया है कि इस अ॰ सा॰ 9 श्रीमती शिल्पी वर्मा का बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। हम इस घायल चश्मदीद गवाह पर अविश्वास करने का कारण नहीं देखते हैं। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने श्रीमती शिल्पी वर्मा का उपहति प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, अत:, वह घायल चश्मदीद गवाह बिल्कुल नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिवाद मुख्यत: इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया है कि इस गवाह के मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण को देखते हुए और अ॰ सा॰ 8 धीरेन्द्र श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) द्वारा दिए गए साक्ष्य को भी देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस गवाह को बुलेट उपहति आयी थी। उसे आरंभ में अपनी माता मधु वर्मा के साथ सिवान सदर अस्पताल में भरती किया गया था। तत्पश्चात, मधु वर्मा एवं इस घायल चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 9 को आगे पी॰ एम॰ सी॰ एच॰, पटना निर्दिष्ट किया गया था। रास्ते में माता की मृत्यु हो गयी और अ॰ सा॰ 9 को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना में आंतरिक मरीज के रूप में भरती किया गया था, जहाँ लगभग 25 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा। इस प्रकार, उसका अभिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 8 जो अन्वेषण अधिकारी है द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पा रहा है। अत:, मात्र इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उपहति प्रमाण पत्र संग्रहित नहीं करने की गलती की गयी हैं, अभियुक्तों को लाभ नहीं मिल सकता है।

अ॰ सा॰ 9, अ॰ सा॰ 10 एवं अ॰ सा॰ 11 द्वारा दिए गए पूरे साक्ष्य को देखते हुए और अ॰ सा॰ 8 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के साथ इसका पठन करने पर यह प्रतीत होता है कि ये अपीलार्थीगण रघुबीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा की हत्या करने के अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव में अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आए। वे अपने हाथों में आग्नेयास्त्र लिए मोटरसाइकिलों पर साथ आए। उन्होंने मृतकों पर गोली चलाया था और हत्या करने तथा अ॰ सा॰ 9 पर उपहति कारित करने के बाद वे एक साथ मोटरसाइकिल पर भाग गए। अत:, वे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे और मृतकों की हत्या कारित करने का उनका सामान्य उद्देश्य था और अ॰ सा॰ 9 भी घायल हुई थी।

इसके अतिरिक्त, इस घायल चश्मदीद गवाह का अभिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 10 मिस श्वेता वर्मा जो भी घटना की चश्मदीद गवाह है और मृतक की पुत्री एवं अ॰ सा॰ 9 की बहन है के अभिसाक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पा रहा है। आगे, अ॰ सा॰ 9 का अभिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 11 रोहित यशवर्धन के अभिसाक्ष्य से संपुष्टि पा रहा है।

इस प्रकार, अ॰ सा॰ 9 घायल चश्मदीद गवाह है और उसके द्वारा दिए गए पूरे साक्ष्य को देखते हुए और संपुष्टिकारी साक्ष्य को भी देखते हुए, जैसा यहाँ ऊपर कथन किया गया है, वह विश्वसनीय गवाह है। इन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करते हुए उसके साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है।

<u>घायल चश्मदीद गवाह का सक्ष्यिक मूल्य</u>

10. अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010)10 SCC 259, में पैरा 28 से 30 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"28. xokg tks ?kVuk d Øe e Lo; ?kk;y gvk g d lk{; dk fn, tku oky vfèkeku d ç'u ij bl U;k;ky; }kjk foLrkjiod ppk dh x;h gA tgk ?kVuk dk xokg Lo; ?kVuk e ?kk;y gvk g] , l xokg d ifjlk{; dk lkekU;r% vR;Ur fo'oluh; ekuk tkrk g D;kfd og , lk xokg gkrk g tk vijkèk LFky ij viuh*

mifLFkfr dh vr%fufer xkjUVh d lkFk vkrk g vkj ft ldh fdlh vkj dk >Bk vkfylr dju d fy, viu okLrfod geykojk dk cD'k nu dh lHkkouk ugh gkrh gA ?kk;y xokg dk vfo'oluh; cuku d fy, fo'oklkiknd lk{; dh vko';drk gA

29. bl fook|d dk fofuf'pr djr g, tjuy flg cuke itkc jkT; e le#i nf"Vdk.k fy;k x;k Fkk] tgk bl U;k;ky; u ?kk;y vfHk;Dr d ifjlk{; dk fn, x, fo'k"k lkf{;d nt dk nkgjk;k vkj viu io fu.k;k ij fo'okl djr g, fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k (SCC pp 726-27, Paras 28 & 29)

"28. n'ku flg (v0 lkO 4) ?kk;y xokg FkkA MkDVj }kjk mldk ijh{k.k fd;k x;k FkkA mld ifjlk{; dk gYd :i l [kkfjt fd;k ugh tk ldrk gA mlu ?kVuk dk i.k fooj.k fn;k Fkk D;kfd og ml le; ij mifLFkr Fkk tc geykoj V;coy ij vk, FkA f'kofyxlik dYy;k.kkIik cuke dukVd jkT; e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd ?kk;y xokg d vfHklk{; ij fo'okl fd;k tkuk pkfg, tc rd e[; fojkèkkHkklk ,o folxfr;k d vkèkkj ij mldk lk{; vLohdkj dju d fy, etcr vkèkkj ugh g] bl dkj.k l fd ?kVuk LFky ij mldh mifLFkfr ekey e LFkkfir dh x;h g vkj ;g fl) fd;k x;k g fd og mDr ?kVuk d nkjku migfr l ihfMr gvkA

*29. m0 ç0 jkT; cuke fd'ku pnk e ;g lçf{kr djr g, fd LVkIM xokg d ifjlk{; dh viuh çklfxdrk vkj çHkkodkfjrk g] le#i nf"Vdk.k nkgjk;k x;k gA ;g rF; fd xokg dk ?kVuk d le; ,o LFky ij migfr vk;h Fkh] mld ifjlk{; dk leFku nrk g fd og ?kVuk d nkjku mifLFkr FkkA ;fn ?kk;y xokg dk foLrr çfrijh{k.k d vè;ekhu fd;k tkrk g vkj mld ifjlk{; dk R;Dr dju d fy, dN Hkh ugh fudkyk tk ldrk g] bl ij fo'okl fd;k tkuk pkfg, (n[kh Ñ".k cuke gfj;k.kk jkT;) bl çdkj] gekjk lfopkfjr er g fd voj U;k;ky;k }kjk n'ku flg (v0 lkO 4) d lk{; ij lgh çdkj l fo'okl fd;k x;k gA***

30. bl fcn ij bl çHkko dh fofèk lf{kIr dh tk ldrh g fd ?kk;y xokg d ifjlk{; dk fofèk e fo'k"k ntk fn;k x;k gA ***;g bl rF; d ifj.kkeLo#i g fd xokg dk migfr vijkèk LFky ij mldh mifLFkfr dh vr%fufer xkjUVh g vkj D;kfd xokg vijkèk dh dkfjrk d fy, rrh; i{k dk >Bk vkfylr ek= dju d fy, viu okLrfod geykojk dk nM l cp fudyu ugh nxkA bl çdkj] ?kk;y xokg d vfHklk{; ij fo'okl fd;k tkuk pkfg, tc rd mle e[; fojkèkkHkklk ,o vrjk d vkèkkj ij mldk lk{; vLohdkj dju d fy, etcr vkèkkj ugh gA***

(tkj fn;k x;k)

11. मानो दत्त बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (2012)4 SCC 79, में पैरा 30 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"30. lkfyd jke dk ijh{k.k v0 lkO 2 d :i e fd;k x;k Fkk vkj mldk c;ku rdi.k] lxr] fo'oluh; g vkj vfHk;ktu ekey dk i.k leFku djrk gA fdr vU; ?kk;y xokg uud dk ijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA gekj nf"Vdk.k e] uud dk xj ijh{k.k] ftld çfr vfHk;Dr u vkifÙk fd;k g] vfHk;ktu ekey dk rkfRod :i l çHkkfor ugh djxkA ***lkekU;rk] ?kk;y xokg vfèkd fo'oluh;rk ik,xk D;kfd og Lo;a ihfMr g vkj bl çdkj] ,l 0;fDr d ikl ?kVuk dk xyr fooj.k nu d fy,] vFkok fdlh dk >Bk vrxLr dju d fy, vkj ekyHkko e okLrfod vijkèkh dk cpku d fy, dkbZ volj ugh gksxkA*** *ge ml vfèkeku ij vkj foLrkjiod ppk dju*

*dh vko';drk ugh g ft l U;k;ky; dk ?kk;y xokg d ifjlk{; dk nuk pkfg,A oLrr%] nkfMd fofèk'kkL= dk ;g igy vc vfu.khr ugh g tlk bl U;k;ky; }kjk ,d:i Hkk"kk e yxkrkj dFku fd;k x;k gA** (tkj fn;k x;k)*

12. एक अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन गवाह अ॰ सा॰ 10 मिस श्वेता वर्मा है, जो मृतक की पुत्री है। उसने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 28 अप्रिल, 2000 को सायं लगभग 5 बजे उसके माता पिता घर पर थे और वह घर के प्रथम तल पर थी। गोली चलने की आवाज सुनने पर उसने नीचे देखा और नौ व्यक्तियों को देखा जो अपने हाथों में लिए आग्नेयास्त्रों से गोली चला रहे थे। वे तीन मोटरसाइकिल पर आए थे। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसकी बहन शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) घटना की गवाह थी और अपने माता-पिता के साथ उसे आग्नेयास्त्र की उपहति आयी थी। वह तुरन्त नीचे अर्थात् भूतल पर आयी और पिता को आग्नेयास्त्र उपहति के कारण मृत पाया, जबकि उसकी माता मधु वर्मा और उसकी बहन शिल्पी (अ॰ सा॰ 9) को घायल दशा में पाया गया था। इस बीच, उसका भाई रोहित (अ॰ सा॰ 11) आया। उसके घर के इर्द-गिर्द पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उसकी माता मधु वर्मा एवं उसकी बहन शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को निकटतम अस्पताल अर्थात् सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया था जहाँ दोनों को भरती किया गया था। उसकी घायल माता का बयान दर्ज किया गया था। डॉक्टर और आरक्षी अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बयान दर्ज करने के बाद उसकी माता एवं उसकी बहन दोनों को आगे इलाज के लिए पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना निर्दिष्ट किया गया था और रास्ते में उसकी माता की मृत्यु हो गयी, जबकि घायल बहन श्रीमती शिल्पी वर्मा (अ॰ सा॰ 9) को आंतरिक मरीज के रूप में पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ अस्पताल, पटना में भरती किया गया था और उक्त अस्पताल में उसका इलाज किया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि अभियुक्तों ने उसके भाई की भी हत्या की थी और उसके भाई की हत्या के मामले में अभियुक्तगण उसके पिता पर सुलह करने के लिए जोर दे रहे थे किंतु उसके पिता रघुवीर शरण वर्मा ने सुलह नहीं किया और इसलिए, यह घटना हुई है। इस गवाह ने इन तीन अपीलार्थियों को पहचाना है।

इस प्रकार, इस गवाह के मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण में उसने सिद्ध किया है:-

(i) ?kVuk dh frfFk ,o le; vFkkr fnukd 28 vçy] 2000 lk; yxHkx 5 ctA

(ii) ?kVuk LFky vFkkr erd dk ?kjA

(iii) ?kVuk LFky ij Lo; mldh mifLFkfr D;kfd og erd dh i=h g vkj og ?kj d çFke ry ij Fkh vkj mlu ?kVuk Hkh n[kk gA mlu bu rhuk vihykfFk;k dk viu ekrk&firk ,o viuh cgu f'kYih oek (v0 lk0 9) ij migfr dkfjr djr n[kk gA

(iv) mlu ;g rF; Hkh fl) fd;k g fd mldh ?kk;y ekrk ,o ?kk;y cgu dk floku lnj vLirky y tk;k x;k FkkA tgk MkDVj ,o ifyl dh mifLFkfr e mldh ekrk dk c;ku nt fd;k x;k FkkA

(v) bl xokg u vfHkk{; d ijkxkQk 5, 44 ,o 45 e bu nkfMd vihyk d leLr rhu vihykfFk;k dk igpkuk gA

(vi) mlu gR;k dk grd Hkh fl) fd;k g fd vfHk;Drx.k io nkfMd ekey e lyg djuk pkgr Fk ftl mldk firk j?kohj 'kj.k oek (erd) lger ugh Fkk vkj] blfy,] ;g ?kVuk gbi FkhA

इस प्रकार, इस गवाह द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य की संपूर्णता को देखते हुए, उसने घायल गवाह अ॰ सा॰ 9 शिल्पी वर्मा के अभिसाक्ष्य का भी पूर्ण संपुष्टि किया है। इस गवाह ने इन अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपने माता-पिता की हत्या का अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और आयुध अधिनियम के अधीन अपराध को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है। उसके अभिसाक्ष्य में कोई मुख्य लोप, विरोधाभास और सुधार नहीं है। हम इस चश्मदीद गवाह पर अविश्वास करने का कारण नहीं पाते हैं। वह विश्वसनीय तथा भरोसेमंद गवाह है। इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विचारण न्यायालय ने गलती नहीं किया है।

संबंधित/हितबद्ध गवाह का साक्ष्यिक मूल्य

13. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007)14 SCC 150, में पैरा 38 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"38. mDr fu.k; t fofèk l ;g Li"V g fd fudV lcèkh dk ***^^fgrc) xokg d :i e fpf=r ugh fd;k tk ldrk gA og ^^LokHkkfod** xokg gA fdr mld lk{; dk lkoèkkuhiod loh{k.k djuk gkxkA ;fn ,l loh{k.k ij mldk lk{; vrfufgr :i l fo'oluh;] vfèkHkk0; ,o i.krh fo'oluh; ik;k tkrk g] ,l xokg d ^,dek=* ifjlk{; ij nk"kf lf) vkèkkfjr dh tk ldrh gA erd vFkok ihfMr d lkFk xokg dk fudV lcèk mld lk{; dk vLohdkj dju dk vkèkkj ugh gA*** *bld foijhr] erd dk fudV lcèkh funk"k dk >Bk vkfylr dju d fy, vkj okLrfod vijkèkh dk cpku e lkekU; r% lokfèkd ldkp djxkA** (tkj fn;k x;k)*

14. मानो दत्त बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (2012)4 SCC 79, में पैरा 24 एवं 33 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"24. vihykFkh vfHk;Dr dh vkj l fd;k x;k ,d vU; çfrokn ;g g fd doy erd d ifjokj d lnL;k dk ijh{k.k xokg d :i e fd;k x;k Fkk vkj mud fgrc) xokg gku d ukr mu ij fo'okl ugh fd;k tk ldrk gA bld vfrfjDr] vfHk;ktu u fdlh Lor= xokg dk ijh{k.k ugh fd;k Fkk vkj] blfy,] vfHk;ktu ;fDr;Dr lng d ij viuk ekeyk LFkkfir dju e foQy jgk gA ;g rd iu% lkjjfgr gA çFker%] fofèk e xokgk d :i e ifjokj d lnL;k vFkok fdlh vU; 0;fDr dk ijh{k.k dju ij otuk ugh gA çk;% nkuk i{kk d ifjokj d lnL;k dk vrxLr dju oky ekeyk e ifjokj dk lnL; vFkok fe= ?kk;y dk cpku d fy, vkrk gA doy ogh ykx >xM e dndj vkj ldV lekIr dju d fy, ?kk;y gku dk tkf[ke mBkr gA ***bld vfrfjDr] tc xokgk tk lcèkh g vFkok çHkkfor i{k dk Kkr 0;fDr g dk c;ku fo'oluh;] fofèk d vu#i xkâ; g vkj vfHk;ktu d vU; xokgk vFkok nLrkoth lk{; }kjk li"V fd;k x;k g] ek= bl vkèkkj ij fd xokg ifjokj dk lnL; vFkok fgrc) xokg vFkok çHkkfor i{k dk Kkr 0;fDr Fkk] ,l lk{; vLohdkj dju d fy, U;k;ky; d ikl 'kk;n gh dkbZ dkj.k gkxkA****

33. U;k;ky; ,dek= xokg d c;ku ij vfHk;Dr dk nk"kf l) dj ldrk g Hkyk gh og erd dk lcèkh Fkk vkj bl çdkj] fgrc) i{kA ,l vkn'k dh ijkHkk0; 'kr ;g g fd ,l xokg d c;ku dk vud fu.k;k e bl U;k;ky; }kjk dfFkr fofèkd ekinMk dk lr"V djuk gkxkA tc ,d ckj mu

ekinMk dk lr"V fd;k tkrk g vkj xokg dk c;ku fo'oluh; ,o rdi.k g rFkk vfHk;ktu }kjk çLrr ekf[kd vFkok nLrkoth vU; lk{; }kjk li"V fd;k x;k g] rc U;k;ky; ,l xokg d c;ku ij fo'okl dju e fofèk dh xyrh ugh djxkA doy rc tc U;k;ky; ikrk g fd ,dek= p'enhn xokg i.krh vfo'oluh; g fd mldk ifjlk{; ijh rjg R;Dr fd;k tkrk g vkj lif"V dh dkbZ Hkh ek=k bldh =fV lèkkj ugh ldrh gA bl lcèk e vfuy Qdu cuke v le jkT; e bl U;k;ky; d fu.k; dk fufn"V fd;k tk ldrk gA (tkj fn;k x;k)

15. अ॰ सा॰ 11 रोहित यशवर्धन द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वह मृतक का पुत्र है जो बाजार गया था और वह भी घटना के तुरन्त बाद की घटना का गवाह है। उसने अभियुक्तों को तीन मोटरसाइकिलों पर भागते देखा था जब बाजार से घर लौट रहा था। उसने अपने घर के निकट गोली चलने की आवाज सुनी। वह दौड़ कर अपने घर गया और कुल नौ व्यक्तियों को भागते देखा तथा इन नौ में से उसने बिनोद कुमार को नामित किया। (विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में अभियुक्त सं॰ 3 जिसकी मृत्यु हो गयी है और उसकी दांडिक अपील सं॰ 278 वर्ष 2009 उपशमनित के रूप में निपटायी गयी है।) इस गवाह ने शाहनवाज का नाम भी दिया है जो दांडिक अपील सं॰ 319 वर्ष 2010 में अपीलार्थी है और उसने एक और अभियुक्त अर्थात् अभय पांडे को भी नामित किया है जिसका विचारण नहीं किया गया था क्योंकि उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया था। इस गवाह ने भी कथन किया है कि उसने ए॰ के॰ 47 जैसा आग्नेयास्त्र देखा जब वे भाग रहे थे। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसने अपनी माता एवं बहन को घायल दशा में देखा था और पिता घायल पड़ा था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि वह अपनी माता एवं बहन को सिवान सदर अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया था। आरक्षी अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल में उपस्थित थे और डॉक्टर की अनुमति से पुलिस द्वारा उसकी माता का बयान दर्ज किया गया था जिस पर डॉ॰ एस॰ के॰ अमन (अ॰ सा॰ 4) द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस गवाह ने अपने माता-पिता के मृत्यु समीक्षा पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। इस गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था, और पुलिस ने उसकी बहन श्वेता (अ॰ सा॰ 10) का बयान भी दर्ज किया था। इस गवाह ने अपने भाई अमित की हत्या के बारे में सिवान पी॰ एस॰ केस सं॰ 39 वर्ष 1998 के बारे में भी कथन किया है और चूँकि अभियुक्त पक्ष मामले में 'सुलह के लिए जोर दे रहे थे, जिससे उसके पिता ने इनकार किया, अत:, इस गवाह के माता-पिता की हत्या की गयी थी और उन्होंने उसकी बहन पर भी प्रहार किया था।

प्रति परीक्षण सहित इस गवाह के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, इस गवाह ने घटना स्थल, घटना का समय, घटना का हेतु सिद्ध किया है और किसी अतिशयोक्ति के बिना पूर्ण अभिसाक्ष्य दिया। इस गवाह ने अभियुक्त शाहनवाज, अभियुक्त बिनोद कुमार और अभियुक्त अभय पांडे को भी पहचाना है। इस गवाह के पूरे अभिसाक्ष्य को देखते हुए, यद्यपि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने घायल चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 9 एवं एक अन्य चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 10 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को पर्याप्त संपुष्टि दिया है और हम उसके अभिसाक्ष्य में कोई मुख्य लोप अथवा विरोधाभास अथवा सुधार नहीं पाते हैं। हम इस गवाह पर अविश्वास करने का कारण नहीं देखते हैं। वह विश्वसनीय तथा भरोसेमंद है। अ॰ सा॰ 11 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है।

16. अ॰ सा॰ 8 धीरेन्द्र श्रीवास्तव जो अन्वेषण अधिकारी है द्वारा दिए गए साक्ष्य को देखते हुए, उसने मधु वर्मा जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी द्वारा दिए गए फर्दबयान पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है। सिवान

पुलिस थाना के इंस्पेक्टर–सह–प्रभारी अधिकारी श्री सकलू राम का पृष्ठांकन भी था। उसने भी फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे परिशिष्ट 5 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने रघुवीर शरण वर्मा एवं मधु वर्मा के मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों को भी सिद्ध किया है जो क्रमशः प्रदर्श 6 एवं प्रदर्श 6/A हैं। जब्त वस्तुएँ अर्थात् खाली कारतूस एवं रक्तरंजित मिट्टी भी था। उन्हें भी सिद्ध किया गया है जो प्रदर्श 8 है। इस गवाह ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन भी किया है कि उसने अ॰ सा॰ 9, अ॰ सा॰ 10 एवं अ॰ सा॰ 11 का बयान दर्ज किया है। इस गवाह ने घटनास्थल भी सिद्ध किया है। अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 87 में उसके द्वारा कथन किया गया है कि उच्च श्रेणी पुलिस अधिकारियों ने घायल चश्मदीद गवाह शिल्पी वर्मा का बयान दर्ज करने के लिए मार्गनिर्देश दिया था और, इसलिए, इसे दर्ज किया गया था। यद्यपि यह गवाह घायल चश्मदीद गवाह का उपहति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अक्षम रहा था, इसका लाभ अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ एस॰ के॰ अमन द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए, उन्होंने मधु वर्मा द्वारा दिए गए फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जो प्रदर्श 1 है तथा मधु वर्मा द्वारा दिये गये बयान को देखते हुए, उसने शाहनवाज (दांडिक अपील सं॰ 319 वर्ष 2010 का अपीलार्थी) का नाम दिया है। मधु वर्मा (मृतका) ने अपने फर्दबयान में अपीलार्थी ठाकुर अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ बॉल का नाम भी दिया है जो दांडिक अपील सं॰ 375 वर्ष 2010 में अपीलार्थी है। वस्तुतः, अपने बयान में इस अपीलार्थी को ''बॉल'' के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। मधु वर्मा (बाद में मृत्यु हो गयी) ने यह भी निर्दिष्ट किया कि अन्य अभियुक्त भी थे। वे मोटर साइकिल पर ए॰ के॰ 47 के साथ आए थे। मधु वर्मा के बयान में हेतु भी कथित किया गया है। बयान देखते हुए यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा बयान दर्ज किया गया था, डॉक्टर का पृष्ठांकन था जो घटना की तिथि घटना का समय और यह तथ्य कि उसे सिवान सदर अस्पताल में भरती किया गया था सिद्ध करता है। अभियुक्तगण, जैसा यहाँ ऊपर कथन किया गया है, पूर्व मामले को निपटाने के लिए धमकी दे रहे थे और आग्नेयास्त्र के साथ मोटरसाइकिल पर आए थे।

<u>**अन्वेषण में त्रुटि अथवा गलती अभियुक्त की मदद नहीं करेगी:**</u>

17. सी॰ मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010)9 SCC 567, में पैरा 55 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"55. fdlh ekey e vR;Ur =fVi.k vUo"k.k gk ldrk gA fdr] ;g ijh{k.k fd;k tkuk g fd D;k vkbO vkO }kjk dkb pd gb Fkh vkj D;k ,lh pd d dkj.k vfHk;Dr dk dkb ykHk fn;k tkuk pkfg,A ***bl fook|d ij fofèk lfuf'pr g fd vUo"k.k e =fV Lo; e nk"kefDr dk vkèkkj ugh gk ldrh gA ;fn ,l jfpr vFkok mi{kkoku vUo"k.k dk vFkok ykijokg vUo"k.k }kjk yki vFkok pd dk çkFkfedrk nh tkrh g] nkfMd U;k; ç'kklu e ykxk dk fo'okl ,o Hkjklk mB tk,xkA*** *tgk vUo"k.k ,tUlh dh vkj l mi{kk vFkok yki vkfn gvk g ftldk ifj.kke =fVi.k vUo"k.k e gvk g] ;g irk yxku d fy, fd D;k mDr lk{; fo'oluh; g ;k ugh vkj fdl lhek rd ;g fo'oluh; g vkj fd D;k ,lh pdk u lR; dk irk yxku dk mí'; çHkkfor fd;k g] ,lh pdk l vlc) vfHk;ktu lk{; dk ijh{k.k dju dh fofèkd ckè;rk U;k;ky; ij gA* ***vr%] nkfMd fopkj.k e vUo"k.k U;kf;d loh{k.k dk ,dek= {k= ugh gA ekey e fopkj.k d lekiu dk doy vUo"k.k dh 'k)rk ij fuHkj gku dh vuefr ugh nh tk ldrh gA****

(tkj fn;k x;k)

18. गज्जू बनाम उत्तराखंड राज्य, (2012)9 SCC 532, में पैरा 19 से 21 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"19. vc ge vfHk;Dr dh vkj l fd, x, vfre fuonu ij vkr g fd njkrh] çn'k 2 vkj jDrjftr itkek] çn'k d&5 d lcèk e lhjkykftLV dh fjikV çkIr ugh dh x;h Fkh] vr%] vfHk;ktu ekeyk foQy gkuk pkfg,A ;g rd ge fcYdy çHkkfor ugh djrk gA fu%lng] bu nkuk çn'kk dk lhjkykftLV dh fjikV çkIr dju d fy, ç;kx'kkyk ugh Hktk x;k Fkk] fdr mldh vuifLFkfr vfuok;r% vfHk;Dr dk dkb ykHk ugh nxhA ***;g ek= vUo"k.k e =fV gA =fVi.k vUo"k.k] tc rd ;g vfHk;ktu ekey dh tM dk çHkkfor ugh djrk g vkj vfHk;Dr d çfr çfrdy ugh g] U;k;ky; }kjk rkfRod fopkj dk igy ugh gkuk pkfg,A*** *vO lkO 5 u lE;d :i l njkrh] çn'k 2 ,o jDrjftr itkek] çn'k d&5, dh cjkenxh fl) fd;k g vkj U;k;ky; e çfr ijh{k.k dh ijh{kk ij [kjk mrjk gA bu nkuk oLrvk dk vUo"k.k vfèkdkjh cã flg] vO lkO 6, }kjk cjken fd;k x;k Fkk vkj U;k;ky; d le{k cjkenfx;k lE;d :i l fl) dh x;h gA cjkenfx;k dk fl) fd;k x;k g vkj nk p'enhn xokgk vO lkO 2 ,o vO lkO 3 }kjk lE;d :i l vfHk;ktu ekey dk leFku fd;k x;k g rFkk nk xokgk] vO lkO 4 ,o vO lkO 5 tk ?kVuk d rjUr ckn mifLFkr g, Fk }kjk lE;d :i l vfHk;ktu ekey dk leFku fd, tku ij vfHk;ktu ekeyk ;fDr;Dr lng d ij fl) fd;k x;k gA*

20. =fVi.k vUo"k.k d lcèk e] bl U;k;ky; u n;ky flg cuke mÙkjkpy jkT; e vUo"k.k vfèkdkjh }kjk yki ,o dkfjrk d ekeyk rFkk ,l ekeyk e U;k;ky; d dr0; ij fopkj djr g, fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k (SCC pp. 280-83, Paras 27-36)

"27. vc] ge ,l ekeyk e U;k;ky; d dr0; ij ppk dj ldr gA lkFkh çlkn cuke m0 ç0 jkT; e bl U;k;ky; u dFku fd;k fd ***;g lfuf'pr g fd ;fn ifyl vfHky[k lngi.k ,o vUo"k.k ykijokg cu tkrk g] ;g n[kuk U;k;ky; dk dr0; g fd D;k U;k;ky; e fn, x, lk{; ij fo'okl fd;k tkuk pkfg, vkj ,lh pdk dk vun[kk fd;k tkuk pkfg,A*** *vUo"k.k d tkuc>dj =fVi.k gku dh lHkkouk ij xkj djr g, bl U;k;ky; u èkut flg cuke itkc jkT; e vfHkfuèkkfjr fd;k (SCC p. 657, Para 5)*

"5. =fVi.k vUo"k.k d ekey e U;k;ky; dk lk{; dk eY;kdu dju e pkdl gkuk gkxkA ***fdr ;g doy =fV d vkèkkj ij vfHk;Dr dk nk"keDr dju e lgh ugh gkxk(,lk djuk vUo"k.k vfèkdkjh d gkFkk e [kyuk gkxk ;fn vUo"k.k tkuc>dj =fVi.k j[kk x;k gA****

28. yki ,o dkfjrk d ekeyk ij fopkj djr g, U;k;ky; u ikjl ;kno cuke fcgkj jkT; e io fu.k;k d lkFk vu#irk e fl)kr çfrkfnr fd;k fd ;fn vUo"k.k ,tUlh }kjk] mi{kkiod vFkok vU;Fkk] pd vFkok yki dkfjr fd;k x;k g] ;g irk yxku d fy, fd mDr lk{; fo'oluh; g ;k ugh] vfHk;ktu lk{; dk ,l yki l vlc) ijh{k.k dju dh vko';drk gA vfèkdkfj;k d nf"kr vkpj.k dk U;k;ky; }kjk lk{; dk eY;kdu fd, tku d jkLr e ugh vkuk pkfg, vU;Fkk jfpr fjf"V LFkk;h cu tk,xh vkj ifjoknh i{k dk U;k; l budkj fd;k tk,xkA

29. tkfgjk gchcYyk 'k[k (5) cuke xtjkr jkT; e bl U;k;ky; u nkfMd fopkj.k e xokgk dh Hkkfedk d egRo ij xkj fd;kA fopkj.k çfØ;k dh x.koÙkk d egRo ,o çkFkfedrk dk cFke d 'kCnk l lçf{kr fd;k tk ldrk g tk dFku djr g fd xokg U;k; d vk[k&dku gA U;k;ky; u lrdrk tkjh fd;k fd ,lh fLFkfr;k e ,d vkj U;k;ky;k ij mPprj mÙkjnkf;Rog vkj nljh vkj U;k;ky;k dk mu 0;fDr;k ij xHkhjrkiod fopkj djuk gkxk tk jfpr vÙo"k.k lftr dju e vrxLr gA U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd% (SCC i"B 398, ijk 42)

"42. xokgk] ihfMr vFkok lpd d lkFk NMNkM dju d fo#) fu"kèk ij tkj nu d fy, foèkk;h mik; vkt fcYdy vklUu ,o vifjgk; cu x;k gA vkpj.k] tk U;k;ky;k d le{k dk;okfg;k e lk{; dk çLrhdj.k voèk :i l çHkkfor djrk g] ij xHkhjrkiod ,o dBkjrk l fopkj djuk gkxkA doy vfHk;Dr d fgr dk ljf{kr dju d fy, dkb vufpr fprk ugh gkuh pkfg,A ;g lekt dh vko';drkvk d çfr vufpr gkxk tlk Åij xkj fd;k x;k gA bld foijhr] fu"i{k fopkj.k lfuf'pr dju dk ç;kl gkuk pkfg, tgk vfHk;Dr vkj vfHk;ktu nkuk fu"i{k U;k; ik ldA U;k; d lefpr ç'kklu e ykdfgr dk mruk gh egRo] ;fn vfèkd ugh] fn;k tkuk gkxk ftruk vfHk;Dr d fgr dkA ble] U;k;ky;k dh egRoi.k Hkfedk gA

30. le;kolku d lkFk fofèk Hkh fodflr gb vkj U;k;ky; dh lfDr tkj nrh g fd nkfMd ekey e dk;okgh dk HkkX; lno ijh rjg l i{kk d gkFkk e ugh NkMk tk ldrk gA vijkèk lkotfud xyrh g] ykd vfèkdkjk ,o dr0;k d Hkx ,o mYy?ku e] tk lenk; dk li.k :i l çHkkfor djrh g vkj 0;kid lekt d çfr gkfudj gA

31. mDr fl)kr nkgjkr g, bl U;k;ky; u ,u0 ,p0 vkj0 lh0 cuke xtjkr jkT; e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k% (SCC pp 777-78 para 6)

'6.... "35..... fu"i{k fopkj.k dh èkkj.kk vfHk;Dr] ihfMr ,o lekt d fgrk dk lifjfpr f=Hkt vko';d cukrh g vkj lenk; jkT; ,o vfHk;ktu ,tfl;k d ekè;e l ÑR; djrk gA lekt d fgr dh ijh rjg vogyuk ugh djuh g vkj bl vokfNr ugh ekuuk gA U;k;ky;k dk lno U;k; d ç'kklu e ykd fo'okl cuk, j[ku d vè;kjkgh dÙk0; fuHkku okyk ekuk x;k g&ftl çk;% ^fofèk dh lokPprk LFkkfir dju ,o ekU; cuk, tku d dr0; d :i e fufn"V fd;k tkrk gA U;k; d lE;d ç'kklu dk lno fujrj çfØ;k d :i e n[kk x;k g tk ekeyk fo'k"k d fofu'p;dj.k rd lhfer ugh g] cfYd viu le{k çLrr ekey d leku Hkfo"; d ekeyk e Hkh fofèk d U;k;ky; d :i e dk; dju dh bldh l{kerk dk ljf{kr djrk gA* ***;fn nkfMd U;k;ky; dk U;k; çnku dju dk çHkkodkjh midj.k gkuk g] ihBklhu U;k;kèkh'k dk lR; dk irk yxku d fy, vkj fu"i{krk ,o mfprrk d lkFk nkuk i{kk dk vkj lenk;*** *ftldh ;g lok djrk g dk U;k; çnku dju d fy, lgh fu"d"k ij igpu d fy,* ***vko';d cf)erk vkj lfØ; fnypLih n'kkdj vkj leLr çklfxd lkefx;k dk fudkydj fopkj.k e Hkkxhnkj cu dj n'kd ,o vfHky[k e'khu d :i e viuh Hkfedk lekIr djuk gkxkA nkfMd U;k; ç'kkflr dju oky U;k;ky; rx dju oky ,o neukRed vkpj.k dk utjvnkt ugh dj ldr g tk dk;okgh d lcèk e gb g Hky gh*** *fu"i{k fopkj.k vHkh Hkh lHko g] flok, fu"i{k ,o Lor= U;k; drkvk d :i e U;k;kèkh'kk d fu"i{k uke ,o efgek dh tM [kknu d tkf[ke ijA** (tkfgjk gchcYyk ekeyk] SCC p. 395 para 35)**

32. =fVi.k vU;"k.k d le#i ç'u ij fopkj dju dk volj feyk fd D;k Fkkuk Mk;jh e vU;"k.k vfèkdkjh }kjk Ny lkèku vfHk;ktu ekey d fo#) bLreky fd;k tk ldrk FkkA blI U;k;ky; u ijk 19 ij fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k% (SCC p. 720)

19. fdr D;k mDr fu"d"k (fd Fkkuk Mk;jh okLrfod ugh g) dk blI ekey e vU; lk{; ij vifjgk;Z ifj.kke gk ldrk g\ ;fn vU; lk{; loh{k.k ij fo'oluh; ,o Lohdk;Z ik, tkr g] D;k U;k;ky; dk bru xj bekunkj :i l vU;"k.k dju e vFkok vfHky[k r;kj dju e vU;"k.k vfèkdkjh }kjk çnf'kr pkyckft;k }kjk çHkkfor gkuk pkfg,\ ;g ekxn'kd fl)kr gk ldrk g fd pfd nkfMd ekey e vU;"k.k U;kf;d loh{k.k dk ,dek= {k= ugh g] ekey e U;k;ky; d fu"d"k dk doy vU;"k.k dh 'kfprk ij fuHkj gku ugh nh tk ldrh gA ***;g vPNh rjg lLFkkfir g fd Hky gh vU;"k.k lngi.k g vFkok voèk] bld çHkko l Lor= :i l 'k"k lk{; dk loh{k.k djuk gkxkA vU;Fkk] nkfMd fopkj.k vU;"k.k vfèkdkfj;k d gkFk dk f[kykuk cu tk,xkA nkfMd fopkj.k e U;k;ky; dk vU;"k.k vfèkdkfj;k }kjk dh x;h dkjokbZ d Åij çHkRo ,o lokifj egRo gkuk gkxkA nkfMd U;k; dk ekey e vU;"k.k vfèkdkfj;k }kjk dh x;h xyfr;k dk f'kdkj ugh cuu nuk pkfg,A*** *nlj 'kCnk e] ;fn U;k;ky; vk'oLr g fd ?kVuk d xokg dk ifjlk{; lR; g] U;k;ky; ekey e vU;"k.k vfèkdkjh dh lngi.k Hkfedk d ckotn bl ij ÑR; dju d fy, Lor= gA*

33. jke cyh cuke mO çO jkT; e] djuy flg cuke eè; in'k jkT;] e fu.k; nkgjk;k x;k Fkk vkj blI U;k;ky; u lçf{kr fd;k Fkk fd% (jke cyh ekeyk] SCC pp 604 para 12)

'12. ......=fVi.k vU;"k.k d ekey e U;k;ky; dk lk{; dk eY;kdu djr g, pkdl gkuk gkxkA ***fdr doy =fV d dkj.k vfHk;Dr dk nk"keDr djuk lgh ugh gkxk(*** *,lk djuk vU;"k.k vfèkdkjh d gkFk e [kyuk gkxk ;fn vU;"k.k tkuc>dj =fVi.k j[kk x;k gA*

34. tgk gekjh nkfMd U;k; ç.kkyh vfHk;Dr dk fu"i{k fopkj.k ,o nk"kh fl) fd, tku rd funk"k ekuu tlh lj{kk, çnku djrh g] ogh ;g ; Hkh vuè;kr djrh g fd nkfMd fopkj.k lck d lkFk] vfHk;Dr ,o lekt d lkFk U;k; dju d fy, vkj vfHk;ktu dk ekeyk fl) dju dk fu"i{k ekdk nu d fy, vk'kf;r gA rc gh fofèk O;oLFkk cuk;h j[kh tk ldrh gA U;k;ky; ek= ;g lfuf'pr dju d fy, fd fdlh funk"k O;fDr dk nfMr ugh fd;k tk, cfYd ;g Hkh lfuf'pr dju d fd nk"kh cpdj fudy u ld dk; dk fuogu djr gA nkuk U;k;kèkh'k d ykd dÙkO; gA fopkj.k d Øe d nkjku fo}ku ihBklhu U;k;kèkh'k l oLrfu"B :i l vkj lgh ifjç{; e dke dju dh mEehn dh tkrh gA ***tgk vfHk;ktu ykijokg vFkok tkuc>dj vU;"k.k =fVi.k j[ku d vkèkkj ij fopkj.k vifunf'kr dju dk ç;kl djrk g] U;k;ky; dk xgu :i l pkdl gkuk gkxk ,o lfuf'pr djuk gkxk fd ,l ç;kl d ckotn fofu'p;dkjh çfØ;k iFkHk"V u gk tk;A*** *^fu"i{k fopkj.k* d bl mí'; dk lpep çkIr dju d fy,] U;k;ky; dk U;k; dju d fy, ,o lekt d fgr dk lj{k.k dju d fy, gj lHko ç;kl djuk pkfg,A*

35. ;g ge vku"kfxd fook|dk ij ykrk g fd ,l ekeyk e U;k;ky; fdl çdkj lk{; dk vfèkeY;u djxkA çn'kk] fpfdRlh; ,o pk{kd lk{; e dN vrj dh lHkkouk l budkj ugh fd;k tk ldrk gA fdr ,lk ugh g fd çR;d y?k vrj vFkok vlxrrk vfHk;Dr d i{k e U;k; dk iyMk >dk,xhA fu'p; gh] tgk fojkèkkHkkl ,o vrj xHkhj çÑfr d g tk vfHk;ktu }kjk fl) fd, tku d fy, bfllr e[; ekey d çfr çdVr% vFkok foof{kr :i l fou"Vdkjh g] o vfHk;Dr dk ykHk n ldrh gA U;k;ky; lkekU;r% Lohdk;rk d mPprj ckèk d lkFk fo'k"kK d lk{; ij fopkj djr g] fdr ;g Hkh leku :i l lR; g U;k;ky; fo'k"kK dh fjikVk l ijh rjg ekxnf'kr u gk fo'k"kr% ;fn ,l fjikV ykijokg] v lik"k.kh; g vkj vfHk;ktu dk vifunf'kr dju d tkuc>dj ç;kl dju dk ifj.kke gA deythr flg cuke itkc jkT; e U;k;ky; u pk{kd ,o fpfdRlh; lk{; d chp vrjk ij fopkj djr g, vfHkfuèkkfjr fd;k (SCC p. 159 para 8)

*'8. ;g io l çpfyr fofèk g fd fpfdRlh; lk{; ,o pk{kd lk{; d chp y?k vrj pk{kd lk{; dh çkFkfedrk lekIr ugh djrk gA tc rd fpfdRlh; lk{; viu 'kCnk e p'enhn xokg }kjk dfFkr rjhd l gb migfr dh leLr lHkkouk l ijh rjg budkj ugh djrk g] p'enhn xokgk dk ifjlk{; [kkfjt ugh fd;k tk ldrk gA**

36. tgk p'enhn xokg dk fooj.k fo'oluh; ik;k x;k g] odfYid lHkkoukvk dh vkj bfxr dju oky fpfdRlh; lk{; dk fu'p;kRed d :i e Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA

*'34. ..... fo'k"kK xokg l MkVk lfgr leLr lkefx;k ftlu ml bl fu"d"k ij vku d fy, çfjr fd;k dk U;k;ky; d le{k j[ku ,o foKku d 'kCnk dh ijh{kk djd ekey d rduhdh igy ij U;k;ky; dk çc) cuku dh mEehn dh tkrh g rkfd U;k;ky;] ;|fi ;g fo'k"kK ugh g] fo'k"kK d er dk lE;d lEeku nu d ckn mu lkefx;k ij Lo; viuk er fufer dj ld D;kfd tc ,d ckj fo'k"kK dk er Lohdkj fd;k tkrk g] ;g fpfdRlk vfèkdkjh dk er ugh cfYd U;k;ky; dk er gk tkrk gA**

(n[k enu xkiky dDdM cuke uoy nc] SCC pp 221-22 para 34)"

*21. **mDr fl)krk d vkykd e oreku ekey dk ijh{k.k fd, tku ij ;g Li"V gk tkrk g fd vUo"k.k vfèkdkjh dh vkj l vUo"k.k e =fV vFkok yki vfHk;Dr d fdlh ykHk dk fl) ugh gk ldrk gA** fu%lng] vUo"k.k vfèkdkjh dk çn'k 2 ,o çn'k 5 nkuk d lcèk e lhjkykftLV dk fjikV çkIr djuk pkfg, Fkk vkj erd d jDr leg d lkFk bldk feyku djuk pkfg, FkkA ;g vUo"k.k vfèkdkjh dh vkj l fuf'pr pd g ftl bl rF; d ckotn fd ;g vfHk;Dr d çfrokn d LFkku ugh ikrk g] bl U;k;ky; }kjk vun[kk ugh fd;k tk ldrk gA** (tkj fn;k x;k)*

19. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ जमशेद अहमद द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए जिन्होंने मृतकों के शरीर का शव परीक्षण किया था, निम्नलिखित उपहतियाँ थीं:–

j?kch j 'kj.k oek dk 'ko ijh{k.k fjikV

eR; io migfr;k%

ckg; t[e&

(i) nk, dku d Bhd Åij nk, VEikjy {k= d Åij 1 cm. 0;kl oky pkTM ekftu d lkFk fonh.k t[e] ço'k dk t[eA

(ii) vkDlhihVy {k= d Åij 4" x 3" x d Øfu;y dfoVh rd xgj ekftu d lkFk fonh.k t[eA cu inkFk t[e l ckgj fudy gA [kkiMh dh gMMh dk Hkkx mM x;k Fkk vkj VdMk e cVk FkkA ;g fudkl dk t[e FkkA

(iii) nk, Åijh Nkrh d bVhfj;j vkLiDV d Åij 1 cm. dk pke fLdu ekftu e orkdkj t[e&ço'k dk t[eA

(iv) flj dh [kky d dk.k d uhp Nkrh d nk, fiNy Hkkx d Åij 3" x 2½" x Fkkjkfld rd xgjk fonh.k t[e&;g fudkl dk t[e gA

(v) prFk Fkkjkfld ilfy;k d fudV Nkrh d ck, Åijh Hkkx ij pkTM fLdu ekftu d lkFk oÙkkdkj t[eA ;g ço'k dk t[e gA

(vi) iV d nk, Hkkx d Åij 1 cm. 0;kl dk oÙkkdkj t[e] ço'k dk t[e

vkrfjd ijh{k.k

pLV dfoVh e pLV CyM ,o CyM DykV ektn FkkA QQM ,o ân; nkuk fonh.k FkA

iV&,cMkfeuy dfoVh jDr ,o jDr d FkDdk l Hkjk FkkA yhoj ,o nk;k fdMuh fonh.k FkkA

iV&vip [kk| lkexh vrfo"V djrk gA ;fjujh CyMj [kkyh FkkA

[kkiMh&vkDlhihVy ,o nk;k VEikjy cu fonh.k FkkA

eR; l chrk le;&Ng l vkB ?kVkA

ckM d er e eR; vkXu;kL= }kjk dkfjr mDr migfr;k d ifj.kkeLo#i vk?kkr ,o gejt rFkk cu dh fonh.krk d dkj.k gbA cyV di tlh ,d èkkr okyk inkFk Nkrh dh dfoVh l cjken fd;k x;k Fkk ftl ycy yxkdj ifyl dk lkik x;k FkkA

çn'k 4 eèk oek dk 'ko ijh{k.k fjikV

eR; io migfr&

ckg; ijh{k.k

(i) nk;h tk?k d Åijh Hkkx d efMdy igy d Åij pkTM fLdu ekftu d lkFk 1 cm. 0;kl dk oÙkkdkj t[e] ço'k dk t[eA

(ii) nk;h tk?k d Åijh Hkkx d ik'o igy ij 2½" x 2" dk fonh.k fudkl t[eA

(iii) nk, D;fcVy QkLlk (dkguh) d Åij 1 cm. 0;kl dk pkTM oÙkkdkj t[e ço'k t[eA

(iv) nk, ckg d Åij (MYVok;M {k=) 4" x 2½" dk fonh.k t[e] fudkl t[eA

(v) nk,¡ lycj {k= d Åij 1 cm. 0;kl dk oÙkkdkj >ylu dk t[eA

(vi) nk,¡ Ldkiyj {k= d Bhd uhp 1 cm. 0;kl dk oÙkkdkj >ylu dk t[eA

(vii) ck,¡ Ldkiyj {k= d uhp oÙkkdkj >ylu dk t[eA

(viii) ck,¡ vkDlhfy;j {k= d Åij fonh.k t[eA

vkrfjd ijh{k.k&

,cMkfeuy dfoVh jDr ,o FkDdk l Hkjh FkhA Liyhu fonh.k FkkA nk;h fdMuh fonh.k FkhA

Nkrh&Nkrh dfoVh jDr ,o FkDdk l Hkjh FkhA

nkuk QQM iDpj FkA iVe vip [kk| lkexh FkhA ;fujh CyMj [kkyh FkkA ân; d pcj [kkyh FkA

Øfu;e Ldy&dkb vlekU;rk ugh ik;h x;hA

er%&

ckM d er e] eR; vkXu;kL= }kjk dkfjr mDr migfr;k d ifj.kkeLo#i vk?kkr ,o gejt d dkj.k gb FkhA

eR; l chrk le;&yxHkx pkj ?kaV

20. अभिलेख पर मौजूद पूर्वोक्त साक्ष्यों की दृष्टि में, अभियोजन ने इन अपीलार्थियों द्वारा किए गए हत्याओं के अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 149 के अधीन अपराध घायल चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 9 द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य की मदद से, चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 10 के अभिसाक्ष्य की मदद से जो अ॰ सा॰ 11 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पा रहा है और अ॰ सा॰ 8 अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य से तथा अ॰ सा॰ 6 के अभिसाक्ष्य से भी पर्याप्त संपुष्टि पा रहा है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा साक्ष्य जो मधु वर्मा (बाद में मृत्यु हो गयी) द्वारा दिया गया फर्दबयान प्रदर्श 5 की सहायता से सिद्ध किया है। जैसा यहाँ ऊपर कथन किया गया है, उन्होंने इन अपीलार्थियों को पहचाना भी है। अभियोजन द्वारा हेतु भी सिद्ध किया गया है और चश्मदीद गवाह विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हैं। उनके अभिसाक्ष्य में कोई मुख्य लोप, विरोधाभास और सुधार नहीं है। इस प्रकार, अभियोजन ने अपने द्वारा अभिकथित अपराध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है, अतः, हम सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2002 में अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एतद् द्वारा मान्य ठहराते हैं।

21. जहाँ तक दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 756 वर्ष 2010 में दंडादेश बढ़ाने की प्रार्थना का संबंध है; अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए और

(a) **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980)2 SCC 684** (Para 196-209)

(b) **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983)2 SCC 470** (पैराएँ 38 एवं 39) एवं

(c) **महेश धनजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014)4 SCC 292** (पैरा 28 से 36)

मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह मामला ''विरल मामलों में विरलतम'' की कोटि में नहीं आता है। अत:, हम आजीवन कारावास के दंड को मृत्युदंड के दंडादेश बढ़ाने का कारण नहीं पाते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत आजीवन कारावास न्यायोचित एवं पर्याप्त दंड है। अत:, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश मान्य ठहराते हैं।

22. इन तथ्यों की दृष्टि में, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को एतद् द्वारा मान्य ठहराते हैं और समस्त तीनों दांडिक अपीलों एवं दांडिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हैं।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

कय्यूम मिर्जा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal No. 1765 of 2004. Decided on 26th March, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 177 वर्ष 2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 4.8.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 27—अभियुक्त से प्राप्त सूचना का कितना भाग सिद्ध किया जा सकता है–धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण बयान सिद्ध करने के लिए पुलिस अधिकारी जब वह साक्ष्य देता है के लिए सही प्रक्रिया यह कहना है कि अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार करते हुए इकबालिया बयान दिया है जो अपराध में फँसाने वाली सामग्री की बरामदगी की ओर ले गया और तब याद ताजा करने के प्रयोजन से वास्तविक बयान जो समस्त संभाव्यता में केस डायरी में अथवा अभिलेख में हो सकता है को निर्दिष्ट करना है और उस पद्धति द्वारा न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करना है जिसे अभियुक्त ने कहा है और जिसे प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामद किया गया था–अभियुक्त का प्रकटीकरण बयान अभिलेख पर कभी नहीं लाया गया था–आई॰ ओ॰ के बयान कि अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति अपराध में प्रयुक्त इथर की बोतल एवं हथियार की बरामदगी की ओर ले गयी, का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। (पैराएँ 20 से 22)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 30—एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचाराधीन इसे देने वाले व्यक्ति एवं अन्य को प्रभावित करने वाली सिद्ध संस्वीकृति पर विचार–अपीलार्थियों का संयुक्त रूप से विचारण किया गया किंतु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दंडाधिकारी के समक्ष संस्वीकृति यह कभी नहीं दर्शाती है कि अपीलार्थी बूट्टा ने अपनी संस्वीकृति में हत्या की कारिता में स्वयं को कभी आलिप्त किया है–इकबालिया बयान अभिशंसी नहीं है और न ही इसका उपयोग उस व्यक्ति जिसने संस्वीकृति किया है के विरुद्ध किया जा सकता है और न ही किसी अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध–आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 24 से 27)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Appellant; Mr. M.B. Lal, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 177 वर्ष 2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 4.8.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित

है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (2) (g), 380 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त करते हुए उनको तीन व्यक्तियों नूरजहाँ, गुली खातुन एवं पाँच वर्षीय मो॰ सकीर की हत्या करने का दोषी पाने के बाद धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि जब सूचक चौकीदार श्याम लाल तुरी दिनांक 5.1.2003 की सुबह रात्रि गश्ती कर्त्तव्य करने के बाद घर लौट रहा था, उसने लोगों को कहते सुना कि तीन मृत शरीर एक घर में पड़े हैं। वह वहाँ गया और दो स्त्रियों–37 वर्षीय नूरजहाँ एवं 18 वर्षीय गुली खातून–को मृत पाया जिनकी गर्दन काट दी गयी थी और उन्हें चारपाई के इर्द–गिर्द बांध दिया गया था। लगभग पाँच वर्षीय लड़का मो॰ सकीर रस्सी से छत से लटका पाया गया था।

3. इस बीच, फकरु जमा (अ॰ सा॰ 10) गोंडा पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी प्रात: लगभग 9.30 बजे सूचना प्राप्त किया कि बरकीटाँड़; में एक घर में तीन मृत शरीर पड़े हैं। वह पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर आया जहाँ उसने सूचक श्याम लाल तुरी (अ॰ सा॰ 8) को उपस्थित पाया और उसका फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था और औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 4) दर्ज की गयी थी। उसने स्वयं अन्वेषण किया जिसके दौरान मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों (प्रदर्शों 7, 7/1 एवं 7/2) तैयार किया गया था और मृत शरीरों को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ राजेश कुमार (अ॰ सा॰ 9) द्वारा किया गया था। डॉक्टर ने मो॰ सकीर के मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर गर्दन के चारों ओर लिगेचर मार्क पाया जिसके ऊपर कई जगहों पर खरोंच थे और हाइ याड हड्डी टूटी हुई पायी गयी थी। डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) जारी किया कि मृत्यु गला दबाए जाने के परिणामस्वरुप दम घुटने से कारित हुई थी। डॉक्टर ने आगे मो॰ नूरजहाँ के मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर गर्दन को 6" x 1/4" x (अस्थि तक गहरे) कटने के जख्म के साथ तेज हथियार से कटा पाया। गर्दन की समस्त मुख्य नलिकाएँ कटी पायी गयी थी। श्वास नली तथा आहार नली भी अलग कर दिया पाया गया था। डॉक्टर के अनुसार तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित पूर्वोक्त उपहतियों के कारण मृत्यु कारित की गयी थी। डॉक्टर ने प्रदर्श 3 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया। उसी दिन पर डॉक्टर ने गुली खातुन के मृत शरीर का भी शव परीक्षण किया और गर्दन 5" x 1/4" x (अस्थि तक) कटने के जख्म के साथ तेज धार वाले हथियार से अलग कर दिया गया पाया गया था। गर्दन की समस्त मुख्य नलिकाएँ कटी पायी गयी थी। श्वास नली तथा आहार नली भी अलग कर दिया गया था। डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु का कारण पूर्वोक्त उपहतियों के कारण आघात एवं हेमरेज के कारण था। उन्होंने प्रदर्श 4 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया।

4. अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया जहाँ से रक्त रंजित मिट्टी अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6/1) के अधीन जब्त की गयी थी। अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के क्रम के दौरान अपीलार्थियों पप्पू उर्फ अमित कमल साहू, बुट्टु उर्फ हसन, मो॰ कय्यूम मिर्जा, मो॰ सादिक, मो॰ इसरायल एवं राजू उर्फ मो॰ मुस्तकीन अंसारी को सत्तार अंसारी के किराए के घर से गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना दोष संस्वीकृत किया। उनके द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर इथर की बोतल (एक लीटर इथर अंतर्विष्ट करने वाली) बरामद की गयी थी जिसे अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 5) के अधीन जब्त किया गया था जिसके ऊपर अपीलार्थियों पप्पू उर्फ अमित कमल साहू और मो॰ बुट्टू उर्फ हसन ने अपना हस्ताक्षर किया। अभियुक्तों द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तों की प्रेरणा पर हसियाँ (सब्जी काटने के लिए) भी बरामद किया गया था जिसे अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6) के अधीन जब्त किया गया था।

5. अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त बुट्टू उर्फ हसन को दंडाधिकारी कमल नरेश (अ॰ सा॰ 12) के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज किया जिसमें उसने प्रकट किया कि वह सब्जी विक्रेता था जिससे अभियुक्त मो॰ कय्यूम मिर्जा उधार पर सब्जी खरीदा करता था और समय क्रम में जब मो॰ कय्यूम मिर्जा द्वारा भुगतान की जाने वाली 100/- रुपयों की राशि देय हो गयी, और इसलिए, उसने उसको धन का भुगतान करने को कहा जिस पर उसने कहा कि वह अपने गाँव वाले घर में भुगतान करेगा और इसलिए, यदि वह धन लेना चाहता है, उसे उसके साथ ट्रेन से उसके गाँव चलना होगा और उसको रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा जहाँ वह अपने मित्र पर पप्पू उर्फ अमित कमल साहू के साथ वहाँ आया। जहाँ उसने अकबर अंसारी, कय्यूम मिर्जा, मो॰ सिद्धिकी एवं इसरायल को स्टेशन पर उपस्थित पाया। जब ट्रेन आयी, वे महेशमुंडा के नाम से ज्ञात स्थान जाने के लिए ट्रेन पर चढ़े। वहाँ पहुँचने पर कुछ अभियुक्तगण उसे और उसके मित्र पप्पू को जंगल की ओर ले गए जबकि मो॰ सिद्दीकी, अकबर और इजरायल रेलवे लाइन के निकट बने रहे। जब वे जंगल में थे, अंधकार हो गया और तब वे रेलवे गुमटी पर आने के लिए जंगल से निकले जहाँ अन्य अभियुक्तों ने मोटर साइकिल से जा रहे यात्री को लूटा। इस पर अपीलार्थीगण कय्यूम मिर्जा एवं मो॰ शईम मिर्जा (जिसकी मृत्यु अन्वेषण के दौरान हो गयी प्रतीत होती है) उसे और उसके मित्र को बरकीटाँड़ (महेश मुंडा) लाए। वहाँ उसने अभियुक्त कय्यूम मिर्जा से कहा कि वह और पप्पू वहाँ अब नहीं रूकेंगे जिस पर कय्यूम मिर्जा ने उनको रात में 10.30 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए कहा। इस बीच अभियुक्त कय्यूम मिर्जा दीवार चढ़कर पड़ोस स्थित घर गया किंतु दरवाजा खुलवाने में सफल नहीं हुआ था। यह देखकर, जब उसने उनसे कहा कि वे और नहीं रुकेंगे, उसे और उसके मित्र पप्पू को बंदूक की नोंक पर स्थल से नहीं जाने के लिए धमकाया गया था। इस पर वह घर में सो गया। अहली सुबह जब वह जगा उसने दो स्त्रियों को पानी लाने के बर्तन के साथ जाते देखा जिनको कय्यूम एवं मो॰ शइम मिर्जा ने पकड़ रखा था और उनकी नाक पर इथर वाला रुमाल रखकर उनको बेहोश कर दिया था। इस पर कय्यूम एवं मो॰ शइम मिर्जा उनको अपने घर ले गए जहाँ उन दोनों ने और अन्य लोगों ने उनका बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उनकी गर्दन को रस्सी से बांध दिया और काट दिया। इस पर उन्होंने लड़के को भी रस्सी से छत से लटका दिया और तब अभियुक्तगण घर का सामान लूट कर चले गए।

6. अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 376 (2) (g), 380 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान अपीलार्थियों के विरुद्ध लिया गया था। बाद में, मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और अपीलार्थियों का विचारण किया गया था।

7. विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1, 2, 5, 6 एवं 7 पक्षद्रोही हो गए हैं। अ॰ सा॰ 3 गोपाल दूबे जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था हसिया की जब्ती एवं रक्त रंजित मिट्टी की जब्ती का गवाह है। अ॰ सा॰ 4 ने केवल यह परिसाक्ष्य दिया कि जब वह घर आया, उसने तीन लोगों का शव देखा। अ॰ सा॰ 8 सूचक ने वही परिसाक्ष्य दिया है जैसा उसने अपने फर्दबयान में दिया था। अ॰ सा॰ 10 अन्वेषण अधिकारी है जिसने अभियुक्तगण जिन्होंने उसके समक्ष अपना दोष संस्वीकृत किया था की प्रेरणा पर हँसिया, इथर के बोतल की जब्ती के बारे में परिसाक्ष्य दिया है।

8. अभियोजन मामला बंद करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली सामग्रियों को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उनके समक्ष रखा गया था जिसके प्रति उन्होंने इनकार किया।

9. इस पर विचारण न्यायालय ने तीन व्यक्तियों की हत्या करने के लिए अपीलार्थियों का दोषसिद्ध करने वाली तीन परिस्थितियों को पाया जो निम्नलिखित हैं:–

(i) fd vfHk;Drk dk erd d lkFk cj FkkA

(ii) ml ?kj tgk vfHk;Drx.k fuokl djr Fk l vijkèk dh dkfjrk e ç;Dr bFkj d ckry dh cjkenxh ,o vfHk;Drk d crku ij ç;Dr gfFk;kj dh cjkenxhA

(iii) vfHk;Drx.k vijkèkh FkA

10. तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

11. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ साहनी निवेदन करते हैं कि जहाँ दुश्मनी से संबंधित परिस्थितियों एवं अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि होने का संबंध है, अभियोजन द्वारा इन तथ्यों को कभी स्थापित नहीं किया गया है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय को अपीलार्थियों के विरुद्ध उन परिस्थितियों का उपयोग नहीं करना चाहिए था।

12. आगे यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थियों की प्रेरणा पर इथर वाली बोतल की बरामदगी अपीलार्थियों की सह–अपराधिता को कभी नहीं सिद्ध करती है क्योंकि अभिकथित रूप से बरामद की गयी इथर वाली बोतल यह स्थापित करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला कभी नहीं भेजी गयी थी कि एक बोतल में इथर था। इसी समय पर हँसिया जिस पर रक्त का निशान था को यह स्थापित करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला कभी नहीं भेजा गया था कि रक्त जो हँसिया पर लगा हुआ था उसी समूह का था जो मृतकों का था।

13. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि परिस्थितियाँ जिनका उपयोग अपीलार्थियों के विरुद्ध किया गया है स्थापित नहीं की गयी हैं और न ही वे किसी भी तरीके से अभियुक्तों की सह–अपराधिता के बारे में उपदर्शित करती है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया है।

14. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्तों में से एक मो॰ बुट्टु उर्फ हसन द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अपराध में फँसाने वाली सामग्रियाँ जब्त की गयी थी जिसमें उसने उस तरीके को प्रकट किया है जिसमें अभियुक्तों ने तीन व्यक्तियों की हत्या की और तद्द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में दंडाधिकारी के समक्ष एक अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति का उपयोग संयुक्त रूप से विचारण का सामना कर रहे अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध किया जा सकता है। अत:, विचारण न्यायालय ने दंडाधिकारी के समक्ष अभियुक्तों में से एक द्वारा की गयी संस्वीकृति पर कृत्य करते हुए सही प्रकार से अपीलार्थियों को दोषी पाया है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय को दोष सिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करते हुए कोई अवैधता करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

15. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अवर न्यायालय द्वारा जो भी सामग्री अपराध में फँसानेवाली सामग्री के रूप में ली गयी है, या तो अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 10) के साक्ष्य में आयी है अथवा सह–अभियुक्त मो॰ बुट्टु उर्फ हसन द्वारा की गयी न्यायिक संस्वीकृति में आयी हैं। विचारण न्यायालय के अनुसार, नीचे गौर की गयी

परिस्थितियाँ अपीलार्थियों के दोष को उपदर्शित करती है– (i) अपीलार्थियों का मृतक के साथ बैर था, (ii) पुलिस के समक्ष अभियुक्तों द्वारा की गयी संस्वीकृति के अनुसरण में इथर अंतर्विष्ट करने वाली बोतल जिसका उपयोग अपराध की कारिता में किया गया था उस घर से बरामद की गयी है जहाँ वे रहते थे और इसके अतिरिक्त अपराध में प्रयुक्त हथियार हँसिया भी बरामद किया गया था और (iii) अभियुक्तगण अपराधी थे।

16. यह कथन किया जाए कि अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध में फँसाने वाली सामग्रियों का उपयोग करने के पहले अभियोजन द्वारा उन सामग्रियों को स्थापित करने की आवश्यकता है, अत: यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्तों के विरुद्ध उपयोगित अपराध में फँसाने वाली सामग्री अभियोजन द्वारा स्थापित की गयी है या नहीं।

17. जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है, प्रथम परिस्थिति पर आते हुए, यह कथन किया जाए कि न्यायालय ने दर्ज किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने परिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्तों का मृतक के साथ बैर था किंतु अन्वेषण अधिकारी अपने साक्ष्य में ऐसा कहता हुआ कभी नहीं प्रतीत होता है। किंतु, अ० सा० 1 जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है उस तथ्य के बारे में पुलिस के समक्ष कथन करता प्रतीत होता है किंतु अभियोजन द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है और तद्द्वारा यह कहा जा सकता है कि इस निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सामग्री बिल्कुल नहीं है कि अभियुक्तों का मृतक के साथ बैर था। दूसरे शब्दों में, अभियोजन उस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहा।

18. अगली परिस्थिति पर आते हुए कि अपीलार्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, वह तथ्य भी अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य में नहीं आया है। यदि यह वहाँ होता भी, उसे अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थियों ने अपराध किया था क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी।

19. अब तीसरी परिस्थिति पर आते हुए जो इथर बोतल और रक्तरंजित हँसिया की बरामदगी से संबंधित है, उन परिस्थितियों को अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति के रूप में इस कारण से नहीं लिया जा सकता है कि अपराध की कारिता में प्रयुक्त इथर अंतर्विष्ट करने वाला बताए गए बोतल को न्यायालयिक प्रयोगशाला के समक्ष कभी भेजा नहीं गया था और न ही हत्या की कारिता में इथर के उपयोग के बारे में शव परीक्षण रिपोर्ट में कुछ है। इन परिस्थितियों के अधीन, यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि बोतल में इथर था जिसका उपयोग अपराध की कारिता में किया गया था। समरुप स्थिति रक्तरंजित हँसिया की भी है किंतु उसे भी रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

20. इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन संभावित रूप से ग्राह्य माने जाने वाले बरामदगी के तथ्य को विधि के अनुरुप साक्ष्य में लिया गया प्रतीत कभी नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"27.* ***vfHk;Dr l çkIr tkudkjh e l fdruh lkfcr dh tk ldxh*** *–&ijUr tc fdlh rF; d ckj e ;g vfHklk{; fn;k tkrk g fd fdlh vijkèk d vfHk;Dr 0;fDr l] tk ifyl vkfQlj dh vfHkj{kk e gk] çkIr tkudkjh d ifj.kkeLo#i mldk irk pyk g] rc ,lh tkudkjh e l] mruh pkg og lLohÑfr dh dkfV e vkrh gk ;k ugh] ftruh ,rn}kjk irk py g, rF; l Li"Vr;k lEcfUèkr g] lkfcr dh tk ldxhA***

21. इसके परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि धारा 27 को प्रवर्तन में लाने के लिए आवश्यक प्रथम शर्त अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरुप तथ्य की खोज है। द्वितीयत: ऐसे तथ्य की खोज का अभिसाक्ष्य देना होगा। तृतीयत: सूचना की प्राप्ति के समय पर अभियुक्त को अभिरक्षा में होना होगा। अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि केवल ''सूचना का उतना भाग'' जो सुभिन्न रूप से तद्द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, ग्राह्य है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि धारा 27 के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना का केवल उतना भाग जो तद्द्वारा खोजे गए तथ्य के साथ सुभिन्न रूप से संबंधित है, सिद्ध किया जा सकता है। केवल उस व्यक्ति का बयान ग्राह्य है जो अपराध का अभियुक्त है। इस प्रकार, जहाँ अभिकथित रूप से प्रकटीकरण बयान देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग नहीं है, बयान धारा 27 के अधीन ग्राह्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, हम अभिलिखित कर सकते हैं कि धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण बयान सिद्ध करने के लिए पुलिस अधिकारी जब वह बयान देता है के लिए सही प्रक्रिया यह कहना है कि अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार करते हुए इकबालिया बयान दिया जो अपराध में फँसाने वाली सामग्री की बरामदगी की ओर ले गया और तब अपनी याद ताजा करने के प्रयोजन से वास्तविक बयान को निर्दिष्ट करना है जो समस्त अधिसंभाव्यताओं में केस डायरी अथवा अभिलेख में हो सकता है और उस पद्धति द्वारा न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना है जो अभियुक्त ने कहा था और जिसे प्रकटीकरण के बयान के आधार पर बरामद किया गया था।

22. वर्तमान मामले में, अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान को अभिलेख पर कभी नहीं लाया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने केवल यह कहा है कि अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति इथर की बोतल एवं अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी की ओर ले गयी जो कभी ग्राह्य नहीं है और तद्द्वारा अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य का वह टुकड़ा, जिसके द्वारा उसने परिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति इथर की बोतल तथा अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी की ओर ले गयी, का साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा।

23. अब अपीलार्थियों में से एक के द्वारा की गयी संस्वीकृति से संबंधित राज्य की ओर से किए गए निवेदन पर आते हुए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में संस्वीकृति का उपयोग अन्य अपीलार्थियों के विरुद्ध किया जा सकता है, उस प्रतिपादना से इनकार नहीं किया जा सकता है किंतु इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उस प्रतिपादना को वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है।

24. मामले में आगे अग्रसर होने के पहले हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में अंतर्विष्ट प्रावधान को ध्यान में ले सकते हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"30.* ***lkfcr lLohÑfr dk] tk ml dju oky 0;fDr rFkk ,d gh vijkèk d fy, l;Dr :i l fopkfjr vU; dk çHkkfor djrh g fopkj e yuk-*** *&tcfd ,d l vfèkd 0;fDr ,d gh vijkèk d fy, l;Dr :i l fopkfjr g rFkk ,l 0;fDr;k e l fdlh ,d d }kjk] viu dk vkj ,l 0;fDr;k e l fdlh vU; dk çHkkfor dju okyh dh xb lLohÑfr dk lkfcr fd;k tkrk g] rc U;k;ky; ,lh lLohÑfr dk ,l vU; 0;fDr d fo#) rFkk ,l lLohÑfr dju oky 0;fDr d fo#) fopkj e y ldxkA*

25. उक्त प्रावधान के परिशीलन से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से विचारण किए गए व्यक्ति की संस्वीकृति को उसके विरुद्ध विचार में लिए जाने के पहले यह प्रतीत होना होगा कि संस्वीकृति मुख्य रूप से उसी सीमा तक संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को आलिप्त करती है जितना यह उस व्यक्ति को आलिप्त करती है जिसके विरुद्ध इसका उपयोग किया जाना है कि वह भी अपराध की कारिता में दोषी था जिसके लिए अभियुक्तों का संयुक्त रूप से विवरण किया जा रहा है।

26. वर्तमान मामले पर आते हुए हम पाते हैं कि समस्त अपीलार्थियों का संयुक्त रूप से विचारण किया गया था किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दंडाधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति, जिस पर हमने यहाँ ऊपर विस्तारपूर्वक विचार किया है, कभी नहीं दर्शाती है कि अपीलार्थी मो॰ बुट्टू ने तीन व्यक्तियों की हत्या की कारिता में स्वयं को कभी आलिप्त किया है, बल्कि अपीलार्थी मो॰ बुट्टू के विवरण के मुताबिक वह अपने मित्र पप्पू के साथ धन जो उनके द्वारा भुगतान किए जाने के लिए देय था लेने के लिए उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर कय्यूम मिर्जा एवं मो॰ शइन के घर पर था और उस क्रम में उसने अन्य अभियुक्तों को हत्या करते देखा था। तद्द्वारा अपीलार्थियों में से एक मो॰ बुट्टु द्वारा दंडाधिकारी के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान कभी नहीं अभिशंसी प्रतीत होता है, अत: संस्वीकृति का उपयोग मो॰ बुट्टु जिसने संस्वीकृति किया के विरुद्ध अथवा किसी अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

27. इस प्रकार, हम पाते हैं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो किसी अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करती है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया और तद्द्वारा इसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थियों को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अत:, अपीलार्थी सं॰ 1, 3, 4 एवं 5 जो जमानत पर हैं को उनके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है जबकि अपीलार्थी सं॰ 2, 6 एवं 7 जो अभिरक्षा में हैं को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरुप, अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

दया शंकर दयाल वर्मा

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) एवं अन्य

Civil Review No. 02 of 2010. Decided on 9th March, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47 नियम 1—सिविल पुनर्विलोकन–पुनर्विलोकन किसी भी रूप में छद्मवेष में अपील नहीं है जिसके द्वारा गलत निर्णय पुन: सुना एवं सही किया जाता है, बल्कि केवल स्पष्ट त्रुटि सुधारने के लिए दाखिल किया जाता है–एल॰ पी॰ ए॰ में पारित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए सिविल पुनर्विलोकन दाखिल किया गया–खंड न्यायपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संप्रेक्षण की सराहना की है–दोनों न्यायालयों का संगत निष्कर्ष है कि याची बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 62B के अधीन सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए समुचित अर्हता एवं अनुभव नहीं रखता था–वेतनमान ई॰ II ग्रेड के कार्यपालकों के वेतनमान के समतुल्य नहीं है–खंड न्यायपीठ ने यह भी संप्रेक्षित किया है कि याची को स्वत: वरीय कार्यपालक का वेतनमान नहीं दिया जा सकता है–याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 2 से 10)

निर्णयज विधि.–AIR 1986 SC 1571—Relied upon; (1979)4 SCC 389, (1985) 1 SCC 170 Paras 8, 9 and 15, (1979)8 SCC 715 Paras 7, 8 and 9, (2006)4 SCC 78 Paras 13 to 18, (2012)7 SCC 200 Paras 26 to 30 and 32 to 35—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, R. Krishna, For the Petitioner; Mr. Rishikesh Giri, For the State; Mr. Ananda Sen, For the Resp. Nos. 4 & 5.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह सिविल पुनर्विलोकन एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 में दिनांक 10 नवंबर, 2009 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए मुख्यत: इस आधार पर दाखिल किया गया है कि इस याची (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 में अपीलार्थी सं॰ 4) को प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं 5 के साथ वर्ष 1990 में निम्न वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वस्तुत:, मुख्यत: इस आधार पर कि याची सुरक्षा अधिकारी है और बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 62-B (3) (c) के मुताबिक उसे कार्यपालक का वेतनमान दिया जाना चाहिए था, वेतनमान E-I अथवा E-II होना चाहिए था और निश्चय ही L-VI वेतनमान नहीं। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 खारिज करते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित अधिमूल्यन नहीं किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1986 SC 1571** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है।

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम इस सिविल पुनरीक्षण को ग्रहण करने का कारण मुख्यत: इसलिए नहीं पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2007 वर्ष 1994 (P) के साथ सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 10350 वर्ष 1996 (P) में पारित दिनांक 20 मार्च 2009 के आदेश के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

"7. ijLij fojkèkh fuonuk l lkeu vkr LohÑr rF; fuEufyf[kr g%

(i) ;kphx.k dk fu;ktuky; l mud ukek dk vkef=r dju d ckn çR;Fkh chO ,lO ,yO d vèkhu o"k 1990 e fdlh le; fu;Dr fd;k x;k FkkA ,lh fu;fDr fcgkj dkj[kkuk fu;ekoyh d fu;e 62B d çkoèkkuk d vèkhu dkj[kkuk d e[; fujh{kd }kjk çnku fd, x, NV d vèkhu **vuHko d lcèk e vgrk f'kfFky djd** dh x;h FkhA

(ii) mudh fu;fDr d le; ij ;kphx.k dk **dkj[kkuk fujh{kd** d :i e inukfer fd;k x;k Fkk vkj mudk orueku 1550-53-1921-60-2341/- #i;k ij fu;r fd;k x;k Fkk ftl ;kphx.k u Lohdkj fd;k Fkk vkj fnukd **1.1.1992** d çHkko l iujh{k.k ij bl 2390-81-2957-90-2587/- #i;k ij fu;r fd;k x;k FkkA

(iii) viu vèkhu dk;ikydk dh oru ljpuk d lcèk e çR;Fkh chO ,lO ,yO }kjk çLrr pkV (ifjf'k"V 3) d erkfcd fnukd **1.1.1991** d igy E-II xM d dk;ikydk dk orueku 3100-130-3750-140-5150/- #i;k Fkk vkj fnukd 1.1.1991 d çHkko l iujh{k.k ij bl 3700-140-4400-150-5990/- #i;k ij fu;r fd;k x;k FkkA

mDr rF; fufookfnr gA ;kphx.k dk çfrokn fd mudh vkjfHkd fu;fDr d le; ij mudk orueku E II xM d dk;ikydk d orueku d lerY; Fkk] lgh ugh çrhr gkrk gA** (tkj fn;k x;k)

3. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 217 वर्ष 2009 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 10 नवंबर, 2009 के आदेश के पैराग्राफ 4 में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संप्रेक्षण की सराहना की है। उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 का पठन निम्नलिखित है:–

"4. LohÑr :i l] ;kphx.k dk lj{kk fujh{kd d :i e o"k 1990 e 1550-2341/- #i;k d orueku e fu;Dr fd;k x;k Fkk vkj mud fu;fDr i= e orueku mfYyf[kr fd;k x;k FkkA orueku ftl ij ;kphx.k dk lj{kk fujh{kd

*d :i e fu;Dr fd;k x;k Fkk] L-VI xM dk FkkA ;kphx.k&çR;Fkhx.k u **dkbZ Hkh vkifÙk fd, fcuk** mlh orueku e mDr in ij inxg.k fd;kA fo}ku ,dy U;k;kèkh'k u ik;k fd **vkjfHkd fu;fDr d le; ij ;kphx.k dk orueku E-II xM d dk;ikydk d orueku d lerY; ugh FkkA** fo}ku ,dy U;k;kèkh'k u ch0 ,p0 b0 ,y0 ,o ,d vU; cuke ch0 d0 fot ;] (2006)2 SCC 654, e lokPp U;k;ky; }kjk fofuf'pr fu.k;kèkj ij fo'okl fd;kA ge ;g vfHkfuèkkfjr djr g, fd dkj[kkuk vfèkfu;e d vèkhu fu;e d ç;ktu l nt Lor% ;kphx.k dk ojh; dk;ikyd dMj e ugh j[krk g] fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk fy, x, nf"Vdk.k l i.kr% lger gA** (tkjk fn;k x;k)*

4. इन दो आदेशों, एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और दूसरा इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित, के संयुक्त पठन पर यह प्रतीत होता है कि गुणागुण पर इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा यह मामला विनिश्चित कर दिया गया है और दोनों न्यायालयों का संगत निष्कर्ष है कि इस याची (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 में अपीलार्थी सं॰ 4) के पास बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 62B के अधीन सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए समुचित अर्हता एवं अनुभव नहीं था। याची का वेतनमान E-II ग्रेड के कार्यपालकों के वेतनमान के समतुल्य नहीं है। खंडपीठ ने यह भी संप्रेक्षित किया है कि इस याची (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 216 वर्ष 2009 में अपीलार्थी सं॰ 4) को स्वत: वरीय कार्यपालक ग्रेड वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। **इस प्रकार, पुन: गुणागुण पर यह तर्क किया गया है कि बिहार कारखाना नियमावली 1950 के नियम 62-B (3) (C) का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। यह तर्क गुणागुण रहित है। पुनर्विलोकन किसी भी रूप में छद्मावेष में अपील नहीं हैं जिसके द्वारा गलत निर्णय पुन: सुना एवं सही किया जाता है, बल्कि केवल स्पष्ट गलती के लिए किया जाता है।** वस्तुत:, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा और इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा भी इसका अधिमूल्यन किया गया है, जैसा कथन यहाँ ऊपर किया गया है, और, इसलिए, सिविल पुनर्विलोकन की गुंजाइश नहीं है। हम पूर्वोक्त लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर रहे हैं।

5. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम ऐबम पिशाक शर्मा, (1979)4 SCC 389, में पैराग्राफ 3 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"3. U;kf;d vk;Dr u viu ioorh d vkn'k dk iufoykdu dju dk nk dkj.k fn;kA igyk ;g Fkk fd mld ioorh u nk egRoi.k nLrkotk çn'k A1 ,o A3 dk vun[kk fd;k Fkk tk n'kkrk Fkk fd çR;Fkhx.k o"k 1948-49 e gh LFkyk ij dkfct Fk vkj fd rc rd vunku Hkh fn;k tk pdk gkxkA nljk ;g Fkk fd vihykFkh dk ,dy fjV ;kfpdk e fofHkUu çR;Fkhx.k d i{k e fn, x, c;ku dk pukrh nu dh vuefr nu e Li"V voèkrk FkhA ge fprk g fd fo}ku U;kf;d vk;Dr }kjk mfYyf[kr dkj.kk e l dkb Hkh iufoykdu dk vkèkkj xfBr ugh djrk gA **;g lR; g] tlk bl U;k;ky; }kjk f'kono flg cuke itkc jkT; e lçf{kr fd;k x;k g] fd iufoykdu dh 'kfDr] tk ?kkj vU;k; jkdu d fy, vkj bld }kjk dh x;h xHkhj ,o Li"V xyrh dk lgh dju d fy, lokxh.k vfèkdkfjrk d çR;d U;k;ky; e vrfufgr gkrh g] dk ç;kx dju l mPp U;k;ky; dk vioftr dju d fy, lfoèkku d vuPNn 226 e dN Hkh ugh gA fdr] iufoykdu 'kfDr d ç;kx d çfr fu'p;kRed lhek, gA iufoykdu 'kfDr dk ç;kx u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ij fd;k tk ldrk g tk lE;d rRijrk l dk; dju d ckn Hkh iufoykdu bfllr dju oky 0;fDr dh tkudkjh e ugh Fk vFkok ftUg ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk*

Fkk tc vkn'k fn;k x;k Fkk] bldk ç;kx ogk fd;k tk ldrk g tgk dN xyrh vFkok vfHky[k ij idV =fV ik;h x;h g(bldk ç;kx fdlh ln'k vkèkkj ij fd;k tk ldrk gA fdr] bldk ç;kx bl vkèkkj ij ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkx.k ij xyr FkkA og vihy d U;k;ky; dk {k= glxkA iufoykdu 'kfDr dk vihyh; 'kfDr d lkFk lHkfer ugh fd;k tkuk g tk fdlh vihyh; U;k;ky; dk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dh x;h leLr rjhdk dh xyfr;k dk lgh dju d fy, l{ke cuk ldrh gA** (tkj fn;k x;k)

6. मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी, (1995)1 SCC 170, में पैराओं 8, 9 एवं 15 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है:

^^8. ;g lfuf'pr g fd iufoykdu dk;okgh vihy d :i e ugh g vkj bl dBkjrkiod lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d foLrkj ,o ifjfèk rd lhfer djuk glxkA Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu bfllr djr g, mPp U;k;ky; dk miyCèk le#i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g, vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k dh lhferrk d lcèk e bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjcu fi'kkd 'kek ekey e fpUulik jMMh] U;k;efr d ekè;e l ckyr g, fuEufyf[kr mi;Dr lç{k.k fd;k gh (SCC p. 390 para 3)

^^;g lR; g] tlk bl U;k;ky; }kjk f'kono flg cuke itkc jkT; e lçf{kr fd;k x;k g] fd iufoykdu dh 'kfDr] tk ?kkj vU;k; jkdu d fy, vkj bld }kjk dh x;h xHkhj ,o Li"V xyrh dk lgh dju d fy, lokxh.k vfèkdkfjrk d çR;d U;k;ky; e vrfufgr gkrh g] dk ç;kx dju l mPp U;k;ky; dk vioftr dju d fy, lfoèkku d vuPNn 226 e dN Hkh ugh gA fdr] iufoykdu dh 'kfDr d ç;kx d çfr fu'p;kRed lhek,i gA iufoykdu 'kfDr dk ç;kx u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ij fd;k tk ldrk g] tk lE;d rRijrk d i;kx d ckn Hkh iufoykdu bfllr dju oky 0;fDr dh tkudkjh e ugh Fk vFkok ftUg ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fn;k x;k Fkk(bldk ç;kx ogk fd;k tk ldrk g tgk dN xyrh vFkok vfHky[k ij idV =fV ik;h x;h g(bldk ç;kx fdlh ln'k vkèkkj ij fd;k tk ldrk gA fdr] bldk ç;kx bl vkèkkj ij ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkx.k ij xyr FkkA og vihy d U;k;ky; dk {k= glxkA iufoykdu dh 'kfDr dk vihyh; 'kfDr d lkFk lHkfer ugh fd;k tkuk g tk fdlh vihyh; U;k;ky; dk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dh x;h leLr rjhdk dh xyfr;k dk lgh dju d fy, l{ke cuk ldrh gA**

9. vc ;g Hkh nf"V e j[kk tkuk g fd vk{kfir vkn'k e mPp U;k;ky; dh [kM U;k;ihB u Li"Vr% lçf{kr fd;k g fd o doy vfHky[k ij idV =fV d vkèkkj ij vkj u fd fdlh vU; vkèkkj ij iufoykdu ;kfpdk xg.k dj jg gA tgk rd ml igy dk lcèk g] ;g è;ku e j[kk tkuk glxk fd vfHky[k ij idV =fV dk ,lh =fV gkuk glxk tk vfHky[k dk n[ku ek= ij Li"V gk tk, vkj ftl mu fcnvk ij rd dh fdlh nh?kdkfyd çfØ;k }kjk Li"V fd, tkus dh vko';drk ugh g tgk lHkorh nk nf"Vdk.k gk ldr gA ge ykHknk;h :i l lR; ukjk;.k y{eh ukjk;.k gxM cuke efYydktu Hkoulik fr#eky ekey e bl U;k;ky; d lç{k.kk dk fufn"V dj ldr g ftle d0 lhO nkl xlrk] U;k;efr u U;k;ky; dh vkj l ckyr g, vfHky[k ij idV =fV d lcèk e fuEufyf[kr lç{k.k fd;k gh

dkb xyrh ftl mu fcnvk tgk lHkor% nk er gk ldr g ij rd dh yEch çfØ;k }kjk LFkkfir fd;k tkuk g] 'kk;n gh vfHky[k ij idV =fV dgh tk ldrh gA tgk vfHkdfFkr xyrh LoLi"V gku l dkl k nj g vkj ;fn bl LFkkfir fd;k tk ldrk g] bl yc ,o tfVy rdk }kjk LFkkfir fd;k tkuk gkxk] ,lh xyrh ,lk fjV tkjh dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk 'kkflr dju oky fu;e d vulkj mRç"k.k fjV }kjk lèkkjh ugh tk ldrh gA

15. ***gekj nf"Vdk.k e iufoykdu dk;okgh ij fopkj djr g, [kM U;k;ihB dk iokDr nf"Vdk.k Li"Vr% n'kkrk g fd ;g ek= io [kM U;k;ihB }kjk viuk;h x;h rd 'kyh dk Li"V xyrh l ihfMr crkdj lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk d ij x;k gA*** *;g gekj }kjk igy minf'kr lfuf'pr fofèkd voLFkk dh nf"V e Li"V xyrh vFkok çdV xyrh ugh cu tk,xkA* ***lkjrk] iufoykdu U;k;ihB u li.k lk{; dk iuvfèkeY;u fd;k g] yxHkx vihy d U;k;ky; d :i e cBk g vkj io [kM U;k;ihB }kjk igp x, fu"d"kk dk myV fn;k gA Hky gh lhO ,lO Hk[kM lO 74 d lcèk e io [kM U;k;ihB d fu.k; dk xyr ik;k x;k Fkk] ;g bldk iufoykdu dju dk vkèkkj ugh gkxk D;kfd og vihyh; U;k;ky; dk dk; gkxkA*** *çR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk ;g bfxr dju dh voLFkk e ugh Fk fd fdl çdkj iufoykdu U;k;ihB }kjk viuk, x, rd ,o ikIr fu"d"k dk leFku lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d ldfpr ,o lhfer foLrkj d vrxr fd;k tk ldrk gA* ***xyr gk ;k lgh] io [kM U;k;ihB dk fu.k; vfre cu x;k Fkk tgk rd mPp U;k;ky; dk lcèk FkkA bl iufoykdu 'kfDr;k d voyc dk U;k;kfpr Bgjku d fy, vfHkdfFkr çdV xyrh dk irk yxku dh nf"V l li.k lk{; ij iufopkj djd iufoykdu ugh fd;k tk ldrk FkkA*** *vr%] doy ml lf{kIr vkèkkj ij bl vihy dk vuKkr fd, tku dh vko';drk FkhA tgk rd lhO ,lO Hk[kM lO 74 dk lcèk g] vihyh; fMØh lO 569 o"k 1973 l vihy [kkfjt dju okyk [kM U;k;ihB dk fnukd 8.7.1986 dk vfre fu.k; ,o ml h Hk[kM vFkkr lhO ,lO Hk[kM lO 74 d lcèk e fnukd 5.9.1984 dk iufoykdu fu.k; vikLr fd, tkr g vkj okn Hk[kM lO 74 d lcèk e f}rh; vihy vuKkr dju okyk fnukd 3.8.1978 dk mPp U;k;ky; dk io fu.k; iuLFkkfir fd;k tkrk gA rnulkj] vihy vuKkr dh tkrh gA ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e 0;; dk ydj vkn'k ugh gkxkA** (tkj fn;k x;k)*

7. परसियों देवी बनाम सुमित्री देवी, (1997)8 SCC 715, मामले में पैराग्राफ सं॰ 7, 8 एवं 9 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे अभिनिर्धारित किया गया है:–

"7. ;g lfuf'pr g fd iufoykdu dk;okgh dk dBkjrkiod lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d ifjfèk ,o foLrkj rd lhfer fd;k tkuk gkxkA *rxHknk bMLVht fyO cuke vkèk in'k ljdkj (SCR, P.186) e bl U;k;ky; u er fn;k g%*

^^fdr gekjk ljkdkj ftl ckr d lkFk g og ;g g fd D;k flrcj] 1959 d vkn'k e c;ku fd ekeyk fofèk dk lkjoku ç'u vrxLr ugh djrk Fkk] ^vfHky[k l idV =fV gA rF; fd io volj ij bl U;k;ky; u rF;k dh ln'k voLFkk e vfHkfuèkkfjr fd;k fd mnHkr gvk fofèk dk lkjoku i'u vfuok;r% fu'p;kRed ugh gkxk D;kfd io vkn'k Lo; xyr gk ldrk FkkA bl çdkj l] ;fn c;ku xyr Fkk] ;g vulfjr ugh gkxk fd ;g ^vfHky[k l idV =fV* Fkk*

D;kfd ,d ek= xyr fu.k; vkj fu.k; ftl ^çdV =fV }kjk nf"kr d :i e fpf=r fd;k tk ldrk Fkk d chp lfHkUurk g tk okLrfod g ;|fi ;g lno çfriknu d ;kX; ugh gk ldrk gA* ***iufoykdu fdlh :i e Nneko"k e vihy ugh g ftld }kjk fdlh xyr fu.k; dk iu% luk ,o lèkkjk tkrk g cfYd doy Li"V xyrh d fy, fd;k tkrk gA****

8. ***iu%] ehjk Hkktk cuke fueyk dekjh pkèkjh e] vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek l m)j.k vueknu d lkFk m)r djr g, bl U;k;ky; u iu% vfHkfuèkkfjr fd;k fd iufoykdu dk;okgh vihy d :i e ugh g vkj bl dBkjrkiod lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d foLrkj ,o ifjfèk rd lhfer j[kuk gkxkA***

9. lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu fu.k; dk vU; ckrk d lkFk iufoykdu fd;k tk ldrk g ;fn dkb xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV gA dkb xyrh] tk Lo;fl) ugh g vkj ftld k irk rd dh çfØ;k }kjk yxkuk gkxk] dk vfHky[k l idV =fV d :i e ugh dgk tk ldrk g tk lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr d ç;kx d fy, U;k;ky; dk U;k;kfpr Bgjkrk gA ***lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d ç;kx e xyr fu.k; dk ^^iu% luuk ,o lèkkjuk** vuK; ugh gA ;g lno Lej.k j[kuk gkxk fd iufoykdu ;kfpdk dk ç;ktu lhfer g vkj bl ^^Nneko"k e vihy** gku dh vuefr ugh nh tk ldrh gA**** *(tkj fn;k x;k)*

8. हरिदास बनाम उषा रानी बानिक, (2006)4 SCC 78, में पैराग्राफों 13 से 18 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^13. iufoykdu d foLrkj dk vfèkeY;u dju d fy, lhO ihO lhO dh èkkjk 114 dk iBu djuk gkxk fdr] ;g èkkjk U;k;ky; l çR;kf'kr gLr{ki dh ifjfèk dk [kkdk rd ugh [khprh g D;kfd ;g ek= dFku djrh g fd ^^m l ij ,l vkn'k ikfjr dj ldrk g tl k ;g ;kX; le>rk gA** lhO ihO lhO d vkn'k 47 e ekinM fofgr fd, x, g vkj bl okn d ç;ktu l çfroknh dk ^^fdlh xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV vFkok fdlh vU; i;kIr dkj.k l** iuluokb d fy, tkj nu dh vuefr nrh gA fu;e dk io Hkkx vkond ij vfèkjki.kh; fLFkfr ij fopkj djrk g vkj ckn okyk Hkkx fofèkxr dkjokb ij tk Li"Vr% xyr g vFkok ftl ij nk fu"d"k lHko ugh gA mue l dkb Hkh fookn dh iuluokb çfrikfnr ugh djrk g D;kfd i{k u ekey d leLr igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk vFkok mu ij vfèkd cyiod rd dj ldrk Fkk vkj@vFkok U;k;ky; dk ckè;dkjh iofu.k; m)r dj ldrk Fkk vkj rn}kjk vudy fu.k; dk vkuUn y ldrk FkkA ;g vkn'k 47 d fu;e 1 d Li"Vhdj.k l i;kIr :i l Li"V g tk dFku djrk g fd ;g rF; fd fofèk d ç'u ij fu.k; ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vkèkkfjr g dk fdlh vU; ekey e mPprj U;k;ky; d i'pkrorh fu.k; }kjk myV fn;k x;k g vFkok mikrfjr dj fn;k x;k g] ,l fu.k; d iufoykdu d fy, vkèkkj ugh gkxkA* ***tgk ç'uxr vkn'k vihy fd, tku ;kX; g] 0;fFkr i{k d ikl i;kIr ,o çHkkodkjh mipkj g vkj U;k;ky; dk egÙke pkdlh d lkFk viu vkn'k dk iufoykdu djuk pkfg,A*** *bl U;k;ky; u rxHknk bMLVht fyO cuke vkèk in'k ljdkj e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k% (SCR p .186)*

^^ek= xyr fu.k; ,o fu.k; ftl ^çdV xyrh }kjk nf"kr d :i e fpf=r fd;k tk ldrk Fkk d chp lfHkUurk g tk okLrfod g ;|fi ;g lno çfriknu ;kX; ugh gk ldrk FkkA* ***iufoykdu fdlh :i e Nneko"k e vihy ugh***

g ftld }kjk xyr fu.k; iuh luk ,o lèkkjk tkrk g cfYd doy Li"V xyrh d fy, fd;k tk ldrk g-------- tgk fdlh foLrkji.k rd d fcuk dkb 0;fDr xyrh bfxr dj ldrk Fkk vkj dg ldrk Fkk fd ;g fofèk dk lkjoku fcn g tk Li"V g vkj bld ckj e ;fDr;Dr :i l nk erk dk xg.k ugh fd;k tk ldrk Fkk] vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh dk Li"V ekeyk cuk;k tk,xkA**

14. ehjk Hkk tk cuke fueyk dekjh pkèkjh e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd%

^^8. ;g lfuf'pr g fd iufoykdu dk;okgh vihy d :i e ugh g vkj bl dBkjrkiod lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d foLrkj ,o ifjfèk rd lhfer djuk gkxkA lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu bfllr djr g, mPp U;k;ky; dk miyCèk le#i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g, vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k dh lhferrk d lcèk e bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek ekey e fpUulik jMMh] U;k;efr d ekè;e l ckyr g, fuEufyf[kr mi;Dr lç{k.k fd;k gA

^^;g lR; g] fd iufoykdu 'kfDr] tk ?kkj vU;k; jkdu d fy, vkj bld }kjk dh x;h xHkhj ,o Li"V xyrh dk lgh dju d fy, lokxh.k vfèkdkfjrk d çR;d U;k;ky; e vrfufgr gkrh g] dk ç;kx dju l mPp U;k;ky; dk vioftr dju d fy, lfoèkku d vuPNn 226 e dN Hkh ugh gA fdr] iufoykdu 'kfDr d ç;kx d çfr fu'p;kRed lhek, gA iufoykdu dh 'kfDr dk ç;kx u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ij fd;k tk ldrk g tk lE;d rRijrk d i;kx d ckn Hkh iufoykdu bfllr dju oky 0;fDr dh tkudkjh e ugh Fk vFkok ftUg ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fn;k x;k Fkk] bldk ç;kx ogk fd;k tk ldrk g tgk dN xyrh vFkok vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh ik;h x;h g(bldk ç;kx fdlh ln'k vkèkkj ij fd;k tk ldrk gA fdr] bldk ç;kx bl vkèkkj ij ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kx.k ij xyr FkkA og vihy d U;k;ky; dk {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk vihyh; 'kfDr d lkFk lHkfer ugh fd;k tkuk g tk fdlh vihyh; U;k;ky; dk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dh x;h leLr rjhdk dh xyfr;k dk lgh dju d fy, l{ke cuk ldrh gA** (SCC pp. 172-73, para 8)

15. vkn'k 47 fu;e 1 dk ifj'kyu n'kkrk g fd fu.k; vFkok vkn'k dk iufoykdu (a) u, ,o egRoi.k ekeyk vFkok lk{; tk lE;d rRijrk d ç;kx d ckn vkond dh tkudkjh e ugh Fk dh [kkt l] (b) , lk egRoi.k ekeyk vFkok lk{; vkond }kjk ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc fMØh vFkok vkn'k ikfjr fd;k x;k Fkk vkj (c) fdlh xyrh vFkok vfHky[k ij idV =fV vFkok fdlh vU; i;kIr dkj.k d pyr bfllr fd;k tk ldrk FkkA

16. vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd iufoykdu 'kfDr d ç;kx d çfr fuf'pr lhek, gA ml ekey e] lfgrk d vkn'k 47 fu;e 1 lgifBr èkkjk 151 d vèkhu vkonu nkf[ky fd;k x;k Fkk ftl vuKkr fd;k x;k Fkk vkj U;kf;d vk;Dr }kjk ikfjr vkn'k vikLr dj fn;k x;k Fkk vkj fjV ;kfpdk [kkfjt dh x;h FkhA bl U;k;ky; e vihy fd, tku ij fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk% (SCC p. 390 para 3)

^^;g lR; g] tlk bl U;k;ky; }kjk f'kkono flg cuke itkc jkT; e lçf{kr fd;k x;k g] fd iufoykdu 'kfDr] tk ?kkj vU;k; jkdu d fy, vkj

bl d }kjk dh x;h xHkhj ,o Li"V xyrh dk lgh dju d fy, lokxh.k vfèkdkfjrk d çR;d U;k;ky; e vrfufgr gkrh g] dk ç;kx dju l mPp U;k;ky; dk vioftr dju d fy, lfoèkku d vuPNn 226 e dN Hkh ugh gA fdr] iufoykdu 'kfDr d ç;kx d çfr fu'p;kRed lhek, gA iufoykdu 'kfDr dk ç;kx u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ij fd;k tk ldrk g tk lE;d rRijrk d i;kx d ckn Hkh iufoykdu bfllr dju oky 0;fDr dh tkudkjh e ugh Fk vFkok ftUg ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fn;k x;k Fkk] bldk ç;kx ogk fd;k tk ldrk g tgk dN xyrh vFkok vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh ik;h x;h g(bldk ç;kx fdlh ln'k vkèkkj ij fd;k tk ldrk gA fdr] bldk ç;kx bl vkèkkj ij ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkx.k ij xyr Fkk og vihy d U;k;ky; dk {k= gkxkA ***iufoykdu 'kfDr dk vihyh; 'kfDr d lkFk lHkfer ugh fd;k tkuk g tk fdlh vihyh; U;k;ky; dk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dh x;h leLr rjhdk dh xyfr;k dk lgh dju d fy, l{ke cuk ldrh gA***

17. ehjk Hkkbtk e vfjce ekey d fu.k; dk vulj.k fd;k x;k gA mlekey e] ;g nkgjk;k x;k g fd iufoykdu dju dh vfèkdkfjrk vftr dju d fy, vfHky[k l idV =fV dk ,lh xyrh gkuk gkxk tk fd vfHky[k dk n[ku ek= l gh Li"V gk tk, vkj ftl fdlh nh?kdkfyd rd dh çfØ;k dh vko';drk ugh gkxhA lR; ukjk;.k y{eh ukjk;.k gxM cuke efYydktu Hkoulik fr#eky e vfHky[k l idV =fV d lcèk e fd, x, fuEufyf[kr lç{k.k dk Hkh è;ku e fy;k x;k Fkk% (AIR p 137)

*^^dkb xyrh ftl mu fcnvk tgk lHkor% nk er gk ldr g ij rd dh yEch çfØ;k }kjk LFkkfir fd;k tkuk g] 'kk;n gh vfHky[k l idV =fV dgh tk ldrh gA tgk vfHkdfFkr xyrh LoLi"V gku l dkls nj g vkj ;fn bl LFkkfir fd;k tk ldrk g] bl yc ,o tfVy rdk }kjk LFkkfir fd;k tkuk gkxk] ,lh xyrh ,lk fjV tkjh dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk 'kkfl dju oky fu;e d vulkj mRç"k.k fjV }kjk lèkkjh ugh tk ldrh gA** (SCR pp. 901-02)*

18. ifl;k noh cuke lfe=h noh e bl U;k;ky; d lç{k.kk dk m)r djuk mi;Dr gA vfjce ,o ehjk e fu.k;k ij fo'okl djr g, fuEufyf[kr lçf{kr fd;k x;k Fkk% (SCC p. 719 para 9)

*"9. lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu fu.k; dk vU; ckrk d lkFk iufoykdu fd;k tk ldrk g ;fn dkb xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV gA dkb =fV] tk Lo;fl) ugh g vkj ftldk irk rd dh çfØ;k }kjk yxkuk gkxk] dk vfHky[k l idV =fV d :i e ugh dgk tk ldrk g tk lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr d ç;kx d fy, U;k;ky; dk U;k;kfpr Bgjkrk gA lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d ç;kx e xyr fu.k; dk ^^iu% luuk ,o lèkkjuk** vuK; ugh gA ;g lno Lej.k j[kuk gkxk fd iufoykdu ;kfpdk dk ç;ktu lhfer g vkj bl ^^Nneko"k e vihy** gku dh vuefr ugh nh tk ldrh gA** (tkj fn;k x;k)*

9. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० बनाम मवासी, (2012)7 SCC 200, मामले में, पैराग्राफ सं० 26 से 30 और 32 से 35 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"26. ***bl pj.k ij ;g lçf{kr djuk mi;Dr gkxk fd iufoykdu 'kfDr lfofèk dh mRifÙk g vkj dkb U;k;ky;] U;kf;d dYi fudk;***

vFkok ç'kklfud çkf/kdkjh viuk fu.k; vFkok vkn'k iufoZyksfdr ugha dj ldrk gS tc rd bls ,slk djus ds fy, fof/kr% l'kDr ugha cuk;k tkrk gSA *vuqPNsn 137 lafo/kku }kjk cuk, x, fdlh fof/k ds çko/kkuksa vFkok lafo/kku ds vuqPNsn 145 ds v/khu cuk, x, fdlh fu;eksa ds v/;/khu viuk fu.k; ;k dksbZ vkns'k iufoZyksdu djus ds fy, bl U;k;ky; dks l'kDr cuk;k x;k gSA mDr vuqPNsn ds v/khu bl U;k;ky; }kjk fojfpr fu;e vf/kdfFkr djrs gSa fd flfoy eke;ksa esa iufoZyksdu flfoy çfØ;k lafgrk] 1908 ds vkns'k 47 fu;e 1 esa fofufnZ"V vk/kkjksa esa ls fdlh ij fd;k tk ldrk gS ftldk iBu fuEufyf[kr gS%*

vkns'k 47 fu;e 1:

*"1. **fu.k; ds iufoZyksdu ds fy, vkosnu-**&(1) tks dksbZ O;fDr&*

(a) fdlh ,slh fMØh ;k vkns'k ls ftldh vihy vuqKkr gS fdUrq ftldh dksbZ vihy ugha dh xbZ gS]

(b) fdlh ,slh fMØh ;k vkns'k ls ftldh vihy vuqKkr ugha gS] vFkok

(c) y?kqokn U;k;ky; }kjk fd, x, fufnZ'k ij fofu'p; ls]

viuk dksbZ O;fFkr le>rk gS vkSj tks ,slh ubZ vkSj egRoiw.kZ ckr ;k lk{; ds irk pyus ls tks lE;d rRijrk ds ç;ksx ds i'pkr mlds Kkule; tc fMØh ikfjr dh xbZ Fkh ;k vkns'k fd;k x;k Fkk] mlds Kku esa ugha Fkk ;k mlds }kjk i'k ugha fd;k tk ldrk Fkk] ;k fdlh Hkwy ;k xyrh ds dkj.k tks vfHkys[k ds n`';eku ls gh çdV gksrh gks ;k fdlh vU; i;kZIr dkj.k ls og pkgrk gS fd mlds fo#) ikfjr fMØh ;k fd, x, vkns'k dk iufoZyksdu fd;k tk,] og mls U;k;ky; ls fu.k; ds iufoZyksdu ds fy, vkosnu dj ldxk ftlus og fMØh ikfjr dh Fkh ;k og vkns'k fd;k FkkA

(2) og i{kdkj tks fMØh ;k vkns'k dh vihy ugha dj jgk gS] fu.k; ds iufoZyksdu ds fy, vkosnu bl ckr ds gksrs gq, Hkh fd fdlh vU; i{kdkj }kjk dh xbZ vihy yfEcr gS og;k ds flok; dj ldxk tgka ,slh vihy dk vk/kkj vkosnd vkSj vihykFkhZ nksuksa ds chp lkekU; gS ;k tgka çR;FkhZ gksrs gq, og vihy U;k;ky; esa og ekeyk mifLFkr dj ldrk gS ftlds vk/kkj ij og iufoZyksdu ds fy, vkosnu djrk gSA

***Li"Vhdj.k-**&;g rF; fd fdlh fof/k ds ç'u dk fofu'p; ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vk/kkfjr gS] fdlh vU; ekeys esa ofj"B U;k;ky; ds i'pkrorhZ fofu'p; }kjk myV fn;k x;k gS ;k mikUrfjr dj fn;k x;k gS] mls fu.k; ds iufoZyksdu ds fy, vk/kkj ugha gksxkA*"*

27. vud ekeyksa esa iwoZDr çko/kkuksa dh O;k[;k dh x;h gSA ge mue ls dN ij xkSj djsxA ,lO ukxjkt cuke dukZVd jkT; esa bl U;k;ky; us jktk iFoh pnyky pk/kjh cuke l[kjkt jk; vkSj jktUn ukjk;.k jk; cuke fot; xkfoUn flag esa fu.k;ksa dks fufnZ"V fd;k vkSj lçf{kr fd;k% (,lO ukxjkt ekeys] SCC pp. 619-20 para 19)

*"19. **iufoZyksdu ls vf{kj'k% vkSj U;kf;d :i ls Hkh vfHkçsr gS iuijh{k.k vFkok iufopkjA** blls vfufgr eyn'ku ekuo nks"k{kerk dk lkoHkkSe Lohdj.k gSA fQj Hkh] fof/k ds {ks= esa U;k;ky; vkSj lfof/k;k Hkh fof/kr% ,o lefpr :i ls ikfjr fu.k; dh vfrerk ds i{k esa etcrh ls >dr gSA Hkwyo'k gbZ =fV vFkok ?kkj vU;k; lk/kku ds fy, lkfof/kdr% ,o U;kf;dr% nksuks viokn dk vyx dj fudkyk x;k gSA rc Hkh tc lkfof/kd çko/kku ugha Fkk vkSj mu ifjfLFkfr;k ftuesa U;k;ky; viu vkn'kk dk ifj'k) dj ldrk Fkk dk mifnf'kr dju oky fu;ek dk mPpre U;k;ky; }kjk fojfpr ugha fd;k x;k Fkk] U;k;ky;k u çfØ;k ds n#i;ksx vFkok ?kkj vU;k; ls cpu ds fy, ,slh 'kfDr dk vyx dj fudkyk gSA **jktk iFohpn yky pk/kjh cuke l[kjkt jk; esa bl U;k;ky;***

u lçf{kr fd;k fd ;|fi mPpre U;k;ky; dk viu vkn'k dk iufoZykdu dju dh vuefr nr g, fu;e fojfpr ugh fd;k x;k Fkk] fQj Hkh ;g fçoh dkmfUly ,o gkÅl vkQ ykMZl }kjk fodflr lhfer ,o ldfpr vkèkkj ij miyCèk FkkA U;k;ky; u jktUnj ukjk;.k jk; cuke fot; xkfoUn flg e fçoh dkmfUly }kjk vfèkdfFkr fl)kr dk vueknu fd;k fd U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k vfre Fkk vkj ifjofrr ugh fd;k tk ldrk Fkk] (jktUnj ukjk;.k jk; ekeyk MIA p. 216)

^-------;fn fu.k; nu e Hky&pd l xyrh gk x;h g] ; U;k;ky;] lkekU; (dkeu) fofèk }kjk] ogh 'kfDr j[kr g tk vfHky[k ,o lfofèk d U;k;ky; xyfr;k] tk lek x;h g] dk ifj'k) dju d fy, j[kr g-----gkÅl vkQ ykMZl Lo; viu fu.k;k dk fy[k tku e dh x;h xyfr;k dk ifj'k) dju dh le#i 'kfDr dk ç;kx djrk g] vkj bl U;k;ky; dk Hkh ogh çkfèkdkj j[kuk gkxkA fdr] ekuuh; U;k;kèkh'k ,d dne vkx x, g vkj fu.k;k d fooj.k e vuoèkkuh l ij%LFkkfir xyfr;k dk lèkkjk g(vFkok fMfØ;k dk çofrr fd, tku d fy, l{ke cuku gr Li"V =fV;k dh vkifr dh g] vFkok Li"Vhdj.kdkjh ekeyk tkMk g vFkok vlfxrk dk ey fcBk;k g*

mlh fu.k; e fuEufyf[kr :i l 'kfDr d ç;kx d vkèkkj dk dFku fd;k x;k Fkk%

^;g lng djuk vlHko g fd ,l ekeyk e inÙk vuxg e[;r% vfre lgkjk d U;k;ky; }kjk fd, tk jg vlèkk; vU;k; dk jkdu d fy, vfHkHkkoh LokHkkfod bPNk d dkj.k g tgk fdlh Hky d pyr fdlh nk"k d fcuk i{k dk ugh luk x;k g vkj vuoèkkurkiod vkn'k ikfjr fd;k x;k g ekuk i{k dk luk x;k FkkA

bl çdkj] vkn'k dh ifj'kf) bl ey fl)kr l mnHkr gkrh g fd U;k; lokifj gA bldk ç;kx xyrh gVku d fy, fd;k tkrk g vkj u u fd vfrerk vLr&0;Lr dju d fy,A tc lfoèkku fojfpr fd;k x;k Fkk] bl U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dk ifj'k) dju vFkok okil yu dh lkjoku 'kfDr lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fofufn"Vr% çkoèkkfur dh x;h FkhA gekj lfoèkku fuekrkvk ftud ikl ,l çkoèkku dh çHkko'khyrk ifjdfYir dju dh 0;ogkfjd cf)eÙkk Fkh u vfHk0;Dr :i l lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fdlh fu.k; vFkok vkn'k dk iufoZykdu dju dh lkjoku 'kfDr çnÙk fd;k FkkA vkj vuPNn 145 d [kM (C) u 'krk ftud vè;èkhu fdlh fu.k; vFkok vkn'k dk iufoZykdu fd;k tk ldrk g d çfr fu;ek dk fojfpr dju dh vuefr bl U;k;ky; dk fn;k gA bl 'kfDr d ç;kx e bl U;k;ky; dk vkn'k 47 fu;e 1 d ln'k vkèkkjk ij flfoy dk;okgh e vkn'k iufoZykfdr dju d fy, bl U;k;ky; dk l'kDr cukr g, vkn'k 40 fojfpr fd;k x;k FkkA bl [kM e vfHk0;fDr ^fdlh vU; i;klr dkj.k l* dk foLrkfjr vFk fn;k x;k g vkj ifjfLFkfr;k dh lPph voLFkk dh dvk'kdk d vèkhu ikfjr fMØh vFkok vkn'k 'kfDr d ç;kx d fy, i;klr dkj.k d :i e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA lokPp U;k;ky; fu;ekoyh d vkn'k 40 fu;e 1 d vfrfjDr bl U;k;ky; dk ,l vkn'kk dk ikfjr dju dh vrfufgr 'kfDr g tl k U;k; d fgr e vFkok U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vko';d gk ldrk gA bl çdkj] bl U;k;ky; dk Lo; viuk vkn'k okil yu vFkok iufoZykfdr dju l vioftr ugh fd;k x;k g ;fn ;g lr"V g fd U;k; d fy, ,lk djuk vko';d gA**

28. ekju ekj clfy;kl dFkkfyDl cuke ekLV jojUM ekj ikykt vFkkukfl;l e f=&U;k;kèkh'k U;k; ihB u Vkoudkj flfoy çfØ;k lfgrk d çkoèkkuk dk fufn"V

fd;k tk lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d le#i Fkk vkj lçf{kr fd;k% (AIR 538 para 32)

*"32. ......**;g tkj nuk vuko';d g fd iufoykdu d vkonu dk foLrkj vihy d foLrkj dh ryuk e dkQh vfèkd fucfèkr gA** Vkoudkj flfoy çfØ;k lfgrk d çkoèkkuk] tk flfoy çfØ;k lfgrk] 1908 d vkn'k 47 fu;e 1 d fucèkuk d le#i g] d vèkhu iufoykdu U;k;ky; d ikl mle ç;Dr Hkk"kk }kjk fu;r fu'p;kRed lhekvk }kjk ifjlhfer doy lhfer vfèkdkfjrk gA*

*;g rhu fofufn"V vkèkkjk ij ifufoykdu dh vuefr n ldrk g vFkkr (i) u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dk [kkt tk lE;d rRijrk d i;kx d ckn vkond dh tkudkjh d vrxr ugh Fkk vFkok ftl mld }kjk çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc og fMØh ikfjr dh x;h Fkh] (ii) xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV vkj** (iii) dkb vU; i;klr dkj.kA*

U;kf;d dfeVh }kjk ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd 'kCnk ^dkb vU; i;klr dkj.k dk vFk gkxk ^vkèkkjk* ij i;klr dkj.k] de l de fu;e e fofufn"V vkèkkjk d ln'k dkj.k (n[k NTt jke cuke udh)A U;kf;d dfeVh }kjk ;g fu"d"k fo'k'oj çrki 'kkgh cuke ijFk ukFk e nkgjk;k x;k Fkk vkj gfj 'kdj iky cuke vuFk ukFk feUkj] FC at pp-110-11, e gekj l?kh; U;k;ky; }kjk viuk;k x;k FkkA bl vihy d leFku e mifLFkr gku oky fo}ku vfèkoDrk iokDr lhferrkvk dk ekU;rk nr g vkj fuonu djr g fd mudk ekeyk ^xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV* vFkok mld ln'k fdlh vkèkkj d vrxr vkrk gA***

29. rxHknk bMLVht fyO cuke vkèk in'k ljdkj e] f=&U;k;kèkh'k] U;k;ihB u nkgjk;k fd iufoykdu dh 'kfDr vihyh; U;k;ky; dh 'kfDr d ln'k ugh g vkj lçf{kr fd;k% (AIR p. 1377, para 11)

*"11. ....**iufoykdu fdlh Hkh :i e Nneo"k e vihy ugh g ftld }kjk xyr fu.k; iu% luk vkj lèkkjk tkrk g cfYd doy Li"V xyrh d fy, fd;k tkrk gA** ge ugh le>r g fd ;g bl fHkUurk ij lokxh.k :i l vFkok vR;Ur foLrkjiod fopkj dju d fy, mi;Dr volj çnku djrk g] fdr gekj fy, bruk dguk i;klr gkxk fd tgk fdlh foLrr rd d fcuk dkb Hkh xyrh bfxr dj ldrk Fkk vkj dg ldrk Fkk fd ;gk fofèk dk lkjoku fcn g tk fcYdy Li"V g vkj bld ckj e ;fDr;Dr :i l nk erk dk xg.k ugh fd;k tk ldrk Fkk] vfHky[k l idV =fV dk Li"V ekeyk cuk;k tk,xkA***

30. vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e bl U;k;ky; u bl ç'u fd D;k mPp U;k;ky; lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ikfjr vkn'k dk iufoykdu dj ldrk g] dk ldkjkRed mÙkj fn;k vkj ;g lçf{kr dju d fy, vxlj gvk% (SCC p. 390 para 3)

*"3. ...... fdr] iufoykdu 'kfDr d ç;kx d çfr fu'p;kRed lhek, gA **iufoykdu 'kfDr dk ç;kx u, ,o egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ij fd;k tk ldrk g tk lE;d rRijrk l dk; dju d ckn Hkh iufoykdu bfllr dju oky 0;fDr dh tkudkjh e ugh Fk vFkok ftUg ml le; ij çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fn;k x;k Fkk] bldk ç;kx ogk fd;k tk ldrk g tgk dN xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV ik;h x;h g(bldk ç;kx fdlh ln'k vkèkkj ij fd;k tk ldrk gA fdr] bldk ç;kx bl vkèkkj ij ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkx.k ij xyr FkkA og vihy d U;k;ky; dk {k= gkxkA***

iufoykdu 'kfDr dk vihyh; 'kfDr d lkFk lHkfer ugh fd;k tkuk g tk fdlh vihyh; U;k;ky; dk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dh x;h leLr rjhdk dh xyfr;k dk lgh dju d fy, l{ke cuk ldrh gA

XX XX XX

32. ifl;k noh cuke lfe=h noh e U;k;ky; u lçf{kr fd;k% (SCC p. 719 para 9)

"9. ....dkb xyrh tk Lo;fl) ugh g vkj ftldk irk rd dh çfØ;k }kjk yxk;k tkuk gkxk 'kk;n gh vfHky[k l idV =fV dgh tk ldrh g tk lhO ihO lhO d vkn'k 47 fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh bldh 'kfDr d ç;kx d fy, U;k;ky; dk U;k;kfpr Bgjk,------- ***;g lno Lej.k j[kuk gkxk fd iufoykdu ;kfpdk dk lhfer ç;ktu g vkj bl ^Nneo"k e vihy* gku ugh nh tk ldrh gA****

33. fyyh Fkkel cuke Hkkjr l?k e] vkjO ihO lBh] U;k;efr tk ,lO lxhj vgen] U;k;efr d lkFk lger g, Fk] u fuEufyf[kr 'kCnk e iufoykdu 'kfDr dk lf{klr fd;k g% (SCC p. 251 para 56)

"56. ...... ***,lh 'kfDr;k dk ç;kx 'kfDr d ç;kx ij fopkj dju okyh lfofèk dh lhekvk d vrxr fd;k tk ldrk gA iufoykdu Nneo"k e vihy d :i e ugh ekuk tk ldrk gA fo"k; ij nk nf"Vdk.kk dh lHkkouk ek= iufoykdu dk vkèkkj ugh gk ldrh gA*** *tc ,d ckj iufoykdu ;kfpdk [kkfjt dh tkrh g] vkx fdlh iufoykdu ;kfpdk dk xg.k ugh fd;k tk ldrk gA ogÙkj ihBk dh ckè;dkjh çÑfr dh çFkk dk vulj.k dju vkj leku l[;k dh lefUor vfèkdkfjrk d ihBk }kjk fHkUu nf"Vdk.k ugh yu d fofèk d fu;e dk vulj.k djuk gkxk vkj 0;ogkj e ykuk gkxkA***

34. gfjnkl cuke m"kk jkuh ckfud e U;k;ky; u lçf{kr fd;k% (SCC p. 82 Para 13)

"13. ..... ***lhO ihO lhO d vkn'k 47 e ekinM fofgr fd, x, g vkj bl okn d ç;ktu l çfrokn dk dN xyrh vFkok vfHky[k l idV =fV d dkj.k vFkok fdlh vU; i;klr dkj.k l* iuluokb ij tkj nu dh vuefr nh tkrh gA*** *fu;e dk igyk Hkkx vkond ij vfèkjki.kh; fLFkfr ij fopkj djrk g vkj ckn okyk Hkkx fofèkxr dkjokb ;g tk Li"V :i l xyr g vFkok ftu ij nk fu"d"k lHko ugh gA* ***mue l dkb Hkh fookn dh iulunokb çfrikfnr ugh djrk g D;kfd fdlh i{k u ekey d leLr igyvk mtkxj ugh fd;k vFkok muij vkj Hkh cyiod rd dj ldrk Fkk vkj@vFkok ckè;dkjh iofu.k;k dk m)r dj ldrk Fkk vkj rn}kjk vudy fu.k; dk vkuUn y ldrk FkkA****

35. if'pe cxky jkT; cuke dey luxIrk e] U;k;ky; u bl ç'u ij fopkj fd;k fd D;k ç'kklfud vfèkdj.k vfèkfu;e] 1985 d vèkhu LFkkfir vfèkdj.k viu fu.k; dk iufoykdu dj ldrk g vkj ml vfèkfu;e dh èkkjk 22 (3), dN U;kf;d io fu.k;k dk fufn"V fd;k vkj lçf{kr fd;k% (SCC p. 633 para 21-22)

"21. bl pj.k ij ;g lçf{kr djuk mi;Dr g fd tc u, ekey vFkok lk{; d [kkt d vkèkkj ij iufoykdu bfllr fd;k tkrk g] ,lk ekeyk vFkok lk{; çklfxd gkuk gkxk vkj ,l pfj= dk gkuk gkxk fd ;fn bl çLrr fd;k x;k gkrk] ;g fu.k; cny n ldrk FkkA nlj 'kCnk e] u, vFkok egRoi.k ekey vFkok lk{; dh [kkt ek= vfèkdkjr% iufoykdu d fy, i;klr vkèkkj ugh gA

doy ;gh ugh] iufoykdu bfIlr dju oky i{k dk ;g Hkh n'kkuk gkxk fd ,Ik vfrfjDr ekeyk vFkok Ik{; mIdh tkudkjh e ugh Fkk vkj IE;d rRijrk d ç;kx d ckn Hkh bI igy U;k;ky; d Ie{k çLrr ugh fd;k tk Idk FkkA

22. 'kCn ^xyrh vFkok çdV xyrh Lo; viu x.kkFk }kjk vfHkçk; crkrh g ,d ,Ih xyrh tk vfuok;r% ekey d vfHky[k I Li"V g vkj ftId rF;k vFkok fofèkd voLFkk dk foLrkjiod ijh{k.k] Ioh{k.k ,o 0;k[;k dju dh vko';drk ugh gA ;fn xyrh Lo;fI) ugh g vkj bIdk irk yc okn&fookn vkj rd dh çfØ;k }kjk yxku dh vko';drk g] bI IhO ihO IhO d vkn'k 47 fu;e 1 vFkok vfèkfu;e dh èkkjk 22 (3) d ç;ktu I vfHky[k I idV =fV d :i e ugh ekuk tk Idrk gA* ***fHkUu :i I dgr g,] vkn'k vFkok fu.k; ek= bIfy, Ièkkjk ugh tk Idrk g D;kfd ;g fofèk e xyr g vFkok bI vkèkkj ij fd U;k;ky;@vfèkdj.k }kjk rF; vFkok fofèk d fcn ij fHkUu nf"Vdk.k fy;k tk Idrk FkkA fdIh Hkh fLFkfr e] iufoykdu 'kfDr dk ç;kx djr g, U;k;ky;@vfèkdj.k viu fu.k; ij vihy e ugh cB Idrk gA*** *(tkj fn;k x;k)*

10. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण इस पुनर्विलोकन आवेदन में गुणागुण नहीं है और इसलिए एतद् द्वारा इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सुरेन्द्र कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 30 of 2004. Decided on 9th April, 2015.

आर॰ सी॰ केस संख्या 23(A)/95(D) में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰–सह–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988–धाराएँ 7 एवं 20–अवैधानिक परितोषण–अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवैधानिक परितोषण की मांग अनिवार्य है–दागदार धन की बरामदगी मात्र अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तात्विक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है–जबतक कि रिश्वत का भुगतान सिद्ध करने के लिए या यह दर्शाने के लिए अकाट्य साक्ष्य न हो कि धन रिश्वत के तौर पर स्वैच्छिक रूप से लिया गया था, अवैधानिक परितोषण की तौर पर राशि की मांग करने तथा स्वीकरण के संबंध में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त द्वारा राशि की प्राप्ति मात्र दोष तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है–तथापि, धारा 20 के अधीन उठायी गयी सांविधिक उपधारणा की दृष्टि में, अभियुक्त पर प्रत्यक्ष रूप से या परिस्थितिजन्य रूप से युक्तिसंगत अधिसंभाव्यता के साथ यह सिद्ध करने का भार होता है कि धारा 7 में यथा निर्दिष्ट हेतु या पुरस्कार से इतर किसी वस्तु के तौर पर उसके द्वारा धन स्वीकार किया गया था परन्तु अभियुक्त से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करने के पहले कि प्रश्नाधीन राशि उसके पास कैसे पायी गयी थी, आधारभूत तथ्य को सिद्ध करना अभियोजन का कर्त्तव्य है। (पैरा 9)

(ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988–धाराएँ 7 एवं 13(i)(d) सह-पठित धारा 13(2)–अवैधानिक परितोषण–दोषसिद्धि–अपीलार्थी को परिवादी के दावा आवेदन की छानबीन करने का कार्य सौंपा गया था–अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य रिश्वत की मांग करने तथा दागदार धन की बरामदगी के बिन्दु पर सुसंगत है–जब यह सिद्ध कर दिया गया है कि धन का स्वैच्छिक रूप से सचेत रहते स्वीकरण हुआ था, अभियोजन पर प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा मांग या हेतु को सिद्ध करने का कोई अतिरिक्त भार नहीं होता है, बल्कि विशिष्ट मामले में प्राप्त तथ्यों तथा परिस्थितियों से इसका निष्कर्ष निकालना होता है–जब राशि को लोक सेवक को अंतरित किया गया पाया जाता है, यह सिद्ध करने का भार लोकसेवक को होता है कि यह अवैधानिक परितोषण के तौर पर नहीं था–अपीलार्थी द्वारा इस भार का उन्मोचन नहीं किया गया है–गवाहों की प्रतिपरीक्षा के दौरान अपीलार्थी द्वारा जाल में फंसाने की कार्यवाहियों को भी चुनौती नहीं दी गयी है–अपीलार्थी की पतलून की जेब से दागदार नोटों की बरामदगी तथा यह तथ्य कि अपीलार्थी के हाथ गुलाबी पड़ गये थे जब इन्हें सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया था, इसके स्पष्ट तथा सकारात्मक संकेत है कि अपीलार्थी ने उन दागदार नोटों को स्वीकार किया था जिन्हें परिवादी से प्राप्त करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था–अपलार्थी ने ऐसी कोई परिस्थिति निर्दिष्ट नहीं की है कि उसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जाने के कारण जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी, अपीलार्थी को कोई प्रतिकूलता कारित हुई है–अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिपुष्ट करते हुए, विलम्ब तथा अपीलार्थी की वृद्धावस्था की दृष्टि में, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश घटाकर उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक किया गया। (पैराएँ 14, 17 एवं 19)

निर्णयज विधि.–(2009) 6 SCC 583; 1971 [Cr.L.J. 1615 (Delhi); 2002 Cr.L.J. 3059 (Bombay)—Referred; 1995 AIR SCW 3477; 1995 Cr.L.J. 3988—Distinguished; (2000) 8 SCC 571; (2000) 9 SCC 752; 2004 (2) East Cr. C. 235 (SC); (2004) 5 SCC 230—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, A.K. Sahani, Amrita Banerjee, For the Appellants; Mr. Abhishek Kumar, For the State; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

निर्णय

अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार सिंह की विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰-सह-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद के न्यायालय द्वारा आर॰ सी॰ केस सं॰ 23(A)/95(D) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धाराओं 7 एवं 13(i)(d) सह-पठित धारा 13(2) के अधीन दोषसिद्धि की गयी थी, जिसके द्वारा तथा जिसके अधीन अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पूर्वोक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्धि की गयी है तथा अतिरिक्त कारावास भुगतने के व्यतिक्रम के खंडों समेत प्रत्येक आधार पर धारा 7 के अधीन तथा धारा 13(2) के अधीन एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है।

2. अपीलार्थी की व्यथा का मूल्यांकन करने के लिए, सुसंगत तथ्य, जो एक संकीर्ण परिधि में हैं, इसमें नीचे दिये गये हैं:–

जोगीडीह खान, गोबिन्दपुर क्षेत्र, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद में कैप लैंप हेल्पर के तौर पर कार्यरत किसी रतन नपित (अ॰ सा॰ 9) द्वारा आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद के समक्ष दाखिल दिनांक 27.12.1995 के एक लिखित परिवाद के आधार पर, वर्तमान मामला संस्थित किया गया था इस अभिकथन पर कि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने मौजा बरमसिया, बरोड़ा के परिवादी की संयुक्त परिवार की जमीन अधिगृहित की गई है तथा यद्यपि जमीन की कीमत देकर उसके पिता को मुआवजा दिया गया था परन्तु

परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया था परन्तु चूँकि परिवादी पहले से ही नौकरी में था, उसके पिता ने उसके बहनोई सुधीर कुमार नपीत का नाम नौकरी के लिए प्रस्तावित किया था तथा सभी अपेक्षित कागजात बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, बरोड़ा क्षेत्र के कार्यालय में जमा करा लिये गये थे तथा अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार सिंह (संक्षेप में 'एस॰ के॰ सिंह॰') के कार्यालय में लंबित थे, जो बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद के बरोड़ा क्षेत्र-I के परिसंपदा विभाग में राजस्व निरीक्षक था। उक्त एस॰ के॰ सिंह ने मामले में हुई प्रगति के बारे में पूछताछ किये जाने पर परिवादी के बहनोई की नौकरी से संबंधित कागजात की जांच पड़ताल करने के लिए उससे अवैधानिक परितोषण के रूप में दो हजार रुपये की मांग की थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि अंतत: 26.12.1995 को जब अ॰ सा॰ 9 ने उससे भेंट की थी, उसने मामले में आगे बढ़ने से सीधे ही इनकार कर दिया था जबतक की धन का भुगतान नहीं किया जाता है। चूँकि अ॰ सा॰ 9 रिश्वत की राशि का भुगतान करने में रूचि नहीं रखता था, प्रस्तुत परिवाद दाखिल किया गया था। तत्पश्चात्, आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰ ने सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद के निरीक्षक श्री ए॰ के॰ झा को परिवाद की जांच पड़ताल करने के लिए तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया था। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उक्त ए॰ के॰ झा ने पृथक रूप से सत्यापन करने के उपरान्त इसे सही तथा विशुद्ध पाते हुए 27.12.1995 को रिपोर्ट सौंपी थी। तत्पश्चात्, एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद के निर्देश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। दो स्वतंत्र गवाहों (अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3) एवं परिवादी (अ॰ सा॰ 9) के साथ धनबाद के सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त, 28.12.1995 को एक जाल बिछाया था। जाल बिछाये जाने के दौरान, अभियुक्त-अपीलार्थी परिवादी से 2,000/- रुपये का रिश्वत का धन लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था तथा 2,000/- रुपये की उक्त राशि उससे बरामद की गयी थी। सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के उपरान्त, स्वीकृति आदेश सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त किया गया था तथा अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था एवं आरोप विरचित किये गये थे जैसा कि ऊपर कथित किया गया है। आरोपों को अपीलार्थी को समझाया गया था जिनका उसने दोषी न होने का अभिवचन किया था एवं विचारण किये जाने का दावा किया था।

3. अभियोजन ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए विचारण के दौरान कुल मिलाकर 11 गवाहों को परीक्षित किया था जो निम्नवत् हैं:-

अ॰ सा॰ 1-हीरा लाल डे, इस गवाह ने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ क्षेत्र-I के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक के सचिव होने के नाते अपीलार्थी की अभियोजन के लिए अभियोजन आदेश के स्वीकृति आदेश को सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया है।

अ॰ सा॰ 2-विनय कुमार, जो जाल बिछाने वाले दल का का एक स्वतंत्र प्रच्छन्न गवाह था, ने सी॰ बी॰ आई॰ पदाधिकारी द्वारा जाल बिछाये जाने के पूर्व तथा उसके बाद की कार्यवाहियों का विस्तार से वर्णन दिया है।

अ॰ सा॰ 3-रामजी राम जो एक अन्य प्रच्छन्न गवाह है, ने भी जाल बिछाये जाने के पूर्व तथा पश्चातवर्ती कार्यवाहियों के संबंध में अभियोजन पक्ष को सम्पुष्ट किया है।

अ॰ सा॰ 4-बिम्लेन्दु दास रासायनिक विशेषज्ञ, सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, कलकत्ता में रासायनिक विशेषज्ञ है तथा उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 3 सिद्ध की है एवं अभिलेख, प्रदर्श 3 से यह प्रतीत होता है कि जब्त की गयी शीशे की चार बोतलें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गयी थी जिन्हें 164A, 164B, 164C तथा 164D के तौर पर अंकित किया गया था तथा परीक्षा के उपरान्त 164A, 164B, 164C तथा 164D के रूप में अंकित प्रत्येक बोलत की अंतर्वस्तुओं में फेनॉल्फ्थेलीन तथा सोडियम कार्बोनेट होने का पता चला था।

अ॰ सा॰ 5-अजय कुमार झा, जो सी॰ बी॰ आई॰ का इन्सपेक्टर है जिसने परिवादी रतन नपीत द्वारा दाखिल परिवाद याचिका के आधार पर सत्यापन रिपोर्ट सौंपी थी, भी जाल बिछाये जाने के पूर्व तथा पश्चात कार्यवाहियों का एक गवाह है।

अ॰ सा॰ 6-सुधीर नपीत परिवादी का बहनोई है।

अ॰ सा॰ 7–राम चन्द्र महतो भी अपीलार्थी के साथ वर्ष 1995 में इसी बरोड़ा क्षेत्र के परिसंपदा विभाग में राजस्व निरीक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था।

अ॰ सा॰ 8–मनोहर सिंह सुसंगत तिथि को बरोड़ा क्षेत्र में कार्मिक प्रबंधक (प्रशासन) के तौर पर पदस्थापित था तथा उसकी मौजूदगी में अ॰ सा॰ 2 विनय कुमार ने अपीलार्थी की जेब से दो हजार रुपये के दागदार नोटों को प्राप्त किया था।

अ॰ सा॰ 9–रतन नपीत परिवादी है तथा उसने परिवाद को सिद्ध किया है एवं इसका भी साक्ष्य दिया है कि किस प्रकार जाल बिछाया गया था तथा किस प्रकार अपीलार्थी ने उससे रिश्वत की मांग की थी एवं इसे प्राप्त किया था।

अ॰ सा॰ 10–अर्जुन सिंह, जो सहायक राजस्व निरीक्षक, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के तौर पर कार्यरत था, सुसंगत वर्ष 1995 में वहां पदस्थापित था तथा उसने बरमसिया मौजा में अधिगृहित जमीन का पत्र तथा मानचित्र प्रदान किया है।

अ॰ सा॰ 11–तपन ज्योति घोष इस मामले का अन्वेषण पदाधिकारी तथा जाल–पूर्व दल का सदस्य है।

4. अभियोजन साक्ष्य के समापन के उपरान्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का बयान अभिलिखित किया गया था तथा प्रत्येक तात्विक परिस्थिति के पृथक प्रश्न उसके समक्ष रखे गये थे जिनसे उसने यह कहकर इनकार किया था कि वह कभी भी बरोड़ा क्षेत्र–I, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में पदस्थापित नहीं था। अपीलार्थी ने यह भी कथित किया कि चूँकि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा इसका अधिग्रहण किये जाने के पहले परिवादी की जमीन बेच दी गयी थी, परिवादी का बहनोई किसी नौकरी का हकदार नहीं था तथा हाथों को कभी भी किसी के द्वारा नहीं धोया गया था एवं अपीलार्थी ने निर्दोष होने का भी दावा किया है।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समूचे साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 सह–पठित धारा 13 की आज्ञापक अपेक्षाओं, अर्थात्, अवैधानिक परितोषण की मांग करने, इसे स्वीकार करने तथा बरामदगी को अभियोजन द्वारा किसी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध किया गया है। अतएव अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया था जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ रॉय ने आक्षेपित निर्णय की वैधानिकता तथा शुद्धता की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि अवैधानिक परितोषण की मांग अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की गयी है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कराकर निवेदनों को विषदीकृत किया। विद्वान अधिवक्ता ने **शेख मकसुद बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 SCC 583** के निर्णय पर भी भरोसा करते हुए गंभीर रूप से तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का बयान दर्ज करते समय प्रत्येक तात्विक परिस्थिति पर उसके समक्ष पृथक प्रश्न नहीं रखे गये थे तथा अकेले इस आधार पर ही दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निर्णय की आलोचना करते हुए निवेदन किया कि जाल–पूर्व दल का सदस्य मामले का अन्वेषण पदाधिकारी नहीं हो सकता है परन्तु प्रस्तुत मामले में अ॰ सा॰ 11, जो मामले का अन्वेषण पदाधिकारी था, जाल–दल का नेतृत्व कर रहा था तथा अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **हरि देव शर्मा बनाम राज्य, [1971 Cr.L.J. 1615 (दिल्ली)]** तथा **त्र्यम्बक लीला जी बिन्नौर बनाम महाराष्ट्र राज्य [2002 Cr.L.J. 3059 (बम्बई)]** में रिपोर्ट किये गये निर्णयों पर भरोसा किया है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि उक्त अभिकथन के लिए अपीलार्थी, जो पहले ही एक महीने से अधिक की अवधि तक हिरासत में रह चुका है तथा अपनी नौकरी खो चुका है, ने लम्बे समय तक विचारण तथा अपील के लंबित रहने का भी कष्ट झेला है, अतएव, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश उपयुक्त रूप से घटकर पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक कर दिया जाय।

7. तत्प्रतिकूल, प्रत्यर्थी सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा अधिनियम की धाराओं 7 एवं 13 की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध किया गया है। आक्षेपित निर्णय के साथ हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा बयान अभिलिखित किये जाने के समय सभी सामग्रियां अपीलार्थी के समक्ष रखी गयी थीं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में यद्यपि कथित किया है कि वह कभी भी परिवादी के क्षेत्र में पदस्थापित नहीं था, परन्तु अपीलार्थी का यह अभिवाक् टिक नहीं सकता है। स्वीकृति आदेश (प्रदर्श 1) से यह स्पष्ट है कि सुसंगत तिथि को अपीलार्थी परिसम्पदा विभाग, क्षेत्र–I, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद में राजस्व निरीक्षक के तौर पर पदस्थापित था।

8. अब इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न इसको लेकर है कि क्या अवैधानिक परितोषण की मांग करने तथा स्वीकार करने का एक मामला, जो अधिनियम की धारा 7 सह–पठित धारा 13 के अधीन दोषसिद्धि बरकरार रखने के लिए अनिवार्य हैं, अभियुक्त के विरूद्ध बनता है तथा क्या विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोष का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित है?

9. इस मुद्दे पर विधि सुस्थापित है कि उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध का गठन करने के लिए अवैधानिक परितोषण की मांग अनिवार्य है। दागदार धन की बरामदगी मात्र अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तात्विक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। जबतक कि रिश्वत का भुगतान सिद्ध करने के लिए या यह दर्शाने के लिए अकाट्य साक्ष्य न हो कि धन रिश्वत के तौर पर स्वैच्छिक रूप से लिया गया था, अवैधानिक परितोषण के तौर पर राशि की मांग करने तथा स्वीकरण के संबंध में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त द्वारा राशि की प्राप्ति मात्र दोष तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उठायी गयी सांविधिक उपधारणा की दृष्टि में, अभियुक्त पर प्रत्यक्ष रूप से या परिस्थितिजन्य रूप से युक्तिसंगत अधिसंभाव्यता के साथ यह सिद्ध करने का भार होता है कि धारा 7 में यथा निर्दिष्ट हेतु या पुरस्कार से इतर किसी वस्तु के तौर पर उसके द्वारा धन स्वीकार किया गया था, परन्तु अभियुक्त से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करने के पहले कि प्रश्नाधीन राशि उसके पास कैसे पायी गयी थी, आधारभूत तथ्य को सिद्ध करना अभियोजन का कर्त्तव्य है।

10. स्थापित मत की दृष्टि में, अब मैं आधारभूत तथ्यों तथा जाल–पूर्व तथा जाल–पश्चात औपचारिकताओं से संबंधित तथ्यों के संबंध में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की जाँच करूँगा। इसके पहले, सुविधा की खातिर, समूचे अभियोजन साक्ष्य को दो हिस्सों में बांटा गया है। साक्ष्य का पहला भाग परिवाद के सत्यापन से संबंधित है, जो परिवादी द्वारा एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद के यहां दाखिल किया गया था। सी॰ बी॰ आई॰ के निरीक्षक, अ॰ सा॰ 5 अजय कुमार झा को परिवादी (अ॰ सा॰ 9) द्वारा किये गये परिवाद की अंतर्वस्तुओं का सत्यापन करने के लिए आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा निर्देश दिया गया था। इस गवाह ने परिसाक्ष्य दिया है कि परिवाद की सत्यता का सत्यापन करने के उपरान्त, उसने रिपोर्ट सौंपी थी तथा उक्त सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श 4 के तौर पर अंकित की गयी है जिसमें अभिकथन को सही तथा वास्तविक पाया गया था। तत्पश्चात्, इस मामले के अन्वेषण पदाधिकारी अ॰ सा॰ 11 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

साक्ष्य का दूसरा हिस्सा, जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जाल–पूर्व तथा जाल–पश्चात औपचारिकताओं से संबंधित है। किस प्रकार जाल बिछाया गया था; किस प्रकार बरामदगी की गयी थी तथा अपीलार्थी ने किस प्रकार अवैधानिक परितोषण दिया था। अ॰ सा॰ 2 विनय कुमार, जो जाल दल का सदस्य होने के नाते एक स्वतंत्र प्रच्छन्न (shadow) गवाह था ने समूची कार्यवाहियों के बारे में वर्णन दिया है; किस प्रकार जाल बिछाया गया था; किस प्रकार मांग की गयी थी; किस प्रकार धन

अभियुक्त–अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार सिंह के हवाले किया गया था तथा इसे किस प्रकार अ॰ सा॰ 11 के निर्देश पर अ॰ सा॰ 3 द्वारा बरामद किया गया था। गवाह ने परिसाक्ष्य दिया है कि सी॰ बी॰ आई॰ पदाधिकारीगण के आग्रह पर उसने 28.12.1995 को 9 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय का दौरा किया था जहां रतन नपीक (अ॰ सा॰ 9), परिवादी समेत 10–11 व्यक्ति पहले से ही थे, जिसका वहां मौजूद सभी व्यक्तियों से परिचय कराया गया था। परिवाद की अंतर्वस्तुओं को सभी व्यक्तियों के समक्ष पढ़ कर सुनाया गया था। अपने दायें हाथ से इसे स्पर्श करने के निर्देश के साथ एक व्यक्ति रामजी राम (अ॰ सा॰ 3) को एक दागदार कागज दिया गया था। तत्पश्चात्, उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोये गये थे जो गुलाबी रंग का बन गया था। उक्त घोल को एक बोतल में रखा गया था एवं वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा इसे सील तथा हस्ताक्षरित किया गया था। दागदार कागज को भी एक लिफाफे में रखा गया था। इस गवाह ने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि दो हजार रुपये के नोटों, जिन्हें परिवादी द्वारा लाया गया था, में भी पाऊडर लगाया गया था तथा उक्त धन को केवल अपीलार्थी की मांग करने पर इसे पेश करने के निर्देश के साथ परिवादी को लौटा दिया गया था। गवाह ने यह भी स्पष्टीकृत किया है कि एक प्रार्रंभिक ज्ञापन तैयार किया गया था तथा उक्त ज्ञापन में नोटों की संख्या दर्ज कर दी गयी थी। तत्पश्चात्, जाल–दल बरौड़ा क्षेत्र कार्यालय गया था तथा अपीलार्थी को उसके कार्यालय कक्ष में उपस्थित पाया था। परिवादी नतन नपीत अपीलार्थी के कार्यालय गया था। यह गवाह (अ॰ सा॰ 2) भी उसके पीछे गया था तथा दोनों अपीलार्थी के निकट खड़े थे। परिवादी ने अपने काम में हुई प्रगति के बारे में अपीलार्थी से पूछा था जिसपर अपीलार्थी ने धन की मांग की थी। परिवादी (अ॰ सा॰ 9) ने उसकी मांग तथा सवाल का जवाब हाँ में दिया था तथा अपीलार्थी को दागदार करेंसी नोट सौंप दिये थे, जिसने इसकी गणना करने के उपरान्त अपनी पतलून की जेब के अंदर रख दिया था। उसके बाद, अ॰ सा॰ 9 तथा गवाह कमरे के बाहर आ गये थे तथा जांच दल को इशारा किया था। परिणामत:, सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारीगण कार्यालय में प्रवेश कर गये थे एवं अपीलार्थी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था। परिवादी (अ॰ सा॰ 9) ने सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों को सूचित किया था कि अपीलार्थी ने अपनी जेब में धन रखा है जिसके उपरान्त सी॰ बी॰ आई॰ पदाधिकारियों के निर्देश पर रामजी राम (अ॰ सा॰ 3) ने अपीलार्थी की पतलून की जेब से रिश्वत का धन निकाल लिया था तथा इनका प्रार्रंभिक ज्ञापन में दर्ज नोटों की श्रृंखला से मिलान कराया गया था। दागदार नोटों को एक पृथक लिफाफे में रखा गया था तथा जाल दल के सदस्यों द्वारा सील किया गया था तथा उन सभी ने अपने हस्ताक्षर किये थे। इस गवाह ने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि इसके उपरान्त अपीलार्थी के हाथों तथा पतलून की जेब को घोल में डुबाया गया था एवं धोया गया था एवं घोल का रंग गुलाबी बन गया था। घोलों को पृथक रूप से तीन बोतलों में रखा गया था तथा वहां पर मौजूद जाल दल के सभी सदस्यों द्वारा इन्हें सील तथा हस्ताक्षरित किया गया था। तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान इस गवाह ने कथित किया है कि जब सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारीगण कमरे में प्रवेश किये थे, वह बरामदा में खड़ा था।

11. अ॰ सा॰ 3 रामजी राम ने जाल पूर्व औपचारिकताओं के दौरान उठाये गये कदमों की सम्पुष्टि करते हुए यह भी अभिपुष्ट किया है कि वह जाल–दल के साथ बरौड़ा क्षेत्रीय कार्यालय की ओर बढ़ गया था एवं सुरेन्द्र कुमार सिंह को उसके कार्यालय में बैठा हुआ पाया था। पहले परिवादी रतन नपीत उससे मिला था तथा इसके बाद अ॰ सा॰ 2 विनय कुमार आया था एवं यह गवाह बरामदा पर खड़ा रहा था। कुछ समय के उपरान्त विनय कुमार आया था एवं सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार इशारा किया था तथा तत्पश्चात् वह सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों के साथ अपीलार्थी के कार्यालय में प्रवेश कर गया था एवं अपीलार्थी को सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों द्वारा चुनौती दी गयी थी। अपीलार्थी ने अपना दोष मान लिया था। तत्पश्चात्, सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों ने अपीलार्थी के हाथों को पकड़ लिया था एवं कार्यालय के प्रबंधक (अ॰ सा॰ 8) को बुलाया गया था एवं उसकी मौजूदगी में सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों के निर्देश पर इस गवाह ने अपीलार्थी की दायीं जेब से रिश्वत का धन बाहार निकाल

लिया था। नोटों पर उल्लिखित संख्याओं का मिलान किया गया था एवं एक पृथक लिफाफे में उन्हें रख दिया गया था। इस गवाह ने भी उक्त लिफाफे पर अपना हस्ताक्षर किया था। इस गवाह ने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी के दोनों हाथों को तीन पृथक बोतलों में रखे गये विलयन में डुबोया गया था एवं घोल का रंग गुलाबी बन गया था। अपीलार्थी की पतलुन की दायीं जेब को भी घोल में डुबोया गया था एवं उक्त घोल भी गुलाबी बन गया था एवं घोल से भरी सभी बोतलों को सील कर दिया गया था तथा वहां पर मौजूद सभी व्यक्तियों द्वारा उसपर हस्ताक्षर किया गया था। इस गवाह को विस्तृत प्रतिपरीक्षा के अध्यधीन किया गया था परन्तु बचाव पक्ष द्वारा उससे कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था, अपितु प्रतिपरीक्षा के दौरान इस गवाह ने भी अभिपुष्ट किया था कि पहले रतन नपीत कमरे के अंदर आया था जिसके बाद अ॰ सा॰ 2 विनय कुमार आया था। जाल-दल के अन्य सदस्य बाहर खड़े थे। इस गवाह ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया था कि कमरे के अंदर क्या हुआ था। अ॰ सा॰ 5 अजय कुमार झा तथा इस मामले के अन्वेषण पदाधिकारी अ॰ सा॰ 11 तपन ज्योति घोष, जो छापा मारने वाले जाल दल के दो सदस्य हैं, ने सुसंगत रूप से जाल-पूर्व तथा जाल-पश्चात औपचारिकताओं से संबंधित अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्यों का सम्पोषण किया है। अ॰ सा॰ 8 मनोहर सिंह, जो सुसंगत तिथि को कार्मिक प्रबंधक (प्रशासन) बरोड़ा क्षेत्र के रूप में पदस्थापित था, ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि सी॰ बी॰ आई॰ पदाधिकारियों में से एक श्री घोष उसकी चैंबर में 9.30 बजे पूर्वाह्न में आया था तथा उसे रिश्वत लेते हुए सुरेन्द्र कुमार सिंह (अपीलार्थी) की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया था जिसके बाद वह परिसम्पदा विभाग के कार्यालय के निकट स्थित कमरे में साथ गया था एवं उसकी मौजूदगी में जाल-दल के सदस्यों में से एक, अर्थात्, किसी कुमार ने अपीलार्थी से दागदार नोट बरामद किये थे जिनका ज्ञापन में प्रविष्ट संख्याओं के साथ मिलान किया गया है। इस गवाह ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि दो हजार रुपये बरामद किये गये थे तथा लिफाफे में उन्हें रखा गया था एवं इसे सील कर दिया गया था। इस गवाह ने यह अभिपुष्ट करते हुए कि अपीलार्थी के हाथों को घोल में धोया गया था जो गुलाबी बन गया था एवं घोल एक पृथक बोतल में रखा गया था, यह भी सम्पुष्ट किया था कि अपीलार्थी के मेज, दराज तथा आलमारी में रखी गयी कुछ सूचिकाएं सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारियों द्वारा जब्त की गयी थी। जिसके उपरान्त अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी तथा उसपर उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त किया गया था। इस गवाह ने यह भी अभिपुष्ट किया है कि कार्तिक नपीत द्वारा दाखिल आवेदन, जिसे जांच पड़ताल के लिए अपीलार्थी एस॰ के॰ सिंह तथा किसी अर्जुन सिंह को पृष्ठांकित किया गया था, भी अपीलार्थी के कार्यालय से जब्त किया गया था।

12. परिवादी अ॰ सा॰ 9 रतन नपीत ने भी जाल-पूर्व तथा जाल-पश्चात औपचारिकताओं के अभियोजन पक्ष का पूर्णत: सम्पोषण किया है ऐसा कथित करते हुए कि सी॰ बी॰ आई॰ पदाधिकारी श्री घोष ने 100/- रुपये के बीस जी॰ सी॰ नोटों में पाउडर लगाने के उपरान्त इन्हें लौटा दिया था और उसे अभियुक्त-अपीलार्थी को केवल उसकी मांग किये जाने पर उसके हवाले करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात्, वह जाल-दल के साथ क्षेत्र सं॰ 1 की ओर बढ़ गया था एवं वह अभियुक्त-अपीलार्थी के चैंबर में प्रवेश किया था जिसके बाद विनय कुमार नामक एक आदमी आया था तथा सी॰ बी॰ आई॰ के अन्य पदाधिकारीगण बरामदा में खड़े थे। इस गवाह ने अपनी काम की प्रगति के बारे में अपीलार्थी से पूछा था, जिसपर अपीलार्थी ने धन की मांग की थी जिसके उपरान्त इस गवाह ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दागदार नोट दे दिये थे, जिसने इनकी गणना करने के उपरान्त अपनी जेब में रख लिया था। गवाह ने यह भी अभिपुष्ट किया है कि वह बाहर आ गया था एवं इशारा किया था जिसके उपरान्त सी॰ बी॰ आई॰ का दल कमरे में प्रवेश कर गया था एवं अपीलार्थी के हाथों को पकड़ लिया था तथा मनोहर सिंह (अ॰ सा॰ 8) की उपस्थिति में दागदार धन बरामद किया गया था।

13. इस चरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धन की मांग के बिन्दु पर साक्ष्य विश्वसनीय तथा अकाट्य नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान परिसाक्ष्य दिया है कि

जब सी॰ बी॰ आई॰ के पदाधिकारीगण कमरे के अंदर गये थे, वह बाहर बरामदे में खड़ा था। यहां पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि गवाह अ॰ सा॰ 2 ने अपनी प्रधान परीक्षा में स्पष्टत: कथित किया है कि पहले परिवादी रतन नपीत कमरे के अंदर गया था एवं उसके बाद वह गया था एवं उसके निकट खड़ा रहा था तथा उनकी बातचीत सुनी थी तथा जब सी॰ बी॰ आई॰ का दल कमरे के अंदर गया था, वह बरामदे में रहा था। अ॰ सा॰ 3 ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि रतन नपीत के कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद, उसके पीछे अ॰ सा॰ 2 विनय कुमार आया था। साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि दागदार नोटों की बरामदगी के समय कई गवाह मौजूद थे। अभियोजन साक्षीगण अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 5, अ॰ सा॰ 8, अ॰ सा॰ 9 एवं 11 द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है।

14. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क विश्वास उत्पन्न करने वाला प्रतीत नहीं होता है। इसपर विवाद नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को परिवादी के दावा आवेदन की जांच पड़ताल करने का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में, अपीलार्थी ने इनकार किया है कि वह कभी भी संबद्ध क्षेत्र में पदस्थापित था परन्तु उक्त इनकार अ॰ सा॰ 8 द्वारा खंडित कर दिया गया है, जिसने स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया था कि परिवादी अ॰ सा॰ 9 द्वारा दाखिल आवेदन इस अपीलार्थी तथा एक अन्य राजस्व निरीक्षक अर्जुन सिंह के लिए चिन्हित कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 9 एवं अन्य पदाधिकारियों का परिवादी कार्तिक नपीत द्वारा दाखिल आवेदन पर स्पष्ट पृष्ठांकन (प्रदर्श 2/98) है। उक्त अर्जुन सिंह (अ॰ सा॰ 19) ने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि महाप्रबंधक, बरौड़ा क्षेत्र के यहां परिवादी कार्तिक नपीत द्वारा दाखिल आवेदन उसे तथा एस॰ के॰ सिंह को पृष्ठांकित किया गया था तथा क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री गोयल द्वारा एवं अ॰ सा॰ 8 द्वारा भी पृष्टांकन किये गये थे। इस गवाह ने अपने साक्ष्य के पैरा 5 में यह भी अभिपुष्ट किया है कि वह आर॰ सी॰ महतो तथा एस॰ के॰ सिंह के साथ क्षेत्र के राजस्व विभाग में पदस्थापित था तथा भूमि खोने वालों को नौकरी उपलब्ध कराने से संबंधित मामले से उसके द्वारा तथा एस॰ के॰ सिंह द्वारा निपटा गया था। स्वीकृति आदेश प्रदर्श 1 यह भी सम्पुष्ट करता है कि एस॰ के॰ सिंह (अपीलार्थी) सुसंगत तिथि को संबद्ध क्षेत्र में पदस्थापित था। रिश्वत की मांग तथा दागदार धन की बरामदगी के बिन्दु पर अ॰ सा॰ 2, 3, 5, 8, 9 एवं 11 के साक्ष्य सुसंगत हैं। साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि जब अ॰ सा॰ 9 ने अपीलार्थी से अपने काम के बारे में पूछताछ की थी, उसने दो हजार रुपये की मांग के बारे में उसे स्मरण कराया था इसके उपरान्त गवाह ने उसे बताया था कि उसने अपीलार्थी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार धन लाया है तथा उसकी मांग पर उसने उसे धन दे दिया था। जब यह सिद्ध हो जाता है कि धन का सचेत रूप से स्वैच्छिक स्वीकरण हुआ है, मांग या हेतु को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का कोई अतिरिक्त भार अभियोजन को नहीं होता है बल्कि विशिष्ट मामले में प्राप्त तथ्यों तथा परिस्थितियों से इसका निष्कर्ष निकाला जाना होता है। **मधुकर भाष्करराव जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2000) 8 SCC 571** के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^mièkkj.kk dk fu"d"k fudkyu d fy, rF;k ij tk vkèkkj fcUn fl) fd;k tkuk gkrk g og ;g g fd ifjrk"k.k dk Hkxrku ;k Lohdj.k gvk FkkA ,d ckj mDr vkèkkj fcUn fl) gk tku ij fu"d"k ;g fudyk tkuk g fd fdlh vkfèkdkfjd ÑR; dk dju d fy, ;k u dju d fy, ^gr ;k ijLdkj d rkj ij* mDr ifjrk"k.k dk Lohdkj fd;k x;k FkkA bl idkj ^ifjrk"k.k* 'kCn dk [khpdj ijLdkj dk vFk fudkyu dh vko';drk ugh g D;kfd ijLdkj mI mièkkj.kk dk ifj.kke gkrk g ftIdk fu"d"k U;k;ky; dk bu rF;ijd vkèkkj fcUnvk ij fudkyuk gkrk g fd ifjrk"k.k dk Hkxrku gvk FkkA ;g iu% ^ifjrk"k.k ;k dkb cgeY; oLr* ,d nlj l leku vFk j[ku okyh nk vfHkO;fDr;k dk voykdu dju l Hkh icyhÑr gkxkA vxj fdlh cgeY; oLr dk Lohdj.k bl mièkkj.kk dk fu"d"k fudkyu e lgk;rk dj ldrk g fd bl fdlh vkfèkdkfjd ÑR; dk dju d fy, ;k u dju d fy, gr ;k ijLdkj d rkj ij Lohdkj fd;k x;k Fkk]*

> *^ifjrk"k.k* 'kCn dk vko';d :i ls lnHk e ;g vfHkik; fudkyu d fy, ekuk tkuk g fd ykd lod] ftlu bls ikIr fd;k Fkk] dk lrk"k inku dju d fy, dkb Hkxrku fd;k x;k FkkA***

अपीलार्थी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि उक्त धन उसके द्वारा उस राशि के तौर पर स्वीकार किया गया था जिसे अ॰ सा॰ 9 से प्राप्त करने या एकत्रित करने का वह वैधानिक रूप से हकदार था या प्रश्नाधीन घटना घटित ही नहीं हुयी थी। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोमाराजू गोपाल कृष्णा मूर्ती, (2000) 9 SCC 752** के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब राशि लोक सेवक को अंतरित पायी जाती है, यह सिद्ध करने का भार लोक सेवक पर है कि यह अवैधानिक परितोषण के तौर पर नहीं था। प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी द्वारा इस भार का उन्मोचन नहीं किया गया है। गवाहों के प्रतिपरीक्षा के दौरान अपीलार्थी द्वारा जाल कार्यवाही को भी चुनौती नहीं दी गयी है। अपीलार्थी की पतलुन की जेब से दागदार नोटों की बरामदगी तथा यह तथ्य कि जब अपीलार्थी के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया था तब वह गुलाबी बन गये थे, स्पष्ट तथा सकारात्मक संकेत है कि अपीलार्थी ने जिन दागदार नोटों को स्वीकार किया था उन्हें उस अ॰ सा॰ 9 (परिवादी) से प्राप्त करने का उसके पास कोई प्राधिकार नहीं था। उक्त अधिनियम की धाराओं 7 एवं 13 की दो आज्ञापक अपेक्षाओं, अर्थात्, परितोषण की मांग तथा बरामदगी अभियोजन साक्षियों द्वारा सुसंगत रूप से सिद्ध की गयी हैं, अगर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विलोप या विसंगतियां हैं भी, यह समय गुजरने के कारण हैं। छापा वर्ष 1995 में मारा गया था जबकि गवाहों का साक्ष्य लगभग चार वर्ष उपरान्त वर्ष 1999 में अभिलिखित किये गये थे। समय गुजरने के कारण सत्यपूर्ण गवाहों के परिसाक्ष्य में विसंगतियों का आना अवश्यंभावी है। इस तात्विक मुद्दे पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए बचाव पक्ष के किसी तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण को पाने में मैं सक्षम नहीं रहा हूँ।

15. हरि देव शर्मा बनाम राज्य (ऊपर) एवं **त्र्यम्बक लीलाजी बिन्नौर बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** की दो निर्णयों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया था जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब छापा दल के कर्ता ने अन्वेषण पदाधिकारी की भूमिका ग्रहण कर ली है, ऐसे मामलों में सुरक्षित होगा अगर अन्वेषण जल्द से जल्द एक अन्य पदाधिकारी को सौंप दिया जाता है।

त्र्यम्बक लीलाजी बिन्नौर बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर) के उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि **1995 AIR SCW 3477 : (1995) Cr.L.J. 3988** में रिपोर्ट किये गये **मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के निर्णय पर भरोसा करते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दृष्टिकोण लिया गया था कि उसी पुलिस पदाधिकारी को, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके मामला दर्ज किया था, मामले का अन्वेषण नहीं करना चाहिए था। तथापि, **आरक्षी निरीक्षक के माध्यम से प्रतिनिधित्व किये गये राज्य बनाम वी॰ जयपाल** के मामले, जो **2004 (2) East.Cr.C. 235 (SC)** में रिपोर्ट किया गया था, समरूप स्थिति में यही मुद्दा उठाया गया था, जिसमें **मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** पर विचार करने के उपरान्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 5 एवं 11 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^5. ;|fi dkb lkfofèkd otu ugh g] ftl vkèkkj fcUn ij mPp U;k;ky; u dk;okfg;k vfHk[kfMr dj nh Fkh] og ;g Fkk fd mlh inkfèkdkjh }kjk vUo"k.k fd;k tkuk] ftlu ikFkfedh nt dh Fkh] vfHk;Dr dk ifrdyrk djxk D;kfd vUo"k.k inkfèkdkjh l fu"i{krkiod rFkk oLrijd :i l dk; djuk vif{kr ugh gk ldrk gA ge ,lk vfHkfuèkkfjr dju d fy, dkb fl)kr ;k cèk;dj fu.k; ugh ikr g fd ftl {k.k l{ke ifyl inkfèkdkjh ikIr lpuk d vkèkkj ij lpuknkrk d rkj ij viuk uke nt djr g, dkb ikFkfedh djrk g] og*

vUo"k.k dju dk viuk vfèkdkj [kk nrk gA vxj djuk gh Fkk rk , l vUo"k.k dh doy vUo"k.k inkfèkdkjh dh vkj l i{kikr fd; tku ;k i{kikr fd; tku dh okLrfod lHkkouk d vkèkkj ij vkykpuk dh tk ldrh FkhA i{kikr dk i'u iR;d ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k ij fuHkj gkxk rFkk ,d 0;kid ,o 'kUk jfgr ifriknuk vfèkdfFkr djuk mi;Dr ugh g ftl <x l mPp U;k;ky; }kjk ,l fd;k x;k g fd tc dHkh Hkh dkb ifyl inkfèkdkjh viuh vkj l ikFkfedh nt dju d ckn vUo"k.k dju dh dk;okgh djrk g] vUo"k.k vko';d :i l xj fu"i{k ;k iokxgxLr gkxkA oreku ekey e] ifyl inkfèkdkjh dk dfri; fof'k"V lpuk ikIr g;h Fkh] tk mld vkdyu d vulkj ,d Nkuchu mfpr cukrh Fkh rFkk] vr,o] mlu vUo"k.k dju dk viuk eu cuk fy;k FkkA ikFkfedh r;kj dju dh vkipkfjdrk ftle og vijkèk d lfnXèk :i l dkfjr fd; tku d ckj e lpuk ikIr dju dk rF; vfHkfyf[kr djrk g rFkk vijkèk nt dju d mijkUr vUo"k.k fd;k tkuk fdlh Hkh idkj d rd l iokxg ;k , l fdlh dkjd d vkèkkj ij vUo"k.k dk nf"kr ugh djrk gA vxj og rd] ftl mPp U;k;ky; u egRo fn;k Fkk] vfHk;ktu dk vfHk[kfMr dju dk ,d vkèkkj gk ldrk g] ifyl inkfèkdkfj;k dk inUk vUo"k.k inkfèkdkjh dh 'kfDr;k fdlh mi;Dr dkj.k d fcuk vlE;d :i l ckfèkr gkxhA viu vkfèkdkfjd dUk0;k d fuogu e lkekU; vuØe e ifyl inkfèkdkfj;k }kjk tk fd;k tkuk vif{kr gkrk g] og gey d ifr ncy cu tk;xkA

11. igyh nf"V e] mijkDr dfFkr lEijh{k.k lHkor% ;g vkHkkl inku dj ldr g fd U;k;ky; u ,lh ifriknuk vfèkdfFkr dh Fkh fd dkb ifyl inkfèkdkjh] tk viu dUk0;k d fuogu d vuØe e vijkèk l fdlh 0;fDr dk lcfèkr dju d fy, vijkèk e Qlku okyh dfri; lkexh ikrk g] og vkx dk vUo"k.k ugh djxk vxj mld }kjk miyCèk djk;h x;h lpuk d vkèkkj ij ikFkfedh nt dh x;h FkhA fu.k; d vkj l{erj fo'y"k.k ij] ge ugh le>r g fd ml ekey e ,lh dkb 0;kid ifriknuk vfèkdfFkr dh x;h FkhA e[; xokg] vFkkr] ièkku dkUlVcy v0 lk0 3 d lk{; dk eY;kdu djr g,] bl U;k;ky; u bl vfrfjDr dkjd] vFkkr] e[;r% ièkku dkUlVcy d vUo"kd cu tku dk fufn"V fd;k FkkA oLrr%] bldk idV dkj.k Fkk fd ièkku dkUlVcy ml vkj{kh mifujh{kd] ftlu ikFkfedh nt dh Fkh] dh vun[kh djd ekey dk vUo"k.k dju dh dk;okgh dh FktA oreku ekey dh rF;ijd fLFkfr ijh rjg fHkUu gA dN lkrk l lpuk ikIr dju d mijkUr vihykFkh&vkj{kh mi&fujh{kd u vijkèk dk vUo"k.k dju rFkk bldk irk yxku dh dk;okgh dh FkhA mld ,lk dju d igy] ml lfnXèk vijkèkk dh dkb o;fDrd tkudkjh ugh Fkh] u gh mlu vijkèkk l lcfèkr fdlh xfrfofèk e Hkkx fy;k FkkA bldh Hkfedk 'k) ,o ljy :i l vUo"kd dh Hkfedk FkhA bld vykok] fdlh xokg d lk{; dh lR;rk dk ijh{k.k dju dk i'u] tlk fd e?kk flg d ekey e fd;k x;k Fkk] iLrr ekey e mnHkr ugh gkrk g D;kfd vHkh fopkj.k gkuk 'k"k gA mPp U;k;ky; u fopkj.k ikjHk gku d igy gh dk;okfg;k vfHk[kfMr dh nh gA

12. fdlh Hkh nf"Vdk.k l n[ku ij] vkj{kh mifujh{kd (vihykFkh) }kjk vUo"k.k dk xfreku dju dh ifØ;k e] rFkk ,d fo'k"k U;k;kèkh'k d U;k;ky; e vfre fjikV lkiu d mld dk; e ge dkb voèkkfudrk ugh n[kr gA**

16. इसी प्रकार, **एस॰ जीवानन्थम बनाम आरक्षी निरीक्षक के माध्यम से तमिलनाडु राज्य** के एक अन्य मामले, **(2004) 5 SCC 230** में, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास **मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** के मामले पर विचार करने का अवसर आया था जब ऐसा निवेदन किया गया

था कि उस मामले का अ॰ सा॰ 8 परिवादी था तथा उसने स्वयं मामले का अन्वेषण किया था, अत: मामले का समूचा अन्वेषण दूषित हो गया था तथा न्यायालय ने पैरा 3 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया था:–

> *^^iLrr ekey e] v0 lk0 8 u ryk'kh yh Fkh rFkk fuf"k) lkeku cjken dh Fkh ,o ekeyk nt fd;k FkkA rRi'pkr viu vkfèkdkfjd dÙk0; d rkj ij mlu ekey dk vUo"k.k fd;k Fkk ,o ,d vkjki i= nkf[ky fd;k FkkA og fdlh Hkh idkj l ekey e o;fDrd :i l fgrc) ugh FkkA vUo"k.k dh ifØ;k e dkbZ i{kikr ugh gvk gA vihykFkh x.k Hkh ,lh dkbZ ifjfLFkfr fufn"V ugh dj ld Fk ft ld }kjk vUo"k.k u ml gkfu dkfjr dh Fkh ;k mud fo:) iokxgxLr FkkA bl idkj] vihykFkh x.k dh voj U;k;ky;k }kjk mfpr :i l nk"kfIf) ,o nMkn'k fd;k x;k FkkA***

17. प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसी कोई परिस्थिति निर्दिष्ट नहीं की है कि उसी पुलिस पदाधिकारी, जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी, द्वारा अन्वेषण किये जाने के कारण अपीलार्थी को कोई प्रतिकूलता कारित हुई है। प्रकटत:, प्रारंभिक जांच के उपरान्त अ॰ सा॰ 5 द्वारा सत्यापन रिपोर्ट सौंपी गयी थी तथा तत्पश्चात् अभिकथन की विशुद्धता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के उपरान्त, आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद द्वारा अ॰ सा॰ 11 को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 11 द्वारा कोई प्रारंभिक अन्वेषण भी नहीं किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरान्त, उसने अन्वेषण की कार्यवाही की थी तथा जाल दल का सदस्य होने के नाते अपराध का पता लगाया था। **मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य** में प्रधान काँस्टेबल अ॰ सा॰ 3 को अभियुक्त के शरीर की तलाशी लिये जाने पर एक देशी पिस्तौल तथा जिन्दा कारतुस मिले थे एवं वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। तत्पश्चात्, उक्त प्रधान कॉन्स्टेबल अ॰ सा॰ 3 ने स्वयं अन्वेषण का कार्य किया था। इस प्रकार, दोनों मामलों के तथ्य भिन्न हैं।

18. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का सवाल है कि अपीलार्थी के समक्ष कोई तात्विक परिस्थितियां नहीं रखी गयी थी जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज किया गया था, अपीलार्थी के कथन के परिशीलन मात्र से, यह स्पष्ट होगा कि तात्विक परिस्थितियों पर आधारित पृथक प्रश्न, जो उक्त अधिनियम की धारा 7 सह–पठित धारा 13 के अधीन अपराध गठित करने के लिए आवश्यक थे, रखने की प्रक्रिया का विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया गया था।

19. पूर्वोक्त कारणों से, मैं विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई अवैधानिकता या अनौचित्य नहीं पाता हूँ। तथापि, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश के प्रश्न पर आने पर, आरोपों की प्रकृति तथा अपीलार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो बीस वर्ष तक लम्बे चले विचारण के उपरान्त 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे अगर अपीलार्थी को अधिनिर्णीत कारावास के दंडादेश को घटाकर उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक कर दिया जाता है। तद्नुसार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिपुष्ट करके, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश घटाकर उसके लिए पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक एतद्द्वारा किया जाता है। जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(i)(d) सह–पठित धारा 13(2) के अधीन एक हजार रुपये के जुर्माने के दंडादेश का संबंध है, इसे एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है। जुर्माने की उपरोक्त राशियों का 8.12.2003 को अपीलार्थी द्वारा पहले ही निक्षेप किया जा चुका है जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथित किया गया है। अतएव, अपीलार्थी, जो जमानत पर है, को उसके जमानत बंध पत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

20. दंडादेश में उपरोक्त उपांतरण के साथ, यह अपील किसी गुण से रहित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

मो॰ शहजाद खान

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 73 of 2015. Decided on 30th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—जब्त ट्रक की निर्मुक्ति–ट्रक पर अवैध कोयला लदा था–वाहन एवं कोयला के विरुद्ध अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है–चूँकि वाहन वाणिज्यिक उपयोग में है, इसे पुलिस थाना में नहीं रखा जा सकता है–बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर याची के पक्ष में ट्रक निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2002) 10 SCC 283—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Md. Imtiaz Khan, For the Petitioners; Mr. V.S. Sahay, For the State.

आदेश

याची ने जी॰ आर॰ केस सं॰ 1959 वर्ष 2014 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19.12.2014 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन सं॰ CG-04-JB-8426 वाले जब्त ट्रक की निर्मुक्ति के लिए याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 25.5.2014 को गुप्त सूचना पाने के बाद पुलिस दल ने CG-04-JB-8426 और NL-01G-8766 नम्बर वाले अवैध कोयला से लदे दो ट्रकों को जब्त किया। CG-04-JB 8426 नंबर वाले ट्रक चालक ने पूछने पर बताया कि वह उक्त ट्रक का चालक–सह–स्वामी है और अपना नाम याची के रूप में प्रकट किया। दोनों ट्रकों के चालकों ने आगे प्रकट किया कि उन्होंने आरक्षित वन क्षेत्र से कोयला लादा था और कोयला के संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किया।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याची पूर्वोक्त ट्रक का चालक–सह–स्वामी होने के नाते इसकी निर्मुक्ति के लिए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग के समक्ष याचिका दाखिल किया किंतु इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि ट्रक के विरुद्ध अधिहरण कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गयी है और अन्वेषण प्रगति में है। आगे यह प्रतीत होता है कि संबंधित पुलिस थाना से रिपोर्ट मंगायी गयी थी और अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट पुनरीक्षण आवेदन के साथ परिशिष्ट 4 के रूप में संलग्न है और आई॰ ओ॰ ने न्यायालय को सूचित किया कि यद्यपि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, उसे आपत्ति नहीं है यदि वाहन निर्मुक्त किया जाता है।

4. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, फिर भी कम से कम पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर याची के पक्ष में प्रश्नगत ट्रक निर्मुक्त किया जा सकता है क्योंकि यह वाणिज्यिक वाहन है और दिनांक 25.5.2014 से संबंधित प्रत्यर्थी की अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची अधिहरण कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार है और वह अधिहरण मामले में विधि के अधीन उपलब्ध समस्त बिंदुओं को उठाएगा किंतु वाहन के वाणिज्यिक होने के नाते यदि इसे निर्मुक्त नहीं किया जाता है, प्रत्येक आशंका है कि चूँकि वाहन पर्याप्त देखभाल के बिना खुले स्थान में रखा गया है और वाहन प्रकृति के प्रकोप

के प्रति सुमेद्य हैं, भारी नुकसान होगा और प्रत्येक आशंका है कि वाहन का पार्ट पुर्जा हटा दिया जाएगा। यह निवेदन भी किया गया था कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है किंतु कोई केस नंबर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रकट नहीं किया गया है।

5. उक्त निवेदन के विपरीत राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने एकमात्र आधार कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है पर वाहन की निर्मुक्ति की प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुंदरभाई अंबाला देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002)10 SCC page 283, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के संबंध में जब्त वाणिज्यिक वाहन को लंबे समय तक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। निर्णय के पैरा 17 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^gekj nf"Vdk.k e] pkg tk Hkh fLFkfr gk] ,l tCr okguk dk ych vofèk d fy, ifyl Fkkuk e j[ku dk eryc ugh gA nMkfèkdkjh dk mDr okguk dh fuefDr d fy, lefpr cèki= vkj xkjVh rFkk çfrHkfr ydj rjUr lefpr vkn'k ikfjr djuk g ;fn le; d fdlh fcn ij bldh vko';drk gA ;g ,l okguk dh okilh d fy, vkonuk dh luokb yfcr jgr g, fd;k tk ldrk gA***

7. अभियोजन के निवेदन की दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि वाहन एवं कोयला के विरुद्ध अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, याची को उक्त कार्यवाही में अपना कारण बताने का निर्देश दिया गया था किंतु चूँकि वाहन वाणिज्यिक उपयोग का है, इसे पुलिस थाना में नहीं रखा जा सकता है। अत:, अंतरिम उपाय के रूप में, रजिस्ट्रेशन सं॰ CG-04-JB-8426 वाले ट्रक को अवर न्यायालय की संतुष्टि के प्रति कार्यवाही के दौरान आगे उपयोग के लिए समुचित पंचनामा तैयार करने के लिए कदम उठाने के बाद बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है ताकि विचारण में व्यवधान न हो। वाहन निर्मुक्त करने के पहले, न्यायालय स्वयं को प्रश्नगत ट्रक के स्वामित्व के बारे में संतुष्ट करेगा।

8. याची को भी प्रश्नगत वाहन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है जब और जैसे ही संबंधित न्यायालय को आवश्यकता हो और वह ट्रक अपने पास रखेगा और उस सीमा तक याची द्वारा वचन दाखिल किया जाएगा कि वह मामला लंबित रहने के दौरान वाहन को नहीं बेचेगा। यह आदेश पक्षों पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा और अधिहरण मामले के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

9. इन संप्रेक्षणों के साथ यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और बरकागाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 80 वर्ष 2014 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 1959 वर्ष 2014 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19.12.2014 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

राजेन्द्र लाल

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 398 of 2005. Decided on 19th May, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 193 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III डालटेनगंज द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 15.2.2005 एवं दिनांक 17.5.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी की हत्या–दोषसिद्धि–अपीलार्थी एक अन्य लड़की से विवाह करना चाहता था–इस प्रभाव का निर्णायक साक्ष्य प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने मृतका की हत्या की थी–ऐसी स्थिति में, हेतुक सिद्ध या असिद्ध किया जाना अभियोजन मामले को शायद ही प्रभावित करता है–जब सूचक एवं मृतक के दोनों पुत्र पूर्णतः विश्वसनीय हैं, अभियोजन द्वारा नौकरानी का परीक्षण नहीं किया जाना शायद ही अभियोजन मामले को प्रभावित करता है–अपील खारिज। (पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Avishek Prasad, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 193 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 15.2.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 17.2.2005 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाकर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन मामला, जैसा सूचक चंचला कुमारी (अ॰ सा॰ 1) द्वारा फर्दबयान (प्रदर्श 5) में बनाया गया है, यह है कि दिनांक 10.10.2002 को जब वह अपने घर में थी, अमन कुमार अ॰ सा॰ 2 मृतका का पुत्र वहाँ आया और उसको सूचित किया कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या कर दी है। इस पर वह अपने भाई विजय कुमार अ॰ सा॰ 5 सहित अन्य के साथ वहाँ गयी और पूनम देवी को मृत पाया। उन्होंने यह भी गौर किया कि गर्दन सूजी हुई थी और गर्दन के चारों ओर रस्सी से दबाये जाने का निशान था। वहाँ उसे मृतका के एक अन्य पुत्र अभिनव कुमार अ॰ सा॰ 3 द्वारा सूचित किया गया था कि उसका पिता उसकी माता को कमरा में ले गया जहाँ उस पर बुरी तरह प्रहार किया गया था और इस दशा में उसने चीखा था। कुछ समय बाद जब उसका पिता बाहर आया, उसने उनको (अ॰ सा॰ 10, 2 एवं 3) बताया कि उसने उनकी माता की हत्या कर दी है। उसने उनको जाने एवं अपनी नाना–नानी तथा मौसी को सूचित करने कहा। जब सूचक मृतका के घर में थी, डालटेनगंज टाऊन पी॰ एस॰ का एस॰ आई॰ वहाँ दोपहर लगभग 2.30 बजे आया और सूचक चंचला कुमारी (अ॰ सा॰ 1) का फर्दबयान दर्ज किया जिसने घटना बताया जैसा कथन ऊपर किया गया है और यह कथन भी किया कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की थी क्योंकि वह एक अन्य लड़की से विवाह करना चाहता था। इसके आधार पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 1) अपीलार्थी के विरुद्ध दाखिल की गयी थी। उसने स्वयं अन्वेषण किया जिसके दौरान उसने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 7) प्राप्त किया और मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे डॉ॰ मोहन प्रसाद अ॰ सा॰ 10 द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर मृतका के मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

i. xnu d pkjk vkj jLlh l nck; tku dk fu'kku FkkA Vkslol :i l LFkkfir] Fkk;jk;M dkfVyt d uhp xnu ijh rjg ?kjrk gvkA 0;kl e yxHkx 1/2 l 3/4 cm ejkMh gb jLlh dk fu'kkuA xnu d vxy cxy vkj Hkh xgjkA fyxpj ekd d fdukj d pkjk vkj [kjkp d lkFk cl eyk;e ,o yky FkkA

ii. xnu dh ekl i'kh dh [kjkp ekt n FkhA

iii. Fkk; jk;M dkfVyt dk vfLFkHkx ekt n FkkA

iv. pgjk ldfyr rFkk jDrghu FkkA

v. vk[k ,o eg cn Fk vkj nkuk efVB;k fHkph gb FkhA

3. डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) जारी किया कि मृत्यु रस्सी से गला घोंटे जाने के कारण मेकेनिकल दम घुटने के कारण कारित हुई थी।

इस बीच अन्वेषण अधिकारी ने अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6) के अधीन रस्सी एवं साड़ी का टुकड़ा भी जब्त किया। उसने गवाहों का बयान भी दर्ज किया।

4. अन्वेषण पूरा करने के बाद, जब अपीलार्थी के विरुद्ध अन्वेषण अधिकारी ने आरोप-पत्र दाखिल किया, अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

5. विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 सूचक चंचला कुमारी, अ॰ सा॰ 4 निशा कुमारी, अ॰ सा॰ 5 विजय कुमार, अ॰ सा॰ 8 अभय कुमार एवं अ॰ सा॰ 9 अंजू देवी अनुश्रुत गवाह हैं जिन्होंने मृतका के दोनों पुत्रों अ॰ सा॰ 2 अमन कुमार एवं अ॰ सा॰ 3 अभिनव कुमार से घटना की जानकारी पायी थी जब वे मृतका के घर आए थे और मृतका को मृत पाया था और उसकी गर्दन सूजी पायी गयी थी और इसके ऊपर लिगेचर मार्क मौजूद था। अ॰ सा॰ 6 अच्युतानंद पांडे एवं अ॰ सा॰ 1 पंकज किशोर स्वतंत्र गवाह हैं जो भी घटनास्थल पर आए थे और उनकी उपस्थिति में रस्सी एवं साड़ी का टुकड़ा जिसे अपीलार्थी द्वारा पुलिस को दिया गया था, जब्त किया गया था। मृतका के दोनों पुत्रों अ॰ सा॰ 2 अमन कुमार और अ॰ सा॰ 3 अभिनव कुमार ने परिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी उनकी माता को कमरा के अंदर ले गया जहाँ वह उस पर प्रहार करने लगा जिस पर उसकी माता चीखने लगी। कुछ समय बाद, वह शांत हो गयी और तब अपीलार्थी कमरा के बाहर आया और उनको बताया कि उसने उनकी माता की हत्या कर दी है, अतः, उन्हें अपने नाना-नानी एवं मौसी को सूचित करना चाहिए एवं तद्नुसार अ॰ सा॰ 2 अमन कुमार ने अ॰ सा॰ 1 सूचक को सूचित किया।

6. अभियोजन मामला बंद होने के बाद जब अपीलार्थी से उसके विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली सामग्री के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछा गया था, उसने इनकार किया। किंतु, गवाहों को दिए गए सुझाव से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का बचाव यह है कि मृतका ने आत्महत्या की थी।

7. विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 2 एवं 3 के परिसाक्ष्यों पर अंतर्निहित विश्वास करके, जिनका परिसाक्ष्य अन्य गवाहों के परिसाक्ष्यों से और चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पा रहा है, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अध्यधीन है।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक प्रसाद निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 2 एवं 3 ने अपने परिसाक्ष्यों में स्पष्टतः परिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय घर में नौकरानी उपस्थित

थी किंतु पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है और अभियोजन की ओर से उसका परीक्षण भी नहीं किया गया है और तद्द्वारा महत्वपूर्ण गवाह रोकने के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाए। आगे, यह निवेदन किया गया था कि कुछ गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की क्योंकि वह एक अन्य लड़की से विवाह करना चाहता था, जबकि अन्य गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी ने मृतका की हत्या की है और तद्द्वारा अभियोजन को घटना का हेतु स्थापित करने में विफल कहा जा सकता है और इन परिस्थितियों के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शेखर सिन्हा निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी के दो अवयस्क पुत्रों अ॰ सा॰ 2 एवं 3 जो घटना के समय घर पर उपस्थित थे के परिसाक्ष्यों को त्यक्त करने का कारण नहीं है और तद्द्वारा वे सर्वाधिक स्वाभाविक गवाह प्रतीत होते हैं और कि झूठा साक्ष्य देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और तद्द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में विचारण न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि घटना के दिन अर्थात् दिनांक 10.10.2002 को जब अ॰ सा॰ 2 अमन कुमार और अ॰ सा॰ 3 अभिनव कुमार, दोनों अपीलार्थी एवं मृतका के अवयस्क पुत्र, घर में थे, अपीलार्थी अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा और तब अपनी पत्नी को कमरा में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया और उससे मारपीट करने लगा जिस पर मृतका चीखने लगी किंतु कुछ समय बाद चुप हो गयी। कुछ समय बाद, जब अपीलार्थी कमरा से बाहर आया, उसने उनको प्रकट किया कि उसने उनकी माता की हत्या की है जो तथ्य संबंधित तथ्य और कार्य होने के नाते साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन ग्राह्य है। तब, अ॰ सा॰ 2 ने घटना के बारे में सूचक चंचला कुमारी (अ॰ सा॰ 1) को सूचित किया जो अ॰ सा॰ 4, 5 एवं 9 के साथ मृतका के घर आयी और उसे मृत पाया। उन्होंने यह भी गौर किया कि गर्दन सूजी थी और इस पर फाँसी का निशान था। डॉक्टर के अनुसार, फाँसी का निशान रस्सी से गला घोंटने के कारण था। डॉक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने आत्महत्या की संभावना से इनकार किया। इसके अतिरिक्त, मृतका की गर्दन पर मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पायी गयी थी।

11. आगे, हम पाते हैं कि जब पुलिस घटनास्थल पर आयी, अपीलार्थी ने रस्सी एवं साड़ी का टुकड़ा अन्वेषण अधिकारी को दिया जिसने इसे जब्त किया। इस प्रकार, इस प्रभाव का निर्णायक साक्ष्य प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने मृतका की हत्या की थी। ऐसी स्थिति में, हेतु सिद्ध या असिद्ध किया जाना शायद ही अभियोजन मामले को प्रभावित करता है। आगे जब अपीलार्थी एवं मृतका के दोनों पुत्र अ॰ सा॰ 2 एवं 3 पूर्णत: विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, अभियोजन द्वारा नौकरानी का परीक्षण नहीं किया जाना शायद ही अभियोजन मामले को प्रभावित करता है।

12. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित है।

13. तद्नुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

14. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

भानु प्रसाद सिंह उर्फ भानु प्रताप सिंह एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 1200 of 2013. Decided on 20th May, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323/341/211/420—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 245—छल, दोषपूर्ण परिरोध एवं घोर उपहति–उन्मोचन आवेदन का अस्वीकरण–भूमि विक्रय का करार था और प्रतिफल राशि भी नियत की गयी थी और उसमें से राशि परिवादी को भुगतान कर दी गयी दर्शायी गयी थी किंतु वस्तुतः किसी भी राशि का भुगतान कभी नहीं किया गया था–यद्यपि याची ने परिवादी को आश्वासन दिया था कि वह बैंक से कर्ज के लिए आवेदन देगा और कर्ज पाने के बाद वह संपूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान करेगा किंतु बाद में भूमि खरीदने से इनकार कर दिया किंतु पुनः अपने परिचित को भूमि का भाग बेचने के लिए परिवादी के पास आया और विलेख निष्पादित किया गया था और यद्यपि विलेख में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि नगद में भुगतान की गयी दर्शायी गयी थी किंतु वस्तुतः बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कम कम राशि का भुगतान किया गया था–कभी-कभार कोई मामला प्रकटतः सिविल प्रकृति का दिख सकता है अथवा वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्ग्रस्त कर सकता है किंतु ऐसे सिविल विवाद अथवा वाणिज्यिक विवाद कतिपय परिस्थितियों में दांडिक अपराधों के अवयवों को भी अंतर्विष्ट कर सकते हैं और ऐसे विवादों को ग्रहण करना होगा भले ही वे सिविल विवाद हैं–प्रथम द्रष्टया, अभिकथन है कि पूर्ण-प्रतिफल राशि का भुगतान दर्शाकर परिवादी को प्रवंचित करने का दोषपूर्ण आशय था किंतु वस्तुतः कम राशि का भुगतान किया गया था–यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ परिवाद में सार नहीं है बल्कि परिवादी के अतिरिक्त दो गवाहों का भी आरोप विरचित किए जाने के पहले परीक्षण किया गया था और दोनों ने परिवाद में किए गए अभिकथन का समर्थन किया है–अवर न्यायालय ने सही प्रकार से उनके विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों की पर्याप्तता का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए याचीगण को उन्मोचित करने से इनकार किया है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का तर्कसंगत आधार नहीं है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 4, 6, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(2000) 4 SCC 168; (1972) 3 SCC 661; (2009) 8 SCC 751; (2001) 8 SCC 645—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rohit Roy, Nishant Roy, For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. Mahesh Tewari, For the O.P. No. 2.

आदेश

वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन द्वारा याचीगण C-2179/09 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची श्रीमती अर्चना कुमारी द्वारा पारित दिनांक 3.10.2013 के आदेश को चुनौती देते हैं जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 245 के अधीन याचीगण द्वारा अपने उन्मोचन के लिए दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और अवर न्यायालय ने आरोप विरचित करने की तिथि नियत की है।

2. वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2/परिवादी की प्रेरणा पर पूर्वोक्त परिवाद मामला इस अभिकथन पर दाखिल किया गया था कि याची सं॰ 1 दिनांक 9.6.2006 को 1,48,000/- रुपयों की प्रतिफल राशि पर 37 डिसमिल भूमि खरीदने के लिए परिवादी के साथ करार किया। उसमें से 38,500/- रुपयों की राशि परिवादी को भुगतान कर दी गयी दर्शायी गयी हैं किंतु वस्तुत: उसको प्रतिफल राशि के ऐसे भाग का भुगतान कभी नहीं किया गया था। याची सं॰ 1 ने परिवादी को आश्वासन दिया था कि वह उक्त करार के आधार पर बैंक से कर्ज के लिए आवेदन देगा और कर्ज पाने के बाद वह संपूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान करेगा। यह भी अभिकथित किया गया है कि परिवादी ने अशिक्षित व्यक्ति होने के कारण याची सं॰ 1 के आश्वासन पर विश्वास किया किंतु जब वह भुगतान के लिए याची के पास गया, उसने भूमि खरीदने से इनकार किया और उसको मूल करार विलेख लौटाने का आश्वासन दिया। बाद में, यही याची 37 डिसमिल भूमि जिसे याची खरीदने के लिए सहमत हुआ था, में से केवल 20 डिसमिल भूमि अपने साथियों चितरंजन सिंह एवं उमा सिंह को बेचने के लिए परिवादी के पास गया जिसके बाद विलेख निष्पादित किया गया था और यद्यपि विलेख में उल्लिखित किया गया था कि परिवादी/विरोधी पक्षकार को प्रतिफल राशि के रूप में 1,00,000/- रुपया नगद का भुगतान किया गया है किंतु वस्तुत: बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से केवल 55,000/- रुपयों का भुगतान किया गया है। उक्त विक्रय विलेख में याची सं॰ 1 भी साक्षी है। यह भी अभिकथित किया गया है कि याचीगण ने परिवादी/विरोधी पक्षकार की शेष 17 डिसमिल भूमि हड़पने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में परिवाद मामला सं॰ 389 वर्ष 2007 दाखिल किया और न्यायालय ने वर्तमान याचीगण का साक्ष्य दर्ज करने के बाद अपराध का संज्ञान लिया किंतु बाद में गैर–अभियोजन के कारण उक्त परिवाद मामला खारिज कर दिया गया था। अभिलेख से आगे यह प्रतीत होता है कि उक्त अभिकथन के आधार पर न्यायालय ने जाँच के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/341/211/420 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और तत्पश्चात आरोप विरचित करने के पहले दो गवाहों का परीक्षण किया गया है। जब याचीगण द्वारा उन्मोचन के लिए धारा 245 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी, इसे अस्वीकार किया गया था जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का गलत होने के चलते विरोध करते हुए आगे निवेदन किया कि विवाद भूमि अंतरण से संबंधित सिविल प्रकृति का होने के नाते, याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य होगा। यह निवेदन भी किया गया था कि याचीगण की प्रेरणा पर अभिधान वाद सं॰ 187 वर्ष 2009 उपन्यायाधीश, राँची के न्यायालय में लंबित हैं और अंतर्ग्रस्त विवाद्यक लगभग समरुप प्रकृति के हैं और केवल याचीगण को उक्त वाद वापस लेने के लिए मजबूर करने के आशय से यह दांडिक मामला संस्थित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयव अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह निवेदन भी किया गया था कि आक्षेपित आदेश गूढ़ होने के नाते और कोई कारण नहीं दिए जाने के चलते यह अपास्त किए जाने योग्य है और याचीगण उन्मोचित किए जाने योग्य हैं।

4. आरंभ में ही, यह चर्चा करना आवश्यक है कि परिवाद के परिशीलन पर यह प्रकट है कि भूमि के विक्रय का करार हुआ था और प्रतिफल राशि भी नियत की गयी थी और उसमें से कुछ राशि परिवादी को भुगतान कर दी गयी दर्शायी गयी थी किंतु वस्तुत: किसी राशि का भुगतान कभी नहीं किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि यद्यपि याची ने परिवादी को आश्वासन दिया था कि वह बैंक से कर्ज के लिए आवेदन देगा और उक्त कर्ज पाने के बाद, वह संपूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान करेगा किंतु बाद में उसने भूमि खरीदने से इनकार कर दिया और बाद में पुन: अपने साथी को भूमि का एक भाग बेचने

के लिए परिवादी के पास गया और विलेख निष्पादित किया गया था और यद्यपि विलेख में संपूर्ण प्रतिफल राशि नगद में भुगतान कर दी गयी दर्शायी गयी थी किंतु वस्तुतः बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कम राशि का भुगतान किया गया था। प्रकटतः याची द्वारा किया गया अभिकथित मुख्य अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय छल का अपराध है। **हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000)4 SCC 168,** में न्यायालय ने छल एवं संविदा भंग की परिभाषा पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*^^ç'u fofuf'pr dju e ;g è;ku e j[kuk gkxk fd lfonk d Hkx ek= ,o Ny d vijkèk d chp l{e lfHkUurk gA ;g mRçj.k d le; ij vfHk;Dr d vk'k; ij fuHkj djrk g ft ldk mld i'pkrorh vkpj.k }kjk fu.k; fd;k tk ldrk g fdr bld fy, i'pkrorh vkpj.k ,dek= ijh{kk ugh gA lfonk dk Hkx ek= Ny d fy, nkfMd vfHk;ktu dk mnHkr ugh dj ldrk g tc rd l0;ogkj d fcYdy vkjHk l vFkkr ml le; l tc vijkèk fd;k x;k crk;k x;k g] diVi.k vFkok xjbekunkj vk'k; n'kk;k ugh tkrk gA vr% vk'k; vijkèk dk lkj gA fdlh 0;fDr dk Ny d vijkèk dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;g n'kkuk vko';d g fd mldk oknk dju d le; ij diVi.k vFkok xj bekunkj vk'k; FkkA ckn e oknk fuHkku e mldh foQyrk ek= l vkjHk l gh ,lk vkjfHkd vk'k; vFkkr tc mlu oknk fd;k Fkk] mièkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA^^*

5. केरल राज्य बनाम ए॰ प्रसाद पिल्लई, (1972)3 SCC 661, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छल के अवयवों पर विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया:–

*^^fdlh 0;fDr dk Ny d vijkèk dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;g n'kk;k tkuk g fd mldk vk'k; oknk dju d le; ij xj bekunkj Fkk vkj ,lk xj&bekunkj vk'k; ek= bl rF; l fu"df"kr ugh fd;k tk ldrk g fd og ckn e oknk ugh fuHkk ldk FkkA^^*

6. इस चरण पर, इस निष्कर्ष पर आना मुश्किल नहीं है कि कभी-कभार कोई मामला सिविल प्रकृति का दिख सकता है अथवा वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्ग्रस्त कर सकता है किंतु ऐसे सिविल विवाद अथवा वाणिज्यिक विवाद दांडिक अपराधों के अवयवों को भी अंतर्विष्ट कर सकते हैं और इसके बावजूद वे सिविल विवाद भी हैं, ऐसा विवाद ग्रहण करना होगा। इस संदर्भ में, **मो॰ इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009)8 SCC 751,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जा सकता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^bl U;k;ky; u ckj&ckj ifjokfn;k dh ekeyk] tk vko';dr% ,o 'k) r% flfoy çÑfr d g] dk nkfMd vijkèk dk vkoj.k iguku dk ç;kl dju dh c<rh çofÙk dh vkj è;ku vkÑ"V fd;k g] tk Li"Vr% vfHk;Dr ij ncko cuku d fy, vFkok vfHk;Dr l n'euh d dkj.k vFkok vfHk;Dr dk ij'kku dju d fy, nkf[ky fd, tkr gA nkfMd U;k;ky;k dk lfuf'pr djuk pkfg, fd bld le{k dk;okgh dk mi;kx cnyk yu d fy, vFkok flfoy fooknk dk lekèkku dju gr i{kk ij ncko Mkyu d fy, ugh fd;k tk;A fdr lkFk gh] ;g xkj fd;k tkuk pkfg, fd flfoy çÑfr d vud okn nkfMd vijkèkk d vo;o Hkh vrfo"V dj ldr g vkj ;fn ,lk g budk fopkj.k nkfMd vijkèkk d :i e djuk gkxk Hky gh ; flfoy fooknk d rY; gA^^*

7. अग्रसर होने के पहले **एम॰ कृष्णन बनाम विजय सिंह, (2001)8 SCC 645,** मामले को निर्दिष्ट करना लाभदायी होगा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित चर्चा किया है:–

> ^^,l h lkekU; çfriknuk Lohdkj djuk fofèk d çkoèkkuk d fo#) gkxk D;kfd Ny ,o diV d leLr ekeyk e] l i.k l0;ogkj e] lkekU; flfoy çÑfr dk dN rRo gkr gA fdr] bl ekey e vfHkdFku nLrkot dVjfpr dju vkj ,l dV jfpr nLrkotk d vkèkkj ij ykHk vftr dju d gA dk;okgh doy blfy, [kfMr ugh dh tk ldrh g D;kfd çR;Fkhx.k u iokDr nLrkotk d lcèk e flfoy okn nkf[ky fd;k FkkA nkfMd U;k;ky; e] ifjokn e fd, x, vfHkdFku dk Lor=rkiod LFkkfir djuk gkxk] flfoy U;k;ky; }kjk U;k; fu.k;.k d ckotnA ;fn ifjoknh ifjokn e viu }kjk fd, x, vfHkdFku dk fl) dju e foQy jgk gkrk] çR;Fkhx.k mUekpu vFkok nk"kefDr d gdnkj gkr fdr vU;Fkk ughA ;fn okn dk yfcr jguk nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dk vkèkkj cuk;k tkrk g] rc cbeku edneckt viu fo#) nkfMd dkjokb l vk'kfdr gkr g,] nkfMd dk;okgh d vkjHk d ckn vFkok ,lh dk;okgh dh çR;k'kk e viu fo#) mi;kx fd, tku d fy, vk'kf;r nLrkotk d lcèk e oknk dk nkf[ky djd U;k; ,o fofèk d çokg dk foQy dju d fy, çkRlkfgr fd, tk,xA ,lk jkLrk fofèk dh vkKk ugh gk ldrh gA nkfMd dkjokb l lfHkUu flfoy dk;okgh dk iFkd ekinM viuk dj U;k;fu.khr djuk gkxkA nkfMd ekey e ;fDr;Dr lng d ij vfHkdFku fl) dju dk Hkkj flfoy dk;okgh e ç;kT; ugh g ftUg ifjokn fd, x, ÑR;k d lcèk e vfèklHkkO;rkvk d vkèkkj ek= ij fofuf'pr fd;k tk ldrk gA**

8. चर्चा किए गए उक्त मामलों में विनिश्चित निर्णयाधार पर विश्वास करते हुए, मेरे सुविचारित मत में वर्तमान मामला उस कोटि में आता है जिसे इस चरण पर परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों से अथवा गवाहों के अभिसाक्ष्य में जो आया है उससे शुद्धत: सिविल प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। प्रथम दृष्टया, अभिकथन है कि पूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान दर्शा कर परिवादी को प्रवंचित करने का दोषपूर्ण आशय था, किंतु वस्तुत: कम राशि का भुगतान किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ परिवाद में सार नहीं है बल्कि परिवादी के अतिरिक्त आरोप विरचित करने के पहले दो गवाहों का भी परीक्षण किया गया है और दोनों ने परिवाद में किए गए अभिकथन का समर्थन किया है और मेरे मत में अवर न्यायालय ने सही प्रकार से उनके विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की पर्याप्तता का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए याचीगण को उन्मोचित करने से इनकार कर दिया है।

9. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं पाता हूँ। इस पुनरीक्षण आवेदन के गुणागुण रहित होने के कारण इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। किंतु मुझे स्पष्ट करना होगा कि मैंने एक या दूसरे रूप में मामले के गुणागुण पर मत व्यक्त नहीं किया है और इस न्यायालय द्वारा किए गए किसी संप्रेक्षण का अर्थ उन्मोचन अथवा आरोप विरचित करने के प्रश्न तक सीमित के रूप में लगाना होगा। विद्वान दंडाधिकारी इस आदेश में किए गए किसी संप्रेक्षण से प्रभावित हुए बिना इसके अपने गुणागुण पर मामला विनिश्चित करेंगे।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

अखौरी रजनी कांत लाल एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 497 of 2015. Decided on 21st May, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/423/424/467/468/469/471/477/201/120B/109—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—षडयंत्र, छल एवं कूटरचना–संज्ञान–मामला भूमि विक्रय एवं अधिकार अभिलेख में नाम के नामांतरण से संबंधित है–चूँकि भूमि आरंभ में गैर मजरुआ भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी, विभिन्न व्यक्तियों को उक्त भूमि का अंतरण अवैध माना गया था–याचीगण को कूटरचना का अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है जब वे संव्यवहार के समय पर चित्र में भी नहीं थे–याचीगण को इस तथ्य के कारण कि उन्होंने सहकारी समिति के सचिव से भूमि खरीदा था, छल का अपराध करता हुआ कभी नहीं कहा जा सकता है–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 423 एवं 424 के अधीन अपराध नहीं बनता है जब प्रतिफल का झूठा बयान अंतर्विष्ट करने वाले अंतरण विलेख के गैर-ईमानदार अथवा कपटपूर्ण निष्पादन का मामला नहीं है और न ही यह संपत्ति के गैर-ईमानदारी से अथवा कपटपूर्वक हटाए जाने अथवा छुपाए जाने का मामला है–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी ताथ्यिक तथ्य की अनुपस्थिति में, याचीगण को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है–संज्ञान लेने वाले आदेश सहित निगरानी मामले की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी।

(पैराएँ 10 से 15)

निर्णयज विधि.–(2009) 8 SCC 751: 2009 (4) JLJR (SC) 75—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioners; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि एतद् द्वारा अनदेखी की जाती है।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं निगरानी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. यह आवेदन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/423/424/467/468/469/471/477/201/120B/109 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन भी दर्ज निगरानी केस सं॰ 25 वर्ष 2000 (विशेष केस सं॰ 12 वर्ष 2000) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही और दिनांक 18.11.2009 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/423/424/467/468/469/471/477/201/120B/109 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन भी दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

4. इस आवेदन को उद्भूत करने वाले तथ्य ये हैं कि मौजा हुंडरु अवस्थित खाता सं॰ 360 भूखंड सं॰ 1260 से संबंधित 10.95 एकड़ कुल क्षेत्रफल माप वाली कतिपय भूमि अधिकार अभिलेख में गैर

मजरुआ भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी। 10.95 एकड़ माप वाली उक्त भूमि में से 3.12 एकड़ माप वाली भूमि के संबंध में जमाबंदी चंदन साव पुत्र सामू साव एवं भरत साव के नाम में खोली गयी थी। काफी बाद में वर्ष 1968 में चंदन साव और भरत साव जिसने बाद में भूमि महावीर काशी, जय भवानी सहकारी सोसाइटी के तत्कालीन सचिव को वर्ष 1988-89 में बेच दिया था जिनका नाम तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री जे॰ एन॰ सिंह द्वारा अधिकार अभिलेख में नामांतरित किया गया था, के पक्ष में लगान रसीद जारी की गयी थी। तुरन्त तत्पश्चात, जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव ने याचीगण सहित सोसाइटी के सदस्यों को भूमि बेच दिया। भूमि खरीदने के बाद, सोसाइटी के सदस्यों ने अपने पक्ष में भूमि नामांतरित करवाने के लिए आवेदन दिया। उन आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए नामांतरण मामलों को 1970/ 1988-89, 1969/88-89, 2288/89-90, 2291/89-90 एवं 2405/ 89-90 के रूप में दर्ज किया गया था और तब उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध याचीगण सहित सोसाइटी के सदस्यों के नामों को नामांतरित करने के लिए आदेश पारित किया गया था।

5. चूँकि भूमि आरंभ में गैर मजरुआ भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी, विभिन्न व्यक्तियों को उक्त भूमि का अंतरण अवैध माना गया था और, इसलिए, इन याचीगण सहित अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध इंस्पेक्टर, निगरानी द्वारा इस अभिकथन पर मामला दर्ज किया गया था कि उन सब व्यक्तियों ने कूटरचना, छल, दुर्विनियोग, आदि का अपराध किया है।

6. आरोप-पत्र की दाखिली पर, दिनांक 18.11.2009 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध पूर्वोक्तानुसार अपराधों का संज्ञान लिया गया था, जो चुनौती के अधीन है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि आरंभ में भूमि गैरमजरुआ भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी, उस भूमि के संबंध में भूमि किराया रसीद चंदन साव के पक्ष में जारी की गयी थी जब उसके नाम में जमाबंदी खोली गयी थी और उसका नाम रजिस्टर II में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात, उसने भूमि महावीर काशी, जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव, को अंतरित कर दिया जिनका नाम किसी सामू साव से उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा नामांतरित किया गया था। बाद में, जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव ने इन दो याचीगण सहित अनेक व्यक्तियों को भूमि बेच दिया और, इसलिए याचीगण को छल, कूटरचना अथवा दुर्विनियोग का कोई अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है और न ही उन्हें दांडिक अवचार का अपराध करता हुआ कहा जा सकता है और, तद्द्वारा, याचीगण को भारतीय दंड संहिता के अधीन अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी अपराध की कारिता का जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष ने निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी जिस भूमि को सामू साव को बंदोबस्त कभी नहीं किया गया था, फिर भी सामू साव उस भूमि के विरुद्ध अपने पक्ष में किराया रसीद जारी करवाने में सफल रहा और तब सरकारी अधिकारियों की मनोनुकूलता से उसने प्रश्नगत भूमि के विरुद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र चंदन साव ने विरासत में संपत्ति पाया। उसने भी सरकारी अधिकारियों की मौनानुकूलता से अवैध साधन द्वारा उस भूमि को अपने नाम में नामांतरित करवाया। यही मामला पश्चातवर्ती अंतरितियों का है जिनके नामों के विरुद्ध तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा भूमि नामांतरित की गयी थी यद्यपि अंचलाधिकारी को एस॰ डी॰ ओ॰ के अनुमोदन के बिना जमाबंदी खोलने से अवरुद्ध किया गया था।

9. इन परिस्थितियों में, प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या प्राथमिकी में किए गए अभिकथन छल, कूटरचना, दुर्विनियोग का अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध भी गठित करते हैं?

10. जिस तरीके से भूमि विभिन्न व्यक्तियों को अंतरित की गयी थी, उसको विस्तारपूर्वक दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है सिवाए इस तथ्य के कि याचीगण वे व्यक्ति थे जिन्होंने जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव से भूमि खरीदा था, और इन याचीगण के नाम में भूमि अंतरित किए जाने के पहले भूमि पूर्व खरीदार के नाम में दर्ज की गयी थी और उस स्थिति में किस प्रकार याचीगण को कूटरचना का अपराध करता हुआ कहा जा सकता है जब वे चित्र में भी नहीं थे।

11. इस संबंध में, मैं **मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 751 =** 2009 (4) JLJR (SC) 75, मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट कर सकता हूँ जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 470 में अंतर्विष्ट प्रावधानों तथा कूटरचना से संबंधित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया था:–

> *^^èkkjkvk 467 ,o 471 d vèkhu vijkèk dh ijkHkk0; 'kr dVjpuk gA dVjpuk dh ijkHkk0; 'kr >Bk nLrkot (vFkok >Bk byDVkfud fjdkM vFkok bldk Hkkx) fufer djuk gA ;g ekeyk fdlh >B byDVkfud fjdkM l lcfèkr ugh gA vr%] ç'u ;g g fd D;k çFke vfHk;Dr dk lifÙk cpu dk rkRi; j[kr g, nk foØ; foy[kk dk fu"ikfnr ,o jftLVj dju e (Hky gh ;g ekuk tkrk g fd ;g mldk ugh Fkk) vU; vfHk;Drk d lkFk njfHklfèk e >Bk nLrkot cuku vkj fu"ikfnr dju okyk dgk tk ldrk gA***

12. मामले में आगे जाते हुए, शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किस प्रकार भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 423 एवं 424 के अधीन अपराध बनता है जब प्रतिफल का झूठा विवरण अंतर्विष्ट करते हुए अंतरण विलेख के गैर ईमानदार अथवा कपटपूर्ण निष्पादन का मामला नहीं है और न ही यह संपत्ति को गैर-ईमानदारी से अथवा कपटपूर्वक हटाने या छुपाने का मामला है।

13. इसी प्रकार से, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, इस तथ्य के कारण कि उन्होंने जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव से भूमि खरीदा था, याचीगण को छल का अपराध करता हुआ कभी नहीं कहा जा सकता है।

14. आगे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी ताथ्यिक तथ्य की अनुपस्थिति में, याचीगण को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध करता नहीं कहा जा सकता है।

15. इन परिस्थितियों के अधीन, दिनांक 18.11.2009 के संज्ञान लेने वाले आदेश सहित निगरानी केस सं॰ 25 वर्ष 2000 (विशेष केस सं॰ 12 वर्ष 2000) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है जहाँ तक याचीगण का संबंध है।

16. परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

महेश भगत

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 515 of 2015. Decided on 19th May, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 167 (2)—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985—धाराएँ 8, 21, 28 एवं 29 सहपठित धारा 36A (4)—व्यतिक्रम जमानत—जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का अस्वीकरण—नब्बे दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाना—संहिता की धारा 167 (2) के अधीन नियत 90 दिनों की महत्तम अवधि अधिनियम के अधीन अपराधों की अनेक कोटियों के लिए 180 दिनों तक बढ़ायी गयी है किंतु परन्तुक न्यायालय को निरोध अवधि कुल एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है परन्तु यह कि उसमें प्रावधानित कठोर शर्तों को पूरा किया गया है एवं अनुपालन किया गया है—विस्तारण का कोई आदेश पारित करने के पहले अभियुक्त को नोटिस जारी करने की आज्ञापक आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया गया है—विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप याची को निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7, 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.—Mr. K.P. Deo, Gaurav, For the Petitioner; Mr. Nagmani Tiwari, For the Resp.-State.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन इस पुनरीक्षण आवेदन में चुनौती विशेष केस सं॰ 16 वर्ष 2014 (K) में विद्वान विशेष न्यायाधीश, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 31.3.2015 के आदेश को दी गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन संहिता की धारा 167 (2) के अधीन याची के जमानत की प्रार्थना खारिज कर दी गयी है।

2. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याची को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया) की धाराओं 8, 21, 28 एवं 29 के अधीन संस्थित दिनांक 28.9.2014 की खूंटी पी॰ एस॰ केस सं॰ 122 वर्ष 2014 में इस अभिकथन पर अभियुक्त बनाया गया था कि सूचक आरक्षी अधीक्षक, खूँटी ने गुप्त सूचना पाया कि याची जो अपने ससुराल में रह रहा है, हेरोइन/ब्राउन सुगर का अवैध व्यवसाय अन्य लोगों के साथ कर रहा है। जिसके बाद घर पर छापा मारा गया था और पुलिस दल कमरा में घुसा और इस याची महेश भगत एवं किसी प्रकाश मांझी को गिरफ्तार किया और कमरा की तलाशी पर एक सफेद थैला पाया गया था जिसमें हेरोइन/ब्राउन सुगर अंतर्विष्ट था और डी॰ डी॰ किट से परीक्षा करने के बाद इसे सकारात्मक पाया गया था और जब्त वस्तु का कुल वजन 254 ग्राम था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अन्य अभियुक्तों का नाम भी प्रकट किया जो स्वापक औषधि के व्यवसाय में अंतर्ग्रस्त थे। अभिलेख से आगे यह प्रतीत होता है कि याची को दिनांक 29.9.2014 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था किंतु जब याची के विरुद्ध आरोपपत्र 90 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किया गया था, जैसा अधिनियम की धारा 36A (4) के अधीन प्रावधानित किया गया है, संहिता की धारा 167 (2) के अधीन याचिका इस आधार पर दाखिल की गयी थी कि याची ने अनुबंधित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का अधिकार अर्जित किया है किंतु राज्य अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर प्रार्थना का विरोध किया गया था कि चूँकि जब्त वस्तु अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 36-4 (A) के अधीन वाणिज्यिक मात्रा के अधीन आती है, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 180 दिन प्रावधानित किया गया है। अवर न्यायालय ने दिनांक 25.2.2015 के आदेश के तहत जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। आगे यह प्रतीत होता है कि जब 180 दिनों की सांविधिक अवधि बीत जाने पर भी आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, याची ने पुनः जमानत पर उसको निर्मुक्त करने की प्रार्थना के साथ 180 दिनों के पूरा होने के बाद भी आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए जाने के आधार

पर संहिता की धारा 167 (2) के अधीन दिनांक 31.3.2015 को आवेदन दाखिल किया, किंतु अवर न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अधिनियम की धारा 36A (4) के प्रावधान की दृष्टि में संहिता की धारा 167 (2) के अधीन दाखिल जमानत याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि एक वर्ष का समय प्रयोज्य होगा, आक्षेपित आदेश के तहत प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। आगे यह प्रतीत होता है कि राज्य के लिए उपस्थित विशेष लोक अभियोजक की ओर से अन्वेषण में प्रगति दर्शाते हुए अथवा 180 दिनों की सांविधिक अवधि के परे इस याची का निरोध इप्सित करने के लिए अनिवार्य कारण का कथन करते हुए समय के विस्तारण के लिए अवर न्यायालय के समक्ष कोई याचिका कभी नहीं दाखिल की गयी थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देव ने आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अवर न्यायालय अधिनियम की धारा 36A (4) के अधीन दी गयी आज्ञा एवं संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधानों की आज्ञा का अधिमूल्यन करने में विफल रहा और एक वर्ष तक निरोध अवधि बढ़ाए बिना, जैसा अधिनियम के अधीन प्रावधानित किया गया है, और उत्तरदायी परिस्थितियों पर विचार किए बिना याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि अवर न्यायालय न्यायिक ध्यान लेने में विफल रहा कि न्यायालय को 180 दिनों की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने की प्रत्येक शक्ति है किंतु निरोध का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर तार्किक आदेश पारित करने की आवश्यकता है। यह निवेदन भी किया गया था कि याची को दिनांक 28.9.2014 को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 29.9.2014 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था और तब से वह कारा अभिरक्षा में सड़ रहा है और अधिनियम का उद्देश्य एवं विधायी आशय विफल एवं उल्लंघित किया गया है। अत:, याची अधिनियम की धारा 36A (4) के प्रावधानों के मुकाबले संहिता की धारा 167 (2) के लाभ के योग्य है।

4. उक्त निवेदनों के विपरीत राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया और निवेदन किया कि यद्यपि उस अवधि को बढ़ाते हुए आक्षेपित आदेश में विनिर्दिष्ट कारण नहीं दिया गया है, किंतु आदेश से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय ने संहिता की धारा 167 (2) के अधीन याचिका पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि यह पोषणीय नहीं है क्योंकि एक वर्ष का समय प्रयोज्य होगा और इस दशा में यह समझा जाएगा कि अवर न्यायालय ने उस अवधि को बढ़ाया है जैसा अधिनियम की धारा 36-A (4) के अधीन प्रावधान किया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है। संहिता की धारा 167 प्रक्रिया पर विचार करती है और उक्त धारा की अनेक उपधाराएँ महत्तम अवधि प्रावधानित करती हैं जिसके परे किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जा सकता है और यह अवधि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 60 एवं 90 दिनों के बीच है और यदि उस अनुबंधित अवधि तक अन्वेषण पूरा नहीं किया गया है। अभियुक्त संहिता की धारा 167 (2) के अधीन जमानत का हकदार है यदि वह उस प्रयोजन से आवेदन देता है और जमानत भरने को तैयार है। प्रकटत:, विनिर्दिष्ट अवधि के परे संहिता की धारा 167 (2) के अधीन निरोध अवधि के आगे विस्तारण के लिए प्रावधान नहीं है किंतु स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 विशेष संविधि होने के नाते प्रावधानित करता है कि यदि धारा की आवश्यकता का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया गया है, अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

6. मेरे द्वारा अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के पहले मैं विवादित मामले में समुचित न्याय निर्णयण के लिए यहाँ नीचे अधिनियम की धारा 36A (4) को उद्धृत करना आवश्यक महसूस करता हूँ। उक्त धारा जहाँ तक यह प्रासंगिक है का पठन निम्नलिखित है:–

^^èkkjk 36A. **fo'k"k U;k;ky;k }kjk fopkj.kh; vijkèk-**&(1) nM ifØ;k lfgrk] 1973 (1974 dk 2) e fdlh ckr d gkr g, Hkh-&

(a) - (d) .....

(2) - (3) .....

(4) èkkjk 19 ;k èkkjk 24 ;k èkkjk 27A d vèkhu vijkèk ;k okf.kfT;d ek=k d vijkèkh 0;fDr;k d lcèk e ;k okf.kfT;d ek=k dh vfHk;Dr 0;fDr;k d lcèk e n.M ifØ;k lfgrk] 1973 (1974 dk l[;kd 2) dh èkkjk 167 dh mièkkjk (2) e fn; x; fun'kk e tgk dgh Hkh 'kCn ^^uCc fnu** vfdr g ml ^^,d lk vLlh fnu** dk fun'k ekuk tk;xkA

ijUr tgk ,d lk vLlh fnu dh vofèk e vUo"k.k ijk djuk lHko u gk rk fo'k"k U;k;ky; }kjk ykd vfHk;kt d }kjk vUo"k.k dh ixfr dk n'kku ij] ,d lk vLlh fnu dh dfFkr vofèk d i'pkr vfHk;Dr dk fujkèk e j[ku d fy; fo'k"k dkj.k nf'kr djr g,] fjikV i'k dju ij] dfFkr vofèk ,d o"k rd c<kb tk ldxhA**

7. पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 167 (2) के अधीन नियत 90 दिनों की महत्तम अवधि अधिनियम के अधीन अपराधों की अनेक कोटियों के लिए 180 दिनों तक बढ़ायी गयी है किंतु परन्तुक आगे न्यायालय को निरोध अवधि कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है परन्तु यह कि उसमें प्रावधानित कठोर शर्तों को संतुष्ट किया जाता है और इनका अनुपालन किया जाता है। पूर्वोक्त प्रावधान से सामने आती शर्तें निम्नलिखित है:–

(i) vfHky[k ij ykd vfHk;kt d dk fjikV gkuk pkfg,A

(ii) mDr fjikV vUo"k.k dh çxfr minf'kr djrk gkA

(iii) fjikV e 180 fnuk dh vofèk d ij vfHk;Dr dk fujkèk bfllr dju d fy, vfuok;; dkj.k fofufn"V djuk gkxk] vkj

(iv) vfHk;Dr dk ukfVl d ckn vofèk c<k;h tk ldrh gA

8. इस चरण पर जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 180 दिनों की सांविधिक अवधि के परे निरोध अवधि का विस्तारण इप्सित करते हुए विशेष अभियोजक अथवा लोक अभियोजक द्वारा कोई आवेदन दाखिल किया गया था।

9. जैसा मैंने पहले ही ऊपर कथन किया है कि अवर न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि 180 दिनों के परे अवधि के विस्तारण के लिए याचिका दाखिल नहीं की गयी थी और अवर न्यायालय के ऑर्डरशीट में अथवा अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.2.2015 को पारित आदेश में अथवा आक्षेपित आदेश में उस अवधि के विस्तारण के लिए लोक अभियोजक द्वारा कोई आवेदन दाखिल करने की चर्चा भी नहीं है, किसी अनिवार्य कारण अथवा अन्वेषण की प्रगति उपदर्शित करने वाले लोक अभियोजक के किसी रिपोर्ट की तो बात ही दूर। सिवाए एक पत्र जिसे आवश्यक एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट भेजने के लिए नमूना में त्रुटि हटाने के लिए आरक्षी अधीक्षक, खूँटी को न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा भेजा गया था और इस तथ्य के सिवाए कि अन्वेषण चल रहा है, विस्तारण के लिए कोई आदेश पारित करने के पहले अभियुक्त को नोटिस जारी करने की आज्ञापक आवश्यकता का अनुपालन

भी नहीं किया गया था और यह स्पष्टत: विनिर्दिष्ट करता है कि यह पूर्वोक्त धारा में अधिकथित मापदंड परिपूर्ण नहीं करता है अथवा लोक अभियोजक की ओर से दूर से भी विवेक के किसी इस्तेमाल को नहीं दर्शाता है। यह अन्वेषण की प्रगति उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट उपदर्शित नहीं करता है जैसा प्रावधान के अधीन आवश्यक है अथवा बाध्यकारी कारण प्रकट नहीं किया गया है जो आज्ञा का पूर्ण उल्लंघन करता है।

10. तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है। विशेष केस सं॰ 16 वर्ष 2014 (के॰) में विद्वान विशेष न्यायाधीश, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 31.3.2015 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप याची को जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

जुनस किरो

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 322 of 2013. Decided on 23rd June, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 123 वर्ष 2001 में सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 3.12.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 4.12.2002 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–मृतका द्वारा शोर करने पर सूचक आया और अपीलार्थी को कमरा में उपस्थित पाया जिसमें मृतका की हत्या की गयी थी–रक्त चिन्ह वाली कुल्हाड़ी भी कमरा में पायी गयी थी–केवल अपीलार्थी एवं मृतका कमरा में थे और अपीलार्थी ने गवाहों के समक्ष संस्वीकृत किया कि उसने मृतका की हत्या की है–अपीलार्थी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपने बयान में अपना दोष भी स्वीकार किया–अपील खारिज। (पैराएँ 12 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Bakshi Vibha, For the Appellant; Mr. Ravi Prakash, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 123 वर्ष 2001 में तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 3.12.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 4.12.2002 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी एग्नेसिया किरो की हत्या करने के लिए दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. फर्दबयान (प्रदर्श 3) में बनाया गया अभियोजन मामला यह है कि जब सूचक नुवास किन्डो (अ॰ सा॰ 6) दिनांक 1.9.2001 को अपनी पत्नी जुलेता किन्डो के साथ अपने घर में सो रहा था, अहली सुबह लगभग 3-4 बजे उसने अपने घर के बगल के कमरे से मृतका की चीख सुनायी दी। इसे सुनने पर वह अपनी पत्नी जुलेता किन्डो के साथ वहाँ गया, उन्होंने दरवाजा बन्द पाया किंतु उन्होंने पिटाई की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। किंतु जब वे इसे खुलवाने में सफल नहीं हुए, उन्होंने गवाहों, अमस किन्डो अ॰ सा॰ 3, विनसेन्ट किन्डो अ॰ सा॰ 4, एंथ्रेस किन्डो अ॰ सा॰ 5 को सूचित किया जो वहाँ आए और उन्होंने अपीलार्थी की पत्नी एग्नेसिया किंडो को खून से लथपथ पाया। उन्होंने रक्त निशान युक्त टांगी भी पाया। दोपहर लगभग 1.30 बजे जब बोलवा पुलिस थाना में सब–इंस्पेक्टर के रूप

में पदस्थापित अ॰ सा॰ 11 सिकंदर प्रसाद सिंह ने मृतका की हत्या के संबंध में सूचना पाया, उसने स्टेशन डायरी में ऐसी सूचना प्रविष्ट किया और घटनास्थल पर गया। घटनास्थल आने पर सिकंदर प्रसाद सिंह अ॰ सा॰ 11 ने नुवास किन्डो (अ॰ सा॰ 6) का फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया।

3. फर्दबयान के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी दाखिल की गयी थी और अ॰ सा॰ 11 ने अन्वेषण किया। जिसके दौरान उसने मृतका के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा की और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) तैयार किया। इसके बाद मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ जितेन्द्र नाथ सिंह अ॰ सा॰ 12 द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहतियाँ पायी:–

(i) pgj d nk; Hkkx ij nk; efDlyk rFkk nk;h vk[k dh vkj flj ij 8" x 5" dk bVkØfu;y dfoVh rd xgjk ,d fonh.k t[eA gfMM;k rFkk efLr"d dk vfLFk Hkx fn[kkb n jgk FkkA

(ii) nk, dku d fupy fLFkr 5" x 4" x bVkØfu;y dfoVh rd xgjk ,d fonh.k t[eA

(iii) nk, Hkkx ij fupy tcM ij 2" x 1" x 1" dk fonh.k t[e] uhp okyh VVh gb gMMh fn[kkb n jgh FkhA

(iv) fonh.k t[e vkdkj 7" x 5" x efDlyjh vkVe (ck;k) rd xgjk vkj vkjy dfoVh tk ck;k xky vkj pgj d ck, Hkkx ij Åijh gkB dk fonh.k dj jgk FkkA

(v) vxeLrd d ck, Hkkx d bVkØfu;y dfoVh rd xgjk 4 cm x 3 c.m. x 7" vkdkj dk fonh.k t[eA [kkiMh dh VVh gb gMMh rFkk efLr"d fn[kkb n jgk FkkA

4. डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट जारी किया कि मस्तिष्क में काफी उपहति आने तथा रक्तस्राव से हुए सदमें से कारित हृदय–श्वास अवरोध के कारण मृत्यु कारित हुई थी।

5. इस बीच, अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 11 ने रक्त निशान वाली टांगी और रक्त रंजित मिट्टी अधिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) के अधीन जब्त किया। उसने गवाहों के बयानों को भी दर्ज किया।

6. अन्वेषण पूरा करने पर, जब आरोप–पत्र दाखिल किया गया था, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। बाद में जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

7. विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 प्रमोद कुमार कुल्लु, अ॰ सा॰ 3 अमस किन्डो, अ॰ सा॰ 4 भीमसेन्ट किन्डो, अ॰ सा॰ 6 नुवास किन्डो और अ॰ सा॰ 7 क्लेमेन्ट सूरीन और स्टीफन किन्डो अ॰ सा॰ 9 ने परिसाक्ष्य दिया कि घटना के बारे में जानकारी होने पर जब वे अपीलार्थी के घर आए, उन्होंने मृतका को खून से लथपथ मृत पाया। वहाँ उन्होंने कमरा के कोने में रक्त निशान वाली टांगी भी पाया था। पूछे जाने पर, अपीलार्थी ने उनके समक्ष संस्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। अ॰ सा॰ 2 जुलेता किंडो, सूचक नुवास किंडो अ॰ सा॰ 6 की पत्नी, ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि अपने घर से मृतका की चीख सुनने पर जब वे वहाँ आए, उन्होंने दरवाजा बंद पाया। जब इसे खोला गया था, उन्होंने मृतका को मृत पाया था और उस कमरा में अपीलार्थी भी उपस्थित था। अन्य गवाह एंथ्रेस किंडो अ॰ सा॰ 5, अधिराम किन्डो अ॰ सा॰ 8 और देजर बरायक अ॰ सा॰ 10 ने प्रति परीक्षण करवाया है।

8. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछा गया था कि क्या उसने गवाहों के समक्ष संस्वीकार किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, उसने सकारात्मक उत्तर दिया अर्थात् उसने अपना दोष स्वीकार किया।

9. तत्पश्चात् न्यायालय ने गवाहों के परिसाक्ष्यों पर अपना अंतर्निहित विश्वास करके और अपीलार्थी के अपना दोष संस्वीकार करने के तथ्य की दृष्टि में अपीलार्थी को दोषी पाया। तद्नुसार, दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

10. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नुवास किन्डो अ॰ सा॰ 6 सूचक ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह अपीलार्थी के घर आया उसने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था किंतु साक्ष्य का यह टुकड़ा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने अपने फर्दबयान में ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया था कि उसने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था और कि गवाह भी इस बिन्दु पर संगत नहीं थे कि क्या अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छापूर्वक दरवाजा खोला गया था अथवा बलपूर्वक दरवाजा खोला गया था।

11. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती हैं: और इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने केवल गवाहों अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 7 के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया है बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में अपना दोष स्वीकार किया है और तद्द्वारा अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया है।

12. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अभियोजन का मामला, जैसा नुवास किन्डो अ॰ सा॰ 6 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है कि जब वह अपनी पत्नी जुलेता किन्डो के साथ अपने घर में सो रहा था, उन्होंने 1.9.2001 को प्रात: काल में बगल के घर से आती मृतका की चीख सुनी। यह सुनकर जब सूचक अ॰ सा॰ 6 अपनी पत्नी अ॰ सा॰ 2 के साथ वहाँ आया, उन्होंने दरवाजा बंद पाया। जब इसे जबरन धकेला गया था, यह खुल गया था और उन्होंने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते पाया था। तत्पश्चात् वे कमरा के बाहर आये और तब अपने पड़ोसियों अमस किंडो अ॰ सा॰ 3, भीनसेन्ट किंडो अ॰ सा॰ 4 और एंथ्रेस किन्डो अ॰ सा॰ 5 को सूचित किया जो अन्य गाँव वालों के साथ वहाँ आए जिनके समक्ष अपीलार्थी ने अपना दोष संस्वीकार किया। उसने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि कमरा से रक्त निशानवाली टांगी की जब्त की गयी थी।

13. जहाँ तक इस गवाह के इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि उसने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था का संबंध है, यह फर्दबयान में उसके द्वारा दिए गए बयान को दृष्टि में रखते हुए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है जिसमें उसने ऐसा कथन नहीं किया है कि उसने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था। किंतु, उसके परिसाक्ष्य का वह भाग जिसके द्वारा उसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब गवाह अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 5 एवं अन्य वहाँ आए, अपीलार्थी ने उनके समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया और कि टांगी बरामद की गयी थी, न केवल अक्षुण्ण बना रहता है बल्कि अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 9 के परिसाक्ष्यों से संपुष्टि भी पाता है जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वे घटना जानने के बाद अपीलार्थी के घर आए, उन्होंने मृतका को खून से लथपथ मृत पाया और कमरा में रक्त निशानवाली टांगी मौजूद थी जिसे अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 7 के अनुसार पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। आगे अपीलार्थी ने उनके समक्ष संस्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी।

14. इस प्रकार, निम्नलिखित परिस्थितियाँ प्रतीत होती हैं–(1) मृतका की चीख सुनकर सूचक आया और अपीलार्थी को कमरा में उपस्थित पाया जहाँ मृतका की हत्या की गयी थी, (ii) रक्त निशान वाली टांगी कमरा में पायी गयी थी और (iii) कमरा में केवल अपीलार्थी एवं मृतका थे और (iv) अपीलार्थी ने गवाहों के समक्ष संस्वीकार किया कि उसने मृतका की हत्या की थी।

ये समस्त परिस्थितियाँ सही रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती हैं।

15. इन परिस्थितियों के अधीन, अपीलार्थी के सिवाए कोई अन्य मृतका की हत्या नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में अपना दोष स्वीकार भी किया है।

16. इन परिस्थितियों में, तनिक भी संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतका की हत्या की थी।

17. इस प्रकार, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित था जिसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

18. इस प्रकार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सीता गोप

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 790 of 2002. Decided on 16th June, 2015.

सत्र मामला सं॰ 296 वर्ष 1998 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 8.10.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 9.10.2002 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 325—घोर उपहति–दोषसिद्धि–घायल सूचक ने अपने साक्ष्य में फर्दबयान में दिए गए अपने बयान का पूर्णतः संपुष्टि किया है–उसके बयान में लघु विरोधाभास हैं किंतु उन लघु विरोधाभासों पर विश्वास मात्र करके संपूर्ण परिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है–घायल का चाक्षुक साक्ष्य जैसा उसके द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किया है–अपीलार्थी विचारण के दौरान तीन माह से अधिक के लिए अभिरक्षा में बना रहा है और तत्पश्चात उसे दोषसिद्ध किया गया था–सतरह वर्ष से अधिक बीत गए हैं और अपीलार्थी ने विचारण की कठोरता एवं अपील लम्बे समय तक लंबित रहने का सामना किया है और पीड़ित हुआ है–न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए दंडादेशित किया जाता है किंतु 500/- रुपयों के जुर्माना के भुगतान पर जैसा अवर न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है–तद्नुसार, दंडादेश उपांतरित। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Sunil Kumar, For the Appellant; Mr. Abhay Kumar Tiwari, For the State.

आदेश

एकमात्र अपीलार्थी ने सत्र विचारण सं॰ 296 वर्ष 1998 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा दिए गए दिनांक 8/9.10.2002 के आक्षेपित निर्णय एवं दोषसिद्धि के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोष सिद्ध किया गया है और दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रु॰ का जुर्माना तथा व्यतिक्रम खंड के साथ दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. अभियोजन विवरण जो अपीलार्थी के विचारण की ओर ले गया निम्नलिखित है:

सूचक सोनू गोप (अ॰ सा॰ 4) की प्रेरणा पर सरकारी अस्पताल, रायडीह में घायल दशा में रायडीह पुलिस थाना के सब-इंस्पेक्टर द्वारा उसका फर्दबयान इस अभिकथन के साथ दर्ज किया गया था कि दिनांक 15.11.1997 को जब वह नारो टोली में बड़ाई मेला देखने के बाद अपने गाँव वापस जा रहा था और सायं 6.30 बजे घाटोघार नदी के निकट पहुँचा, अपीलार्थी सीता गोप ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसको पीछे से पकड़ लिया और उसको गेटु पानी पहाड़ी की ओर ले गए और मुक्का, थप्पड़ एवं पत्थर से उस पर प्रहार किया और उक्त पहाड़ी की गुफा में फेंक दिया और उसपर पुन: पत्थर मारा जिसके परिणामस्वरुप उसे मुँह, दाएँ-बाएँ हाथ, छाती, पैर और पूरे शरीर पर उपहति हुई। उसका दायाँ हाथ टूट गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि वह बेहोश हो गया और अगले दिन सुबह उसका भाई महरु गोप (अ॰ सा॰ 2), पुत्र महाबीर गोप (अ॰ सा॰ 3) और पत्नी पार्वती देवी (अ॰ सा॰ 1) वहाँ आए और उसको गुफा से बाहर निकाला और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, राँची ले गए। प्रहार के पीछे का कारण प्राथमिकी में कथित भूमि विवाद है।

3. सूचक के फर्दबयान के आधार पर पूर्वोक्त मामला दर्ज किया गया था और सम्यक अन्वेषण के बाद पुलिस ने वर्तमान अपीलार्थी सीता गोप के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/323/ 325 एवं 307/34 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। तत्पश्चात विचारण के लिए मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थी के विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था किंतु अपीलार्थी ने आरोपों का दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया क्योंकि उसे झूठा फँसाया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 313 के अधीन बयान में बचाव यह है कि घटना, जैसा अभिकथित किया गया है, कभी नहीं हुई और उसने सूचक पर प्रहार नहीं किया था और निर्दोषिता का अभिवचन किया। जैसा अभिलेख से प्रतीत होता है, अभियोजन ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 4 सोहनू गोप सूचक है, अ॰ सा॰ 1 पार्वती देवी सूचक की पत्नी, अ॰ सा॰ 2 महरु गोप भाई, अ॰ सा॰ 3 महाबीर गोप पुत्र हैं। दो लकड़ी बेचने वालों भोकला राम एवं छत्रपाल राम का परीक्षण क्रमश: अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है। अ॰ सा॰ 7 भीखाराम खरिया, अ॰ सा॰ 8 गायत्री देवी, अ॰ सा॰ 9 बालभद्र खरिया, अ॰ सा॰ 10 सूरज नाथ गोप, अ॰ सा॰ 12 बुधराम भगत को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 13 है किंतु डॉक्टर जिसने सूचक का इलाज किया था का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। किंतु, उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित की गयी है जैसा संहिता की धारा 294 के अधीन सिद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और उपहति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पूर्वोक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया। अत:, अपील की गयी है।

3A. विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि अभियोजन गवाहों के साक्ष्य से प्रकट मामले के

तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश न्यायोचित है?

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विद्वान अवर न्यायालय ने हितबद्ध गवाहों अर्थात् पत्नी, पुत्र एवं भाई के साक्ष्य पर विश्वास करने में गलती किया यद्यपि वे घटना के चश्मदीद गवाह भी नहीं हैं। आगे, आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय सूचक (अ॰ सा॰ 4) एवं अन्य गवाहों के साक्ष्य में सामने आने वाले महत्वपूर्ण विरोधाभासों को ध्यान में लेने में विफल रहा। इस प्रकार, विद्वान अवर न्यायालय का निष्कर्ष आधारहीन है और निर्णय बिल्कुल अतार्किक है और अपास्त किए जाने योग्य है।

5. उक्त निवेदन के विपरीत राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के समर्थन में निवेदन किया कि इंगित किए गए विरोधाभास महत्वपूर्ण नहीं है और प्रहार एवं उपहति के संपूर्ण अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।

6. मैंने मामले के अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दो बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर मेरे दृष्टिकोण में दोषसिद्धि के निर्णय का विरोध करने के लिए लिए गए दोनों आधार अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करते हैं। यदि यह माना भी जाए कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। किंतु अ॰ सा॰ 1 (पत्नी) और अ॰ सा॰ 2 (भाई) ने अपने साक्ष्यों में परिसाक्ष्य दिया है कि सूचना पाने के बाद वे घटना स्थल पर आए जहाँ उन्होंने सूचक को गुफा में पड़ा पाया और वे सूचक को अस्पताल ले गए जहाँ सूचक (अ॰ सा॰ 4) ने प्रकट किया कि सीता गोप एवं तीन अन्य व्यक्तियों ने उस पर प्रहार किया था। घायल सूचक (अ॰ सा॰ 4) ने अपने साक्ष्य में फर्दबयान में दिए गए अपने बयान को पूर्णत: संपुष्ट किया है। यह सत्य है कि उसके बयान में लघु विरोधाभास हैं किंतु उन लघु विरोधाभासों पर विश्वास मात्र करके संपूर्ण परिसाक्ष्य खारिज नहीं किया जा सकता है। दोनों लकड़ी बेचने वालों अ॰ सा॰ 5 एवं 6 ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि जब वे पतराटोली में लकड़ी बेचने जाते हुए मुर्रा पहाड़ी के निकट पहुँचे, उन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ पड़े पाया और उसकी एक हाथ में फ्रैक्चर था और पूछने पर व्यक्ति जो उनके लिए अज्ञात था ने अपना नाम बताया जिसके बाद वे घायल के गाँव नारो टोली सूचित करने गए। उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 स्पष्टत: कहती है कि सूचक के दाएँ हाथ में ह्यूमरस का फ्रैक्चर था। उपहति रिपोर्ट से आगे प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 4 को अपने शरीर पर पाँच उपहति आयी थी यद्यपि उपहति सं॰ 1, 2, 3 एवं 5 सामान्य प्रकृति की थी किंतु उपहति सं॰ 4 दाएं ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर था। उस स्थिति में घायल अ॰ सा॰ 4 का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है।

7. इन परिस्थितियों में, मैं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

8. जहाँ तक दंड की मात्रा का संबंध है, यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी विचारण के दौरान तीन माह से अधिक समय से अभिरक्षा में बना हुआ है और तत्पश्चात उसे दोषसिद्ध किया गया है और इस दशा में इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में पहले ही भुगत ली गयी अवधि का दंडादेश पर्याप्त होगा। यह निवेदन भी किया गया था कि घटना वर्ष 1997 में हुई थी और चूँकि सतरह से अधिक वर्ष बीत गए हैं और अपीलार्थी ने विचारण एवं अपील के लम्बे समय तक लंबित रहने की कठोरता का सामना किया है, अपीलार्थी के विरुद्ध नरम दृष्टिकोण लिया जा सकता है।

9. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि सतरह वर्ष से अधिक बीत गए हैं और अपीलार्थी विचारण एवं अपील लम्बे समय तक लंबित रहने की कठोरता से पीड़ित हुआ है और इसका सामना किया है, अत: मेरे दृष्टिकोण में न्याय का हित पूरा होगा यदि अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए दंडादेशित किया जाता है किंतु 500/- रुपयों के जुर्माना के भुगतान पर जैसा अवर न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है। तद्नुसार, दंडादेश उपांतरित किया जाता है। जुर्माना राशि के भुगतान के व्यतिक्रम में अपीलार्थी दो माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतेगा जैसा अवर न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है।

10. दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुरेश कुमार साह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1338 of 2014. Decided on 18th May, 2015.

सेवा विधि–निलंबन–ढाई वर्ष बाद भी निलंबन बना हुआ है–प्रत्यर्थियों को विभागीय कार्यवाही में अभी भी अंतिम निर्णय लेना है–निलंबन के आदेश का भाग्य ऐसे निर्णय पर भी निर्भर करेगा–अनुशासनिक प्राधिकारी को दस सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–M/s R. Krishna, Jai Shankar Tiwary, For the Petitioner; Mrs. Shweta Singh, For the Resp.-State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची जब वह मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची के मुख्यालय में लिपिक के रूप में पदस्थापित था को संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 15.10.2012 के आदेश के तहत दिनांक 12.10.2012 के प्रभाव से निलंबन के अधीन किया गया था और उसे यह सूचित करते हुए विभाग द्वारा प्रपत्र–क में आरोप भी जारी किया गया है कि कोई चंद्र किशोर सिंह, उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), झारखंड संचालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और कोई नीरज कुजूर, सहायक निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), झारखंड उक्त कार्यवाही में प्रस्तुती अधिकारी होंगे।

3. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ढ़ाई वर्षों के बीतने के बाद भी अभी तक निलंबन बना हुआ है, यद्यपि अपने प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए बयानों से यह पता चलता है कि दिनांक 29.1.2013 के ज्ञापन सं॰ 191 के तहत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। किंतु याची प्रतिवाद करता है कि जाँच कार्यवाही में एक भी बैठक नहीं की गयी थी और वह आज की तिथि तक जाँच के परिणाम से अवगत नहीं था अथवा जाँच रिपोर्ट के आधार पर उसे कोई द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही अंतिम आदेश पारित किया गया है। याची के अधिवक्ता के अनुसार, निलंबन आदेश आक्षेपित किया गया है।

4. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के विरुद्ध संचालक अधिकारी अर्थात् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची द्वारा दिनांक 29.1.2013 की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो परिशिष्ट C है, किंतु साथ ही यह उपदर्शित करते हुए कि याची ने अपने निलंबन के बाद अपने मुख्यालय के स्थान पर पदग्रहण नहीं किया है, तत्पश्चात नोटिस जारी किया गया है जो परिशिष्ट-D है। किंतु याची को परिशिष्ट H पर संलग्न विवरणों के मुताबिक निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया है।

5. यह पक्षों के मामले का संक्षिप्त सार है।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों को अभी भी विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लेना है। निलंबन आदेश का भाग्य भी ऐसे निर्णय पर निर्भर करेगा। अत: यह वांछनीय है कि अनुशासनिक प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी सम्यक प्रक्रिया के सम्यक पालन के बाद और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरुप जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से, जो स्वयं जनवरी, 2013 में ही प्रस्तुत कर दिया गया प्रतीत होता है, याची के विरुद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही में निर्णय ले। ऐसा निर्णय इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाए।

7. यह कहना अनावश्यक है कि याची उक्त कार्यवाही में सहयोग करेगा। सक्षम प्राधिकारी उसी आदेश द्वारा निलंबन के प्रश्न पर भी निर्णय लेगा।

8. रिट याचिका निपटायी जाती है। आई॰ ए॰ सं॰ 1198/2015 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

बिपल्व कुमार राय एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Revision No. 909 of 2012. Decided on 28th April, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406, 420, 468, 506, 109 एवं 120B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 245 एवं 320—न्यास का दांडिक भंग, छल, दांडिक अभित्रास एवं षडयंत्र–संज्ञान–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–प्रावधानों में से कुछ जिनमें संज्ञान लिया गया है न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं–चूँकि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से सुलह याचिका दाखिल किया है और अपना विवाद सुलझा लिया है और आगे प्रार्थना किया है कि वे मामले को आगे ले जाना नहीं चाहते है, संहिता की धारा 320 के अधीन सृजित वर्जना अपराध शमनित करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और सुलह स्वीकार किया जा सकता है–दोनों पक्षों को परिवाद मामले के समस्त पक्षों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित संयुक्त सुलह याचिका अवर न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया गया–अवर न्यायालय को सुलह की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद याचीगण के विरुद्ध विरोधी पक्षकार द्वारा दर्ज दांडिक अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया गया–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2003) 4 SCC 675—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Subodh Kumar Jha, For the Petitioner; A.P.P., For the Resp.-State; M/s P.P.N. Roy, S.K. Singh, Sanjay Kumar, For the O.P. No. 2.

आदेश

याचीगण की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन दाखिल इस पुनरीक्षण आवेदन में प्रार्थना परिवाद मामला सं॰ C/1-764/2008 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.2.2010 का आदेश अपास्त करने के लिए थी जिसके द्वारा और जिसके अधीन संहिता की धारा 245 के अधीन अपने उन्मोचन के लिए याचीगण द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दिया गया था।

2. वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420/468/469/471/109/500/467/506/341/34 के अधीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष उक्त परिवाद मामला दाखिल किया और संहिता में अनुध्यात जाँच के बाद न्यायालय ने याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 468, 506, 109 एवं 120B के अधीन अपराध का संज्ञान लिया।

3. परिवाद याचिका में अभिकथन यह है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने शेयर/स्टॉक मार्केट में कतिपय निवेश किया था जिसके बाद याचीगण ने उसको अपने फर्म का सदस्य बनने के लिए आश्वस्त किया और अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर रियायत एवं सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने याचीगण के माध्यम से विपुल राशि का निवेश किया किंतु याचीगण ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2/परिवादी की सहमति के बिना व्यवसाय किया और विरोधी पक्षकार को अंधेरे में रखते हुए मनमाना दलाली एवं ब्याज प्रभारित किया और इस विरोधी पक्षकार को भारी नुकसान पहुँचायी।

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने अपनी उपस्थिति के बाद अपने उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 245 के अधीन याचिका दाखिल किया जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि आरोप विरचित किए जाने के पहले परीक्षित गवाहों ने पूर्णत: मामले का समर्थन किया है और वर्तमान मामला मूलत: दस्तावेज आधारित मामला है और उन दस्तावेजों पर इस चरण पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाते हुए संबंधित न्यायालय ने उनके उन्मोचन के लिए याचीगण की याचिका अस्वीकार कर दिया जैसा कथन ऊपर किया गया है।

5. पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान, याचीगण एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 2244 वर्ष 2015 उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि उन्होंने न्यायालय के बाहर अपना मामला सुलझा लिया है और सुलह के निबंधनानुसार याचीगण ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को चेक सौंप दिया है। अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रार्थना किया कि चूँकि पक्षों ने अपना मामला सुलझा लिया है, परिवाद मामला सं॰ C/1-764 वर्ष 2008 जो न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित है, अपास्त कर दिया जाए।

आगे यह निवेदन किया गया था कि कार्यवाही जारी रखने का अब कोई भी औचित्य नहीं है और यद्यपि एक-दो धाराएँ संहिता की धारा 320 के आलोक में शमनीय नहीं है, इस न्यायालय को संहिता की धारा 320 की परिसीमा के बावजूद मामला शमनित करने की अनुमति प्रदान करने की प्रत्येक अधिकारिता है।

6. संहिता की धारा 320 विभिन्न तालिकाओं में अपराधों का विवरण देती है जो पक्षों द्वारा शमनीय है और जो न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। उक्त उल्लिखित प्रावधानों में से, जैसा चर्चा ऊपर की गयी है, जो यहाँ पुनः दोहराया जाता है, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 406/420/468/120B जिनमें अपराध का संज्ञान लिया गया है, धाराएँ 406, 420 एवं 506 न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं। इस प्रकार, प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या यह न्यायालय संहिता की धारा 320 की वर्जना के बावजूद शमन करने की अनुमति देने में सक्षम होगा? **बी॰ एस॰ जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य, (2003)4 SCC 675,** में निर्णय में धारा 498A के अधीन कार्यवाही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शमन की अनुमति दी गयी थी जो समरुपतः धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि वैवाहिक मामलों में, वैवाहिक विवादों का वास्तविक समाधान प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। माननीय न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि दिए गए तथ्यों में पक्षों द्वारा सुलह करने पर और पति-पत्नी के रूप में अपना संबंध पुनर्जीवित करने पर, ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि का अवसर नहीं होगा क्योंकि स्पष्टतः सुलह की दृष्टि में अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार, यह गौर किया गया था कि अभियुक्तों को अपराध के लिए दोषसिद्ध करने की युक्तियुक्त संभावना नहीं होगी।

7. वर्तमान मामले में, प्रावधानों में से कुछ जिनमें संज्ञान लिया गया है न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। यह सत्य है कि संहिता की धारा 320 की दृष्टि में, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन अपराध न्यायालय अथवा छल किए गए व्यक्तियों अथवा संपत्ति जिसके संबंध में न्यास का भंग किया गया है के स्वामी की अनुमति से शमनीय है। वर्तमान मामले में, याची के विरुद्ध आरोप भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 468, 506 एवं 120B के अधीन विरचित किए गए हैं। स्पष्टतः, मुख्य अपराध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 420 एवं 406 है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B अपराध विशेष करने के लिए षडयन्त्र पर विचार करती है। इसी प्रकार से, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 468 ऐसे मामले में दंड पर विचार करती है जहाँ व्यक्ति यह आशय रखते हुए कि कूटरचित दस्तावेज का उपयोग छल के प्रयोजन से किया जाएगा, कूटरचना करता है। चूँकि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से सुलह याचिका दाखिल किया है और अपना विवाद सुलझा लिया है और आगे प्रार्थना किया कि वे मामले को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, संहिता की धारा 320 के अधीन वर्जना अपराध शमनीत करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और सुलह स्वीकार किया जा सकता है। किंतु, इस न्यायालय के समक्ष दोनों अधिवक्ताओं अर्थात् याची के एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और यह ऐसा परिलक्षित नहीं करता है कि इस पर याचीगण द्वारा और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जो संयुक्त सुलह याचिका पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए परिवाद मामला के पक्षों की ओर से अनिवार्य आवश्यकता होगी।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, दोनों पक्षों को परिवाद मामला के समस्त पक्षों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित संयुक्त सुलह याचिका अवर न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय को सुलह की वास्तविकता के प्रति संतुष्ट होने के बाद याचीगण के विरुद्ध विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दर्ज दांडिक अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और परिवाद मामला सं॰ C/1-764 वर्ष 2008 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.2.2010 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

बी॰ मुथुरमन उर्फ बालासुब्रमनियम मुथुरमन एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 59 of 2009. Decided on 22nd May, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 468—झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005—नियम 9—झारखंड खनिज रियायत नियमावली, 1960—धारा 52—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धाराएँ 21 एवं 23—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—खनन अपराध–कोयला का अवैध परिवहन–अपराध के संज्ञेय होने के नाते इसमें पुलिस द्वारा जाँच और अन्वेषण किया जा सकता है–इस प्रभाव का निवेदन किया गया कि एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम के प्रावधान के निबंधनानुसार केवल सक्षम अधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल किए जाने पर संज्ञान लिया जा सकता है, किंतु पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया जा रहा है, उसके द्वारा आरोप पत्र की दाखिली इसे परिवाद के तुल्य नहीं बनाएगी और ऐसे अंतिम फॉर्म पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है–वह चरण अभी नहीं आया है और इस चरण पर उस विवाद्यक पर विचार करने की आवश्यकता कभी नहीं है–अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी पोषित की जा सकती है–अभिखंडन आवेदन खारिज। (पैराएँ 17 एवं 18)

अधिवक्तागण.–M/s Indrajeet Sinha, H.K. Shikarwar, For the Petitioners; Mr. JC to G.P.-II, For the Respondents.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन भारतीय दंड संहिता की धारा 468 और झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 के नियम 9 तथा झारखंड खनिज रियायत नियमावली, 1960 की धारा 52 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं 21 एवं 23 के अधीन संस्थित मांडू पी॰ एस॰ केस सं॰ 493 वर्ष 2008 (जी॰ आर॰ सं॰ 4585 वर्ष 2008) की प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन मामला यह है कि जब किसी रामेश्वर राना प्रसाद, सहायक खनन अधिकारी, रामगढ़ ने गश्ती एवं निरीक्षण के क्रम में झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 के नियम 3 के अधीन आवश्यक अभिवहन परमिट (फॉर्म D) के बिना कोयला से लदे चार ट्रकों को पाया, जाँच की गयी थी और यह जाना जा सका था कि कोयला टाटा की घाटो कोलियरी में लादा गया था। इस प्रकार, यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तों ने उक्त कथित तरीके से स्वयं को लिप्त करके राज्य सरकार को भारी हानि कारित किया है।

मांडू पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर पूर्वोल्लिखित अपराधों के अधीन मांडू पी॰ एस॰ केस सं॰ 493 वर्ष 2008 दर्ज किया गया था।

3. उक्त मामले के संस्थापन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि झारखंड राज्य द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 (C) (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग

में अवैध खनन, परिवहन, खनिज एवं खनिज उत्पादों के भंडारण को रोकने के लिए झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 विरचित किया गया था जबकि उक्त विनियमन का खंड 9 विहित करता है कि जब कभी खनन पट्टाधारी किसी वैध परमिट अथवा चालान के बिना अपने खान में निकाले गए खनिज का परिवहन करता है, इसे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के प्रावधानों एवं पट्टा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और, तद्द्वारा, उक्त अधिनियमों एवं नियमावलियों के अधीन अभियोजित किए जाने का दायी होगा और, तद्द्वारा, अभिकथन जिस पर मामला दर्ज किया गया है ''विशेष विधान'' अर्थात् झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस अपराध का संज्ञान केवल इस निमित्त केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अधीन न्यायालय ले सकता है और, इसलिए, प्राथमिकी के आधार पर आरंभ किया गया कोई अभियोजन बिल्कुल अवैध होगा और, तद्द्वारा, प्राथमिकी अभिखंडित किए जाने योग्य है।

4. न्यायालय अधिनियम एवं नियमावली के निबंधनानुसार पट्टा की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड विहित करने वाले झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 के खंड 9 के प्रावधानों को ध्यान में ले कर इस निष्कर्ष पर आया कि अभिकथन झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 एवं विशेष विधान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अपराध गठित करते हैं और, तद्द्वारा, कोई अन्वेषण, जाँच अथवा विचारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की दृष्टि में विशेष विधि द्वारा शासित होगा और न कि सामान्य विधि के अधीन। उस स्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सूचक द्वारा परिवाद के जरिए नहीं बल्कि पुलिस को दी गयी सूचना के जरिए आरंभ किया गया अभियोजन बिल्कुल अवैध है और, तद्द्वारा, मांडू पी॰ एस॰ केस सं॰ 493 वर्ष 2008 की प्राथमिकी दिनांक 16.4.2009 के आदेश के तहत अपास्त की गयी थी।

5. झारखंड राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस॰ एल॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 7126/2010/दांडिक अपील सं॰ 562 वर्ष 2011, में उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसे अन्य दांडिक अपील सं॰ 560/2011 एवं 561/2011 के साथ सुना गया था। माननीय न्यायाधीशों ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया और आदेश के पैरा 5 में किए गए संप्रेक्षण के निबंधनानुसार विधि के अनुरुप नया निर्णय लेने के लिए मामला वापस भेजा गया था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"5. geu vk{kfir fu.k;k dk ifj'kh yu fd;k gA ge ikr g fd mPp U;k;ky; }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 21 (6) d çHkko ij fcYdy fopkj ugh fd;k x;k gA bu ifjfLFkfr;k d vèkhu] gekj nf"Vdk.k e] mPp U;k;ky; vfèkfu;e dh èkkjk 21 (6) d çHkko lfgr leLr ç'uk ij ij ekey ij iufopkj djxkA rnulkj] ge vk{kfir fu.k;k dk vikLr djr g vkj fofèk d vu:i u, fu.k; d fy, ekeyk dk mPp U;k;ky; d ikl okil Hktr gA ;g mYy[k djuk vuko';d g fd leLr i{k mPp U;k;ky; d le{k ç'uk dk mBku d fy, Lor= gkxA***

6. इस प्रकार, यह मामला इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपूर्ण विवाद्यक पर पुनर्विचार किए जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि झारखंड राज्य द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 223 (C) (1) एवं 23 (2) (C) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अवैध खनन, परिवहन, खनिजों एवं खनिज उत्पादों का भंडारण रोकने के लिए झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 विरचित किया गया था जिसके द्वारा उक्त विनियमन, 2005 का खंड 9 विहित करता है कि जब कभी कोई खनन पट्टाधारी किसी वैध परमिट अथवा चालान के बिना अपने खान से निकाले गए खनिज परिवहित करता है, इसे पट्टा की शर्तों और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और तद्द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के अधीन अभियोजित किए जाने के लिए दायी होगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 विहित करती है कि जो कोई भी धारा 4 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (1A) के प्रावधानों को उल्लंघन करता है, उसे ऐसी अवधि जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है के कारावास से अथवा जुर्माना जिसे पचीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। उक्त दंड प्रावधान आगे अनुबंधित करते हैं कि अधिनियम [खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957] के किसी प्रावधान के अधीन बनाया गया कोई नियम प्रावधानित कर सकता है कि इसका कोई उल्लंघन अवधि जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है के कारावास से अथवा जुर्माना जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है से अथवा दोनों से दंडनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माना जिसे प्रत्येक दिन के लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहने के दौरान पाँच हजार रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा। आगे, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (6) अनुबंधित करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी चीज के बावजूद उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।

विद्वान अधिवक्ता खंडों और धारा 21 की उपधारा 6 तथा उपधारा (1) के अधीन अपराधों पर जोर देते हुए निवेदन करते हैं कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (6) के प्रावधान के निबंधनानुसार केवल धारा 21 की उपधारा (1) में आने वाले अपराध संज्ञेय होंगे और न कि वे अपराध जो धारा 21 की उपधारा (2) में हैं। दूसरे शब्दों में, किया गया निवेदन यह था कि अभिकथन जिन्हें याची के विरुद्ध किया गया है झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हैं जो अधिनियमों एवं नियमावलियों के निबंधनानुसार झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 के खंड 9 के फलस्वरुप दंडनीय है और तद्द्वारा यह धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा आच्छादित नहीं होगा और, इसलिए, अभिकथित अपराध को संज्ञेय नहीं कहा जा सकता है और इन परिस्थितियों के अधीन पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और दंडाधिकारी के आदेश के बिना अन्वेषण हेतु अग्रसर होने की शक्ति नहीं है।

8. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली का उल्लंघन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) अथवा 4 (1) (A) के अधीन

दंडनीय होगा और, तद्द्वारा, धारा 21 की उपधारा 6 के निबंधनानुसार समस्त अपराध संज्ञेय होंगे जहाँ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने और अन्वेषण करने के लिए सक्षम है।

9. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, मैं पाता हूँ कि प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जब यह पाया गया था कि टाटा की घाटो कोलियरी जिसके समय के प्रासंगिक बिंदु पर याचीगण प्रबंध निदेशक थे से कोयला निकाला गया था और तद्द्वारा याचीगण ने अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम एवं नियमावली के अधीन दंडनीय उक्त विनियमन के प्रावधानों का अभिकथित रूप से उल्लंघन किया है। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन अपराध किया गया भी अभिकथित किया गया है। उक्त अभियोजन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1A) की दृष्टि में आरंभ किया गया प्रतीत होता है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"4. **dkb [kuu dk; ;k io{k.k dk; dk vuKfIr ;k iVVk d vrxr gkuk-**&(1) dkb 0;fDr flok, oh{k.k ijfeV vFkok io{k.k vuKfIr vFkok ;FkkfLFkfr] bl vfèkfu;e ,o bld vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh d vèkhu çnku fd, x, [kuu iVVk d fucèkuk ,o 'krk d vu#i ,o vèkhu] fdlh {k= e dkb oh{k.k] io{k.k vFkok [kuu ldk; ugh djxkA*

---

*(1A) dkb 0;fDr bl vfèkfu;e ,o bld vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh d çkoèkkuk d vu#i l fHkUu gfl;r e fdlh [kfut dk ifjogu vFkok HkMkj.k vFkok ifjofgr vFkok HkMkfjr fd;k tkuk dkfjr ugh djxkA***

10. प्रावधान जैसा धारा 4 (1) एवं 4 (1A) में अंतर्विष्ट हैं का उल्लंघन अधिनियम की धारा 21 के निबंधनानुसार दंडनीय है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"21. **nM-**&(1) tk dkb Hkh èkkjk 4 dh mièkkjk (1) vFkok mièkkjk (1A) d çkoèkkuk dk mYy?ku djrk g] og ,lh vofèk ftl nk o"k rd c<k;k tk ldrk g d dkjkokl l vFkok tekuk ftl iphl gtkj #i;k rd c<k;k tk ldrk g l vFkok nkuk l nfMr fd;k tk,xkA*

*(2) vfèkfu;e [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu½ vfèkfu;e, 1957] d fdlh çkoèkku d vèkhu cuk;k x;k dkb fu;e çkoèkkfur dj ldxk fd bldk mYy?ku ,d ,lh vofèk ftl ,d o"k rd c<k;k tk ldrk g d dkjkokl l vFkok tekuk ftl ikp gtkj #i;k rd c<k;k tk ldrk g l vFkok nkuk l nMuh; gkxk vkj pky jgu oky mYy?ku d ekey e vfrfjDr tekuk ftl çR;d fnu d fy,] ftld nkjku ,lh igy mYy?ku d fy, nk"kflf) d ckn ,lk mYy?ku tkjh jgrk g] ikp gtkj #i;k rd c<k;k tk ldrk g l nMuh; gkxkA***

11. साथ ही, झारखंड खनिज अभिवहन चालान विनियमन, 2005 का नियम 9 पट्टा की शर्त के उल्लंघन के लिए दंड अनुबंधित करता है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"9(a) tc dHkh dkb [kuu iVVkèkkjh fdlh oèk ijfeV vFkok pkyku d fcuk viu [kku l fudkyk x;k [kfut ifjofgr djrk g] bl iVVk dh 'krk ,o [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1957 vkj [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 rFkk >kj[kM y?k [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 2004 ;FkkfLFkfr] d çkoèkkuk d

mYy?ku d :i e ekuk tk,xk vkj iVVk foy[k rFkk mDr vfèkfu;e ,o fu;eoyh d nM çkoèkkuk d vèkhu dkjokb dh tk,xhA

*(b) [kuu iVVkèkkjh mud }kjk dke ij yxk, x, ifjokgdk }kjk bu fofu;euk d dBkj vuikyu d fy, ftEenkj gkxk vkj lfuf'pr djxk fd okgd lR;kiu d fy, pd xV@otu e'khu ij vko';d vfHkogu pkyku çLrr djA***

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड जिसे अनुज्ञप्ति की शर्त अथवा खनिज रियायत नियमावली एवं झारखंड खनिज रियायत नियमावली, 2004 के प्रावधान के उल्लंघन में अधिरोपित किया जा सकता है, धारा 21 के निबंधनानुसार, जिसे दो वर्षों तक अथवा जुर्माना के साथ बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम एवं नियमावली के उल्लंघन के कारण उक्त अपराध धारा 21 की उपधारा 6 में अंतर्विष्ट प्रावधान के निबंधनानुसार संज्ञेय है।

13. मैंने पहले ही गौर किया है कि खनिजों के परिवहन एवं भंडारण से संबंधित अधिनियम और नियमावली का कोई उल्लंघन धारा 4 (1A) के अधीन अपराध है जो एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम की धारा 21 (1) के अधीन दंडनीय है। यदि ऐसा है, उक्त अपराध धारा 21 की उपधारा (6) के निबंधनानुसार संज्ञेय होगा।

14. किंतु, याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभिकथन जिन्हें याची के विरुद्ध किया गया है, झारखंड खनिज रियायत नियमावली, खनिज रियायत नियमावली के उल्लंघन एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन का है, और, तद्द्वारा, यह अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा शासित होगा।

15. उक्त निवेदन भ्रामक प्रतीत होता है क्योंकि धारा 4 (1A) बिल्कुल स्पष्टत: अनुबंधित करती है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अनुरुप से अन्यथा किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण नहीं करेगा अथवा परिवहित अथवा भंडारित नहीं करवायेगा यदि किसी नियम अथवा अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, यह अधिनियम की धारा 4 (1A) के निबंधनानुसार दंडनीय होगा और, तद्द्वारा, अभिकथित अपराध संज्ञेय होगा।

16. जहाँ तक धारा 21 की उपधारा (2) का संबंध है, वह मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करने वाला प्रतीत होता है कि नियमों के उल्लंघन के लिए किन निबंधनों में दंड दिया जा सकता है।

17. इस प्रकार, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपराध के संज्ञेय होने के नाते पुलिस द्वारा इसकी जाँच एवं अन्वेषण किया जा सकता है।

किंतु इस प्रभाव का निवेदन भी किया गया था कि एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार संज्ञान केवल सक्षम अधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल करने पर लिया जा सकता है किंतु पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया जा रहा है, उसके द्वारा आरोप पत्र की दाखिली परिवाद के तुल्य नहीं होगी और, तद्द्वारा, ऐसे फाइनल फॉर्म पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

18. वह चरण अभी नहीं आया है। अत:, इस चरण पर उस विवाद्यक पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु, चूँकि मैंने पाया कि पूर्वोक्तानुसार अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी पोषित की जा सकती है, मैं इस आवेदन में गुणागुण नहीं पाता हूँ एवं, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

निशांत सिंह उर्फ कुमार निशांत

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Revision No. 195 of 2013. Decided on 13th May, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341/323/307/324/34/115—आयुध अधिनियम, 1959—धाराएँ 25 (1b)A/26/27—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 228—हत्या का प्रयास एवं घोर उपहति–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–न्यायालय को केवल मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं, मजबूत संदेह एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना होगा–इस चरण पर मामले के पक्ष-विपक्ष में अतिगामी जाँच और विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता देखने के लिए साक्ष्य को तौलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला, यदि यह बनता है, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है–अवर न्यायालय ने केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों पर विचार किया है और आरोप विरचित करने के लिए याची के विरुद्ध सामग्रियों की पर्याप्तता पायी है–यह मानने के लिए याची ने अभिकथित अपराध किया है, याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 से 10)

निर्णयज विधि.–2015(1) East Cr. C. 450 (S.C.)—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s K.P. Deo, Gaurav, Aashish Kumar, For the Petitioner; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the Resp.-State.

आदेश

इस पुनरीक्षण आदेश में चुनौती एस॰ सी॰ सं॰ 231 वर्ष 2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश II, देवघर द्वारा पारित दिनांक 23.1.2013 के आदेश को दी गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 228 के अधीन याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. सूचक राजेश प्रसाद राउत की प्रेरणा पर वर्तमान मामला देवघर (टाऊन) पी॰ एस॰ केस सं॰ 214 वर्ष 2007 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/323/307/324/34/115 के अधीन और आयुध अधिनियम की धाराओं 25 (1-b)A/26/27 एवं 35 के अधीन भी इस अभिकथन पर संस्थित किया गया था कि जब यह सूचक दोपहर लगभग 3.30 बजे अपनी दुकान में कार्यरत था, पाँच व्यक्तियों अर्थात् मनीष कुमार उर्फ बन्टी, रिंकू कुमार, निशांत सिंह (वर्तमान याची), तपन कुमार दास और अनुज कुमार वर्मा उर्फ भोलू को बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा पर बैठा पाया गया था और एक एम्बेसडर कार वहाँ खड़ी थी। पड़ोसी दुकानदार संदीप कुमार सिन्हा दुकान खोलने जा रहा था जब पेड़ के नीचे बैठे व्यक्तियों में से एक निशांत कुमार ने उसे बुलाया और अपना पिस्तौल निकाला और संदीप कुमार को गंभीर परिणाम की धमकी दी जिस पर संदीप कुमार वहाँ से भाग गया और पुनः अपने भाई सुदीप के साथ आया किंतु अभियुक्तों ने उन पर मुक्कों-थप्पड़ों से प्रहार किया और जब यह सूचक अपने भाई सुदीप मिस्त्री और कार्तिक राउत के साथ बचाने गया, निशांत कुमार ने उसकी हत्या करने के आशय से अपने देशी पिस्तौल

से सूचक पर गोली चलाया जिसने उसके दाएँ पैर पर उपहति कारित किया और कार्तिक राउत के भी पैर पर उपहति आयी। हल्ला करने पर, जब स्थानीय लोग वहाँ जमा होना शुरू किये, चार अभियुक्तगण अपनी एम्बेसडर कार में भाग गए किंतु एक अभियुक्त मनीष उर्फ बन्टी घटनास्थल पर पकड़ा गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि निशिकांत कुमार का पिस्तौल गिर गया जब वह भाग रहा था जिसे सूचक द्वारा संग्रहित किया गया था और पुलिस को सौंपा गया था।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के बाद पुलिस ने पूर्वोक्त धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ अन्य अभियुक्तों के साथ वर्तमान याची की प्रेरणा पर उन्मोचन याचिका दाखिल की गयी थी किंतु इसे पूर्वोक्तानुसार अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों एवं साक्ष्यों की पर्याप्तता अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवर न्यायालय के निष्कर्षों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आयुध अधिनियम के अधीन मंजूरी नहीं ली गयी थी और सार्जेन्ट मेजर से बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया गया था और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध गठित करने के लिए केस डायरी में साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। अतः, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. याची की ओर से किए गए प्रतिवाद का खंडन करते हुए राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप करने लायक आक्षेपित आदेश में अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है और आरोप विरचित करने अथवा उन्मोचन के चरण पर मामले के पक्ष-विपक्ष में अतिगामी जाँच अनुज्ञेय बिल्कुल नहीं है।

6. इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागरुक होकर कि विचारण अभी बिल्कुल अपनी दहलीज पर होगा और कि इस आवेदन में न्यायालय याची को आरोपित अथवा उन्मोचित किए जाने के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, मैं संहिता की धाराओं 227 एवं 228 के विस्तार का परीक्षण करना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल के निर्णय में अर्थात् **राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से बनाम ए॰ अरुण कुमार एवं एक अन्य, 2015 (1) East Cr. C. 450 (SC),** में विधि के इस बिन्दु का सारगर्भित रूप से विश्लेषण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धाराओं 227 एवं 228 के विस्तार के बारे में विभिन्न प्रामाणिक निर्णयों पर विचार करने पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> *(i) U;k;kèkh'k dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 227 d vèkhu vkjksi fojfpr dju d ç'u ij fopkj djr g, ;g irk yxku d lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu dju ,o eY;kdu dju dh fufookfnr 'kfDr g fd D;k vfHk;Dr d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk g ;k ughA çFke n"V;k ekeyk fofuf'pr dju dh ijh{kk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxhA*
>
> *(ii) tgk U;k;ky; d le{k çLrr lkexh vfHk;Dr d fo#) xHkhj lng çdV djrh g ft ldk lefpr :i l Li"V ugh fd;k x;k g] U;k;ky; vkjksi fojfpr dju e vkj fopkj.k gr vxlj gku e i.krh U;k;kfpr gkxkA*
>
> *(iii) U;k;ky; ek= Mkd[kkuk vFkok vfHk;ktu d e[ki= d :i e ÑR; ugh dj ldrk g cfYd bl ekey dh 0;kid vfèkHkkO;rkvk] fdlh ey ncyrk] U;k;ky; d le{k çLrr lk{; ,o nLrkotk d dy çHkko bR;kfn ij fopkj djuk gkxkA fdr] bl pj.k ij ekey d i{k&foi{k e vfrxkeh tkp ugh gk ldrh g vkj lk{; dk rkyk ugh tk ldrk g ekuk og fopkj.k lpkfyr dj jg gA*

(iv) ;fn vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij U;k;ky; er fufer dj ldrk Fkk fd vfHk;Dr vijkèk dj ldrk Fkk] ;g vkjki fojfpr dj ldrk g] ;|fi nk"kf If) d fy, fu"d"k dk ;fDr;Dr Ing d ij fl) dju dh vko';drk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA

(v) vkjki fojfpr fd, tku d le; ij] vfHky[k ij ektn lkexh d ifjo{kd eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g fdr vkjki fojfpr dju d igy U;k;ky; dk vfHky[k ij ektn lkexh ij viu U;kf;d food dk bLreky djuk gkxk vkj lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk vijkèk dh dkfjrk lHko FkhA

(vi) èkkjk vk 227 ,o 228 d pj.k ij] U;k;ky; dk ;g irk yxku fd D;k mll lkeu vku oky rF; mud vfdr eY; ij fy, tku ij vfHkdfFkr vijkèk xfBr dju oky leLr vo;ok dk vfLrRo çdV djr g] dh nf"V l vfHky[k ij ektn lkefx;k ,o nLrkotk dk eY;kdu dju dh vko';drk gA bl lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu djuk D;kfd ml vkjfHkd pj.k ij ;g Lohdkj dju dh mEehn ugh dh tk ldrh g fd vfHk;ktu tk Hkh dgrk g] og cã okD; g Hky gh ;g lkekU; ckèk vFkok ekey dh 0;kid vfèklHkk0;rkvk d fo#) gA

*(vii) ;fn nk nf"Vdk.k lHko g vkj mue l ,d doy Ing] tk xHkhj Ing l lfHkUu g] dk mnHkr djrk g] fopkj.k U;k;kèkh'k vfHk;Dr dk mUekfpr dju d fy, l'kDr gkxk vkj ml pj.k ij ml ;g ugh n[kuk g fd fopkj.k dk lekiu nk"kefDr vFkok nk"kf If) e gkxkA***

7. आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह प्रकट है कि अवर न्यायालय इस प्रावधान के विस्तार के प्रति जागरुक था और इसने केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों पर विचार किया है और याची के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए सामग्री की पर्याप्तता पाया है।

8. उक्त मामलों में अधिकथित प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणाओं एवं सिद्धांतों की दृष्टि में, न्यायालय को केवल मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं, मजबूत संदेह और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना होगा। इस चरण पर, मामले के पक्ष-विपक्ष में अतिगामी जाँच और विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता देखने के लिए साक्ष्य तौलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बल्कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला, यदि यह बनता है, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है। मैंने पैराग्राफों 5, 6, 7, 58, 95 उपहति रिपोर्ट, केस डायरी, पैराग्राफ 14 - बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट, पूरक केस डायरी में उपायुक्त, देवघर का मंजूरी आदेश एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री का भी परिशीलन किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि यह मानने के लिए कि याची ने अभिकथित अपराध किया है, वर्तमान याची के विरुद्ध मजबूत प्रथम दृष्टया संदेह है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने झूठा आलिप्त किया जाना दर्शाते हुए केस डायरी से कोई साक्ष्य अथवा कोई तर्कपूर्ण आधार और कि याची के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, इंगित नहीं किया है, अत: आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, और उक्त कथित विधिक अवस्था को ध्यान में रखकर, मैं आक्षेपित आदेश अपास्त करने का कारण नहीं पाता हूँ।

10. यह पुनरीक्षण आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efr

राजेन्द्र राय उर्फ राजन राय (328 में)

श्याम लाल राय (326 में)

दिगंबर राय एवं एक अन्य (327 में)

जीतन रॉय (317 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 328, 326, 327 with 317 of 2003. Decided on 22nd June, 2015.

सत्र केस सं॰ 82 वर्ष 2000/593 वर्ष 2002 में श्री शिव कुमार यादव तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.1.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–घटना की उत्पत्ति एवं अपराध के पीछे के हेतु के स्वीकृत प्रमाण ने अभियोजन मामला मजबूत किया–चिकित्सीय साक्ष्य के मुकाबले गवाह का विश्वसनीय चाक्षुक परिसाक्ष्य का उच्चतर साक्ष्यिक मूल्य है–एकमात्र चश्मदीद गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य सत्यपूर्ण है–अपील खारिज। (पैराएँ 16 से 23)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 134—एकल गवाह के एकमात्र परिसाक्ष्य पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने में विधिक अवरोध नहीं है–साक्ष्य तौला जाना चाहिए और न कि गिना जाना–एकमात्र गवाह पर विश्वास करने एवं दोषसिद्धि दर्ज करने की पूरी छूट न्यायालय को है–विपरीत रूप से, यह अनेक गवाहों के परिसाक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है यदि यह साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है। (पैरा 15)

निर्णयज विधि.–AIR 1957 SC 614; (2003) 11 SCC 367; (2007) 14 SCC 150; AIR 2010 SC 3638; (2004) 3 SCC 654; 2000 SCC (Cri) 61—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajeeva Sharma, Manoj Kumar, Vishwanath Roy, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the Resp.-State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–सत्र मामला सं॰ 82/2000 और सत्र मामला सं॰ 593 वर्ष 2002 में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.1.2003 के दोषसिद्धि के एक ही निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल पूर्वोक्त समस्त चारों सदृश अपीलों को न्यायालय की सुविधा के लिए साथ सुना जा रहा है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, समस्त पाँचों प्राथमिकी नामित अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन किसी काँग्रेस राय की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. सूचक मृतक की पत्नी है जिसने पुलिस एस॰ आई॰ के॰ मित्र के समक्ष अपना बयान देकर विधि गतिशील बनाया है जिसे दिनांक 1.10.1999 को दोपहर 2.30 बजे घटनास्थल पर अर्थात् अभियुक्त दिगंबर के घर के निकट दर्ज किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 1.10.1999 को दोपहर लगभग 2 बजे जब मृतक जो राज मिस्त्री था अपने काम से घर आया, उसकी पत्नी (सूचक) ने उसको सूचित किया कि आज अर्थात् दिनांक 1.10.1999 को अभियुक्तों ने जीतिया त्योहार के अवसर

पर उनके संयुक्त तालाब से मछली पकड़ा था और इसे अपने बीच वितरित किया था किंतु उसको उसका हिस्सा नहीं दिया था जिस पर सूचक एवं मृतक अपना हिस्सा मांगने के लिए अभियुक्त दिगंबर राय के घर गए जिस पर अभियुक्त क्रोधित हो गए और सूचक के पति पर प्रहार करने लगे और जमीन पर पटक दिया, जिस पर सूचक ने अपने पति को बचाने के लिए हल्ला किया और उस पर भी प्रहार किया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि किसी राजेन्द्र राय ने मृतक के पेट में चाकू से वार किया जिसके परिणामस्वरुप उसकी आँत पेट से बाहर आ गयी और इस बीच जीतन राय, गुग्गु राय, दिगंबर राय ने मृतक के पेट में हँसिया से वार किया जिस कारण मृतक की तत्काल मृत्यु हो गयी।

3. पूर्वोक्त अभिकथनों पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 114 एवं 34 के अधीन पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी सं॰ 50/99 दर्ज की गयी थी। इसका अन्वेषण एस॰ आई॰ एस॰ के॰ मित्रा (विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया) द्वारा किया गया था जिसका परिणाम इसके समापन पर समस्त पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने में हुआ, जिनका विचारण किया गया था और आक्षेपित आदेश के मुताबिक उन्हें दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया।

4. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्तों के बयान से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने इस घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया है और झूठा आलिप्त किए जाने का अभिवचन किया है। अभियुक्तों का आगे बचाव यह है कि संथालों ने पूर्व दुश्मनी के कारण मृतक की हत्या की थी और उसके मृत शरीर को तथाकथित घटना स्थल पर फेंक दिया और इसका लाभ लेते हुए सूचक ने दुश्मनी के कारण अभियुक्तों को झूठा आलिप्त किया है।

5. समस्त अभियुक्तों के लिए उपस्थित वरीय अधिवक्ता श्री शर्मा एवं राज्य के ए॰ पी॰ पी॰ पंकज कुमार सुने गए।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन किया कि फर्दबयान दर्ज किया जाना स्वयं में संदेहास्पद है क्योंकि मृतक की पत्नी प्रथम सूचक (अ॰ सा॰ 7) का शपथ पर बयान उसके आरंभिक बयान से भिन्न है विशेषत: जब अपने अभिसाक्ष्य में उसने कथन किया कि वह अपने पुत्र गोवर्द्धन के साथ थाना गयी और फर्दबयान दर्ज करवाया जबकि फर्दबयान स्वयं घटना स्थल पर दर्ज किया गया है, अत: यह प्रतीत होता है कि वर्तमान फर्दबयान वह नहीं है जिसे पुलिस थाना में दिया गया था और बाद में अभियुक्तों को आलिप्त करने के लिए असत्य विवरण सामने लाया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय फर्दबयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 द्वारा बाधित है और इसे अभियोजन मामले का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि घटना स्थल भी सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि इस मामले में साइट प्लान तैयार नहीं किया गया है और तर्क किया कि यह अभियोजन मामले के लिए घातक है।

8. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सूचक तथाकथित एकमात्र चश्मदीद गवाह है और हितबद्ध गवाह भी और उसने घटना का दो विवरण दिया है, अत: यह विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने अंत में निवेदन किया है कि उसके दुश्मनों (संथालों) द्वारा उसकी हत्या की कारिता के बाद दिगंबर राय के घर के सामने मृतक का मृत शरीर फेंके जाने का लाभ लेते हुए समस्त पाँच अभियुक्तों को झूठा आलिप्त किया गया है।

9. पूर्वोक्त प्रतिवाद के आलोक में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं, अत: अपील अनुज्ञात करने की प्रार्थना करते हैं।

10. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि प्राथमिकी तुरन्त दर्ज की गयी है जो स्वयं किसी अलंकरण को खारिज करती है विशेषत: जब सूचक स्वयं पुलिस थाना गया था जिस पर प्रभारी अधिकारी स्वयं घटना स्थल पर आया और घटना के 30 मिनट के भीतर फर्दबयान दर्ज किया। उक्त परिस्थितियों में पुलिस थाना में सूचक के पहुँचने के आधार मात्र पर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हाइपोथेटिकल उपधारणा नहीं निकाली जा सकती है। किंतु, भले ही अ॰ सा॰ 7 के अभिसाक्ष्य में पुलिस को मामला सूचित करने के संबंध में कतिपय लघु अंतर विद्यमान हैं, यह स्वयं में अभियोजन मामले का आधार भंजित नहीं करेगा। उन्होंने निवेदन किया कि अभियोजन मामला विश्वसनीय एकमात्र चश्मदीद गवाह पर आधारित है जो घटना के समय पर मृतक के साथ उपस्थित था। घटनास्थल पर मृतक के साथ सूचक की उपस्थिति मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि अभियुक्तों द्वारा कॉमन तालाब में पकड़ी गयी मछली में अपना हिस्सा नहीं पाने के बारे में अपने पति को सूचना देने के समय पर उसके दिमाग में अभियुक्तों के साथ इसके लिए झगड़ा होने के बारे में स्वाभाविकत: अनुमान रहा होगा और यह सूचक का अपने पति के साथ वहाँ जाने का मुख्य कारण था। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि न केवल सूचक द्वारा बल्कि अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य द्वारा एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भी घटनास्थल सिद्ध किया गया है, अत: आई॰ ओ॰ द्वारा साइट प्लान तैयार नहीं किया जाना अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं है। अंत में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ यह निवेदन करते हुए कि अ॰ सा॰ 7 पूर्णत: विश्वसनीय है, समस्त अभियुक्तों की दोषसिद्धि मान्य ठहराने की प्रार्थना करते हैं।

11. अपना मामला सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण किया है अर्थात्–

v0 lkO 1 ekfud nÙkk&mlu dFku fd;k g fd ?kVuk d le; ij og viu ?kj e mifLFkr FkkA erd d i= tk ifyl Fkkuk tk jgk Fkk u mldk ?kVuk d ckj e lfpr fd;kA mlu vfHk;Dr fnxcj jk; d ?kj d lkeu er 'kjhj iMk n[kkA mlu vkx dFku fd;k g fd ifyl u fnxcj d ?kj l nk&rhu gfl;k cjken fd;k Fkk vkj jktu jk; d ?kj l ,d pkd cjken fd;k FkkA mlu vfHkxg.k lph ij bl çHkko d viu c;ku ij viuk gLrk{kj fl) fd;k g fd fnxcj jk; d dCtk l mld lkeu jDr jftr gfl;k cjken fd;k x;k Fkk* ftl çn'k 1 d :i e fpfUgr fd;k x;k gA

v0 lkO 2 ekFkj jk;&?kVuk dk vuJr xokgA mlu vfHk;Dr xXx jk; d ?kj l ,d jDrjftr gfl;k dh cjkenxh d fy, r;kj dh x;h vfHkxg.k lph (çn'k 1/1) vfHk;Dr jktu jk; d ?kj l ,d jDrjftr gfl;k dh cjkenxh d fy, r;kj dh x;h vfHkxg.k lph ij viuk gLrk{kj (çn'k 1/2) vkj eR; leh{kk fjikV ij viuk gLrk{kj (çn'k 1/3) fl) fd;k gA

v0 lkO 3 fntk in&ey&mld vulkj og nkigj 3.30 ct erd dk er 'kjhj n[ku x;k FkkA mlu vfHk;Dr fnxcj jk; d ?kj l ,d gfl;k dh cjkenxh d fy, r;kj vfHkxg.k lph ij viuk gLrk{kj fl) fd;k g tk çn'k 1/4 gA

v0 lkO 4 xkcèku ey u dFku fd;k g fd mlu erd dk er 'kjhj n[kk Fkk vkj mlu eR; leh{kk fjikV ij viuk gLrk{kj fl) fd;k g tk çn'k 1/5 gA

v0 lkO 5 l[kno jk; i{knkgh gk x;k gA

v0 lkO 6 MkO lhrkjke lkg fpfdRlk fo'k"kK g ftUgku er 'kjhj dk 'ko ijh{k.k fd;k gA mUgku 'ko ijh{k.k fjikV fl) fd;k g tk çn'k 2 gA

vO lkO 7 ghjkefu noh lpd lg ,dek= p'enhn xokg gA

vO lkO 8 fnyhi jk; i{knkgh gk x;k g fdr dFku fd;k g fd mlu erd dk er 'kjhj ugh n[kk Fkk vkj eR; leh{kk fjikV ij viuk gLrk{kj çn'k 1/6 fl) fd;k gA

vO lkO 9 cCyw unh (vuJr xokg) g ftlu xXx jk; d ?kj l gfl;k dh cjkenxh d fy, r;kj dh x;h vfHkxg.k lph (çn'k 1/7) vkj jktu jk; d ?kj l gfl;k dh cjkenxh d fy, r;kj dh x;h vfHkxg.k lph (çn'k 1/8) ij viuk gLrk{kj fl) fd;k gA mlu dFku fd;k g fd ifyl Fkkuk d çHkkjh vfèkdkjh u vfHk;Dr ';keyky jk; tk vfHk;Drx.k jktu ,o xXx dk firk g d ?kj tku d fy, mldk ,o 5-6 vU; lgxkeh.kk dk dgk Fkk] vr% o ';keyky d njoktk rd x,A çfr ijh{k.k d nkjku **çHkkjh vfèkdkjh ';keyky d ?kj e ?kqlk vkj mud ?kj l nk lkQ gfl;k yk;k vkj mlu Lo;a nkuk gfl;k dk er 'kjhj d jDr l fHkxk;k Fkk vkj rRi'pkr vfHkxg.k lph r;kj fd;kA**

vO lkO 10 cl`r dekj efyd vkipkfjd xokg g ftlu Qnc;ku] Qnc;ku ij i"Bkdu] vkipkfjd çkFkfedh] eR; leh{kk fjikV dh dkcu çfr vkj pkj vfHkxg.k lfp;k dk fl) fd;k g ftUg Øe'k% çn'k 3, çn'k 3/1, çn'k 4, çn'k 5, çn'k 6, 6/1, 6/2 ,o 6/3 d :i e fpfUgr fd;k x;k gA

12. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ सीताराम साह है जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया और कथन किया कि उन्होंने निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया था:–

(i) iV d nk, Hkkx d Åij 1" x 1" x iV rd xgjk dVu dk t[eA

(ii) iV d chp e 2" x 1" x iV rd xgjk dVu dk t[eA

(iii) iV d ck, Hkkx ij 1" x 1/2" x iV rd xgjk dVu dk t[eA

(iv) iV dk foPNnu dju ij fyoj Lilyhu] cMh ,o NkVh vkr QVh gbZ ik;h x;h vkj mnj xgk d Hkhrj dkQh ek=k e jDr ik;k x;kA

(v) nk, mnj xgk d Åij 1" x 1/2" x ekl i'kh rd xgjk dVu dk t[eA foPNnu dju ij nk;k vMdk"k QVk gvk ik;k x;k rFkk gekVkek ektn FkkA

उन्होंने मत दिया कि मृत्यु पूर्वोल्लिखित उपहतियों के परिणामस्वरुप आघात एवं हेमरेज के कारण हुई थी और कि समस्त उपहतियाँ मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि प्रयुक्त हथियार समस्त उपहतियों के लिए तेज धार वाले हथियार थे और हथियार छूरा (चाकू) एवं अन्य तेज धार वाला हथियार हो सकता है।

13. समस्त गवाहों जिन्होंने घटना के बाद मृत शरीर देखा था के संप्रेक्षणों के साथ एकमात्र चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य के परिशीलन पर और शव परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर हमारा दृष्टिकोण है कि मृतक की मृत्यु आपराधिक मानववध थी।

14. जहाँ तक अभियुक्तों की सह-अपराधिता का संबंध है, अभियोजन मामला मामले के तथाकथित एकमात्र सूचक चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य पर आधारित है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एकल गवाह के परिसाक्ष्य पर कृत्य कर सकते हैं परन्तु यह कि वह पूर्णत: विश्वसनीय हो, एकल गवाह के एकमात्र परिसाक्ष्य पर व्यक्ति को दोषसिद्ध करने में विधिक अवरोध नहीं है। यह साक्ष्य

अधिनियम की धारा 134 का तर्क है। किंतु यदि परिसाक्ष्य के बारे में संदेह है, न्यायालय संपुष्टि पर जोर देगा। वस्तुत:, संख्या या मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता तात्विक है। समय सिद्ध सिद्धांत है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि गिना जाना/परीक्षा/यह है कि क्या साक्ष्य सत्यपूर्ण, तर्कपूर्ण, विश्वसनीय है अथवा अन्यथा। विधिक प्रणाली ने साक्ष्य के मूल्य, अधिमान एवं गुणवत्ता पर जोर दिया है और न कि गवाहों की मात्रा, बहुलता पर। अत:, सक्षम न्यायालय को एक मात्र गवाह पर पूर्णत: विश्वास करने एवं दोषसिद्धि दर्ज करने की छूट है। विपरीत रूप से, यह अनेक गवाहों के परिसाक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है यदि यह साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है। **(वादीवेलू थेवर बनाम मद्रास राज्य, AIR 1957 SC 614; सुनील कुमार बनाम राज्य, दिल्ली की एन॰ सी॰ टी॰ की सरकार, (2003)11 SCC 367; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007)14 SCC 150;** और **विपिन कुमार मोंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 2010 SC 3638)** इस संदर्भ में उक्त निर्णयज विधियों का पठन लाभदायी रूप से किया जा सकता है।

16. घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 7 ने कथन किया है कि घटना के दिन पर दोपहर लगभग 1.45 बजे उसका पति राजमिस्त्री का काम करके घर आया और पूछा कि क्या उसके भैंसुर दिगंबर ने उसे मछली दी थी या नहीं? जिस पर उसने नकारात्मक उत्तर दिया और तत्पश्चात उसका पति दिगंबर के घर गया और उससे मछली का उसका हिस्सा नहीं देने का कारण पूछा, जो क्रोधित हो गया और उसकी हत्या करने की आज्ञा दी जिस पर जीतन राय एवं गुग्गु राय ने उसे पकड़ लिया। इस बीच, राजन ने उसके पति के मुँह पर मुक्का मारा। जब वह अपने पति को बचाने गयी, गुग्गु राय ने उसके मस्तक पर मुक्का मारा जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गयी और तत्पश्चात राजन ने मुक्कों से उस पर प्रहार किया। जीतन ने उसके पति की छाती पर लात मारा था, परिणामस्वरुप गिर गया। इस बीच जीतन ने उसका कंधा और गुग्गु ने उसका पैर पकड़ लिया, तत्पश्चात राजन ने उसके पति के पेट में चाकू से पाँच वार किया और घटना स्थल छोड़ने के पहले राजन ने पुन: उसके पति के मुँह पर चाकू का वार किया। दिगंबर ने टांगा के पिछले हिस्से से प्रहार किया। उसने आगे कथन किया कि घटना के दौरान श्यामलाल अपने घर से अभियुक्तों को उसके पति की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। उसने आगे कथन किया कि गुग्गु राय हाथ में कचिया (हँसिया) लिए था किंतु उसने इसका उपयोग नहीं किया था। उसने यह भी प्रकट किया कि कटने की उपहतियों के कारण उसके पति के पेट से आँत बाहर आ गयी थी और उसने उक्त उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था। प्रति परीक्षण के दौरान बचाव के विद्वान अधिवक्ता ने किसी अभियुक्त के विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य पर उसका प्रति परीक्षण नहीं किया है। आगे घटना की उत्पत्ति पर और इस अपराध के पीछे हेतु अर्थात् अभियुक्तों द्वारा कॉमन तालाब से मारी गयी मछली में मृतक का हिस्सा नहीं दिए जाने से उद्भूत विवाद पर कुछ भी नहीं निकाला गया है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि प्रत्येक बिंदु पर गवाह का प्रति-परीक्षण किया जाना चाहिए और बिंदु विशेष पर उसका प्रति परीक्षण करने में विफलता यह उपधारणा आवश्यक बनाएगी कि गवाह का प्रति परीक्षण नहीं करने वाले पक्ष ने उसका साक्ष्य स्वीकार किया है।

17. घटना की उत्पत्ति का स्वीकृत प्रमाण एवं इस अपराध के पीछे की मंशा भी अभियोजन मामले को मजबूत बनाता है। गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया घटनास्थल अभियुक्त दिगंबर के घर के सामने अवस्थित है जो अभियुक्तों के दोष की ओर इंगित करते हुए, विशेषत: चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य की पृष्ठभूमि में, मजबूत परिस्थिति जोड़ता है।

18. अ॰ सा॰ 9 के साक्ष्य (इस निर्णय के पैरा 10 में उल्लिखित) से आई॰ ओ॰ की भूमिका प्रकट है जिसने राजन जिसने इस अपराध में प्रहार के हथियार के रूप में चाकू का उपयोग किया था, के कब्जा से रक्त रंजित हँसिया की बरामदगी दर्शाकर छल साधन किया और साक्ष्य सृजित किया। अत:, हमारा सुविचारित मत है कि अभियुक्त पर कृपा करने के लिए इस मामले में आई॰ ओ॰ की प्रकट भूमिका अभियोजन मामले में कोई मूल सूराख कभी नहीं कारित कर सकती है:–

*èkut flg mQ 'kjk ,o vU; cuke itkc jkT;] (2004)3 SCC 654, e lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k] ^^=fVi.k vUo"k.k d ekey e U;k;ky; dk lk{; dk eY;kdu dju e pkdl gkuk gkxkA fdr ;g doy =fV d dkj.k vfHk;Dr dk nk"keDr dju e lgh ugh gkxk(,l dju vUo"k.k vfèkdkjh d gkFkk e [kyu d rY; gkxk ;fn vUo"k.k fMtkbu fd;k x;k gA***

कर्नाटक राज्य बनाम के॰ यरप्पा रेड्डी, 2000 SCC (Crl.) 61, में प्रकाशित

*^^;g ekxn'kd fl)kr gk ldrk g fd pfd nkfMd fopkj.k e vUo"k.k U;kf;d loh{k.k dk ,dek= {k= ugh g] ekey e U;k;ky; d fu"d"k dk doy vUo"k.k dh 'kfprk ij fuHkj gku ugh nh tk ldrh gA ;g ijh rjg lfuf'pr g fd Hky gh vUo"k.k voèk vFkok lngkLin g] bld çHkko l Lor= : i l 'k"k lk{; dk loh{k.k djuk gkxkA vU;Fkk nkfMd fopkj.k jkt djr vUo"k.k vfèkdkfj;k d Lrj ij fxj tk,xkA U;k;ky; dk vUo"k.k vfèkdkfj;k }kjk dh x;h dkjokb ij nkfMd fopkj.k e çHkkRo ,o vkfèkiR; gkuk pkfg,A nkfMd U;k; dk ekey e vUo"k.k vfèkdkjh }kjk dh x;h xyrh dk f'kdkj ugh cuk;k tkuk pkfg,A nlj 'kCnk e] ;fn U;k;ky; vk'oLr g fd ?kVuk d xokg dk ifjlk{; lR; g] U;k;ky; ekey e vUo"k.k vfèkdkjh dh lngkLin Hkfedk d ckotn bl ij ÑR; dju d fy, Lor= gA***

mDr fu.k; t fofèk;k dk iBu bl lnHk e ykHkiod fd;k tk ldrk gA

19. हमने यह भी पाया है कि मृतक को पेट में आयी उपहतियों की संख्या के संबंध में चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच भिन्नता है किंतु हम महसूस करते हैं कि इस आधार पर विश्वसनीय चश्मदीद गवाह का साक्ष्य दो कारण से अस्वीकार किया नहीं जा सकता है, (i) उन मामलों जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य एवं चाक्षुक साक्ष्य के बीच विरोधाभास है में विधि की अवस्था को इस प्रभाव का निश्चित आकार दिया जा सकता है कि चिकित्सीय साक्ष्य के मुकाबले में गवाह के विश्वसनीय चाक्षुक परिसाक्ष्य का उच्चतर साक्ष्यिक मूल्य हैं और (iii) आखिरकार सूचक गाँव की देहाती महिला होने के नाते इस प्रकार के अंतरों के लिए रियायत पाने के योग्य है।

20. एकमात्र चश्मदीद गवाह द्वारा अभिसाक्ष्यित साक्ष्य पर उक्त चर्चा को ध्यान में रखकर हमारा दृष्टिकोण है कि अभियुक्तों अर्थात् दिगंबर राय, राजेन्द्र राय उर्फ राजन, जीतन राय एवं गुग्गु राय जिन्होंने सामान्य आशय अग्रसर करने में मृतक की हत्या किया की सह–अपराधिता तथा अभियुक्त श्याम लाल जिसने अभियुक्तों को इस हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया की सह–अपराधिता दर्शाने वाला उसका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है क्योंकि उसका परिसाक्ष्य सत्यपूर्ण है।

21. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करते हुए हम विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के निवेदन में सारवान बल पाते हैं।

22. अभियोजन मामले के संवीक्षण के बाद हमारा दृष्टिकोण है कि अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय सामान्य आशय अग्रसर करने में मृतक की हत्या कारित करने में अभियुक्तों अर्थात् दिगंबर राय, राजेन्द्र राय उर्फ राजन, जीतन राय एवं गुग्गु राय की सह-अपराधिता और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/114 के अधीन दंडनीय मृतक की हत्या दुष्प्रेरित करने में अभियुक्त श्यामलाल की सह-अपराधिता के मुकाबले अपना मामला किसी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

23. परिस्थितियों के समेकित प्रभाव पर विचार करते हुए, जिन्होंने विचारण न्यायालय पर इस मामले में दोषसिद्धि का आदेश देने के लिए वजन डाला, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के लिए विद्वान अवर न्यायालय का दृष्टिकोण किसी विधिक अथवा ताथ्यिक दुर्बलता से पीड़ित है। उक्त निष्कर्ष के आलोक में, हम विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसी दशा में अभियुक्तों के विरुद्ध अधिरोपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है। समस्त चारों अपीलें तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

मृत्युंजय दास

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 573 of 2013. Decided on 19th May, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 306—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227—आत्महत्या का दुष्प्रेरण—उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया है यद्यपि आरंभ में मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन दर्ज किया गया था—मृतका की मृत्यु अपने दांपत्य गृह में विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई—यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह है कि याची के हाथों मृतका की शारीरिक एवं मानसिक यातना ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया—आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.—(2008) 10 SCC 394; **2011(1) JLJ 54 (SC) :** (2010) 9 SCC 368; 2015(i) East Cr. C. 450 (S.C.)—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. Asif Khan, For the State.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन दाखिल इस पुनरीक्षण आवेदन में एकमात्र याची ने गोलमुरी (बर्मा माइन्स) पी॰ एस॰ केस सं॰ 162 वर्ष 2012 से उद्भूत होने वाले एस॰ टी॰ सं॰ 436 वर्ष 2012 में अपर सत्र न्यायाधीश III, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 13.5.2013 के आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा और जिसके अधीन संहिता की धारा 227 के अधीन याची द्वारा अपने उन्मोचन के लिए दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची को गोलमुरी (बर्मा माइन्स) पी॰ एस॰ केस सं॰ 162 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ केस सं॰ 2045 वर्ष 2012 के तत्सम, में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 के अधीन अपराध के लिए इस अभिकथन पर अभियुक्त बनाया गया है कि सूचक हलधर दास की पुत्री मृतका अनिता दास का विवाह

इस याची के साथ दिनांक 28.1.2007 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था और विवाह में नगद, गहना, बर्तन उसको दिया गया था और अगले दो वर्षों तक दांपत्य जीवन शांतिपूर्वक बीता और उक्त विवाह से पुत्री का जन्म हुआ था किंतु लगभग दो वर्ष पूरा होने के बाद, यह याची और उसके ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग के लिए मृतका अनिता दास को यातना देने लगे और अनेक अवसरों पर उसे इस याची एवं ससुराल वालों के हाथों उसे शारीरिक प्रहार के अध्यधीन किया जाता था और वे उसकी हत्या का आशय भी रखते थे। दिनांक 24.7.2012 को किसी जितेन्द्र जो सूचक के दामाद का बड़ा भाई है, ने उसको फोन पर सूचित किया कि उसकी पुत्री अनिता दास ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है।

3. यह प्रतीत होता है कि सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन पूर्वोक्त मामला दर्ज किया गया था किंतु अन्वेषण के बाद, केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन याची के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अवर न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और इसे विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जिसके बाद याची द्वारा अपने उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी जिसे दिनांक 13.5.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अभियुक्त याची के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए केस डायरी में पर्याप्त सामग्री है, अस्वीकार कर दिया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन किए बिना, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन याची एवं अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने का साक्ष्य नहीं पाने पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 के अधीन केवल याची के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, गलत रूप से याची की उन्मोचन की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। यह निवेदन भी किया गया था कि यह दर्शाने के लिए बिल्कुल साक्ष्य नहीं है कि याची ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था और उसकी अनुपस्थिति में, अवर न्यायालय का निष्कर्ष कि प्रथम दृष्टया अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, विधि में दोषपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **(2008)10 SCC 394** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में अभिनिर्धारित किया है कि ''यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि प्रस्तुत साक्ष्य गंभीर संदेह से सुभिन्न केवल संदेह उद्भूत करता है, वह अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए पूरी तरह अपने अधिकार के अंतर्गत होंगे और इस चरण पर उन्हें यह नहीं देखना है कि विचारण का अंत दोषसिद्धि में होगा या नहीं।'' प्रकटत: भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया है यद्यपि आरंभ में मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन दर्ज किया गया था और यह दर्शाता है कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं है।

5. याची की ओर से किए गए प्रतिवादों को खंडित करते हुए राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को केस डायरी के अनेक पैराग्राफों से और शव परीक्षण रिपोर्ट से अवगत कराया है और निवेदन किया है कि केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों के परिशीलन पर यह प्रतीत होगा कि याची के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

6. इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक होने के कारण कि विचारण अभी प्रारंभिक अवस्था में ही होगा और कि इस आवेदन में, न्यायालय याची को उन्मोचित करने या उन्मोचित नहीं किए जाने के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, मैं संहिता की धारा 227 के विस्तार का परीक्षण करना चाहूँगा। **सज्जन कुमार बनाम सी॰ बी॰ आई॰, (2010)9 SCC 368 [: 2011(1) JLJ 54 (SC)]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर सारगर्भित रूप से विश्लेषण किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 में संप्रेक्षित किया है:–

*"19. ;g Li"V g fd ;fn vkjfHkd pj.k ij etcr lng g tk U;k;ky; dk ;g lkpu dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju dk vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;ky; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj ugh gA vfHk;Dr d nk"k dh mièkkj.kk ft l vkjfHkd pj.k ij fd;k tkuk g doy çFke n"V;k ;g fofuf'pr dju d ç;ktu l g fd D;k U;k;ky; dk fopkj.k gr vxlj gkuk pkfg, ;k ughA ;fn lk{; ft l nu dk çLrko vfHk;ktu djrk g vfHk;Dr dk nk"k fl) djrk g] Hky gh bl çfr ijh{k.k e pukrh fn, tku vFkok cpko lk{;] ;fn gk] }kjk [kfMr fd, tku d igy i.kr% Lohdkj fd;k tkrk g] , lk ugh n'kk ldrk gk fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc fopkj.k gr vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj ugh gkxkA***

एक अन्य निर्णय **राज्य पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से बनाम ए॰ अरुण कुमार एवं एक अन्य, 2015 (1) East Cr. C. 450 (SC),** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धाराओं 227 एवं 228 के विस्तार के बारे में प्रामाणिक निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

(i) U;k;kèkh'k dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 227 d vèkhu vkjksi fojfpr dju d ç'u ij fopkj djr g, ;g irk yxku d lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu dju ,o eY;kdu dju dh fufookfnr 'kfDr g fd D;k vfHk;Dr d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk g ;k ughA çFke n"V;k ekeyk fofuf'pr dju dh ijh{kk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxhA

(ii) tgk U;k;ky; d le{k çLrr lkexh vfHk;Dr d fo#) xHkhj lng çdV djrh g ft ldk lefpr :i l Li"V ugh fd;k x;k g] U;k;ky; vkjksi fojfpr dju e vkj fopkj.k gr vxlj gku e i.kr% U;k;kfpr gkxkA

(iii) U;k;ky; ek= Mkd[kkuk vFkok vfHk;ktu d e[ki= d :i e ÑR; ugh dj ldrk g cfYd bl ekey dh 0;kid vfèklHkk0;rkvk] fdlh ey ncyrk] U;k;ky; d le{k çLrr lk{; ,o nLrkotk d dy çHkko bR;kfn ij fopkj djuk gkxkA fdr] bl pj.k ij ekey d i{k&foi{k e vfrxkeh tkp ugh gk ldrh g vkj lk{; dk rkyk ugh tk ldrk g ekuk og fopkj.k lpkfyr dj jg gA

(iv) ;fn vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij U;k;ky; er fufer dj ldrk Fkk fd vfHk;Dr vijkèk dj ldrk Fkk] ;g vkjksi fojfpr dj ldrk g] ;fi nk"kfl) d fy, fu"d"k dk ;fDr;Dr lng d ij fl) dju dh vko';drk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA

(v) vkjksi fojfpr fd, tku d le; ij] vfHky[k ij ektn lkexh d ifjoh{kd eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g fdr vkjksi fojfpr dju d igy U;k;ky; dk vfHky[k ij ektn lkexh ij viu U;kf;d food dk bLreky djuk gkxk vkj lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk vijkèk dh dkfjrk lHko FkhA

(vi) èkkjk vk 227 ,o 228 d pj.k ij] U;k;ky; dk ;g irk yxku fd D;k mll lkeu vku oky rF; mud vfdr eY; ij fy, tku ij vfHkdfFkr vijkèk xfBr dju oky leLr vo;ok dk vfLrRo çdV djr g] dh nf"V l vfHky[k ij ektn lkefx;k ,o nLrkotk dk eY;kdu dju dh vko';drk gA bl lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu djuk D;kfd ml vkjfHkd pj.k ij ;g Lohdkj dju dh mEehn ugh dh tk ldrh g fd vfHk;ktu tk Hkh dgrk g] og cã okD; g Hky gh ;g lkeU; ckèk vFkok ekey dh 0;kid vfèklHkk0;rkvk d fo#) gA

*(vii) ;fn nk nf"Vdk.k lHko gi vkj mue l ,d doy lng] tk xHkhj lng l lfHkUu g] dk mnHkr djrk g] fopkj.k U;k;kèkh'k vfHk;Dr dk mUekfpr dju d fy, l'kDr gkxk vkj ml pj.k ij ml ;g ugh n[kuk g fd fopkj.k dk lekiu nk"kefDr vFkok nk"kf lf) e gkxkA***

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित उक्त निर्णयाधार से यह आसानी से कहा जा सकता है कि आरंभिक चरण पर यदि यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है, उस स्थिति में, न्यायालय को यह कहने की छूट नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। इस चरण पर साक्ष्य को उस तरीके के से तौला और अधिमूल्यित नहीं किया जाना है जैसा विचारण में किया जाता है। इस चरण पर मामले के पक्ष-विपक्ष में कोई अतिगामी जाँच करना संभव नहीं है। चूँकि मृतका की मृत्यु अपने दांपत्य गृह में विवाह के सात वर्षों के भीतर हो गयी, आरंभ में ही यह उपधारित किया जा सकता है कि मृत्यु स्वाभाविक क्रम में नहीं थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन भी उपधारणा है कि जब कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति की जानकारी में था, उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उस पर है। प्रकटत: मृतका की मृत्यु अपने दांपत्य गृह में हुई और अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री की पर्याप्तता पाते हुए इस याची के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और कि याची द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। मैंने केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों का परिशीलन किया है जहाँ स्पष्ट शब्दों में अन्वेषण के दौरान परीक्षण किए गए गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अत:, यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह है कि याची के हाथों मृतका की शारीरिक एवं मानसिक यातना ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया।

8. उक्त मामलों में प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणाओं एवं अधिकथित सिद्धांतों की दृष्टि में न्यायालय को केवल मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं, मजबूत एवं गंभीर संदेह तथा संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना है। चूँकि पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन यह न्यायालय आरोपित अथवा उन्मोचित किए जाने के विवाद्यक के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, मैं प्रयोजनपूर्वक एवं जानबूझकर कोई सकारात्मक प्राख्यान करने अथवा मामले के कतिपय पहलू को निर्दिष्ट करने से परहेज कर रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सके। मैंने इस आदेश के क्रम में जो भी अप्रत्यक्ष संप्रेक्षण किया है, वह आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सामग्री की पर्याप्तता का परीक्षण करने के सीमित पहलू तक है।

9. अत: उक्त संप्रेक्षणों के आलोक में मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

10. इस प्रकार, यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

गुड़िया देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 461 of 2015. Decided on 9th July, 2015.

दांडिक अपील सं॰ 7 वर्ष 2012 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश भूमि अर्जन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 28.2.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 498A—क्रूरता—दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील—अपीलार्थी-परिवादी अपने पति के विरुद्ध भी अपना मामला पूरी तरह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुई है—उसने अपनी पसंद के अनेक व्यक्तियों को आलिप्त करने के लिए अपने पति एवं तीन अन्य व्यक्तियों जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है को अंतर्ग्रस्त करते बड़ा जाल बुना था—अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दुर्बलता नहीं है—अपील खारिज। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.—None, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the Resp.-State; None, For the Resp. No. 2.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.—वर्तमान मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय, जिसके द्वारा उसके पति संतोष कुमार कसेरा, वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दाखिल दांडिक अपील विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग के दिनांक 13.12.2011 के निर्णय जिसके द्वारा उसे (प्रत्यर्थी सं॰ 2) को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उसके सह-अभियुक्तों पप्पू साव, शांति देवी एवं सविता देवी (परिवार के सदस्य) को दोषमुक्त कर दिया गया था को अपास्त करते हुए अनुज्ञात की गयी है को अपास्त करने की प्रार्थना करते हुए परिवादी पत्नी द्वारा दाखिल दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 367/2013 के रूप में दर्ज किया गया था।

2. अभिलेख प्रकट करता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन पूर्वोक्त आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 2 संतोष कुमार कसेरा ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष दांडिक अपील दाखिल किया था जिसे अब अनुज्ञात किया गया है। दिनांक 31.12.2009 के प्रभाव से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 372 में परन्तुक जोड़कर अपीलों से संबंधित अध्याय XXIX में किए गए नवीनतम संशोधनों के निबंधनानुसार पीड़ित को भी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 2 (wa) में पीड़ित परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो कृत्य अथवा लोप के कारण कारित कोई हानि अथवा उपहति के कारण पीड़ित हुआ है जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 372 (अब संशोधित) के निबंधनानुसार वर्तमान मामला, जिसे पहले दांडिक पुनरीक्षण के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में दांडिक विविध याचिका सं॰ 1731/2013 माना गया था, अब दोषमुक्ति के विरुद्ध दांडिक अपील (डी॰ बी॰) के रूप में माना जाएगा। अब इसे दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 461/2015 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

3. न तो अपीलार्थी के और न ही अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित हैं। किंतु, राज्य प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री शेखर सिन्हा ने न्यायालय को समुचित सहायता दिया है। न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के अभिलेख भी उपलब्ध हैं और हमने इनका परिशीलन किया है।

4. इसके सही परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण साक्ष्य की छानबीन के बाद न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी परिवादी अपने पति प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विरुद्ध भी अपना मामला पूरी तरह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुई है। यह प्रतीत होता है कि उसने अपनी पसंद के अनेक व्यक्तियों को आलिप्त करने के लिए अपने पति एवं तीन अन्य व्यक्तियों (पप्पू साव, शांति देवी एवं सविता देवी) जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है को अंतर्ग्रस्त करते हुए बड़ा जाल बुना था।

5. जहाँ तक अपीलार्थी पत्नी के पति प्रत्यर्थी सं॰ 2 का संबंध हैं, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में अभियोजन मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अवयवों को आकृष्ट नहीं करता है। इस प्रकार, हम

अभियोजन साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करते हुए अवर अपीलीय न्यायालय (सत्र न्यायालय), हजारीबाग के आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

6. परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है। तद्नुसार, आदेश दिया गया।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

अवरेन्द्र कुमार उर्फ अमरेन्द्र कुमार

cuke

झारखंड राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से

Cr. Revision No. 106 of 2015. Decided on 10th July, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 120B एवं 420 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएँ 13 (2) एवं 13 (1) (d)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 239—षडयंत्र एवं छल–उन्मोचन आवेदन का अस्वीकरण–कॉलम 7, 8 एवं 9 के अधीन दी गयी किसी सूचना का प्रमाणीकरण को याची द्वारा प्रमाणीकृत करने की आवश्यकता कभी नहीं है–याची को कोई अनुचित करता हुआ नहीं कहा जा सकता है–याची का अभियोजन बिल्कुल अवैध होगा–याची को मामले से उन्मोचित किया गया। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajeet Sinha, For the Petitioner; Mr. K.P. Deo, For the CBI.

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन आर॰ सी॰ केस सं॰ 12 (A) वर्ष 2009D में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश X-सह–विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.1.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया था।

2. सी॰ बी॰ आई॰ का मामला यह है कि दिनांक 16.4.1999 को महानिदेशक, पुन–र्व्यवस्थापन, याची दिल्ली के प्रतिनिधि और तत्कालीन कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के जी॰ एम॰ (उत्पादन) के बीच कोयला समनुषंगियों में यूनियन मुक्त कैप्टिव परिवहन संगठनों को रखने के लिए और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अवसर प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम॰ ओ॰ यू॰) निष्पादित किया गया था। एम॰ ओ॰ यू॰ के अधीन अनुबंधित निबंधन एवं शर्त, अन्य के साथ, ये हैं कि आर्रंभिक संविदा काम आरंभ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैध होगी। चार वर्ष की एक अन्य अवधि के लिए संविदा के नवीकरण पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है यदि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी का विगत प्रदर्शन एवं कार्य संतोषजनक है; समस्त टिपर्स एवं लोडर्स पात्र भूतपूर्व सैनिक (ई॰ एस॰ एम॰), हकदार ई॰ एस॰ एम॰ के विधवा/नि:शक्त/आश्रित अथवा ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी के स्वामित्व में होंगे। अवक्रय अनुज्ञेय है किंतु लोडर्स एवं टिपर्स को भाड़े पर लेने की अनुमति नहीं है और कि डी॰ जी॰ आर॰ को भूतपूर्व सैनिक, उनके वाहनों के अभिनियोजन उनके भुगतानों एवं निदेशक बोर्ड के गठन के संबंध में एम॰ ओ॰ यू॰ प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए। यदि डी॰ जी॰

आर॰ एम॰ ओ॰ यू॰ से भिन्न कोई चीज पाता है, उसका कार्यालय सी॰ आई॰ एल॰ को सूचित करेगा और उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करेगा और समस्त ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगी जो क्रमश: 30 जून एवं 30 जनवरी तक किसी विफलता के बिना डी॰ जी॰ आर॰ पहुँच जाए। इन रिपोर्टों का लक्ष्य डी॰ जी॰ आर॰ द्वारा अनियमितताओं, यदि हो, का पता लगाते हुए वाहनों/उपकरणों, ई॰ एस॰ एम॰ के प्रतिशत का अभिनियोजन नियंत्रित करना और ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी की प्रगति मॉनिटर करना है। गलत तथ्यों/आँकड़ों के विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की गैर प्रस्तुति का परिणाम संविदा की प्रायोजिकता के रद्दकरण संविदा का गैर–नवीकरण में हो सकता है और कि कोयला समनुषंगी से संबंधित रिपोर्टों का विनिर्दिष्ट/प्रासंगिक भाग कोयला समनुषंगी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा और कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी काम आरंभ होने के छह माह के भीतर स्थानीय नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम 75% ई॰ एस॰ एम॰ के रूप में अभिनियोजित करेगा।

पूर्वोक्त एम॰ ओ॰ यू॰ के निष्पादन पर ई॰ एस॰ एम॰ से कोयला परिवहन का काम लेने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (सी॰ एम॰ सी॰) बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को प्रायोजकता पत्र भेजा गया था। तद्नुसार, समस्त आवश्यक औपचारिकताओं के पालन के बाद और आवश्यक अनुमोदन पर दिनांक 17.6.2008 को दिनांक 20.6.2008 से दिनांक 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान क्षेत्र में 7,46,85,750/- रुपयों के व्यय पर 15.95 लाख एम॰ टी॰ कोयला के परिवहन के लिए मेसर्स माँ लिलोरी ट्रांसपोर्ट (प्रा॰) लि॰ के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था। बाद में, दिनांक 1.4.2009 से दिनांक 16.7.2009 की अवधि के दौरान कोयला के परिवहन के लिए एक अन्य कार्य आदेश जारी किया गया था।

यह पाया गया था कि दिनांक 20.6.2008 से दिनांक 17.7.2009 की अवधि के दौरान मेसर्स माँ लिलोरी ट्रांसपोर्ट (प्रा॰) लि॰ ने बस्ताकोला की विभिन्न कोलियरियों से रेलवे साइडिंग तक कुल 16,85,665.53 एम॰ टी॰ कोयला का परिवहन किया था। कोयला की पूर्वोक्त मात्रा के परिवहन के कारण कंपनी ने बस्ताकोला क्षेत्र कार्यालय से 7,61,11,513/- रुपयों की राशि प्राप्त किया। आगे, द्विवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्टों के संवीक्षण पर यह पता चला था कि 70% ई॰ एस॰ एम॰ कर्मचारियों को परिवहन काम में अभिनियोजित नहीं किया गया था जो आज्ञापक था और इसी समय पर यह भी प्रकट हुआ कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी ने कोयला के परिवहन के क्रम में प्राइवेट टिपर्स को भी काम पर लगाया था जो एम॰ ओ॰ यू॰ के अधीन कठोरतापूर्वक प्रतिषिद्ध था। उस स्थिति में, ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी को भाड़े पर लिए गए वाहनों का उपयोग करके और सिविलियन कर्मचारियों की विशाल संख्या नियोजित करने के बारे में तथ्य दमन करके ई॰ एस॰ एम॰ दर का दावा करने का अधिकार नहीं था और ई॰ एस॰ एम॰ दर का दावा करके कंपनी ने 1,26,13,577/- रुपयों की राशि आधिक्य में प्रकट किया क्योंकि निजी परिवाहकों की अनुसूचित दर उस दर की तुलना में कम थी जिस पर ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी ने कोयला परिवहित किया था जिसके लिए ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी और मुख्य नियोक्ता दोनों जिम्मेदार थे क्योंकि ई॰ एस॰ एम॰ के वाहनों/उपकरणों, कर्मचारियों का सही अभिनियोजन नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कोयला समनुषंगी कंपनी (बी॰ सी॰ सी॰ एल॰) पर थी और तद्द्वारा डी॰ जी॰ आर॰ को अग्रसारित वार्षिक एवं द्विवार्षिक रिपोर्टों को प्रमुख नियोक्ता द्वारा ई॰ एस॰ एम॰ कोयला लादने एवं परिवहित करनेवाली कंपनी के क्रियाशीलता पर अपनी टिप्पणियों के साथ प्रमाणीकृत किए जाने की आवश्यकता थी।

सी॰ बी॰ आई॰ का आगे मामला यह है कि किसी ज्वाला प्रसाद, तत्कालीन क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक ने प्रासंगिक अवधि के दौरान टिपर्स द्वारा परिवहन के लिए अनुमति जारी किया था और इस दशा में, यह उनकी जानकारी में था कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी से 75% ई॰ एस॰ एम॰ को अभिनियोजित करने की उम्मीद की जाती थी किंतु उसने एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनों एवं शर्तों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का ख्याल नहीं किया था।

3. अभी तक इस याची, जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर क्षत्रीय प्रबंधक (योजना) के रूप में पदस्थापित था, ने प्राइवेट/भाड़े पर लिए गए वाहनों और सिविल कर्मचारियों के पूर्वोक्त अभिनियोजन को

सत्यापित किए बिना प्रासंगिक अवधि के दौरान उक्त ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी द्वारा प्रस्तुत द्विवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्टों को बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की ओर से प्रमाणीकृत किया था।

4. पूर्वोक्त अभिकथनों पर आरोप-पत्र उसमें यह अभिकथित करते हुए दाखिल किया गया था कि याची एवं अन्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सहपठित धारा 420 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन भी दंडनीय अपराध किया था। इस पर, न्यायालय ने दिनांक 29.9.2010 के अपने आदेश के तहत पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लिया। उस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष दांडिक विविध याचिका सं॰ 1198 वर्ष 2012 में चुनौती दी गयी थी जिसे उन समस्त बिंदुओं जिन्हें उक्त आवेदन में उठाया गया है को आरोप विरचित किए जाने के समय पर अथवा उन्मोचन के चरण पर उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गयी थी। उस आदेश के अनुसरण में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 22.1.2015 के आदेश के तहत अस्वीकार किया गया था जो चुनौती के अधीन है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि द्विवार्षिक रिपोर्ट जिसका नमूना आवेदन के साथ संलग्न किया गया है कुल 18 कॉलम अंतर्विष्ट करती है। उनमें से कोयला कंपनी के प्रतिनिधि को कॉलम 7, 8 एवं 9 के सिवाए जो ई॰ एस॰ एम॰/सिविलियन एवं ई॰ एस॰ के स्वामित्व वाले वाहन के अभिनियोजन से संबंध है। समस्त कॉलमों के सामने अध्यपेक्षित सूचना देने की आवश्यकता है। उन तीन कॉलमों में प्रस्तुत किसी सूचना को ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी द्वारा और न कि कोयला कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकृत किए जाने की आवश्यकता है और तद्द्वारा, उन कॉलमों के सामने अध्यपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के बाद द्विवार्षिक रिपोर्ट ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी के निदेशकों एवं कोयला कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता था। याची को इस धारणा पर अभियोजित किया जा रहा है कि याची ने कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 में उल्लिखित तथ्य अभिप्रमाणित किया था यद्यपि उन कॉलमों के अधीन दी गयी उक्त सूचना भूतपूर्व सैनिक एवं टिपर्स तथा लोडर्स के अभिनियोजन से संबंधित एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनों एवं शर्तों के अनुरुप कभी नहीं थी किंतु तथ्य यह है कि कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 के सामने उल्लिखित तथ्य ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित किए गए हैं जो एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनानुसार था जिसमें अनुबंधित किया गया था कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी के निदेशकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधक कंपनी दोनों द्वारा परस्पर कॉलमों में आवश्यक सूचना प्रस्तुत की जानी है जिसे आरोप-पत्र दाखिल करते हुए अन्वेषण अधिकारी द्वारा ध्यान में लिया गया है, फिर भी याची अभिनियोजित किया जा रहा है क्योंकि कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 में प्रस्तुत सूचना एम॰ ओ॰ यू॰ तथा कार्य आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के अनुरुप नहीं थी। किंतु उसके लिए ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी का निदेशक जिम्मेदार होगा क्योंकि उन कॉलमों को ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी द्वारा आवश्यकत: प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है जो तथ्य परिशिष्ट 3 से भी स्पष्ट होगा जिसे आर॰ टी॰ आई॰ के अधीन रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक (व्यवस्थापन) द्वारा याची को दिया गया था। चूँकि याची को क्षेत्रीय प्रबंधक होने के नाते ऐसा कर्तव्य कभी नहीं दिया गया है, उसे निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में टिपर्स एवं भूतपूर्व सैनिक के अभिनियोजन से संबंधित लोप एवं कारिता के कृत्य के लिए जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है और तद्द्वारा याची का अभियोजन अवैध होगा और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य होगा।

6. इसके विरुद्ध, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से द्विवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्टों को निदेशक ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था और, तद्द्वारा, रिपोर्टों के प्रत्येक कॉलम को संयुक्त रूप से

अभिप्रमाणित करने की आवश्यकता थी। याची ई॰ एस॰ एम॰ एवं टिपर्स/डंपर्स और ई॰ एस॰ एम॰ कर्मियों के अभिनियोजन से संबंधित एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि स्वीकृत रूप से ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी ने अध्यपेक्षित संख्या में भूतपूर्व सैनिकों एवं टिपर्स को अभिनियोजित नहीं किया था। उसके बावजूद कंपनी को काम निष्पादित करने की अनुमति दी गयी थी और भुगतान भी किया गया था यद्यपि कोयला कंपनी को डी॰ जी॰ आर॰ द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी द्वारा काम निबंधनों एवं शर्तों के अनुरुप निष्पादित किया गया है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनानुसार टिपर्स/डंपर्स एवं भूतपूर्व सैनिक की संख्या अभिनियोजित नहीं की गयी थी, फिर भी द्विवार्षिक रिपोर्ट के अधीन दी गयी सूचना, इस याची द्वारा कोयला कंपनी का प्रतिनिधि होने के नाते और ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित की गयी थी और तद्द्वारा याची को सही प्रकार से अभियोजित किया जा रहा है।

7. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर यह प्रतीत होता है कि याची को क्षेत्रीय प्रबंधक होने के नाते केवल इस तथ्य के कारण अभियोजित किया जा रहा है कि वह द्विवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करता था जो कॉलम की संख्या अंतर्विष्ट करता है जिसके अधीन अध्यपेक्षित सूचना दी जानी है। याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यद्यपि द्विवार्षिक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रस्तुत की जाती है किंतु कॉलम के अधीन आवश्यक सूचना उन व्यक्तियों द्वारा दी जानी है जो इससे संबंधित हैं जो एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनों एवं शर्तों से स्पष्ट होगा जिसे सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा ध्यान में लिया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^LFkkuh; leu"kxh l lcfèkr fjikV dk fofufn"V@çkIfxd Hkkx dk;yk leu"kxh d çkfèkÑr çfrfufèk }kjk vfHkçekf.kr fd;k tk,xkA**

8. याची के मामले के अनुसार, कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 जो एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं टिपर्स तथा डंपर्स के अभिनियोजन से संबंधित हैं को ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी द्वारा अभिप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता थी। यह निवेदन उस दस्तावेज से समर्थन पाता है जिसे रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक व्यवस्थापन (स्व नियोजन) से आर॰ टी॰ आई॰ अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए परिशिष्ट 3 के रूप में संलग्न किया गया है जिस दस्तावेज को अनधिक्षेपणीय चरित्र का कहा जा सकता है।

9. परिस्थितियों के अधीन, कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 के अधीन दी गयी किसी सूचना को याची द्वारा अभिप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता कभी नहीं थी। किंतु, सी॰ बी॰ आई॰ का मामला यह भी है कि डी॰ जी॰ आर॰ द्वारा जारी अनुदेशों के निबंधनानुसार कोयला कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि ई॰ एस॰ एम॰ कंपनी काम निष्पादित करने के लिए टिपर्स/डंपर्स एवं भूतपूर्व सैनिकों के अभिनियोजन से संबंधित एम॰ ओ॰ यू॰ के निबंधनों एवं शर्तों का पालन कर रहा है। किंतु उसके लिए अभियोजन का मामला यह प्रतीत होता है कि ऐसी जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रबंधक की थी न कि याची का।

10. इन परिस्थितियों के अधीन, जब याची से कॉलम सं॰ 7, 8 एवं 9 के अधीन प्रस्तुत अध्यपेक्षित सूचना को अभिप्रमाणित करने की उम्मीद नहीं की जाती है और न ही उसने उक्त सूचना को अभिप्रमाणित किया, बल्कि उसने रिपोर्ट के अन्य कॉलम के अधीन प्रस्तुत सूचना अभिप्रमाणित किया था, उसे कोई गलती करते हुए नहीं कहा जा सकता है और, तद्द्वारा, याची का कोई अभियोजन बिल्कुल अवैध होगा। विचारण न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलूओं को सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में नहीं लिया गया है और, तद्द्वारा, दिनांक 22.1.2015 का आदेश जिसके अधीन उन्मोचन प्रार्थना अस्वीकार की गयी थी, एतद्

द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप याची को मामले से उन्मोचित किया जाता है।

11. इस प्रकार, पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

नारायण दत्ता

cuke

शिब शंकर सिन्हा एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 694 of 2004. Decided on 1st July, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 202, 203 एवं 204—परिवाद की खारिजी एवं प्रक्रिया का स्थगन–न्यायालय को धाराओं 202/203 के अधीन आदेश पारित करने के लिए गवाहों एवं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान पर विचार करना होगा–यदि परिवाद में किए गए अभिकथन जाँच के दौरान परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान एवं गवाहों के बयानों से सिद्ध होते हैं, न्यायालय को धारा 204 के अधीन आदेश पारित करना होगा–परिवादी को कर्ज राशि के गैरभुगतान के लिए दंडित किया गया था और उसके बाद उसने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध इस परिवाद को दाखिल किया है–यह द्वेषपूर्ण अभियोजन है–याचिका खारिज। (पैराएँ 5 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajeev Sharma, For the Petitioner; None, For the O.Ps..

आदेश

यह दांडिक विविध याचिका दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 3 वर्ष 2003 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विद्वान जे॰ एम॰ पाकुड़ श्री के॰ के॰ झा द्वारा पारित दिनांक 30.10.2002 के आदेश को मान्य ठहराया है जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल परिवाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 203 के अधीन खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में तथ्य ये हैं कि परिवादी ने बैंक से कर्ज लिया था। जब कर्ज राशि का भुगतान नहीं किया गया था, राशि की वसूली के लिए मामला संस्थित किया गया था। परिवादी ने छला महसूस किया और याचीगण के विरुद्ध परिवाद मामला सं॰ 138 वर्ष 2001 उसमें यह अभिकथित करते हुए दर्ज किया कि उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि प्रदान किए गए कर्ज के विरुद्ध वह 50% सबसिडि पाएगा किंतु इसे नहीं दिया गया था। अभियुक्तों ने उसे गिरफ्तार करवाया और उसे कारा भेजा गया था।

3. विद्वान दंडाधिकारी ने जाँच करने और जाँच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान पर विचार करते हुए दिनांक 30.10.2002 का आदेश पारित किया जिसके द्वारा विरोधी पक्षकार द्वारा दाखिल परिवाद खारिज कर दिया गया था।

4. परिवादी ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 3 वर्ष 2003 दाखिल किया। पक्षों को सुनने के बाद पक्षों के मामले के समस्त पहलूओं पर चर्चा करते हुए दिनांक 2.4.2004 को विस्तृत आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया गया है।

5. यह निवेदन किया गया है कि विद्वान दंडाधिकारी ने गलत रूप से गवाहों के बयान पर विचार किया है और उन्होंने परिवाद खारिज करके त्रुटि कारित किया है। परिवाद में किए गए प्रकथनों को एस॰

ए॰ पर दर्ज परिवादी के बयान और जाँच के दौरान परीक्षित गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया पाया गया है। परिवाद की खारिजी के बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया था जिन्होंने परिवाद में नामित अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर विश्वास करके घोर गलती किया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश को प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विरोधी पक्षकार/अभियुक्तों द्वारा लिए गए बचाव पर विचार नहीं करना चाहिए था। यह सुनिश्चित विधि है कि न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 202/203 के अधीन आदेश पारित करने के लिए गवाहों के बयान एवं परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर विचार करना होगा। यदि परिवाद में किए गए अभिकथन जाँच के दौरान परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान एवं गवाहों के बयान द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 204 के अधीन आदेश पारित करना होगा।

6. विपक्षी पक्षकार के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।

7. मैंने परिवाद याचिका, परिवादी के एस॰ ए॰, जाँच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान एवं चुनौती के अधीन आदेशों का परिशीलन किया है। यह विवादित नहीं है कि परिवादी ने बैंक से कर्ज लिया था और अनुबंधित अवधि के भीतर करार एवं कर्ज देने के समय पर निष्पादित दस्तावेजों के मुताबिक इसका पुनर्भुगतान नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि बैंक सरकार द्वारा आरंभ की गयी योजना के अधीन अथवा संबंधित बैंक में प्रचलित योजनाओं के अधीन अपने ग्राहकों एवं लाभार्थियों को कर्ज दिया करते हैं। कर्ज देने के विरुद्ध निबंधन एवं शर्त सदैव लिपिबद्ध किए जाएँगे और यह उम्मीद की जाती है कि कर्ज लेने वाले ने कर्ज का लाभ लेने के पहले निबंधनों एवं शर्तों का परिशीलन किया है। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि कर्ज राशि के गैर-भुगतान के कारण प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था किंतु तब भी परिवादी ने कर्ज राशि नहीं लौटाया था और इसलिए, प्रमाण पत्र मामला अग्रसर हुआ। परिवादी कर्ज राशि के गैर भुगतान के विरुद्ध परिणामों का सामना कर रहा था और उसके बाद उसने बैंक के शाखा प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के इस परिवाद को दाखिल किया है। विद्वान दंडाधिकारी ने और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी अपने-अपने आदेशों में तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा गवाहों के बयान पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया है। दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 3 वर्ष 2003 में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का परिशीलन करने के बाद मैं पाता हूँ कि न्यायालय ने अभियोजन मामले के प्रत्येक पहलूओं पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तार्किक आदेश पारित किया है। मेरे मत में, यह और कुछ नहीं बल्कि प्रतिशोध लेने के लिए बैंक अधिकारियों के विरुद्ध परिवादी/ओ॰ पी॰ द्वारा आरंभ किया गया द्वेषपूर्ण अभियोजन है जब वह कर्ज राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों में, मैं इस दांडिक विविध याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ।

8. तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

नीरज गोप एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 432 of 2015. Decided on 1st July, 2015.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 14— किशोर अपचारी को जमानत–अभिकथित अपराध को ध्यान में लिए बिना किशोर अपचारी को जमानत का प्रदान नियम है और इनकार अपवाद–याचीगण का आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है–शर्तों के अध्यधीन जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 4 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Prakash Tirkey, For the Petitioners; A.P.P., For the State.

आदेश

दो याचीगण नीरज गोप एवं सुमित डुंगडुंग, क्रमशः अपने पिता एवं चाचा तथा नैसर्गिक अभिभावकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए, दांडिक अपील सं॰ 5 वर्ष 2015 में विद्वान प्रमुख सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 12.2.2015 के निर्णय जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थियों की जमानत प्रार्थना, जिसे जी॰ आर॰ केस सं॰ 723 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 9.12.2014 के आदेश के तहत प्रमुख दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, अभिपुष्ट की गयी है के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 53 के अधीन इस न्यायालय के पास आए हैं।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह अभिलेख से प्रतीत होता है, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/414 एवं आयुध अधिनियम की धाराओं 25 (1-b)a/26/27/35 के अधीन अपराध से संबंधित है।

3. यह प्रतीत होता है कि याचीगण को सक्षम न्यायालय द्वारा किशोर घोषित किया गया था जिसके बाद याचीगण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत प्रदान के लिए याचिका दाखिल की गयी थी जिसे दिनांक 9.12.2014 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने प्रमुख सत्र न्यायाधीश, गुमला के समक्ष अपील दाखिल किया किंतु इसे भी दिनांक 12.2.2015 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार किया गया था कि यदि उन्हें निर्मुक्त किया जाता है, वे ज्ञात अपराधियों की संगति में पड़ सकते हैं।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय अधिनियम की धारा 12 के अधीन दी गयी आज्ञा का अधिमूल्यन करने में विफल रहे और कि याचीगण दिनांक 24.7.2013 से अभिरक्षा में हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची सं॰ 1 के पिता और याची सं॰ 2 के चाचा याचीगण की जिम्मेदारी लेंगे और उनको किसी ज्ञात–अज्ञात अपराधियों के संपर्क में नहीं आने देंगे। यह भी निवेदन किया गया था कि याचीगण का आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और यह सुनिश्चित दृष्टिकोण है कि अभिकथित अपराध को ध्यान में लिए बिना किशोर को जमानत का प्रदान नियम है और जमानत प्रदान करने से इनकार अपवाद।

5. राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता को आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों और इस तथ्य कि याचीगण किशोर हैं और दिनांक 24.7.2013 से अभिरक्षा में हैं पर विचार करते हुए मैं याचीगण को जमानत पर निर्मुक्त करने का इच्छुक हूँ। तद्नुसार, दोनों याचीगण नीरज गोप एवं सुमित डुंगडुंग को बरसिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 44 वर्ष 2013, जी॰ आर॰ सं॰ 723 वर्ष 2013 के तत्सम, के संबंध में विद्वान प्रमुख दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला के संतुष्टि हेतु प्रत्येक को 10,000/- रुपयों के जमानत बंधपत्र के साथ इतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। आगे, याची सं॰ 1 के पिता एवं याची सं॰ 2 के चाचा को जाँच के समापन तक किशोर न्याय बोर्ड, गुमला के समक्ष संबंधित मामले में नियत प्रत्येक तिथि पर याचीगण को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जमानतदारों में से एक क्रमशः याची सं॰ 1 एवं 2 के पिता एवं चाचा होंगे।

7. इस प्रकार, यह पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और प्रमुख दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा पारित दिनांक 9.12.2014 का आदेश और विद्वान प्रमुख सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा दांडिक अपील सं॰ 5 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 12.2.2015 का निर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj U;k;efr

पुतुल देवी

cuke

बिधान चंद्र त्रिगुणायत एवं अन्य

W.P. (C) No. 6296 of 2011. Decided on 16th June, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 10—अभिधान वाद में विधिक उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन—वाद जिसमें सह-अंशधारियों का हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं है का प्रतिवाद करने के लिए संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को पक्षकार के रूप में अभियोजित करने की आवश्यकता नहीं है—याची सह-अंशधारी होने के नाते वाद में पक्षकार बनाए जाने का दावा कर रही है—किंतु, उसका किसी पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल हित नहीं है—याची समुचित पक्ष नहीं है—याचिका खारिज। (पैराएँ 5 एवं 7)

अधिवक्तागण.—M/s Dilip Kumar Prasad and Jitesh Kumar, For the Petitioners; Mr. Mahesh Tewari, For the Resp. No. 6 & 7; Mrs. Debolina Sen Hirani, For the Resp. 9-11.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 8989 वर्ष 2013</u>

यह आवेदन याची, जिसकी मृत्यु रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपने विधिक उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए दिनांक 14.4.2013 को हो गयी, के विधिक उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए दाखिल किया गया है जैसा इस आवेदन के पैराग्राफ सं॰ 2 में कथन किया गया है। मृतका याची के विधिक उत्तराधिकारीगण निम्नलिखित हैं:

(i) श्रीमती माधुरी चौधरी, पत्नी स्वर्गीय नित्यानंद चौधरी, पुत्री स्वर्गीय पुतुल देवी निवास तिलकामांझी पी॰ एस॰ एवं पी॰ ओ॰, भागलपुर।

(ii) श्रीमती बैजयंती चौधरी, पत्नी श्री दिलीप कुमार चौधरी, पुत्री स्वर्गीय पुतुल देवी, निवासी पी॰ ओ॰ एवं पी॰ एस॰ टाटी झरिया, जिला धनबाद।

(iii) श्रीमती रीना पांडे, पत्नी श्री रामानंद पांडे, पुत्री स्वर्गीय पुतुल देवी निवासी पी॰ ओ॰ एवं पी॰ एस॰ अवर्तनपुर जिला मुंगेर।

आवेदन में कथित कारणों से आई॰ ए॰ सं॰ 8989 वर्ष 2013 अनुज्ञात किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि उन्होंने प्रतिस्थापित याचीगण की ओर से हाजिरी दाखिल किया है।

<u>डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6296 वर्ष 2011</u>

अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में दिनांक 22.7.2011 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में जिसे यह घोषणा कि राजस्व अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 8.3.1970 का आदेश अकृत एवं शून्य था और यह घोषणा कि दिनांक 6.8.2007 एवं दिनांक 21.8.2007 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अकृत एवं शून्य था और वादीगण पर बाध्यकारी नहीं था, इप्सित

करते हुए दाखिल किया गया था, याची ने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन संयुक्त परिवार संपत्ति के अंशधारियों में से एक की विधवा होने के नाते उसका पक्षकार बनाया जाना इप्सित करते हुए दिनांक 3.2.2011 को आवेदन दाखिल किया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत संपत्ति संयुक्त परिवार संपत्ति है और याची का पति सह-अंशधारी था, अतः, याची अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में समुचित पक्ष है। याची द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन दाखिल आवेदन तीन आधारों पर खारिज कर दिया गया था अर्थात् (i) यह न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित था, (ii) याची अभिधान का कोई सदृश्य प्रकट करने में विफल रही है और (iii) वादी deminus litus है, अतः केवल वही वाद के पक्षों को विनिश्चित कर सकता है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 3.2.2011 का आवेदन अस्वीकार करने के लिए पूर्वोक्त आधार गलत है क्योंकि याची की पुत्री द्वारा दाखिल पक्षकार आवेदन अस्वीकार करने वाला आदेश न्याय निर्णीत के रूप में प्रवर्तित नहीं हो सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में याची की उपस्थिति अभिधान वाद के पूर्ण एवं अंतिम न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है अतः, उसका पक्षकार आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी और प्रत्यर्थी सं॰ 9-10 के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती देबोलिना सेन हिरानी ने दिनांक 22.7.2011 के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से पाया है कि याची वाद अनुसूची संपत्ति के उपर अभिधान की कोई सादृश्यता प्रकट करने में विफल रही है।

5. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से यह प्रकट है कि याची ने संयुक्त परिवार के सदस्य की विधवा होने के नाते संपत्ति में हित का दावा किया है। याची ने दावा किया है कि उसका पति वाद अनुसूची संपत्ति में सह-अंशधारी था। संयुक्त परिवार संपत्ति से गठित वाद सह-अंशधारियों में से किसी के द्वारा प्रतिवादित किया जा सकता है, यह विधि की स्वीकृत प्रतिपादना है। वाद का प्रतिवाद करने के लिए, जिसमें सह-अंशधारियों का हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं है, संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को पक्ष के रूप में अभियोजित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 3.2.2011 के आवेदन में, पैराग्राफ सं॰ 10 में स्वयं याची ने निम्नलिखित कथन किया है:-

> *"10. fd ;kph dk oknhx.k vFkok çfroknhx.k d fo#) çfrdy fgr ugh g vkj oreku ;kfpdk lnHkkoi.k vkèkkj ij ,o U;k; d fgr e nkf[ky dh tk jgh gA***

6. याची के अधिवक्ता का प्रतिवाद कि याची अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में समुचित पक्ष है, भ्रामक है। **''विदुर इंपेक्स एन्ड ट्रेडर्स (प्रा॰) लि॰ बनाम तोष अपार्टमेंट्स (प्रा॰) लि॰, (2012)8 SCC 384,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:-

> *"41.2. vko';d i{k og 0;fDr g ft l okn d i{k d :i e l;kftr fd;k tkuk pkfg, Fkk vkj ft ldh vuifLFkfr e U;k;ky; }kjk çHkkodkjh fMØh ikfjr ugh dh tk ldrh gA*
>
> *41.3. lefpr i{k og 0;fDr g ft ldh mifLFkfr U;k;ky; dk leLr ekeyk ,o fook|dk ij i.krk çHkkodkjh :i l ,o lefpr :i l U;k; fu.k;.k d fy, l{ke cukrh g ;|fi og ,l 0;fDr ugh gk ldrk g ft ld i{k e vFkok fo#) fMØh ikfjr fd;k tkuk gA*

41.4. ;fn fdlh 0;fDr dk lefpr vFkok vko';d i{k ugh ik;k tkrk g] U;k;ky; dk okn dh bPNk d fo#) mldk i{kdkj cuku dk vkn'k nu dh vfèkdkfjrk ugh gA

7. वाद का समुचित पक्ष वह पक्ष होगा जिसकी उपस्थिति वाद के पूर्ण एवं प्रभावकारी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है। याची यह स्थापित करने में विफल रही है कि किसी प्रकार अभिधान वाद सं॰ 154 वर्ष 2008 में उसकी उपस्थिति वाद में अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों के पूर्ण एवं प्रभावकारी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है। जैसा ऊपर गौर किया गया है, याची सह-अंशधारी की विधवा होने के नाते वाद में पक्षकार बनाने का दावा कर रही है किंतु, उसने प्राख्यान किया है कि उसका किसी पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल हित नहीं है। पूर्वोक्त तथ्यों में यह प्रतिवादित नहीं किया जा सकता है कि याची समुचित पक्ष है। मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

श्रीमती सागरिका देवी उर्फ सागरिका प्रसाद

cuke

विजय कुमार

I.A. No. 1226 of 2015 with F.A. No. 566 of 2014. Decided on 7th May, 2015.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 (1) (iii) एवं 24—तलाक–अपीलार्थी पत्नी की मानसिक विक्षिप्तता–कोई प्रतिकूलता कारित नहीं की गयी है क्योंकि आज के दिन से विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया गया है किंतु वैवाहिक वाद में साक्ष्य अभी भी वैवाहिक वाद के आवेदक द्वारा दिया जाना है–अपीलार्थी भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं अपना साक्ष्य दे सकती है–वैवाहिक वाद एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल अंतरिम भरण-पोषण आवेदन स्वयं इसके गुणागुणों पर विनिश्चित किया जाएगा।

(पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Kishore Prasad, For the Appellant; Mr. Ashok Kumar Yadav, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के अधिवक्ता इस अंतर्वर्ती आवेदन पर जोर नहीं दे रहे हैं, अत: आई॰ ए॰ सं॰ 1226 वर्ष 2015 जोर नहीं दिए गए के रूप में निपटाया जाता है।

<u>प्रथम अपील सं॰ 566 वर्ष 2014</u>

2. यह प्रथम अपील वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 4.4.2013 के निर्णय के विरुद्ध और विविध मामला सं॰ 35 वर्ष 2013 तथा विविध मामला सं॰ 36 वर्ष 2013 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 27 सितंबर, 2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि दिनांक 29 अप्रिल, 2007 को इस प्रथम अपील के दोनों पक्षों के बीच विवाह संपन्न हुआ था। तत्पश्चात, इस प्रथम अपील के पक्षों के बीच विवाह संबंध से पुत्री का जन्म हुआ है। आगे यह

प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (iii) के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष तलाक के लिए आवेदन मुख्यत: इस आधार पर दिया था कि वर्तमान अपीलार्थी (मूल प्रत्यर्थी) विक्षिप्त दिमाग की थी। प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 के रूप में संख्यांकित किया गया है जिसमें नोटिस जारी किया गया था और इस अपीलार्थी पर तामील किया गया था, किंतु वह अनुपस्थित बनी रही और लिखित कथन दाखिल करने का उसका चरण बंद कर दिया गया था। वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 4.4.2013 के आदेश के पैराग्राफ 3 में इन तथ्यों का कथन किया गया है। प्रत्यर्थी ने चार गवाहों का परीक्षण किया है, किंतु इस अपीलार्थी द्वारा प्रति परीक्षण नहीं किया गया था और अंतत: दिनांक 4.4.2013 को प्रमुख न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा मूल आवेदक को विधि के अनुरुप तलाक के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता, आरक्षित करते हुए न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि इस आदेश के पारित किए जाने के कुछ माह बाद वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था, किंतु चूँकि विचारण न्यायालय के समक्ष मामला लंबित नहीं था, अत: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया था। साथ-साथ, वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 में दिनांक 4.4.2013 के आदेश को वापस लेने के लिए एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दाखिल इन दोनों आवेदनों को विविध मामला सं॰ 35 वर्ष 2013 और विविध मामला सं॰ 36 वर्ष 2013 के रूप में संख्यांकित किया गया है। दोनों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2014 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है। इस प्रथम अपील में इस अपीलार्थी ने वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 में न्यायिक पृथक्करण के दिनांक 4.4.2013 के आदेश तथा विविध मामला सं॰ 35 वर्ष 2013 और विविध मामला सं॰ 36 वर्ष 2013 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 27 सितम्बर, 2014 के आदेश को चुनौती दी गयी है क्योंकि अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन खारिज किया गया था और दिनांक 4.4.2013 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन भी खारिज किया गया था।

4. यह प्रतीत होता है कि अब प्रत्यर्थी ने पहले ही तलाक के लिए वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 दाखिल किया है जिसमें इस अपीलार्थी ने आवेदन दाखिल किया है कि इस अपीलार्थी की मानसिक स्वास्थ्य की जाँच के लिए इस अपीलार्थी को केंद्रीय मानसिक रोग संस्थान, काँके, राँची के चिकित्सीय बोर्ड के पास भेजा जाए। इस अपीलार्थी ने अंतरिम भरण-पोषण के लिए वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन आवेदन दाखिल किया है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि इस चरण पर हम इस प्रथम अपील में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाते हैं क्योंकि इस अपीलार्थी के पास पहले से ही वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 में अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए और कोई साक्ष्य, जैसा परामर्श इस अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, दाखिल करने के लिए प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के पास उपस्थित होने का अवसर है। आज के दिन तक प्रतिकूलता कारित नहीं की गयी है क्योंकि न्यायिक पृथक्करण का आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है किंतु वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 में अभी भी आवेदक द्वारा साक्ष्य दिया जाना है। इस अपीलार्थी के पास वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों का प्रति परीक्षण करने का अवसर भी है। इसी प्रकार से, यह अपीलार्थी भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य के रूप में अपना साक्ष्य दे सकती है। अगर विद्वान विचारण न्यायालय इस अपीलार्थी को केंद्रीय मानसिक रोग संस्थान, काँके, राँची नहीं भेज रहा है, तब भी वह स्वयं उक्त संस्थान जा सकती है, केंद्रीय मानसिक रोग संस्थान, काँके, राँची से रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और उसे केंद्रीय मानसिक रोग संस्थान,

काँके, राँची के डॉक्टर द्वारा दिए गए ऐसे रिपोर्ट को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार से, इस अपीलार्थी ने वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 जो लंबित है में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदन दाखिल किया है। इस प्रकार, यह अपीलार्थी अंतरिम भरण–पोषण पाने के लिए उक्त आवेदन पर तर्क भी कर सकता है।

5. इन तथ्यों की दृष्टि में, हम इस चरण पर प्रथम अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं। वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 और अपीलार्थी द्वारा दाखिल अंतरिम भरण–पोषण आवेदन स्वयं इसके गुणागुण पर और दिनांक 4 अप्रिल 2013 के आदेश और दिनांक 27 सितंबर, 2014 को पारित आदेश में पूर्ववर्ती संप्रेक्षणों द्वारा पूर्वाग्रह ग्रस्त हुए बिना विनिश्चित किया जाएगा। पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ यह अपील निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

संजय सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 982 of 2015. Decided on 30th April, 2015.

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914—धाराएँ 9 एवं 14—प्रमाण पत्र कार्यवाही–याची द्वारा दाखिल आपत्ति विनिश्चित नहीं की गयी थी–कार्यवाही अनियमित रूप से संचालित की गयी है–याची को उसके द्वारा पहले से ही दाखिल आपत्ति की पूरक आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी गयी–प्रमाण पत्र अधिकारी को पहले याची की आपत्ति विनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh and Rashmi Kumari, For the Petitioners; Mr. Abhay Kumar Mishra, For the State.

आदेश

प्रमाण पत्र मामला सं॰ 74 (MR) 1992-93 में दिनांक 25.6.2013 के आदेश जिसके द्वारा याची के विरुद्ध कुर्की का वारन्ट आदेशित किया गया है से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। रिट याचिका में आगे दिनांक 14.10.1992 के आदेश और प्रमाण पत्र मामले में संपूर्ण कार्यवाही के अभिखंडन की प्रार्थना भी की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि जिला खनन अधिकारी, राँची की प्रेरणा पर प्रमाण पत्र कार्यवाही इस आधार पर आरंभ की गयी थी कि याची ग्राम चटकपुर में ईंट की भट्ठी चला रहा था जिसके लिए याची 41,400/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का दायी था। याची दिनांक 3.2.1993 को उपस्थित हुआ और बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के अधीन आपत्ति यह कथन करते हुए दाखिल किया कि वह ईंट की भट्ठी नहीं चला रहा था और उसने ईंटों का निर्माण कभी नहीं किया। यद्यपि प्रत्यर्थी जिला खनन अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था, प्रत्यर्थी की ओर से उत्तर दाखिल नहीं किया गया था और अचानक दिनांक 25.6.2013 के आदेश के तहत कुर्की वारन्ट आदेशित किया गया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह निवेदन करते हैं कि याची ने विनिर्दिष्टत: इनकार किया है कि वह वर्ष 1992-93 में ग्राम चटकपुर, राँची में ईंट की भट्ठी चला रहा था अथवा ईंटों का निर्माण किया था। प्रमाण पत्र मामला के अभिलेख में 1914 अधिनियम के निबंधनानुसार फॉर्म 2 उपलब्ध नहीं है। लोक मांग प्रमाण पत्र को दिनांक 14.10.1992 को प्रत्यर्थी जिला खनन अधिकारी के तलब सं॰ 84 वर्ष 1992 के आधार पर प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रमाण पत्र मामला में कार्यवाही अनियमित रूप से संचालित की गयी थी और अचानक लगभग 20 वर्ष बीतने के बाद प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा कुर्की वारन्ट जारी किया गया है जिसे विधि में अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान एस॰ सी॰ III श्री अभय कुमार मिश्रा निवेदन करते हैं कि चूँकि याची ने प्रमाण पत्र राशि का भुगतान नहीं किया था, प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा सही प्रकार से कुर्की वारन्ट जारी किया गया है।

5. प्रमाण पत्र मामला सं॰ 74 (MR) 1992-93 का मूल अभिलेख न्यायालय में प्राप्त किया गया है। प्रमाण पत्र मामले में कार्यवाही प्रकट करती है कि दिनांक 14.10.1992 को 41,400/- रुपयों की राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्यवाही आरंभ की गयी थी। सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् दिनांक 3.2.1993 के पहले याची ने अपना आपत्ति दाखिल किया था जिसके प्रति जिला खनन अधिकारी को उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, मामला दिनांक 10.5.1993 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पाँच वर्ष तत्पश्चात, मामला दिनांक 13.8.1998 के लिए और तत्पश्चात दिनांक 22.5.2000 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रमाण पत्र मामला सं॰ 74 (MR) 1992-93 में कार्यवाही आगे प्रकट करती है कि मामला को वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। दिनांक 13.12.2004 के बाद मामला लगभग 9 वर्ष बाद दिनांक 13.5.2013 को सूचीबद्ध किया गया था और अगली तिथि पर प्रमाण पत्र मामला में सुनवाई बंद की गयी थी और कुर्की के वारन्ट का आदेश जारी किया गया था। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 14 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"14. **dc çek.k i= fu"ikfnr fd;k tk ldrk g-**&çek.k i= d fu"iknu e tc rd èkkjkvk 7 ,o 11 }kjk vko';d cuk;h x;h ukfVl d rkehy dh frfFk l rhl fnu dh vofèk chr ugh x;h g vFkok tc èkkjk 9d vèkhu ;kfpdk lE;d :i l nkf[ky dh x;h g] ,lh ;kfpdk lu ,o fofuf'pr fd, tku rd dne ugh mBk;k tk,xkh*
>
> *ijUr ;g fd ;fn çek.k i= vfèkdkjh ft ld dk;ky; e çek.k i= nkf[ky fd;k x;k g lr"V g fd çek.k i= _.kh d viuh py lifÙk d ij vFkok bld fdlh Hkkx] tk bl vfèkfu;e d vèkhu ddh dk nk;h g] dk Niku] gVku vFkok cpu dh lHkkouk g] vkj fd ifj.kkeLo#i çek.k i= dh jkf'k dh olyh foyfcr vFkok vojkfèkr gk tk,xhA og fdlh le; fyf[kr e nt fd, tku oky dkj.kk l ,lh py lifÙk d ij vFkok fdlh Hkkx dh ddh dk fun'k n ldrk gA***

6. प्रमाण पत्र कार्यवाही से, जैसा ऊपर गौर किया गया है, यह प्रकट है कि याची द्वारा दाखिल अभ्यापति विनिश्चित नहीं की गयी थी। वस्तुत:, प्रत्यर्थी जिला खनन अधिकारी ने याची द्वारा दाखिल अभ्यापति के प्रति उत्तर दाखिल नहीं किया था। कार्यवाही अनियमित रूप से संचालित की गयी थी जैसा तथ्यों के पूर्वोक्त विवरण से प्रकट है।

7. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि दिनांक 25.6.2013 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। याची को अपने द्वारा पहले से ही दाखिल अभ्यापति को पूरित करते हुए अभ्यापति दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

प्रमाण पत्र अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर याची की अभ्यापति विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। चूँकि याची ने पहले ही अभ्यापति दाखिल किया है, फॉर्म सं॰ 2 में तलब की वैधता के संबंध में प्रतिवाद को वर्तमान कार्यवाही में न्यायनिर्णीत करने की आवश्यकता नहीं है। याची को उन समस्त अभिवचनों को करने की छूट होगी जो वर्तमान कार्यवाही में किए गए हैं।

8. पूर्वोक्त निबंधनों में, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o jkxku e[kkikè;k;] U;k;efrx.k

मुरली गोप एवं अन्य

cuke

दामोदर घाटी निगम एवं अन्य

LPA No. 285 of 2013. Decided on 31st March, 2015.

डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 5905 वर्ष 2010 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11.7.2013 के निर्णय के विरुद्ध।

संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970—धारा 10(1)—संविदा श्रम का उत्सादन एवं नियमितिकरण–अपीलार्थीगण चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में कैंटीन कर्मचारी हैं–कैंटीन चलाने की सांविधिक बाध्यता हो सकती थी किंतु यह स्वतः इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगा कि कैंटीन के कर्मचारी प्रमुख नियोक्ता के कर्मचारी होंगे–कैंटीन में कार्यरत कर्मकार केवल कारखाना अधिनियम के प्रयोजन से स्थापन के कर्मकार बन जाते हैं और न कि किसी अन्य प्रयोजन से–याचीगण अपीलार्थीगण का अपनी सेवाओं के नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं था और वे स्थापन के अन्य कर्मचारियों के वेतनमान के साथ समतुल्यता इप्सित नहीं कर सकते हैं–अपील खारिज। (पैराएँ 14 से 16)

निर्णयज विधि.–(2005) 5 SCC 51; (2006)1 SCC 567—Relied; (2001) 7 SCC 1; 2003 (4) JCR 191 (SC)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, Amrita Kumar, Rashmi Kumari, For the Appeants; J.C. to Sr. SC.-I., For the State; M/s R.N. Sahay, S.K. Ughal, Tapas Kibiraj, Yashwardhan, For the DVC.

आदेश

डी॰ वी॰ सी॰ की इकाई चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में ठेकेदार द्वारा कैंटीन चलाया जा रहा था जिसने वर्ष 1979 से 1993 के बीच विभिन्न पदों पर अपीलार्थियों को नियोजित किया था। समयक्रम में, दिनांक 18.8.1980 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसके द्वारा यह सहमत हुआ गया था कि दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन (डी॰ टी॰ पी॰ एस॰) के कैंटीन कर्मचारी जो लाभ पा रहे हैं, उन्हें चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (सी॰ टी॰ पी॰ एस॰) के कैंटीन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। वर्ष 1997 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) के अधीन अधिसूचना जारी किया और कैंटीन चलाने के लिए संविदा श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध किया। परिणामस्वरुप, डी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के कैंटीन कर्मचारियों की सेवाएँ नियमित की गयी थी। उस कारण, डी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के कैंटीन कर्मचारी कतिपय लाभ पा रहे थे जो सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के कैंटीन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं थे और, इसलिए, रिट याचिका

सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3096 वर्ष 1996 इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी थी और प्रत्यर्थीगण को उनको वही सुविधाएँ जिन्हें डी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के कैंटीन कर्मचारियों को दिया जा रहा है प्रदान करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गयी थी और सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ कैंटीन में संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्राधिकारी को निर्देश देने की अतिरिक्त प्रार्थना भी की गयी थी। उस रिट याचिका को याचीगण को केंद्रीय सरकार के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया था ताकि संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के निबंधनानुसार कैंटीन में संविदा श्रम के उत्सादन से संबंधित मामले में समुचित निर्णय लिया जा सके। अपीलार्थीगण–याचीगण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में केंद्र सरकार के पास गए। इस बीच, **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ एवं अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्क्स एवं अन्य, (2001)7 SCC 1 = AIR 2001 (SC) 3527** के मामले में यह अभिनिर्धारित करने वाला निर्णय आया कि यदि कारखाना राज्य सरकार के क्षेत्र में है, समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। मामले के उस दृष्टिकोण में, केंद्र सरकार ने मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया। राज्य सरकार के समक्ष समस्त पक्ष उपस्थित हुए और प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ ने दृष्टिकोण लिया कि दिनांक 27.3.1998 से कैंटीन ठेकेदार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है बल्कि इसे सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के एच॰ आर॰ डी॰ विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन तदर्थ तरीके से विद्यमान कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। उस स्थिति में, संयुक्त श्रम आयुक्त ने प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ के प्रबंधन को ग्रुप डी॰ की मजदूरी का भुगतान अपीलार्थीगण–याचीगण को करने और दो माह की अवधि के भीतर उनकी सेवा नियमित करने का निर्देश दिया। किंतु, प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ द्वारा उस निर्णय को इस आधार पर क्रियान्वित नहीं किया गया था कि राज्य सरकार को तथ्य के विवादित प्रश्न पर अपीलार्थीगण–याचीगण की सेवा नियमित करने के लिए निर्देश देने का प्राधिकार नहीं था जहाँ प्रत्यर्थीगण का दृष्टिकोण सदैव यह था कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं, जबकि कुछ कारणों से कैंटीन कर्मचारियों का दृष्टिकोण था कि डी॰ वी॰ सी॰ का प्रबंधन नियोक्ता है। उस स्थिति में, अपीलार्थीगण–याचीगण पुनः डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) 5905 वर्ष 2010 के तहत इस न्यायालय के पास आए और उनको सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के स्थायी कैंटीन कर्मचारी के रूप में मानने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देने के लिए और श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3096 वर्ष 1999 में इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अभी भी प्रवर्तन में है, क्रियान्वित करने से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ द्वारा पारित आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

2. अपीलार्थीगण–याचीगण की ओर से लिया गया दृष्टिकोण यह है कि वे वर्ष 1998 से एच॰ आर॰ डी॰ विभाग के माध्यम से डी॰ वी॰ सी॰ के प्रबंधन के अधीन कार्यरत हैं और इस दशा में, वे समरुप वेतन के हकदार हैं जैसा डी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के अधीन ग्रुप डी॰ कर्मचारी पा रहे हैं और समस्त व्यवहारिक प्रयोजन से अपीलार्थीगण–याचीगण सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ कर्मचारी हैं क्योंकि उनके द्वारा भविष्य निधि कटौती की जा रही है और प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ द्वारा वेतनों की प्रतिपूर्ति की जा रही है और कि डी॰ वी॰ सी॰ को उनके ऊपर अनुशासन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना है और कि श्रम आयुक्त के समक्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की दृष्टि में कि कैंटीन ठेकेदार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10(2) के अधीन अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ की ओर से लिया गया दृष्टिकोण यह है कि अपीलार्थीगण–याचीगण को ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया था किंतु ठेकेदार ने दिनांक 27.3.1998 से काम रोक दिया और तब से सी॰ टी॰ पी॰ एस॰, एच॰ आर॰ डी॰ विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन विद्यमान कर्मचारियों के माध्यम से तदर्थ रूप से कैंटीन चलाया जाता है।

4. आगे, लिया गया दृष्टिकोण यह है कि ठेकेदार द्वारा काम रोकने के बाद अपीलार्थीगण–याचीगण ने ठेकेदार नियुक्त किए जाने तक तदर्थ आधार पर कैंटीन चलाने के लिए स्वयं प्रबंधक कमिटी निर्मित किया। उक्त व्यवस्था कारखाना अधिनियम के प्रावधान के अधीन दंड कार्रवाई से बचने की दृष्टि से की गयी थी।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने **हल्दिया रिफाइनरी कैंटीन कर्मचारी यूनियन बनाम भारतीय तेल निगम, 2005 (5) SCC 51,** एवं **कर्नाटक राज्य बनाम के॰ जी॰ एस॰ डी॰ कैंटीन कर्मचारी कल्याण संघ, (2006)1 SCC 567**, मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित करते हुए रिट आवेदन खारिज कर दिया:–

> ^^ckj&ckj nkgjk, x, lfuf'pr fofèk dh iokDr i"BHkfe e vkj oreku ekey dh i"BHkfe e Hkh ;kphx.k lefpr ljdkj d ikl tkdj vfèkfu;e dh èkkjk 10(1) d vèkhu vfèklpuk tkjh fd;k tkuk bfllr dj ldr FkA ,lh ifjfLFkfr;k e lefpr ljdkj dk mDr ç;ktu l xfBr dfeVh ,o lykgdkj ckM d ekè;e l vfèkfu;e d vèkhu çfØ;k fofèk dk vulj.k dju d ckn ,lh vfèklpuk tkjh dju vFkok bl tkjh dju l budkj dju d fy, vxlj gkuk gkxkA ;fn ,lh fLFkfr vko';d ugh Fkh] ;kphx.k d ikl fucèkuk ,o rF;k rFkk ifjfLFkfr;k] ftu ij o fo'okl djr g] ij viuh lokvk d fu;ferdj.k d fy, vk|kfxd U;k;drk d le{k lefpr ljdkj l fun'k bfllr dju ,o vk|kfxd fookn mBku dk mipkj gk ldrk gA i{kk l lcfèkr rF; d ,l fookfnr ç'uk e] [kkldj tc bu ;kphx.k dk u rk çR;Fkhx.k }kjk vkjHk e fu;Dr fd;k x;k Fkk vFkok fjDr etj ink d fo#) LFkk;h vkèkkj ij çR;Fkhx.k }kjk ckn e dke ij ugh yxk;k x;k Fkk] fjV vfèkdkfjrk e] bl U;k;ky; dk mud fu;ferdj.k dk fun'k nu d fy, vFkok fu;fer :i l dke ij yxk, x, depkfj;k d lerY; oru dk Hkxrku dju d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy, Hkh viuh Lofoodh 'kfDr dk ç;kx ugh djuk pkfg,A**

5A. निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण–याचीगण ने अंतरा–न्यायालय अपील दाखिल किया है।

6. अपीलार्थीगण याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह ने त्रिपक्षीय करार, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, श्रम आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित उन समस्त तथ्यों को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि अपीलार्थीगण–याचीगण अपनी सेवाओं के नियमितिकरण और समान वेतन एवं अन्य लाभ जो डी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के कैंटीन कर्मचारी पा रहे हैं के हकदार **भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य (ऊपर)** में दिए गए निर्णय की दृष्टि में हैं किंतु विद्वान एकल न्यायाधीश ने **हल्दिया रिफाइनरी कैंटीन कर्मचारी यूनियन (ऊपर)** मामले में और **कर्नाटक राज्य (ऊपर)** के मामले पर भी विश्वास करके गलत रूप से रिट आवेदन अस्वीकार किया किंतु **हल्दिया रिफाइनरी कैंटीन कर्मचारी यूनियन (ऊपर)** में कैंटीन कर्मचारी ठेकेदार के अधीन कार्यरत थे जबकि ये अपीलार्थीगण–याचीगण प्रत्यर्थीगण के प्रकथन के मुताबिक ठेकेदार के अधीन कार्यरत नहीं हैं और कि कैंटीन सांविधिक रूप से बनाए रखना है, जबकि **कर्नाटक राज्य (ऊपर)** मामले में याची को सांविधिकत: कैंटीन चलाने की आवश्यकता कभी नहीं थी और इस दशा में वे निर्णय प्रयोज्य कभी नहीं थे बल्कि समस्थित **नेशनल थर्मल पावर निगम लिमिटेड बनाम करीं पोथुराजू एवं अन्य, 2003 (4) JCR 191 (SC)** में दिया गया

निर्णय प्रयोज्य था जहाँ याची की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

7. इसके विरुद्ध, प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ एन॰ सहाय निवेदन करते हैं कि चूँकि अपीलार्थीगण–याचीगण प्रत्यर्थी डी॰ वी॰ सी॰ के कर्मचारी कभी नहीं हैं, वे नियमित किए जाने के हकदार नहीं हैं। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि पहले अपीलार्थीगण–याचीगण ठेकेदार के कर्मचारी थे किंतु ठेकेदार द्वारा काम रोक देने के बाद अपीलार्थीगण–याचीगण ने कैंटीन चलाने के लिए स्वयं प्रबंध कमिटी निर्मित किया जिसके लिए कतिपय लाभ दिया जा रहा था किंतु ऐसा लाभ दिया जाना उनको डी॰ वी॰ सी॰ के प्रबंधन का नियमित कर्मचारी नहीं बनाता है जबकि अपीलार्थीगण याचीगण प्रबंधन का कर्मचारी होने का दावा कर रहे हैं और इस दशा में इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल आवेदन में तथ्य के विवादित प्रश्नों को विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण–याचीगण को राज्य सरकार के समक्ष विवाद्यक उठाने की स्वतंत्रता देते हुए ताकि तथ्य के विवादित प्रश्नों को विनिश्चित करने के लिए इस संबंध में निर्देश किया जा सके, सही प्रकार से रिट आवेदन अस्वीकार किया है और इन परिस्थितियों के अधीन, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रकार से **हल्दिया रिफाइनरी कैंटीन कर्मचारी यूनियन (ऊपर)** में दिए गए निर्णय और **कर्नाटक राज्य (ऊपर)** में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है।

8. कालक्रम में, इस प्रकार के विवाद कि क्या ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को प्रबंधन का कर्मचारी समझा जाएगा और क्या वे प्रबंधन द्वारा नियमित किए जाने के हकदार हैं; उद्भूत हुए। अनेक मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए। कुछ मामलों में, यह विनिश्चित किया गया था कि भले ही ठेकेदार द्वारा व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है किंतु समस्त व्यवहारिक प्रयोजन से वे प्रबंधन के कर्मचारी हैं और इस दशा में उनकी सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया था, जबकि अन्य मामलों में विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति को प्रबंधन के कर्मचारी के रूप में लिया जा सकता है, किंतु यह कारखाना अधिनियम के प्रावधान तक सीमित रहेगा और न कि अन्य प्रयोजन से।

9. बाद में, जब **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य (ऊपर)** मामला विचारार्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, माननीय न्यायाधीशों ने उन मामलों को ध्यान में लिया जहाँ एक या दूसरा दृष्टिकोण, जैसा ऊपर कथन किया गया है, लिया गया था और विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्नों को विरचित किया:–

> *^^(i) vfHk0;fDr ^^lefpr ljdkj** dk lPpk vkj lgh HkkokFk D;k g] tSlk lh0 ,y0 vkj0 ,0 vfèkfu;e dh èkkjk 2 dh mièkkjk (1) d [kM (a) e ifjHkkf"kr fd;k x;k g(*
>
> *(ii) D;k lh0 ,y0 vkj0 ,0 vfèkfu;e dh èkkjk 10 (1) d vèkhu dn ljdkj }kjk tkjh fnukd 9.12.1976 dh vfèklpuk oèkg vkj leLr dn ljdkj dh difu;k ij ykx gkrh g(vkj*
>
> *(iii) D;k çe[k fu;kDrk d LFkkiu e fu;fer depkjh d :i e dk;jr lfonk Je dk Lor% vkeyu lcfèkr LFkkiu e lfonk Je çfrf"k) djr g, lh0 ,y0 vkj0 ,0 vfèkfu;e dh èkkjk 10 (1) d vèkhu oèk vfèklpuk tkjh fd, tku ij vulfjr gkrk gA**

10. जहाँ तक प्रश्नों (i) एवं (ii) का संबंध है, हमारा सरोकार उनसे नहीं हैं। प्रश्न सं॰ (iii) के संबंध में, माननीय न्यायाधीशों ने सविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन)

अधिनियम, 1970 के अधीन प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद पैराग्राफ 89 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:–

*"89. mDr ppk d vkykd e ge fn, x, LFkkiu e lfonk Je dk fu;ktu çfrf"k) djr g, èkkjk 10(1) d vèkhu lefpr ljdkj }kjk vfèklpuk tkjh fd, tku ij lcfèkr LFkkiu e çe[k fu;kDrk }kjk lfonk Je d Lor% vkeyu dh fdlh vrfufgr vko';drk dk ckèk xg.k dju e v{ke gA***

11. किंतु, माननीय न्यायाधीशों ने अनेक मामलों को विचार में लिया जिनमें न्यायालय द्वारा अलग–अलग दृष्टिकोण लिया गया था जिसे यहाँ नीचे कोटिकृत किया गया है:–

*"107. Åij ppk fd, x, ekeyk dk fo'y"k.k n'kkrk g fd o rhu oxk e vkr g% (i) tgk lfonk Je LFkkiu e vFkok LFkkiu e dke d lcèk e dke ij yxk;k x;k g vkj vk|kfxd U;k;drk@U;k;ky; }kjk lfonk Je d lekiu dk vkn'k fn, tku d dkj.k vFkok lh0 ,y0 vkj0 ,0 vfèkfu;e dh èkkjk 10(1) d vèkhu lefpr ljdkj }kjk vfèklpuk tkjh fd, tku d dkj.k lfonk Je dk fu;ktu çfrf"k) fd;k x;k g] LFkkiu e dk;jr lfonk Je d Lor% vkeyu dk vkn'k ugh fn;k x;k Fkk((ii) tgk lfonk >Bh vkj uke ek= dh] cfYd Nnekoj.k] ik;h x;h Fkh ftl fLFkfr e çe[k fu;kDrk d LFkkiu e dk;jr lfonk Je dk oLrr% ,o okLrfodrk e Lo; çe[k fu;kDrk dk depkjh vfHkfuèkkfjr fd;k x;k FkkA oLrr%] ,l ekey lfonk Je d lekiu l lcfèkr ugh g fdr oreku mnkgj.k ftue U;k;ky; u inkQk'k fd;k vkj lfonk Je dk fu;ktu çfrf"k) fd, tku d ckn d pj.k ij rF; d :i e lgh voLFkk ?kkf"kr fd;k((iii) tgk LFkkiu e dVhu pyku dh lkfofèkd ckè;rk d fuogu e çe[k fu;kDrk u Bdnkj dh lok dk ykHk fy;k Fkk] U;k;ky;k u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd lfonk Je oLrr% çe[k fu;kDrk d depkjh gkxA***

12. पूर्वोक्त पैराग्राफ 107 के खंड (iii) को निर्दिष्ट करके अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह ने निवेदन किया कि चूँकि कैंटीन चलाना सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ स्थापन की ओर से सांविधिक बाध्यता थी जिसने अपीलार्थीगण–याचीगण की सेवा का लाभ लिया था, स्थापन को सेवा नियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपीलार्थीगण–याचीगण को प्रमुख नियोक्ता का कर्मचारी समझा जाएगा।

13. यह सम्मानपूर्वक कहा जा सकता है कि माननीय न्यायाधीशों ने **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य (ऊपर)** मामले में ऐसी प्रतिपादना अधिकथित नहीं किया है, बल्कि ऐसे मामले को ध्यान में लिया है जिसमें ऐसी प्रतिपादना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित की गयी थी और, इसलिए, माननीय न्यायाधीशों के समक्ष यह प्रश्न नहीं आया कि क्या प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसको न्यस्त काम के संबंध में संविदा श्रम काम पर लगाने वाले ठेकेदार पर उनके बीच (प्रमुख नियोक्ता एवं संविदा श्रम) के बीच मालिक–सेवक का संबंध सामने आता है? माननीय न्यायाधीशों ने 'संविदा श्रम', 'स्थापन', और 'कर्मकार' की परिभाषाओं एवं अनेक पूर्व निर्णयों को ध्यान में लेने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:–

*"118. geu bu 'kCnk dh ifjHkk"kkvk dk Åij m)r fd;k g vkj mud HkkokFk ij çdk'k Mkyk gA 'kCn ^^dedkj** dk 0;kid :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k*

*gA ;g ,d tufjd 'kCn g ft ldk lfonk Je ,d çtkfr gA ;g lR; g fd 'kCnk ^^LFkkiuk** ,o ^^dedkj** dk l;Dr iBu n'kkrk g fd LFkkiu e dke ij yxk, x, dedkj dk çe[k fu;kDrk d lkFk ekfyd d lod d :i e çR;{k lcèk gkxkA fdr tk dedkj d fy, lgh g] og lfonk Je d fy, lgh ugh gk ldrk FkkA ifjfLFkfr;k ftud vèkhu lfonk Je dk çe[k fu;kDrk d çR;{k dedkj d :i e ekuk tk ldrk Fkk] dk igy gh mij bfxr fd;k x;k gA*

*119. ge bl çfrokn dk Lohdkj dju d fy, vk'oLr ugh fd;k x;k g fd dedkj tk ckg; dedkj ugh g dk çe[k fu;kDrk d fu;fer depkjh d :i e ekuuk gkxkA ;g mij è;ku e fy;k x;k g fd ckg; dedkj ^^dedkj** dh ifjHkk"kk d viotudkjh [kM d vrxr vkrk gA 'kCn ^^ckg; dedkj** dk x.kkFk og 0;fDr g tk èkkjk 2 (1) d [kM (i) d mi[kM (c) e mfYyf[kr çdkj dk çe[k fu;kDrk dk dke ,l fu;kDrk }kjk mldk (i) ?kj ij vFkok (ii) çe[k fu;kDrk d fu;=.k ,o çcèku d vèkhu ugh gku oky fdlh vU; ifjlj e vkir dh x;h lkexh d lkFk djrk gA 0;fDr tk ckg; dedkj ugh g fdr ^^dedkj** dh ifjHkk"kk d çFke vx dh vko';drk lr"V djrk g] fcYdy ifjHkk"kk ulkj 'kCn ^^dedkj** dh ifjHkk"kk d vrxr vk,xkA fQj Hkh ;fn ,l dedkj lfonk Je dh ifjfèk d vrxr g] tc rd og iokfYyf[kr oxk d vrxr ugh vkrk g] ml çe[k fu;kDrk d fu;fer depkjh d :i e ugh ekuk tk ldrk gA**

14. अंतत:, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न तो सी॰ एल॰ आर॰ ए॰ अधिनियम की धारा 10 और न ही अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान, अभिव्यक्त अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा स्थापन में किसी प्रक्रिया, ऑपरेशन अथवा अन्य काम में संविदा श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध करने वाली सी॰ एल॰ आर॰ ए॰ अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर संविदा श्रम का स्वत: आमेलन प्रावधानित करता है। परिणामस्वरुप प्रमुख नियोक्ता को संबंधित स्थापन में कार्यरत संविदा श्रम के आमेलन का आदेश देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। बाद में, **कर्नाटक राज्य बनाम के॰ जी॰ एस॰ डी॰ कैंटीन कर्मचारी कल्याण संघ (ऊपर)** मामले में माननीय न्यायाधीशों द्वारा यही दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कैंटीन चलाने की सांविधिक बाध्यता हो सकती थी किंतु यह स्वत: इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगा कि कैंटीन के कर्मचारी समस्त आशय एवं प्रयोजन से प्रमुख नियोक्ता के कर्मचारी होंगे और न कि केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रयोजन से और तद्द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविदा श्रमिक अपनी सेवा के नियमितकरण का दावा नहीं कर सकता है कमोबेश, उन पूर्वोक्त निर्णयों के पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हल्दिया रिफाइनरी कैंटीन कर्मचारी यूनियन (ऊपर)** के मामले में यही प्रतिपादना उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए अधिकथित की गयी थी कि कैंटीन में कार्यरत कर्मकार केवल कारखाना अधिनियम के प्रयोजन से और न कि किसी अन्य प्रयोजन से स्थापन के कर्मकार बन जाते हैं। वे प्रमुख नियोक्ता की सेवा में आमेलन का हकदार बनाने वाले किसी अन्य प्रयोजन से प्रबंधन के कर्मचारी नहीं बन जाते हैं।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में अपनी सेवा के नियमितकरण के लिए रिट याचीगण का दावा मान्य नहीं था और साथ ही वे स्थापन के अन्य कर्मचारियों के समान वेतनमान में समतुल्यता इप्सित नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिट याचीगण को स्थापन के कर्मचारी का दर्जा रखने वाला नहीं कहा जा सकता है।

16. तद्नुसार, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं, अत: इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सदानन्द प्रसाद सिंह उर्फ मदन सिंह (733 में)

तुलसी चरण साहू (597 में)

राज किशोर साहू (665 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cri. Rev. Nos. 733, 597 with 665 of 2012. Decided on 18th June, 2015.

(क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908—धाराएँ 2(a) एवं (b)—विस्फोटक अधिनियम, 1884—धारा 4 (d)–विस्फोटक पदार्थ–गन पाउडर, लेड एजाइड, लेड स्टीफिनेट एवं सेफ्टी फ्यूज सभी विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। (पैरा 8)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227— अभियुक्त का उन्मोचन–मजबूत एवं गंभीर संदेह यह उपधारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपराध किया गया है–इस चरण पर साक्ष्य उसी तरीके से तौला एवं अधिमूल्यित नहीं किया जाना है जैसा विचारण के चरण पर किया जाता है। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.–2011(1) JLJ 54 (SC) : (2010) 9 SCC 368—Relied; 2013 (2) JBCJ 234—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Badal Vishal, Arun Kumar Srivastava, Leena Mukherjee, Ruby Pandey, Sanjay Kumar Pand, Anurag Kumar, Kripa Shankar Nand, For the Petitionrs; M/s. Amresh Kumar, Shekhar Sinha, Pawan Kumar Choudhary, For the State.

आदेश

समस्त तीनों पुनरीक्षण आवेदनों को एक साथ सुना एवं इसे एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. तीनों पुनरीक्षण आवेदनों के याचीगण सत्र विचारण सं॰ 183 वर्ष 2007 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त IV, राँची द्वारा पारित दिनांक 27.6.2012 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हैं, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 227 के अधीन याचीगण के उन्मोचन के लिए दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

3. याचीगण को दिनांक 22.3.2001 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3/4/5 के अधीन और सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपराध के लिए हटिया पुलिस थाना के इंस्पेक्टर–सह–प्रभारी अधिकारी की प्रेरणा पर संस्थित हटिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 52 वर्ष 2001 में इस अभिकथन पर अभियुक्त बनाया गया है कि प्रभारी अधिकारी ने गोपनीय सूचना प्राप्त किया कि किसी बाल गोविन्द साहू के सतरंगी बाजार के निकट घर में विस्फोटकों की भारी मात्रा रखी गयी है और उक्त बालगोविन्द साहू उन विस्फोटकों को उग्रवादियों को बेचा करता था और उसके बाद सूचक ने पुलिस बल के साथ बालगोविन्द साहू के घर पर छापा मारा और हाइ एक्सप्लोसिव इगनिशन का 500 डिटोनेटर गेलाटिन का 122 टुकड़ा, बैग में रखी गन पाउडर प्रतीत होने वाला 25 किलोग्राम काला पदार्थ और सेफ्टी

फ्यूज के 102 बंडलों को जब्त किया और जाँच करने पर उक्त बाल गोविद साहू और उसके पुत्र तुलसी साहू ने सूचित किया कि उन्होंने इसे खूँटी में किसी असलम उर्फ पप्पू से खरीदा है किंतु मांगे जाने के बाद भी खरीद से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और उन्होंने यह भी प्रकट किया कि टिपूदाना के किसी राजकिशोर साहू और बालसिलिंग स्थान के मदन सिंह के मुंशी उपेन्द्र पांडे ने भी इसे खरीदा है और उक्त सूचना के आधार पर राज किशोर साहू की दूकान पर छापा मारा गया था और उच्च विस्फोट के लिए उपयोगित 21 डिटोनेटर्स जब्त किए गए थे और जाँच पर राजकिशोर साहू ने भी प्रकट किया कि उसने खूँटी के असलम उर्फ पप्पू से विस्फोटक खरीदा था और आगे, मदन सिंह के मुंशी उपेन्द्र पांडे के कमरा पर छापा मारा गया था और बॉक्स जिसके उपर ''उच्च विस्फोटक'' उत्कीर्ण था से डेटोनेटर्स का 70 टुकड़ा और सेफ्टी फ्यूज का 11 बंडल जब्त किया था और मांगने पर वह भी विस्फोटकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा और समस्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया था।

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के बाद पुलिस ने याचीगण और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया जिसके बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3/4/5 के अधीन और सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17 के अधीन संज्ञान लिया गया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद उनके उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे दिनांक 27.6.2012 के आदेश के तहत यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि याचीगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

5. आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि मंजूरी का प्रश्न एवं अन्य विवाद्यकों को अवर न्यायालय के समक्ष उठाया गया था किंतु इस न्यायालय के समक्ष **कमल शेख एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य, 2013 (2) JBCJ 234,** में निर्णय पर विश्वास करते हुए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एकमात्र प्रश्न यह उठाया गया था कि डीटोनेटर जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया था वह पदार्थ नहीं है जो स्वयं विस्फोट कारित करता है बल्कि यह ट्रिगर करने के लिए उपयोगित यंत्र पर निर्भर है और यह ''विस्फोटक पदार्थ'' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा जैसा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में ''अधिनियम'') की धारा 2 के अधीन परिभाषित किया गया है। इस दशा में, याचीगण के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है और वे उन्मोचित किए जाने के हकदार है। उक्त के अतिरिक्त, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था।

6. पूर्वोक्त निवेदन के विपरीत राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विस्फोट कारित करने के प्रयोजन से उपयोगित किए जा रहे ''डेटोनेटर्स'' 'विस्फोटक पदार्थ' की परिभाषा के अंतर्गत आएँगे जैसा इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है और द्वितीयत: इस चरण पर अतिगामी जाँच संभव नहीं है और अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि याचीगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विवाद्यक के बेहतर अधिमूल्यन के लिए ''विशेष कोटि के विस्फोटक पदार्थ'' एवं ''विस्फोटक पदार्थ'' की परिभाषा, जैसा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 2 (a) एवं (b) में परिभाषित किया गया है, को ध्यान में लेना आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *"èkkjk 2 (a). vfHk0;fDr ^^foLQkVd inkFk** fdlh foLQkVd inkFk dk cuku d fy, fdlh lkexh dk lfEefyr dju okyh le>h tk,xh(bld vfrfjDr] fdlh foLQkVd inkFk d lkFk vFkok ble fdlh foLQkV dk dkfjr dju d fy, vFkok dkfjr dju e enn nu d fy, mi;kfxr vFkok mi;kx fd, tkus d fy, vk'kf;r*

vFkok vudy cuk;k x;k dkb ,çVl] e'khu] blyheV vFkok lkexh vFkok ,l fdlh ,çVl] e'khu vFkok blyheV dk dkb Hkkx Hkh lfEefyr djrh gA**

èkkjk 2(b) vfHk0;fDr ^^fo'k"k dkfV d foLQkVd inkFk** e fjlp MoyieV ,Dllykfllk (RDX), iVkbjhfFkVky VVk ukbVV (PETN), gkb efYVx ,Dllykflk (HMX), Vkb ukbVk Vkybu (TNT), yk VEijpj lykfLVd ,Dlykflk (LTPE), dikft'ku ,DllykfMx (CE) (2, 4, 6 fQukby feFkkby ukbVkehu ;k VVkby½] vkDVky (gkb efYVx ,Dllykflk rFkk Vkb ukbVk Vkybu dk feJ.k½] lykfLVd ,Dlykflk fdd½&1 (PEK-1) rFkk RDX/TNT ;kfxd rFkk blh idkj d vU; foLQkVdk rFkk bld feyu l cu inkFk ,o foLQkV dkfjr dju oky fjekV dVky fMokbl rFkk dkb vU; inkFk ,o bldk feJ.k lfEEkfyr gkxk ftl dUn ljdkj bl vfèkfu;e d i;ktuk l vkfèkdkfjd jkti= e vfèklpuk }kjk fofufn"V dj ldxhA**

उक्त के अलावा, शब्द ''विस्फोटक को विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 4(क) में भी परिभाषित किया गया है तथा उक्त परिभाषा को भी बेहतर मूल्यांकन के लिए इसमें इसके नीचे उद्धृत करना मैं उपयुक्त समझता हूँ, जो निम्नवत है:-

"4 (d) "foLQkVd** l vfHkçr g xu ikmMj] ukbVkfXyljhu] ukbVkXykbdky] xudkVu] Mkb&ukbVk&Vkybu] Vkb&ukbVk&Vkybu] fidfjd ,flM] Mh&ukbVkQukty] Vkb&ukbVk fjlkfluky (fLVQfud ,flM)] lkbDyk&fVbefFkyhu&Vkb&ukbVkekbu] iVk,fjFkhVky&VVkukbVV] VfVy] ukbVk&xvkfuMkbu] yM ,tkbM] yM fjVQuV] QyfeuV vFkok ejD;jh vFkok dkb vU; èkkr] fM;ktk&fM&ukbVkQuky] dyM Qk;l vFkok dkb vU; inkFk] pkg ,dy jklk;fud dikmM gk ;k inkFkk dk lfEeJ.k] pkg BkI gk ;k rjy ;k xlh; ftldk mi;kx vFkok fuek.k foLQkV vFkok ikbjkVdfud bQDV }kjk 0;ogkfjd çHkko mRiUu dju dh nf"V l fd;k x;k g vkj Qkx flXuy] Qk;j oDl] ¶;t] jkdV] ijd'ku di] MhVkuVj] dkVfjt] çR;d idkj dk xkyk ck#n vkj foLQkVd d çR;d ,MIV'ku vFkok çhij'ku dk lfEefyr djrk g tlk bl [kM e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA**

8. अब इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या जब्त वस्तुएँ विस्फोटक ये था या नहीं, केस डायरी के पैराग्राफ 155 से यह प्रतीत होता है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला, राँची, झारखंड से रिपोर्ट मांगी गयी थी और उक्त प्रयोगशाला ने अपने रिपोर्ट में स्पष्टत: प्रकट किया कि बरामद पदार्थ विस्फोटक थे। उक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञ की रिपोर्ट यहाँ नीचे उद्धृत की जाती है:–

ijh{k.k dk ifj.kke%

"(1) ç;kx'kkyk e lpkfyr jklk;fud fo'y"k.k d vkèkkj ij lY;ykt ,o iVkf'k;e ukbVV d lkFk ukbVkfXyljhu dk mPp foLQkVd feJ.k vkbVe (1) ,o (2) e xkj fd, x, A1 ,o A2 fpfUgr Xykl Qk;y e j[k çn'kk e ik;k tk ldrk FkkA

vr%] ;g fu"df"kr fd;k x;k g fd Øe'k% vkbVe (1) ,o (2) e A1 ,o A2 fpfUgr Xykl Qk;y e j[k x, çn'kk dh fo"k; oLr xykjhu dkVfjt d ?kVd g tk fLVd Mk;ukekbV d uke l Hkh Kkr gA

(2) jklk;fud ,o Hkkfrd ijh{k.k d vkèkkj ij ;g ik;k x;k g fd Øe'k% vkbVe '3', '6' ,o '7' e xkj fd, x, A3, B1 ,o C1 fpfUgr Xykl Qk;y e j[k x, çn'k yM ,tkbM ,o yM LVhfQuV d lonu'khy mPp foLQkVd feJ.k dk vrfo"V djr vY;fefu;e MVkuVl gA

(3) vkbVe (4) e xkj fd, x, A4 fpfUgr Xyk l Qk;y dh vroLr e ikVkf'k;e ukbVV] dkcu ,o lYQj d fuEu foLQkVd feJ.k dk irk yxk;k tk ldk FkkA ; xu ikmMj d ?kVd gA

(4) jk lk;fud ,o Hkkfrd ijh{k.k dh lgk;rk l ;g fu"df"kr fd;k x;k g fd Øe'k% vkbVe (5) ,o (8) e xkj fd, x, A5 ,o C2 fpfUgr Xyk l Qk;y e j[k x, çn'k ^ifyrk d :i e lkekU;r% Kkr l¶Vh ¶;t gA bu ?kVdk u ikVkf'k;e ukbVV] dkcu ,o lYQj dh mifLFkfr d fy, ldkjkRed ijh{kk fn;kA mUg çHkkodkjh ik;k x;k FkkA***

प्रकटत: धारा 4 (d) में विस्फोटक की परिभाषा स्पष्टत: कथन करती है कि गन पाउडर, लेड एजाइड, लेड स्टीफिनेट सब विस्फोटक पदार्थ हैं। ऐसा होने के नाते याची के विद्वान अधिवक्ता का अभिवचन कि वस्तुएँ विस्फोटक नहीं थीं, संपोषित नहीं किया जा सकता है। सेफ्टी फ्यूज जिसे सामान्यत: 'पलीता' के रूप में जाना जाता है भी जब्त सामग्री में पाया गया था और यह यंत्र है जिसका उपयोग विस्फोटक ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लोपचंद नरुजी जाट एवं एक अन्य बनाम गुजरात राज्य, 2004 (3) East Cr. C. 226 (SC)** में अभिनिर्धारित किया कि डायनामाइट जिसे अपीलार्थियों के कब्जा से बरामद किया गया था, स्पष्टत: विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (d) के मुताबिक 'विस्फोटक' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट से, यह स्पष्ट है कि जब्त सामग्री डेटोनेटर्स थे और 'पलीता' भी जब्त किया गया था, जो विस्फोट कारित करता है और समस्त विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

9. इस तथ्य के प्रति जागरुक होने पर कि विचारण अभी दहलीज पर ही होगा और संहिता की धारा 227 के अधीन दाखिल आवेदन में यह न्यायालय याचीगण को उन्मोचित अथवा आरोपित किए जाने के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, मैं इस बिंदु पर विधि का परीक्षण करना चाहूँगा जिसे **सज्जन कुमार बनाम सी॰ बी॰ आई॰, (2010)9 SCC 368 : 2011 (1) JLJ 54 (SC),** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारगर्भित रूप से विश्लेषित किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय ने पैराग्राफ 19 पर संप्रेक्षित किया है:–

*^^19. ;g Li"V g fd vkjfHkd pj.k ij ;fn dkb etcr lng g] tk U;k;ky; dk bl lkp dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju dk vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;ky; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxl j gku dk i;kIr vkèkkj ugh gA vfHk;Dr d nk"k dh mièkkj.kk] ftl vkjfHkd pj.k ij gh djuk g] doy çFke n"V;k ;g fofuf'pr dju d fy, g fd U;k;ky; dk fopkj.k gr vxl j gkuk pkfg, ;k ughA ;fn lk{;] ftl vfHk;ktu vfHk;Dr d nk"k dk fl) dju d fy, nu dk çLrko djrk g] dk çfrijh{k.k e pukrh fn, tku d igy vFkok cpko lk{;] ;fn gk] }kjk [kfMr fd, tku d igy ijh rjg Lohdkj Hkh dj fy;k tk,] ;g ugh n'kk ldrk gk fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k Fkk] rc fopkj.k gr vxl j gku d fy, i;kIr vkèkkj ugh gkxkA***

10. अवर न्यायालय ने विस्तृत चर्चा के बाद आक्षेपित आदेश में याचीगण की अपने उन्मोचन की प्रार्थना सही प्रकार से अस्वीकार किया है क्योंकि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार से यह स्पष्ट है कि आरंभिक चरण पर यदि यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, उस स्थिति में न्यायालय को यह देखने की छूट नहीं है कि अभिसाक्ष्य उसी तरीके से तौला एवं अधिमूल्यित नहीं किया जाना है जैसा विचारण में किया जाता है। अत: यह उपधारित करने के लिए कि अपराध किया गया है, मजबूत एवं गंभीर संदेह पर्याप्त

हैं। केस डायरी एवं रिपोर्ट जो स्पष्टत: अनुबंधित करते हैं कि जब्त सामग्री विस्फोटक हैं, का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि याचीगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

11. अत:, उक्त किए गए संप्रेक्षणों के आलोक में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

12. इस प्रकार, समस्त तीनों पुनरीक्षण आवेदन खारिज किए जाते हैं।

---

ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड

cuke

मेसर्स श्री खाटू श्यामजी सीमेन्ट निर्माण प्राइवेट लिमिटेड

M.A. No. 80 of 2012. Decided on 5th May, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 39, नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151—व्यादेश—इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है कि शब्द ''मोंगिया'' विनिर्दिष्ट शब्द है और न कि जेनरिक शब्द अथवा अपीलार्थी को अन्य को अपवर्जित करते हुए इस शब्द का उपयोग करने का अधिकार है—विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार किया है और किसी प्रमाण कि प्रतिवादी द्वारा चिन्ह/नाम ''मोंगिया सुपर सीमेन्ट'' का उपयोग प्रतिवादी द्वारा आमलोगों के प्रति दुर्व्यपदेशन है अथवा इस चिन्ह/नाम के प्रवंचित उपयोग ने अपीलार्थी कंपनी की ख्याति अथवा प्रतिष्ठा को उपहति कारित किया है, की अनुपस्थिति में अंतर्वर्ती व्यादेश प्रदान करने से इनकार करने में अपने स्वविवेक का प्रयोग किया है—अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 6, 10 से 13)

निर्णयज विधि.—(1996) 5 SCC 714—Distinguished.

अधिवक्तागण.—M/s Dilip Kumar Prasad, Amit Kumar, Sureka, For the Appellant; M/s Ananda Sen, N. Tiwari, A.K. Verma, For the Respondent.

आदेश

यह अपील अभिधान वाद ट्रेड मार्क सं॰ 147 वर्ष 2011 में विद्वान जिला न्यायाधीश, पंचम, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 15 मार्च, 2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी अर्थात् मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और इसलिए अपीलार्थी व्यादेश प्रदान करने एवं प्रतिवादी मेसर्स श्री खाटू श्यामजी सीमेन्ट निर्माण प्राइवेट लि॰ को मोंगिया चिन्ह एवं अपीलार्थी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ प्रवंचनापूर्वक समरुप अन्य चिन्ह वाले समस्त प्रकार के सीमेन्ट एवं टी॰ एन॰ टी॰ छड़ अथवा सहयोगी वस्तुओं/उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय वितरण, विज्ञापन का उपयोग करने से अवरुद्ध करने के लिए प्रार्थना कर रहा है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी कंपनी अधिनियम, 1957 के अधीन रजिस्टर्ड कंपनी है और मेसर्स मोंगिया हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में निगमित की गयी है। यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी वैध अनुज्ञप्ति के अधीन वर्ष 1995 से समस्त प्रकार के टी॰ एम॰ टी॰ छड़ों एवं सीमेन्टों का निर्माण, विपणन एवं विक्रय कर रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद एवं वस्तु विनिर्दिष्ट कलात्मक साज-सज्जा एवं डिजाइन वाले मोंगिया, मोंगिया स्टील, मोंगिया सीमेन्ट एवं मोंगिया टी॰ एम॰ टी॰ टर्बो का ट्रेडमार्क के अधीन हैं और मोंगिया के पूर्वोक्त रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के अधीन

अपीलार्थी को ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रार द्वारा अनापत्ति/सर्च प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसने बाजार में सारवान प्रतिष्ठा एवं ख्याति अर्जित किया है। यह तर्क किया गया है कि अवर न्यायालय ने इस तथ्य का अधिमूल्यन नहीं किया है कि प्रतिवादी ने मेसर्स मोंगिया सुपर सीमेन्ट का ट्रेड नाम अपनाया है और मोंगिया ट्रेडमार्क की ख्याति के आधार पर उक्त सीमेन्ट का निर्माण, विपणन एवं विक्रय कर रहा है। कि अवर न्यायालय को इस तथ्य पर विचार और इसका अधिमूल्यन करना चाहिए था कि मोंगिया के ट्रेड नाम का उपयोग प्रतिवादी द्वारा ख्याति को क्षति पहुँचाने की कार्रवाई की है और अवर न्यायालय ने अस्थायी व्यादेश के प्रदान के लिए अपीलार्थी का आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि उसने मोंगिया सुपर सीमेन्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि मात्र इसलिए कि अपीलार्थी के पास मोंगिया सुपर सीमेन्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था, यह व्यादेश की प्रार्थना अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं है और अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **एन॰ आर॰ डोंग्रे एवं अन्य बनाम वर्लपूल कॉरपोरेशन एवं एक अन्य, (1996)5 SCC 714,** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है। उक्त आधार पर, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी मोंगिया ट्रेड नाम उपयोग करने के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यादेश जारी करके ट्रेडमार्क के अतिलंघन से संरक्षित किए जाने योग्य है।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थी ने मोंगिया सुपर सीमेन्ट के ट्रेडमार्क के संबंध में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जबकि प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने पार्वती सुपर सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में रजिस्टर्ड मोंगिया सुपर सीमेन्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दाखिल किया है। उक्त प्रमाण पत्र ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, भारत सरकार द्वारा ट्रेड मार्क सं॰ 1505239 के तहत जारी किया गया था। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने ख्याति के साथ आवेदन सं॰ 1505239 के अधीन रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क समनुदेशित करने के संबंध में पार्वती सुपर सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए समनुदेशन विलेख की छाया प्रतिलिपि भी दाखिल किया है।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि अवर न्यायालय जो मामले पर विचार कर रहा है ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद व्यादेश की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया है, तद्नुसार इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. सुना गया।

6. यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि अस्थायी व्यादेश के प्रदान अथवा इनकार के लिए न्यायालय को प्रथमत: यह विचार करना होगा कि क्या व्यादेश इप्सित करने वाले पक्षकार के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और द्वितीयत: क्या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और तृतीयत: क्या ऐसे प्रदान से इनकार पक्षकार को अपूरणीय हानि अथवा उपहति कारित करेगा।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए मामले **एन॰ आर॰ डोंग्रे (ऊपर)** के तथ्य वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं हैं। पूर्वोक्त मामले में वादीगण वर्ष 1956-57 से ट्रेडमार्क 'वर्लपूल' के स्वत्वधारी थे और एक या दूसरे कारण से भारत में वर्ष 1977 के बाद रजिस्ट्रेशन नवीकृत नहीं किया गया था। वादीगण पूरे विश्व में अनेक देशों में 'वर्लपूल' उत्पादों का व्यापार कर रहे थे और उत्पाद भारत भी भेजे जा रहे थे और वे वर्लपूल ट्रेडनाम में वाशिंग मशीन एवं अन्य उत्पादों के निर्माण में अंतर्ग्रस्त थे।

प्रतिवादीगण उषा श्रीराम एवं उषा–लेक्सस के नाम में अपना व्यवसाय कर रहे थे और वे भी वाशिंग मशीन का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1986 में 'वर्लपूल' चिन्ह के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया और यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि प्रतिवादीगण वर्ष 1994 के पहले से 'वर्लपूल' के इस मार्क अथवा ट्रेड नाम के अधीन अपनी वाशिंग मशीन का विपणन कर रहे थे। यह दर्शाने के लिए कि प्रतिवादीगण अन्य नामों में वाशिंग मशीन उत्पाद बेच रहे थे, अभिलेख पर सामग्री लायी गयी थी।

8. यह भी गौर किया गया था कि वादीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष 'वर्लपूल' के रजिस्ट्रेशन मार्क का प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दिया था जो ऐसे प्रमाण पत्र कि उन्होंने मार्क का त्याग नहीं किया था के प्रदान में रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि की परिशुद्धि के लिए लंबित पड़ा था।

9. उक्त परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साम्या का अधिमान वादीगण के पक्ष में है क्योंकि 'वर्लपूल' का नाम अथवा चिन्ह प्रतिवादीगण के आवेदन के काफी पहले वादीगण की कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़ा था, प्रतिवादीगण उक्त वाशिंग मशीन को वादीगण की वाशिंग मशीन की कीमत की एक–तिहाई कीमत पर बेच रहे थे और प्रतिवादीगण की वाशिंग मशीन उसी अभियांत्रिकी गुणवत्ता अथवा उत्पाद की नहीं थी जो वादीगण की थी। ऐसी परिस्थितियों में वादीगण को अंतरिम व्यादेश प्रदान किया गया था क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा 'वर्लपूल' के नाम का उपयोग किए जाने के काफी पहले से वर्लपूल ट्रेड नाम वादीगण की कंपनी के साथ जुड़ा था।

10. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर यह नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कंपनी पार्वती सुपर सीमेन्ट प्रा॰ लि॰ के पक्ष में मोंगिया सुपर सीमेन्ट के ट्रेड नाम के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दिया था। उक्त ट्रेड नाम/चिन्ह अनापत्ति/सर्च प्रमाण पत्र के बाद प्रतिवादी–प्रत्यर्थी को प्रदान किया गया था। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी थी कि शब्द 'मोंगिया' विनिर्दिष्ट शब्द है और न कि जेनरिक शब्द अथवा अपीलार्थी को अन्य को अपवर्जित करते हुए इस शब्द के उपयोग का अधिकार है।

11. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार किया है और किसी प्रमाण कि प्रतिवादी द्वारा 'मोंगिया सुपर सीमेन्ट' के चिन्ह नाम का उपयोग आमलोगों के प्रति प्रत्यर्थी प्रतिवादी द्वारा दुर्व्यपदेशन हैं अथवा इस चिन्ह/नाम के प्रवंचित उपयोग ने अपीलार्थी वादी कंपनी की ख्याति अथवा प्रतिष्ठा को उपहति कारित किया है।

12. यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.3.2012 का आक्षेपित आदेश पारित करने के बाद तीन वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार, यदि विचारण समाप्त नहीं किया गया है, विचारण न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र विचारण निष्कर्षित करेगा।

13. उक्त निर्देश के साथ अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

मोसमात रुबिना सुल्ताना

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 61 of 2011. Decided on 6th July, 2015.

विद्यालय विधि–नियुक्ति–उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा-टीचर के रूप में नियुक्ति का रद्दकरण–आक्षेपित आदेश जारी करने के पहले याची को नोटिस नहीं दिया गया था–आक्षेपित आदेश पूर्णतः कारण रहित आदेश है और विधि के अनुरुप नहीं है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघनकारी है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और मामला नए निर्णय के लिए वापस भेजा गया। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–2013 (4) JCR 154 (SC); 1987 PLJR 79 (SC); (2009)3 SCC 227—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mr. Arup Kumar Dey, For the Resp. Nos. 1 to 6; Mr. Rajeeva Sharma, For the Resp. No. 7.

आदेश

इस रिट आवेदन में याची ने दिनांक 5.3.2010 के मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा पाकुड़ जिला में सितेश नगर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पैरा शिक्षक के रूप में याची की नियुक्ति का अनुमोदन रद्द कर दिया गया है और प्रत्यर्थी सं॰ 7 का नाम अनुमोदित किया गया है। मार्च, 2010 एवं इसके आगे से याची को मानदेय का भुगतान करने और पाकुड़ जिला में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सितेश नगर में पारा-शिक्षक के पद पर बने रहने की अनुमति याची को देने के लिए भी प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. पारा-शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, पाकुड़ द्वारा दिनांक 19.5.2009 को नोटिस प्रकाशित किया गया था। याची ने पाकुड़ जिला में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सितेश नगर में पारा-शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। याची के साथ 15 अन्य व्यक्तियों ने आवेदन दिया जिनमें से 4 व्यक्तियों को चयनित किए जाने का पात्र पाया गया था जो तीन पुरुषों से गठित था और याची एकमात्र महिला उम्मीदवार थी। ग्राम शिक्षा कमिटी ने पारा-शिक्षक के द्वितीय पद पर नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए संपूर्ण कार्यवाही प्रखंड शिक्षा कमिटी को भेज दिया था और याची को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था और परिणामस्वरुप दिनांक 28.5.2009 के पत्र सं॰ 100 के निबंधनानुसार याची को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। याची ने दिनांक 1.7.2009 को अपना पद ग्रहण किया जिसे ग्राम शिक्षा कमिटी द्वारा स्वीकार किया गया था। किंतु, दिनांक 5.3.2010 के मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश द्वारा याची की नियुक्ति का अनुमोदन रद्द किया गया था और प्रत्यर्थी सं॰ 7 का नाम अनुमोदित किया गया था। समन्वयक, प्रखंड शिक्षा कमिटी, पाकुड़ द्वारा जारी दिनांक 5.3.2010 के इस कार्यालय आदेश को याची द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 61 वर्ष 2011 में चुनौती दी गयी थी जिसमें दिनांक 4.7.2011 का आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा दिनांक 5.3.2010 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया था और रिट आवेदन अनुज्ञात किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने इस मामले में पारित दिनांक 4.7.2011 के आदेश को एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 340 वर्ष 2011 में चुनौती दिया और दिनांक 10.7.2012 के आदेश के तहत मामला एकल न्यायपीठ के पास वापस भेजा गया था चूँकि दिनांक 4.7.2011 का आदेश अपीलार्थी (प्रत्यर्थी सं॰ 7) को सुने बिना पारित किया गया था और इसलिए वापस भेजे जाने पर वर्तमान रिट आवेदन नए सिरे से सुना गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन, प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा और जी॰ पी॰ I के विद्वान जे॰ सी॰ श्री अरुप कुमार डे सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन ने मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट दिनांक 5.3.2010 के आक्षेपित आदेश को यह निवेदन करके चुनौती दिया है कि पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए याची की अनुशंसा के रद्दकरण के पहले स्वीकृत रूप से याची को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सह-जिला प्रोग्राम अधिकारी, पाकुड़ ने उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, सर्वशिक्षा अभियान, पाकुड़ को पत्र संबोधित किया था जिसमें यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि प्रतियोगी उम्मीदवारों की पात्रता के तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्षित किया गया है कि प्रखंड शिक्षा कमिटी द्वारा याची का चयन मानकों के मुताबिक था। श्री मनोज टंडन ने आगे दिनांक 27.5.2009 की प्रखंड शिक्षा कमिटी की बैठक की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सितेश नगर, पाकुड़ के संबंध में एजेन्डा में ग्राम शिक्षा कमिटी की अनुशंसा के आधार पर याची के मामले की अनुशंसा करने का निर्णय किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि रिट आवेदन के पैराग्राफ 17 में याची द्वारा किए गए प्रतिवादों को प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 30 में इनकार नहीं किया गया है। समरुप अवस्था प्रत्यर्थी सं॰ 7 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में थी जिसमें पैराग्राफ 16 पर याची की पात्रता के संबंध में याची के दावा और इस तथ्य कि दिनांक 5.3.2010 का आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पहले याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, का खंडन नहीं किया गया है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा ने निवेदन किया कि ग्राम शिक्षा कमिटी पारा-शिक्षक की नियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी है, किंतु वर्तमान मामले में ग्राम शिक्षा कमिटी ने याची को पारा-शिक्षक के रूप में नहीं चुना था। जाँच रिपोर्ट को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन भी किया गया है कि ग्राम शिक्षा कमिटी के सचिव द्वारा छल साधन किया गया था और संकल्प सं॰ 4 आरंभ में वहाँ नहीं था बल्कि बाद में ग्राम शिक्षा कमिटी के सचिव की प्रेरणा पर अंत:स्थापित किया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा आगे निवेदन करते हैं कि पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक मापदंडों के निबंधनानुसार एक पद अंग्रेजी के अतिरिक्त विषय के साथ कला स्नातक के लिए था याची के पास अंग्रेजी का अतिरिक्त विषय नहीं था और यह तथ्य दर्शाएगा कि याची पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पद के लिए पात्र नहीं थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जाँच रिपोर्ट को निर्दिष्ट करते हुए आगे निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 उच्च अर्हता का था क्योंकि वह अंग्रेजी के अतिरिक्त विषय के साथ 60.25% अंक वाला भूगोल में प्रतिष्ठा स्नातक था जबकि याची प्रतिष्ठा के बिना स्नातक मात्र है जिसने केवल 33% अंक प्राप्त किया है। अत: याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची की पश्चातवर्ती नियुक्ति की आरंभिक अनुशंसा आरंभ से ही शून्य थी क्योंकि न तो याची के पास अध्यपेक्षित अर्हता थी और न ही ग्राम शिक्षा कमिटी ने पाकुड़ जिला में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सितेश नगर में पैरा शिक्षक के रूप में याची का चयन किया था।

6. जी॰ पी॰ I के विद्वान जे॰ सी॰ श्री अरुप कुमार डे ने मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट दिनांक 5.3.2010 के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा द्वारा दिए गए तर्कों को अपनाया है।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इस तथ्य को प्रकाशमान करने का प्रयास किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 के पास उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सितेश नगर, पाकुड़ में पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अध्यपेक्षित अर्हता थी और मामले की जाँच पर क्योंकि कुछ प्रक्षेपण/कदाचार का पता चला था, याची की अनुशंसा सही प्रकार से रद्द की गयी थी। किंतु, प्रत्यर्थीगण-झारखंड राज्य अथवा प्राइवेट प्रत्यर्थी सं॰ 7 द्वारा इसे विवादित नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया है कि दिनांक 5.3.2010 का आक्षेपित कार्यालय आदेश पारित किए जाने के पहले याची पर नोटिस का तामील नहीं किया गया था अथवा उस लिहाज से याची की नियुक्ति की अनुशंसा रद्द करने वाला कार्यालय आदेश जारी करने के पहले याची को सुना नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 5.3.2010 का आक्षेपित पत्र कोई भी कारण अंतर्विष्ट नहीं करता है कि याची की नियुक्ति की अनुशंसा रद्द करने के लिए किस बात ने प्राधिकारियों को तत्पर किया। प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा, जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है, ने चयन प्रक्रिया के दौरान की गयी अनियमितताओं पर जोर दिया है किंतु कोई भी अवैधता, जैसा इंगित किया गया है, दिनांक 5.3.2010 के आक्षेपित कार्यालय आदेश में उल्लेख नहीं पाती है। दिनांक 5.3.2010 का कार्यालय आदेश पूर्णत: कारण रहित आदेश है। विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा ने यह निवेदन करके आक्षेपित आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि पारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन का कठोरतापूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए था जिसे वर्तमान मामले में नहीं किया गया है; और कि तात्विक सूचना दबायी गयी थी और ग्राम शिक्षा कमिटी के सचिव की ओर से कपट एवं दुरभिसंधि थी। उन्होंने **''देवेन्द्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य'', 2013 (4) JCR 154 (SC); ''रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ,** (1987)PLJR 79 (SC) और **''अमलान ज्योति बरुआ बनाम असम राज्य एवं अन्य,'' (2009)3 SCC 227** मामलों में निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर प्रयोज्य नहीं हैं।

8. स्वीकृत रूप से, चूँकि दिनांक 5.3.2010 के मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश जारी करने के पहले याची को सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया था और चूँकि यह पूर्णत: गैर-सकारण आदेश है और विधि के अनुरुप नहीं है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघनकारी है, दिनांक 5.3.2010 के मेमो सं॰ 41 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। मामला वापस प्रत्यर्थी सं॰ 4 के पास भेजा जाता है जो याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 7 सहित पात्र उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नया निर्णय लेंगे और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर तार्किक एवं सकारण आदेश पारित करेंगे।

9. पूर्वोक्त निबंधनों में यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

इंद्रदेव नायक

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 536 of 2015. Decided on 29th April, 2015.

भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013—धाराएँ 24 (2) एवं 41—भूमि अर्जन कार्यवाही का बीत जाना–याची प्रश्नगत भूमि पर अपना भौतिक कब्जा निश्चयात्मक रूप से स्थापित करने वाले किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफल रहा है–अर्जन प्रक्रिया स्वयं वर्ष 2007 में पूरी कर दी गयी थी और खतियानी रैयत को मुआवजा का भुगतान किया गया था–धारा 24 (2) के अधीन अर्जन बीत जाने की घोषणा नहीं की जा सकती है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–2015(1) JLJ 106 (SC) : 2015 AIR SCW 52—Relied; (2014)6 SCC 583; 2015 AIR SCW 52; **2014(3) JLJ 124 (SC) :** (2014) 6 SCC 564—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Prasad, For the Petitioner; Mr. Vineet Prakash, For the Resp.-State; Mr. Prashant Pallav, For the NTPC.

आदेश

भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के आलोक में संपूर्ण भूमि अर्जन प्रक्रिया का अभिखंडन इप्सित करते हुए और प्रत्यर्थीगण को नयी अर्जन प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश देने के लिए और 2013 अधिनियम की धारा 41 के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि ग्राम टंडवा में 123.67 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना दिनांक 6.5.2006 को प्रकाशित की गयी थी। याची के पिता ने दिनांक 20.6.1973 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा किसी टेकनी देवी से 0.56 एकड़ मापवाली खाता सं॰ 100, आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 400 एवं 492 से गठित भूमि खरीदा। इसी प्रकार, याची की माता ने दिनांक 8.2.1974 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा असनी देवी एवं टेकनी देवी से 0.051 एकड़ भूमि खरीदा। यह कथन किया गया है कि याची के माता-पिता टंडवा पी॰ एस॰ के मौजा नएपरम में 1.07 एकड़ भूमि के ऊपर विधिपूर्ण रूप से काबिज हैं तथा वे राज्य सरकार को लगान का भुगतान कर रहे हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 ने अभिलेख से छेड़छाड़ किया और याची के माता-पिता की उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा का दावा किया, अत: दिनांक 30.4.2003 को जिला भूमि अर्जन अधिकारी को अभ्यावेदन दिया गया था। चूँकि न तो याची के माता-पिता को मुआवजा का भुगतान किया गया है और न ही उनकी 1.07 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है, याची ने 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के निबंधनानुसार घोषणा इप्सित किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता **बिमला देवी बनाम हरियाणा राज्य,'' (2014)6 SCC 583 एवं 586** और **''विलक्षण कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य,'' 2015 AIR SCW 52 [: 2015(1) JLJ 106 (SC)]** और **''भारत संघ एवं अन्य बनाम शिवराज एवं अन्य, (2014)6 SCC 564 [: 2014(3) JLJ 124 (SC)]** में निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अधीन आज्ञा की दृष्टि में याची के माता-पिता की 1.07 एकड़ भूमि के संबंध में अर्जन बीत गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि प्रत्यर्थीगण उक्त भूमि का कब्जा लेने का दावा करते हैं, स्वीकृत रूप से उक्त भूमि का कब्जा लिया जाना साक्ष्यित करते हुए पंचनामा तैयार नहीं किया गया था, अत: प्रत्यर्थीगण का अभिवचन अस्वीकार किए जाने के दायी है।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत पल्लव कब्जा प्रमाण पत्र (फॉर्म 17) को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि दिनांक 29.8.2009 को जिला भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को कब्जा दिया गया है। प्रश्नगत भूमि का मुआवजा जमा किया गया था और प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 द्वारा इसे प्राप्त किया गया था जिनके विरुद्ध मुआवजा राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्यवाही आरंभ की गयी है। यह निवेदन किया गया है कि याची ने अर्जन प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति कभी नहीं किया। प्रत्यर्थी एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ ने पहले ही निविदा आमंत्रित किया था और अर्जित भूमि के इर्द-गिर्द खंभों के निर्माण के लिए मेसर्स ए॰ सी॰ एम॰ ई॰ को काम पंचाट किया था।

5. परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के पहले ' **'मेसर्स कंपीटेन्ट ऑटोमोबाइल्स कं॰ लि॰ बनाम भारत संघ एवं अन्य, सिविल अपील सं॰ 5054 वर्ष 2008,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

> *"2. èkkjk 24 (2) d vèkhu çR;d Mhfex vkij'ku Li"V :i l ,o vifjofrr :i l vko';d cukrk g fd fnukd 1.1.2009 dk vFkok bld igy 1894 vfèkfu;e dh èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr dju d ckj e rkfF;d fu"d"k fudkyk tk,(vkx] Hkxrku fd, x, evkotk dh vuifLFkfr vFkok vtu dju oky }kjk fy, x, dCtk dh vuifLFkfr bue l dkb] chr tkuk vkÑ"V dju oky lhek j[kk dh vko';drk d :i e rF; dk fl) fcn gkuk gkxkA*

6. यद्यपि याची ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा का दावा किया है और अपने दावा कि उसके माता-पिता प्रश्नगत भूमि पर काबिज हैं का समर्थन करने के लिए फोटोग्राफों को अभिलेख पर लाते हुए तीन पूरक शपथ पत्र दखिल किया है, किंतु याची ने भूमि के उपयोग की प्रकृति नहीं उपदर्शित किया है जिसे काफी पहले वर्ष 1973 एवं 1974 में खरीदा गया था। याची द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ बंजर भूमि का विशाल विस्तार प्रकट करते हैं। यह निष्कर्षित करने के लिए सामग्री नहीं है कि फोटोग्राफों में दर्शायी गयी भूमि याची के माता-पिता की है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह दावा किया गया है कि 1.07 एकड़ भूमि उसके माता-पिता की है, याची ने रिट याचिका में प्रकथन नहीं किया है कि वह अपने माता-पिता की ओर से न्यायालय के पास आया है। रिट याचिका के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र प्रकट नहीं करता है कि याची को रिट याचिका दाखिल करने के लिए अपने माता-पिता द्वारा प्राधिकृत किया गया है। दूसरी ओर, एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ ने यह प्राख्यान करने के लिए फॉर्म 17 की प्रतियों को प्रस्तुत किया है कि दिनांक 29.8.2009 को जिला भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। जहाँ तक मुआवजा के भुगतान का संबंध है, यह स्वीकृत अवस्था है कि प्रश्नगत भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया था। किंतु, बाद में यह पता लगा था कि मुआवजा का भुगतान प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 को किया गया है, अतः मुआवजा राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्यवाही आरंभ की गयी है। प्रत्यर्थीगण ने कथन किया है कि यदि याची प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा स्थापित करता है, प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 से राशि वसूल करने के बाद इसका भुगतान प्रश्नगत भूमि के मूल स्वामी को दिया जाएगा। जहाँ तक इस प्रतिवाद का संबंध है कि यह स्थापित करने के लिए कि भूमि का कब्जा वास्तविक रूप से लिया गया है, प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, मेरा मत है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि याची प्रश्नगत भूमि पर कब्जा स्थापित करने में विफल रहा है, याची द्वारा किया गया अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है। अर्जन प्रक्रिया स्वयं वर्ष 2007 में पूरी कर ली गयी थी, और जैसा ऊपर गौर किया गया है, खतियानी रैयत को मुआवजा का भुगतान किया गया था। **विलक्षण कुमार बनाम भारत**

संघ, 2015 AIR SCW 52, में आवेदक ने प्राख्यान किया कि वह अर्जन के लिए अधिसूचनाएँ जारी किए जाने के पहले एक कमरा एवं चारदीवारी का निर्माण करके भौतिक रूप से काबिज था और इसे उस समय तक बना दिया गया था जब वह 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अधीन घोषणा के लिए उच्च न्यायालय के पास आया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफों ने स्पष्टत: अर्जित भूमि पर आवेदक का भौतिक कब्जा प्रकट किया था। उक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि में यह गौर करते हुए कि स्वतंत्र गवाहों एवं भूधारकों की उपस्थिति में समुचित पंचनामा तैयार करके अर्जन प्राधिकारी द्वारा सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) की दृष्टि में आवेदक की भूमि के संबंध में अर्जन कार्यवाही बीत गयी है। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, याची प्रश्नगत भूमि पर अपना भौतिक कब्जा निश्चयात्मक रूप से स्थापित करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

7. स्वीकृत तथ्यों पर, अपरिहार्य प्रश्न जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''मेसर्स कंपीटेन्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड** मामले में उपदर्शित किया का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया है, अत:, 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अधीन अर्जन बीत जाने की घोषणा नहीं की जा सकती है।

8. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj] U;k;efr

चांद राशिद उर्फ चांदो मियाँ एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 69 of 2014. Decided on 30th June, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 337, 323 एवं 504—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—प्रहार एवं उपहति–जाति नाम से गाली–प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने सार्वजनिक रूप से सूचक पक्ष को गाली दिया एवं अपमानित किया–अभिकथन एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध गठित करता है–सूचक को याचीगण के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने के लिए दुश्मनी नहीं थी–नियमावली के नियम 7 के मुताबिक एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ मामले का अन्वेषण कर सकता था क्योंकि वह डी॰ एस॰ पी॰ की श्रेणी के नीचे का नहीं है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 6, 7, 9, 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s. Mahesh Tewari, S.K. Roy, For the Petitioners; Mr. H.K. Shikarwar, For the Respondents.

प्रशान्त कुमार, न्यायमूर्ति.–यह आवेदन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 337, 323 एवं 504 के अधीन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन भी संस्थित धनवार पी॰ एस॰ केस सं॰ 140 वर्ष 2011 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

2. यह प्रतीत होता है कि धनवार पी॰ एस॰ केस सं॰ 140 वर्ष 2011 की प्राथमिकी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर संस्थित की गयी है, जिसमें उसने अभिकथित किया कि सूचक

अन्य के साथ माप के लिए विवादाधीन भूमि पर गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि जब अमीन भूमि का माप लेने लगा, अभियुक्तगण (याचीगण) घटना स्थल पर आए और पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने सूचक को उसकी जाति नाम से गाली दी। आगे यह कथन किया गया था कि स्वयं घटना के समय पर पुलिस अंचलाधिकारी, धनवार, गाँव के मुखिया एवं सरपंच के साथ आयी और उन्होंने घटना देखा। आगे यह कथन किया गया है कि घटना के क्रम में शांति देवी, सुनीता देवी, गिरिजा देवी एवं उमा देवी को चोटें आयी। तद्नुसार, वर्तमान मामला दर्ज किया गया था।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने निवेदन किया कि प्राथमिकी के परिशीलन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (इसमें इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधानों के अधीन अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि पक्षों के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही लंबित है और केवल याचीगण से प्रतिशोध लेने की दृष्टि से वर्तमान मामला दाखिल किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, सदर मामले का अन्वेषण कर रहा है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 (इसमें इसके बाद नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 7 के मुताबिक अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। तद्नुसार, श्री तिवारी निवेदन करते हैं कि धनवार पी॰ एस॰ केस सं॰ 140 वर्ष 2011 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जाए।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री एच॰ के॰ शिकरवार निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचीगण ने अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सूचक को जाति नाम से गाली दी एवं अपमानित किया। तद्नुसार, वह निवेदन करते हैं कि अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध याचीगण के विरुद्ध बनता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि परिशिष्ट 3 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सूचक पक्ष के आवेदन पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी क्योंकि याचीगण ने जो पूर्वोक्त मामले में द्वितीय पक्षकार है, विवादाधीन भूमि जोतने तथा इसपर खेती करने में प्रथम पक्षकार को व्यावधान उत्पन्न किया था। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि वस्तुतः याचीगण भूमि पर सूचक पक्ष के कब्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्राथमिकी के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना की तिथि पर विवादित भूमि धनवार पुलिस, अंचलाधिकारी धनवार, गाँव के मुखिया एवं सरपंच की उपस्थिति में अमीन द्वारा मापी गयी थी और उक्त मापी के दौरान याचीगण ने पत्थर फेंक कर सूचक पक्ष पर प्रहार किया था और उनका जाति नाम लेकर गाली भी दी थी। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचीगण ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही के प्रतिकार में झूठा मामला दर्ज किया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी आरक्षी उप अधीक्षक का समतुल्य अधिकारी है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के मुताबिक भी सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी पर मामले का अन्वेषण करने के लिए वर्जना नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अधिसूचना जारी किया था और समस्त पुलिस इंस्पेक्टर एवं पुलिस सब-इंस्पेक्टर को अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों का अन्वेषण करने के लिए सशक्त बनाया था। तद्नुसार यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण में अवैधता नहीं है जैसा याचीगण द्वारा इंगित किया गया है।

5. निवेदनों को सुनने पर मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सूचक पक्ष ने अभिकथित किया था कि याचीगण ने अमीन, पुलिस कर्मियों, अंचलाधिकारी, गाँव के मुखिया एवं सरपंच सहित अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में उनकी जाति नाम से उनको गाली दिया था। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने सार्वजनिक रूप से सूचक पक्ष को गाली दिया एवं अपमानित किया। मेरे दृष्टिकोण में, पूर्वोक्त अभिकथन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन संगणित अपराध गठित करता है। अत: मैं याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रथम प्रतिवाद में गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।

7. जहाँ तक द्वितीय प्रतिवाद अर्थात् कि वर्तमान मामला दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही के प्रतिकार में दाखिल किया गया है, का संबंध है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पूर्वोक्त कार्यवाही प्रथम पक्ष जो राधिका रविदास, पूरण रविदास, कृष्णा दास, सहदेव रविदास, दर्शन दास, बिनोद दास एवं राधेश्याम दास है के आवेदन पर आरंभ की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि सहदेव रविदास सूचक का पति है जबकि दर्शन दास घायलों में से एक उमा देवी का पति है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही सूचक पक्ष के कहने पर आरंभ की गयी थी, क्योंकि याचीगण उनका कब्जा अस्त-व्यस्त कर रहे थे। मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं पाता हूँ कि सूचक को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही के प्रतिकार में याचीगण के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने के लिए दुश्मनी नहीं थी। इस प्रकार, मैं याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए द्वितीय प्रतिवाद में गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।

8. अब तृतीय प्रतिवाद पर आते हुए यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के नियम 7 के मुताबिक आरक्षी उपाधीक्षक की श्रेणी के नीचे का पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण नहीं कर सकता है। याचीगण द्वारा आवेदन के पैराग्राफ सं॰ 13 पर कथन किया गया है कि एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ आरक्षी उपाधीक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी है, अत: उसे वर्तमान मामले का अन्वेषण करने की अधिकारिता अथवा प्राधिकार नहीं है।

9. राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया। उक्त प्रतिशपथ पत्र में, पैराग्राफ सं॰ 16 पर यह विनिर्दिष्टत: कथन किया गया है कि एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ मामले का अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। पूछने पर विद्वान अपर पी॰ पी॰ राज्य से अनुदेश इप्सित किया और तत्पश्चात निवेदन किया कि एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ डी॰ एस॰ पी॰ का समतुल्य अधिकारी है। उक्त परिस्थितियों के अधीन, नियमावली के नियम 7 के मुताबिक भी, एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ मामले का अन्वेषण कर सकता है क्योंकि वह डी॰ एस॰ पी॰ की श्रेणी के नीचे का अधिकारी नहीं है।

10. इसके अतिरिक्त, मैं पाता हूँ कि झारखंड राज्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन निहित शक्ति की दृष्टि में अधिसूचना सं॰ 7/ SC ST/06/2007/5165 के तहत समस्त पुलिस इंस्पेक्टर एवं पुलिस सब-इंस्पेक्टर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता में अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले समस्त मामलों का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किया है। अत:, झारखंड राज्य की पूर्वोक्त अधिसूचना की दृष्टि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 की प्रयोज्यता नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में भी याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया प्रतिवाद विधि में मान्य नहीं है।

11. ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस आवेदन में गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

दुर्गा दास

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 528 of 2002. Decided on 15th April, 2015.

बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972—नियम 49—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—पट्टाधृत क्षेत्र के परे पत्थर का अवैध व्यवसाय किया जाना–पट्टाधृत क्षेत्र के भूखंड संख्या का गैर प्रकटीकरण, जिसमें निकाले गए पत्थरों को तोड़ा जा रहा था, प्रकटतः स्पष्ट है–याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 8 से 11)

अधिवक्तागण.–Mrs. Nitu Sinha, For the Petitioner; A.P.P., For the Opp. Parties.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नीतू सिन्हा एवं विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. इस आवेदन में, याची ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 12.12.1996 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 49 के अधीन संज्ञान लिया गया है सहित ओ॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 171 वर्ष 1996 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. सहायक खनन अधिकारी, पाकुड़ की हैसियत में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल परिवाद याचिका से सामने आने वाला अभियोजन मामला इस प्रभाव का है कि याची फॉर्म एल॰ में विहित अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना पट्टा धृत क्षेत्र के परे पत्थरों का व्यवसाय कर रहा था और, इसलिए, यह बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 49 (iii) के अधीन अपराध है।

4. परिवाद दाखिल किए जाने के बाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ ने दिनांक 12.12.1996 के आदेश के तहत बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 49 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।

5. विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय से समन की प्राप्ति पर याची उपस्थित हुआ और इस आधार पर कार्यवाही छोड़ने के लिए आवेदन दाखिल किया कि बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 49 (iii) के अधीन मामला इस तथ्य की दृष्टि में नहीं बनता है कि याची पट्टाधारी है और याची एवं बिहार राज्य के बीच करार हुआ था। उसमें यह प्रतिवाद किया गया था कि पट्टाधारी को खनन एवं भूगर्भशास्त्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र की दृष्टि में फॉर्म एल॰ में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने दिनांक 7.1.1997 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध कार्यवाही छोड़ दिया जिसे विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 142 वर्ष 1997 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ के समक्ष चुनौती दी गयी थी। दिनांक 7.5.2002 के आदेश के तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ ने पुनरीक्षण अनुज्ञात किया और विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 7.1.1997 का उन्मोचन आदेश अपास्त कर दिया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 12.12.1996 के आक्षेपित आदेश का विरोध यह निवेदन करते हुए किया है कि याची को दिनांक 10.4.1995 को याची एवं बिहार राज्य के बीच निष्पादित पट्टा के निबंधनानुसार पाकुड़ जिला के अंतर्गत सी॰ एस॰ सं॰ 92 के अधीन 6.2 एकड़ भूमि के ऊपर खनन पट्टा प्रदान किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि पट्टा विलेख मेसर्स ओतेन दास एन्ड कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया गया था और याची उक्त कंपनी का स्वत्वधारी है। यह निवेदन भी किया गया है कि पट्टा विलेख में यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि पट्टाधारी को फॉर्म एल॰ में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अभियोजन रिपोर्ट उस क्षेत्र जिसमें याची व्यवसाय कर रहा है और उस क्षेत्र जो पट्टाधृत क्षेत्र के परे है जिसमें याची को पत्थर का व्यवसाय करता अभिकथित किया गया है को प्रकट नहीं करता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के प्रावधानों के निबंधनानुसार केवल जिला खनन अधिकारी परिवाद संस्थित करने के लिए सक्षम है और सहायक खनन अधिकारी मामला दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था, अत: ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि खनन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था और यह पता लगाया गया था कि याची पत्थर सामग्री जैसे खनन क्षेत्र से निकाले गए बॉल्डर को अपने क्रशिंग साइट तक परिवहित कर/हटा रहा था जो पट्टाधृत क्षेत्र के बाहर अवस्थित था जिसे बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 49 के अधीन आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। आगे यह निवेदन किया गया है कि बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 का नियम 49 विनिर्दिष्ट करता है कि व्यक्ति जो पट्टाधृत क्षेत्र के परे लघु खनिज भंडारित एवं प्रेषित करने का आशय रखता है को फॉर्म एल॰ में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा जिसका याची ने उल्लंघन किया था और, इसलिए, याची अभियोजित किए जाने का दायी है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि दिनांक 23.11.1996 को विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर, बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 की धारा 49 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ द्वारा संज्ञान लिया गया था। परिवाद याचिका से यह प्रतीत होता है कि अभिकथन इस तथ्य के संबंध में है कि पत्थर का व्यवसाय पट्टाधृत क्षेत्र के परे किया जा रहा था जिसे आगे इस प्रभाव के प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि खनिज पट्टाधृत क्षेत्र से निकाला गया था किंतु इसे पट्टाधृत क्षेत्र के बाहर रखा जा रहा था जहाँ पत्थरों एवं बोल्डरों को फॉर्म एल॰ में अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना चिप्स/डस्ट में कुचला जा रहा था।

9. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के प्रतिशपथ पत्र ने दिनांक 26.4.1999 के पत्र का उल्लेख किया है जिसने पट्टाधारी के लिए फॉर्म एल॰ प्राप्त करना वैकल्पिक बनाया था किंतु दिनांक 13.7.1999 के पत्र के तहत दिनांक 26.4.1999 का उक्त पत्र वापस ले लिया गया था। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा प्रस्तुत अभियोजन रिपोर्ट गूढ़ है और पट्टाधृत क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र जिसमें निकाले गए पत्थरों, बोल्डरों, आदि का डंप करने का अभिकथन किया गया है का उल्लेख तक नहीं करता है, अत: उक्त परिवाद अस्पष्ट और याची द्वारा किए गए उल्लंघन के संबंध में मूल आवश्यकता रहित होने के नाते त्यक्त किए जाने योग्य है।

10. विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ ने याची को मामले से उन्मोचित करते हुए विचार में लिया था कि परिवाद याचिका स्वयं अस्पष्ट है और कोई भूखंड संख्या, चौहद्दी अथवा क्षेत्र उल्लिखित नहीं किया

गया है। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने उन्मोचन आदेश केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया था कि अभियोजन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। तथ्य बना रहता है कि पट्टाधृत क्षेत्र के भूखंड संख्या का गैर-प्रकटीकरण, जहाँ निकाले गए पत्थरों को तोड़ा जा रहा था, प्रकटतः स्पष्ट है और ऐसी परिस्थितियों में याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. जो ऊपर कथन किया गया है, उसकी दृष्टि में, मैं इस आवेदन में गुणागुण पाता हूँ। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और दिनांक 12.12.1996 के आदेश सहित ओ॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 171 वर्ष 1996 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

पप्पू साह उर्फ विश्वनाथ साह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 129 of 2015. Decided on 30th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 353 (6)—जमानत का रद्दकरण एवं गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना–भले ही याची निर्णय उद्घोषित किए जाने के समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं था, निर्णय उद्घोषित करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था और चूँकि इसका अनुसरण नहीं किया गया है, याची की जमानत रद्द करने वाला आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है–गैर जमानती वारन्ट जारी करने का पारिणामिक आदेश भी विधि में दोषपूर्ण है–जमानत आदेश पुनर्स्थापित किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Gautam Kumar, For the Petitioner; APP., For the Opp. Parties.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 999 वर्ष 2015

इस पुनरीक्षण आवेदन को दाखिल करने में 163 दिनों के विलंब को माफ करने के लिए उसमें प्रार्थना करते हुए याची द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 999 वर्ष 2015 दाखिल किया गया है।

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पैराग्राफ 4, 5 एवं 6 पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि चूँकि याची अनेक बीमारियों से पीड़ित था और उसे अपोलो अस्पताल, कोलकाता में भरती किया गया था और इसलिए, वह समय पर अपना पुनरीक्षण आवेदन दाखिल नहीं कर सका था और अपने प्रतिवाद के समर्थन में, उसने उक्त अस्पताल द्वारा प्रदान किया गया छुट्टी प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यद्यपि प्रार्थना का विरोध किया किंतु निष्पक्षतः निवेदन किया कि अंतर्वर्ती आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट-I से यह प्रतीत होता है कि उसे उक्त अस्पताल में भरती किया गया था।

मैं अंतर्वर्ती आवेदन के पैराग्राफों 4-6 में याची द्वारा लिए गए आधारों से संतुष्ट हूँ। अतः, पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में विलंब एतद् द्वारा माफ किया जाता है।

<u>दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 129 वर्ष 2015</u>

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन जी॰ आर॰ सं॰ 99 वर्ष 2009, साहेबगंज (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 50 वर्ष 2009 के तत्सम, में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, साहेबगंज द्वारा पारित दिनांक 4.6.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची का जमानत रद्द किया गया था और अवर न्यायालय को गैर जमानती वारन्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद संहिता के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 317 एवं 353 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन भी खारिज कर दिया गया था।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मामला निर्णय के लिए दिनांक 4.6.2014 को नियत किया गया था किंतु चूँकि यह याची निर्णय उद्घोषित किए जाने के समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं था, बल्कि उसकी प्रेरणा पर संहिता की धारा 317 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी, अवर न्यायालय ने निर्णय की उद्घोषणा स्थगित कर दिया और न्यायालय द्वारा पहले प्रदान किया गया जमानत रद्द कर दिया और याची के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी करने का निर्देश भी कार्यालय को दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे संहिता की धारा 353 की उपधारा (6) के परन्तुक पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि मात्र इस आधार पर कि याची न्यायालय में उपस्थित नहीं था, संबंधित न्यायालय के पास निर्णय की उद्घोषणा स्थगित करने का अवसर नहीं था। उक्त परन्तुक स्पष्टत: कहता है कि निर्णय उद्घोषित किए जाने की तिथि पर एक दो अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के बाद भी पीठासीन अधिकारी मामलों के निपटान में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति के बावजूद निर्णय उद्घोषित कर सकता है। आगे यह निवेदन किया गया था कि अवर न्यायालय ने उक्त परन्तुक को अनदेखा करते हुए निर्णय की उद्घोषणा स्थगित किया और दिनांक 4.6.2014 का आक्षेपित आदेश पारित किया। यह निवेदन भी किया गया था कि बाद में न्यायालय ने याची के सिवाए समस्त अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए दिनांक 31.7.2014 को निर्णय उद्घोषित किया जो पूर्वोक्त प्रावधान के विपरीत है। अत:, आक्षेपित आदेश विधि में दोषपूर्ण है और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. यद्यपि विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया किंतु निष्पक्षत: निवेदन किया कि ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए संहिता में धारा 353 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान है।

5. मामले के बेहतर अधिमूल्यन के लिए संहिता की धारा 353 के प्रासंगिक प्रावधान यहाँ नीचे उद्धृत किए जाते हैं:–

^^(1) ... ...

(2) ... ...

(3) ... ...

(4) ... ...

(5) ... ...

(6) ;fn vfHk;Dr vfHkj{kk e ugh g rk mll U;k;ky; }kjk luk, tku oky fu.k; dk luu d fy, gkftj gku dh vi{kk dh tk,xh] fdUr ml n'kk e ugh dh tk,xh ft le fopkj.k d nkjku ml dh o;fDrd gkftjh l ml vfHkefDr n nh xb g vkj n.Mkn'k doy teku dk g ;k ml nk"keDr fd;k x;k g%

*ijUr tgk ,d l vfèkd vfHk;Dr g vkj mue l ,d ;k ,d l vfèkd ml rkjh[k dk U;k;ky; e gkftj ugh g ft ldk fu.k; luk;k tku okyk g rk ihBkl hu vfèkdkjh ml ekey dk fuiVku e vufpr foyEc l cpu d fy, mudh vuifLFkfr e Hkh fu.k; luk ldrk gA***

6. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अनुचित विलंब से बचने के लिए, भले ही याची न्यायालय में उपस्थित नहीं था, निर्णय उद्घोषित करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था और चूँकि, इसका अनुसरण नहीं किया गया है, अत: मेरे मत में, इस याची की जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाला आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और इस याची के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी करने का पारिणामिक निदेश भी विधि में दोषपूर्ण है।

7. अत:, मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन यह पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और जी॰ आर॰ सं॰ 99 वर्ष 2009, साहेबगंज (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 50 वर्ष 2009 के तत्सम, में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, साहेबगंज द्वारा पारित दिनांक 4.6.2014 का आदेश अपास्त किया जाता है और अवर न्यायालय को याची को अपने पूर्व जमानत बंध पत्र पर बने रहने की अनुमति देने और विधि के अनुरुप मामले में अग्रसर होने का निर्देश दिया जाता है।

8. इस आदेश को फैक्स के माध्यम से याची के व्यय पर संसूचित किया जाए।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ ilkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

बी॰ एन॰ सिंह उर्फ बिश्वनाथ सिंह एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 93 of 2007. Decided on 1st July, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 209 वर्ष 2004 में प्रथम सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 19.12.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 4.11.2007 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/120B एवं 148–षड्यंत्र एवं हत्या–दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील–दोषसिद्धि का आधार मृत्युकालिक घोषणा है–मृत्युकालिक घोषणा अपना प्रभाव नहीं खोयेगी मात्र इस कारण कि इसे किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था–मृत्युकालिक घोषणा का सम्पोषण अपेक्षित बनाने वाला नियम मात्र बुद्धिमत्ता का एक नियम है–एक जघन्य अपराध के भयाक्रान्त गवाह भिन्न रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं–मात्र इस कारण कि फर्दबयान पर चिकित्सक का कोई पृष्ठांकन नहीं है, इसे विश्वासयोग्य नहीं होना नहीं कहा जा सकता है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट–अपील खारिज।

(पैराएँ 10, 13, 16, 22, 23 एवं 24)

निर्णयज विधि.–(2013) 10 SCC 758; (2010) 9 SCC 712; (1998) 4 SCC 517—Relied; (1999) 2 SCC 126; (2006) 12 SCC 283; (2010) 9 SCC 1—Referred; (2013) 9 SCC 800—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathi, Nutan Sharma, Naveen Kumar Jaiswal, O.P. Singh, For the Appellant No. 1; M/s Indrajit Sinha, Kaushik Sarkhel, For the Appellant Nos. 2 & 3; Mr. Shekhar Sinha, For the Respondent.

रवि नाथ वर्मा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थीगण सत्र विचारण सं॰ 209 वर्ष 2004 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डाल्टेनगंज द्वारा पारित दिनांक 19.12.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक

4.1.2007 के दंडादेश की वैधानिकता को प्रश्नाधीन करते हैं, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह-पठित धारा 120B के अधीन तीनों अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की गयी है तथा सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश किया गया है। यद्यपि अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी दोषसिद्धि की गयी है परन्तु उक्त अपराध के लिए कोई पृथक दंडादेश अधिनिर्णीत नहीं किया गया है।

2. अभियोजन द्वारा यथा प्रस्तुत पृष्ठभूमि के तथ्य निम्नवत् हैं:-

घायल सूचनादाता बिहारी सिंह की प्रार्थना पर, 24.10.2000 को सदर अस्पताल में 5.20 बजे अपराह्न में नगर पुलिस थाना, जिला पलामू के प्रभारी पदाधिकारी सब-इन्सपेक्टर आर॰ एस॰ तिवारी द्वारा उसका फर्दबयान (प्रदर्श 2) इस अभिकथन के साथ अभिलिखित किया गया था कि 24.10.2001 को लगभग 4 बजे अपराह्न में, जब वह निजी बस स्टैंड में अवस्थित अपनी दुकान के बाहर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था तथा उसका साथी अजय सिंह वहां पर खड़ा था, अचानक, नागेन्द्र चौबे, मुकेश चौबे, प्रदीप विश्वकर्मा, श्रवण विश्वकर्मा, मधु सिंह का भतीजा सूरज सिंह तथा बी॰ एन॰ सिंह एक मार्शल जीप पर तथा एक मारूती भान में आये थे तथा दोनों वाहन वहां पर रूक गये थे एवं सभी अभियुक्त व्यक्ति वाहन से बाहर आ गये थे। सूचनादाता ने देखा कि वे बम तथा पिस्तौल से लैस थे तथा उन्होंने सूचनादाता एवं अजय सिंह पर गोली चलाना प्रारंभ कर दिया था एवं दोनों को मार डालने के इरादे से उनपर बम भी फेंके थे। गोली चलाने तथा बम फेंके जाने के परिणामत:, दोनों को उपहति आई थी तथा दोनों जमीन पर नीचे गिर पड़े थे। गोली की आवाज तथा बमों की आवाज सुनकर, कई व्यक्ति वहां पर जमा हो गये थे तथा उन्हें देखकर, अपीलार्थीगण अपने वाहनों पर वहां से भाग गये थे। वहां पर एकत्रित हुये व्यक्ति उन्हें सदर अस्पताल ले गये थे परन्तु इलाज के दौरान अपनी उपहतियों के कारण अजय सिंह की मृत्यु हो गयी थी। जैसा कि फर्दबयान में प्रकट किया गया है, कारण किसी जगदेव शर्मा की हत्या की वजह से पुरानी दुश्मनी प्रतीत होती है जिसमें इस सूचनादाता तथा अजय सिंह को अभियुक्त बनाया गया है।

3. फर्दबयान के नीचे, यह अभिलिखित किया गया है कि सूचनादाता ने अपने फर्दबयान की अंतर्वस्तुओं का अवलोकन करने के उपरान्त, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था, अपने बायें अंगूठे का चिन्ह लगाया था क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल था तथा अपना हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था। पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 307 एवं 302 के अधीन तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 के अधीन भी सदर (नगर) पुलिस थाना केस सं॰ 381 वर्ष 2000 संस्थित किया गया था। यहां यह उल्लिखित करना समीचीन होगा कि घायल सूचनादाता बिहारी सिंह को सदर अस्पताल में उसका फर्दबयान अभिलिखित करने के उपरान्त उसके बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया था परन्तु इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी तथा उक्त परिस्थिति में, विचारण न्यायालय ने उक्त फर्दबयान को मृतक बिहारी सिंह की मृत्युकालिक घोषणा मान लिया था।

4. अन्वेषण पदाधिकारी ने मामले के सम्यक् अन्वेषण के उपरान्त अपीलार्थीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था तथा मामले के सुपुर्द किये जाने के उपरान्त, अपीलार्थीगण के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 148, 302 सह-पठित धारा 120B के अधीन तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5 के अधीन भी आरोप विरचित किये गये थे। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बचाव यह था कि किसी जोगेन्दर सिंह की प्रार्थना पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में उन्हें झूठ मूठ आलिप्त किया गया है, जो विदेश सिंह का निकट संबंधी था जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने पिछले चुनाव में प्रचार किया था।

5. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने कुल मिलाकर 12 गवाहों को परीक्षित किया था। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 सुनील सिंह, अ॰ सा॰ 2 उदय कुमार सिंह अभिग्रहण सूची के गवाह हैं परन्तु अ॰ सा॰ 1 ने घटना के बारे में भी परिसाक्ष्य दिया है। अ॰ सा॰ 3 लालमुनी राम, अ॰ सा॰ 4 पप्पु बनारसी, अ॰

सा॰ 5 उमाकांत सिंह, अ॰ सा॰ 6 जोगेन्द्र सिंह, अ॰ सा॰ 8 संतोष राम, अ॰ सा॰ 10 विद्या सिंह उर्फ उदय कुमार सिंह ये सभी स्वतंत्र गवाह हैं परन्तु घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, अ॰ सा॰ 7 कारू सिंह तथा अ॰ सा॰ 12 मनोज सिंह मृतक बिहारी सिंह के दो पुत्र हैं। अ॰ सा॰ 11 श्री निवास कुमार, आरक्षी उप–निरीक्षक इस मामले का प्रथम अन्वेषण पदाधिकारी था।

अ॰ सा॰ 9 सदर अस्पताल, डालटेनगंज के डॉ॰ उमेश प्रसाद सिन्हा हैं जिन्होंने 24.10.2000 को एक अन्य मृतक अजय सिंह के शव की शव परीक्षा की थी तथा उनके साक्ष्य पर, मृतक अजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित की गयी थी। इस गवाह ने मृतक अजय सिंह के शव पर निम्नांकित मृत्युपूर्व उपहतियां पायी थीः–

ckgjh ijh{k.k %

(i) m l d pgj rFkk nkuk Hk tkvk ij dky iM tku rFkk xknu d fpUg ik; x;A

(ii) Ropk rFkk eyk;e mÙkd dh {kfr d lkFk xgk dh xgjkb rd x;k 6" x 3" vkdkj dk ck;s Ldiyj {k= d uhp fonh.k ?kkoA jDr d èkCck d lkFk migfr;k d vkl&ikl dky iM tku rFkk xknu d fpUg ik; x;A

foPNnu ij %

(a) Nkrh&xgk jDr rFkk FkDdk l Hkjh gb FkhA lyjk rFkk ck;k QQMk fonh.k FkkA ck;h vkj dh lkroh] vkBoh ,o ukoh ilfy;k VVh gb FkhA

(b) vkr dk foPNnu&vkr xgk jDr rFkk FkDdk l Hkjh gb FkhA ijhVkfu;e fonh.k Fkk rFkk fonh.k lyhgk Hkh ik;k x;k FkkA

चिकित्सक की राय में, उपरोल्लिखित उपहतियों द्वारा कारित सदमें तथा रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई थी, जो विस्फोटक के कारण हुई थी तथा उपहतियां तत्काल मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं।

6. मामले का एक अन्य पहलू यह है कि दूसरे अन्वेषण पदाधिकारी तथा चिकित्सक, जिन्होंने बिहारी सिंह की शव की शव समीक्षा की थी, इस मामले में परीक्षित नहीं किये जा सके थे। तथापि, विचारण न्यायालय के निर्णय के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इसका एक स्पष्टीकरण है कि इन दोनों गवाहों की परीक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाने के बाद भी, अभियोजन न्यायालय में उनकी हाजिरी कराने में विफल रहा था। यहां यह भी उल्लिखित करना समीचीन है कि किसी डॉ॰ जी॰ के॰ चौधरी, जिन्होंने मृतक–सूचनादाता की शव परीक्षा की थी, की भी अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गयी है, तथापि उसके पुत्र मनोज सिंह (अ॰ सा॰ 12) की पहल पर न्यायालय में मृतक बिहारी सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि पेश की गयी थी तथा अ॰ सा॰ 12 के तौर पर विचारण के दौरान उसके बयान पर जब उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि करायी गयी थी, वह वहां मौजूद था, बचाव पक्ष की ओर से किसी अभ्यापत्ति के बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श 3/1 के तौर पर चिन्हित किया गया था तथा प्रदर्श 3/1 से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सक ने निम्नांकित उपहतियां पायी थीः–

vkXu;k;èk dh migfr ftle (1) f?kl g, dkyj d lkFk ck;h Nkrh d ik'o i{k ij 1 x ½ lO ehO vkdkj dk io'k dk ?kko Fkk rFkk ble Vkdk yxk gvk FkkA ikStVkby lyhgk dk fonh.k djr g, vkek'k;] vkr dk nk LFkkuk ij fNfnr djr g, ck;s nlo vrj&dkLVy {k= l gkdj xtjk Fkk rFkk nk; bfy;d QkIk d fudV eyk;e mÙkdk e ,d xkyh Qlh gb ik;h x;h FkhA

(2) f?kl g, dkyj d lkFk eè; j[kk e Nkrh d lkeu oky fgLl d Åijh Hkkx ij 1 x ½ lO ehO dk io'k dk ?kko Fkk ,o Vkdk yxk FkkA ikStVkby iFke rFkk nljh ilfy;k d Lrj d chp LVue l gkdj xtjk Fkk] ck;s QQM] ;Ñr dk fNfnr fd;k Fkk ,o ik'o Hkkx ij vkBo vrj dkLVy {k= d fudV eyk;e mÙkd e ,d xkyh ik;h x;h FkhA

(3) f?kl g, dkyj d lkFk mijh Hkkx dh fupyh lrg ij 1 lO ehO 0;kl dk io'k dk ?kkoA iktDVkby eyk;e mÙkd l gkdj xtjk Fkk rFkk BMMh dh fupyh lrg ij 1 lO ehO 0;kl dk fudkl h dk ?kko cuk;k Fkk] iu% iktDVkby eè; Hkkx ij nk;i Dyohdyj {k= ij 1 x ½ lO ehO dk io'k dk ,d ?kko cukrk gA iktDVkby nk;i iFke vrj dkLVy {k= l gkdj xtjk Fkk] ck;i QQM dk fNfnr fd;k Fkk rFkk ik'o Hkkx d nk;i pkFk vrj dkLVy {k= e eyk;e mÙkd e ,d xkyh Qlh gbi ik;h x;h FkhA nk;h Nkrh rFkk vkr xgk e jDr rFkk jDr d FkDd dh ifØ;k d lkFk mijkfYyf[kr vkXu;k;èk dh migfr;k dk ekx xeM l ;Dr rFkk fonh.k FkkA vkf=d vx ef)e iM pd FkA

चिकित्सक की राय में, सभी उपहतियां आग्नेयायुध द्वारा कारित मृत्यु पूर्व उपहतियां थीं तथा सदमें एवं रक्त स्राव के कारण मृत्यु हुई थी तथा मृत्यु का समय पोस्टमार्टम परीक्षण के 3 से 18 घंटों के पहले था। पोस्टमार्टम 25.10.2000 को कराया गया था।

7. विचारण न्यायालय ने मुख्यत: मृतक की मृत्युकालिक घोषणा तथा अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिसमें इस गवाह ने परिसाक्ष्य दिया था कि जब उसके पिता को वाहन में सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज से रांची ले जाया जा रहा था, वह होश में था तथा उसने उसे एवं वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों को समूची घटना बतायी थी, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश कर दिया था जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है।

8. हमारे समक्ष, अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री त्रिपाठी ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि अभियोजन के मामले में कई कमियां हैं, जो इसे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं बनाती हैं तथा श्री त्रिपाठी की मुख्य चुनौती मृतक-सूचनादाता का फर्दबयान था, जिसे बाद में मृत्युकालिक घोषणा मान लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया था कि दोनों महत्वपूर्ण गवाहों, अन्वेषण पदाधिकारी, चिकित्सक की परीक्षा न करने का कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है, जिन्होंने मृतक-सूचनादाता की शव समीक्षा की थी तथा उस चिकित्सक की भी, जिसने सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज, पलामू में मृतक का इलाज किया था तथा उस पुलिस पदाधिकारी की जिसने मृतक का फर्दबयान अभिलिखित किया था एवं उनकी अपरीक्षा के कारण, अभिकथित मृत्युकालिक घोषणा विश्वास के योग्य नहीं रह जाती है। प्रदर्श 2 (मृतक-सूचनादाता का फर्दबयान) पर भी एक टिप्पणी की गयी थी कि न तो इसपर किसी गवाह का और न ही अस्पताल के किसी डॉक्टर या किसी कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर है तथा उक्त परिस्थिति में, इसे मृत्युकालिक घोषणा नहीं माना जा सकता है, अपितु अधिक से अधिक इसे किसी मृत व्यक्ति का बयान माना जा सकता है यह दर्शाने के लिए कि उसे तथा उसके साथी को किस प्रकार उपहति आयी थी। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **पंचानंद मंडल बनाम झारखंड राज्य; [(2013) 9 SCC 800]** के मामले पर भरोसा किया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ए॰ एस॰ आई॰ की गैर अनुपस्थिति में, जो मृत्युकालिक घोषणा का लेखक था, प्रतिकूल रूप से अभियुक्त के हित को प्रभावित किया था क्योंकि उन्हें प्रतिपरीक्षा करने के अवसर से वंचित किया गया था तथा यह कि प्रदर्श 2, जिसे बाद में मृत्युकालिक घोषणा मान लिया गया था, को किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ तक से प्रमाणीकृत नहीं कराया गया था तथा उस व्यक्ति ने भी, जिसने बयान अभिलिखित किया था, कहीं पर भी उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था तथा इस तथ्य को उल्लिखित नहीं किया था कि ऐसा बयान करने के लिए वह चिकित्सीय रूप से सक्षम था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तथा अ॰ सा॰ 7 का साक्ष्य भी विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव, यह तर्क दिया गया था कि दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश विधि की दृष्टि में समर्थनीय नहीं हैं। अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा श्री त्रिपाठी के तर्क को अपनाने के लिए न्यायालय से उन्हें अनुमति देने का निवेदन करते हैं।

9. अभियुक्त-अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से तर्क दिया है कि मृत्युकालिक घोषणा सत्य है तथा उन

परिस्थितियों का स्वैच्छिक वर्णन है जिनमें मृतक की मृत्यु हुई थी तथा उक्त मृत्युकालिक घोषणा का अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 10 द्वारा सम्पोषण किया गया है जिनकी उपस्थिति में, मृतक ने घटना का वर्णन किया था तथा **पारस यादव बनाम बिहार राज्य; 1999(2) SCC 126, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य; 2006(12) SCC 283** के मामलों में तथा **अतवीर बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली); 2010(9) SCC 1** के मामले में दिये गये निर्णयों की दृष्टि में मृत्युकालिक घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। यह भी तर्क दिया गया था कि ऐसी कोई विधि नहीं है जो किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक घोषणा को साक्ष्य में अग्राह्य या किसी भी प्रकार से साक्ष्यात्मक महत्व में कम बनाती है तथा विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक घोषणा के गुणावगुणों पर इसके साक्ष्यात्मक महत्व का मूल्यांकन किया है।

10. यह एक ऐसा मामला है जिसमें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का आधार मृत्युकालिक घोषणा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में मृत्युकालिक घोषणा के मुद्दे को प्रगणित तथा विश्लेषण किया है एवं अभिनिर्धारित किया था कि एक मरते हुए व्यक्ति के शब्दों से अति पवित्रता तथा सत्यनिष्ठा जुड़ी होती है क्योंकि मृत्यु के कगार पर किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोलने या कोई मामला गढ़ने की संभावना नहीं होती है जिससे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आलिप्त कर दिया जाय परन्तु न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना है कि बयान सिखाये पढ़ाये जाने, प्रेरित किये जाने का परिणाम या कल्पना की उपज नहीं था। इसी कारण से शपथ तथा प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता को अभिमुक्ति दी गयी है। इसके अलावा, अगर मृत्युकालिक घोषणा को अपवर्जित कर दिया जाता है, इसके परिणामत: न्याय का हनन होगा क्योंकि सामान्यत: किसी गंभीर अपराध में केवल पीड़ित के चश्मदीद गवाह होने से, बयान को बाहर कर देने से न्यायालय के पास कुछ भी साक्ष्य नहीं रह जायेगा। प्रस्तुत मामले में, बिहारी सिंह का फर्दबयान, जिसे एक मृत्युकालिक घोषणा माना गया था, एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था। **बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई मृत्युकालिक घोषणा अपनी प्रभाविता नहीं खो देगी मात्र इस कारण कि इसे एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था तथा किसी दंडाधिकारी द्वारा नहीं। एक अन्य मामले **अतबीर बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (ऊपर)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी मृत्युकालिक घोषणा की ग्राह्यता के संबंध में कई निर्णयों पर विचार करने के उपरान्त निर्णय के पैरा 22 में निम्नांकित प्रतिपादनायें अधिकथित की थीं:-

^^22. mijkDr fu.k; dk fo'y"k.k Li"Vr% n'kkrk g fd%

(i) eR; dkfyd ?kk"k.kk nk"kf If) dk ,dek= vkèkkj gk ldrh g vxj ;g U;k;ky; e i.k fo'okl mRiUu djrh gA

(ii) U;k;ky; dk lekèkku gkuk pkfg, fd dFku djr le; erd mi;Dr ekufld voLFkk e Fkk rFkk ;g fd ?kk"k.kk fl[kk; i<k; tku] ifjr dju ;k dYiuk dk ifj.kke ugh FkhA

(iii) tgk U;k;ky; dk lekèkku g fd eR; dkfyd ?kk"k.kk lgh rFkk LofPNd g] ;g vkj lEik"k.k d fcuk bl nk"kf If) dk vkèkkj cuk ldrk gA

(iv) bl fofèk d vkR;frd fu;e d rkj ij vfèkdfFkr ugh fd;k tk ldrk g fd eR; dkfyd ?kk"k.kk dk nk"kf If) dk ,dek= vkèkkj ugh cuk;k tk ldrk g tcrd fd bl lEikf"kr ugh fd;k tk;A lEik"k.k dk vif{kr cuku okyk fu;e ek= cf) eUkk dk ,d fu;e gA

(v) tgk eR; dkfyd ?kk"k.kk lfnXèk g] bl ij lEik"kd lk{; d fcuk dkjokb ugh dh tkuh pkfg,A

(vi) ,d eR; dkfyd ?kk"k.kk] tk ,l h ncyrk l xLr g fd erd efNr Fkk ,o dHkh Hkh dkb c;ku ugh dj ldrk Fkk] nk"kf If) dk vkèkkj ugh cu ldrh gA

(vii) ek= bl dkj.k fd fdl h eR; dkfyd ?kk"k.kk e ?kVuk d lcèk e l Hkh fooj.k vrfo"V ugh g] bl vLohdkj ugh fd;k tkuk gA

(viii) vxj ;g ,d lf{kIr dFku Hkh g] bl R;Dr ugh fd;k tkuk gA

(ix) tc p'enhn xokg vfHki"V djrk g fd erd eR;dkfyd ?kk"k.kk dju d fy, mi;Dr rFkk lpr voLFkk e Fkk] fpfdRlh; jk; vfHkHkkoh ugh gk ldrh gA

*(x) vxj lrdi.k loh{kk d mijkUr] U;k;ky; dk lekèkku g fd ;g lR; g rFkk erd dk dkb >Bk dFku dju d fy, ifjr dju dh fdlh i;kl l eDr g rFkk ;g llxr rFkk lketL;i.k g] dkb lEik"k.k u gku ij Hkh bl nk"kflf) dk vkèkkj cuku e dkb oèkkfud ckèkk ugh gkxhA***

अत:, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त प्रतिपादनाओं से, यह स्पष्ट है कि मृत्युकालिक घोषणा का सम्पोषण अपेक्षित बनाने वाला नियम मात्र विवेक का एक नियम है तथा जब चश्मदीद गवाह अभिपुष्ट कर देता है कि मृतक मृत्युकालिक घोषणा करते समय सचेत मानसिक अवस्था में था, चिकित्सीय राय भी अभिभावी नहीं हो सकती है तथा मात्र इस कारण कि किसी दंडाधिकारी द्वारा मृत्युकालिक घोषणा अभिलिखित नहीं की गयी थी, यह अपने आप में समूचे अभियोजन मामले पर अविश्वास करने का एक आधार नहीं हो सकता है।

11. अब, हम अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करेंगे इस संबंध में देखने के लिए कि किस अवस्था में मृतक का फर्दबयान पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक घोषणा के तौर पर मान लिया गया है। फर्दबयान प्रदर्श 2 के रूप में अंकित किया गया था तथा इसके परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि इसे सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज, पलामू में 24.10.2000 को 5.20 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था तथा फर्दबयान के नीचे, यह स्पष्टत: उल्लिखित किया गया है कि घायल मृतक का बयान उसे पढ़कर सुनाया गया था एवं स्पष्टीकृत किया गया था। जिसके बाद उसने अपने अंगूठे का चिन्ह लगाया था मात्र इस कारण कि वह गंभीर रूप से घायल था एवं अपना हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था। अभियोजन ने 12 गवाहों को परीक्षित किया है, परन्तु बेहतर मूल्यांकन के लिए हम अभियोजन साक्ष्य को दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। पहला हिस्सा गवाहों के साक्ष्य से संबंधित है इस संबंध में दर्शाने के लिए कि मृतक को घटना स्थल पर किस प्रकार चोट आयी थी तथा दूसरा हिस्सा उन गवाहों के साक्ष्य से संबंधित है, जो अस्पताल में उपस्थित थे जब मृतक का फर्दबयान अभिलिखित किया गया था।

12. अ॰ सा॰ 1 यद्यपि अभिग्रहण का एक गवाह है परन्तु उसने घटना का एक सजीव चित्रण किया है ऐसा परिसाक्ष्य देकर कि वह एक निजी बस का अभिकर्त्ता है तथा 24.10.2000 को, अर्थात्, घटना के दिन लगभग 4.30 बजे अपराह्न में, वह बस स्टैंड पर था एवं 6-7 व्यक्तियों को दो वाहनों; एक मार्शल जीप तथा एक अन्य मारूती भैन पर आते हुए देखा था तथा वह वाहन से बाहर आये थे तथा मृतक अजय सिंह पर बम फेंका था। उसकी मौजूदगी में, 4 बमों तथा एक कारतूस का अभिग्रहण दर्शाते हुए दो अभिग्रहण सूचियां तैयार की गयी थीं। गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथित किया है कि उक्त कारतूस बिहारी सिंह के कार्यालय के निकट स्थान से जब्त किया गया था परन्तु इस गवाह ने कहीं पर भी अपने साक्ष्य में बिहारी सिंह की उपहति के बारे में कोई संकेत तक नहीं दिया है।

अ॰ सा॰ 3 ने केवल ये परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह लगभग 4 बजे अपराह्न में अपने घर में भोजन कर रहा था, उसने बम के धमाके की आवाज सुनी थी तथा जब अपने घर से बाहर आया था, तीन व्यक्तियों को वहां से भागते हुए पाया था तथा अगले दिन उसे मालूम हुआ था कि अजय सिंह, जिसे उपहति आई थी, की अस्पताल में मृत्यु को गयी थी तथा एक अन्य घायल बिहारी बाबू की भी, जिसे इलाज के लिए रांची ले जाया गया था, रांची में मृत्यु हो गयी थी, परन्तु इस गवाह ने उन व्यक्तियों को पहचानने से इनकार किया था जो वहां से भाग रहे थे।

इसी प्रकार, अ॰ सा॰ 4, जो बस स्टैंड के निकट एक दुकान का मालिक है, ने कथित किया है कि उसने गोली चलने तथा बम के धमाके की आवाज सुनी थी एवं व्यक्तियों को भाग निकलने का प्रयास करते हुए देखा था तथा संध्या में, उसे मालूम हुआ था कि अजय सिंह की अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी तथा इलाज के दौरान रांची में बिहारी सिंह की भी मृत्यु हो गयी थी।

अ॰ सा॰ 6 जोगेन्दर सिंह ने घटना के समय तथा तिथि अभिपुष्ट करते हुए परिसाक्ष्य दिया है कि वह बस स्टैंड की ओर जा रहा था जब उसने मुन्सिफ रोड से न्यायालय की ओर एक मार्शल वाहन को जाते हुए देखा था तथा उस वाहन में प्रदीप विश्वकर्मा, श्रवण विश्वकर्मा, बी॰ एन॰ सिंह–वर्तमान अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्त व्यक्ति बैठे हुए थे परन्तु जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा था, उसने अजय सिंह तथा बिहारी बाबू को घायल अवस्था में देखा था तथा उन घायलों को अपने ही वाहन में उठा कर रखने के बाद, वह तुरंत सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज की ओर बढ़ गया था, परन्तु इलाज के दौरान अजय सिंह की मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि जब वह दोनों घायलों के साथ अस्पताल जा रहा था, बिहारी बाबू सचेत अवस्था में था एवं अस्पताल में नगर पुलिस थाना के राम सागर तिवारी ने उसका फर्दबयान दर्ज किया था तथा फर्दबयान की अंतर्वस्तुओं को भी स्पष्टीकृत किया था, जिसके बाद मृतक ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि बिहारी बाबू विदेश बाबू का गोत्र भाई है, जो उसका समधी है।

अ॰ सा॰ 10 विद्या सिंह उर्फ उदय कुमार सिंह, जिसका बस स्टैंड के पीछे अपना गैराज है, ने भी अभिपुष्ट किया है कि उसने गोली चलने तथा बम के धमाके की आवाज सुनी थी तथा जब उसने पूछ ताछ किया था, उसे मालूम हुआ था कि बिहारी सिंह को आग्नेयायुध की उपहति आई है तथा फिर वह घटना स्थल तक आया था एवं बिहारी सिंह को जमीन पर पड़ा हुआ पाया था। पूछताछ करने पर, उसे मालूम हुआ था कि अपीलार्थीगण ने अन्य अभियुक्तों के साथ उसपर आग्नेयायुध तथा बम से हमला किया है। अजय सिंह भी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसके बाद वह अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें सदर अस्पताल ले गये थे तथा अस्पताल में, अजय सिंह को मृत घोषित कर दिया गया था। बिहारी सिंह को रांची निर्दिष्ट कर दिया गया था जहां उसे आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ में भर्ती कराया गया था, परन्तु अगले दिन उसे 5–6 बजे अपराह्न में एक कॉल प्राप्त हुई थी कि बिहारी सिंह की भी मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह उक्त घटना के बाद बिहारी सिंह के निकट आया था, वह सचेत अवस्था में था तथा जब अस्पताल में प्रभारी पदाधिकारी उसका बयान दर्ज कर रहा था, उस समय भी वह सचेत था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट किया है कि जिस समय प्रभारी पदाधिकारी घायल बिहारी सिंह का फर्दबयान दर्ज कर रहा था, परिवार के कई सदस्यों के अलावा वहां पर चिकित्सक, कम्पाउन्डर एवं नर्स ये सभी मौजूद थे।

13. उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन पर, यह प्रकट है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1, 3, 6 एवं 10 घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं परन्तु उन सभी ने परिसाक्ष्य दिया है कि गोली चलने तथा बम के धमाके की आवाज सुनने के तुरंत बाद वह घटना स्थल पहुंच गये थे। तत्पश्चात्, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 10 दोनों घायलों को सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज, पलामू ले गये थे। यह सही है कि उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य में कुछ विरोधात्मकताएं तथा विसंगतियां हैं परन्तु ये विरोधात्मकताएं छोटी मोटी हैं तथा ऐसे किसी निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती हैं कि वास्तविक घटना तथा उन अभियुक्तों के संबंध में भी कोई सच छुपाया गया था जिन्होंने अपराध कारित किया था। इसे ध्यान में रखा जाना है कि किसी गंभीर अपराध के गवाह तथा वह भी तब जब एक व्यस्त बस स्टैंड पर अपराध कारित किया गया है, सामान्य ढंग से संभवत: प्रतिक्रिया न करें। किसी जघन्य अपराध के भयाक्रांत गवाह भिन्न रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

14. अब, हम उन अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करेंगे जिनकी मौजूदगी में, मृतक ने अपना फर्दबयान दर्ज कराया था। अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य पर ऊपर पहले ही परिचर्चा की जा चुकी है क्योंकि वह सदर अस्पताल में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मृतक का फर्दबयान अभिलिखित किये जाने के भी गवाह हैं। उपरोक्त के अलावा, मृतक के पुत्रों में से एक अ॰ सा॰ 7 कारू सिंह का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भी उपस्थित था जब मृतक का फर्दबयान अभिलिखित किया गया था। इस गवाह ने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि वह अपने घर में था जब उसे घटना के बारे में सूचना प्राप्त

हुई थी तथा तत्पश्चात् वह अस्पताल आया था जहां उसने अपने पिता तथा अजय सिंह को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया था परन्तु इसके तुरंत बाद अजय सिंह ने अपनी उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था। उसके पिता का बयान राम सागर तिवारी द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसमें उसके पिता ने अपीलार्थीगण तथा उन अभियुक्तों के नाम प्रकट किये थे, जिन्होंने उसपर हमला किया था। इस गवाह ने अभिपुष्ट किया है कि फर्दबयान दर्ज किये जाने के उपरान्त, दारोगा जी ने फर्दबयान के अंतर्वस्तुओं को पढ़ कर सुनाया था तथा स्पष्टीकृत किया था जिसके बाद उसके पिता ने अपने अंगूठे का चिन्ह लगाया था क्योंकि वह अपना हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था तथा अगले दिन, उसके पिता को बेहतर इलाज के लिए रांची निर्दिष्ट कर दिया गया था एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ वह अपने पिता के साथ गया था परन्तु इलाज के दौरान, घटना के अगले ही दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने यह भी अभिपुष्ट किया है कि उसके पिता को सचेत अवस्था में डाल्टेनगंज में अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा उसे रांची भी इसी स्थिति में भेजा गया था। प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस गवाह ने कथित किया है कि जिस वाहन में वह अपने पिता तथा अन्य सदस्यों के साथ रांची जा रहा था, उसके पिता ने समूची घटना का वर्णन दिया था। निःसंदेह, इस गवाह के साक्ष्य का यह हिस्सा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

मृतक के एक अन्य पुत्र मनोज सिंह (अ॰ सा॰ 12) ने केवल इतना सम्पुष्ट किया है कि उसके पिता को घटना के उपरान्त सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज में भर्ती कराया गया था तथा वहां से, उसे रांची निर्दिष्ट कर दिया गया था परन्तु रांची में इलाज के दौरान, उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी। उसने यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि वह अपनी ही कार से लगभग 4.30–5 बजे अपराह्न में रांची के लिए चल पड़ा था, जिसे उसके भाई धर्मेन्द्र सिंह द्वारा चलाया जा रहा था एवं उसके पिता के शव का पोस्टमार्टम डॉ॰ जी॰ के॰ चौधरी द्वारा संचालित किया गया था। उक्त चिकित्सक द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसे अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा दी गयी थी तथा अन्वेषण पदाधिकारी ने उसकी मौजूदगी में मूल की प्रतिलिपि कराई थी। इस गवाह के साक्ष्यांकन पर, बचाव पक्ष से किसी अभ्यापत्ति के बिना मृतक बिहारी सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उक्त प्रतिलिपि प्रदर्श 3/1 के तौर पर अंकित की गयी थी। यह प्रतीत होता है कि इस गवाह ने द्वितीयक साक्ष्य प्रदान करने के लिए उसे हकदार बनाने वाली परिस्थितियों को सिद्ध किये बिना द्वितीयक साक्ष्य के बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी परन्तु बचाव पक्ष द्वारा कोई अभ्यापत्ति नहीं की गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने समरूप स्थिति में **कालिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2013) 10 SCC 758** के मामले में तथा **एम॰ चन्द्रा बनाम एम॰ थंगामुथु एवं एक अन्य; (2010) 9 SCC 712** के मामले (पैरा 47 में सुसंगत) में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^47. ge mPp U;k;ky; d rd l lger ugh gA ;g lgh g fd tk i{kdkj fdlh nLrkot dh vroLrvk ij Hkjklk dju dh bPNk j[krk g] ml vko';d :i l vroLrvk dk ikFkfed lk{; iLrr djuk g] rFkk doy vkiokfnd ekeyk e f}rh;d lk{; xkg; gkxkA rFkkfi] vxj f}rh;d lk{; xkg; g] bl fdlh Hkh :i e iLrr fd;k tk ldrk g ftle ;g miyC;k gk ldrk g] pkg fdlh ifrfyfi] fdlh ifrfyfi dh MIlyhdV ifrfyfi d iLrfrdj.k }kjk , lk gk] vroLrvk d ekf[kd lk{; }kjk ;k fdlh ,d vU; :i e , lk fd;k tk;A f}rh;d lk{; vko';d :i l vkèkkjHkr lk{; }kjk iek.khÑr fd;k tkuk g fd vfHkdfFkr ifrfyfi oLrqr% ey dh lR; fyfi gA blij cy fn;k tkuk pkfg, fd ikFkfed lk{; dk vif{kr cuku oky fu;e d viokn , l ekey e vurk"k miyC;k djku d fy, ;Fkk fufer g tgk dkbZ i{kdkj viu fdlh nk"k d fcuk fo'k) :i l ey iLrr dju e v{ke gA^^*

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(c) स्पष्ट रूप से अनुबद्ध करती है कि किसी दस्तावेज से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल या तो नष्ट हो गया है या खो गया है या इसकी अंतर्वस्तुओं का साक्ष्य प्रस्तुत करनेवाला पक्षकार किसी अन्य कारण से, जो उसके दोष या लापरवाही से उद्भूत नहीं है, युक्तियुक्त समय में इसे पेश करता है, न्यायालय, न्यायालय में प्रस्तुत किये

गये दस्तावेज के साक्ष्यिक महत्व की जांच करने के लिए बाध्य है। जब कोई पक्षकार द्वितीय साक्ष्य प्रदान करने में उसे हकदार बनाने वाली परिस्थितियों को सिद्ध किये बिना साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज प्रदान करता है, विपक्षी के पास इसके ग्रहण किये जाने के समय अभ्यापत्ति करने का अवसर होता है परन्तु प्रस्तुत मामले में, ऐसी कोई अभ्यापत्ति नहीं उठायी गयी थी तथा मृतक बिहारी सिंह की शव समीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श के तौर पर अंकित कर दी गयी थी।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में से एक यह था कि न तो इस मामले के अन्वेषण पदाधिकारी और न ही उस चिकित्सक, जिसने सदर अस्पताल, डाल्टेनगंज में मृतक बिहारी सिंह का इलाज किया था, और न ही उस चिकित्सक, जिसने मृतक की शव समीक्षा की थी, की अभियोजन द्वारा परीक्षा की गयी है, यहां तक कि फर्दबयान पर किसी चिकित्सक या अस्पताल के कर्मचारी का कोई पृष्ठांकन भी नहीं है तथा अभियोजन द्वारा इस सीमा तक कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। फिर भी, अवर न्यायालय ने फर्दबयान को मृत्युकालिक घोषणा मान लिया था। हम यह कहना चाहते हैं कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 26 में अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों से निपटते समय अभियोजन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार किया है कि मामले के अन्वेषण पदाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया था तथा सभी उपायों के बावजूद, उसे हाजिर नहीं कराया जा सका था। इसी प्रकार, रांची में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को भी उसकी हाजिरी प्राप्त करने के उसके प्रयासों के बावजूद परीक्षित नहीं किया जा सका था। गवाहों अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 10 ने स्पष्ट शब्दों में कथित किया है कि पुलिस द्वारा मृतक का फर्दबयान जब अभिलिखित किया गया था, उसकी स्थिति गंभीर थी परन्तु वह सचेत अवस्था में था एवं बयान देने में सक्षम था। स्वीकार्यतः, लगभग 24 घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गयी थी।

पूर्वगामी पैराओं, हम पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में निर्णीत निर्णयाधार पर चर्चा कर चुके हैं कि रचयिता द्वारा सम्पोषण के बिना भी, मृत्युकालिक घोषणा पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है अगर गवाह सम्पुष्ट करते हैं कि मृतक मृत्युकालिक घोषणा करने के लिए उपयुक्त एवं सचेत अवस्था में था।

यह प्रतीत होता है कि घायल की अवस्था देखते हुए, उस विशिष्ट समय पर फर्दबयान के लेखक ने किसी दंडाधिकारी द्वारा घायल का बयान अभिलिखित कराया जाना या उक्त बयान पर इलाज कर रहे चिकित्सक का पृष्ठांकन प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा था। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इससे इनकार नहीं किया गया है कि कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी या न्यायालय में अपनी परीक्षा के दौरान गवाहों को बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त के प्रतिकूल कोई सुझाव भी दिया गया था। मात्र इस कारण कि फर्दबयान पर किसी चिकित्सक का कोई पृष्ठांकन नहीं है, इसे अविश्वास योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार, चूँकि न्यायालय में फर्दबयान के लेखक की परीक्षा नहीं की गयी है, इसे अस्वीकार किया नहीं जा सकता है जब कई गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि सदर पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उनकी मौजूदगी में फर्दबयान दर्ज किया गया था। इन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया है। उनका साक्ष्य किसी ऐसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जो मृत्युकालिक घोषणा को संदिग्ध या विश्वास करने के अयोग्य बना देगी। ऐसी स्थिति में, अगर अन्वेषण या अभियोजन के ओर से कोई चूक हुई भी है, इसपर अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

17. उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्यों के परिशीलन पर, निम्नांकित तथ्य उद्भूत होते हैं:–

(a) ce rFkk vkXu;k;èkk dh vkokt luu d mijkUr v0 lk0 1] 3] 6 ,o 10 t l db xokg ?kVuk LFky d fudV ,df=r gk x; Fk rFkk fcgkjh flg ,o vt; flg dk ?kk;y voLFkk e iMk gvk ik;k FkkA ftld mijkUr] v0 lk0 6 ,o 10 nkuk ?kk;yk dk lnj vLirky] MkYVuxt ydj vk x; FkA

(b) ?kk;y fcgkjh flg d nk i= v0 lk0 7 ,o 12 ?kVuk d ckj e ludj rFkk ;g ludj fd mud firk rFkk vt; flg dk vLirky y tk;k x;k g] vLirky dh vkj Hkkx dj x; Fk] tgk lnj ifyl Fkkuk dk iHkkjh inkfèkdkjh jke lkxj frokjh v0 lk0 6] 7] 10 ,o 12 dh ektnxh e ?kk;y fcgkjh flg dk Qncku vfHkfyf[kr dj jgk FkkA

(c) iHkkjh inkfèkdkjh u Qnc;ku nt fd;k Fkk rFkk eR; dkfyd ?kk"k.kk ughA

(d) cgrj bykt d fy,] ?kk;y fcgkjh flg dk jkph Hktk x;k Fkk ijUr ?kVuk d vxy gh fnu mldh eR; gk x;h FkhA

(e) fopkj.k d nkjku] U;k;ky; u fcgkjh flg d Qnc;ku dk eR; dkfyd ?kk"k.kk ekuk FkkA

18. पारस यादव बनाम बिहार राज्य (ऊपर) में बिल्कुल समरूप स्थिति तथा परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया था:–

*ijk 9- ^^ikjl ;kno d lcèk e ekey dh bl nf"V e] gekjh jk; e db xokgk }kjk ;Fkk vfHkl{; nh x;h rFkk erd 'kEHk ;kno d Qnc;ku e ;Fkk vfHkfyf[kr ekf[kd eR; dkfyd ?kk"k.kk ij vfo'okl dju dk dkb dkj.k ugh gA ?kVuk ?kfVr gku d dN gh feuVk d Hkkrj ?kVuk d ifjn"; ij gh vkj{kh mifujh{kd }kjk Qnc;ku vfHkfyf[kr fd;k x;k FkkA gYyk xYyk ludj xokg Hkh vijkèk LFky dh vkj nkM iM FkA v0 lk0 11 }kjk ;Fkk vfHkl{; fn;k x;k fpfdR lh; lk{; Hkh vfHk;ktu i{k dk lEik"k.k djrk gA vr,o] voj U;k;ky;k u mfpr :i l HkkO n0 l0 dh èkkjk 302 d vèkhu nMuh; vijkèk d fy, ikjl ;kno dh nk"kflf) dh FkhA***

उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मृतक का बयान अभिलिखित करने के लिए दंडाधिकारी को नहीं लाने में अन्वेषण पदाधिकारी की ओर से हूई चुक अभियुक्त के पक्ष में नहीं ली जानी चाहिए तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक मृत्युकालिक घोषणा के बजाय एक परिवाद के तौर पर नियमित ढंग से मृतक के अभिलिखित बयान को घायल की मृत्यु के उपरान्त मृत्युकालिक घोषणा भी माना जा सकता है अगर अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य स्पष्टत: सिद्ध करता है कि मृतक सचेत था तथा बयान देने के लिए उपयुक्त मानसिक अवस्था में था।

19. समूची परिस्थितियों के विश्लेषण पर, हमें ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि अन्वेषण पदाधिकारी की ओर से तथा अभियोजन की ओर से भी लापरवाही हुई है तथा ऐसी लापरवाही युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न कर सकती है।

राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य; (1998) 4 SCC 517 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समरूप स्थिति में निम्नवत् सम्परीक्षित किया था:–

*^^,l ekeyk e] inkfèkdkjhx.k d ,l ykik rFkk nf"kr vkpj.k d fo:) tkdj vfHk;ktu d i{k dh tkp dh tkuh glxh vU;Fkk tk fjf"V tkuc>dj dkfjr dh x;h Fkh] og vkx tkjh jgxh rFkk ifjoknh i{k U;k; l ofpr gk tk;xk rFkk ;g Li"V :i l u doy fofèk ioru vfHkdj.k e cfYd U;k; d i'kklu e Hkh turk dk fo'okl Mxexk nxkA***

20. पंचानंद मंडल बनाम झारखंड राज्य (ऊपर) के मामले पर भरोसा करते हुए श्री त्रिपाठी ने गंभीर रूप से तर्क दिया कि उक्त मामले में भी, उस लेखक को, जिसने तीसरे स्तर की दाह उपहति

वाली एक महिला की मृत्युकालिक घोषणा दर्ज की थी, अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था तथा अभियोजन द्वारा लगभग वैसा ही स्पष्टीकरण दिया गया था, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है एवं न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यह एक भरोसा उत्पन्न कराने वाला स्पष्टीकरण नहीं था तथा लेखक ए॰ एस॰ आई॰ की अपरीक्षा ने अभियुक्त के हित को प्रतिकूलत: प्रभावित किया है क्योंकि उन्हें उसे प्रतिपरीक्षित करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

यहां, हम यह कहना चाहेंगे कि दोनों मामलों के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न हैं। उक्त मामले में, माननीय न्यायालय ने पैरा 14 में स्थिति स्पष्ट की है कि विशेषकर तब जब मामला तीसरे स्तर की दाह उपहति का था जो मृत्यु कारित कर सकती थी, मृत्युकालिक घोषणा पर किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि मृतका बयान देने के लिए चिकित्सीय रूप से उचित अवस्था में थी। तथापि, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। प्रस्तुत मामले में, मृतक को पहले डाल्टेनगंज के सदर अस्पताल में ले जाया गया था जहां उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था तथा उसकी गंभीर हालत देखते हुए, उसे बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया था तथा घटना के लगभग 24 घंटे उपरान्त, उसकी रांची में मृत्यु हो गयी थी। सामान्यत:, अपने आप को यह समाधान कराने के लिए कि मृतक मृत्युकालिक घोषणा करने के लिए उपयुक्त मानसिक अवस्था में था या नहीं, न्यायालय चिकित्सीय राय की ओर देखता है परन्तु जब चश्मदीद गवाहों ने कथित किया है कि मृतक मृत्युकालिक घोषणा करने के लिए उपयुक्त तथा सचेत अवस्था में था, चिकित्सीय राय अभिभावी नहीं हो सकती है।

21. प्रतिद्वंद्वी तर्कों से, एक बात स्पष्ट है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियोजन ने मुख्यत: सदर अस्पताल में अभिलिखित मृतक बिहारी सिंह के बयान पर भरोसा किया है जहां वह घायल पड़ा हुआ था। विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जैसा कि हम पहले ही ऊपर परिचर्चा कर चुके हैं, निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि जब अस्पताल में मृतक का बयान दर्ज किया गया था, बिहारी सिंह सचेत स्थिति में था तथा रांची भेजे जाने के उपरान्त, लगभग 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गयी थी।

उपरोक्त परिचर्चा की दृष्टि में, हम यह नहीं पाते हैं कि मृत्युकालिक घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त है तथा दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है, बल्कि हमारी राय है कि मृतक, जो सचेत स्थिति में था, के पास हमलावरों को पहचानने का एवं देखने का अवसर था।

22. हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थीगण के बयान का भी अवलोकन किया है तथा पाते हैं कि उन्होंने केवल यह बचाव दिया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीता के कारण इस मामले में झूठ मूठ फंसा दिया गया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष द्वारा न तो यह सुझाव देकर कि अभिकथित घटना कभी घटित नहीं हुई थी, और न ही यह बताकर कि आग्नेयायुध तथा बम की उपहतियां खाने के बाद अभिकथित घटना में दोनों मृतकों की मृत्यु हुई थी, इस घटना पर विवाद किया गया है। उक्त परिस्थितियों में मात्र इस कारण कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी जिसके कारण उन्हें इस मामले में झूठ मूठ फंसा दिया गया है, इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

23. उपरोक्त परिचर्चाएं हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि आक्षेपित निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा यथा अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं जिन्हें बरकरार रखा जाता है एवं अभिपुष्ट किया जाता है।

24. परिणामत:, प्रस्तुत अपील विफल होती है तथा खारिज की जाती है।

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

मो॰ राशिद एवं अन्य

cuke

दामोदर घाटी निगम एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 743 of 2015. Decided on 28th April, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 41, नियम 27–अतिरिक्त साक्ष्य–अभिधान अपील–दस्तावेजों की जानकारी मूल अपीलार्थी को थी–यद्यपि आदेश 41, नियम 27 के अधीन सांविधिक अपवाद उपबंधित किये गये हैं, पक्षकारों को अपने मामले में कमियों को दूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–रिट याचिका खारिज। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Ajay Kumar Pathak, For the Petitioners; M/s S.K. Ughal, T. Kabiraj, For the Respondents.

आदेश

अभिधान अपील सं॰ 04 वर्ष 2006 में दिनांक 29.1.2015 के आदेश के अभिखंडन की इप्सा करते हुए, जिसके द्वारा सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 41, नियम 27 के अधीन आवेदन खारिज कर दिया गया है, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. अभिधान वाद सं॰ 17 वर्ष 1998 दिनांक 16.12.2005 को निस्तारित किया गया था, जिसके विरूद्ध किसी आयशा खातून द्वारा अभिधान अपील सं॰ 04 वर्ष 2006 दाखिल किया गया था। याचीगण उक्त आयशा खातून के कानूनी वारिस तथा उत्तराधिकारी हैं। अभिधान अपील सं॰ 04 वर्ष 2006 में अतिरिक्त साक्ष्य, अर्थात्, राजस्व रसीदें, परिशुद्धि पर्ची, हुकुमनामा, खतियान, पंजी इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए 25.11.2014 को सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 41, नियम 27 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण को इन दस्तावेजों की कोई जानकारी नहीं थी। याचीगण को मूल अपीलार्थी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। मूल अपीलार्थी की मृत्यु के उपरान्त जब एक बक्सा तोड़कर खोला गया था, याचीगण को पूर्वोक्त दस्तावेज मिले थे तथा अतएव, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 25.11.2014 का आवेदन दाखिल किया गया था। दिनांक 29.1.2015 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए, प्रत्यर्थी–डी॰ वी॰ सी॰ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मूल अपीलार्थी को पूर्वोक्त दस्तावेजों की जानकारी थी फिर भी उसने अभिधान वाद सं॰ 17 वर्ष 1998 की कार्यवाही में इन दस्तावेजों को पेश नहीं किया था।

4. दिनांक 25.11.2014 के आवेदन में, याचीगण ने प्रकथित किया है कि अपीलार्थी की मृत्यु के उपरान्त उसके कानूनी वारिसों ने अपीलार्थी के बक्से का ताला तोड़ा था तथा कतिपय दस्तावेजों को पाया था जिन्हें 24.11.2014 को उनके अधिवक्ता के हवाले कर दिया गया था। इस प्रकार, दिनांक 25.11.2014 के पैरा 3 में किये गये प्रकथन से, यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की मूल अपीलार्थी को जानकारी थी। अभिधान वाद सं॰ 17 वर्ष 1998 दिनांक 16.12.2005 को निस्तारित किया गया था तथा अभिधान अपील वर्ष 2006 में दाखिल की गयी थी, तथापि, इन दस्तावेजों को कभी भी अभिलेख पर नहीं लाया गया था। आदेश 41, नियम 27 उपबंधित करता है कि पक्षकार अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी। यद्यपि आदेश 41, नियम 27 सि॰ प्र॰ सं॰ के अधीन सांविधिक अपवाद उपबंधित किये गये हैं, पक्षकारों को अपने मामले में कमी को दूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में लेने के उपरान्त दिनांक 25.11.2014 का आवेदन खारिज कर दिया था। मैं उक्त आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ तथा तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।